लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)



Gazettes & Debates
Parliament Library Building
Room No. FD-022
Block 'G'
Acc. No. 58
Dated 8.6.06

(खण्ड 11 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य: अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

प्र. ना. भारद्वाज
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

ललिता अरोड़ा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 11, पांचवां सत्र, 2005/1927 (शक)
अंक 4, गुरुवार, 28 जुलाई, 2005/6 श्रावण, 1927 (शक)

विषय	कॉलम
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	1-2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 61, 62 और 64	2-39
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 63, 65 से 80	39-82
अतारांकित प्रश्न संख्या 637 से 866	82-333
सभा पटल पर रखे गए पत्र	334-336
समिति का निर्वाचन	
केन्द्रीय पुरातत्व विज्ञान सलाहकार बोर्ड	336
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) ओ.एन.जी.सी. के मुम्बई हाई उत्तरी प्लेटफार्म में आग की घटना	
श्री मणिशंकर अय्यर	337-340
(दो) होण्डा मोटर्स के श्रमिकों और हरियाणा पुलिस के बीच गुड़गांव, हरियाणा में हुई हिंसक घटना	
श्री शिवराज वि. पाटील	340-345
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	
लोक सभा के महासचिव श्री जी.सी. मलहोत्रा द्वारा पदभार छोड़ने तथा श्री पी.डी.टी. आचारी की लोक सभा के महासचिव के रूप में नियुक्ति के संबंध में	345-352
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
(एक) ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता	
श्री प्रभुनाथ सिंह	352-353
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	353-368
श्री शैलेन्द्र कुमार	368-369
श्री वरकला राधाकृष्णन	369-370

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित ! चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी	370-371
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	371-391
डा. एम. जगन्नाथ	391-397
सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा	397-399
श्री इलियास आजमी	399-401
श्री खारबेल स्वाईं	401
चौधरी लाल सिंह	401-403
(दो) तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में तिरूपुर में और उसके आसपास स्थित 600 से अधिक रंगाई और विरंजन कारखानों के बन्द होने से उत्पन्न स्थिति	
श्री के. सुब्बारायण	403
श्री शंकर सिंह वाघेला	493-405
श्री के.सी. पलनिसामी	405-406
श्री ए.वी. बेल्लारमिन	406-407
श्री विजयेन्द्र पाल सिंह	407-408
नियम 377 के अधीन मामले	408
(एक) चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति के वास्तविक सदस्यों को प्रमाण-पत्र जारी किए जाने की आवश्यकता	
श्री पवन कुमार बंसल	408-409
(दो) पड़ोसी देशों से उग्रवादियों की घुसपैठ को रोकने की दृष्टि से उत्तरांचल की सीमाओं पर सीमा सड़क संगठन द्वारा सड़कों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री के.सी. सिंह "बाबा"	409
(तीन) एरोड जिले में न्यायालय भवनों के निर्माण के लिए तमिलनाडु सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री एस.के. खारवेनथन	410
(चार) ऑल नागा स्टुडेंट्स एसोसिएशन द्वारा मणिपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 39 और 53 पर लगाए गए आर्थिक अवरोध के निवारण के लिए केन्द्र के हस्तक्षेप की आवश्यकता	
डा. टोकचोम मैन्या	410-411
(पांच) शिक्षकों की कमी के कारण मान्यता रद्द किए गए मेडिकल कालेजों की मान्यता पुनः बहाल किए जाने की आवश्यकता	
श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख	411-412

विषय — कॉलम

(छह) उत्तर प्रदेश की लंबित पड़ी कतिपय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री संतोष गंगवार 412

(सात) देवधर और पटना के बीच राज्य राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री गिरिधारी यादव 413

(आठ) उत्तर प्रदेश के शाहबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बी.एस.एन.एल. की टेलीफोन सेवाओं को कारगर बनाए जाने की आवश्यकता

श्री एलियाज आजमी 413-414

(नौ) महाराष्ट्र में विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्रकांत खेरे 414

(दस) आंध्र प्रदेश के काजू उत्पादकों को ड्रम रोस्टिंग प्रणाली के माध्यम से बीच की रोस्टिंग की विद्यमान प्रौद्योगिकी को जारी रखने की अनुमति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डा. एम. जगन्नाथ 414-415

(ग्यारह) राज्य में श्रमिकों के असंतोष को रोकने की दृष्टि से असम में चाय बागान श्रमिकों को 20 प्रतिशत बोनस प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डा. अरुण कुमार शर्मा 415-416

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश में प्राकृतिक आपदाएं 416

श्री गणेश सिंह 416-419

श्री के.एस. राव 419-425

श्री राजनरायण बुधौलिया 425-426

श्री रघुनाथ झा 427-429

श्री प्रभुनाथ सिंह 429-432

प्रो. एम. रामदास 432-436

डा. एम. जगन्नाथ 436-441

श्री बिक्रम केशरी देव 441-445

श्रीमती प्रतिभा सिंह 445-450

श्री राजाराम पाल 450-452

श्री सीता राम सिंह 452-457

विषय	कॉलम
श्री राकेश सिंह	457-461
चौधरी लाल सिंह	461-463
श्री रामदास आठवले	463-466
श्री डब्ल्यू. वांग्यू कोन्यक	466-467
श्री श्रीपाद येसो नाईक	467-468
श्रीमती परनीत कौर	468-471
श्री शैलेन्द्र कुमार	471-473
श्री के. फ्रांसिस जार्ज	473-474
श्री सुरेश अंगड़ि	474-475
प्रो. चन्द्र कुमार	475-478
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर	478-480
श्री भरतसिंह माधवसिंह सोलंकी	480-482
श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी	482-484
श्री मनोरंजन भक्त	484-486
डा. रामकृष्ण कुसमरिया	486-488
श्री सुरेश चन्देल	488-490
श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह	490-492
श्री चन्द्रभान सिंह	493-494
कार्य मंत्रणा समिति	
तेरहवां प्रतिवेदन	449
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	495-496
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	496-504
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	505-506
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	506-508

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. कर्नल (सेवानिवृत) मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

लोक सभा

गुरुवार, 28 जुलाई, 2005/6 श्रावण, 1927 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

मुम्बई में लगातार बारिश से और मुम्बई हवाई प्लेटफार्म में लगी आग से आई आपदा

अध्यक्ष महोदय: जैसा कि माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि मुम्बई में पिछले तीन दशकों में सबसे अधिक वर्षा हुई है जिसके परिणामस्वरूप 26 जुलाई 2005 से अभी तक बच्चों सहित एक सौ आठ व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। लगातार बारिश से भूस्खलन जल और विद्युत आपूर्ति में बाधा, खाद्यान्न की कमी और संचार संपर्कों में बेतहाशा व्यवधान की घटनाएं हुई हैं। राजमार्गों पर बाढ़ आने और हवाई अड्डों के बंद हो जाने के साथ-साथ ट्रेन आवागमन में भी बाधा के कारण मुम्बई देश से कट गया है।

27 जुलाई, 2005 को मुम्बई हाई फील्ड क्षेत्र में एक जलयान एक खनन प्लेटफार्म से टकरा गया जिसके परिणामस्वरूप प्लेटफार्म में आग लग गई। ऐसी सूचना है कि इसके चलते 8 व्यक्तियों की जानें गई हैं। संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर किए गए प्रशंसनीय बचाव और सहायता कार्यों से तीन सौ पचास से अधिक व्यक्तियों की रक्षा की जा सकी है। अभी भी बहुत सारे लोग लापता हैं। विस्फोट के कारण भारी आर्थिक क्षति हुई है।

यह सभा मुंबई शहर और मुम्बई हाई पर आई आपदाओं के प्रति गंभीर शोक व्यक्त करती है। इस शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं।

अब यह सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन खड़ी रहेगी।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, मुझे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री से एक सूचना प्राप्त हुई है। वह आज मध्याह्न 12.00 बजे एक वक्तव्य देंगे। माननीय प्रधानमंत्री तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री उस स्थान पर जा रहे हैं। इसलिए, हम उस वक्तव्य की प्रतीक्षा करेंगे और यदि आप चाहते हैं तो हम लोग इस पर उचित रूप से चर्चा कर सकते हैं।

हमें प्रश्न काल शुरू करना चाहिए। धन्यवाद।

अब प्रश्न संख्या 61, कुंवर मानवेन्द्र सिंह - उपस्थिति नहीं।

प्रो. महादेवराव शिवनकर।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

रेल दुर्घटनाएं

+

***61. प्रो. महादेवराव शिवनकर:**

कुंवर मानवेन्द्र सिंह:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मार्च, 2005 से अब तक हुई रेल दुर्घटनाओं का दुर्घटना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) रेल संपत्ति को पहुंची क्षति, घायल व्यक्तियों/मारे गए व्यक्तियों की संख्या और दुर्घटना के शिकार लोगों/उनके परिवारों को मुआवजे के रूप में दी गई धनराशि का दुर्घटना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) जांच के लिए दिए गए आदेशों, उनके निष्कर्षों और दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध की गई - कार्रवाई/की जानी वाली कार्रवाई का दुर्घटना-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेलवे ने मानवीय चूक से होने वाली रेल दुर्घटनाओं के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित करने हेतु कोई मार्ग निर्देश जारी किये हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) रेल दुर्घटनाओं के बारे में हाल ही में आयोजित महा-प्रबंधकों के सम्मेलन में हुई चर्चाओं का ब्यौरा क्या है; और

(छ) रेल दुर्घटनाओं, विशेषरूप से मानवीय चूक के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने हेतु क्या उपाय किये गए/किये जाने वाले हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (छ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) मार्च, 2005 से जून, 2005 की अवधि के दौरान 84 परिणामी गाड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं। इन गाड़ी दुर्घटनाओं का दुर्घटनावार ब्यौरा, हताहत व्यक्तियों की संख्या सहित रेलवे संपत्ति को नुकसान और प्रभावित व्यक्तियों/उनके परिवारों को दिया गया मुआवजा निम्नानुसार है-

दुर्घटनाओं की किस्म	टक्कर	गाड़ी का पटरी से उतरना	चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाएं	बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाएं	गाड़ी में आग लगना	विविध दुर्घटनाएं	कुल
संख्या	**2**	**45**	**1**	**26**	**8**	**2**	**84**
नुकसान की लागत (रुपयों में)	11890226	45053609	10000	84800	13219202	500	70258337
हताहत							
मारे गए	16	2	2	44	–	–	64
घायल	165	18	1	48	–	13	245
मुआवजा (रुपयों में)	मुआवजे का भुगतान रेल दावा अधिकरण में दावा दायर किएजाने तथा डिगरी दिए जाने के बाद किया जाता है। मार्च, 2005 से हुई दुर्घटनाओं के मामले में अभी तक किसी मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है। बहरहाल, मार्च, 2005 से हुई दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप मृत्यु के मामले में अनुकंपा राशि के रूप में 23.06 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है।						

*(सभी आंकड़े अनंतिम हैं)

(ग) प्रत्येक गाड़ी दुर्घटना की उसकी गंभीरता के आधार पर विभागीय तौर पर या रेल संरक्षा आयुक्तों द्वारा जांच की जाती है और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध यथा आवश्यक कार्रवाई की जाती है। उपर्युक्त 84 परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं में से 76 की विभागीय तौर पर और 8 की रेल संरक्षा आयुक्तों द्वारा जांच की जा चुकी है/की जा रही है। 60 दुर्घटनाओं के मामले में जांच पूरी हो चुकी है और अधिकारियों के विरुद्ध यथा आवश्यक कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

(घ) और (ङ) क्षेत्रीय रेलों को प्रणालीगत विफलताओं के लिए, जिनके परिणामस्वरूप दुर्घटनाएं होती हैं, मंडल रेल प्रबंधकों और महाप्रबंधकों सहित अत्यधिक उच्च स्तरों पर जिम्मेवारी तय करने के बारे में अनुदेश जारी किए जा चुके हैं।

(च) 14-06-2005 को आयोजित महाप्रबंधकों के सम्मेलन के दौरान भारतीय रेलों पर दुर्घटनाओं की स्थिति की समीक्षा की गई थी और महाप्रबंधकों को दुर्घटनाओं की रोकथाम करने पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया था।

(छ) संरक्षा भारतीय रेल की एक प्राथमिक चिंता का विषय है और संरक्षा में सुधार करने के लिए नए उपायों को अपनाना एक सतत् प्रक्रिया है। दुर्घटनाओं को कम करने के लिए भारतीय रेल द्वारा किए जा रहे उपायों में अंतर्पाशन एवं सिगनल प्रणाली के लिए उपयुक्त आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाना, रेलपथ और चल स्टॉक के मानकों का उन्नयन, अनुरक्षण पद्धतियों का आधुनिकीकरण, गतायु परिसंपत्तियों का बदलाव, प्रशिक्षण में सहायक सामग्रियों जैसे सिमुलेटरों का उन्नयन, संरक्षा पूर्वोपायों के अनुपालन की जांच तथा टक्कर रोधी उपकरण की व्यवस्था शामिल है।

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर: अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न के

जवाब में माननीय मंत्री जी ने बताया कि बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटना होने के कारण मृतकों की संख्या 44 है जबकि विभिन्न दुर्घटनाएं होने पर उनकी कुल संख्या 64 है। वास्तव में यह संख्या गलत है। नागपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर कन्हान और डोंगरी खुर्द के बीच, कन्हान के समीप तीन मई को शाम साढ़े चार बजे जो दुर्घटना हुई, उसमें 52 लोग मारे गए जिन में 30 महिलाएं, 17 बच्चे थे। बिना चौकीदार वाले एक ही समपार में अगर 52 लोगों की मृत्यु हुई है तो माननीय मंत्री जी द्वारा 44 मारे गए लोगों की संख्या बताना गलत है। क्या माननीय मंत्री जी इसे सुधारने के लिए तैयार हैं?

दूसरी बात यह है कि जिन 52 लोगों की मृत्यु हुई, उनके परिवार के लोगों को आपने कितना पैसा या मुआवजा दिया और क्या राहत पहुंचाई? मंत्री जी कृपया इनके बारे में बताएं।

श्री सुबोध मोहिते: इस दुर्घटना में जिन 52 लोगों की मृत्यु हुई...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप एक बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री सुबोध मोहिते: महोदय, यह मेरा निर्वाचन क्षेत्र है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: या तो आप उनकी सहायता करें या अनुपूरक प्रश्न पूछें। मेरे मन में आपके प्रति बहुत सम्मान है।

हां, मंत्री महोदय।

श्री आर. वेलु: महोदय, यह आंकड़ा संबंधित रेलवे से लिया गया है और प्रस्तुत किया गया है। मैं इसे फिर देख लूंगा कि क्या इसमें किसी प्रकार की त्रुटि है।

तथापि, पूछा गया प्रश्न रेलवे द्वारा भुगतान किए गए अनुग्रह राशि के बारे में था। हमने अनुग्रह राशि का भुगतान सभी गामलों में कर दिया है लेकिन दुर्घटना संबंधी दावे सदैव दावा अधिकरण से संबंधित होते हैं। यह वहां लंबित है।

प्रो. महादेवराव शिवनकर: यह व्यवस्था का प्रश्न है।

[हिन्दी]

वास्तव में एक ही दुर्घटना में 52 लोगों की मृत्यु हुई तो यह फिगर 44 कहां से आया? इसका मतलब यह है कि माननीय मंत्री जी या तो गलत जवाब दे रहे हैं या ठीक से स्टडी करके नहीं बता रहे हैं। क्या आप इसे सुधारेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य कहते हैं कि बिना चौकीदार वाले समपार पर दुर्घटना में 52 लोग मारे गए थे। आपने इसे 44 बताया है।

श्री आर. वेलु: यह आंकड़ा मैंने एकत्रित किया है। मैं इसकी जांच करवा लूंगा और इसे माननीय सदस्य को अलग से बता दूंगा।

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर: अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है क्योंकि ये प्रश्न स्टडी करके नहीं आए हैं इसलिए अभी स्टॉप किया जाए और अगले सोमवार को लिया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा, आपकी टिप्पणी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित है। कृपया दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछिए। आप अपना अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछना चाहते हैं।

प्रो. महादेवराव शिवनकर: लेकिन वह अपने उत्तर को ठीक नहीं कर रहे हैं। वह उत्तर नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: वह कहते हैं कि वह इस पर ध्यान देंगे। विभाग ने यही सूचना दी है।

प्रो. महादेवराव शिवनकर: हमने सूचना 14 दिन पहले दी है।

अध्यक्ष महोदय: इसलिए, उन्हें अपना उत्तर शुद्ध करना चाहिए और उन्हें क्षमा भी मांगनी चाहिए।

श्री आर. वेलु: मैं सभा को फिर से सूचना दूंगा।

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर: अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल यह है कि ये दुर्घटनाएं बड़े पैमाने पर हो रही हैं। वर्ष 2004-05 में वास्तव में अप्रैल, 2004-05 तक 2552 करोड़ रुपए की हानि हुई, ऐसा राज्य सभा में कल-परसों बताया गया। 2552 करोड़ रुपये की इतनी बड़ी हानि हुई है। मैं पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े पैमाने पर रेलों में, रेल एक्सीडेंट्स के कारण यात्री मरते हैं। इस वर्ष 143 यात्रियों की मृत्यु हुई और रेल दुर्घटनाओं के कारण 2552 करोड़ रुपए की हानि हुई। ऐसी स्थिति में रेल मंत्री जी रेल चलाने के लिए सक्षम नहीं है। मेरा सवाल यह है कि क्या आप गद्दी

छोड़ेंगे, क्या आप इस्तीफा देंगे? अगर माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक रेल एक्सीडेंट में...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसका अर्थ है कि आपके पास पूछने हेतु कोई वास्तविक प्रश्न नहीं है। मुझे बहुत अफसोस है। यह वास्तविक अनुपूरक प्रश्न नहीं है।

मंत्री महोदय, आपको उत्तर देने की जरूरत नहीं है।

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर: अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि...*(व्यवधान)* क्या इन्होंने इस्तीफा दिया...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आप बैठेंगे?

श्री राम कृपाल यादव, मैं बोल रहा हूं। मैं माननीय सदस्य को इस बात के लिए राजी कर रहा हूं कि अध्यक्ष बोल रहे हैं। आप उनकी बातों का सम्मान करें।

...(व्यवधान)

प्रो. महादेवराव शिवनकर: यह रेल मंत्री की जिम्मेदारी है।

अध्यक्ष महोदय: *आप त्यागपत्र देंगे या नहीं?*

श्री आर. वेलु: नहीं, महोदय।

अध्यक्ष महोदय: आपकी तरफ से मैं उनसे प्रश्न पूछता हूं। उन्होंने कहा है "नहीं"। वह त्यागपत्र नहीं देंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया, कोई टीका-टिप्पणी मत कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, अनेक उपाय किए जाने के बावजूद रेल दुर्घटनाओं में कोई कमी नहीं हुई है। पुराने उपकरणों को बदलने और सिग्नल प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 17,000 करोड़ रुपये का विशेष रेल सुरक्षा कोष गठित किया गया था। चार वर्ष बीत चुके हैं लेकिन रेलवे के कार्यकरण पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा है।

अध्यक्ष महोदय: आप अपना प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य: अभी रेल मंत्री जी आ गए हैं, वे जवाब देंगे। हम उन्हें से जवाब मांगेंगे कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी, 17000 करोड़ रुपए का कोष, विशेष रेल संरक्षा कोष होने के बावजूद भी आज दुर्घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? अभी भी क्यों ओवरएज्ड रोलिंग स्टॉक से वर्क कर रहे हैं? श्री लालू जी आ गए हैं, हम श्री लालू जी से पूछ रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप अपना प्रश्न पूछिए। आप भाग्यशाली हैं।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य: हम उनसे जवाब मांग रहे हैं कि कब ओवरएज्ड, जो कि पुराना हो गया है, जिसकी टोटल लाईफ खत्म हो गई है, 35 साल बीत गए हैं, 35 साल कोच की लाईफ है, कब समूचा ट्रैक, कोच, लोकोमोटिव रिप्लेस करेंगे? आपके हाथ में अभी एक साल बाकी है।

एक साल के बाद आपके पास यह कोष नहीं रहेगा। 17 हजार करोड़ रुपये खर्च करने के बाद ये सब कब तक पूरा होगा। हम लालू जी से इसका जवाब मांग रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री आर. वेलु: मैं उत्तर दूंगा और इसके बाद वह उत्तर दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य: ठीक है, आप दोनों जवाब दे दीजिए।

[अनुवाद]

श्री आर. वेलु: सुरक्षा कोष के गठन के बाद जो दुर्घटनाएं हुई, जैसा कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, वर्ष 2001-02 के दौरान इनकी संख्या 415 थी और वर्ष 2002-03 में यह संख्या घटकर 351 हो गई। उनमें कमी आई है। वर्ष 2003-04 में यह संख्या 325 थी और वर्ष 2004-05 में यह संख्या केवल 234 है। इसमें 28 प्रतिशत की महत्वपूर्ण कमी आई है। इसका अर्थ है कि जो आंकड़ा 415 था, घटकर 234 हो गया है।

श्री बसुदेव आचार्य: क्या आप इससे संतुष्ट हैं?

श्री आर. वेलु: एकदम नहीं। इसलिए, हमने 17000 करोड़ रुपये के व्यय के सवाल पर यही कहा है। ट्रैक के नवीनीकरण के 16538 किमी. में से हमने 11.740 किमी. पूरा कर लिया है। ब्रिजवर्क में हमने 2700 का इरादा बनाया था लेकिन हमने पूरा केवल 1681 किया है। ट्रैक सरकीटिंग के लिए हमने 5300 का इरादा बनाया था और हमने पूरा 2,638 किया है। मैं यही कहने का प्रयास कर रहा हूं। जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा है निश्चय ही हम पुराने उपकरणों के नवीनीकरण और रोलिंग स्टाक के कार्य पूरा करेंगे। हम यह योजना 2007 के अंत तक पूरा करेंगे।

इसके अतिरिक्त रेल सुरक्षा समीक्षा समिति ने 278 सिफारिशें की हैं और हमने 260 स्वीकार की हैं। इसमें से हमने 160 का क्रियान्वयन किया है। हमने सुनिश्चित किया है कि सभी प्रकार के प्रौद्योगिकी उन्नयन और जनशक्ति प्रशिक्षण की बातों को ध्यान में रखा जाए। इस प्रक्रिया में निश्चय ही मैं सदस्य महोदय को आश्वासन देता हूं कि दुर्घटनाओं में कमी हुई है और कार्यनिष्पादन उन्नत हुआ है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: महोदय, बहुत पहले से यह सवाल चला आ रहा है...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: जब कभी दागी मंत्री सदन में बोलेंगे तो हम लोग उनका बहिष्कार करेंगे।...*(व्यवधान)*

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): अब आडवाणी जी भी दागी हो गये हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप ठहरिये।

श्री लालू प्रसाद: आडवाणी जी दागी हैं।

पूर्वाह्न 11.13 बजे

(तत्पश्चात् प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा और कुछ माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री महोदय आप उत्तर देने से पहले कृपया प्रतीक्षा करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: अध्यक्ष जी, हम एक बात साफ कर देना चाहते हैं कि अगर आडवाणी जी बोलेंगे तो हम भी उनका बहिष्कार करेंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रघुनाथ जी, उनको आपके समर्थन की जरूरत नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ शामिल नहीं किया जाए। कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय: आपके नेता उत्तर दे रहे हैं और आप व्यवधान डाल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: इस पर पार्टी तय करेगी कि जब आडवाणी जी बोलेंगे तो क्या करना है।

अध्यक्ष महोदय: वह दूसरी बात है, अभी आप इनका जवाब दीजिए।

श्री लालू प्रसाद: माननीय सदस्य श्री बसुदेव आचार्य जी ने रेलवे दुर्घटनाओं का जिक्र किया है। मैं बताना चाहता हूं कि सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। करोड़ों लोग रेलों से प्रतिदिन यात्रा करते हैं। एन.डी.ए. सरकार के समय में रेल दुर्घटनाओं का तांता लगा हुआ था। आप इससे सहमत होंगे कि तब डिब्बों पर डिब्बे चढ़ जाते थे। एन.डी.ए. शासन में लोगों का रेलों से यात्रा करने का विश्वास टूट गया था। इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है कि रेलवे में सुरक्षा सर्वोपरि है और इसके लिए हमारे द्वारा जो काम हुआ है, हमने जो संकल्प लिया है, उसमें दुर्घटनाएं मात्र दो जगह हुई हैं। पंजाब में और गुजरात में मानवीय मूल की वजह से, रेलवे कर्मियों की लापरवाही की वजह से दुर्घटनाएं हुई हैं। बाकी जहां तक अनमैन्ड गेट्स का सवाल है, जिन गेट्स पर मैन नहीं हैं, ऐसी गुमटियां लगभग 21 हजार हैं। लोगों को लाख हिदायत देने के बाद भी वहां दुर्घटनाएं होती हैं। लोगों को मालूम

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

रहता है कि यहां खुली गुमटी है। इसके बारे में विज्ञापन दिये जाते हैं। इलैक्ट्रोनिक मीडिया द्वारा लोगों को हिदायत दी जाती रहती है। अनमैन्ड गेट्स को कवर करने के लिए 21 हजार लोगों की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए भी हम लोग प्रबंधन कर रहे हैं। जो पुराने जर्जर पुल सदियों से खराब हालत में थे, जो पुरानी रेल लाइनें हैं, महोदय, हमारी प्राथमिकता है और हम इस प्राथमिकता पर कार्य तेजी से करने के लिए अग्रसर हैं। सारा देश जानता है कि यू.पी.ए. के शासनकाल में हमने दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कितनी तेजी से प्रयत्न किए हैं। हमने यह भी निर्धारित किया है कि जहां मानवीय भूल हुई है तो पूरे देश के रेलवे के जी.एम. और डी.आर.एम. की हम लोगों ने जिम्मेदारी निर्धारित की है कि अगर दुर्घटना मानवीय भूल के कारण हुई है तो उसकी सीधी जिम्मेदारी इनकी होगी। यह सब इसलिए किया गया ताकि दुर्घटना न होने पाए। दुनियामर में देखा गया कि पाकिस्तान में तीन रेल दुर्घटनाएं हुई, जापान में भी रेल दुर्घटना हुई, लेकिन यू.पी.ए. सरकार का शुभ लक्षण है कि एन.डी.ए. सरकार में जो रेल दुर्घटना हुई, उनके मुकाबले दुर्घटनाओं में काफी कमी आई है। हमें समय-समय पर माननीय सदस्यों द्वारा सुझाव प्राप्त होते हैं और हम उन्हें ध्यान में रखते हैं लेकिन अन-मैंड लेवल क्रासिंग को कवर करने के लिए टाइम बाउंड प्रोग्राम किया जाना चाहिए। हम होपफुल हैं। हम मानते हैं कि रेल के ऊपर ओवर ब्रिज न होने की वजह से भी दिक्कत हो रही है। हम तो बिना भाड़ा बढ़ाए रेलवे में कमाई कर रहे हैं। इसके साथ-साथ दुर्घटनाओं में भी कमी हुई है और हम रात को सोते नहीं हैं। चौबीस घंटों में कब कहां से टेलीफोन आ जाए, इसलिए हमारे पदाधिकारी और रेलकर्मी हमेशा अलर्ट रहते हैं। जब श्री नीतीश जी रेल मंत्री थे तब डिब्बे के ऊपर डिब्बे चढ़े रहते थे। इन सारी चीजों को ठीक करने में हमें बहुत ज्यादा कसरत करनी पड़ रही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इतना विस्तारपूर्वक उत्तर दिए जाने के बाद मुझे नहीं लगता कोई और पूरक प्रश्न पूछे जाने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

भारत-ईरान गैस पाइपलाइन

\+

*62. **श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:**
श्री मो. ताहिर:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत-ईरान गैस पाइपलाइन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या भारत और पाकिस्तान के प्राधिकारियों ने प्रस्तावित गैस पाइपलाइन परियोजना के वित्तीय और सुरक्षा संबंधी पक्षों पर हाल ही में चर्चा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या भारत-ईरान गैस पाइपलाइन परियोजना को शुरू करने हेतु भारत और पाकिस्तान एक संयुक्त कार्य दल गठित करने पर सहमत हो गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(च) क्या अमेरिका ने उक्त परियोजना पर अपनी चिंता प्रकट की है; और

(छ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (छ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) सरकार ईरान-पाकिस्तान-भारत गैस पाइपलाइन परियोजना के ब्यौरे पर ईरान और पाकिस्तान की सरकारों के साथ विचार-विमर्श कर रही है। विचार-विमर्श संतोषजनक ढंग से प्रगति पर है।

दो पृथक् सचिव स्तरीय संयुक्त कार्य दल (जेड्ब्ल्यूजी) नामत: भारत-ईरान विशिष्ट जेडब्ल्यूजी और भारत-पाकिस्तान जेडब्ल्यूजी का गठन "वित्तीय, तकनीकी, वाणिज्यिक, कानून और एक सुरक्षित और संरक्षित विश्वश्रेणी की परियोजना को मूर्त रूप देने से संबंधित मामलों" पर चर्चा करने के लिए किया गया जैसा कि 7 जून, 2005 को इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा गया। संयुक्त प्रेस वक्तव्य की एक प्रति संलग्न अनुबंध-क पर देखी जा सकती है।

भारत-पाकिस्तान जेडब्ल्यूजी की प्रथम बैठक दिनांक 12-13 जुलाई, 2005 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। दोनों

पक्षों ने परियोजना से संबंधित विभिन्न मामलों को निपटाने के लिए अपनी "गंभीर प्रतिबद्धता" पर बल दिया और सहमत हुए कि एक बार तीनों संबंधित देशों के बीच परियोजना से संबंधित आधारभूत मामलों का संतोषजनक ढंग से समाधान हो जाए तो वे एक "फ्रेमवर्क करार" करेंगे। दोनों पक्षों ने परियोजना ढांचे और संबंधित तकनीकी, वित्तीय, वाणिज्यिक और कानूनी मामलों के संबंध में सलाह देने के लिए अपने अपने वित्तीय सलाहकार परिसंधों की तुरंत नियुक्ति करने के निर्णायक महत्व पर सहमति प्रकट की। वे सहमत हुए कि अपने वित्तीय सलाहकार परिसंघ का शीघ्रातिशीघ्र नियुक्त करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। संयुक्त प्रेस वक्तव्य की प्रतिलिपि संलग्न अनुबंध-ख पर देखी जा सकती है।

भारत-ईरान विशिष्ट जेडब्ल्यूजी की बैठक अगस्त, 2005 के आरंभ में नई दिल्ली में होने की संभावना है। पहले एक ईरानी तकनीकी स्तर के शिष्टमंडल ने बी.एच.पी.-बिलिटान प्रतिनिधियों, उनके परियोजना परामर्शदाताओं, जिन्होंने परियोजना के लिए पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की थी, के साथ 24-25 जून, 2005 को नई दिल्ली का दौरा किया और इस परियोजना के कुछ तकनीकी और वाणिज्यिक पहलुओं को शामिल करते हुए एक प्रस्तुतीकरण दिया।

वित्तीय सलाहकारों के निष्कर्षों पर, तकनीकी और कानूनी परामर्शकों द्वारा समर्थन किए जाने पर, संयुक्त कार्य दलों (जेडब्ल्यूजी) की भावी निर्धारित बैठकों में चर्चा की जाएगी। इन बैठकों की समीक्षा मंत्री स्तरीय आपसी बातचीत द्वारा अगले कुछ महीनों में की जाएगी। आशा है कि वर्ष के अंत तक तीनों सरकार परियोजना के ढांचे और परियोजना से संबंधित तकनीकी, वित्तीय और कानूनी पहलुओं पर निर्णय लेने की स्थिति में होंगी।

(च) और (छ) ईरान-पाकिस्तान-भारत पाइपलाइन का प्रश्न अमेरिकी प्राधिकारियों द्वारा हमारे साथ सरकारी तौर पर नहीं उठाया गया है। तथापि यह एक सार्वजनिक रिकार्ड का मामला है कि अमेरिका की सांविधिक पुस्तिका में 1996 का इरान लीबिया प्रतिबंध अधिनियम (आई.एल.एस.ए.) मौजूद है जिसमें किसी भी ऐसे पक्ष के विरुद्ध प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है जिसने 40 मिलियन डालर से अधिक का निवेश किया हो जो ईरान के पेट्रोलियम संसाधनों को विकसित करने के लिए ईरान की क्षमता की वृद्धि करने के लिए सीधे और विशिष्ट रूप से योगदान करता हो। अमेरिकी अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से बताया है कि भारत की ऊर्जा जरूरतों के बारे में अमेरिका की स्थिति "रचनात्मक" है।

सरकार देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय हित में ईरान से गैस का आयात करने का प्रयास कर रही है।

अनुबंध-क

संयुक्त प्रेस वक्तव्य

7 जून, 2005

इस्लामाबाद

नई दिल्ली में पाकिस्तान के राष्ट्रपति, महामहिम जनरल परवेज मुशर्रफ और भारत के प्रधान मंत्री, महामहिम श्री मनमोहन सिंह के 18 अप्रैल, 2005 के संयुक्त प्रेस वक्तव्य के अनुसार इस बात पर सहमति थी कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री पाइपलाइन के मामले पर सहयोग करने के लिए बैठक करेंगे। तदनुसार, भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पंचायती राज मंत्री, श्री मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान के पेट्रोलियम और प्राकृतिक संसाधन मंत्री, महामहिम श्री अमानुल्ला खान जादून के निमंत्रण पर 5-7 जून, 2005 को पाकिस्तान गए। दोनों मंत्रियों ने देशपारीय पाइपलाइनों के माध्यम से गैस के आयात के संबंध में भारत और पाकिस्तान के बीच सहयोग पर विचार-विमर्श किया।

2. इस्लामाबाद में महामहिम श्री मणिशंकर अय्यर को महामहिम राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ और प्रधान मंत्री महामहिम श्री शौकत अजीज के साथ मुलाकात का अवसर मिला। उन्होंने महामहिम मंत्री, श्री अमानुल्ला खान जादून के साथ अकेले बैठक और प्रतिनिधिमंडल स्तर पर वार्ता की। दोनों मंत्रियों की सहमति थी कि देशपारीय पाइपलाइन परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि इन परियोजनाओं में सहयोग करने, अपने ऊर्जा सुरक्षा हितों के पुख्ता करने और दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने के लिए संबंध स्थापित करने और एक-दूसरे पर निर्भरता बढ़ाने के लिए दोनों देशों को पर्याप्त लाभ मिलेगा। दोनों का यह साझा दृष्टिकोण था कि उनके देश की गैस की पर्याप्त आवश्यकता के लिए पाइपलाइन परियोजनाओं की प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

3. भारत के मंत्री ने पाइपलाइन द्वारा गैस की भारतीय आवश्यकता और भारत द्वारा की गई व्यवस्थाओं के बारे में पाकिस्तानी मंत्री को अवगत कराया। पाकिस्तान की ओर से पाकिस्तान में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति और मांग संबंधी स्थिति का विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गया और गैस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर दृष्टिकोण रखा। भारत के मंत्री ने पाकिस्तान

की ओर से दी गई विस्तृत सूचना के लिए धन्यवाद दिया और अपनी ओर से एल.एन.जी. आयात करने के लिए भारत द्वारा किए गए प्रबंधों का कुछ ब्यौरा दिया और पाकिस्तानी पक्ष के साथ इस संबंध में तकनीकी सूचना और अनुभाव बांटने पर सहमति हुई।

4. **ईरान-पाकिस्तान-भारत पाइपलाइन:** दोनों मंत्रियों ने ईरान-पाकिस्तान-भारत गैस पाइपलाइन प्रस्ताव की पुनरीक्षा की। वे इस बात पर सहमत थे कि देशपारीय पाइपलाइन के माध्यम से पाकिस्तान और भारत को गैस की आपूर्ति की विचारित इस परियोजना से दोनों देशों की ऊर्जा संरक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति लंबी अवधि तक होगी और इस प्रकार इसे इन देशों की जनता के हित के लिए महत्वपूर्ण परियोजना के रूप में देखा जाना चाहिए। विश्वस्तरीय परियोजना की सुरक्षा और सुनिश्चितता के लिए भारतीय और पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल वित्तीय ढांचे, तकनीकी, वाणिज्यिक, कानूनी और संबंधित मामलों के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान पर सहमत थे। इस संबंध में. इस बात पर सहमति हुई कि सचिव स्तर पर संयुक्त कार्य दल गठित करते हुए परियोजना संबंधी कार्य को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, जो नियमित रूप से बैठक करेंगे और मंत्रियों को प्रगति की रिपोर्ट देंगे ताकि उनके द्वारा शीघ्रातिशीघ्र अंतिम निर्णय लेने में सुविधा हो।

5. **तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान पाइपलाइन:** महामहिम, श्री अमानुल्ला खान ने भारतीय मंत्री को इस परियोजना का ब्यौरा दिया जिसमें भारतीय पक्ष द्वारा रूचि दिखाई गई। भारतीय मंत्री ने पुष्टि की कि अगली संचालन समिति की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रण पर वे इसका सकारात्मक रूप से जवाब देंगे।

6. **गल्फ दक्षिण एशिया (जी.यू.एस.ए.) पाइपलाइन:** पाकिस्तान की ओर से प्रस्तावित जी.यू.एस.ए. परियोजना के प्राचलों की रूपरेखा बताई गई और भारत ने इस परियोजना में भागीदारिता के लिए रूचि दिखाई।

7. भारतीय मंत्री ने अपनी और अपने प्रतिनिधि मंडल की पाकिस्तानी यात्रा के दौरान गर्मजोशी से किए गए अतिथि सत्कार और सहयोग के लिए महामहिम, श्री अमानुल्ला खान जादून का आभार व्यक्त किया। मंत्री, श्री अय्यर ने वार्ता और सहयोग को बनाए रखने के लिए देशपारीय पाइपलाइन परियोजनाओं पर विचार करने हेतु मंत्री, श्री अमानुल्ला खान जादून को भारत आने का निमंत्रण दिया। निमंत्रण स्वीकार कर लिया गया। यह तय किया गया कि पाकिस्तान के महामहिम मंत्री सुविधानुसार शीघ्र ही भारत का दौरा करेंगे। यह भी सहमति हुई कि भारत के मंत्री आपसी सुविधा अनुसार बाद में इसी वर्ष पाकिस्तान की दोबारा यात्रा करेंगे। ये दौरे भारत और पाकिस्तान में संयुक्त कार्य समूह की बैठकों के बाद किए जाएंगे ताकि दोनों देशों की गैस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विश्व स्तरीय पाइपलाइन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संगत सभी मामलों पर विचार किया जाए।

इस्लामाबाद

7 जून, 2005

अनुबंध-ख

संयुक्त प्रेस वक्तव्य

देशपारीय पाइपलाइनों में सहयोग पर भारत-पाक संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की पहली बैठक 12-13 जुलाई, 2005 को नई दिल्ली में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री एस.सी. त्रिपाठी, सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने किया जबकि पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व महामहिम अहमद वकार, सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक संसाधन ने किया। प्रतिनिधिमंडल स्तरीय पर्याप्त वार्ता करने के अलावा पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल को महामहिम, श्री मणिशंकर अय्यर, भारतीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस और पंचायती राज मंत्री ने आमंत्रित किया जिन्होंने ईरान-पाकिस्तान-भारत पाइपलाइन परियोजना और अन्य देशपारीय परियोजनाओं के विचाराधीन प्रस्तावों पर भारत सरकार के समर्थन की पुष्टि की। उन्होंने परियोजना संबंधी विभिन्न मदों के संबंध में एक समय योजना तैयार करने के लिए दोनों प्रतिनिधि मंडलों से अनुरोध किया।

2. दोनों प्रतिनिधि मंडलों के बीच हुई वार्ता को सकारात्मक और रचनात्मक प्रस्ताय माना गया और यह निष्पक्षता और आपसी समझभूझ के माहौल में संपन्न हुई। दोनों पक्षों ने परियोजना से संबंधित विभिन्न मसलों को हल करने के लिए गंभीर वचनबद्धता प्रकट की ताकि बातचीत का क्रम जारी रखा जा सके। वे इस बात पर सहमत थे कि भारत, पाकिस्तान और ईरान के द्विपक्षीय संयुक्त कार्य समूहों के आधार पर मंत्री स्तर पर समय-समय पर पारस्परिक वार्ताओं ने परियोजना संबंधी सभी मसलों का पता लगाने और उनका समाधान करने के लिए संतोषप्रद प्रणाली उपलब्ध कराई।

3. दोनों प्रतिनिधि मंडलों ने परियोजना के तकनीकी, वित्तीय, वाणिज्यिक और विधिक पहलुओं पर गहराई से विचार किया। दोनों तरफ से यह सहमति थी कि विश्व स्तरीय परियोजना की सुरक्षा और सुनिश्चिता को कार्यान्वित करने के प्रयोजन से तकनीकी, वाणिज्यिक, वित्तीय और विधिक मामलों सहित परियोजना के प्रत्येक पहलू के लिए व्यवस्थाएं किए जाने की आवश्यकता पड़ेगी।

4. दोनों ओर से यह सहमति थी कि एक बार संबंधित तीनों देशों के बीच परियोजना संबंधी बुनियादी मामलों को संतोषजनक रूप से सुलझा लिया गया तो वे एक "फ्रेमवर्क करार" करेंगे। इस संबंध में यह भी सहमति थी कि भारतीय पक्ष अगली जेडब्ल्यूजी बैठक से पूर्व पाकिस्तानी पक्ष को एक मसौदा पाठ प्रस्तुत करेगा।

5. दोनों पक्ष सहमत थे कि वे परियोजना के तकनीकी पहलुओं अर्थात् पाइपलाइन का आकार और विनिर्देशन, गैस की गुणवत्ता, दोनों देशों द्वारा अपेक्षित गैस की मात्रा और विनिर्माण अवधि के संबंध में तात्कालिक समान हित पर भागीदारी करेंगे। यह सहमति थी कि परियोजना का अंतर्राष्ट्रीय मानक प्राप्त करने के लिए इस क्षेत्र में दोनों पक्षों की स्थिति सौहार्दपूर्ण बनाने के उद्देश्य से दोनों देशों के विशेषज्ञ शीघ्र ही मिलेंगे।

6. प्रस्तावित पाइपलाइन मार्ग और सुपुर्दगी स्थल पर भी चर्चा की गई। यह सहमति थी कि इन्हें तकनीकी-आर्थिक सहमतियों के आधार पर सुनिश्चित किया जाएगा।

7. दोनों पक्ष सहमत थे कि परियोजना संरचना के साथ-साथ गैस का मूल्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों प्रतिनिधि मंडलों द्वारा गैस का युक्तियुक्त मूल्य सुनिश्चित करने के विभिन्न प्रस्तावों साथ ही परियोजना संरचना के विभिन्न विकल्पों पर चर्चा की गई। यह सहमति थी कि इन मामलों पर विस्तृत विवरण के साथ जेडब्ल्यूजी की परवर्ती बैठकों में चर्चा की जाएगी।

8. दोनों पक्ष परियोजना संरचना और संबंधित तकनीकी, वित्तीय, वाणिज्यिक और कानूनी मामलों पर सलाह देने के लिए उनसे संबंधित वित्तीय सलाहकार संकाय नियुक्त करने की तात्कालिकता के महत्व पर सहमत थे। वे इस बात पर सहमत थे कि संबंधित वित्तीय सलाहकार संकाय नियुक्त करने के शीघ्रातिशीघ्र सभी प्रयास किए जाएंगे।

9. दोनों पक्षों ने संतोष प्रकट किया और दोनों ने प्रारंभिक तौर पर "प्रेक्षक" की हैसियत से ऊर्जा चार्टर में सम्मिलित होने की प्रक्रिया आरंभ करने की पहल की। वे इस बात पर सहमत थे कि परियोजना के संबंध में उनके द्वारा किए गए विभिन्न अंत: सरकारी करारों में ऊर्जा चार्टर के प्रावधानों का उल्लेख किया जाएगा।

10. इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के प्रयोजन से दोनों पक्ष सहमत थे कि जेडब्ल्यूजी की अगली बैठक अगस्त 2005 के अंत तक इस्लामाबाद में आयोजित की जाएगी।

11. विचाराधीन अन्य पाइपलाइन प्रस्तावों अर्थात् तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान (टी.ए.पी.) पाइपलाइन और गल्फ-दक्षिण एशिया (जी.यू.एस.ए.) पाइपलाइन पर दोनों पक्षों ने विचार विमर्श किया। उन्होंने नोट किया कि भारत को टी.ए.पी. परियोजना की संचालन समिति की अगली बैठक में उपस्थित होने के लिए निमंत्रित किया गया है। परियोजना से संबंधित अद्यतन विकास पर और साथ ही जी.यू.एस.ए. परियोजना से संबंधित हाल ही की उनकी वार्ता से पाकिस्तान पक्ष ने भारतीय पक्ष को अवगत कराया।

नई दिल्ली

13 जुलाई, 2005

[हिन्दी]

श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा: यदि अमरीका द्वारा पाकिस्तान पर दबाव डाला गया कि अगर पाकिस्तान ने भारत-ईरान गैस पाइप लाइन योजना का समर्थन किया है तो वह पाकिस्तान को आर्थिक सहायता देना बंद कर देगा। उस स्थिति में क्या सरकार किसी दूसरे रास्ते से गैस पाइपलाइन भारत में लाने की व्यवस्था पर विचार किया है?

श्री मणिशंकर अय्यर: हमें ऐसी कोई सूचना नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से किसी प्रकार की झिझक ईरान से भारत में गैस पाइप लाने के बारे में है। मैं माननीय सदस्य का ध्यान उस संयुक्त बयान पर जो कि पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री श्री अमानउल्लाह खान जादून और मैंने इस्लामाबाद में 7 जून को दिया था, कि ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो इस प्रकार है:-

[अनुवाद]

"दोनों मंत्री सहमत थे कि अंतर-राष्ट्रीय पाइपलाइन परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि अपने-अपने ऊर्जा सुरक्षा हितों को पूरा करने के लिए इन दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध स्थापित करने हेतु संपर्क और पारस्परिक निर्भरता बनाए रखने के लिए इन परियोजनाओं को पूरा करने और सहयोग प्राप्त करने से दोनों देशों को बहुत लाभ होगा। इस पर वे लोग एकमत थे कि परियोजना को पूरा करने की गति में तेजी लाई जानी चाहिए।"

[हिन्दी]

हमारे ज्वायंट वर्किंग ग्रुप में भाग लेने के लिए पाकिस्तान का तकनीकी वफद भारत में 12-13 जुलाई को पहुंचा था।

उन्होंने हमें बताया, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है कि यह इस मामले में हर प्रकार से आगे बढ़ना चाहता है और यह बड़ी तफसील में जाइंट प्रैस स्टेटमेंट में बताया गया है, जो सवाल के साथ संलग्न किया गया है।

जहां तक अन्य पाइप लाइन की बात है, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हम ईरान से प्राकृतिक गैस की पाइप लाइन को देश में नहीं लाएंगे, बल्कि इसके अतिरिक्त तुर्कमेनिस्तान से भी लाने की बात चल रही है, कतर से भी लाने की बात चल रही है और म्यानमार से भी लाने की बात काफी आगे बढ़ चुकी है। इसलिए हम किसी एक सोर्स ऑफ सप्लाई पर निर्भर नहीं रहेंगे, लेकिन ईरान की अहमियत को कम नहीं किया जा सकता है क्योंकि वहीं से सबसे ज्यादा गैस उपलब्धि का आश्वासन है।

श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा: अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पाइप लाइन पर कब तक काम शुरू होने की योजना है और अब तक यह शुरू क्यों नहीं हो सका, उसके कौन-कौन से कारण हैं? महोदय, मंत्री जी ने ईरान के साथ होने वाले करार के बारे में विस्तार से उत्तर नहीं दिया है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि दोनों देशों द्वारा बनाए जाने वाले फ्रेम वर्क करार का तकनीकी रूप क्या होगा?

श्री मणि शंकर अय्यर: अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव पिछले 12 सालों से देश के सामने है और पिछले चन्द महीनों में जिस रफ्तार से हम आगे बढ़े हैं, उसे देखते हुए मैं कह सकता हूं कि शायद पहले हम कभी इतने आगे नहीं बढ़े थे और जितने भी इसके रुख हैं, उन पर द्विस्तरीय, एक पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच और दूसरी हिन्दुस्तान और ईरान के बीच, चर्चा हो रही है। मुझे लगता है कि जिस कार्यक्रम को हमने तय किया है, यदि उसको हम पूरा कर पाए, तो जैसा हमारे दस्तावेजों में बताया गया है, शायद इस साल के अन्त तक हम ऐसे मुकाम पर पहुंचेंगे जहां कि तीनों मुमालिक बैठकर एक प्रकार का फ्रेम वर्क तैयार कर सकें, लेकिन इस बारे में हम भविष्य में बहुत ज्यादा न देखें क्योंकि फिलहाल जो द्विकोणीय काम चल रहा है, जो द्विस्तरीय वार्ता चल रही है पाकिस्तान और हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तान एवं ईरान के बीच, वह आगे बढ़ रही है और मैं उम्मीद रखता हूं कि सफलतापूर्वक इस काम को हम खत्म कर पाएंगे।

श्री मो. ताहिर: अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि प्रधान मंत्री जी ने हाल ही में अपनी विदेश यात्रा के दौरान वाशिंगटन में हुए पत्रकार सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा था कि भारत-ईरान गैस पाइप लाइन खतरों से भरी है, यदि हां, तो वे कौन-कौन से खतरे हैं जिनके कारण प्रधान मंत्री जी ने ऐसा कहा और क्या उन खतरों में से एक यह भी है कि अमरीका ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि पाकिस्तान ने यदि इस परियोजना को अपने यहां से होकर जाने दिया, तो अमरीका उसके खिलाफ प्रतिबन्ध लगा देगा?

श्री मणि शंकर अय्यर: माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए उन अलफाजों को कहना चाहता हूं जिनका जिक्र अभी माननीय सदस्य ने किया है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि "केवल प्रारंभिक दौर की बातचीत हुई है" साथ-साथ उन्होंने यह भी कहा है कि "हम लोग प्रारंभिक दौरे की बातचीत कर रहे हैं" अब इस पर तो कोई शक नहीं हो सकता। उन्होंने दूसरी बात कही, जिस पर उन्होंने बहुत जोर लगाया, वह थी कि "हमारे पास ऊर्जा आपूर्ति की व्यापक कमी है और हमें ऊर्जा के नए स्रोतों की सख्त आवश्यकता है।" इसके साथ उन्होंने जोड़ा कि "हमें गैस आपूर्ति की सख्त आवश्यकता है जो इरान के पास है।" इसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने यह भी कहा कि "हमें इस वास्तविकता का भी एहसास है कि इसमें बहुत से जोखिम हैं।" अब आप मुझे बताइए क्या कोई खतरा नहीं है, जबकि एक पाइपलाइन को ईरान से पाकिस्तान के जरिये हजारों किलोमीटर पार कर के भारत तक पहुंचना है। यदि कहीं हमारे प्रधान मंत्री ने कहा होता कि कोई खतरा नहीं है, तो वह बिलकुल लापरवाही होती, गैर-जिम्मेदारी होती। उन्होंने कहा - हां, खतरे हैं। हां, खतरे हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं बनता है कि हम खतरे से या तो झिझक जायें या खतरे की उपेक्षा करें। हमें खतरे का सामना करना पड़ेगा और सामना करने का काम ही महत्वपूर्ण है, जबकि हम पाइपलाइन पर बहस करें। ईरान से हो या पाकिस्तान से हो और इसीलिए हमें बहुत ही गम्भीरता के साथ ध्यान देकर जब मैंने पाकिस्तान का दौरा किया, तब वहां मैंने हमारे संयुक्त बयान में यह लिखवाया-

[अनुवाद]

"एक सुरक्षित और विश्वस्तरीय परियोजना को पूरा करने के लिए भारत और पाकिस्तान के शिष्टमंडल वित्तीय संरचना, तकनीकी वाणिज्यिक, विधिक और इससे जुड़ी अन्य सूचनाओं का आदान-प्रदान करने के लिए तैयार थे।"

[हिन्दी]

यह हमारा लक्ष्य है और इस कारण से यह बताया गया

है कि हम जोइण्ट वर्किंग ग्रुप में जितने भी इस विषय के अन्य रुख हों, उन सब पर हम बातचीत करेंगे और जबकि यहां इंडिया पाकिस्तान जोइण्ट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी तो फिर इस पर जोर लगाया गया था।

[अनुवाद]

"दोनों पक्ष इस बात पर सहमत थे कि सुरक्षित और विश्वस्तरीय परियोजना को पूरा करने के लिए तकनीकी वाणिज्यिक, वित्तीय और विधिक सहित परियोजना के हरेक पहलू के लिए व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता होगी।"

[हिन्दी]

तो मुझको नहीं लगता है कि हमें खतरे की उपेक्षा करनी चाहिए। साथ-साथ यह जानकर कि हमारा लक्ष्य पाकिस्तान का, हिन्दुस्तान का और ईरान का यह है कि एक वर्ल्ड क्लास प्रोजैक्ट बनाया जाये। जितने भी प्रिसीडेंस हैं, क्योंकि यह पहला वर्ल्ड क्लास प्रोजैक्ट नहीं है। विश्व में अन्य बहुत सी ऐसी पाइपलाइंस हैं, जो कि कोल्ड वार के जमाने में सोवियत संघ से लेकर यूरोपियन यूनियन तक पहुंची थीं, पश्चिम जर्मनी तक पहुंची थीं। अभी हाल में अजरबेजान से लेकर जार्जिया होते हुए टर्की तक एक पाइपलाइन लाई गई है, जिसका नाम बी.टी.सी. पाइपलाइन है। यह उदाहरण हमारे सामने है और उसका लाभ भी हम उठा सकते हैं, चाहे हमारे सामने खतरे हों। उनका सामना करने के लिए और मात्र जबकि हम बिल्कुल आश्वस्त होते हैं कि खतरे का जवाब निकाला गया है और वह भी आम सहमति से, तब जाकर इस प्रोजैक्ट को, इस परियोजना को सकार करने के लिए हम अपनी अन्तिम अनुमति देंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने बहुत ही विस्तारपूर्वक उत्तर दिया है। आगे कोई और प्रश्न पूछना है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: जी, हां।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने सभी पहलुओं पर बोल दिया है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: नहीं महोदय, उन्होंने सभी पहलुओं पर नहीं बोला है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आप अपना प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, अभी मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है। प्रधान मंत्री जी ने अमेरिका में वाशिंगटन पोस्ट को जो बयान दिया उसमें उन्होंने एक बात नहीं कही, तीन बातें कहीं। पहली बात - "पाइपलाइन परियोजना जोखिम से भरी हुई है, दूसरी कही - इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय संघ नहीं है और तीसरी बात - यह इरान को उसके अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का स्मरण दिलाता है।" ये तीन बयान उन्होंने दिये। उसके अन्दर प्रमुख रूप से तीन बातें कही हैं। प्रधानमंत्री एक बयान दे रहे हैं, उससे पहले मुझे मालूम है कि जब यह मामला आया, अमेरिका ने यह कहा कि पाकिस्तान और ईरान पर हम लोग सैंक्शन लगा देंगे, अगर इस गैस लाइन को किया गया। तो यहां बड़ी बहादुरी से कहा गया था कि हम अमेरिका के दबाव में नहीं झुकेंगे, हम अपने मामले में बढ़ते रहेंगे, आगे चले जाएंगे। परन्तु प्रधानमंत्री जब अमेरिका गये तो उन्होंने सीधे बयान दे दिया। इन तीन बयानों के बाद आप करोड़ों रुपये क्यों खर्च कर रहे हैं, क्यों अरबों रुपये खर्च कर रहे हैं? एक तो इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए कोई संघ नहीं है और आप ईरान को रिमाइण्ड कर रहे हैं उसके अंतर्राष्ट्रीय दायित्व। यह अगर अमेरिका के दबाव में कर रहे हैं, आप इसको आगे चलाएंगे। मैं चलाता रहूंगा, मैं इसको देख रहा हूं, हम इसका मुकाबला कर रहे हैं और टोकियो में क्या हो रहा है, इसका जिक्र करूंगा...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मैंने अपना प्रश्न पूरा नहीं किया है।

श्री मणि शंकर अय्यर: अध्यक्ष महोदय ने मुझे कहा है।

अध्यक्ष महोदय: आप अपना प्रश्न पहले ही पूछ चुके हैं।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मैंने खत्म नहीं किया। ये लफ्जों में नहीं जायें, मुझे यह बतायें कि प्रधानमंत्री की बात चलेगी या आपकी चलेगी और दोनों में कोई डिफरेंस है तो इसका क्या अर्थ है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप पूछ चुके हैं। संबंधित मंत्री उत्तर दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मणि शंकर अय्यर: अध्यक्ष महोदय, मैं माजरत चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस सदन को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मंत्री जी पूरी तरह से गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। अमरीका के प्रैशर में आप इसको चैन्ज कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया हमें एक दूसरे को वाधित नहीं करना चाहिए। अब हम में से कोई बोल रहा हो।

[हिन्दी]

आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर: यह भी इस तरीके से कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का साक्षात्कार था, उसको बजाय पूरा पढ़ने के चन्द अल्फाज निकालकर, उसको घुमाकर करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का जो बयान था, वह पूरे का पूरा मेरे सामने मौजूद है और मैं उम्मीद करता हूं कि मल्होत्रा साहब के पास भी वही साक्षात्कार होगा। उन्होंने ईरान के बारे में यह बताया:-

[अनुवाद]

"हम समान विचार-धारा वाले अन्य देशों का साथ कार्य करना चाहते हैं ताकि विश्व समुदाय द्वारा इरान के बारे में व्यक्त की जा रही समस्याओं का सकारात्मक हल ढूंढा जा सके।"

फिर उन्होंने उसके साथ जोड़ा:-

"इरान के साथ हमारा पुरातन समय से ही घनिष्ठ संपर्क रहा है।"

और इस आधार पर उन्होंने कहा:-

"निश्चित तौर पर मेरा विश्वास है और इसके लिए मैं अनूठे इतिहास के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि हम वैश्विक समुदाय और इरान के बीच एक कड़ी का कार्य कर सकते हैं।"

[हिन्दी]

अब जबकि हम आगे बढ़ रहे हैं, हां जो भी इंटरनेशनल ऑब्लीगेशन्स हैं, यदि आपने उनको स्वाधीनता से स्वीकार किया है तो उसका पालन करने का अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व बनता है और यह कहकर प्रधानमंत्री जी ने जोड़ा कि हम लाइक माइंडिड देशों के सहयोग से एक पुल बनकर मसले का हल निकालने में लगे हैं। फिर उसके साथ-साथ उन्होंने यह भी कहा:-

[अनुवाद]

"इरान में प्याप्त स्थितिजन्य अनिश्चितताओं पर विचार करने पर मुझे नहीं लगता कि बैंकर्स का कोई अंतर्राष्ट्रीय संघ इसके महत्व को कम कर सकेगा।"

[हिन्दी]

आगे उन्होंने कहा"-

"मैं नहीं जानता हूं..."

मुझे भी नहीं पता है। हो सकता है कि विजय कुमार मल्होत्रा जी के कुछ दोस्त हों जो कि तैयार हों। उनके नाम हमें बता दीजिए। किसी को नहीं पता है। लेकिन, मैं इस पर बहुत जोर लगाना चाहता हूं कि 11-12 जुलाई को इंडो-पाक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी और हमने एक संयुक्त बयान निकाला था। उस अवसर पर हमने इस पर बहुत जोर लगाया था,

[अनुवाद]

कि दोनों पक्ष परियोजना की रूप-रेखा और उससे संबंधित तकनीकी, वित्तीय, वाणिज्यिक और विधिक मामले पर सुझाव देने के लिए अपने-अपने वित्तीय परामर्शदात्री संकाय तत्काल नियुक्त किए जाने के महत्व पर सहमत थे। वे इस बात पर भी सहमत थे कि संबंधित वित्तीय परामर्शदात्री संकाय तत्काल नियुक्त करने के लिए हरेक प्रयास किया जाएगा।

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री जी के साक्षात्कार के पश्चात्, यहां पर पाकिस्तान के वफद से हमारी मुलाकात हुई, माफ कीजिए, मेरा तात्पर्य उसके पश्चात् से नहीं, उसके पहले से था। हमारी मुलाकात हुई और यह जानकर कि अभी तक हमारे पास एक बैंकिंग कंसोर्शियम नहीं है और न ही किसी ने इसकी खोज करने का प्रयास किया है, अब इसको प्राथमिकता देना बहुत ही आवश्यक हो गया है। मैं जब पाकिस्तान गया था, उस समय मेरी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी से भेंट हुई थी। उन्होंने भी इस

पर बहुत जोर लगाया था कि यह प्रोजेक्ट एक वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट हो। यह जो सात बिलियन डॉलर का जिक्र कैपिटल एक्सपैंडिचर के सिलसिले में किया जा रहा है कि हमारे पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है। हमारे रिजर्व में 140 बिलियन डॉलर हैं। पाकिस्तान के करीब 14-15 बिलियन डॉलर हैं और ईरान के पास बहुत ही बड़े पैमाने पर हैं। लेकिन हम जानते हैं कि यदि हम इस प्रोजेक्ट में आत्मनिर्भर रहें, तब क्या पता यह एक वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट बन सकता है। लेकिन वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट बनने के लिए हमें बैंकर्स और कंर्सोशियम को खोज निकालना है। आज की परिस्थिति में एक कानून है जो कि अमरीका ने पारित किया था, आज नहीं नौ साल पहले, वर्ष 1996 में, 1996 से लेकर आज तक किसी पर भी वह कानून नहीं थोपा गया है। इसके बावजूद कि ईरान में बहुत सी ऐसी कम्पनियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियां हैं, जिन्होंने कि थोड़ा बहुत निवेश किया होगा। हम इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि एक अमरीकी कानून है। कानून मौजूद है और हमारी आंखों के सामने है। लेकिन इसका हल निकालना हमारा काम है। आपकी इजाजत से मैं विजय कुमार जी को याद दिलवाना चाहता हूं कि 1995-96 में भारत और पाकिस्तान का एक स्पैशल ग्रुप बनाया गया था, जिसे हम ट्रैक टू डिप्लोमैसी कहते हैं। उसमें दो ही भारतीय प्रतिनिधि थे - एक, श्री जसवंत सिंह जी और दूसरे, श्री मणि शंकर अय्यर। हम दोनों ने पाकिस्तान के साथ बैठकर तकरीबन एक साल, दिसम्बर, 1995 में हम सिंगापुर में मिले, फिर जुलाई, 1996 में स्टॉकहोम में मिले। फिर हम ही ने कहा कि आखिरी भेंट उदयपुर में करेंगे। आखिरी भेंट नवम्बर में करके जसवंत सिंह जी और मैंने, हम दोनों ने एक ऐसी रिपोर्ट तैयार की जिसमें खतरों का पूरा उल्लेख करके, पूरे आत्मविश्वास के साथ यह बताया कि इसका हल निकाला जा सकता है। यह रिपोर्ट मैं सदन में लाया हूं। इस ज्वाइंट रिपोर्ट को जसवंत सिंह जी और मैंने, जो उस जमाने में बड़े दोस्त भी थे, जब वे विदेश मंत्री बने, तब हमारे साथ इतने प्यार और मोहब्बत से बात नहीं करने लगे, लेकिन तब हम बड़े दोस्त थे। हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इकट्ठे गए। विदेश सचिव से हमारी भेंट हुई। उनके हाथ हम दोनों ने इस रिपोर्ट को पेश किया और कहा कि ये खतरे हैं, लेकिन इसका हल निकालने का तरीका भी है। हमने उस सरकार से अनुरोध किया कि आप इस रास्ते पर आगे बढ़िए। यह कहकर जसवंत जी तो मंत्री बन गए। जब जसवंत जी मंत्री बन गए तो इसी सदन में मेरे से पहले श्री राम नाईक, जो पैट्रोलियम मंत्री थे, उनसे 14 मार्च, 2002 को इस पाइपलाइन पर सवाल किया गया था। मैंने सप्लीमैंट्री प्रश्न में पूछा, क्योंकि मैं उस जमाने में वहां बैठता था और कभी सोचा नहीं था कि हम यहां आएंगे, लेकिन वहां से मैंने राम नाईक जी से कहा कि ऐसी एक रिपोर्ट है और क्या आप इस पर आगे बढ़ने को तैयार हैं? उनका जवाब था कि मैंने यह रिपोर्ट पढ़ी ही नहीं है। मुझे बताया जाता है कि हम घुटने टेक रहे हैं जबकि जसवंत सिंह जी स्ट्रोप तालबोट के साथ बातचीत कर रहे थे तो उस जमाने में उन्होंने क्या कहा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: हम लोग श्री जसवंत सिंह के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मैं उनसे केवल यह पूछ रहा हूं कि क्या प्रधानमंत्री के वक्तव्य और मंत्री के वक्तव्य में कोई विरोधाभास है। यह बताइए कि आपने क्या किया?...*(व्यवधान)* इसका जसवंत सिंह जी से क्या मतलब है।...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, मैं इस प्रतिवेदन को पढ़े जाने पर जोर देता हूं। वे मुझे बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि उन्हें बैठने के लिए कहें और मुझे बोलने दें।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: प्राइम मिनिस्टर और श्री मणि शंकर अय्यर, दोनों के बयानों में कंट्राडिक्शन है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप चुप कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): महोदय, संबंधित मंत्री प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कोई भी माननीय सदस्य यह अभिनिर्धारित नहीं कर सकते कि मंत्री महोदय को क्या कहना है। यदि यह असंगत है तो उसे * मैं रिकार्ड में शामिल करने की अनुमति नहीं दूंगा। लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि वह असंगत है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: प्राइम मिनिस्टर के बयान में जो कंट्राडिक्शन है, उसे क्लीयर कीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वे इसका हवाला दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

श्री मणि शंकर अय्यर: श्री जसवंत सिंह, विदेश मंत्री के नाते यही कहना चाहते थे कि बम परीक्षण के कारण पिछले वर्ष 14 जून, 2002 को अमरीकी सरकार से मिली वास्तविक धमकी से वास्तविक चुनौती उत्पन्न हो गई थी।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: इसका क्या ताल्लुक है? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने इस पहलू का हवाला दिया है। हां, मंत्री महोदय, कृपया आप अपनी बात जारी रखें। आप यह अभिनिर्धारित नहीं कर सकते कि मंत्री महोदय को क्या कहना है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: आप अमरीका को सपोर्ट कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे उत्तर सुनें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह आप सही काम नहीं कर रहे हैं।

[अनुवाद]

आपने एक प्रश्न पूछा है और यह उत्तर उससे संबंधित है। वे ऐसा क्यों नहीं कह सकते हैं? यह ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: प्राईम मिनिस्टर ने जो जवाब दिया उसके बारे में बताइए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हां, आप बोलिए। केवल श्री मणि शंकर अय्यर के बातों को ही कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री मणि शंकर अय्यर: उन्होंने कहा, "भारत किसी भी हाल में ओवरलैन्ड पाइपलाईन बनाने की परियोजना पर सहमत नहीं हो सकता था जब तक कि बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर लिया जाता। यही बात उन्होंने एक मंत्री की हैसियत से कही, और मैं एक गैर सरकारी सदस्य था। मुझे नहीं लगता कि बाहरी दवाबों से निपटने केलिए हमें भाजपा से सीख लेने की आवश्यकता है।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री रूपचन्द पाल, पूरक प्रश्न पूछिए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: यह मंत्री का वक्तव्य है जिसका कि उन्होंने इस परियोजना के संदर्भ में हवाला दिया है। नहीं, यह ठीक नहीं है। श्री रूपचन्द पाल के प्रश्न के अलावा कुछ भी रिकार्ड में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: माफ कीजिए, श्री रूपचन्द पाल के अतिरिक्त किसी के भी वक्तव्य को रिकार्ड में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, क्या यह सच नहीं है कि एक अमरीकी उच्च अधिकारी ने ईरान-पाकिस्तान-भारत गैस पाइपलाईन पर खुले तौर पर घोर आपत्ति जताई है?

*(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय: यह निर्णय आप नहीं कर सकते हैं। आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, यदि उन्होंने सभा को बहकाया

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

है तो नियमों के अंतर्गत कार्रवाई करें। *[हिन्दी]* आप लोग बैठिए।

(अंग्रेजी) *(व्यवधान)*...*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप लोग बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल: ऐसे उच्चाधिकारी की ऐसी टिप्पणी पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? क्या सुश्री कोंडोलीजा राईस ने किसी अन्य गैस पाइपलाईन परियोजना के पक्ष में राय व्यक्त की है?

*(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप इस तरह से बातें क्यों कर रहे हैं?

*(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया आप अपनी सीट पर बैठें।

*(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप अपनी सीट पर बैठें। सभा को कार्य करने दें। यह एक महत्त्वपूर्ण परियोजना है। देश में हर कोई...

*(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदय: कृपया मुझे बोलने दें।

*(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदय: श्री अनंत कुमार आप मुझे रोक नहीं सकते हैं। मैं आपको उसकी अनुमति नहीं दूंगा।

*(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदय: प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, आपके उपनेता इसे एक महत्त्वपूर्ण विषय मानते हैं। उन्होंने विशेष रूप से इस परियोजना की ओर व प्रधान मंत्री के वक्तव्य की ओर संकेत किया है। माननीय मंत्री जी उसी पर बात कर रहे थे। आप मंत्री को बाध्य नहीं कर सकते कि उन्हें क्या बोलना चाहिए। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा। श्री रूपचंद पाल क्या आपने अनुपूरक प्रश्न पूछा है?

*(व्यवधान)...**

श्री मणि शंकर अय्यर: उन्होंने प्रश्न पूछा है। क्या मैं उत्तर दूं?

अध्यक्ष महोदय: जी हां।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं इसे सहन नहीं करूंगा। यह बहुत बुरी बात है। आप मंत्री जी को बाध्य कर रहे हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री कृष्णदास, मुझे आपकी सहायता नहीं चाहिए। यदि आवश्यकता पड़ी तो बता दूंगा।

मंत्री के वक्तव्य के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

श्री मणि शंकर अय्यर: श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं पुष्टि करता हूं कि कम से कम दो वरिष्ठ अमरीकी अधिकारियों ने पाइपलाईन के बारे में सार्वजनिक रूप से अपनी आपत्तियां व्यक्त की हैं। मैं माननीय सदस्य के समक्ष इस बात की भी पुष्टि करता हूं कि इस वर्ष मार्च में जब अमरीकी विदेश मंत्री नयी दिल्ली के दौरे पर थीं, तो उन्होंने मीडिया द्वारा पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में कुछ चिंताओं की ओर ध्यान खींचा था। एक अन्य निर्विवाद और अपरिहार्य तथ्य यह है कि यू.एस.ए. ने ईरान, लीबिया प्रतिबंध अधिनियम 1996 बना रखा है। यह भी एक तथ्य है, जिस पर मुझे बल देना चाहिए कि पिछले नौ वर्ष से इस विधि के अस्तित्व में रहने के बावजूद अमरीका सरकार ने इसको लागू नहीं किया है।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: यूनाइटेड स्टेटस के विहाफ पर आप कैसे बोल रहे हैं? *[अंग्रेजी]* आप अमरीका सरकार की ओर से कैसे बोल रहे हैं?

श्री मणि शंकर अय्यर: अब अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सदस्य का ध्यान इस तथ्य की ओर भी खींचना चाहता हूं कि एक अन्य उच्च अमरीकी अधिकारी ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि इस पाइपलाईन के प्रति भारतीय दृष्टिकोण 'रचनात्मक' है।

मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि अधिकारिक रूप से न तो मेरे जैसे कनिष्ठ मंत्री के साथ बातचीत में और न ही मुझसे वरिष्ठ लोगों के साथ बातचीत में, हम पर किसी प्रकार का कोई दबाव बनाने की कोशिश की गयी है। वस्तुतः इस विषय पर चर्चा ही नहीं की गयी। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लेना कि हम पर किसी प्रकार का अमरीकी दबाव है या हमारा कोई उत्तर या प्रतिक्रिया ऐसे दबाव के परिणामस्वरूप है, गलत है। मेरे विचार में, प्रधान मंत्री जी ने अपने साक्षात्कार में इन सभी मुद्दों को सही परिप्रेक्ष्य में रखा। प्रधान मंत्री जी जबसे अमरीका से वापस लौटे हैं, मुझे उनसे कई बार वार्तालाप करने का अवसर मिला है। मुझे नहीं लगता कि उनकी और मेरी राय में कोई विरोध है, जैसा कि इस सभा के कुछ सदस्य समझते हैं। हम यू.पी.ए. में अपने मित्रों के समर्थन से सरकार चला रहे हैं। इसलिए हम सामूहिक जिम्मेदारी के आधार पर कार्य कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सं. 63 - श्री जी.एम. सिद्देश्वर - उपस्थित नहीं।

[अनुवाद]

अमेरिका के साथ रक्षा समझौता

+

***64. श्री असादूद्दीन ओवेसी:**
श्री उदय सिंह:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा मंत्री ने हाल ही में अमेरिका का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उनके दौरे के दौरान हुई चर्चा के क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या रक्षा सहयोग के बारे में दोनों देशों के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त समझौते का राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(च) सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा हित के रक्षार्थ क्या उपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (च) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (च) महोदय, मैंने हाल ही में जून, 2005 के अंत में अमरीका का शासकीय दौरा किया। इस दौरे से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर तथा सैन्य क्षेत्र में और अधिक व्यावसायिक बातचीत के जरिए हमारी सशस्त्र सेनाओं और हमारे रक्षा उद्योगों को सुदृढ़ तथा आधुनिक बनाने के लिए अमरीका के साथ सहयोग बढ़ाने तथा पारस्परिक हित में रक्षा उपस्कर तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग करने के संबंध में अमरीकी नेतृत्व के साथ विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर मिला। इस दौरे के दौरान "भारत-अमरीकी रक्षा संबंधों के लिए नया ढांचा" नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए।

यह "ढांचा" जनवरी 1995 में हस्ताक्षरित "भारत और अमरीका के बीच रक्षा संबंधों पर सम्मत कार्यवृत्तों" को अद्यतन बनाता है। यह ढांचा आतंकवाद और हिंसक धार्मिक उग्रवाद तथा चिंता के साझा क्षेत्रों के रूप में व्यापक जनसंहार के हथियारों तथा संबद्ध सामग्रियों, आंकड़ों और प्रौद्योगिकियों के प्रसार जैसे वैश्विक खतरों की पहचान करता है जिनसे हमारी सुरक्षा गंभीर रूप से प्रभावित हुई है और इस ढांचे में प्राकृतिक आपदाओं जैसी अन्य चुनौतियों तथा उक्त खतरों से निपटने के लिए हमारी क्षमताएं बढ़ाने हेतु अमरीका के साथ सहयोग करने की व्यवस्था है। इस ढांचे में समुद्री मार्गों की सुरक्षा तथा क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा तथा स्थिरता में हमारी रुचि प्रदर्शित होती है। यह ढांचा अमरीका के साथ रक्षा व्यापार, उत्पादन तथा प्रौद्योगिकी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा रक्षा नीति समूह के अंतर्गत एक नया रक्षा अधिप्राप्ति तथा उत्पादन समूह स्थापित करता है। इस ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर बातचीत करने तथा शांति स्थापना आपरेशनों और बहुराष्ट्रीय आपरेशनों, सामूहिक हित के आपदा से निपटने जैसे आवश्यक सहयोगात्मक आपरेशनों में सहयोग करने के लिए अन्य देशों की क्षमताओं के निर्माण के माध्यम से क्षेत्रीय तथा वैश्विक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ सहयोग करने की व्यवस्था है।

यह दौरा अमरीका को रक्षा प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण के मामले में, आपूर्तिकर्ताओं के मुकाबले हमारे विकल्पों और शक्तियों को बढ़ाकर उन्नत रक्षा उपस्कर तथा प्रौद्योगिकी के

महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में प्रकट करता है। इस यात्रा से, भारत की सशस्त्र सेनाओं और रक्षा उद्योगों की क्षमताएं बढ़ाने के लिए अमरीका के साथ सहयोग बढ़ेगा तथा इससे भारत को किसी विशिष्ट कार्य हेतु वचनबद्ध किए बिना ऐसा कोई कार्य करने के लिए हमें विवश किए बिना जो देश के राष्ट्रीय हित में नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हमारी सामरिक क्षमता में वृद्धि होगी।

श्री असादूद्दीन ओवेसी: श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं अमरीका सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उसने हमारे माननीय रक्षा मंत्री की अमरीका यात्रा पर कम-से-कम जेनेवा कन्वैंशन का पालन किया। उन्होंने उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा उनके पूर्ववर्ती से उनकी अमरीका-यात्रा के दौरान किया गया था।

मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से हाल ही में हस्ताक्षर किये गये समझौते 'न्यू फ्रेमवर्क' के खंड 3 के संबंध में जानना चाहता हूं। इसमें आतंकवाद और हिंसक धार्मिक कट्टरतावाद निपटने की बात कही गयी है। यह एक सुविदित तथ्य है कि अमरीका इस समस्या का स्वयं एक भाग है यह कोई समाधान नहीं है। जब धार्मिक कट्टरतावाद की बात आती है तो इसमे केवल एक ही धर्म की ओर संकेत किया गया है। खंड 4 (ख) में सांझे हितों के संदर्भ में बहुराष्ट्रीय अभियानों में भाग लेने की बात कही गयी है। भारत के हितों का अमरीका के हितों से साम्य कैसे हो सकता है? हम उन बहुराष्ट्रीय अभियानों में कैसे सहयोग कर सकते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अनुमति प्राप्त नहीं हुई है? यह हमारी नीति का मूलभूत बिंदु रहा है।

अध्यक्ष महोदय: अपना प्रश्न पूछें।

श्री असादूद्दीन ओवेसी: खंड 4 (ञ) में बताया गया है - कि इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि अन्य देश प्रशिक्षित, सक्षम व्यक्तियों को तैनात कर सकें। इसी से यह पता चल जाता है कि हम यू.एस.ए. के जाल में फंस रहे हैं। क्या हम अमरीका के जाल में फंस गये हैं कि वर्ष 2006 में अमरीका और ब्रिटेन इराक से अपनी सेवाएं हटा रहे हैं? क्या हम अन्य देशों के रूप में अपनी सेवाएं वहां भेज रहे हैं? क्या मंत्री महोदय मुझसे सहमत हैं?

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न क्या है? आप इस तरह भाषण न देते जायें। आप युवा व समझदार व्यक्ति हैं। आपको सीखना चाहिए कि अनुपूरक प्रश्न कैसे पूछा जाता है।

श्री असादूद्दीन ओवेसी: माननीय मंत्री जी से मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या मंत्री महोदय आसूचना के आदान-प्रदान के लिए सहमत हो गये हैं? क्या हम लोग रॉ और सी.बी.आई. के अधिकारियों की अमरीका में नियुक्ति के प्रति सहमत हो गये हैं क्योकि मुझे यह पता चला है एफ.बी.आई. के कर्मी नई दिल्ली में कार्यरत हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप जानकारी दे रहे हैं। कृपया बैठ जायें।

श्री असादूद्दीन ओवेसी: मैं प्रश्न पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: जी नहीं, आप इस अवसर का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या हम इस फ्रेमवर्क में मिसाइल सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी के कायाकल्प के लिए सहमत हो गये हैं?

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय किस प्रश्न का उत्तर दें?

श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या यू.एस. भारत को एम.टी.सी.आर. की सदस्यता देने के लिए सहमत हो गया है?

अध्यक्ष महोदय: आपको अनुपूरक प्रश्न पूछने का एक अन्य अवसर दिया गया है। कृपया अब आप बैठ जायें।

मैं नहीं जानता मंत्री महोदय किस प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे। आपने बहुत सारे प्रश्न पूछ लिये हैं। प्रश्न का चयन मंत्री जी ही करेंगे।

श्री प्रणब मुखर्जी: मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इसमें कहीं कोई जाल नहीं है और हम इतने परिपक्व हैं कि किसी जाल में फंस नहीं सकते। भारत की विदेश नीति सुविदित है। इराक में सेवाएं भेजने के संबंध में भारत का निर्णय सभी जानते हैं और फ्रेमवर्क में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें ऐसा निर्णय लेने के लिए बाध्य करे जो हमारे हित में नहीं है। यह द्विपक्षीय समझौता है। 'उनके हित' का अर्थ है - उनके और हमारे हित। यदि हम परस्पर सहमत न हों तो यह आवश्यक नहीं कि उनके साथ मिल कर चलें।

जहां तक हमारे अधिकारियों की नियुक्ति का संबंध है, यह समाचार-पत्रों में छपा है और मैंने स्वयं प्रेस को बताया है कि रॉ के या आसूचना के किसी अफसर को भेजने का कोई प्रस्ताव नहीं है। एक यह प्रस्ताव था कि क्या सशस्त्र बलों के कुछ अधिकारियों को प्रशांत कमांड में या यू.एस.ए. की मध्य कमांड में नियुक्त किया जा सकता है। हमारा उत्तर या -

'नहीं'। हम डिफैंस के रूप में अपने दूतावास को मजबूत करेंगे। यह प्रत्येक देश में उपस्थित है और अगर आवश्यकता पड़ी तो उस संस्था को मजबूत किया जायेगा।

मिसाइलों के संबंध में, अभी हम जानकारी का आदान-प्रदान कर रहे हैं। हम विभिन्न सम्मेलनों और गोष्ठियों में भाग ले रहे हैं। लेकिन जहां तक इस व्यवस्था का प्रश्न है, जहां तक इस सरकार का प्रश्न है मिसाइल सुरक्षा स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि आप भाषण का पूरा पाठ पढ़ें आपको यह पता चल जाएगा, मैं माननीय सदस्य को आदरपूर्वक याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने उस वक्तव्य में भी कहा है कि जनवरी, 1995 में भारत और अमरीका के बीच सहमत 'एग्रीड मिसाइल ऑन डिफेंस रिलेशंस' अद्यतन स्थिति का फ्रेमवर्क यही है। इसके अतिरिक्त ऐसा केवल अमरीका के संबंध में ही नहीं है बल्कि 12 देशों के साथ रक्षा सहयोग के मामले में हमारे संबंध हैं। हम निरंतर संस्थागत व्यवस्था कर रहे हैं कि यह रक्षा सहयोग किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है।

श्री असादुद्दीन ओवेसी: माननीय अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था 1995 में हस्ताक्षरित "एग्रीड मिनट्स ऑन डिफेंस रिलेशंस" से बढ़कर है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि क्या यह विशेष व्यवस्था जिसपर 20 जून को तीनों सेनाओं के प्रमुख की उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया है राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के विपरीत नहीं ह। इसमें कहा गया है कि अमरीका के साथ संबंध में सुधार करने के साथ-साथ यू.पी.ए. सरकार सभी क्षेत्रीय और भूमंडलीय मुद्दों पर विदेश नीति की स्वतंत्र स्थिति बहाल रखेगी। क्या यह व्यवस्था (फ्रेमवर्क) इसके विपरीत नहीं है।

दूसरी बात यह कि यह उचित हुआ होता यदि इस व्यवस्था पर इस सर्वोच्च सभा में चर्चा करायी गई होती। पूरी सभा को विश्वास में लेकर सर्वसम्मति बनायी जानी चाहिए थी। मुझे पूरा विश्वास है कि यह डिफेंस फ्रेमवर्क जो हमने अन्य देशों के साथ बनाई है, का संबंध इससे नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या अमरीका एम.टी.सी.आर. सदस्यता पर सहमत हो गया है, क्या इसने आस्ट्रेलियाई सदस्यों को आश्वासन दिया है क्या अमरीका ने भारत के न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप (एन.एस.जी.) के बारे में कहा है। ये महत्वपूर्ण हैं और माननीय मंत्री महोदय को इसका उत्तर देना चाहिए।

श्री प्रणब मुखर्जी: यदि इस मामले पर विस्तृत चर्चा करायी जाती है तो मुझे इस पर कोई समस्या नहीं है माननीय सदस्य एम.टी.सी.आर. और अन्य बातों को मिलाकर भ्रमित हो गए हैं। हमारे पास अवसर होगा जिसमें इन सभी व्यवस्थाओं पर चर्चा की जायेगी और इस पर प्रधान मंत्री और अमरीका के राष्ट्रपति श्री बुश की विस्तृत चर्चा हुई थी। वक्तव्य में इनमें से कतिपय बातों का उल्लेख किया गया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम इस पर चर्चा कर सकते हैं।

श्री प्रणब मुखर्जी: अत: संयुक्त वक्तव्य से कृपया भ्रमित न हों...*(व्यवधान)*

श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या यह राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के विपरीत नहीं है।

श्री प्रणब मुखर्जी: यह न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुरूप ही है। इसमें कोई भटकाव नहीं है। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं इस व्यवस्था के बारे में सूचना दे सकता हूं।

रूस के साथ हमारी उच्च स्तर की व्यवस्था है। माननीय सदस्यगण शायद इससे अवगत न हों। अंतर-सरकारीय आयोग की अध्यक्षता दोनों संबंधित देशों के मंत्रियों द्वारा की जाती है। यह एक मात्र ऐसा देश है जिसके साथ रक्षा मामले में हमारा ऐसा सहयोग है। अन्य सभी देशों में यह रक्षा सचिव स्तर का है।

श्री उदय सिंह: धन्यवाद, महोदय। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: हमारे पाइंट का क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय: आप नोटिस दीजिए।

[अनुवाद]

नहीं, इस पर चर्चा की जाएगी।

श्री उदय सिंह: महोदय, मेरा प्रश्न रक्षा उत्पाद से संबंधित है। अपने उत्तर में माननीय रक्षा मंत्री ने कहा है कि अद्यतन हथियारों की खरीद हेतु हम अमरीका के साथ समझौता कर सकते हैं। हमें मालूम है कि अमरीका रक्षा संबंधी उपकरणों के उत्पादन हेतु अपने गैर सरकारी क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भर है। भारत के मामले में ऐसा नहीं है। अत: इस सहयोग को आगे और बढ़ाना होगा और हम आशा करते हैं कि क्या रक्षा मंत्री यह नहीं समझते कि भारत में गैर-सरकारी क्षेत्र को

बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएं जो अब तक नहीं हो पाया है। लोक कुछ समय से प्रयास कर रहे थे।

मेरा रक्षा मंत्री से प्रश्न यह है कि क्या उनका मंत्रालय भारत में गैर सरकारी क्षेत्र की क्षमता में विकास करने के मामले पर विचार करेगा ताकि जब कभी भी आवश्यकता हो रक्षा संबंधी उपकरणों का उत्पादन हो सके।

अध्यक्ष महोदय: क्या इसका संबंध मूल प्रश्न से है।

श्री प्रणब मुखर्जी: मैं कह नहीं सकता...

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, मैं समझता हूं कि यह प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है। तथापि, वे उत्तर दे रहे हैं।

श्री प्रणब मुखर्जी: जहां तक रक्षा उत्पादन में गैर सरकारी क्षेत्र की भागीदारी का प्रश्न है, यह क्षेत्र हमारी सरकार बनने से बहुत पूर्व वर्ष 2001 खोला गया था। यह लाइसेंस के आधार पर शुरू किया गया था। अन्य क्षेत्र बिना लाइसेंस के ही शुरू किए गए हैं। लेकिन रक्षा क्षेत्र में गैर सरकारी क्षेत्र को लाइसेंस आधार पर उत्पादन कार्य में लगाया जा सकता है। यदि मुझे सही स्मरण है, कम से कम 10 लाइसेंस अथवा अनुज्ञा पत्र जारी किए थे लेकिन इनमें से एक भी कार्यान्वित नहीं हुआ। अत: मैंने श्री विजय केलकर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल नियुक्त किया है। इसमें सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के प्रतिनिधि थे। इस दल ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। हमने इस रिपोर्ट का पहला भाग प्रस्तुत कर दिया है। हम इसके दूसरे भाग की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसका दूसरा भाग प्राप्त होने के पश्चात् सरकार अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी।

महोदय, मैं अपनी बात में संशोधन कर रहा हूं। जारी किए गए लाइसेंस अथवा अनुज्ञा पत्रों की संख्या 10 नहीं 22 है।

अध्यक्ष महोदय: अब श्री मोहम्मद सलीम बोलेंगे।

मोहम्मद सलीम: महोदय, मेरे पास अनुपूरक प्रश्न पूछने और मंत्री महोदय का उत्तर प्राप्त करने का समय है।

अध्यक्ष महोदय: यदि आप इस अल्प समय में अपनी विशेषज्ञता का प्रयोग करें तो आपको उत्तर मिल जायेगा।

मोहम्मद सलीम: मैं अपना प्रश्न पूछने से पूर्व इस मामले पर व्यापक चर्चा कराए जाने की मांग करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: अध्यक्षपीठ ने इसे स्वीकार कर लिया है। इस बारे में सूचना प्राप्त होनी है।

मोहम्मद सलीम: मैं अपनी बात श्री ओवेसी द्वारा पूछे गए अनुपूरक प्रश्न से शुरू करता हूं। जैसाकि माननीय मंत्री महोदय द्वारा दावा किया गया है, मैं नहीं समझता हूं कि एग्रीड मिनट्स ऑफ डिफेंस रिलेशंस, 1995 के बारे में यह अद्यतन जानकारी नहीं है। इसीलिए इसे 'न्यू फ्रेमवर्क' कहा गया है। यहां विद्यमान ऐतिहासिक और राजनैतिक कारणों से रूस के साथ हमारे संबंधों की तुलना करना भी उचित नहीं है। एग्रीड मिनट्स ऑफ डिफेंस रिलेशंस में सी.एम.पी. नहीं था। अत: यह हमारा मानना अथवा अनुमान है कि यह 1995 के एग्रीड मिनट्स से भी बढ़कर है। अत: यह नई व्यवस्था है।

लेकिन हमारी मुख्य चिंता यह है कि हम रक्षा सहयोग में द्विपक्षीय व्यवस्था से निकलकर बहुराष्ट्रीय सहयोग की ओर जा रहे हैं और माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं कहा है कि अब हम बहुपक्षीय सहयोग किस प्रकार करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: आपने सारा समय ले लिया है।

मोहम्मद सलीम: महोदय, माननीय रक्षा मंत्री वरिष्ठ नेता, सांसद और वरिष्ठ मंत्री हैं।

अध्यक्ष महोदय: हो सकता है लेकिन अब लगभग 12 बज चुके हैं।

मोहम्मद सलीम: मुख्य प्रश्न (क) से (च) तक है जो अत्यधिक स्पष्ट है। लेकिन उन्होंने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है। उन्होंने एक वक्तव्य दिया है। मेरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि उन्होंने मूल प्रश्न के भाग (ङ) और (च) का उत्तर देने से क्यों बचना चाहा है।

श्री प्रणब मुखर्जी: मैंने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है और मैं माननीय सदस्यगण को इस विषय पर विस्तृत चर्चा कराए जाने के दौरान संतुष्ट करूंगा क्योंकि मैं प्रश्नकाल में सीमाओं की बाध्यता को समझता हूं। इसमें पूरे विषय पर उत्तर देना संभव नहीं है।

यह प्रश्न बुनियादी रूप से मंशा की अभिव्यक्ति है। निश्चित रूप से यह रक्षा संबंध 1995 के परस्पर मान्य कार्यवाही सारांश की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है। तत्पश्चात् 1998 में विस्फोट हुआ।

मध्याह्न 12.00 बजे

हमारी इच्छा के बावजूद, यह बात सामने आ चुकी है। अब आप इसे छोड़ नहीं सकते हैं। अत:, यह बहुत उपलब्धि हुई है। समूचे विश्व में भी कतिपय अन्य बड़ी उपलब्धियां हुई

हैं। इसलिए इस संबंध में विस्तृत चर्चा के लिए और अधिक समय की आवश्यकता होगी। मैं इसके लिए तैयार हूं और यह आपको तय करना है कि यह चर्चा कब हो।

अध्यक्ष महोदय: मैं सूचना की प्रतीक्षा कर रहा हूं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

टी.वी. ट्रांसमीटरों का कार्यकरण

***63. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान टी.वी. ट्रांसमीटरों के खराब कार्यकरण के संबंध में काफी शिकायतें, विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों से, प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा टी.वी. ट्रांसमीटरों का त्रुटिरहित कार्यकरण सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन नेटवर्क में टी.वी. ट्रांसमीटरों का कार्य निष्पादन आमतौर पर संतोषजनक है, यद्यपि कुछ ट्रांसमीटरों के ठीक ढंग से कार्य न करने की शिकायतें समय-समय पर प्राप्त होती रहती हैं। शिकायतों का रिकॉर्ड स्थानीय स्तरों पर रखा जाता है।

(ग) दूरदर्शन द्वारा शिकायतों को तत्काल दूर करने के सभी प्रयास किए जाते हैं। तथापि, अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों, जो कि कर्मीदल-रहित प्रतिष्ठान हैं, के मामले में शिकायतों को दूर करने में कुछ समय लग जाता है क्योंकि अनुरक्षण स्टाफ को नजदीकी अनुरक्षण केन्द्रों से भेजा जाना होता है।

डीजल और पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि

***65. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:**
श्री सर्वानन्द सोनोवाल:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में डीजल और पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण और औचित्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस वृद्धि से अनेक आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(घ) यदि हां, तो क्या विभिन्न पक्षों से जबरदस्त विरोध को ध्यान में रखते हुए सरकार बढ़ाये हुए मूल्यों को वापस लेने/कम करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी हां। 20 जून, 2005 को पेट्रोल और डीजल के खुदरा मूल्यों (दिल्ली में) में क्रमश: 2.50 रुपए और 2.00 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए गए थे।

(ख) वर्ष 2003 की समाप्ति से, सप्ताह दर सप्ताह तथा यहां तक कि दैनंदिन काफी अस्थिरता के साथ अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में अभूतपूर्व, भारी तथा सर्पिल वृद्धि हुई है। दिनांक 8-7-2005 को कच्चे तेल के भारतीय बास्केट ने अब तक का सबसे अधिक 57.27 अमेरिकी डालर/प्रति बैरल की दर को छुआ। वर्ष 2003-04 के दौरान 27.96 अमेरिकी डालर/प्रति बैरल तथा वर्ष 2004-05 के दौरान 39.21 अमेरिकी डालर/प्रति बैरल के औसत भारतीय क्रूड बास्केट मूल्य की तुलना में जून, 2005 को यह औसत मूल्य 52.75 अमेरिकी डालर प्रति बैरल था। अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में तीव्र वृद्धि के बावजूद संवेदनशील उत्पादों के उपभोक्ताओं पर वृद्धि का भार नियंत्रित करने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वृद्धि का भार सरकार और तेल कंपनियों द्वारा भी समान रूप से वहन करना चाहिए। मार्च, 2002 से कच्चे तेल, पेट्रोल और डीजल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि और दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री मूल्यों में तदनुरूपी वृद्धि संलग्न विवरण में दी गई है। उपभोक्ताओं के हितों की यथासंभव रक्षा करने के लिए इस नीति के कारण पेट्रोल और डीजल के घरेलू खुदरा मूल्यों में वृद्धि उससे केवल आधी है, जितनी अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि के कारण आवश्यक हो सकती थी। इसके अलावा मिट्टी तेल और एल.पी.जी. के मूल्यों में 20-6-2005 को कोई वृद्धि नहीं की गई।

(ग) पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि के बाद थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई.) संख्याओं के संबंध में मुद्रास्फीति

की वार्षिक दर 25-6-2005 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान पिछले वर्ष के स्तर से मामूली रूप से केवल 0.04% अंक बढ़कर 4.14% हुई है। 2-7-2005 को समाप्त होने वाले बाद के सप्ताह में मुद्रास्फीति की दर 0.05% अंक घटकर 4.09% कम हुई है। जबकि पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में हाल की वृद्धि से सामान्य मूल्य स्थिति पर दीर्घावधि में बहुत कम प्रभाव पड़ता हुआ प्रतीत होता है। डीजल के मूल्यों में वृद्धि परिवहन और अन्य प्रासंगिक लागतों में सम्भावित वृद्धि के कारण देश के विभिन्न भागों में विभिन्न वस्तुओं के खुदरा मूल्यों पर प्रभाव डाल सकती है।

(घ) और (ङ) जबकि सरकार पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए मूल्य वापस लेने पर विचार नहीं कर रही है, सरकार ने संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों के उपभोक्ताओं पर क्रूड के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में वृद्धि का भार सीमित करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। यह निर्णय लिया गया कि मूल्य वृद्धि के भार को उपभोक्ताओं, सरकार तथा तेल कंपनियों द्वारा समान रूप से बांटा जाना चाहिए। सरकार ने अपने भाग के लिए 16-6-2004 से पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क क्रमशः 4% तथा 3% तक घटा दिया और 19-8-2004 से पेट्रोल और डीजल पर और 3% तक उत्पाद शुल्क में कमी की गई। सरकार ने 19-8-2004 से पेट्रोल और डीजल पर 5% तक सीमा शुल्क भी कम कर दिया। बजट 2005-06 में, क्रूड पर सीमा शुल्क 10% से कम करके 5% मिट्टी तेल तथा एल.पी.जी. पर 5% से कम करके शून्य तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों पर 15-20% से कम करके 10% कर दिया गया था। तेल विपणन कंपनियां (ओ.एम.सी.) प्रशासनिक अनुदेशों के अनुसार उपभोक्ताओं पर मूल्य वृद्धि का पूरा भार अंतरित न करते हुए संवेदनशील उत्पादों नामतः सा.वि.प्र. मिट्टी तेल, घरेलू एल.पी.जी., पेट्रोल और डीजल के घरेलू खुदरा मूल्यों पर उच्च तेल मूल्यों का प्रभाव कम करती रही है। तेल विपणन कंपनियों की अल्प वसूलियां एक वर्ष से अधिक समय से उच्च अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के कारण कई हजार करोड़ रुपए होने के बावजूद मिट्टी तेल का मूल्य मार्च, 2002 से और घरेलू एल.पी.जी. का मूल्य नवंबर, 2004 से अपरिवर्तित रहा है।

विवरण

मार्च, 2002 से पेट्रोल और डीजल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि और दिल्ली में खुदरा बिक्री मूल्य दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	अंतर्राष्ट्रीय मूल्य			घरेलू मूल्य	
	क्रूड मूल्य कीमत डालर/बी.बी.एल.	पेट्रोल डालर/ बी.बी.एल.	डीजल डालर/ बी.बी.एल.	पेट्रोल का खुदरा बिक्री मूल्य (रुपए/ लीटर)	डीजल का खुदरा बिक्री मूल्य (रुपए/ लीटर)
मार्च 2002	23.31	26.43	23.27	26.54	16.59
जुलाई 2005 (22-7-2005 तक)	55.00	62.94	67.68	40.49	28.45
मार्च 2002 की तुलना में % वृद्धि	136%	138%	191%	53%	71%

सैन्य बलों में कार्मिकों की कमी

***66. डा. के. धनराजू:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सैन्य बलों में कार्मिकों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रैंक-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा प्रतिभावान व्यक्तियों को आकर्षित करने और रिक्त पदों को भरने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) रक्षा सेनाओं में

कार्मिकों की कमी है। सेना, नौसेना और वायुसेना में कार्मिकों की कमी इस प्रकार है:-

	सेना	नौसेना	वायुसेना
अफसर	10650	1244	508
अफसर रैंक के नीचे के कार्मिक	वास्तव में कोई कमी नहीं है।	5226	5081

रिक्त पदों को भरने के लिए तीनों सेनाओं द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। सेना द्वारा 1997 में एक छवि प्रदर्शन अभियान शुरू किया गया था और इस समय इस अभियान के चरण-4 को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

अफसर संवर्ग में योग्य युवाओं को आकर्षित करने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा निरंतर प्रचार प्रयास किए जा रहे हैं। लगभग 3000 विद्यालयों और महाविद्यालयों को प्रचार-सामग्री भेजी जाती है। चयन बोर्डों के योग्य मूल्यांककों (असेसरों) द्वारा कैम्पस इंटरव्यू लिए जाते हैं ताकि संभावित अभ्यर्थियों के साथ सीधे-ही बातचीत की जा उसके और सेना के बारे में उनके प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकें।

नौसेना द्वारा व्यापक प्रचार और भर्ती अभियान चलाए जा रहे हैं।

प्रेरणात्मक वार्ताओं के लिए तीनों सेनाओं के प्रतिनिधि विद्यालयों और महाविद्यालयों का नियमित रूप से दौरा करते हैं।

इसके अलावा, सशस्त्र बलों की प्रतिबद्धता और वीरता का इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया के जरिए सुसंगत प्रदर्शन किया जाता है। रक्षा मंत्रालय का जनसंपर्क निदेशालय रक्षा संबंधी सूचना देते समय मीडिया के साथ नियमित रूप से संवाद करता है और उसका सकारात्मक प्रचार सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करता है। प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया में रक्षा संबंधी घटनाओं की नियमित कवरेज से लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने और युवाओं को सशस्त्र सेनाओं में भर्ती हेतु प्रेरित करने में बड़ी सहायता मिलती है। वैबसाइटें भी तीनों सेनाओं से संबंधित आजीविका-सूचना उपलब्ध करवा रही हैं।

[हिन्दी]

धूम्रपान के दृश्यों पर प्रतिबंध

***67. डा. चिन्ता मोहन:**
श्री प्रहलाद जोशी:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार देश में 52 प्रतिशत बच्चे फिल्मों के प्रभाव से धूम्रपान के आदी होते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या फिल्मों में धूम्रपान के दृश्यों पर प्रतिबंध लगाने की कोई मांग की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बीच कोई मतभेद है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा टेलीविजन धारावाहिकों और फिल्मों में धूम्रपान के दृश्यों पर प्रतिबंध लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) ने 2003 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से भारतीय सिनेमा में तम्बाकू के चित्रण और युवा दर्शकों पर इसके प्रभाव के बारे में एक अध्ययन कराया था। इस अध्ययन में अन्य बातों के साथ-साथ यह रिपोर्ट दी गई थी कि युवाओं का व्यवहार मुख्यधारा की फिल्मों से अत्यधिक प्रभावित है और इसमें युवाओं की इस स्वीकारोक्ति के साथ कि वे फिल्मों में विभिन्न चरित्रों और अभिनेताओं की धूम्रपान शैली की नकल कर रहे हैं, के साथ फिल्मों और युवाओं के व्यवहार के बीच एक संबंध प्रदर्शित किया गया है। सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापनों का निषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पाद, आपूर्ति और वितरण) अधिनियम, 2003 में सभी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूपों में तम्बाकू विज्ञापन देने और किसी भी रूप में सिगरेट अथवा किसी अन्य तम्बाकू उत्पाद के इस्तेमाल या उपभोग को प्रोत्साहन देना निषिद्ध है।

(घ) और (ङ) यह मामला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से जांचाधीन है। फिल्म उद्योग ने इस निदेश का विरोध किया है क्योंकि कुछ प्रावधानों के कार्यान्वयन में कठिनाई है।

(च) यह मामला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से विचाराधीन है।

पेट्रोलियम मंत्री की ईरान यात्रा

***68. श्री राम सिंह कस्वां:**

श्री गणेश सिंह:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने हाल ही में ईरान की यात्रा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या पेट्रोलियम उत्पादों और गैस के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) समझौते के आधार पर इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पंचायती राज मंत्री ने ईरान से तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) के रूप में और पाइपलाइन के जरिए दोनों रूप में प्राकृतिक गैस के आयात की प्रगति और दोनों देशों के बीच हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने के विचार से अन्य परियोजनाओं/प्रस्ताव की भी समीक्षा करने के लिए ईरान के पेट्रोलियम मंत्री के निमंत्रण पर 11 से 14 जून, 2005 के बीच ईरान का दौरा किया।

इस दौरे के दौरान गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल)/इंडियन आयल कार्पोरेशन (आई.ओ.सी.)/भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.) और नेशनल ईरानियन गैस एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड (एन.आई.जी.ई.सी.) के बीच तेहरान में 13 जून, 2005 को 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एम.एम.टी.पी.ए.) एल.एन.जी. की खरीद के लिए बिक्री खरीद करार (एस.पी.ए.) पर दोनों मंत्रियों की उपस्थिति के हस्ताक्षर किए गए।

वापस खरीद संविदा के तहत भारतीय कंपनियों द्वारा 5 एम.एम.टी.पी.ए. एल.एन.जी. के आयात के लिए सामूहिक सौदे के भाग के रूप में ओ.एन.जी.सी. विदेश लिमिटेड (ओ.वी.एल.) को ईरान में जुफेर तेल क्षेत्र के विकास के लिए 100% अधिकारों और दायित्वों तथा यदावरान तेल क्षेत्र के विकास के लिए 10% अधिकारों और कर्तव्यों की पेशकश की गई है।

ईरान-पाकिस्तान-भारत गैस पाइपलाइन परियोजना पर एन.आई.जी.ई.सी. और भारतीय कंपनियों के बीच एक करार शीर्ष पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्ष एक सुरक्षित और सुनिश्चित विश्व श्रेणी की परियोजना को मूर्त रूप देने के लिए तकनीकी, वित्तीय, वाणिज्यिक, कानूनी और संबंधित मामलों पर चर्चा करने हेतु एक भारत-ईरान विशिष्ट जे.डब्ल्यू.जी. का गठन करने पर सहमत हुए।

मंत्री जी के ईरान दौरे के दौरान विचार-विमर्श हुई। अन्य परियोजनाओं/प्रस्तावों में गैस द्रावण संयंत्र की स्थापना करने के लिए एक ब्लाक प्रदान करने और एल.एन.जी. का विपणन करने के लिए ईरान की पेट्रोपार्स के साथ आई.ओ.सी. का संयुक्त प्रस्ताव, ईरान में एक पेट्रोकेमिकल परियोजना और सी.एन.जी. व्यवसाय में भागीदारी करने के लिए गेल की योजना, ईरान में फारसी ब्लाक में ओ.वी.एल. द्वारा अन्वेषण और आर. एंड डी. सहयोग शामिल है।

[अनुवाद]

लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में और स्टेशनों पर चिकित्सा सुविधाएं

***69. श्री पी. राजेन्द्रन:**

श्री हितेन बर्मन:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में रेलवे को लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है और ऐसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु चयनित रेलगाड़ियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या रेलवे का विचार प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर भी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इस संबंध में अब तक कितनी

प्रगति की गई है और इस प्रयोजनार्थ चयनित स्टेशनों के नाम क्या हैं?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) से (घ) जी, हां। 7-7-2005 को उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा रिट याचिका सं. 5240/1996 में राजस्थान के माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के 4-5-2005 के फैसले के विरुद्ध भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका पहले ही दायर की जा चुकी है।

माननीय उच्च न्यायालय ने लंबी दूरी गाड़ियों में चार शायिकाओं का एक कूपे आरक्षित रखने का आदेश दिया है जिस पर रेड क्रॉस के चिन्ह के साथ "चिकित्सा सुविधाएं" का साइन बोर्ड लगा होगा। कूपे के बाहर भी रेड क्रॉस के प्रतीक को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा। एक चिकित्सा अधिकारी, एक पुरुष नर्स और एक परिचारक का एक दल गाड़ी में सवार होगा और उसमें यात्रा करेगा। एक सक्षम डॉक्टर द्वारा यात्रियों को नि:शुल्क चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य जीवनरक्षी दवाएं तथा इंजेक्शन रखे जाएं। इसका व्यापक प्रचार किया जाए।

यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए स्टेशन परिसरों में कैमिस्ट की दुकानों की व्यवस्था की जाए। चूंकि राजस्थान के माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के आदेशों पर बड़ी संख्या में जनशक्ति (डॉक्टर, नर्स और परिचारक) की आवश्यकता, चलती गाड़ियों में अवसंरचना एवं बजट आवंटन की कठिनाइयों के मद्देनजर अमल करना कठिन है, इसलिए रेल मंत्रालय ने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है।

इस समय चलती गाड़ियों में बीमार यात्रियों की देखरेख के लिए गाड़ी अधीक्षक/चल टिकट परीक्षक बीमार यात्री की सूचना अगले बड़े रेलवे स्टेशन के स्टेशन प्रबंधक को भेजता है, स्टेशन प्रबंधक बीमार यात्री की देखरेख के लिए रेलवे स्टेशन पर एक रेलवे डॉक्टर को बुलाने की व्यवस्था करता है रेलवे डॉक्टर प्रति वर्ष औसतन लगभग 12,000 मरीजों को देखते हैं। रेलवे डॉक्टर उपलब्ध न होने के मामले में स्टेशन प्रबंधक बीमार यात्री की देखरेख के लिए किसी प्राइवेट डॉक्टर को बुला सकता है। अत्यधिक गंभीर रूप से बीमार यात्रियों को इलाज के लिए निकटवर्ती अस्पताल में भेजा जाता है।

गाड़ी में यात्रा करने वाले एलोपैथिक डॉक्टरों को उनके गाड़ी किराये में 10% की छूट प्रदान की जाती है और उसकी एवज में वे गाड़ी में बीमार यात्रियों का उपचार करने के लिए पेशेवर सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। इस प्रयोजन के लिए नामित गाड़ियों में 76 प्रकार की दवाओं और अन्य चिकित्सा मदों के साथ संवर्धित प्राथमिक उपचार बक्से उपलब्ध कराए जाते हैं।

क्षेत्रीय रेलों को कैमिस्ट की दुकान/कैमिस्ट कॉर्नर आदि खोलने के अनुदेश दिए जा चुके हैं। विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर 31 कैमिस्ट दुकानें और 294 कैमिस्ट कॉर्नर पहले ही खुल चुके हैं।

हाइड्रोकार्बन की खोज

***70. श्री के.एस. राव:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में हाइड्रोकार्बन भंडार की उपलब्धता का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार और निजी कंपनियों को कृष्णा गोदावरी बेसिन में भारी मात्रा में "हाइड्रोकार्बन" की उपलब्धता का पता चला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और निजी कंपनियों के बीच हाइड्रोकार्बन की हिस्सेदारी संबंधी निबंधन और शर्तें क्या हैं; और

(च) दैनिक आधार पर कंपनियों द्वारा प्राप्त गैस और होने वाले व्यय का मूल्यांकन करने हेतु क्या तंत्र है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डी.जी.एच.) ने कृष्णा-गोदावरी के पूर्वानुमानित हाइड्रोकार्बन भंडारों के जमीनी क्षेत्रों में 575 मिलियन मीट्रिक टन (एम.एम.टी.) और अपतटीय क्षेत्रों में 555 एम.एम.टी. होने का आकलन किया है। कृष्णा-गोदावरी बेसिन में गहरे पानी वाले क्षेत्रों में भी बहुतायत में हाइड्रोकार्बन संभाव्यता है।

1-4-2005 की स्थिति के अनुसार ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.) ने जमीनी और अपतटीय क्षेत्रों में लगभग 100.18 एम.एम.टी. हाइड्रोकार्बन भंडार होने का पता लगाया है। निजी संयुक्त उद्यम कंपनियों ने अपतटीय क्षेत्रों में लगभग 287.32 बिलियन घन मीटर (बी.सी.एम.) के गैस भंडार होने का पता लगाया है। हाल ही में, गुजरात राज्य पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (जी.एस.पी.सी.) ने भी

कृष्णा-गोदावरी बेसिन में पड़ने वाले ब्लाक के.जी.-ओ.एस.एन.-2001/3 में एक गैस की एक महत्वपूर्ण खोज की है।

(ङ) उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पी.एस.सी.) व्यवस्था के तहत संविदाकार को संविदा में निर्धारित बोली प्रक्रिया के दौरान सहमत हिस्सेदारी व्यवस्था के आधार पर सरकार के साथ पेट्रोलियम लाभ में हिस्सेदारी करनी होती है। नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन.ई.एल.पी.) के तहत सरकार अन्वेषण ब्लाकों पर व्यय नहीं कर रही है। तथापि वाणिज्यिक उत्पादन की स्थिति में संविदाकार द्वारा अपनी लागतें वसूल कर लेने के बाद लाभों में हिस्सेदारी की जाती है। संविदाकार द्वारा वहन की गई अन्वेषण, विकास और उत्पादन लागतों सहित संविदा लागतों को सकल राजस्व से घटा दिया जाता है ताकि पेट्रोलियम लाभ का पता लग सके जिसे एक दी गई अवधि में प्राप्त बहु निवेश आधार पर सरकार के साथ बांटना होगा।

(च) एक प्रबंधन समिति द्वारा नियमित संविदा प्रशासन किया जाता है जिसमें संविदा करने वाली पार्टी के प्रतिनिधि और डी.जी.एस. के माध्यम से सरकार शामिल है। इसके अतिरिक्त सरकार के पास पी.एस.सीज की लेखापरीक्षा करने का संविदात्मक अधिकार भी है। ये व्यवस्थाएं सरकार को किसी पी.एस.सी. के तहत किए गए व्यय और उत्पादित पेट्रोल का आकलन के लिए समर्थ करती है।

रायल्टी जमीनी क्षेत्रों से त्पादन के लिए राज्य सरकार को और अपतटीय क्षेत्रों के लिए केन्द्र सरकार को देय होती है।

[हिन्दी]

समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का पंजीकरण

*71. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:**

श्री एम. अंजनकुमार यादव:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नए समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के उद्यमियों को भारत के समाचार-पत्र पंजीयक के पास स्वयं को पंजीकृत कराने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे अवरोधों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने शीर्षक-सत्यापन से संबंधित कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली है। पंजीकरण-प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। प्रपत्रों को जांच-सूची के साथ वेबसाइट में पहले ही डाल दिया गया है।

[अनुवाद]

एफ.एम. रेडियो स्टेशन

*72. **श्री जी. करूणाकर रेड्डी:**

श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कितने एफ.एम. रेडियो स्टेशन हैं;

(ख) क्या सरकार ने और अधिक एफ.एम. चैनल शुरू करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में परिचालन का विकल्प चुनने वाली कंपनियों को रियायत देने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) इस समय देश में आकाशवाणी के 138 एफ.एम. रेडियो स्टेशन और 21 निजी एफ.एम. रेडियो स्टेशन कार्यशील हैं। ब्यौरा संलगन विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। अनुमोदन और संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन आकाशवाणी के 113 और नए एफ.एम. स्टेशनों को स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, निजी क्षेत्र में देश भर के 90 शहरों में 336 एफ.एम. रेडियो स्टेशनों को शीघ्र ही अनुमति दी जाएगी। ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) यद्यपि रेडियो स्टेशनों को निर्दिष्ट शहरों में स्थापित किया जाएगा तथापि, वे अपने-अपने कवरेज क्षेत्रों के भीतर निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के श्रोताओं को भी लाभान्वित

करेंगे। इसके अतिरिक्त, यदि ग्रामीण क्षेत्र ग और घ श्रेणी के अंतर्गत आने वाले शहरों के भाग हैं तो संबंधित निजी कंपनियों को क और ख श्रेणी के अंतर्गत आने वाले शहरों की स्थिति से भिन्न नेटवर्किंग का प्रोत्साहन मिलेगा।

विवरण-I

मौजूदा एफ.एम. रेडियो स्टेशनों/ट्रांसमीटरों की सूची
(संख्या 138)

आंध्र प्रदेश		
1.	अनंतपुर	6 कि.वा.
2.	कोठागुदम	6 कि.वा.
3.	कुरनूल	6 कि.वा.
4.	मार्कापुरम	6 कि.वा.
5.	निजामाबाद	6 कि.वा.
6.	तिरूपति	3 कि.वा. 10 कि.वा.
7.	वारंगल	10 कि.वा.
8.	हैदराबाद	6 कि.वा.
9.	विशाखापट्टनम	10 कि.वा.
असम		
10.	हाफ्लांग	6 कि.वा.
11.	जोरहाट	10 कि.वा.
12.	नवगोंग	6 कि.वा.
13.	दुबरी	6 कि.वा.
14.	गुवाहाटी	10 कि.वा.
बिहार		
15.	पूर्णियां	6 कि.वा.
16.	सासाराम	6 कि.वा.
17.	पटना	6 कि.वां.
छत्तीसगढ़		
18.	बिलासपुर	6 कि.वा.
19.	रायगढ़	6 कि.वा.
20.	रायपुर	1 कि.वा. (अन्तरिम ढांचा)
21.	सरायपल्ली	1 कि.वा.
दिल्ली		
22.	दिल्ली	5 कि.वा., 10 कि.वा.
गोवा		
23.	पणजी	6 कि.वा.
गुजरात		
24.	गोधरा	6 कि.वा.
25.	अहमदाबाद	10 कि.वा
26.	सूरत	6 कि.वा.
27.	राजकोट	10 कि.वा.
28.	वडोदरा	10 कि.वा.
हरियाणा		
29.	हिसार	6 कि.वा.
30.	कुरुक्षेत्र	6 कि.वा.
हिमाचल प्रदेश		
31.	हमीरपुर	6 कि.वा.
32.	धर्मशाला	10 कि.वा.
33.	कसौली	10 कि.वा.
34.	कुल्लु	6 कि.वा.
35.	शिमला	1 कि.वा. (अन्तरिम ढांचा)
जम्मू और कश्मीर		
36.	जम्मू	3 कि.वा., 10 कि.वा.
37.	कठुआ	10 कि.वा.
38.	पुंछ	6 कि.वा.
39.	श्रीनगर	10 कि.वा.

40.	भदरवाह	6 कि.वा.
41.	राजौरी	10 कि.वा.
झारखण्ड		
42.	छाईबांसा	6 कि.वा.
43.	हजारीबाग	6 कि.वा.
44.	डालटनगंज	10 कि.वा.
45.	जमशेदपुर	6 कि.वा.
46.	रांची	6 कि.वा.
कर्नाटक		
47.	बीजापुर	6 कि.वा.
48.	चित्रदुर्ग	6 कि.वा.
49.	हासपेट	10 कि.वा.
50.	कारवार	3 कि.वा.
51.	रायचुर	6 कि.वा.
52.	हासन	6 कि.वा.
53.	मेरकेरा	6 कि.वा.
54.	बंगलौर	10 कि.वा., 10 कि.वा.
55.	मैसूर	10 कि.वा.
56.	धारवाड़	10 कि.वा.
57.	मंगलौर	10 कि.वा.
58.	बेल्लारी	1 कि.वा. (अन्तरिम ढांचा)
केरल		
59.	कोचीन	6 कि.वा., 10 कि.वा.
60.	कंनूर	6 कि.वा.
61.	इड्डुकी	6 कि.वा.
62.	त्रिवेंदरम	10 कि.वा.
63.	कालीकट	10 कि.वा.
मध्य प्रदेश		
64.	बालाघाट	6 कि.वा.
65.	बेतुल	6 कि.वा.
66.	छिन्दवाड़ा	6 कि.वा.
67.	गुना	6 कि.वा.
68.	खाण्डवा	6 कि.वा.
69.	सागर	6 कि.वा.
70.	शहढ़ोल	6 कि.वा.
71.	शिवपुरी	6 कि.वा.
72.	भोपाल	6 कि.वा.
73.	इंदौर	6 कि.वा.
74.	जबलपुर	10 कि.वा.
75.	माण्डला	1 कि.वा.
76.	राजगढ़	3 कि.वा.
महाराष्ट्र		
77.	मुंबई	5 कि.वा., 10 कि.वा.
78.	अहमदनगर	6 कि.वा.
79.	अकोला	6 कि.वा.
80.	बीड़	6 कि.वा.
81.	चन्द्रपुर	6 कि.वा.
82.	धुले	6 कि.वा.
83.	नादेड़	6 कि.वा.
84.	नासिक	6 कि.वा.
85.	ओसमानाबाद	6 कि.वा.
86.	सतारा	6 कि.वा.
87.	यावतमल	6 कि.वा.

88.	कोल्हापुर	6 कि.वा.	
89.	नागपुर	6 कि.वा.	
90.	पुणे	6 कि.वा.	
मणिपुर			
91.	इम्फाल	10 कि.वा.	
मेघालय			
92.	जवई	6 कि.वा.	
मिजोरम			
93.	लुंगलेह	6 कि.वा.	
नागालैंड			
94.	मोकोकचुंग	6 कि.वा.	
उड़ीसा			
95.	बरहमपुर	6 कि.वा.	
96.	बोलनगिर	6 कि.वा.	
97.	पुरी	3 कि.वा.	
98.	राऊरकेला	6 कि.वा.	
99.	कटक	6 कि.वा.	
पंजाब			
100.	भटिंडा	6 कि.वा.	
101.	पटियाला	6 कि.वा.	
102.	जालंधर	10 कि.वा.	
राजस्थान			
103.	अलवर	6 कि.वा.	
104.	बांसवाड़ा	6 कि.वा.	
105.	चितौड़गढ़	6 कि.वा.	
106.	झालावाड	6 कि.वा.	
107	नागौर	6 कि.वा.	
108.	सवाई माधोपुर	6 कि.वा.	
109.	चुरू	6 कि.वा.	
110.	जैसलमेर	10 कि.वा.	
111.	माउंटआबु	6 कि.वा.	
112.	जोधपुर	6 कि.वा.	
113.	जयपुर	6 कि.वा.	
तमिलनाडु			
114.	चेन्नई	5 कि.वा., 10 कि.वा.	
115.	नगरकोईल	10 कि.वा.	
116.	कोडईकनाल	10 कि.वा.	
117.	कोयम्बटुर	10 कि.वा.	
118.	तिरूचिरापल्ली	10 कि.वा.	
त्रिपुरा			
119.	बेलोनिया	6 कि.वा.	
120.	कैलाशहर	6 कि.वा.	
121.	अगरतला	10 कि.वा.	
संघ शासित प्रदेश			
122.	दमन	3 कि.वा.	
123.	कराइकल	6 कि.वा.	
124.	चण्डीगढ़	6 कि.वा.	
125.	पोर्टब्लेयर	10 कि.वा.	
उत्तर प्रदेश			
126.	बरेली	6 कि.वा.	
127.	फैजाबाद	6 कि.वा.	
128.	झांसी	6 कि.वा.	
129.	ओबरा	6 कि.वा.	
130.	अलीगढ़	6 कि.वा.	

131.	लखनऊ	10 कि.वा.
132.	इलाहाबाद	10 कि.वा.
उत्तरांचल		
133.	मसूरी	10 कि.वा.
पश्चिम बंगाल		
134.	कलकत्ता	5 कि.वा., 10 कि.वा.
135.	मुर्शीदाबाद	6 कि.वा.
136.	असनसोल	6 कि.वा.
137.	सिलीगुढ़ी	10 कि.वा.
138	शांतिनिकेतन	3 कि.वा.

21 परिचालनात्मक निजी एफ.एम. स्टेशनों का विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	शहर का नाम	स्टेशनों की संख्या
1.	महाराष्ट्र	मुम्बई	4
		पुणे	1
2.	दिल्ली	दिल्ली	3
3.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	4
4.	तमिलनाडु	चेन्नई	4
		तिरूनेलवेली	
		कोयम्बटुर	
5.	कर्नाटक	बंगलौर	1
6.	गुजरात	अहमदाबाद	1
7.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	1
8.	मध्य प्रदेश	इंदौर	1
9.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	1
	कुल		21

विवरण-II

दसवीं योजना में अभी भी अधिष्ठापित किए जाने वाले नए एफ.एम. ट्रांसमीटरों की सूची (संख्या 113)

I. नए एफ.एम. स्टेशन - संख्या 73

नए एफ.एम. स्टेशन		(संख्या)
1		2
आंध्र प्रदेश		
1.	काकीनाड़ा	10 कि.वा.
2.	करीमनगर	5 कि.वा.
3.	श्रीकाकुलम	1 कि.वा.
4.	नेल्लोर	10 कि.वा.
5.	महबूबनगर	10 कि.वा.
6.	सुर्यपेट	10 कि.वा.
अरुणाचल प्रदेश		
7.	अनीनी	1 कि.वा.
8.	बोमडीला	1 कि.वा.
9.	दापोरीजो	1 कि.वा.
10.	चंगलंग	1 कि.वा.
11.	खोनसा	1 कि.वा.
असम		
12.	करीमगंज	1/5 कि.वा.
13.	लुमडिंग	1/5 कि.वा.
14.	गोलपारा	1/5 कि.वा.
बिहार		
15.	गया	10 कि.वा.
16.	मोतीहारी	10 कि.वा.
17.	बंका	10 कि.वा.

1	2
18. मधुबनी	10 कि.वा.
छत्तीसगढ़	
19. दंतवाड़ा	5 कि.वा.
20. राजनन्दगांव	5 कि.वा.
21. जसपुरनगर	5 कि.वा.
22. बैकुंठपुर	5 कि.वा.
गुजरात	
23. जामनगर	10 कि.वा.
24. जूनागढ़	10 कि.वा.
हरियाणा	
25. अम्बाला	5 कि.वा.
झारखंड	
26. धनबाद	10 कि.वा.
27. डुमका	5 कि.वा.
28. गुमला	5 कि.वा.
कर्नाटक	
29. शृंगेरी	10 कि.वा.
30. बेल्लारी	10 कि.वा. (1 कि.वा. एफ.एम. टी.एक्स. के अन्तरिम ढांचे के साथ चालू किया गया)
केरल	
31. कोन्नी	5 कि.वा.
मध्य प्रदेश	
32. उज्जैन	5 कि.वा.
महाराष्ट्र	
33. शिरड़ी	5 कि.वा.
34. ओरस	5 कि.वा.
35. अमरावती	10 कि.वा.
मणिपुर	
36. तेमंनलंग	1/5 कि.वा.
37. उखरूल	1/5 कि.वा.
मेघालय	
38. दावकी	1/5 कि.वा.
मिजोरम	
39. चमफई	1/5 कि.वा.
40. तुईपांग	1/5 कि.वा.
41. कोलासीब/सरचिप	1/5 कि.वा.
नागलैंड	
42. फेक	1 कि.वा.
43. जुनहीबोटो	1 कि.वा.
44. वोखा	1 कि.वा.
उड़ीसा	
45. देवगढ़	5 कि.वा.
46. रायगदा	5 कि.वा.
47. रायरंगपुर	1/5 कि.वा.
48. परलाकीमिडी	5 कि.वा.
पंजाब	
49. फाजिल्का	10 कि.वा.
50. अमृतसर	20 कि.वा.
राजस्थान	
51. रामगढ़	20 कि.वा.
52. चौटनहौल	20 कि.वा.

1	2
तमिलनाडु	
53. कांचीपुरम	5 कि.वा.
त्रिपुरा	
54. उदयपुर	1/5 कि.वा.
55. नूतन-बाजार	1/5 कि.वा.
56. लौंगथैराई	5 कि.वा.
उत्तर प्रदेश	
57. गाजीपर	10 कि.वा.
58. बांदा	10 कि.वा.
59. लखीमपुर खीरी	10 कि.वा.
उत्तरांचल	
60. देहरादून	10 कि.वा.
61. हल्द्वानी	10 कि.वा.
62. बागेश्वर	5 कि.वा.
63. चम्पावत	1 कि.वा.
64. गेरसेन	1 कि.वा.
65. रूद्रप्रयाग	1 कि.वा.
66. न्यू टिहरी	1 कि.वा.
पश्चिम बंगाल	
67. दार्जिलिंग	10 कि.वा.
68. पुरूलिया	10 कि.वा.
69. मालदाह	10 कि.वा.
70. कूचबिहार	10 कि.वा.
71. बरधामन	10 कि.वा.
72. तमलुक	5 कि.वा.
73. बालुरघाट	10 कि.वा.

II. मौजूदा स्टेशनों पर अतिरिक्त एफ.एम. चैनल संख्या 26)

1	2
आंध्र प्रदेश	
1. हैदराबाद	10 कि.वा.
अरुणाचल प्रदेश	
2. ईटानगर	10 कि.वा.
असम	
3. सिलचर	5 कि.वा.
4. गुहावाटी	10 कि.वा.
बिहार	
5. पटना	10 कि.वा.
चण्डीगढ़	
6. चण्डीगढ़	10 कि.वा.
छत्तीसगढ़	
7. रायपुर	10 कि.वा. (1 कि.वा. एफ.एम. टी.एक्स. के अन्तरिम ढांचे के साथ चालू किया गया)
गुजरात	
8. भुज	10 कि.वा.
9. अहमदाबाद	10 कि.वा.
हरियाणा	
10. रोहतक	10 कि.वा. (1 कि.वा. एफ.एम. टी.एक्स. के अन्तरिम ढांचे के साथ तैयार)
हिमाचल प्रदेश	
11. शिमला	10 कि.वा. (1 कि.वा. एफ.एम. टी.एक्स. के अन्तरिम ढांचे के साथ तैयार)

1	2
जम्मू और कश्मीर	
12. श्रीनगर	10 कि.वा.
झारखंड	
13. रांची	10 कि.वा.
कर्नाटक	
14. गुलबर्गा	10 कि.वा. (1 कि.वा. एफ.एम. टी.एक्स. के अन्तरिम ढांचे के साथ तैयार)
केरल	
15. त्रिवेंदरम	10 कि.वा.
मध्य प्रदेश	
16. भोपाल	10 कि.वा.
नागालैंड	
17. कोहिमा	10 कि.वा. (1 कि.वा. एफ.एम. टी.एक्स. के अन्तरिम ढांचे के साथ तैयार)
उड़ीसा	
18. बवानी पटना	10 कि.वा.
राजस्थान	
19. उदयपुर	10 कि.वा. (1 कि.वा. एफ.एम. टी.एक्स. के अन्तरिम ढांचे के साथ चालू किया गया)
20. बीकानेर	10 कि.वा.
21. अजमेर	10 कि.वा.
सिक्किम	
22. गंगटोक	10 कि.वा.

1	2
तमिलनाडु	
23. तिरूनेलवल्ली	10 कि.वा.
24. मदुरई	10 कि.वा. (1 कि.वा. एफ.एम. टी.एक्स. के अन्तरिम ढांचे के साथ चालू किया गया)
उत्तर प्रदेश	
25. गोरखपुर	10 कि.वा. (1 कि.वा. एफ.एम. टी.एक्स. के अन्तरिम ढांचे के साथ चालू किया गया)
पाण्डिचेरी	
26. पाण्डिचेरी	10 कि.वा. (1 कि.वा. एफ.एम. टी.एक्स. के अन्तरिम ढांचे के साथ चालू किया गया)

मौजूदा भी.वे. ट्रां से एफ.एम. ट्रां में प्रतिस्थापन (संख्या 14)

आंध्र प्रदेश	
1. अदिलाबाद	10 कि.वा.
2. विजयवाडा	10 कि.वा.
दिल्ली	
3. दिल्ली	20 कि.वा.
महाराष्ट्र	
4. औरंगाबाद	10 कि.वा. (1 कि.वा. एफ.एम. टी.एक्स. के साथ अन्तरिम ढांचा चालू किया गया)
5. शोलापुर	10 कि.वा.
नागालैंड	
6. तेनसांग	5 कि.वा.
7. मोन	5 कि.वा.

1	2
उड़ीसा	
8. भुवनेश्वर	10 कि.वा.
9. बरीपाडा	5 कि.वा.
पंजाब	
10. जालंधर	10 कि.वा.
राजस्थान	
11. जयपुर	10 कि.वा.
उत्तर प्रदेश	
12. वाराणसी	10 कि.वा. (1 कि.वा. एफ.एम. टी.एक्स. के साथ अन्तरिम ढांचा चालू किया गया)
13. कानपुर	10 कि.वा. (1 कि.वा. एफ.एम. टी.एक्स. के साथ अन्तरिम ढांचा चालू किया गया)
14. लखनऊ	10 कि.वा.

चरण-II के लिए प्रस्तावित निजी एफ.एम. स्टेशनों का विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	शहर	चैनलों की उपलब्ध संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	7
		विजयवाड़ा	2
		विशाखापट्टनम	3
		राजामुंदरी	4
		तिरूपत्ति	2
		वारंगल	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर	4
3.	असम	गुवाहाटी	4
4.	बिहार	पटना	4
		मुज्जफरपुर	4
5.	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	4
		रायपुर	4
6.	गोवा	पणजी	3
7.	गुजरात	सूरत	4
		अहमदाबाद	5
		राजकोट	3
		वडोदरा	4
8.	हरियाणा	हिसार	4
		करनाल	2
9.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	4
10.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	4
		जम्मू	3
11.	झारखण्ड	रांची	4
		जमशेदपुर	4
12.	कर्नाटक	बंगलौर	7
		गुलबर्गा	4
		मंगलौर	4
		मैसूर	4
13.	केरल	तिरूअनंतपुरम	4
		कोचिन	3
		कोजीकोड	2
		त्रिशूर	4
		कन्नूर	4

1	2	3	4
14.	मध्य प्रदेश	सागर	4
		भोपाल	4
		इंदौर	3
		जबलपुर	4
		ग्वालियर	4
15.	महाराष्ट्र	शोलापुर	3
		मुम्बई	5
		पुणे	3
		नागपुर	6
		अहमदनगर	3
		दुले	2
		जलगांव	4
		कोल्हापुर	2
		नांदेड	4
		नासिक	2
		सांगली	2
		अकोला	4
		औरंगाबाद	3
16.	मणिपुर	इम्फाल	4
17.	मेघालय	शिलांग	4
18.	मिजोरम	एजवाल	4
19.	नागालैंड	कोहिमा	4
20.	उड़ीसा	राऊरकेला	4
		भुवनेश्वर/कटक	4
21.	पंजाब	अमृतसर	4
		जालंधर	4
		पटियाला	4
22.	राजस्थान	जयपुर	5
		अजमेर	4
		जोधपुर	4
		बीकानेर	4
		कोटा	4
		उदयपुर	4
23.	सिक्किम	गंगटोक	4
24.	तमिलनाडु	चेन्नई	6
		तिरूचि	4
		तिरूनेलवेली	3
		टुटीकोरीन	4
		कोयम्बटुर	3
		मदुरई	3
25.	त्रिपुरा	अगरतला	4
26.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	2
		कानपुर	3
		आगरा	3
		इलाहाबाद	4
		वाराणसी	4
		अलीगढ़	2
		बरेली	4
		गोरखपुर	4
		झांसी	4
27.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	5
		असनसोल	2
		सिलीगुड़ी	4

1	2	3	4
28.	दिल्ली	दिल्ली	6
29.	अण्डमान और निकोबार	पोर्ट ब्लेयर	4
30.	दमन और द्वियू	दमन	2
31.	पाण्डिचेरी	पाण्डिचेरी	3

टी.वी. के लिए विनियामक निकाय

*73. **श्री बालासाहिब विखे पाटील:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित होने वाले समाचारों और मनोरंजन कार्यक्रमों की निगरानी हेतु एक विनियामक निकाय स्थापित करने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) जी, हां। ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। इसलिए, कोई समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती है।

मिट्टी के तेल की कमी

*74. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल:**
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मिट्टी के तेल की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत निजी क्षेत्र की इकाइयों सहित तेल शोधक कारखानों को अपना मिट्टी के तेल का उत्पादन बढ़ाने के निर्देश जारी किये थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस पर तेल शोधक कारखानों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कराए गए अध्ययनों से पता चला है कि निर्धन व्यक्ति के इस ईंधन की कोई कमी नहीं है, बल्कि वितरण प्रणाली में ही भारी खामी है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी नहीं। जबकि देश में शोधन क्षमता सार्वजनिक वितरण प्रणाली (सा.वि.प्र.) मिट्टी तेल की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, रिफाइनरियों में जेट मिट्टी तेल द्वारा सुपीरियर मिट्टी तेल (जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किया जाता है) के उत्पादन के प्रतिस्थापन के लि. प्रौद्योगिकीय लोच है। सा.वि.प्र. मिट्टी तेल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तेल विपणन कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र - दोनों में देश में सभी रिफाइनरियों के साथ पर्याप्त आपूर्तियां सुनिश्चित करने के तरीकों पर चर्चा कर रही हैं।

(ख) से (घ) विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग ने यह पुष्टि की है कि केन्द्रीय सरकार के पास सार्वजनिक और निजी - दोनों क्षेत्रों में मिट्टी तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए रिफाइनरियों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आदेश जारी करने के लिए शक्तियां हैं। जबकि रिफाइनरियों को मिट्टी तेल की न्यूनतम मात्रा का उत्पादन करने के लिए निदेश देने के प्रस्ताव की जांच की गई है तेल विपणन कंपनियों को प्रथमतया सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की रिफाइनरियों के साथ मामले पर चर्चा करने की सलाह दी गयी है।

(ङ) और (च) सरकार को बेईमान तत्वों द्वारा मिलावट और अन्य गैर कानूनी दुरुपयोग और कदाचार के लिए मिट्टी तेल के विपथन करने हेतु किए गए प्रयासों के बारे में जानकारी है। उपलब्धता सुनिश्चित करने और विपथन कम करने के लिए सरकार ने प्राथमिक उद्देश्य के साथ सा.वि.प्र. मिट्टी तेल वितरण नेटवर्क का आमूल-चूल सुधार करने के लिए एक नई प्रायोगिक परियोजना का अनुमोदन किया है कि यह अत्यधिक राजसहायता प्राप्त परियोजना अभीष्ट लाभार्थियों को रियायती मूल्यों पर वांछित मात्राओं में वास्तविक रूप से उपलब्ध करवाई जाए और द्वितीयत: इस प्रकार मिलावट के लिए सा.वि.प्र. मिट्टी तेल का विपथन नियंत्रित, विपरीत और अन्ततः समाप्त किया जा सके। इस प्रायोगिक परियोजना को छह महीनों की अवधि के लिए देश के 10% ब्लाकों में लागू किया जाना है। इसके बाद योजना की कार्यप्रणाली का स्वतंत्र रूप से निर्धारण किया जाएगा और प्राप्त अनुभव के आधार पर सरकार पूरे देश को समाहित करने के लिए योजना को बढ़ाने पर विचार

करेगी। यह आशा है कि इस योजना के कार्यान्वयन समाज के हकदार तबकों को रियायती एस.के.ओ. की आपूर्ति में महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी और इस प्रकार यह मिलावट के लिए विपथन को नियंत्रित करने में योगदान करेगा।

[हिन्दी]

रेलवे ओवर ब्रिजों और रेलवे अंडर ब्रिजों का निर्माण

***75. श्री हरिकेवल प्रसाद:**

श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे ओवर ब्रिजों और रेलवे अंडर ब्रिजों के निर्माण संबंधी मानदंड/मापदंड क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने रेलवे ओवर ब्रिजों (आर.ओ.बी.)/रेलवे अंडर ब्रिजों (आर.यू.बी.) का निर्माण किया गया है;

(ग) क्या इस संबंध में निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के बावजूद भी कई स्थानों पर रेलवे ओवर ब्रिजों और रेलवे अंडर ब्रिजों का निर्माण नहीं कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) से (ङ) रेलवे उन व्यस्त समपारों के स्थान पर संबंधित राज्य सरकार/सड़क प्राधिकारियों के साथ लागत में भागीदारी के आधार पर ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण करती है, जिन समपारों पर यातायात का घनत्व एक लाख गाड़ी वाहन इकाई (टी.वी.यू.) से अधिक होता है अन्यथा ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण निक्षेप शर्तों पर किया जाता है। दोनों ही स्थितियों में कतिपय प्रारंभिक पूर्व अपेक्षाएं विधिवत पूरी करते हुए संबंधित राज्य सरकार/सड़क प्राधिकारियों को प्रस्ताव प्रायोजित करने होते हैं। राज्य सरकार/सड़क प्राधिकारियों को प्रस्ताव के साथ-साथ निम्नलिखित मुख्य वचनबद्धताएं प्रस्तुत करनी होती हैं:-

(i) ऊपरी/निचले सड़क पुल को यातायात के लिए चालू करने पर राज्य सरकार/सड़क प्राधिकारी उस समपार को बंद कर देंगे।

(ii) राज्य सरकार/सड़क प्राधिकारी इस कार्य की लागत में अपने हिस्से का अंशदान करेंगे।

(iii) जहां-कहीं अपेक्षित हो राज्य सरकार/सड़क प्राधिकारी पहुंच मार्गों के लिए भूमि अधिगृहीत करने के लिए काफी समय रहते कार्रवाई करेंगे।

(iv) राज्य सरकार/सड़क प्राधिकारी अपनी वार्षिक योजना आदि में इस कार्य को यथोचित प्राथमिकता देंगे।

इस कार्य की कुल लागत में रेलवे तथा राज्य सरकार/सड़क प्राधिकारियों की 50:50 की भागीदारी रहती है। बहरहाल, पहुंचमार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण तथा उस पर संरचना के निर्माण अथवा मार्ग परिवर्तन की लागत प्रस्ताव प्रायोजित करने वाली राज्य सरकार/सड़क प्राधिकारियों द्वारा वहन की जाती है।

(ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान निर्मित ऊपरी/निचले सड़क पुलों की संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष		ऊपरी/निचले सड़क पुलों की संख्या
2002-03	–	17
2003-04	–	20
2004-05	–	19

(ग) से (ङ) विभिन्न राज्य सरकारों/सड़क प्राधिकारियों के प्रस्तावों तथा उक्त पैरा (क) में यथा उल्लिखित मानदंडों को पूरा किए जाने के मद्देनजर लागत में भागीदारी के आधार पर स्वीकृत निर्माण कार्यों में से कुछ कार्यों के निष्पादन की प्रगति मुख्यत: निम्नलिखित ताकणों की वजह से धीमी पाई गई है:-

- राज्य सरकार/सड़क प्राधिकारियों द्वारा पहुंचमार्ग के संरेखण को अंतिम रूप देने, भूमि अधिग्रहण तथा पहुंचमार्गों के मार्ग में आने वाले अतिक्रमणों को हटाने में देरी।
- राज्य सरकार/सड़क प्राधिकारियों द्वारा सामान्य व्यवस्था आरेखों को अंतिम रूप देने, पहुंचमार्गों के लिए अनुमान तैयार करने तथा उन्हें स्वीकृत करने में विलंब।
- धनराशि की तंगी और निर्माण कार्यों को राज्य सरकारों द्वारा अपनी वार्षिक योजना में शामिल न किया जाना।

बैठकों तथा बातचीत के जरिए राज्य सरकार/सड़क

प्राधिकारियों को इन कार्यों में तेजी लाने के लिए नियमित रूप से प्रेरित किय ाता है।

[अनुवाद]

कम बजट वाली एयरलाइनों के साथ रेलवे की प्रतिस्पर्धा

***76. श्री सग्रीव सिंह:**

श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार उच्च श्रेणी के रेल यात्रियों को सीधे लक्ष्य करते हुए शुरू की गई कम बजट वाली एयरलाइनों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के उपाय करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपाय किए गए/किए जाने वाले हैं;

(ग) क्या रेलवे ने वर्ष 2003-2004, 2004-2005 और आज की तिथि तक यात्रियों से होने वाली आय के रूझान का कोई मूल्यांकन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) और (ख) रेलवे को हवाई सेवाओं, विशेषकर कम लागत वाली हवाई सेवाओं के साथ, प्रतिस्पर्धा के बारे में जानकारी है। लेकिन ये हवाई सेवाएं कम किरायों पर बहुत ही कम सीटों की पेशकश कर रही हैं और इसके साथ यात्रा, बुकिंग एवं रद्दकरण आदि से संबंधित कई शर्तें जुड़ी होती हैं। प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए रेलों द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है:-

(i) अतिरिक्त गाड़ियां चलाकर गाड़ियों में बैठने के स्थान की उपलब्धता बढ़ाना।

(ii) मांग को पूरा करने के उद्देश्य से अधिक लोकप्रिय गाड़ियों में सवारी डिब्बों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम करना।

(iii) प्रतीक्षा सूची को क्लीयर करने के लिए गाड़ियों में अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगाना।

(iv) कोचिंग स्टॉक के उपयोग में सुधार करना ताकि सवारी डिब्बों की कमी को दूर किया जा सके।

(ग) और (घ) वित्त वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 के दौरान यात्री यातायात से होने वाली वास्तविक और 2005-06 (अप्रैल-जून 2005 तक) के दौरान अनुमानित आमदनी नीचे लिखे अनुसार है:-

वित्त वर्ष	आमदनी (करोड़ रुपयों में)
2003-2004	13,298
2004-05	14,113 (अनंतिम)
2005-06 (जून, 2005 तक)	3809 (अनुमानित)

[हिन्दी]

संकटापन्न स्थलों की सूची में भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों को शामिल करना

***77. श्री मोहन सिंह:**

श्री राजेन्द्र कुमार:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्मारक कोष (डब्ल्यू.एम.एफ.) के **'100 अत्यधिक संकटापन्न स्थलों - 2006 की सूची'** में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण कुछ भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन स्थलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन स्थलों के संरक्षण के लिए कोई योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, हां। संयुक्त राज्य अमरीका आधारित एक लाभ-निरपेक्ष (नॉन-प्रॉफिट) अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व स्मारक निधि ने अपने "विश्व स्मारक सतर्कता (वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच)" में वर्ष 2006 के लिए विश्व में 100 सर्वाधिक संकटग्रस्त स्थलों में भारत से निम्नांकित चार स्थलों को सूचीबद्ध किया है:-

1. सुमदा मठ और गुरू लाखंग, लद्दाख, जम्मू एवं कश्मीर
2. वेट्सन होटल, मुम्बई, महाराष्ट्र

3. धनकर मठ, स्पीती, हिमाचल प्रदेश

4. डलहौजी स्कवैयर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल

इनमें से कोई भी स्मारक/स्थल केन्द्रीय संरक्षित नहीं है।

(ख) से (घ) भारत में विश्व स्मारक निधि के संयोजक ने सूचित किया है कि वेट्सन होटल, मुम्बई के लिए एक संरक्षण योजना तैयार की गई है और शेष तीन स्थलों के लिए ऐसी कोई योजना उपलब्ध नहीं है।

स्टेशनों पर और रेलगाड़ियों में सुरक्षा व्यवस्था

*78. **श्री बापू हरी चौरे:**

श्री सुरेश अंगड़ि:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूरे देश के रेलवे स्टेशनों पर और रेलगाड़ियों में, विशेषकर देश में आत्मघाती आतंकवादी हमलों के मद्देनजर किए गए सुरक्षा प्रबन्धों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अधिकांश रेलवे स्टेशनों पर और रेलगाड़ियों में, विशेष रूप से दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर, पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं है;

(ग) यदि हां, तो सुरक्षा बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या विद्यमान सुरक्षा व्यवस्था की प्रभाविता का पता लगाने हेतु रेलवे स्टेशनों पर और रेलगाड़ियों में कृत्रिम अभ्यास किये गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) से (ग) जी नहीं। भारत के संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 2 के अनुसार 'पुलिस' का विषय (रेलवे और ग्रामीण पुलिस सहित) राज्य का विषय है। इसलिए रेलवे परिसरों और चलती रेलगाड़ियों में अपराध की रोकथाम, मामले दर्ज किया जाना, उनकी छानबीन और कानून एवं व्यवस्था का रखरखाव राज्य पुलिक का सांविधिक उत्तरदायित्व है। रेलों पर कानून एवं व्यवस्था संबंधी मामलों पर कार्रवाई करने के लिए राज्य पलिस के पास राजकीय रेल पुलिस (रा.रे.पु.) नामक एक पृथक् स्कंध होता है। अपराध की रोकथाम तथा उनका पता लगाना राज्य सरकारों का सांविधिक उत्तरदायित्व है और इसलिए रेल मंत्रालय को रेलों पर अपराधों पर नियंत्रण हेत अधिकांशत: उन पर निर्भर रहना पड़ता है।

राजकीय रेल पुलिस (राज्यों/संघशासित क्षेत्र की सरकारों के अधीन) आवश्यकताओं और सुरक्षा को जोखिम के स्तरों, उनकी जरूरतों आदि के अनुसार सुरक्षा व्यवस्थाओं का समन्वय करती हैं। रेलवे ऐसी परिस्थितियों में सुचारू गाड़ी परिचालन एवं यात्रियों, पार्सल एवं सामान का परिवहन सुसाध्य बनाने के उद्देश्य से रेलों से संबंधित पहलुओं के संबंध में सक्रिय रूप से सहायता करती है।

दिल्ली क्षेत्र के स्टेशनों से छूटने वाली और वहां से गुजरने वाली गाड़ियों का राजकीय रेल पुलिस और रेल सुरक्षा बल द्वारा आवश्यकताओं की आवधिक रूप से समीक्षा करते हुए तथा आकस्मिक जांच करते हुए मार्गरक्षण किया जाता है। अनुरक्षण लाइनों पर रेकों की चौकीदारी, प्लेटफॉर्म पर पहुंचने तक रेकों को बंद रखने आदि जैसे बुनियादी सुरक्षा पूर्वोपाय किए जाते हैं। यात्रियों को लावारिस सामान, अजनबियों की संदेहास्पद आवाजाही आदि के बारे में सचेत रखने के लिए गाड़ियों और रेल परिसरों में सचित्र प्रदर्शन किये जाते हैं। जन उद्घोषणा प्रणाली और प्रदर्श टेलीविजन प्रणाली के माध्यम से यात्रियों को नियमित रूप से सचेत किया जाता है। संवेदनशील स्टेशनों पर राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा और उनके पास मौजूद अतिरिक्त बलों के द्वारा रेलों के साथ समन्वय कर पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है।

बहरहाल, गाड़ियों और यात्री क्षेत्रों में यात्रियों को बेहतर सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए रेलों को रेल सुरक्षा बल के माध्यम से **रेलों पर अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए राज्यों/संघशासित क्षेत्र की सरकारों के प्रयासों में मदद करने हेतु** रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 और रेल अधिनियम, 1989 में संशोधन किया गया है। कई गाड़ियों का मार्गरक्षण करने के लिए रेल सुरक्षा बल को तैनात किया जा रहा है और राज्य पुलिस के प्रयासों में सहायता करने हेतु उन्हें यात्री क्षेत्रों में भी तैनात किया जाता है। रेल अधिनियम में जुलाई 2004 से संशोधन करके रेलों पर प्राधिकृत अधिकारियों को भी (धारा 150 से 152 के अंतर्गत अभिध्वंस संबंधी वारदातों को छोड़कर) गाड़ी परिचालनों को प्रभावित करने वाली छोटी वारदातों जैसे खतरे की जंजीर खींचना, छत पर यात्रा करना, दलाली, बिना टिकट यात्रा, अनधिकृत प्रवेश आदि पर कार्रवाई करने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि राज्य सरकार (राजकीय रेल पुलिस) को भारतीय दंड संहिता, रेल अधिनियम और देश के अन्य कानूनों के उपबंधों के अंतर्गत अभिध्वंस एवं गाड़ी तोड़फोड़ सहित आतंकवादी गतिविधियों, कत्ल, डकैती, चोरी, बलात्कार आदि जैसे जघन्य अपराधों को संभालने के लिए अधिक जनशक्ति एवं समय हासिल हो सके।

जुलाई, 2004 से मार्च, 2005 की अवधि के दौरान रेलों ने रेल अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत 5,48,411 व्यक्तियों पर मुकदमे चलाए हैं। उनसे जुर्माने के रूप में 8.78 करोड़ रुपये की राशि बसूली गई है। इस प्रकार रेलों ने अत्यधिक विश्वास के साथ नए उत्तरदायित्वों का सराहनीय तरीके से निर्वाह किया है।

रेल सुरक्षा बल राज्य सरकारों के साथ समन्वय कर प्रतिदिन अनेक महत्त्वपूर्ण गाड़ियों में औसतन 1128 मार्गरक्षी दल उपलब्ध करा रहा है, जिसके लिए औसतन 3443 कर्मचारियों को तैनात किया जाता है। रेल सुरक्षा बल द्वारा प्रतिदिन औसतन 2774 कार्मिकों की तैनाती के साथ 577 स्टेशनों पर अतिरिक्त सुरक्षा भी उपलब्ध कराई जा रही है। सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से गाड़ियों और रेल परिसरों में राजकीय रेल पुलिस कार्मिकों की तैनाती के अलावा ये तैनातियां की गई हैं।

जुलाई, 2004 से मार्च, 2005 तक रेल सुरक्षा बल द्वारा नशीली दवाएं खिलाने के 90 मामले, सामान चुराने के 151 मामले, गैरकानूनी शस्त्रों के 44 मामले, सोने की जंजीर/मंगलसूत्र खींचने के 51 मामले, चरस/गांजा की तस्करी के 222 मामले, जेब काटने के 13 मामले, महिलाओं के विरुद्ध वारदात के 11 मामले और अन्य वारदातों (भारतीय दंड संहिता) के 253 मामले पता लगाए गए और राजकीय रेल पुलिस को सौंपे गए हैं। इसके अलावा, वारदात को अविलंब दर्ज किए जाने और तत्संबंधी जांच के लिए प्रभावित यात्रियों से 790 प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) स्वीकार की गईं और राजकीय रेल पुलिस को सौंपी गईं। रेल सुरक्षा बल ने रेलवे स्टेशनों और गाड़ियों से 130 नाबालिग लड़कियों एवं लड़कों को भी गलत लोगों के चंगुल से बचाया है और उन्हें उनके अभिभावकों अथवा गैर-सरकारी संगठनों को सौंपा है।

1 जुलाई, 2004 से रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 और रेल अधिनियम, 1989 के संशोधन के बाद गाड़ियों और रेल परिसरों में डकैती, लूटपाट, चोरी, यात्रियों के सामान की चोरी की वारदातों में कमी दिखाई दी है। जनवरी से जून, 2004 की पिछली तदनुरूपी अवधि के दौरान रिपोर्ट किए गए डकैती के 82 मामलों, चोरी के 201 मामलों और यात्रियों के सामान की चोरी के 6066 मामलों की तुलना में जुलाई से दिसंबर, 2004 की छह माह की अवधि के दौरान डकैती के 50 मामले, चोरी के 198 मामले और यात्रियों के सामान की चोरी के 5542 मामले रिपोर्ट किए गए हैं।

रेल सुरक्षा बल को अतिरिक्त सड़क वाहनों (9 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 48 वसों, 152 जीपों और 119 मोटरसाइकिलों) से लैस किया गया है। संचार उपकरणों (4 करोड़ रुपये से अधिक लागत के 3142 अदद 5 वॉट वॉकी-टॉकी सेटों तथा 123 अदद 25 वॉट वी.एच.एफ.) की खरीद के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2004-05 के दौरान 1000 अदद 5.56 मिमी आई.एन.एस.ए.एस. राइफलों (लागत 2.95 करोड़ रुपये) जैसे कॉम्पैक्ट एवं प्रभावी शस्त्रों के अलावा 500 अदद 9 मिमी कारबाइन (लागत 67.59 लाख रुपये) खरीदी गई हैं।

रेलवे स्टेशनों पर और गाड़ियों में उपयुक्त सुरक्षा पर निगरानी रखने के लिए अपराध संबंधी मामलों तथा यात्री गाड़ियों एवं यात्री क्षेत्रों के उपयुक्त मार्गरक्षण पर विचार-विमर्श करने हेतु सभी स्तरों पर अर्थात् क्षेत्रीय रेल स्तर और बोर्ड स्तर पर राजकीय रेल पुलिस प्रमुखों तथा रेल सुरक्षा बल प्रमुखों के बीच समय-समय पर नियमित रूप से समन्वय बैठकें/सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं।

(घ) और (ङ) स्टेशनों पर और गाड़ियों में सुरक्षा व्यवस्था की कारगरता की जांच करने के लिए रेल सुरक्षा बल के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय-समय पर आकस्मिक जांचें की जाती है।

महिला यात्रियों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए रेलों द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और पटना के उपनगरीय सेक्शनों के प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षिणी, तेजस्विनी, दुर्गावाहिनी और भैरवी के रूप में विशेष दस्ते तैनात किए गए हैं जिनमें रेल सुरक्षा बल की महिला सिपाही और महिला टिकट परीक्षक होती हैं। इसके अलावा, मुंबई उपनगरीय सेक्शनों पर रात्रि में सशस्त्र राजकीय रेल पुलिस कार्मिक महिला सवारी डिब्बों का मार्गरक्षण कर रहे हैं। महिला यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रभावित सेक्शनों पर अतिरिक्त रेल सुरक्षा बल कार्मिक तैनात किए गए हैं।

निजी विमान कंपनियों द्वारा उड़ानें रद्द करना

***79. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:**

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निजी विमान कंपनियां सस्ती विमान यात्रा के नाम पर सुरक्षा मानदण्डों का खुला उल्लंघन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि ये निजी विमान कंपनियां किसी भी समय बिना कोई कारण बताए अपनी उड़ानें रद्द कर देती हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है;

(घ) क्या सरकार को इण्डियन एयर ट्रैवलर्स एसोसिएशन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) ऐसी कोई सूचना सरकार के नोटिस में नहीं आई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) हाल ही में ऐसा कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तेल अन्वेषण के कार्य में संलग्न कंपनियां

***80. श्री जुएल ओराम:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में तेल और गैस अन्वेषण के कार्य में संलग्न कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने तेल और गैस के नए भंडारों का पता चलने का खुलासा करने के लिए तेल और गैस अन्वेषण के कार्य में संलग्न कंपनियों हेतु कोई दिशानिर्देश जारी किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) देश में तेल और गैस के अन्वेषण और उत्पादन में संलग्न भारतीय और विदेशी कंपनियों की सूची विवरण में संलग्न है।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा विभिन्न भारतीय और विदेशी कंपनियों के साथ हस्ताक्षर की गई उत्पादन हिस्सेदारी संविदाएं (पी.एस.सीज) संविदाकारों को बाध्य करती हैं कि वे सरकार को संविदा के क्षेत्र में की गई किसी हाइड्रोकार्बन खोज के बारे में सूचित करें और उसमें विनिर्दिष्ट समयावधि में यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण करें कि क्या की गई खोज का कोई वाणिज्यिक हित है। उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं में खोजों के मूल्यांकन का भी प्रावधान है जिससे उनकी वाणिज्यिकता का निर्धारण किया जा सके। संविदाकारों को खोजों की सारी संबंधित सूचना हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय को भेजनी होती है।

विवरण

यहां तक भारत में अन्वेषण ब्लाकों और खोजे गए क्षेत्रों के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं का संबंध है, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की निम्नलिखित कंपनियां भारत में कार्यरत हैं

1. निजी कंपनियां

(क) भारतीय कंपनियां

1. पेट्रोकान इंडिया लिमिटेड (पहले वीडियोकान पेट्रोलियम लि.)
2. रिलायंस इंटस्ट्रीज लि.
3. हिन्दुस्तान आयल एक्सप्लोरेशन कंपनी
4. सेलन एक्सप्लोरेशन टेक्नोलाजीस
5. असम कंपनी लि.
6. टाटा पेट्रोडाइन लि.
7. एस्सार आयल लि.
8. इंटरलिंक पेट्रोलियम
9. जुबिलिएंट एनप्रो प्रा.लि.
10. फीनिक्स ओवरसीज लि.
11. एनप्रो फाइनेन्स लि.
12. प्राइज पेट्रोलियम कंपनी लि.

(ख) विदेशी कंपनियां

1. ब्रिटिश गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इंडिया लि. (बी.जी. एनर्जी होल्डिंग्स लि., यू.के. की सहायक कंपनी)
2. कैर्न एनर्जी कैम्बे बी.वी. नीदरलैंड्स (कैर्न एनर्जी पी.एल.सी., यू.के. की सहायक कंपनी)

3. कैर्न एनर्जी गुजरात बी.वी. नीदरलैंड्स (कैर्न एनर्जी पी.एल.सी., यू.के. की सहायक कंपनी)

4. कैर्न एनर्जी इंडिया वेस्ट बी.वी. नीदरलैंड्स (कैर्न एनर्जी पी.एल.सी., यू.के. की सहायक कंपनी)

5. कैर्न एनर्जी इंडिया पी.टी.वाई लि. (कैर्न एनर्जी पी.एल.सी., यू.के. की सहायक कंपनी)

6. कोनोरो रिसोर्सेस लि., कनाडा

7. ज्यो ग्लोबल रिसोर्सेस इंक, कनाडा

8. ज्यो पेट्रोल इन्टरनेशनल इंक, फ्रांस

9. हार्डी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इंडिया इंक (हार्डी ऑयल एंड गैस लि., यू.के. की सहायक कंपनी)

10. हेरामेक लि. (हेरीटेज ऑयल कार्पोरेशन, यू.के. की सहायक कंपनी)

11. जोशी टेकनोलाजीस इंक, यू.एस.ए.

12. मोसबाशर इंडिया एल.एल.सी. (मोसबाशर एनर्जी, यू.एस.ए. की सहायक कंपनी)

13. नीको रिसोर्सेस लि., कनाडा

14. ओ.ए.ओ, गेजप्राम, रूस

15. ओकलैंड इंटरनेशनल एल.डी.सी., यू.एस.ए.

16. पोलिश ऑयल एंड गैस कंपनी, पोलैंड

17. राव्या ऑयल (सिंगापोर) प्रा. लि. (मारूबेनी कार्पोरेशन, जापान की सहायक कंपनी)

18. तुल्लो इंडिया आपरेशन्स लि. (तुल्लो ऑयल पी.एल.सी., आयरलैंड की सहायक कंपनी)

19. प्रीमियर ऑयल नार्थ ईस्ट इंडिया (प्रीमियर ऑयल, यू.के. की सहायक कंपनी)

2. सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम:

1. ऑयल इंडिया लि.

2. ओ.एन.जी.सी.

3. गेल (इंडिया) लि.

4. आई.ओ.सी.

5. गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (गुजरात राज्य उपक्रम)

6. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.

7. भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.

खजुराहो मंदिर का जीर्णोद्धार

637. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के खजुराहो में पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान विदेशियों सहित कुल कितने पर्यटक आए;

(ख) क्या सरकार को खजुराहो मंदिर की खराब देखभाल तथा उसके आसपास अतिक्रमण की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने खजुराहो मंदिर के जीर्णोद्धार तथा अतिक्रमण तथा इस मंदिर से बहुमूल्य शिल्प की चोरी रोकने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जंयपाल रेड्डी): (क) पिछले 03 वर्षों के दौरान खजुराहो में आने वाले देशी और विदेशी पर्यटकों की कुल संख्या इस प्रकार है:-

2002-03	1,26,004
2003-04	1,70,720
2004-05	2,18,905

(ख) खजुराहो के स्मारकों का संरक्षण, संरक्षा और रख-रखाव अच्छी तरह से किया जा रहा है। स्मारकों का रख-रखाव एक सतत् प्रक्रिया है और जरूरी कार्य किए जा रहे हैं। खजुराहो मंदिर समूह के संरक्षित क्षेत्र में अतिक्रमण की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, आस-पास के क्षेत्र में गैर-कानूनी/अनधिकृत निर्माण की सूचना प्राप्त हुई थी जिसके लिए प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 तथा नियम, 1959 के उपबन्धों के तहत उक्त अनधिकृत निर्माण को हटाने के बारे में कार्रवाई शुरू की गई है।

(ग) और (घ) जी, हां। स्मारक के रख-रखाव और इसके आस-पास के भू-दृश्य निर्माण के लिए योजना बनाई गई है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित एवं नए अधिकृत क्षेत्र के इर्द-गिर्द बाड़ लगाकर मन्दिर और उसकी बहुमूल्य मूर्तिकला की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। संरक्षित स्मारक के आस-पास भूमि का अधिग्रहण करने के लिए जिला कलक्टर, छत्तरपुर के पास 3,21,79,037/- रुपए की राशि बतौर मुआवजा जमा करा दी गई है और प्रभावित व्यक्तियों को भुगतान दिए जाने की प्रक्रिया चल रही है।

[हिन्दी]

किशोर न्याय हेतु कार्यक्रम

638. श्री सुरेश चन्देल: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य सरकारों तथा संघ राज्य प्रशासनों से "किशोर न्याय हेतु कार्यक्रम" के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में राज्य/संघ सयराज्य क्षेत्रवार कितनी वित्तीय सहायता आवंटित तथा जारी की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार धनराशि के उपयोग तथा स्थापित किए गए किशोर गृहों तथा सहायता प्रदान किए किशोरों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) किशोर गृहों की स्थापना के लिए लंबित कार्यों का ब्यौरा क्या है तथा इनके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रदत्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर है। चालू वित्त वर्ष में आज की तारीख तक किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को कोई निधि जारी नहीं की गई है।

(ख) और (ग) किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) अधिनियम, 2000 के अंतर्गत स्थापित गृहों और उक्त अवधि के दौरान सहायता प्रदत्त संवासियों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गयी है। किसी वित्त वर्ष के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पूर्व वर्षों में उनके द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जारी निधियों का उचित उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर आगे निधियां जारी की जाती हैं। इन परियोजनाओं को पूरा करने का दायित्व राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का होता है। उन सभी राज्यों, जिन्हें वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) अधिनियम, 2000 के अतंर्गत गृहों का निर्माण के लिए निधि जारी की गई थी ने उन से प्राप्त उपयोगिता प्रमाणपत्रों के अनुसार परियोजनाएं पूरी कर ली थी। चालू वर्ष के दौरान प्राप्त उपयोगिता प्रमाणपत्रों/प्रस्तावों के अनुसार में कोई परियोजना लम्बित नहीं थी, जिनके लिए वर्ष 2004-05 के दौरान निधियां निर्मुक्त की गई थी।

विवरण-I

"किशोर न्याय कार्यक्रम" की योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2002-03 से 2005-06 के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त पूर्ण प्रस्ताव और निर्मुक्त वित्तीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	तमिलनाडु	1,13,59,850	1,24,68,380	1,38,17,803
2.	उड़ीसा	42,244	5,43,181	5,73,310
3.	राजस्थान	9,16,927	12,11,910	11,94,829
4.	सिक्किम	2,02,750	2,33,000	2,32,750

1	2	3	4	5
5.	हरियाणा	2,47,161	24,79,611	23,59,092
6.	मेघालय	6,99,819	9,13,000	9,92,465
7.	छत्तीसगढ़	23,56,000	54,18,000	90,10,580
8.	गोवा	4,12,070	1,24,800	4,95,140
9.	कर्नाटक	51,76,269	79,40,922	50,31,333
10.	नागालैंड	4,56,000	4,56,000	5,76,000
11.	गुजरात	47,59,110	65,91,209	70,00,000
12.	केरल	12,69,090	13,10,250	26,95,515
13.	मध्य प्रदेश	1,10,80,520	1,06,86,000	1,24,89,000
14.	असम	–	–	50,00,000
15.	महाराष्ट्र	5,09,15,385	7,42,75,581	7,52,27,851
16.	आंध्र प्रदेश	1,12,13,390	2,33,000	4,07,92,840
17.	पंजाब	23,04,170	30,56,150	64,95,780
18.	मिजोरम	15,90,582	32,37,000	15,77,791
19.	चंडीगढ़	–	–	6,00,000
20.	पश्चिम बंगाल	83,65,235	80,84,210	50,81,421
21.	त्रिपुरा	–	3,868	2,250
22.	दिल्ली	52,09,130	70,00,000	59,00,000
23.	बिहार	30,31,250	43,30,200	–
24.	हिमाचल प्रदेश	3,98,700	–	–
25.	उत्तर प्रदेश	1,89,10,990	1,27,34,530	–
26.	झारखंड	23,83,920	–	–
	कुल	14,33,00,562	16,39,30,802	19,71,45,750

विवरण-II

"किशोर न्याय कार्यक्रम" की योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2002-03 से 2005-06 के दौरान किशोर न्याय (देखभाल और सुरक्षा के जरूरतमंद बच्चों) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत स्थापित गृहों और इन गृहों में सहायता प्रदत्त बच्चों का विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2002-03		2003-04		2004-05	
		गृहों की संख्या	संवासियों की संख्या	गृहों की संख्या	संवासियों की संख्या	गृहों की संख्या	संवासियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	तमिलनाडु	21	2285	19	1830	19	1780
2.	उड़ीसा	5	119	5	120	5	143
3.	राजस्थान	4	337	4	338	4	284
4.	सिक्किम	1	25	1	25	1	25
5.	हरियाणा	7	252	7	326	7	354
6.	मेघालय	3	76	3	76	3	76
7.	छत्तीसगढ़	5	275	6	एन.ए.	12	528
8.	गोवा	2	77	2	104	2	74
9.	कर्नाटक	62	2943	62	2766	62	2764
10.	नागालैंड	2	100	2	100	2	100
11.	गुजरात	24	921	31	955	55	2381
12.	केरल	22	800	22	765	22	700
13.	मध्य प्रदेश	26	2972	26	4072	24	4298
14.	असम	–	–	–	–	7	400
15.	महाराष्ट्र	236	18655	266	19629	291	19859
16.	आंध्र प्रदेश	21	1229	–	–	16	1062
17.	पंजाब	13	387	13	465	13	398
18.	मिजोरम	5	225	4	225	4	225

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	चंडीगढ़	–	–	1	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
20.	पश्चिम बंगाल	36	2885	29	2735	29	3525
21.	त्रिपुरा	–	–	1	4	1	5
22.	दिल्ली	13	1743	13	1655	14	1758
23.	बिहार	15	600	14	836	–	–
24.	हिमाचल प्रदेश	2	70	–	–	–	–
25.	उत्तर प्रदेश	93	1789	92	1723	–	–
26.	झारखंड	7	56	–	–	–	–
	कुल	625	38821	623	38749	593	40739

एन.ए.– राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से उपलब्ध नहीं।

मोबाइल वैनों के माध्यम से टिकटों की बिक्री

639. श्री राजनरायन बुधौलिया:
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मोबाइल वैनों के माध्यम से देश में रेल टिकटों की बिक्री करने की कोई योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) उक्त योजना पर सरकार द्वारा कितना खर्च किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर के भोपाल और कटनी शहर में मोबाइल वैनों के द्वारा अनारक्षित टिकटों की बिक्री चालू है। बहरहाल, इस प्रणाली का आगे विस्तार करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

[अनुवाद]

रेलवे नेटवर्क का विस्तार

640. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल नेटवर्क के विकास के विभिन्न पहलुओं में कई सहायक कंपनियां तथा प्रायोजक, भारतीय रेलवे की सहायता कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी हां। भारतीय रेलवे राज्य सरकार, पक्षीय एजेंसियों, परियोजना लाभार्थियों तथा ऋण देने वाली संस्थाओं के साथ भागीदारी करके अपने नेटवर्क के विकास की संभावना तलाश रही है। ऐसा मुख्यत: लागत में भागीदारी के माध्यम से, विशेष प्रयोजन वाहन (एस.पी.वी.), बिल्ड-ओन-ट्रांसफर (बोट) माडल्स का सृजन करके और कुछ मामलों में निजी स्वामित्व वाली अवसंरचना यथा पोर्ट रेलें, मालभाड़ा टर्मिनलों के कार्यान्वयन के मामले में इक्विटी में भागीदारी करके किया जाता है।

रेल मंत्रालय ने पहले ही निजी निवेश के साथ मुन्द्रा बंदरगाह का रेल संपर्क तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी के

साथ सुरेन्द्रनगर-पिपावाव आमान परिवर्तन का काम शुरू कर दिया है। गांधीधाम-पालनपुर आमान परिवर्तन परियोजना तथा हासन-मंगलौर आमान परिवर्तन परियोजना का काम निजी क्षेत्र तथा अन्य एजेंसियों से निवेश के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। रेल मंत्रालय राज्य सरकार/राज्य सरकार के उपक्रम के साथ लागत में भागीदारी करके झारखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु, पं. बंगाल, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्य में कतिपय परियोजनाएं भी कार्यान्वित कर रहा है।

उग्रवाद प्रभावित परिवारों को विक्रय केन्द्रों का आवंटन

641. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जम्मू-कश्मीर में उग्रवाद प्रभावित परिवारों को एल.पी.जी. एजेंसियों के आवंटन में आरक्षण प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निम्न आय वर्ग के लिए शुरू की गयी नवीन योजना के अंतर्गत 5 किलोग्राम के एल.पी.जी. सिलेंडर की बिक्री हेतु आज की तारीख तक राज्यवार कितने एल.पी.जी. विक्रय केन्द्र खोले गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के दिशानिर्देशों में समाज के विभिन्न वर्गों को एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आबंटन में आरक्षण के निम्नलिखित प्रतिशत का प्रावधान है:-

अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां	- 25%
रक्षा कार्मिक	- 8%
अर्धसैनिक बल/पुलिस/सरकारी कार्मिक	- 8%
शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति	- 5%
स्वतंत्रता सेनानी	- 2%
उत्कृष्ट खिलाड़ी	- 2%

एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आबंटन के मामले में किसी अन्य श्रेणी के लिए और आरक्षण देने का प्रस्ताव नहीं है, जिसमें जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद से संबंधित परिवार सम्मिलित हैं।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने केवल कम आय समूहों से संबद्ध ग्राहकों को 5 कि.ग्रा. के एल.पी.जी. सिलेंडरों के विपणन के लिए अलग डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना नहीं की है।

[हिन्दी]

स्लीपर श्रेणी की लागत में वातानुकूलित डिब्बों में यात्रा

642. श्रीमती रूपाताई डी. पाटील: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार स्लीपर श्रेणी की लागत में वातानुकूलित डिब्बों में यात्रा के लिए कोई योजना आरंभ करने का है जैसा कि दिनांक 10 जुलाई, 2005 को "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) उच्च श्रेणी में उपलब्ध खाली स्थान के संबंध में यात्रियों के अपग्रेडेशन की योजना की रेलवे एक्ट, 1989 के प्रावधानों के अनुरूप जांच की जा रही है।

(ख) योजना के ब्यौरा को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ग) योजना के अनुमोदन के बाद ही इस योजना को लागू करने की योजना निर्धारित की जाएगी।

दैनिक यात्री रेलगाड़ियों में दूधवालों की मनमानी

643. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दूधवाले दिल्ली आने वाली और वहां से जाने वाली रेलगाड़ियों को मालगाड़ी के रूप में उपयोग कर रहे हैं चूंकि ये सुबह दूध के बैरल लेकर आते हैं तथा शाम को इन्हें वापस ले जाते हैं तथा दैनिक यात्रियों को परेशान भी करते हैं, जैसा कि दिनांक 17 जून, 2005 को "जनसत्ता" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) दैनिक यात्री रेलगाड़ियों में दूधवालों की मनमानी तथा उनके द्वारा यात्रियों को परेशान किए जाने को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कड़े उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) दूध बेचने वाले मासिक दूथ विक्रेता टिकटधारक केवल नामित सवारी डिब्बों/रेलगाड़ियों में यात्रा करने के लिए प्राधिकृत होते हैं। बहरहाल, विशिष्ट सवारी डिब्बों/रेलगाड़ियों से इतर यात्रा कर रहे दूध विक्रेताओं के कुछ मामले सामने आए हैं और उनके विरुद्ध संबद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।

(ग) नियमित जांच आयोजित की जाती है ताकि जो दूध बेचने वाले विनिर्दिष्ट नियमों का उल्लंघन करके यात्रा करते हैं उन्हें पकड़ा जा सके।

[अनुवाद]

रक्षा भूमि पर अतिक्रमण

644. श्री अधीर चौधरी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छावनियों में रक्षा भूमि पर से बड़े पैमाने पर किए गए अतिक्रमणों को हटाने में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इन सभी अतिक्रमणों को कब तक हटा दिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) पिछले एक वर्ष के दौरान रक्षा संपदा अधिकारियों तथा छावनी बोर्डों के प्रबंधन के अधीन, छावनियों के भीतर स्थित रक्षा भूमि के लगभग 14 एकड़ क्षेत्र से लगभग 1800 नाजायज कब्जों को हटा दिया गया है।

(ख) निर्धारित विधिक प्रावधानों के अधीन रक्षा भूमि से अनधिकृत कब्जे हटाने संबंधी कार्रवाई एक निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। ऐसे मामलों में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि इनमें विधिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं।

[हिन्दी]

कामगारों का पुनर्वास

645. श्री चन्द्रभान सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई खान-पान नीति, 2004 के अंतर्गत रेलवे के खान-पान इकाइयों को भारतीय रेल खान-पान एवं पर्यटन निगम (आई.आर.सी.टी.सी.) को सौंप दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आई.आर.सी.टी.सी. ने अनुबंध के बाद रेलवे के साथ पहले कार्य कर रहे कामगारों की सेवाओं को समाप्त कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा उन कामगारों के हितों की सुरक्षा तथा उनके पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां। खान-पान नीति, 2004 और अनुवर्ती नीति, 2005 के अनुसार "ए", "बी" और "सी" कोटि के स्टेशनों पर खान-पान इकाइयों को भारतीय रेल खान-पान एवं पर्यटन निगम (आई.आर.सी.टी.सी.) को सौंपा जा रहा है। "डी", "ई" और "एफ" कोटि के स्टेशनों पर खान-पान इकाइयों का प्रबंधन अभी रेलवे कर रही हैं। बहरहाल, रेलवे के खान-पान संबंधी सभी कार्य पूर्णत: भारतीय रेल खान-पान एवं पर्यटन निगम (आई.आर.सी.टी.सी.) को सौंपा जाना है।

(ख) और (ग) जी नहीं। खान-पान की विभागीय इकाइयों को "जैसा है जहां के आधार" पर कर्मचारियों सहित आई.आर.सी.टी.सी. को अंतरित किया जा रहा है। ये कर्मचारी मान्य तैनाती के आधार पर भारतीय रेल खान-पान एवं पर्यटन निगम में कार्य करेंगे और उन्हें तीन वर्ष के भीतर भारतीय रेल खान-पान एवं पर्यटन निगम में समाहन अथवा रेलों पर वापस तैनाती का विकल्प देना होगा। अगर कर्मचारी पुन: रेलवे पर तैनाती का विकल्प देता है तो उसे मौजूदा नियमों के अनुसार पुन: तैनात किया जाएगा। खान-पान विभाग के कर्मचारियों का उनके क्रिया-कलापों के साथ स्थानांतरण केन्द्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसरण में है।

[अनुवाद]

आमान परिवर्तन

646. श्री जोवाकिम बखला: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज की स्थिति के अनुसार छोटी रेल लाइनों की राज्यवार कुल लंबाई कितनी है;

(ख) वे स्थान कौन-कौन से हैं जहां छोटी रेल लाइनें हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन छोटी रेल लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन छोटी रेल लाइनों को और कब तक बड़ी रेल लाइनों में परिवर्तित कर दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) 31-3-2004 के अनुसार देश में मीटर गेज रेल लाइन की राज्य-वार लंबाई (मार्ग किमी.) (उपलब्ध अद्यतन) नीचे दी गई है:-

क्र. सं.	राज्य का नाम	मीटर गेज लाइन की लंबाई (मार्ग किमी. में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	508
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	असम	1289
4.	बिहार	1235
5.	दिल्ली	22
6.	गुजरात	1814
7.	हरियाणा	318
8.	कर्नाटक	472
9.	केरल	117
10.	मध्य प्रदेश	500
11.	महाराष्ट्र	445
12.	मणिपुर	1
13.	मिजोरम	2
14.	नागालैंड	2
15.	राजस्थान	2413
16.	तमिलनाडु	1955
17.	त्रिपुरा	64
18.	उत्तर प्रदेश	1767
19.	उत्तरांचल	61
20.	पश्चिम बंगाल	304
	कुल	13290

टिप्पणी: शेष राज्यों/संघ शासित राज्यों में मीटर आमान वाली रेल लाइन नहीं है।

(ख) देश में अनेक स्थानों को जोड़ने वाली मीटर आमान वाली लाइनों का विशाल नेटवर्क है।

(ग) सभी मीटर आमान वाली लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संगठनों के लिए योजनाएं

647. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आपके मंत्रालय की कुछ योजनाएं गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) की सहायता से क्रियान्वित की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) महाराष्ट्र में क्रियान्वित की जा रही योजनाएं कौन-कौन सी हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) जी हां। ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

(i) बौद्ध/तिब्बती संस्कृति और कला का विकास।

(ii) राष्ट्रीय स्मारकों के विकास और अनुरक्षण के लिए स्वैच्छिक संगठनों/सोसाइटियों को सहायता अनुदान देना।

(iii) महत्वपूर्ण व्यक्तियों की शताब्दियों का आयोजन।

(iv) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण और प्रसार के लिए वित्तीय सहायता।

(v) जनजातीय/लोक कला और संस्कृति के संवर्धन और प्रसार के लिए वित्तीय सहायता।

(vi) सांस्कृतिक कार्यकलापों से जुड़े स्वैच्छिक संगठनों को शोध सहायतार्थ वित्तीय सहायता।

(vii) स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठन के लिए भवन और उपस्कर अनुदानों हेतु वित्तीय सहायता।

(viii) क्षेत्रीय और स्थानीय संग्रहालयों के संवर्धन और सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता।

(ix) विशिष्ट प्रदर्शनकारी कला परियोजनाओं के लिए व्यावसायिक समूहों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता।

(ग) महाराष्ट्र के लिए कोई विशिष्ट स्कीम नहीं है। उपर्युक्त स्कीमों के अंतर्गत अखिल भारतीय आधार पर सहायता अनुदान मंजूर किया जा रहा है।

[अनुवाद]

गैर-सरकारी संगठनों द्वारा स्मारकों का रख-रखाव

648. श्री सनत कुमार मंडल: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी कंपनियों, गैर-सरकारी संगठनों तथा कॉरपोरेट घरानों को देश में पुराने स्मारकों की मरम्मत, देखभाल तथा अनुरक्षण की अनुमति दी जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) संस्कृति मंत्रालय ने दिनांक 28 नवम्बर, 1996 की अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय संस्कृति निधि की स्थापना की थी जो देश में पुराने स्मारकों की मरम्मत, रखरखाव एवं अनुरक्षण कार्यों में भागीदारी करने के लिए निजी कंपनियों, गैर सरकारी संगठनों तथा कॉरपोरेट घरानों को अवसर प्रदान करती है।

राष्ट्रीय संस्कृति निधि सांस्कृतिक परिदृश्य के प्रबंधन में संस्थाओं एवं व्यक्तियों को सरकार के भागीदारों के रूप में मानती है। यह संस्कृति के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी को बनाने और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों को जुटाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है।

राष्ट्रीय संस्कृति निधि के तत्वाधान में किए गए संरक्षण/ विकास कार्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय संस्कृति निधि परियोजनाओं के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए गए/किए जा रहे कार्यों का ब्यौरा

क्र.सं.	एजेन्सी का नाम	वित्तीय सहायता	किए गए कार्य
1.	मैसर्स आगा खां संस्कृति न्यास	रुपए 30.00 लाख	हुमायूं का मकबरा उद्यान, दिल्ली का पुनरुद्धार किया गया है।
2.	मैसर्स ओबराय होटल समूह	रुपए 5.00 लाख	हुमायूं का मकबरा के गुंबद पर प्रकाश व्यवस्था की गई है।
3.	पुणे नगर निगम/ वेंकटेश्वर हैचरीज तथा अन्य एजेन्सियां, पुणे	रुपए 48.00 लाख	शनिवारवाड़ा महल अवशेषों का संरक्षण किया गया है और प्रकाश एवं ध्वनि कार्यक्रम प्रतिष्ठापित किया गया है।
4.	ताज होटल समूह	रुपए 45.00 लाख	आगरा स्थित ताजमहल के मुख्य द्वार का रासायनिक परिरक्षण किया गया है, फतेहाबाद एवं फतेहपुरी अहातों में पर्यटक सुविधा केन्द्र विकसित किया जा रहा है और पूर्वी ओर की अहाता दीवार के भाग का संरक्षण कार्य प्रगति पर है। संकेत-पट्ट लगाए गए हैं।

[हिन्दी]

पी.सी.ओ. बूथों को बंद करना

649. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तथा दिल्ली के अन्य स्टेशनों पर कुछ पी.सी.ओ. बूथों को बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन पी.सी.ओ. के बंद होने से यात्रियों को हो रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या रेलवे का विचार स्टेशोनों पर पी.सी.ओ. बूथों को फिर चालू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

व्यावसायिक विभाग का स्थानांतरण

650. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य रेलवे में डी.आर.एम. कार्यालय परिसर से व्यावसायिक विभाग कार्यालय को हटाकर पुणे के दूर-दराज के स्टेशन पर स्थानांतरित कर दिए जाने से रेलवे यात्रियों को कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उक्त विभाग को उसके मूल स्थान पर वापस लाने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) पुणे में वाणिज्य विभाग को स्थानांतरित के संबंध में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। वर्तमान कार्यालय में भीड़ कम करने के लिए, वाणिज्य विभाग को एक नए स्थान पर स्थानांतरित किया गया है जो कि स्टेशन से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। नया कार्यालय उचित कार्यालय भवन में है जिसमें आवश्यक आधारभूत ढांचा और पहुंच मार्ग हैं। नए मंडल कार्यालय के निर्माण के बाद, वाणिज्य विभाग सहित सभी उप कार्यालय एक भवन में व्यवस्थित होंगे। बहरहाल, वाणिज्य विभाग के स्थानांतरित करने से दैनिक यात्रियों को कोई परेशानी नहीं हो रही है।

[हिन्दी]

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का विदेशों में कार्यकलाप

651. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों में भारतीय संस्कृति से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो देश-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कंबोडिया के सिमरिप में स्थित ता प्रोह्म ग्रुप मंदिरों की सुरक्षा के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) जी, हां। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विदेश मंत्रालय के आई.टी.ई.सी. कार्यक्रम के तहत कम्बोडिया के सीम रीप में ता प्रोह्म मंदिर का पुनरुद्धार एवं संरक्षण कार्य शुरू किया है।

यह परियोजना दस वर्ष की अवधि की है जिसे पांच चरणों में क्रियान्वित किया जा रहा है और इसकी अनुमानित परियोजना लागत 19.57 करोड़ रुपए है। दिसम्बर, 2003 में शुरू हुआ परियोजना का पहला चरण जून, 2005 में पूरा कर लिया गया है और अहाता-3 की पूरब की ओर दक्षिणी विंग को गिराने के अलावा, मंदिर परिसर के मृदा बल-विज्ञान, नींव, संरचनात्मक इंजीनियरी, जलविषयक, वनस्पतिगत और पुरातत्वीय पहलुओं से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन एवं अन्वेषण, मंदिर के 3डी एवं 2डी लेजर स्केनिंग प्रलेखन, ग्राफीय एवं फोटोग्राफीय प्रलेखन पूरे कर लिए गए हैं। फरवरी, 2004 में, कम्बोडिया में ता प्रोह्म पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें परियोजना औपचारिक रूप से शुरू की गई थी और वैज्ञानिक अध्ययनों एवं अन्वेषणों की रिपोर्ट यूनेस्को और कम्बोडिया सरकार को प्रस्तुत की गई थी।

[अनुवाद]

दूरदर्शन स्टूडियो का कार्य न करना

652. श्री ए.के. मूर्ति: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मदुरई में दूरदर्शन का एक कार्यक्रम प्रोडक्शन स्टूडियो स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसने कार्य करना आरंभ कर दिया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसके कब तक आरंभ हो जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन के कार्यक्रम निर्माण स्टुडियो की मदुरई में स्थापना कर दी गयी है लेकिन पदों की संस्वीकृति न हो पाने के कारण उसने कार्य करना आरंभ नहीं किया है। तथापि, अन्य केन्द्रों/स्टेशनों से स्टाफ को पुनर्नियुक्त करके इसको परिचालित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

झारखंड की रेल परियोजनाएं

653. श्री सुनिल कुमार महतो:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान झारखंड और गुजरात राज्यों से प्राप्त रेल परियोजनाओं के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक प्रस्ताव पर क्या कदम उठाए गए;

(ग) उक्त अवधि के दौरान किए गए सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है;

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान झारखंड और गुजरात में रेल नेटवर्क के सुधार तथा विस्तार के लिए किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन परियोजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(च) इन परियोजनाओं की धीमी प्रगति के क्या कारण हैं तथा इन परियोजनाओं को त्वरित रूप से पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (च) सूचना एकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सी.एन.जी. का उपयोग

654. श्रीमती अर्चना नायक: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न भागों में सी.एन.जी. के उपयोग को बढ़ाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) देश में मौजूदा सी.एन.जी. नेटवर्क के अलावा, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर, आगरा, नोएडा, गाजियाबाद तथा बरेली, और हरियाणा में गुड़गांव और फरीदाबाद, महाराष्ट्र में पुणे, नवीं मुंबई तथा थाणे, और आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में सी.एन.जी. नेटवर्क का विस्तार प्रस्तावित है। आर्थिक व्यवहार्यता की शर्त पर, प्राकृतिक गैस की बढ़ती हुई उपलब्धता तथा पाइपलाइन बुनियादी संरचना के विस्तार के साथ अन्य प्रदूषित शहरों में उत्तरोत्तर रूप से सी.एन.जी. की शुरुआत की जाएगी।

अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए आश्रय तथा विद्यालय

655. श्री जसुभाई दानाभाई धारड़: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुसूचित जातियों से संबंध रखने वाले बच्चों के आश्रय तथा स्कूलों के वास्ते 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ आबंटित/स्वीकृत तथा उपयोग की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार तथा योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रकार के किसी प्रस्ताव को अस्वीकृत किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) राज्य सरकारों और केन्द्र शासित क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से अनुसूचित जातियों के बच्चों के लिए 'आश्रय एवं विद्यालय' के संबंध में कोई स्कीम कार्यान्वित किए जाने के लिए नहीं है। इस प्रकार का कोई प्रस्ताव राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के प्रशासन से प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

मालभाड़ा यातायात में बाजार के हिस्से में कमी

656. श्री समिक लाहिरी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रेलवे तथा विभिन्न देशों के रेलवे में मालभाड़ा यातायात में रुपए की दर में किराए के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ख) भारतीय रेलवे में मालभाड़ा यातायात में इसके बाजार के हिस्से में कमी होने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) यद्यपि बीते वर्षों में, माल भाड़ा यातायात में रेलवे बाजार शेयर प्रतिशत कम हो गया है, तथ्य यह है कि टनों में शुद्ध यातायात अत्यधिक बढ़ा है। कुल मिलाकर माल यातायात में रेल गुणांक की कमी में एक कारण देश का आर्थिक विकास है। पचास वर्ष पहले देश भर में बहुत ही कम सीमेन्ट/उर्वरक/लौह एवं इस्पात संयंत्र थे तथा अधिकतर तैयार माल लंबी दूरी पर रेल द्वारा ही ढोया जाता था। आज, ऐसे कारखाने/उद्योग प्रायः देश के सभी क्षेत्रों में विद्यमान हैं, उनके द्वारा तैयार माल की आपूर्ति का क्षेत्र लगभग 250-300 किमी. परिधि के अन्दर सिमट गया है, इतनी दूरी के लिए, सड़क परिवहन निश्चित रूप से लाभप्रद है चूंकि ग्राहकों तथा छोटे व्यापारियों के लिए अंतिम छोर तक तथा द्वार से द्वार तक सेवा प्रदान करता है जो सेवा रेलवे प्रदान नहीं कर सकती है।

नागपुर में 'कार्गो हब'

657. श्री सुबोध मोहिते: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र विमानपत्तन विकास प्राधिकरण ने नागपुर में मल्टीमाडल इंटरनेशनल पैसेन्जर एंड कार्गो हब के प्रथम चरण को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहित करने का कार्य पूरा हो गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो भूमि के अधिग्रहण में होने वाले विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने, नागपुर में मल्टीमॉडल इंटरनेशनल पैसेंजर एण्ड कार्गो हब बनाने का कार्य महाराष्ट्र एयरपोर्ट विकास कम्पनी को सौंपा है।

(ग) से (च) अभी तक 600 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई है जो महाराष्ट्र एयरपोर्ट विकास कम्पनी के अधिकार में है। अतिरिक्त भूमि के अन्तरण सम्बन्धी मुद्दे को अन्तर-सरकारी तथा अन्तर-मंत्रालयी पररामर्श द्वारा सुलझाया जाना है। नागपुर को भी अन्तरराष्ट्रीय हवाईअड्डा घोषित किया जा चुका है।

[हिन्दी]

बोफोर्स तोपों का रख-रखाव

658. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बोफोर्स तोपों का रख-रखाव उचित ढंग से नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन तोपों के उचित रख-रखाव के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) इस तरह की कोई रिपोर्ट सरकार की जानकारी में नहीं आई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संबंधित प्राधिकारियों ने बोफोर्स तोपों का रख-

रखाव सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय किए हैं। इन उपायों में, 6 वर्षों के अंतराल में तोपों को खोलकर उनकी जांच करने तथा 18 वर्षों के पश्चात् तोपों का ओवरहाल करने का निर्णय शामिल है। वर्ष 2004-05 में 10 तोपों का पायलट ओवरहाल पूरा हो गया है। अगले 10 वर्षों के भीतर सभी बोफोर्स तोपों का ओवरहाल पूरा करने का विचार है।

खोज हेतु विदेशी कंपनियों को अनुमति देना

659. श्रीमती किरण माहेश्वरी:

श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ विदेशी कंपनियों ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की खोज के लिए आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति के पांचवें दौर (एन.ई.एल.पी.-V) के तहत्, 20 ब्लाकों के लिए 69 बोलियों (गहन जल ब्लाकों के लिए 18 बोलियां, 2 सतही जल ब्लाकों के लिए 7 वोलियां तथा 12 जमीनी ब्लाकों के लिए 44 बोलियां) प्राप्त हुई थीं। कुल 27 विदेशी कंपनियों तथा 21 भारतीय कंपनियों (8 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा 13 निजी क्षेत्र उपक्रमों) ने अपने बोली प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरों के अनुसार 18 ब्लाक प्रदान किए गए। उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं को अंतिम रूप दिए जाने के बाद प्राप्तकर्ता कंपनियों के साथ उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

विवरण

अन्वेषण ब्लाकों के ब्लाक-वार प्राप्तकर्ता निम्नवत् हैं:-

गहन जल ब्लाक

ब्लाक का नाम	प्राप्तकर्ता
1	2
के.के.-डी.डब्ल्यू.एन.-2003/1	रिलायंस इंडस्ट्रीज लि.
के.के.-डी.डब्ल्यू.एन.-2003/2	रिलायंस इंटस्ट्रीज लि.
के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन.-2003/1	रिलायंस इंटस्ट्रीज लि. - हार्डी एक्सपलोरेशन एंड प्रोडक्शन इंडिया इंक
एम.एन.-डी.डब्ल्यू.एन.-2003/1	रिलायंस इंटस्ट्रीज लि. - नीको रिसोर्सेज (एन.ई.एल.पी.-5)
ए.एन.-डी.डब्ल्यू.एन.-2003/1	ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि.
ए.एन.-डी.डब्ल्यू.एन.-2003/2	ई.एन.आई. इंडिया लि. - ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. - गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लि.
	सतही जल ब्लाक
सी.बी.-ओ.एस.एन.-2003/1	ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि.
जी.एस.-ओ.एस.एन.-2003/1	ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. - कैर्न एनर्जी (7) लि.

1	2
	जमीनी ब्लाक
ए.ए.-ओ.एन.एन.-2003/3	ऑयल इंडिया लि. - हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.
जी.वी.-ओ.एन.एन.-2003/1	कैर्न एनर्जी इंडिया पी.टी.वाई. लि. कैर्न एक्सप्लोरेशन (नं. 1) लि. - ओ.एन.जी.सी.
बी.एन.-ओ.एन.एन.-2003/1	कैर्न एनर्जी इंडिया लि. - कैर्न एनर्जी (6) लि. - ओ.एन.जी.सी.
आर.जे.-ओ.एन.एन.-2003/1	ई.एन.आई. इंडिया लि. - ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. - कैर्न एनर्जी (2) लि.
आर.जे.-ओ.एन.एन.-2003/2	फीनिक्स ओवरसीज लि. - ब्रिकवेक इन्वेस्टमेंट लि.
सी.बी.-ओ.एन.एन.-2003/1 भाग- क और ख	रिलायंस इंडस्ट्रीज लि.
सी.बी.-ओ.एन.एन.-2003/2	गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. - गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. - जूबिलेंट केपिटल प्रा. लि. - ज्यो ग्लोबल रिसोर्सेज लि.
डी.एस.-ओ.एन.एन.-2003/1	ज्यो ग्लोबल रिसोर्सेज
के.जी.-ओ.एन.एन.-2003/1	कैर्न एनर्जी इंडिय लि. - कैर्न एनर्जी (4) लि. - ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि.
सीवाई-ओ.एन.एन.-2003/1	नीको रिसोर्सेज (एन.ई.एल.पी.-5) लि.

दो ब्लाकों नामतः ए.ए.-ओ.एन.एन.-2003/1 तथा ए.ए.-ओ.एन.एन.-2003/2 के संबंध में कानूनी मुद्दों को उठाने वाले कतिपय अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और सरकार उनकी जांच कर रही है।

बिहार में विमानपत्तन

660. श्री सीताराम सिंह: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान में बिहार में दरभंगा, मुजफ्फरपुर और रक्सौल स्थित विमानपत्तन कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन्हें चालू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इन एयरपोर्टों से निर्धारित विमानों के प्रचालन के लिए किसी एयरलाइन की ओर से मांग/प्रतिबद्धता नहीं है। इन एयरपोर्टों से प्रचालन हेतु एयरलाइनों से ठोस प्रतिबद्धता प्राप्त होने पर, इन एयरपोर्टों को प्रचालनिक बनाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

[अनुवाद]

वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण

661. श्री तुकाराम गंगाधर गदाख: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रतिवर्ष देश में निराश्रित बुजुर्गों/वरिष्ठ नागरिकों के कल्याणार्थ आबंटित धनराशि का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों और गैर-सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी संगठनों से वृद्ध लोगों से संबंधित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त हुए प्रस्तावों का और वर्ष 2005-06 के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत योजनावार, राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार तथा स्वयंसेवी संगठन/गैर-सरकारी संगठन-वार आबंटित धनराशि/जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 2005-06 के दौरान राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितने वृद्धाश्रम खोले जाएंगे?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) यह प्रतिवर्ष नहीं है लेकिन पिछले वर्ष अपूर्ण प्रस्तावों/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से सिफारिशों के प्राप्त नहीं होने के कारण निधि का पूरी तरह से उपयोग नहीं हो सका।

(ग) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से सीधे तौर पर कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, 2005-06 की पहली तिमाही अर्थात् 30-6-2005 तक, 110 प्रस्ताव गैर-सरकारी संगठनों से प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 74 गैर-सरकारी संगठनों को 143 करोड़ रुपए की कुल राशि स्वीकृत की गई है। योजना के अंतर्गत राज्यवार अलग निधि का आबंटन नहीं है। 30-6-2005 तक राज्यवार/जिलावार और गैर-सरकारी संगठन-वार जारी मंजूरी संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) नए वृद्धाश्रमों को खोलना, पूर्ण दस्तावेज की प्राप्ति, निधि की उपलब्धता, संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की सिफारिशों पर निर्भर करता है।

विवरण

"वृद्ध व्यक्तियों के लिए (1-4-2005 से 30-06-2005 तक) समेकित कार्यक्रम" स्कीम के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को राज्यवार, जिलावार, गैर-सरकारी संगठन-वार मंजूर सहायता अनुदान

क्रम सं.	जिला	संगठन का नाम	मंजूर सहायता अनुदान (लाख रुपए)
1	2	3	4
		आंध्र प्रदेश	
1.	अनन्तपुर	श्री वेंकटेश्वर कान्वेंट एज्यूकेशनल सोसाइटी	1.38
2.	कुड्डापाह	श्री कृष्णा देवराय युवाजन संगम	1.38
3.	चित्तूर	ज्योति यूथ एसोसिएशन	0.98
4.	चित्तूर	पीपुल्स आर्गेनाइजेशन फॉर वेल्फेयर एंड एजुकेशन रेटीफिकेशन	0.98
5.	गुंटूर	इंटरनेशनल क्रिश्चियन क्रुसेडे (आई.सी.सी.) सोसल सर्विस एसोसिएशन	0.98
6.	गुंटूर	ओमकार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी	1.37
7.	गुंटूर	सोसल एजुकेशनल एंड रूरल डेवलपमेंट ऑफ सिड्यूल्ड कास्ट, सिड्यूल्ड ट्राइब एंड क्रिश्चियन वेल्फेयर सोसाइटी	1.35
8.	गुंटूर	श्री सारदा महिला विज्ञान समिति	2.36
9.	हैदराबाद	महिला दक्षता समिति	1.85

1	2	3	4
10.	खम्माम	जयश्री महिला संगम	0.98
11.	कृष्णा	आंध्र प्रदेश गिरिजन सेवक संघ	2.36
12.	कृष्णा	इंटिग्रेटेड डेवलपमेंट एजेंसी (आई.डी.ए.)	2.83
13.	कृष्णा	बापूजी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी	1.38
14.	महबूबनगर	नवोदय सेवा संगम	1.38
15.	नालगोंडा	महालक्ष्मी महिला मंडली	2.28
16.	नेल्लौर	दि डिवाइन (इंडिया)	1.38
17.	प्रकाशम	चंद्र वाम्स आर्गनाइजेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट	1.38
18.	प्रकाशम	लक्ष्मी महिला मंडली	1.38
19.	प्रकाशम	प्रियदर्शनी महिला मंडली	0.95
20.	प्रकाशम	श्री महालक्ष्मी महिला मंडली	1.38
21.	प्रकाशम	वाल्मिकि सेवा संगम	1.38
22.	प्रकाशम	वासावी एजुकेशनल सोसाइटी	1.38
23.	प्रकाशम	श्री भवानी महिला मंडली	1.38
24.	रंगारेड्डी	सेंट एंथोनी एजुकेशनल सोसाइटी	1.38
25.	रंगारेड्डी	वेंकटेश्वर सोसल सर्विस एसोसिएशन	2.36
		असम	
26.	नागांव	सादौ असोम ग्राम्य पुथिभराल संस्था	0.84
		हिमाचल प्रदेश	
27.	सिरमौर	इंदिरा लेडीज क्लब	1.54
		कर्नाटक	
28.	बंगलौर	श्री अमहीगरा चौदैयाह एजुकेशन सोसाइटी	1.38
29.	बंगलौर	आर.टी. नगर एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट	1.38
30.	बिदर	डा. बी.आर. अम्बेडकर कल्चरल एंड वेल्फेयर सोसाइटी	1.38
31.	बिदर	शिवलीला वीमेंस वेल्फेयर एसोसिएशन	1.37

1	2	3	4
32.	बेल्लारी	आदर्श एजुकेशन सोसाइटी	1.33
33.	गुलबर्गा	महबूब सुभानी एजुकेशन ट्रस्ट	4.02
34.	गुलबर्गा	श्री संगमेश्वर्न एजुकेशन सोसाइटी	1.38
35.	गुलबर्गा	शरनारा नाडु एजुकेशन सोसाइटी	1.38
		पंजाब	
36.	फिरोजपुर	अखिल भारतीय जनसेवा समिति	0.98
37.	फिरोजपुर	लोक सेवा संस्थान	1.96
		दिल्ली	
38.	दिल्ली	एसोसिएशन ऑफ नेशनल ब्रदरहुड फॉर सोसल वेल्फेयर	1.38
39.	दिल्ली	मानव परोपकारी संस्था	1.54
40.	दिल्ली	नारी उत्थान समिति	1.95
		मणिपुर	
41.	बिष्णुपुर	कुम्बी खुल्लाकपम लीकाई वीमेन्स एसोसिएशन	1.38
42.	थाउबल	जामिया एजुकेशनल सोसाइटी	2.76
43.	थाउबल	रूरल मेडिकेयर इंस्टीट्यूट	1.52
44.	थाउबल	सोसाइटी फॉर वीमेन्स एजुकेशन एक्शन एंड रिफलेक्शन	0.98
45.	थाउबल	दि रूरल पीपुल्स डेवलपमेंट आर्गनाइजेशन	4.72
		तमिलनाडु	
46.	चेन्नई	अननाई इल्लाम	2.27
47.	कुडलौर	मेवाझी-तमिझ साबाई	1.33
48.	कांचीपुरम	बुंदावनम एजुकेशन सोसल ट्रस्ट	1.54
49.	कन्याकुमारी	होम फॉर दि ऐज्ड	2.14
50.	नागापट्टनम	नेहरू सोसल एजुकेशन सेन्टर	2.76
51.	पेराम्बलूर	परिवार कुडिल	1.85
52.	पुडुक्कोट्टई	रूरल एजुकेशन फॉर कम्युनिटी आर्गनाइजेशन	1.38
53.	थेनी	युवक विकास केन्द्र	1.38

1	2	3	4
54.	तिरुवरूर	भारतमाता फेमिली वेल्फेयर फाउंडेशन	1.38
55.	त्रिचनापल्ली (त्रिची)	जय बालवाड़ी एजुकेशनल सोसाइटी	2.36
56.	त्रिचनापल्ली (त्रिची)	दि तमिलनाडु पेंगल नाला संगम	1.74
57.	त्रिचनापल्ली (त्रिची)	त्रिचनापल्ली रूरल एंड अरबन वेल्फेयर डेवलपमेंट एजुकेशन सोसाइटी	1.38
		उड़ीसा	
58.	अंगुल	ग्राम सेवा मंडल	5.88
59.	खुर्दा	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल वेल्फेयर एंड सोसल ऐक्शन	1.96
60.	खुर्दा	भारियाबी क्लब	2.32
61.	कंधमाल	सुभद्रा मेहताब सेवा सदन	4.72
62.	पुरी	रतनाचिरा	1.38
63.	बॉलानगिर	ग्राम मगल पथगार	2.76
		पश्चिम बंगाल	
64.	कोलकाता	नवदिगांता	3.26
65.	कोलकाता	जे.पी. इंस्टीट्यूट ऑफ सोसल सर्विस	2.86
66.	मेदिनीपुर	गंगाधरचक एंड देवांचक विवेकानंद क्लब	0.95
67.	मेदिनीपुर	अमर सेवा संघ	6.26
68.	मेदिनीपुर	हितलजोर किशोरीबाला दतया चिकित्सालय	1.14
69.	माल्दा	बिपलोबी रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी	5.78
		उत्तर प्रदेश	
70.	बहराइच	आदर्श कल्याण सेवा समिति	0.98
71.	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़ महिला कल्याण एवं शिक्षा समिति	2.36
72.	हमीरपुर	कंचनलाल सगुन सेवा संस्थान	1.38
		महाराष्ट्र	
73.	यावतमल	स्वर्गीय रमेश जाधव शिक्षण एंड क्रिड़ा प्रसारक मंडल	1.38
74.	नांदेड़	डा. बाबा साहेब अम्बेडकर शिक्षण प्रसारक संस्था	2.75
		कुल	142.99

देहरादून में विमानपत्तन

662. मेजनर जनरल (सेवानिवृत्त) भुनव चन्द्र खंडूडी: क्या **नागर विमानन मंत्री** पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गैर-महानगरीय विमानपत्तनों का विकास के बारे में दिनांक 3 मार्च, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 614 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देहरादून में जौली ग्रान्ट स्थित विमानपत्तन आधुनिकीकरण के लिए प्रस्तावित विमानपत्तनों में से एक है;

(ख) यदि हां, तो आधुनिकीकरण की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त विमानपत्तन का आधुनिकीकरण कब तक किए जाने की संभावना है और यह कब तक कार्य करना शुरू करेगा?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तथापि, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) द्वारा हाल में अधिग्रहित की गई भूमि के चारों तरफ दीवार के निर्माण, रनवे तथा टर्मिनल भवन के विस्तार संबंधी आधुनिकीकरण कार्य हेतु पहले से ही कार्रवाई की जा रही है। इस कार्य को इसके प्रारंभ किए जाने की तिथि से 12 माह में पूर्ण किए जाने की संभावना है।

लेखन सामग्री की खरीद

663. श्री रघुनाथ झा: क्या **रेल मंत्री** लेखन सामग्री की खरीद के बारे में दिनांक 24 मार्च, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3372 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तत्संबंधी सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो सूचना के संग्रहण में होने वाले विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त सूचना कब तक एकत्रित कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) से (घ) लोक सभा के 24 मार्च, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3372 के तहत संसद में दिए गए आश्वासन के संबंध में, रेल मंत्रालय द्वारा पूरा करने की रिपोर्ट संसदीय कार्य मंत्रालय को पहले ही भेज दी गयी है।

विमानों के लिए पार्किंग स्थल

664. श्री के.सी. पलनिसामी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न विमानपत्तनों में और अधिक पार्किंग स्थलों को तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। अहमदाबाद, अमृतसर, भोपाल, भुवनेश्वर, कालीकट, चेन्नई, कोयम्बतूर, दिल्ली, डिब्रूगढ़, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, इन्दौर, जयपुर, जोधपुर, खजुराहो, कोलकाता, लेह, लखनऊ, मदुरै, मंगलोर, मुम्बई, नागपुर, पटना, पोर्ट ब्लेयर, पूणे, रायपुर, राजकोट, रांची, शिलांग, सिल्चर, श्रीनगर, त्रिची, त्रिवेन्द्रम, उदयपुर, वाराणसी, वडोदरा तथा विशाखापत्तनम एयरपोर्टों पर अतिरिक्त पार्किंग बे के विस्तार/व्यवस्था के लिए कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

ऐतिहासिक भवनों का अनुरक्षण तथा रख-रखाव

665. श्रीमती प्रतिभा सिंह: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बारहवें वित्त आयोग ने देश के अनेक प्राचीन और ऐतिहासिक भवनों के अनुरक्षण और रखरखाव के लिए धनराशि आवंटित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हिमाचल प्रदेश स्थित पुरातात्विक महत्व के प्राचीन मंदिरों, स्मारकों और भवनों के अनुरक्षण तथा रखरखाव के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) बारहवें वित्त आयोग ने 2005-06 और 2009-10 के बीच की अवधि के लिए दाय संरक्षण अर्थात् ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातत्वीय स्थलों, सार्वजनिक

पुस्तकालयों, संग्रहालयों और अभिलेखागारों के परिरक्षण तथा संरक्षण के वास्ते विभिन्न राज्यों में 625 करोड़ रुपए के आवंटन की सिफारिश की है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को वित्त आयोग से कोई आवंटन नहीं मिलता है।

(ग) हिमाचल प्रदेश राज्य में, प्राचीन स्मारकों और स्थलों के अनुरक्षण तथा रखरखाव के लिए वित्तीय वर्ष 2005-2006 के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा योजना के तहत 75 लाख रुपए तथा गैर-योजना के तहत 75 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं।

[अनुवाद]

सुनामी के कारण अनाथ हुए बच्चों और वृद्ध व्यक्तियों का पुनर्वास

666. श्री रनेन बर्मन: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सुनामी आपदा से तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने बच्चे अनाथ हुए हैं और कितने वृद्ध व्यक्ति असहाय हुए हैं;

(ख) सरकार द्वारा अनाथ बच्चों और वृद्ध व्यक्तियों के पुनर्वास की समस्या को सुलझाने के लिए अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उन गैर-सरकारी संगठनों के क्या नाम हैं जो निस्सहाय लोगों और अनाथ बच्चों की सेवा में लगे हुए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, सुनामी से तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 516 बच्चे अनाथ हुए हैं। इस आपदा से असहाय हुए वृद्ध व्यक्तियों का अलग से कोई विवरण उपलब्ध नहीं है।

(ख) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रभावित लोगों की सहायता के लिए, अन्य बातों के साथ, विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जो हैं (i) सुनामी प्रभावित सभी परिवारों के लिए अस्थाई आश्रयों का प्रावधान; (ii) अनाथ बच्चों के लिए अनुग्रह राशि का भुगतान; (iii) सरकार द्वारा चलाए जा रहे/सहायता प्राप्त अनाथालयों में देख-रेख और आश्रय की व्यवस्था; (iv) वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धाश्रमों में देख-रेख और आश्रय की व्यवस्था; और (v) प्रभावित सभी परिवारों के लिए नि:शुल्क राशन की व्यवस्था। इसके अतिरिक्त, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अनाथ बच्चों सहित सुनामी से प्रभावित बच्चों के लिए अनाथालय, चाइल्ड हेल्प लाइन तथा काउंसिलिंग सेवाएं स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की। इसके अलावा, प्रभावित व्यक्तियों को, उम्र का ध्यान किए बिना सहायक यंत्र और उपकरण प्रदान किए गए।

(ग) इन व्यक्तियों की सेवा में संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों ने कई गैर-सरकारी संगठनों को सीधे तौर पर संलग्न किया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सहायता प्राप्त संगठन इस प्रकार हैं:-

(i) भारतीय बाल-कल्याण परिषद, चेन्नै, तमिलनाडु

(ii) प्रयास किशोर न्याय संस्थान, नई दिल्ली

(iii) एशियन यूथ सेन्टर, कांचिपुरम

(iv) भारतीय बाल-कल्याण परिषद्, कुड्डालोर

(v) कोट्टार सोसल सर्विस सोसाइटी, नागेरकोल

(vi) नेहरू युवा केन्द्र, कोल्लम, केरल

(vii) अव्वई ग्राम कल्याण समिति, नागपट्टिनम

राष्ट्रीय वृद्धजन परिषद्

667. श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय वृद्धजन परिषद की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित राष्ट्रीय नीति पूरी तरह से क्रियान्वित की गई है;

(घ) यदि हां, तो उक्त नीति वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को सम्मानजनक और उद्देश्यपूर्ण किस प्रकार बनाएगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय वृद्धजन परिषद का गठन 1999 में हुआ। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री इस परिषद के अध्यक्ष और सामाजिक

न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव उपाध्यक्ष हैं। वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण के क्षेत्र में लगे प्रख्यात व्यक्ति, सांसद,. सामाजिक संगठनों के सदस्य और विद्वान इसके सदस्य हैं। राष्ट्रीय वृद्धजन परिषद में इस समय 81 सदस्य हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय वृद्धजन नीति का कार्यान्वयन एक सतत् प्रक्रिया है। राष्ट्रीय वृद्धजन नीति के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय द्वारा अपनाया गया तंत्र और वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण के लिए केन्द्र में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा दी गई सुविधाएं/रियायतें इसकी वेबसाइट www.socialjustice.nic.in पर उपलब्ध है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अधिशेष कर्मचारी

668. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री मनसुखभाई डी. बसावा:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कुल कितने कर्मचारी हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत अधिशेष कर्मचारियों के सम्बन्ध में कोई मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी अनुमानित संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा इन अधिशेष कर्मचारियों के समुचित उपयोग के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) दिनांक 2-5-2005 को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2003-2004 में दी गई जानकारी के अनुसार दिनांक 31-3-2004 तक केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 17.67 लाख (अनियत तथा दिहाड़ी कामगारों को छोड़कर) थी।

(ख) से (घ) सम्बन्धित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के प्रबन्धन अपने अधिशेष कर्मचारियों का निर्धारण करते हैं तथा साथ ही उनका उचित उपयोग करने का भी प्रयास करते हैं। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में अधिशेष कर्मचारियों से सम्बन्धित आंकड़े एक स्थान पर नहीं रखे जाते हैं।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को अधिकार

669. मो. मुकीम: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने सरकार को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के समान अधिकार देने संबंधी सिफारिशें/सुझाव दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की वर्ष 1995-96 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ सदन के पटल पर रखे गए कार्रवाई ज्ञापन में यह उल्लेख है कि अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य, मानवाधिकार के उल्लंघन से उत्पन्न हई शिकायतों के निवारण के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सम्पर्क कर सकता है। मानव अधिकार अधिनियम, 1993 के उपबंधों के अंतर्गत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट विभिन्न कृत्यों के निर्वहन के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में समझा जाएगा। इस प्रकार मानव अधिकार अधिनियम, 1993 के संरक्षण में निहित तरीके के अनुसार आयोग को जांच की शक्तियां प्रदान करना जरूरी नहीं समझा गया।

[अनुवाद]

एच.एम.टी. लि. के कर्मचारियों को वी.आर.एस. बकाये का भुगतान

670. श्री सुरेश कुरुप: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गोल्डन हैंड शेक स्कीम के अंतर्गत एच.एम.टी. लि. के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को बकाया राशि का भुगतान करने संबंधी उच्चतम न्यायालय के निर्णय को क्रियान्वित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अब इस वचनबद्धता को पूरा कर दिया गया है और कितने कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बकाए राशि का भुगतान किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) उच्चतम न्यायालय ने एच.एम.टी. लि. के कर्मचारियों जिन्होंने वी.आर.एस. अपना लिया है, की बकाया राशि का भुगतान करने के संबंध में कोई निदेश नहीं दिए हैं। हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने एच.एम.टी. लि. के सभी पात्र कर्मचारियों के संबंध में वर्ष 1992 के मजदूरी/वेतन संशोधन की बकाया राशि का भुगतान करने के संबंध में आदेश पारित किए हैं। सरकार ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया है कि कंपनी द्वारा ऐसे बकायों का भुगतान केवल अपने संसाधनों से किया जाएगा।

(ख) एच.एम.टी. लि. में वी.आर.एस. के अंतर्गत पृथक्कृत कर्मचारियों का वी.आर.एस. से संबंधित कोई बकाया देयराशि नहीं है। हालांकि, एच.एम.टी. द्वारा वी.आर.एस. के मामले सहित सभी पात्र कर्मचारियों के संबंध में वर्ष 1992 के मजदूरी/वेतन संशोधन की बकाया राशि से संबंधित देयराशि का भुगतान कंपनी से पृथक्करण की तिथि की वरीयता के आधार पर चरणवद्ध रूप से किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सीमा सड़क संगठन द्वारा परियोजनाओं को पूरा करना

671. श्री पी.एस. गढवी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सीमा सड़क संगठन द्वारा गुजरात के कच्छ जिलों में पूरी की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ परियोजनाएं अब भी निर्माणाधीन हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) सीमा सड़क संगठन द्वारा इन परियोजनाओं को कब तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) सीमा सड़क संगठन को गुजरात के कच्छ जिले में कोई परियोजना नहीं सौंपी गयी है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भागलपुर में संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का ठहराव

672. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2501/2502 नई दिल्ली से गुवाहाटी के बीच चलने वाली पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस भागलपुर में नहीं ठहरती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार बड़ी संख्या में दिल्ली जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए इस रेलगाड़ी का ठहराव भागलपुर में प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) से (घ) 2501/2502 पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस चलायी गयी है ताकि पूर्वोत्तर राज्यों का राष्ट्रीय राजधानी से तेज संपर्क प्रदान किया जा सके जिसमें मूल्य संवर्द्धित विशेषताएं जैसे पूरे राज्य में बिना रुके सेवा, यात्रा के दौरान समर्पित कर्मचारी और जन संबोधन प्रणाली शामिल है। इसी प्रकार उपरोक्त गाड़ी को भागलपुर (बिहार) में ठहराव देना फिलहाल वांछनीय नहीं है।

पूर्णा-हिंगोली रेलवे लाइन

673. श्री संजय धोत्रे: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार चालू वित्तीय वर्ष में महाराष्ट्र में पूर्णा-हिंगोली लाइन के प्रथम चरण को पूरा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कार्य को पूरा करने की लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

गुना-इटावा रेल लाइन परियोजना

674. श्री राम सेवक सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा किस तारीख को गुना-इटावा रेल लाइन परियोजना का अनुमोदन किया गया था और उक्त परियोजना को कितनी अवधि में पूरा किया जाना है;

(ख) क्या उक्त परियोजना पूरी हो चुकी है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) अभी तक कितने किलोमीटर लंबी रेल लाइन का निर्माण किया जा चुका है और शेष रेल लाइन का निर्माण कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ङ) चालू वित्त वर्ष के दौरान उक्त परियोजना के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) गुना और इटावा (344 किमी.) के बीच बड़ी रेल लाइन के निर्माण का कार्य 1985-86 के बजट में शामिल था। अब तक गुना से भिंड तक (306 किमी.) का कार्य पूरा किया जा चुका है एवं निम्नलिखित तीन फेजों में यातायात के लिए खोल दिया गया है:-

खण्ड	प्रवर्तन
गुना-शिवपुर (102 किमी.)	फरवरी, 1991
शिवपुरी-ग्वालियर (125 किमी.)	अप्रैल, 1999
ग्वालियर-भिंड (79 किमी.)	जुलाई, 2002

परियोजना के अंतिम चरण में भिंड एवं इटावा के बीच (38 किमी.) 79% कार्य पूरा किया जा चुका है। इस खण्ड पर वन्य प्राणी सैंक्चुअरी के क्षेत्र को अभी सुपुर्द किया जाना बाकी है। इस खण्ड पर कार्य का समापन इस भूमि के रेलवे को सुपुर्द होने पर निर्भर करेगा।

(ङ) चालू वित्त वर्ष के दौरान इस परियोजना के लिए 25 करोड़ रुपए का परिव्यय मुहैया कराया गया है।

[अनुवाद]

दृष्टिहीनों के लिए जीवन रक्षक जैकेट

675. श्री गणेश प्रसाद सिंह: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बड़े/महानगरीय शहरों में सड़क पार करते समय दृष्टिहीन लोगों के जीवन को होने वाले खतरों की गंभीरता का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय उद्यमियों ने एक ऐसी विशेष जैकेट का आविष्कार किया है जिन्हें पहनने के बाद वाहन चालकों द्वारा उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन जीवन रक्षक जैकेटों को नाममात्र मूल्य पर प्रदान करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) भारत सरकार विकलांग व्यक्तियों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सुरक्षा और उनकी जरूरतों के प्रति जागरूक है। इस ओर निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(1) सार्वजनिक सड़कों पर चयनित लाल बत्तियों पर श्रव्यात्मक संकेत लगाना।

(2) चयनित रेलवे प्लेटफार्मों के चयनित जेबरा क्रासिंग और किनारों के सतह पर उकेरना।

(3) सार्वजनिक भवनों के एलिवेटरों/लिफ्टों में श्रव्यात्मक संकेत।

(4) पैदल पार पथों/सड़कों पर स्पर्शीयपथ/रेलिंग आदि।

(5) मंत्रालय की एडिप योजना के अंतर्गत सुरक्षित आवागमन के लिए दृष्टिबाधित व्यक्तियों को वाकिंग छड़ियां प्रदान की जाती हैं।

(6) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने सभी सार्वजनिक स्थलों पर विकलांग अनुकूल निर्मित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किया है।

(ग) से (च) ऐसा कोई आविष्कार का पता नहीं चला है। इसलिए जीवन रक्षक जैकेट प्रदान करने का प्रश्न नहीं उठता।

एअर इंडिया और जेट एयरवेज के बीच वैट लीज समझौता

676. डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी:
श्री अवतार सिंह भडाना:
श्री सुरेश अंगड़ि:
श्री तापिर गाव:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री महबूब जाहेदी:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया और जेट एयरवेज ने वैट लीज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस समझौते से एअर इंडिया को कितना लाभ होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) एअर इंडिया ने लगभग 19 आर.टी. उड़ानें प्रचालित करने के लिए 9-7-2005 से 27-7-2005 की अवधि के लिए 4200 अमरीकी डॉलर प्रति ब्लॉक ऑवर की दर पर मैसर्स जैट एयरवेज से एक ए-340-300 ई विमान वैट लीज पर लिया है। इस अल्पावधि उपाय को एअर इंडिया के समग्र हित में अपनाना पड़ा, क्योंकि यह जुलाई, 2005 के दौरान बी 747-400 विमान क्षमता की अत्याधिक कमी का सामना कर रही थी जिसके कारण अनुसूचित प्रचालनों से एक बी 747-400 विमान को हटाना पड़ा।

(ग) एयर इंडिया ने उड़ानों के रद्दीकरण की स्थिति से बचाव किया है जिसके परिणाम स्वरूप अन्य वाहकों को टिकटें अंतरित करने पर आने वाले व्यय, होटल आवास, मना किए जाने वाले बोर्डिंग शुल्क आदि के रूप में विपरीत प्रभाव पड़ता। इसके साथ-साथ इसके परिणामस्वरूप (i) बाजार में विश्वसनीयता की हानि तथा अत्याधिक प्रतिस्पर्धी भारत/लंदन मार्ग पर यात्रियों को असुविधा (ii) उड़ानों का प्रचालन न होने की स्थिति में लंदन-हिथ्रो पर स्लॉट बनाए रखने में समस्याएं तथा (iii) जुलाई, 2005 में इन-बाउंड ट्रैफिक का वहन न किए जाने की वजह से अगस्त, 2005 में कम आउट-बाउंड लोड्स भी होते।

[हिन्दी]

इंडियन ऑयल कार्पोरेशन का व्यवसाय

677. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:
श्री राजनरायन बुधौलिया:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन ऑयल कार्पोरेशन ने अपने प्रचालनों का विस्तार करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय तेल निगम (आई.ओ.सी.) लिमिटेड के प्रचालनों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या कंपनी ने अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ङ) परियोजना आयोजना एवं सुविधाएं आयोजना हेतु इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.) ने योजना आयोग के परामर्श से वार्षिक योजना और पंचवर्षीय योजना तैयार की हैं। नवरत्न कंपनी होने के कारण आगे वे अपनी व्यपार योजनाओं की नियमित रूप से पुनरीक्षा करते हैं। आई.ओ.सी. ने वर्ष 2004-05 में 1,50,667 करोड़ रुपए (लगभग 34.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का कारोबार दर्ज किया। उन्होंने वर्ष 2011-12 तक 60 बिलियन अमेरिकी डालर की कंपनी बनने की योजना बनाई है। इस योजना में पेट्रोरसायन, गैस, ई एंड पी, विदेशी डाउनस्ट्रीम विपणन कार्यकलाप आदि के साथ-साथ अपने मुख्य व्यापार में क्षमता बढ़ाना शामिल है। यह विचारित है कि वर्ष 2011-12 तक मुख्य कार्यों से लगमग 80 प्रतिशत और शेष राजस्व अन्य कार्यों से प्राप्त होगा।

[अनुवाद]

रक्षाकर्मियों का लापता होना

678. श्री मदन लाल शर्मा: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में रक्षा कर्मियों के पिछले कई वर्षों से लापता होने की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने ऐसे लापता रक्षा कर्मियों का पता लगाने के लिए क्या उपाय किए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1965 के युद्ध का एक सेना कार्मिक और 1971 के युद्ध के 255 सेना कार्मिक लापता हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि उन व्यक्तियों को मृत मान लिया गया है जिन्हें उनके निकटतम संबंधियों ने मृत स्वीकार कर लिया है और जिन्हें यथादेय बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है। यदि उनके निकटतम संबंधी ने व्यक्ति को मृत हुआ मानना स्वीकार नहीं किया है तो वह व्यक्ति "लापता" माना जा रहा है। 1965 और 1971 के युद्धों में लापता व्यक्तियों के अतिरिक्त 15 और कार्मिक हैं जो 1971 के युद्ध के बाद लापता हुए हैं जिनमें से 13 को मृत मान लिया गया है। पिछले 10 वर्षों में नौसेना के कुल 8 कार्मिक लापता हुए हैं। वायुसेना के लापता कार्मिकों की संख्या 25 है।

मौजूदा नीति के अनुसार 1965 और 1971 के युद्धों के दौरान लापता हुए सैनिकों को मृत माना जाता है। तथापि, सरकार युद्धबंदियों के पाकिस्तान की अभिरक्षा में होने के विश्वास से उन्हें शीघ्र छोड़ने और वापस भेजने के मुद्दे को राजनयिक माध्यमों से लगातार उठा रही है। यह मामला नवंबर, 2004 के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की नई दिल्ली यात्रा के दौरान भी उठाया गया था। इस पर 27 दिसंबर, 2004 को विदेश सचिव स्तर के विचार-विमर्श के दौरान भी चर्चा की गई थी। पाकिस्तान ने अपनी अभिरक्षा में किसी भी युद्धबंदी के होने की बात स्वीकार नहीं की है।

[हिन्दी]

विकलांगों के लिए आरक्षण कोटा

679. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विकलांगों के लिए आरक्षण कोटा बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस निर्णय को कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नई दिल्ली-चेन्नई "फ्रेट कॉरिडोर"

680. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई दिल्ली-चेन्नई फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के कार्यान्वयन में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गयी है;

(ग) क्या सेतु समुद्रम परियोजना को ध्यान में रखते हुए इस कॉरिडोर का तूतीकोरीन तक विस्तार करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) नई दिल्ली-चेन्नई मालभाड़ा गलियारा परियोजना रेल मंत्रालय द्वारा स्वीकृत परियोजना नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

छत्तीसगढ़ में संरक्षित स्मारकों का अनुरक्षण

681. श्री अजीत जोगी: क्या **संस्कृत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छत्तीसगढ़ सरकार ने संरक्षित स्मारकों के अनुरक्षण और संरक्षण के लिए केन्द्र सरकार को कार्य योजना प्रस्तुत की है;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एच.ए.एल.) में भर्ती संबंधी भ्रष्टाचार

682. श्री देविदास पिंगले: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 'हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड' ओझर (मिग) में हाल में हुई भर्ती में बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी/किए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

केल्ट्रॉन का अधिग्रहण

683. डा. के.एस. मनोज: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न इलैक्ट्रॉनिक कारखानों का रक्षा इकाइयों के रूप में अधिग्रहित करने की सिफारिशें मान ली हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार केल्ट्रॉन को रक्षा इकाई के रूप में अधिग्रहित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (ङ) सरकार को रक्षा मंत्रालय के अधीन केल्ट्रॉन को एक इकाई के रूप में अपने नियंत्रण में लेने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। सरकार ने केल्ट्रॉन इकाइयों को अपने नियंत्रण में लेने का कार्य व्यवहार्य नहीं पाया है।

2. केल्ट्रॉन के साथ रक्षा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा आयुध निर्माणी बोर्ड के बीच दीर्घकालिक व्यवस्थाओं के लिए संभावित क्षेत्रों की जांच तथा पहचान करने हेतु ऐसे अनुरोधों के जवाब में एक कार्यदल का गठन किया गया है। कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। कार्यदल की सिफारिशों का विवरण संलग्न है। यह निर्णय लिया गया है कि रक्षा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तथा आयुध निर्माणियां सरकारी दिशा-निर्देशों तथा खरीद नीतियों के मौजूदा ढांचे के अंतर्गत केल्ट्रॉन को आर्डर देने पर विचार करेंगे।

विवरण

कार्यदल की रिपोर्ट

दीर्घकालिक व्यवस्थाओं के संबंध में कार्यदल की सिफारिशें

1. केलटेक/केल्ट्रॉन नामक दो राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एक दशक से भी अधिक समय से रक्षा स्थापनाओं तथा अंतरिक्ष विभाग के लिए महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता हैं। ये कंपनियां विकासात्मक प्रकृति की आपूर्तियों में अधिक शामिल रही हैं जो अपनी सतत् वृद्धि तथा उन्नयन हेतु दीर्घकालिक तथा नियोजित पोषण उपलब्ध नहीं कराती। दीर्घावधि अधिप्राप्ति संबंधों के माध्यम से इन कंपनियों को सतत् तथा समर्पित वर्कलोड मुहैया कराना वांछनीय है।

2. एच.ए.एल., बी.ई.एल., बी.डी.एल., ओ.एफ.डी., आई.एस.आर.ओ. तथा डी.आर.डी.ओ. ने ऐसे दीर्घकालिक संबंध के लिए मदों की पहचान की है। इन्हें अध्याय 7.0 में सूचीबद्ध किया गया है। इन फर्मों को आदेश देने के लिए डी.आर.डी.ओ. तथा आई.एस.आर.ओ. के पास पहले से ही एक सफल तथा सतत् प्रक्रिया है। संबंध को बनाए रखना तथा इसमें वृद्धि करना इन संगठनों के पारस्परिक हित हेतु उपयोगी होगा। तथापि, ऐसे संबंध के कार्यान्वयन हेतु रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा आयुध निर्माणी बोर्ड के संबंध में एक व्यवहार्य प्रक्रिया पर विचार किया जाए तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसे अनुमोदित किया जाए क्योंकि वर्तमान में ये सरकार/केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों पर आधारित सामान्य निविदा प्रक्रिया को अपनाने के लिए बाध्य हैं।

3. विकास प्रकृति के आर्डर हेतु छोटे आकार के बैच तथा अपेक्षित सतत् तालमेल तथा कौशल का उन्नयन तथा केलटेक और केल्ट्रॉन के साथ समुचित दीर्घकालिक संबंधों के लिए सुविधाएं वांछनीय होंगी।

4. विस्तृत विचार के बाद कार्यदल निम्नलिखित सिफारिश करता है:-

4.1 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, आयुध निर्माणियां इत्यादि केलटेक तथा केल्ट्रॉन को अधिप्राप्ति के विशिष्ट क्षेत्रों में 'अधिमान-प्राप्त विक्रेता' नियुक्त कर सकते हैं जैसाकि हाल ही में अंतरिक्ष विभाग द्वारा किया जा रहा है। क्रेता कंपनी ऐसी अधिप्राप्तियों से संबंधित अधिमान-प्राप्त विक्रेताओं में सीमित निविदा प्रक्रिया अपना सकती है।

4.2 केलटेक तथा केल्ट्रॉन की वित्तीय कठिनाइयों के मद्देनजर, जहां तक संभव हो, दीर्घकालिक आदेशों में अग्रिम भुगतान/आदेश के साथ नि:शुल्क सामग्री जारी करना शामिल किया जा सकता है।

4.3 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/आयुध निर्माणी बोर्ड, अपेक्षित होने पर, प्रचालनात्मक नियंत्रण के साथ उनके उत्कृष्ट उत्पादन के लिए जरूरी विशिष्ट प्रौद्योगिकियों के उन्नयन में निवेश पर विचार कर सकते हैं।

4.4 मद की प्रकृति, अंतर्निहित मात्रा तथा समय सीमा के विस्तार पर निर्भर करते हुए चिन्हित मदों तथा कार्य को एक से पांच वर्ष की अवधि हेतु 'दर संविदा' पर रखा जा सकता है। दर तथा शर्त क्रेता कंपनी और केलटेक/केल्ट्रॉन द्वारा पारस्परिक सहमति से निर्धारित की जाएंगी। इस दर संविदा की प्रचलित अवधि में क्रेता कंपनी किसी निविदा प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना सम्मत कार्यक्रम के आधार पर केलटेक तथा केल्ट्रॉन से सीधी अधिप्राप्ति कर सकती है। इस संबंध में डी.जी.एस. एंड डी. में प्रचलित वर्तमान व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है।

5. आयुध निर्माणी बोर्ड के प्रतिनिधि ने आयुध निर्माणी बोर्ड तथा केलटेक तथा केल्ट्रॉन की कुछ यूनिटों के बीच तालमेल का निर्धारण किया है तथा केलटेक तथा केल्ट्रॉन की कुछ यूनिटों का सहायक अथवा आयुध निर्माणी बोर्ड के साथ सीधे एकीकरण के रूप में अधिग्रहित करने के विकल्प का संकेत दिया है।

केलटेक तथा केल्ट्रॉन के अधिग्रहण हेतु केंद्र सरकार को भेजे गए केरल सरकार के प्रस्ताव पर विचार करते हुए सरकार अपेक्षित ध्यान से इसकी विस्तृत जांच कर सकती है।

दिल्ली और मुम्बई विमानपत्तनों का नवीकरण

684. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:
श्री मिलिन्द देवरा:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली और मुम्बई विमानपत्तनों के नवीकरण के लिए बोली लगाने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कौन-कौन से गैर-सरकारी बोलीदाताओं का चयन किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं और इसे कब तक अंतिम रूप दिये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एयरपोर्ट भूमि के इस्तेमाल आदि जैसे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर अन्तर-मंत्रालयी परामर्श के कारण थोड़ा सा विलम्ब हुआ है। वर्ष 2005 के उत्तरार्ध के अन्त तक बोली लगाने की प्रक्रिया के पूरा होने की सम्भावना है।

[हिन्दी]

चीन के साथ रक्षा संबंध

685. श्री महेश कनोडिया:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत चीन के साथ रक्षा संबंधों को सुदृढ़ करने की पहल कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई कदम उठाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या हाल ही में चीनी सेना के जनरल के साथ कोई वार्ता की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ङ) चीन और भारत, दोनों ने, दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को बेहतर बनाने के लिए पहल की है।

वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तथा सामान्य तौर पर, भारतीय सशस्त्र सेनाओं तथा चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पी.एल.ए.) के बीच विश्व सोत्पादक उपायों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए गए हैं। इन कदमों में अन्य उपायों के साथ-साथ अधिक जल्दी-जल्दी उच्च-स्तरीय पारस्परिक दौरे, व्यावसायिक तथा प्रशिक्षण प्रतिनिधि मंडलों के आने-जाने के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम, सीमा बैठकों के विषयों तथा आवृति में वृद्धि, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यूनिटों के बीच एक-दूसरे के राष्ट्रीय दिवसों, उत्सवों तथा खेलों में भाग लेना तथा एक-दूसरे के सैन्य अभ्यासों में पर्यवेक्षकों के रूप में भाग लेना शामिल हैं। हाल ही में हुए उच्च स्तरीय दौरों में, भारत से सेनाध्यक्ष तथा सह नौसेनाध्यक्ष के दौरे तथा पी.एल.ए. के जनरल स्टाफ प्रमुख का भारत दौरा शामिल है। अप्रैल, 2005 में चीन के प्रधान मंत्री वेन जियाबाओ के भारत दौरे के दौरान, 1996 में हस्ताक्षर किए गए विश्वासोत्पादक उपायों संबंधी एक पूर्व समझौते के आधार पर सैन्य क्षेत्र में विश्वासोत्पादक उपायों के कार्यान्वयन की कार्यविधियों पर एक नए 'प्रोटोकॉल' पर हस्ताक्षर किए गए थे।

मई 2005 में चीन के जनरल स्टाफ प्रमुख जनरल लियांग गुआंगली के भारत दौरे के दौरान उनसे वार्ताएं की गई थीं। इस दौरे से विचारों का आदान-प्रदान करने, चीन के पी.एल.ए. नेतृत्व के साथ मेल-जोल बढ़ाने तथा सशस्त्र सेनाओं के बीच विश्वास उत्पन्न करने और संबंधों को बढ़ावा देने संबंधी कार्यकलापों में तेजी लाने का अवसर मिला।

[अनुवाद]

बारूदी सुरंगों की बरामदगी

686. श्री मधु गौड यास्की:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में भारत-पाक सीमा पर बिछी कुछ बारूदी सुरंगें हाल की बाढ़ से बह गई हैं जिससे इस क्षेत्र में रहने वाली आबादी के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सुरक्षा बलों द्वारा अभी तक अपनी जगह से हटने वाली ऐसी कितनी बारूदी सुरंगों का पता लगाया गया है और उन्हें निष्क्रिय किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा नागरिकों की सुरक्षा के लिए अन्य कौन-कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) चालू वर्ष के दौरान जम्मू-कश्मीर के गांल गावं के पास तीन बारूदी सुरंगें बरामद हुई हैं। संभव है कि ये उन 13 बारूदी सुरंगों का हिस्सा हों जिनका सभी प्रयासों के बावजूद गलार बारूदी सुरंग क्षेत्र में पता नहीं लगाया जा सका था।

(घ) सिविल जनता को लापता बारूदी सुरंगों के बारे में नियमित रूप से जानकारी दी जाती है तथा गैर-बरामद/खिसक गई बारूदी सुरंगों के बारे में सूचना देने वालों को सेना विरचना द्वारा नगद पुरस्कार के रूप में प्रोत्साहन दिए जाते हैं। कोई भी बारूदी सुरंग बरामद होने पर उसके आस-पास के क्षेत्र को तुरंत घेर लिया जाता है तथा विरचना के इंजीनियरों द्वारा इसी स्थल पर बारूदी सुरंग को नष्ट कर दिया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई सिविलियन हताहत न हो।

नि:शक्त लोगों के कल्याण के लिए विधान

687. श्री बाडिगा रामकृष्णा:
श्री ई. पोन्नुस्वामी:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:
श्री हितेन बर्मन:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में 21.9 मिलियन नि:शक्त व्यक्ति हैं और सभी आयु समूहों में उनकी संख्या बढ़ रही है, जैसा कि दिनांक 3 जून, 2005 के 'दि हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार तथ्य और कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार की नि:शक्त लोगों के कल्याण के लिए एक विस्तृत व्यापक विधान लाने की योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार का विचार किस प्रकार नि:शक्त लोगों के हितों की रक्षा करने का है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) जनगणना, 2001 के अनुसार देश में विकलांग व्यक्तियों की संख्या 21.9 मिलियन है। जनगणना द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े केवल वर्ष 2001 के हैं और विकलांग व्यक्तियों की जनसंख्या के बारे में जनगणना से विगत वर्षों का कोई तुलनात्मक आकड़ा उपलब्ध नहीं है। अत: यह नहीं कहा जा सकता कि इस समयावधि के बाद विकलांग व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) जी नहीं। सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के कल्याणार्थ निम्नलिखित व्यापक विधानों का अधिनियमन किया है अर्थात् (1) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995; (2) आटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास, अधिनियम, 1999 और (3) भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992। इन अधिनियमों के ब्यौरे वेबसाइट अर्थात् www.socialjustice.nic.in पर उपलब्ध हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मालडिब्बों का निर्माण करने वाली इकाइयां

688. श्री काशीराम राणा:
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मालडिब्बों का निर्माण करने वाली इकाइयां अपनी क्षमता के अनुरूप उत्पादन नहीं कर पा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा मालडिब्बों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से इन इकाइयों को अपनी क्षमता के अनुरूप मालडिब्बों का निर्माण करने में सक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 4 उद्यम (सी.पी.एस.ई.) अर्थात् बर्न स्टेन्डर्ड कंपनी लिमिटेड (बी.एस.सी.एल.), ब्रेथवेट एंड कंपनी लि. (बी.एस.सी.एल.), भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (बी.डब्ल्यू.ई.एल.) और ब्रिज एंड रूफ लि. (बी. एंड आर.) वैगनों के निर्माण में लगी हुई हैं। वे निम्नलिखित कारणों से अपनी स्थापित क्षमता के अनुरूप वैगनों का उत्पादन करने में सक्षम नहीं हैं:-

i. अनुमोदित विक्रेताओं द्वारा बोगियों और कॉपलरों जैसे महत्वपूर्ण अवयवों की अपर्याप्त तथा विलम्ब से आपूर्ति।

ii. इस्पात और व्हील सेटों की कमी।

iii. वर्ष 1997-98 से 2003-04 तक वैगनों के मूल्य में गिरावट की प्रवृत्ति जिसके परिणामस्वरूप इन कंपनियों की कार्यशील पूंजी समाप्त हो गयी।

iv पर्याप्त क्रयादेशों के अभाव में क्षमता के इष्टतम उपयोग नहीं होने के कारण अधिक उपरिव्यय लागत।

(ग) रेल मंत्रालय वर्ष 2005-06 से नि:शुल्क आपूर्ति मदों के रूप में इस्पात, व्हील सेट और बेयरिंग के अलावा बोगी और कॉपलर मुहैया कराने के लिए सहमत हो गया है। सरकार ने वेतन और मजदूरी की कमी को पूरा करने के लिए गैर-योजनागत ऋण के रूप में वित्तीय सहायता मुहैया करायी है। इसके अतिरिक्त, लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड के जरिये बी.सी.एल., बी.डब्ल्यू.ई.एल. और बी. एंड आर. के लिए पुनरुद्धार पैकेज तैयार किये गये हैं।

[अनुवाद]

माल की ढुलाई से प्राप्त राजस्व

689. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्यात हेतु लौह अयस्क की अधिक ढुलाई से रेल के राजस्व में काफी वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2003-04 की तुलना में वर्ष 2004-05 के दौरान माल की ढुलाई से कितना अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है; और

(ग) रेलवे द्वारा माल की ढुलाई से और अधिक राजस्व प्राप्त करने हेतु अन्य क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) वित्तीय वर्ष 2003-04 के आंकड़ों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान माल यातायात से होने वाली आय में 7.98% की वृद्धि हुई है। पिछले वित्तीय वर्ष 2003-04 की तुलना में 2004-05 के दौरान लौह अयस्क निर्यात में 52.60% की वृद्धि हुई है।

(ग) माल यातायात से होने वाली आय में और वृद्धि करने के लिए कई उपाय किए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं:-

तरजीही यातायात अनुसूची को युक्तिसंगत बनाना, डीजल साइडिंगों का विद्युतकरण, इंजन-ऑन-लोड स्कीम को उदार बनाना, लागत में भागीदारी के तहत अपने माल ग्राहकों की निजी साइडिंगों का विकास करके प्रोत्साहित करना, इलैक्ट्रॉनिक पेमेंट गेट-वे, एकीकृत गोदाम परिसरों के विकास के लिए योजना, मालभाड़ा दर सूची को युक्तिसंगत बनाना, वर्गों की कुल संख्या में कमी, उच्च वर्ग को 300 एक्स से घटाकर 240 एस. करना, नई प्रीमियर रजिस्ट्रेशन योजना शुरू करना, नई आकर्षक "वैगन निवेश योजना" शुरू करना, रेकों को अधिसूचित खाली दिशाओं में साइडिंगों से बुक किए गए वृद्धिपरक यातायात पर 20% की रियायत देना, गैर व्यस्त अवधि के दौरान वृद्धिपरक यातायात की मालभाड़ा दर में 15% की छूट, 100 कि.मी. से कम दूरी पर दूरी आधारित श्रेणियों में 10 प्रतिशत से 50% तक की छूट, कोयला जिस पर "टू पे" अधिभार में 15% से 10% की कमी की गयी थी, को छोड़कर, "टू पे" अधिभार को 10% से घटाकर 5% तक करना।

[हिन्दी]

अर्जित राजस्व और व्यय की गयी धनराशि

690. श्री वी.के. दुग्मर:
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जोनवार कुल कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान जोनवार कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(ग) सरकार ने राजस्व में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) सरकार इस संबंध में कितनी सफल रह है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, जोन-वार कुल अर्जित राजस्व और वहन किया गया व्यय इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपए में)

जोन	2002-03		2003-04		2004-05 (अनंतिम)	
	सकल आय	साधारण संचालन व्यय	सकल आय	साधारण संचालन व्यय	सकल आय	साधारण संचालन व्यय
1	2	3	4	5	6	7
मध्य	7196.17	4681.11	4362.08	2777.92	4663.27	3038.46
पूर्व	4087.60	3818.75	1860.69	2257.73	2174.22	2441.07
पूर्व मध्य	*	*	2988.79	2241.06	2964.33	2380.43
पूर्व तट	*	*	2996.06	1652.58	3312.22	1692.22
उत्तर	7315.71	4827.52	5002.75	3472.82	5343.79	3811.10

1	2	3	4	5	6	7
उत्तर मध्य	*	*	3218.04	2006.73	3930.81	2123.51
पूर्वोत्तर	1339.33	1591.56	937.76	1048.57	968.60	1141.41
पूर्वोत्तर सीमा	962.21	1178.70	1113.56	1178.14	1173.92	1348.24
उत्तर पश्चिम	*	*	1360.67	1049.60	1456.10	1197.49
दक्षिण	2852.12	2568.84	2424.62	2221.76	2578.21	2378.87
दक्षिण मध्य	4030.76	2834.96	3702.47	2554.61	4203.76	2789.08
दक्षिण पूर्व	7906.91	4523.64	2700.09	1648.74	2967.45	1887.88
दक्षिण पूर्व मध्य	*	*	2725.01	1407.28	3182.87	1493.04
दक्षिण पश्चिम	*	*	1133.34	810.83	1317.03	902.74
पश्चिम	5418.40	3570.99	3812.56	2614.71	4042.18	2806.10
पश्चिम मध्य	*	*	2461.25	1602.86	2712.60	1866.86
मैट्रो	38.52	88.27	42.42	90.63	46.89	90.68
कुल योग	41147.73	29684.34	42842.16	30636.57	47038.25	33389.18

टिप्पणी:-*इन जोनों में अपने लेखे 2003-04 से संकलित किए हैं।

(ग) राजस्व में वृद्धि के लिए कई कदम उठाए गए हैं जैसे माल डिब्बा निवेश योजना, साइडिंग नियमों का उदारीकरण, सार्वजनिक और निजी साझेदारी द्वारा रेल-साइड वाले माल गोदामों के परिसरों का विकास, अतिरिक्त यातायात को आकर्षित करने के लिए माल भाड़े में छूट और विशेष यात्री गाड़ियां चलाना, यात्री डिब्बों और गाड़ियों सेवाओं में विस्तार, अनारक्षित टिकट प्रणाली, इंटरनेट द्वारा आरक्षण, भूमि का वाणिज्यिक उपयोग आदि।

(घ) चालू वित्त वर्ष (अप्रैल-जून, 2005) के दौरान कुल सकल आय 12618.19 करोड़ रुपए है जो गत वित्त वर्ष की तदनुरूपी अवधि 11012.59 करोड़ रुपए की तुलना में 14.58% अधिक है।

मालगाड़ी कोरिडोर परियोजना

691. श्री हरिभाऊ राठौड़:
श्री संतोष गंगवार:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मालगाड़ी कोरिडोर परियोजना आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना पर कितनी धनराशि व्यय किये जाने की संभावना है; और

(घ) इसे कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) से (घ) उच्च घनत्व वाले मार्गों विशेषकर स्वर्णिम चतुर्भुज एवं इसके विकर्णों पर समर्पित मालडिब्बा कॉरिडोर के निर्माण कार्य का प्रस्ताव है। यह गलियारा 25-30 टन धुरभार डबल स्टेक कंटेनर वाली रेल गाड़ियां चलाने के लिए सक्षम होगा। रेल मंत्रालय ने इस परियोजना के विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन का कार्य मैसर्स राइट्स को सौंपा है जो आवश्यक खर्च एवं समय सीमा का उल्लेख करेगा।

गैर-सरकारी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

692. **श्री जयप्रकाश (मोहनलाल गंज):**

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

श्री एम. शिवन्ना:

श्री समिक लाहिरी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की जांच करने हेतु गठित मंत्री समूह ने इस संबंध में कोई प्रगति की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या कतिपय वर्गों द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र में आरक्षण के इस प्रस्ताव का विरोध किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार ने इस मामले को शीघ्र निपटाने के लिए क्या उपाय किये हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) जी, हां। यह देखने के लिए कि निजी क्षेत्र किस प्रकार बेहतर तरीके से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के युवा वर्ग की आकांक्षाओं को पूरी कर सके, उद्योग जगत के साथ वार्ता आरंभ करने के लिए गठित मंत्री समूह उद्योग और व्यवसाय के शीर्ष संघों के साथ विचार-विमर्श कर रहा है।

(ग) से (ङ) उद्योग और व्यवसाय के संघ निजी क्षेत्र में आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, तथापि मई 2005 में उद्योग जगत के 21 कप्तानों ने सकारात्मक कार्रवाई के संबंध में उद्योग के साथ वार्तालाप आरंभ करने के सरकार के प्रयास का स्वागत करते हुए एक वक्तव्य जारी किया है। वे छात्रवृत्तियों, कम्पनी द्वारा संचालित निजी स्कूलों, सरकारी स्कूलों के साथ भागीदारी, इन-हाउस और आई.टी.आई. के साथ भागीदारी में व्यवसायिक प्रशिक्षण, वेन्डर विकास कार्यक्रम आदि के संबंध में लाभ न पाने वाले व्यक्तियों के लिए अपने कार्यकलापों का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

पेट्रोल पंपों के लिए विपणन योजना

693. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पेट्रोल पंपों की वर्तमान विपणन योजना का ब्यारा क्या है;

(ख) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के उभरने के पश्चात् विपणन योजना को छोड़ दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो विपणन योजना को कार्यान्वित न करने के क्या कारण है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) 1-4-2002 से पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशासित मूल्य निर्धारण प्रणाली (ए.पी.एम.) की समाप्ति की घोषणा के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों नामत: इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड और आई.बी.पी. कंपनी लिमिटेड को अब अपने खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों की स्थापना के लिए विपणन योजनाओं हेतु सरकार का अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं है। 1-4-2002 के बाद तेल विपणन कंपनियां स्थानों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर अपनी संबंधित विपणन योजनाओं को स्वयं अंतिम रूप देती है।

[अनुवाद]

दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-हावड़ा के बीच रेल कोरिडोर

694. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में जापान के प्रधान मंत्री के दौरे के दौरान भारत के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-हावड़ा के बीच 5 बिलियन अमरीकी डॉलर के ईस्ट-वेस्ट रेल कोरिडोर के निर्माण के किसी प्रस्ताव पर चर्चा की गयी थी; और

(ख) यदि हां, तो लिये गये निर्णय का ब्यौरा क्या है और इसके अनुसरण में क्या कदम उठाये जा रहे है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) जापानी प्रधानमंत्री के अप्रैल, 2005 में हाल ही के दौरे के दौरान भारत और जापान दोनों ने मुंबई-दिल्ली और दिल्ली-हावड़ा मार्गों पर कंप्यूटरीकृत गाड़ी नियंत्रण प्रणाली वाले समर्पित बहुआयामी उच्च धुरा भार माल भाड़ा गलियारों के प्रस्तावों की व्यवहारिकता की जांच करने के लिए अपनी इच्छा जताई जिसमें जापानी प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता के इनपुट्स सहित आर्थिक साझेदारी योजना संबंधी विशेष शर्तों (स्टैप) का उपयोग किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में मैसर्स राइट्स को परियोजना का विस्तृत व्यवहारिकता अध्ययन के लिए नियत किया है।

[हिन्दी]

स्मारकों का रखरखाव

695. श्री जीवाभाई ए. पटेल:

डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार हमारी विरासत की सुरक्षा के लिए कोई क़दम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) हमारी विरासत की सुरक्षा करने के लिए विद्यमान प्रावधानों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विरासत के स्थलों की ओर अधिक संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने और विरासत स्थलों हेतु बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गये/उठाये जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (भा.पु.स.), प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अन्तर्गत, दाय स्मारकों और स्थलों का परिरक्षण, संरक्षण तथा रखरखाव करता है।

अधिनियम की धारा 4, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को किसी प्राचीन स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की शक्तियां प्रदान करती है। प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों में स्मारकों के रखरखाव, उनके संरक्षण, पुरावशेषों के संरक्षण तथा सांविधिक प्रावधानों के उल्लंघन पर दंड लगाने का भी प्रावधान है।

(ङ) अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों में पर्यटक संबंधी विभिन्न सुविधाएं, जैसे कि जल, प्रसाधन कक्ष, रास्ते, भाषान्तरण प्रकाशन काउंटर तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधाएं दी जाती हैं।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

696. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड की स्थापना के मामले की जांच करने हेतु सरकार द्वारा नियुक्त मंत्री समूह ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गयी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आयुध भंडारों का निजीकरण

697. श्री राकेश सिंह: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आयुध भंडारों के निजीकरण अथवा निगमीकरण संबंधी केलकर समिति की कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

भारतीय वायुसेना से पायलटों का नौकरी छोड़कर जाना

698. डा. एम. जगन्नाथ:
श्री कैलाश मेघवाल:
श्रीमती अर्चना नायक:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वायुसेना कठिनाई का सामना कर रही है क्योंकि इसके पायलटों को नागरिक एयरलाइन उद्योग आकर्षित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय वायुसेना अपने पायलटों को छोड़ने की स्थिति में है; और

(ग) यदि नहीं, तो भारतीय वायुसेना से प्रशिक्षित पायलटों के नौकरी छोड़कर जाने को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) पायलटों के समय-पूर्व सेवानिवृत्ति/त्याग पत्र स्वीकार किए जाने के अनुरोधों पर सरकारी अनुदेशों के अनुसार विचार किया जाता है। केवल उन्हीं पायलटों को सेवा से मुक्त किया जाता है जिनका अधिक्रमण हुआ है अथवा जो 'लो मेडिकल कैटेगरी' में हैं अथवा जिन्होंने अत्यधिक अनुकंपा के आधार पर अनुरोध प्रस्तुत किया हो। सेवामुक्त किए गए पायलटों में से अधिकांश पायलट पायलटों के रूप में पहले ही अपना उपयोगी कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। सेवामुक्त किए गए इन पायलटों से भारतीय वायुसेना की संक्रियात्मक स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

मध्य एशियाई तेल उत्पादकों की बैठक

699. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत एशिया के चार सबसे बड़े उपभोक्ता देशों - चीन, कोरिया, जापान और भारत के साथ मध्य एशियाई तेल उत्पादकों की एक बैठक आयोजित कर रहा है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बैठक से भारत के किस प्रकार लाभान्वित होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) जी हां। प्रस्तावित बैठक एशियाई तेल मंत्रियों की जनवरी, 2005 में नई दिल्ली में आयोजित पहली गोल मेज बैठक का परिणाम है। मुख्य प्रतिभागी देशों की सुविधा की पुष्टि की प्रतीक्षा है। भारत तेल सुरक्षा और उचित मूल्यों पर सतत् आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मुख्य क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच एकता उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है।

[हिन्दी]

आकाशवाणी केन्द्रों का कम्प्यूटरीकरण

700. श्री रामदास आठवले: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु आकाशवाणी केन्द्रों का कम्प्यूटरीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस पर अनुमानत: कितना खर्च होने की संभावना है; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आकाशवाणी नेटवर्क के पूर्ण कम्प्यूटरीकरण हेतु 11.77 करोड़ रुपये की योजनागत स्कीमों का अनुमोदन किया गया है। उनको निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन 10वीं योजना के दौरान पूरा कर लिया जाएगा।

आयुध निर्माणी चान्दा में आग

701. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयुध निर्माणी, चान्दा में 31 जनवरी, 2005 को लगी आग की घटना की जांच हेतु एक जांच बोर्ड (बी.ओ.आई.) गठित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त बोर्ड ने अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) जांच बोर्ड ने निष्प्रयोज्य विस्फोटक से आग लगना शुरू होने को दुर्घटना के संभावित कारण के रूप में आकलित किया है। आग लगने के कारण 81 मि.मी. एच.ई. के कुल 53 बम विस्फोट हुए थे तथा नुकसान की राशि का आकलन 18.65 लाख रुपए किया गया है। एक व्यक्तिय घायल हुआ। इस दुर्घटना के लिए किसी कर्मचारी को दोषी नहीं पाया गया है। जांच बोर्ड ने निम्नलिखित 8 उपचारात्मक उपायों की संस्तुति की है:-

1. यूनिट VII में एन-17 मार्क-I तथा यूनिट IX के लिए डिब्बों को चिन्हित किया जाए ताकि ये आपस में मिल न जाएं।

2. निष्प्रयोज्य प्रणोदक विस्फोटक को पानी में डुबाकर रखा जाए तथा सी.ई. अवशिष्ट को तेल में रखा जाए तथा सप्ताह में दो बार इनका निपटान किया जाए। इसका रिकार्ड रखा जाए।

3. विस्फोटक भवनों में कार्य नहीं होने की अवधि में, समुचित स्थानों पर चौकसी करने के लिए आयुध निर्माणी चांदा द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की जाए।

4. जिन भवनों में बहुत आसानी से प्रज्ज्वलित होने वाली सामग्री जैसे संवर्धन पेटी चार्ज, प्रणोदक की भराई का कार्य चल रहा हो, वहां आग का स्वत: पता लगाने तथा स्वत: जल का छिड़काव करने वाली प्रणाली अपनाई जाने की संभावना का पता लगाया जाए ताकि व्यापक रूप से आग लगने को रोका जा सके।

5. खिड़कियों के शीशे के पैनलों में तारयुक्त शीशा लगाया जाए।

6. भवन 273 तथा 276 के आस-पास एम और स्थैतिक टैंक मुहैया कराया जाए ताकि किसी दुर्घटना/आपात स्थिति में पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

7. भोजनावकाश की अवधि लंबी न हो। भोजनावकाश के दौरान भवन में व्यक्ति मौजूद रहें।

8. आयुध निर्माणी चांदा इन संभावनाओं का पता लगाए कि किसी भी व्यक्ति को, आग लगने वाली चीजों जैसे माचिस/लाइटर, आदि के साथ निर्माणी के गेट के भीतर प्रवेश करने की अनुमति न दी जाए।

सिफारिश संख्या 1, 2, 3, 7 एवं 8 को कार्यान्वित कर दिया गया है। सिफारिश संख्या 5 को कार्यान्वित किया जा रहा है तथा सिफारिश संख्या 4 और 6 पर जांच बोर्ड के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन में विस्फोटक से लदे ट्रक का प्रवेश

702. श्री पंकज चौधरी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उस घटना की जानकारी है जिसमें कड़े सुरक्षा प्रबंध के बावजूद बारूद और डेटोनेटर से लदा एक ट्रक इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन में घुस गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मामले की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) 12-6-2005 को एक ट्रक, जिसका पंजीकरण संख्या: एच.आर.-55बी-1208 था, इसे इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के गेट नम्बर 15 पर सी.आई.एस.एफ. स्टाफ द्वारा रोका गया था। एक प्लास्टिक गन्नी बैग, जिसमें 69 डेटोनेटर, 15 मीटर फ्यूज तार तथा एक सफेद रंग की वस्तु जिसका वजन लगभग 10.7 किलोग्राम था (वस्तु की प्रकृति की जांच की जा रही है) चालक की सीट के नीचे छिपाकर रखा गया था।

(ग) और (घ) जांच से यह पता चलता है कि ट्रक को एक ठेकेदार के उप-ठेकेदार ने काम पर लगाया था, जिसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कार्य सौंपा था जिसमें मुख्य रनवे के उत्तर में साइड स्ट्रिप तथा टीले की सतहीकरण तथा ग्रेडिंग का कार्य करना था। यह भी पता चलता है कि विस्फोटक वस्तु का प्रयोग मुख्य रनवे के उत्तर के टीले तथा साइड

स्ट्रिप के सतहलेपन व ग्रेडिंग के लिए किया जाना था। हालांकि, अतिरिक्त ठेकेदार/उप-ठेकेदार के पास विस्फोटक सामग्री को रखने तथा प्रयोग करने का लाइसेंस नहीं था. इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे टर्मिनल-II, नई दिल्ली के पुलिस स्टेशन में विस्फोटक तोड़-फोड़ अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। दोषी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा और आगे जांच के दौरान अपराधिक रूप से दोषी पाए गए सभी अन्यों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।

(ङ) भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) प्रचालनात्मक क्षेत्र की ओर जाने वाले सभी गेटों पर नियंत्रण पहुंच को बढ़ा दिया गया है तथा प्रचालनात्मक क्षेत्र के अन्दर सभी कार्य स्थलों पर, सी.आई.एस.एफ. अधिकारियों द्वारा समय-समय पर आकस्मिक जांचें की जाती हैं।

(ii) प्रचालनात्मक क्षेत्र तक सी.आई.एस.एफ. अधिकारियों द्वारा वाहनों के साथ-साथ जाना तथा अपनी उपस्थिति में सामग्री को उतारना।

[अनुवाद]

कंडीशनल एक्सेस सिस्टम

703. श्री जे.एम. आरून रशीद:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (सी.ए.एस.) को क्रियान्वित करने के लिए क्या नीति है;

(ख) क्या सी.ए.एस. को समान रूप से सम्पूर्ण देश में लागू किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सी.ए.एस. के प्रति राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार सी.ए.एस. के क्रियान्वयन की समीक्षा करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सी.ए.एस. के क्रियान्वयन में एकरूपता लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2002 के तहत सरकार को जनहित में ऐसी अधिसूचनाएं जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है जो कि प्रत्येक केबल ऑपरेटर द्वारा अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट तारीखों से संबोधनीय प्रणाली (सामान्यतया सशर्त पहुंच प्रणाली के रूप में जानी जाने वाली) के जरिए पे चैनलों के कार्यक्रमों को प्रसारित या पुन:प्रसारित करने को अनिवार्य बनाती हैं तथा विभिन्न राज्यों, शहरों, कस्बों या क्षेत्रों जैसी भी स्थिति हो, के लिए विभिन्न तारीखें विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं।

(ख) से (घ) सशर्त पहुंच प्रणाली (कैस) को तीन महानगरों नामत: दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता में चरणबद्ध तरीके से और चेन्नई में एक बार में लागू करने का प्रयास किया गया था। विभिन्न स्टेकहोल्डरों अर्थात् प्रसारकों, बहु सेवा संचालकों और स्थायी केबल संचालकों के बीच गहरा मतभेद उत्पन्न होने के कारण कैस का कार्यान्वयन को महानगरों में परिचालनात्मक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जिसके फलस्वरूप उपभोक्ता हित प्रभावित हुए। इसके फलस्वरूप, फरवरी, 2004 में चारों महानगरों में कैस का कार्यान्वयन आस्थगित कर दिया गया। तथापि, इस समय कैस मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के तहत केवल चेन्नई शहर में लागू है। कार्यान्वयन के दौरान सभी राज्य सरकारों ने मुख्यतया उपभोक्ताओं के सामने आ रही समस्याओं का उल्लेख करते हुए इसके कार्यान्वयन का विरोध किया था। कैस के कार्यान्वयन का मुद्दा इस समय न्यायाधीन है।

(ङ) से (छ) कैस के कार्यान्वयन के दौरान आने वाली कठिनाइयों के मद्देनजर सरकार ने इस मामले को जनवरी, 2004 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के विचारार्थ भेजा था जिसने अक्तूबर, 2004 में अपनी विस्तृत सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं। सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर अभी अंतिम निर्णय लिया जाना है।

जेट एयरवेज की जांच

704. श्री अवतार सिंह भडाना: क्या **नागर विमानन मंत्री** ग्राउंडिंग ऑफ जेट एयरवेज के बारे में दिनांक 23 जुलाई, 2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2304 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जेट एयरवेज के बारे में कथित

वित्तीय अनियमितताओं, वित्तपोषण के स्रोतों, एयरलाइन्स के स्वामित्व की वैधता और स्थिति के बारे में जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर और क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) कम्पनी मामले मंत्रालय ने वर्ष 2002 में कम्पनी अधिनियम 1956 के खण्ड 209क के तहत मैसर्स जेट एयरवेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड की लेखा पुस्तकों की जांच की थी। कम्पनी तथा इसके दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अधिनियम के खण्ड 205, 244(8), 211 (8 मामले) तथा 292 के उल्लंघन के लिए अभियोजन का आदेश दे दिया गया है/आरम्भ कर दिया गया है। अधिनियम के खण्ड 621क के तहत दायर किए गए कम्पनी के प्रार्थना पत्रों पर, कम्पनी तथा इसके दोषी अधिकारियों पर 2,20,000/-रुपए का प्रशमन शुल्क लगाकर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त अपराधों का प्रशमन किया गया है।

गृह मंत्रालय ने अब सूचित किया है कि उनके द्वारा की गई जांचों में मैसर्स जेट एयरवेज तथा इसके निदेशक मण्डल के खिलाफ कुछ भी उजागर नहीं हुआ है तथा सुरक्षा क्लियरैंस सम्प्रेषित कर दी है।

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने सूचित किया है कि आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारण वर्ष 2002-03 तक मैसर्स चेट एयरवेज (प्रा.) लिमिटेड का जांच कर-निर्धारण पूरा कर लिया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने निधियों के स्त्रोतों, उनके आवेदन तथा निर्धारित द्वारा दावा की गई सकल प्राप्तियों तथा व्यय के संबंध में विस्तृत जांचें की हैं। आयकर विभाग द्वारा की गई जांचों से उजागर हुआ है कि मैसर्स जेट एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्राप्त प्रेषण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विधिवत अनुमोदित बैंकिंग चैनल के माध्यम से आए हैं।

तथापि, प्रवर्तन निदेशालय ने अब सूचित किया है कि उन्होंने मैसर्स जेट एयरवेज इंडिया (प्रा.) लि. के संबंध में जांच ले ली है।

माल भाड़ा यातायात बाजार में हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए रणनीति

705. श्री समिक लाहिरी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने सड़क क्षेत्र से कड़ी प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए माल भाड़ा यातायात बाजार में हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए बहु-उद्देशीय रणनीति तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रेल के लिए अतिरिक्त राजस्व उगाहने तथा फुटकर यातायात को सड़क क्षेत्र से वापस लाने के उद्देश्य से भारतीय रेल द्वारा बहुत से पहल किए गए हैं बढ़ते हुए माल यातायात की तथा माल डिब्बों की मांग को पूरा करने के लिए माल डिब्बा निवेश योजना आरंभ की गई है। साइडिंग नियमों को और उदारीकृत तथा ग्राहकों के अनुकूल बनाया गया है ताकि साइडिंग के मालिकों का विश्वास बढ़ाया जा सके और लदान में वृद्धि की जा सके। प्राइवेट भागीदारी द्वारा रेल साइड वेयर हाउसिंग कांप्लेक्स के लिए एक नई योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्राइवेट पार्टी फुटकर यातायात को इकट्ठा कर रेक/माल डिब्बों में परिवहन के लिए रेलों को गाड़ी भार/वैगन भार में उसे प्रस्तुत करेगी। इस प्रकार माल यातायात सड़क से रेलों की ओर डाइवर्ट हो जाएगा। आगे, माल डिब्बों की अधिसूचित एम्प्टि फ्लो डाइरेकशन में साइडिंग से अतिरिक्त यातायात सृजित करने की दृष्टि से माल भाड़ा दरों में 20% की छूट साइडिंग से बुक किए गए वर्धमान यातायात के लिए दी जाएगी। जुलाई से सितंबर व्यस्त अवधि के दौरान साइडिंग से बुक किए गए वर्धमान यातायात के लिए माल भाड़ा दरों में 15% की रियायत भी दी जाएगी।

वैगनों का उपलब्ध न होना

706. श्री नवजोत सिंह सिद्धू: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमृतसर एक्पोर्टस चैम्बर ऑफ कामर्स से अमृतसर रेलवे स्टेशन वैगनों के उपलब्ध न होने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अमृतसर रेलवे स्टेशन पर वैगनों की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और निर्यात बढ़ाने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) और (ग) चूंकि पाकिस्तान रेलवे की यातायात की स्वीकृति सीमित है इसलिए उच्च स्तरीय मांग को पूरा नहीं

किया जा सकता है। सभी लंबित मांगों को पूरा करने के लिए माल डिब्बों की पूर्ति के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इस समय पाकिस्तान के लिए लंबित मांग नहीं है।

नई खान-पान नीति की समीक्षा

707. **श्री चन्द्रभूषण सिंह:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नई खान-पान नीति, 2004 में काफी विसंगतियां है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न खान-पान संघों छोटे विक्रेताओं द्वारा इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों/मांगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इसकी विसंगतियों को दूर करने हेतु नीति की समीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) जी नहीं। बहरहाल, अभ्यावेदन जनप्रतिनिधियों तथा अन्य संघों के प्रतिनिधियों से प्राप्त हुए थे जिसमें बड़ी कंपनियों का एकाधिकार, कामगारों की बेरोजगारी, क्षेत्र निविदाओं के लिए वित्तीय मापदंड में छूट, खान-पान इकाइयों आदि में आरक्षण में बढ़ोतरी की मांग जैसे खान-पान नीति 2004 से संबंधित विभिन्न मामले शामिल थे। नई खान-पान नीति 2005 पहले ही तैयार कर ली गई है जो 16-3-2005 से प्रभावी है तथा विभिन्न खान-पान संघों द्वारा की गई मांगों का ध्यान रखा गया है।

माल भाड़ा प्रभार

708. **श्री नारायण चन्द्र बरकटकी:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाद्यान्न, दाल और चीनी का मालभाड़ा प्रभार कितना है;

(ख) क्या सरकार द्वारा मालभाड़े में वृद्धि न करने की स्पष्ट रूप से घोषणा किए जाने के बावजूद भी मालभाड़े में भारी वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) जी नहीं, मालभाड़ा दरों में कोई बेतहाशा वृद्धि नहीं हुई थी। बहरहाल, 2005-06 के रेलवे बजट में, गुड्स टैरिफ को सामान्य, युक्तिसंगत तथा पारदर्शी बनाने के लिए ऐतिहासिक परिवर्तन किए गए। युक्तिसंगत की वजह से, हालांकि कुछ पणयों की मालभाड़ा दरें कम हुई थी तथापि कतिपय पण्यों के मालभाड़े में वृद्धि भी हुई थी।

विवरण

चयनित दूरियों पर गाड़ी भार संचालन में खाद्यान्न, दाल तथा चीनी के लिए माल-भाड़ा दरों को दर्शाने वाला विवरण

दूरी किमी.	माल भाड़ा (रु. प्रति टन)			
	अनाज एवं दाल			चीनी
	नॉन पीडीएस*/ पीएपी के लिए	ढके हुए वैगनों में पीडीएस*/ पीएपी के लिए	खुले वैगनों में पीडीएस/पीएपी के लिए	
1	2	3	4	5
100	100.10	83.40	75.10	91.70
200	166.10	138.40	124.60	152.20
300	232.10	193.40	174.10	212.70

1	2	3	4	5
400	298.10	248.40	223.60	273.20
500	364.10	303.40	273.10	333.70
750	529.10	440.90	396.80	485.00
1000	694.10	578.40	520.60	636.20
1500	1024.10	853.40	768.10	938.70
2000	1270.10	1058.40	952.60	1164.20
2500	1450.10	1208.40	1087.60	1329.20
3000	1630.10	1358.40	1222.60	1494.20
3500	1810.10	1508.40	1357.60	1659.20

* जन वितरण प्रणाली

* गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का पुनरुद्धार

709. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:
श्री गुरूदास दासगुप्त:
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री अजय चक्रवर्ती:
श्री सुनिल कुमार महतो:
श्री गिरिधारी यादव:
श्री ए. साई प्रताप:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का पुनरुद्धार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बी.आर.पी.एस.ई.) ने सरकारी क्षेत्र के कुछ रुग्ण उपक्रमों की जांच पूरी कर ली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और ये उपक्रम कौन-कौन से हैं; और

(ङ) बी.आर.पी.एस.ई. द्वारा क्या सिफारिशें की गई और सरकार द्वारा उन पर क्या निर्णय लिया गया?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में यह उल्लेख किया गया है कि यद्यपि सरकारी क्षेत्र की रुग्ण कम्पनियों के आधुनिकीकरण तथा पुनर्गठन एवं रुग्ण उद्योगों के पुनरुद्धार का हर सम्भव प्रयास किया जाएगा, तथापि लम्बे समय से घाटा उठाने वाली कम्पनियों को या तो बेच दिया जाएगा या बन्द कर दिया जाएगा, परन्तु ऐसा करने के पूर्व सभी कर्मचारियों की वैध देनदारियों तथा क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया जाएगा।

(ग) से (ङ) सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बी.आर.पी.एस.ई.) ने सरकारी क्षेत्र के 15 उपक्रमों पर विचार किया है तथा उनके पुनरुद्धार की अनुशंसा की है। इन उपक्रमों की सूची विवरण में संलग्न है। सरकार ने तीन कंपनियों, नामश: हिन्दुस्तान सॉल्ट्स लि. बी.बी.जे. कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लि. तथा नेशनल टेक्सटाईल्स कॉरपो. और इसकी सहायक कंपनियों के पुनरुद्धार का अनुमोदन कर दिया है।

विवरण

क्रम सं.	सरकारी उद्यम का नाम
1.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि.
2.	ब्रिज एण्ड रूफ कं. (इंडिया) लि.
3.	बीबीजे कंस्ट्रक्शन कंपनी लि.
4.	टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
5.	ब्रिटिश इंडिया कारपो. लि.
6.	नेशनल टेक्सटाइल्स लि.
7.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.
8.	एच.एम.टी. बियरिंग्स लि.
9.	प्रागा टूल्स लि.
10.	ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लि.
11.	नेपा लि.
12.	रिचर्डसन एण्ड क्रूडास लि.
13.	केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि.
14.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि.
15.	भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कं. लि.

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों में आकाशवाणी सेवाएं

710. श्री हेमलाल मुर्मू:
श्री शिवराज सिंह चौहान:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसार भारती का विचार वर्ल्ड स्पेस सेटेलाइट के माध्यम से यात्रियों के मनोरंजन हेतु राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस रेल गाड़ियों जैसी कुछ चुनिंदा रेल गाड़ियों में आकाशवाणी सेवाएं शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये सेवाएं प्रदान करने के लिए रेलवे के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विदेश में रिफाइनरी स्थापित करना

711. श्री अनन्त नायक: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन ऑयल की कुछ कंपनियों को विदेश में रिफाइनरी स्थापित करने का काम सौंपा गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनीवार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) जी हां। सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय तेल कंपनियों ने वाणिज्यिक दृष्टि से भारत के बाहर रिफाइनरियां लगाने के लिए करार किए हैं, या वे करार करना चाहती है।

इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड के पास नाइजीरिया की इडो राज्य सरकार के साथ संयुक्त उद्यम में, इडो राज्य में एक नई तेल रिफाइनरी लगाने का प्रस्ताव है। आई.ओ.सी.एल. तथा इडो राज्य सरकार के बीच 10-9-2004 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.) ने सूडान रिफाइनरी परियोजना के लिए ऊर्जा और खनन मंत्रालय (एम.ई.एम.) सूडान सरकार तथा ओ.एन.जी.सी. विदेश लिमिटेड (ओ.वी.एल.) के साथ 26-8-2003 को शीर्ष करार पर हस्ताक्षर करने की शुरुआत की गई।

ईरान, तुर्की तथा रोमानिया में लगातार संभावनाओं की तलाश की जा रही है। विशेष रूप से अफ्रीका और लेटिन अमरीका की रिफाइनरियों में हमारे निवेश के साथ विदेशी अपस्ट्रीम क्षेत्र में अन्वेषण और उत्पादन अवसरों को लगातार जोड़ा जा रहा है। ऊर्जा सरक्षा कार्यनीति के मामले के रूप में हम पारस्परिक निवेश के साथ पारस्परिक व्यापार को मजबूत करना चाहते हैं।

विज्ञापन संहिता

712. श्री डी.वी. सदानन्द गौडा: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विज्ञापनों के बारे में चैनलों को विज्ञापन संहिता के उपबंधों का पालन करना आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी चैनल इन उपबंधों का पालन कर रहे हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) जी, हां। केबल नेटवर्क के जरिए प्रसारित/पुन:प्रसारित किए जाने वाले सभी उपग्रह टी.वी. चैनलों के विज्ञापनों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित विज्ञापन संहिता का पालन करना होता है।

(ग) से (ङ) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के उपबंधों का आमतौर पर केबल नेटवर्क के जरिए प्रसारित/पुन:प्रसारित सभी टी.वी. चैनलों द्वारा अनुसरण किया जाता है। संहिताओं के उल्लंघन के संबंध में किसी प्राधिकृत अधिकारी अर्थात् उप-जिला अधिकारी, जिला अधिकारी अथवा पुलिस आयुक्त या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किसी अन्य अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। केन्द्र सरकार ने विज्ञापन संहिता के उल्लंघनों की जांच करने के लिए केबल अधिनियम के अंतर्गत एक अंतर-मंत्रालयीय समिति का गठन किया है। उल्लंघन की विशिष्ट शिकायतें समिति के विचारार्थ भेजी जाती हैं। सरकार टी.वी. चैनलों पर प्रसारित विषय-वस्तु को विनियमित करने के लिए एक स्वायत्तशासी प्राधिकरण की स्थापना करने पर भी विचार कर रही है।

[हिन्दी]

तेल कंपनियों में कुप्रबंधन की वजह से घाटा

713. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 मई, 2005 के "दैनिक जागरण" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि कुप्रबंधन की वजह से सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियां करोड़ों रुपयों का घाटा उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) सरकार ने सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों को कुप्रबंधन की वजह से होने वाले घाटे पर अंकुश लगाने के लिए क्या अनुदेश जारी किये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के कुप्रबंधन संबंधी समाचार, जो "दैनिक जागरण" के 12 मई, 2005 के संस्करण में प्रकाशित हुआ, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) की वार्षिक लेखापरीक्षा के आधार पर की गई टिप्पणियों से संबंधित है। तेल क्षेत्र में अधिकतर पी.एस.यूज को नवरत्न और मिनीरत्न का दर्जा दिया गया है। इन पी.एस.यूज को शक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से ठोस वाणिज्यिक निर्णय शीघ्र लेने के लिए पर्याप्त रूप से वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता दी गई है। ये लेखापरीक्षा पैरा किसी समय विशेष पर लिए गए विशिष्ट वाणिज्यिक निर्णयों से संबंधित हैं। इन टिप्पणियों को सरकार के ध्यान में लाया गया है।

(ग) और (घ) संबंधित पी.एस.यू. और सी एंड एजी से परामर्श करके इन मामलों पर विस्तृत छानबीन के बाद सरकार द्वारा लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर उपचारी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यह प्रक्रिया जारी है।

औरंगाबाद विमानपत्तन का नवीकरण

714. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औरंगाबाद विमानपत्तन का नवीकरण कार्य शुरू किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा नवीकरण कार्य में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 600 घरेलू तथा 300 अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के खान-पान के प्रबंध

हेतु एक नए एकीकृत टर्मिनल भवन के निर्माण की योजना बनाई है। प्रस्तावित टर्मिनल भवन के विस्तारित इंजीनियरिंग की प्रक्रिया चल रही है तथा इसका वास्तविक कार्य मार्च-अप्रैल, 2006 में प्रारंभ होने की संभावना है।

[अनुवाद]

सूर्य मंदिर

715. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:
श्री लक्ष्मण सेठ:
श्री स्वदेश चक्रवर्ती:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 जून, 2005 के 'इंडियन एक्सप्रेस' समाचार पत्र में 'डार्क क्लाउड्स ओवर सन टैम्पल' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस मंदिर की धरोहर की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) जी, हां। वर्ष 1937 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा मंदिर के परिरक्षण से पूर्व, मंदिर के पुरातत्वीय अंश पास के गांवों में बिखरे पड़े थे। अब इन्हें एकत्रित करके पुरातात्विक संग्रहालय में रखा गया है तथा उनकी मूल स्थिति का पता लगाने के लिए अध्ययन किया जा रहा है। सूर्य मंदिर पर संरचनात्मक संरक्षण, रासायनिक परिरक्षण तथा पर्यावरण संबंधी विकास की दृष्टि से नियमित रूप से ध्यान दिया जाता है। मंदिर पर किए गए वैज्ञानिक अध्ययनों से, संरचना को किसी प्रकार का खतरा होने का संकेत नहीं मिलता; यद्यपि प्रस्तर अवयवों में कुछ खराबी आई थी। मंदिर के वास्तुशिल्पीय भाग, एक नरम पत्थर खोंडोलाइट, से निर्मित हैं। चूंकि मंदिर समुद्र के निकट स्थित है, यह क्षारयुक्त समुद्री हवा से प्रभावित है जो प्रस्तर अवयवों की सतह को नुकसान पहुंचाती है। इससे घुलनशील लवणों का क्रिस्टलन भी हो जाता है जिससे पत्थर आवो-हवा से प्रभावित हो जाते हैं तथा उनका संक्षरण हो जाता है।

पत्थर अवयवों पर हवा से पड़ने वाले प्रभाव को नियंत्रित करने तथा दाय के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपचारात्मक उपाय नियमित रूप से किए जाते हैं:-

(1) बार-बार कागज लुगदी उपचार से घुलनशील लवणों को हटाया जाता है।

(2) उत्पन्न होने वाली छोटी-छोटी वनस्पति तथा कवक को रासायनिक उपचार से हटाया जा रहा है।

(3) पत्थरों को संपिंडन के जरिए आवोहवा के प्रभाव को कम से कम किया जाता है।

(4) पारम्परिक गारे का प्रयोग करके ढांचे की वाटर टाइटनिंग तथा अण्डरपिनिंग की जाती है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कुछ प्रस्तर अवयवों को मजबूती प्रदान करने के लिए मंदिर के दक्षिण तथा पूर्वी ओर नलिकाओं वाली पाड़ बनाई है। मंदिर के प्रास (कैंटिलीवर) को मजबूती प्रदान करने के बाद पाड़ को हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

राज्य सरकार के परामर्श से राष्ट्रीय संस्कृति निधि के तत्वावधान में इस स्थल तथा सूर्य मंदिर के एकीकृत विकास के लिए एक महा-योजना तैयार की गई है। इस परियोजना को धन भारतीय तेल प्रतिष्ठान द्वारा दिया जाएगा।

[हिन्दी]

कतर-पाकिस्तान गैस पाइपलाइन में भारत की भागीदारी

716. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कतर-पाकिस्तान गैस पाइपलाइन में भागीदारी करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) 5-7 जून, 2005 को इस्लामाबाद में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पंचायती राज मंत्री तथा पाकिस्तान के पेट्रोलियम और प्राकृतिक संसाधन मंत्री के बीच हुई बैठक के दौरान, पाकिस्तान की ओर से अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तावित खाड़ी दक्षिण एशिया (जी.यू.एस.ए.) परियोजना के प्राचलों की रूपरेखा का उल्लेख किया गया। नई दिल्ली में 12-13 जुलाई, 2005 को भारत-पाकिस्तान

संयुक्त कार्य दल की पहली बैठक के दौरान, पाकिस्तान की ओर से कतर के संगठनों के साथ परियोजना पर हुई उनकी चर्चाओं का संक्षिप्त हवाला भारतीय पक्ष को दिया गया। भारत ने अन्ततः परियोजना में भागीदारी की दृष्टि से बातचीत से अवगत रखने के लिए कतर को अपने हित की जानकारी दी। तथापि, वर्तमान में परियोजना परिकल्पनात्मक स्तर पर है और प्रौद्योगिकी दृष्टि से व्यवहार्य बनने में अभी कई वर्ष लगने की संभावना है।

चैनलों में विदेशी भागीदारी

717. डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

श्री एम. अंजनकुमार यादव:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में प्रसारित किए जा रहे चैनलों में विदेशी भागीदारी बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो विदेशी भागीदारी वाले चैनलों की संख्या क्या है;

(ग) क्या इन चैनलों में बढ़ती विदेशी भागीदारी से देश की सुरक्षा को कोई खतरा उत्पन्न हो रहा है; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (घ) मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार 10% विदेशी इक्विटी वाली कंपनी गैर-समाचार और समसामयिक विषयक चैनल को अपलिंक करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए पात्र है जबकि समाचार चैनलों के मामले में प्रदत्त इक्विटी के केवल 26% भाग तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। अभी तक विदेशी इक्विटी वाली सत्रह (17) भारतीय कंपनियों के अड़सठ (68) टी.वी. चैनलों को अपलिंकिंग अनुमति प्रदान की गयी है। इन चैनलों को पात्रता मापदंडों को पूरा करने, गृह मंत्रालय के जरिए सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने तथा दिशा-निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित विभिन्न निबंधन एवं शर्तों का अनुपालन करने के पश्चात् इन चैनलों को भारत से अपलिंकिंग करने की अनुमति प्राप्त है। इन चैनलों द्वारा अपलिंक की गई सामग्री के रिकॉर्ड को 90 दिन की अवधि तक रखना और कार्यक्रमों के अनुवीक्षण हेतु आवश्यक मॉनीटरिंग सुविधा उपलब्ध कराना भी आवश्यक होता है।

[अनुवाद]

एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुम्बई

718. श्री हन्नान मोल्लाह: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुम्बई को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एशियाटिक सोसायटी, मुम्बई को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित करने संबंधी प्रस्ताव की जांच की गई है। इस प्रस्ताव को व्यवहार्य नहीं पाया गया।

रेलवे में विकास दर

719. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 जुलाई, 2005 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि रेलवे ने वर्ष की पहली तिमाही में नकारात्मक विकास दर दर्ज की है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं; और

(ग) नकारात्मक विकास दर से उबरने के लिए रेलवे ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) उपरोक्त खबर, वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में केवल फुटकर आय में नकारात्मक वृद्धि के संदर्भ में है जो कि रेलवे की यातायात आय के लगभग 2% है। पिछले वर्ष के तदनुरूपी आकड़ों की तुलना में इस तिमाही में कुल यातायात आय में 14.58% की वृद्धि दर्ज की गई है। तिमाही में प्रत्येक कोटि में यातायात आय निम्नानुसार है:-

(करोड़ रु. में)

कोटि	जून, 2004 के अन्त में	जून, 2005 के अन्त में (अनुमानित)	जून, 2004 की तुलना में वृद्धि
यात्री यातायात से आय	3504.51	3808.69	8.68%
अन्य कोचिंग उपार्जन	216.90	263.20	21.00%
माल यातायात उपार्जन	7091.34	8367.98	18.00%
फुटकर आय	199.84	178.32	10.77%
कुल यातायात उपार्जन	11012.59	12618.19	14.58%

क्षेत्रीय रेल प्रशासनों को अन्य बातों के साथ-साथ वाणिज्यिक विज्ञापनों और प्रचार, खानपान, एस.टी.डी./पी.सी.ओ., पार्किंग, भूमि/इमारतों का वाणिज्यिक उपयोग आदि जो कि फुटकर आय का भाग है, में आय बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है। अन्य क्षेत्रों में सुधार के लिए भी जोर दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

नयी रेल लाइनों का सर्वेक्षण

720. श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2004-05 के रेल बजट में नई रेल लाइनों को बिछाने के लिए सर्वेक्षण कराने हेतु कितने प्रस्ताव शामिल किए गए हैं;

(ख) इन नई रेल लाइनों के सर्वेक्षग को पूरा करने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गयी है;

(ग) सर्वेक्षण पूरा होने के बाद इन नयी रेल लाइनों को स्वीकृति देने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) देश में रेलवे नेटवर्क के राज्य-वार आंकड़े क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) 2004-05 के बजट में कुल 41 सर्वेक्षणों/अद्यतन सर्वेक्षणों को शामिल किया गया। सभी सर्वेक्षणों को 2005-06 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ग) 1980 में राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति द्वारा नई लाइन संबंधी परियोजनाओं को प्रारंभ करने के लिए नीति की घोषणा की गई थी। इस नीति में उल्लेख है कि नई लाइनों को निम्नलिखित मानदंडों पर प्रारंभ किया जाए:-

(i) खनिज पदार्थों और अन्य संसाधनों के दोहन के लिए नये उद्योगों को सेवित करने हेतु परियोजना उन्मुखी लाइनें;

(ii) वैकल्पिक मार्गों को पूरा करने के लिए अप्राप्त संपर्क;

(iii) सामरिक महत्व के लिए अपेक्षित लाइनें;

(iv) नए विकास केन्द्रों की स्थापना या दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंच बनाने के लिए लाइनें।

(घ) 2003-04 के अन्त तक रेलवे के रूट किमी. के राज्यवार आंकड़े रेल वार्षिकी 2003-04 में दिए गए हैं जो रेल बजट प्रलेखों के साथ बाटी गई थी।

रेलवे में भ्रष्टाचार

721. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे में खरीद प्रणाली में प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को खरीद प्रणाली में माफिया के लिप्त होने की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने मामले सामने आए हैं; और

(घ) दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी नहीं। खरीद प्रणाली में भ्रष्टाचार और माफिया की कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई। खरीद की समुचित जांच और बकाया राशि के संबंध में एक सुनिर्धारित प्रणाली है। निवारक जांच और शिकायतों की छानबीन करने के लिए भी एक प्रणाली है और खरीदारियों में अनियमितताओं को रोकने के लिए सतर्कता विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में कोटा

722. श्री तापिर गाव: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली/नयी दिल्ली से लम्बी दूरी के गंतव्य स्थानों विशेषत: गुवाहाटी, दीमापुर, तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ तक जाने की इच्छा रखने वाले यात्रियों के लिए निश्चित कोटा प्रणाली के माध्यम से प्रतीक्षा सूची में भारी संख्या में यात्रियों की संख्या की वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): दिल्ली/नयी दिल्ली से गुवाहाटी/दीमापुर/तिनसुकिया/डिब्रूगढ़ तक जाने के लिए असंतुष्ट मांगों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) मार्च, 2005 में 2501/2502 नई दिल्ली-गुवाहाटी सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस सप्ताह में दो बार एक नई गाड़ी चलाई गई है।

(ii) नई दिल्ली-डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस जो पहले सप्ताह में तीन दिन चलती थी बारम्बारता को बढ़ाकर रोजाना कर दिया गया है।

(iii) 2424/2436 नई दिल्ली-गुवाहाटी-डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी में 25-7-2005 से ए.सी. 3 का एक अतिरिक्त कोच जोड़ा गया है।

(iv) गाड़ी संख्या 4055/2056 दिल्ली-डिब्रूगढ़ टाऊन ब्रह्मपुत्र मेल में 10-7-2005 से नियमित रूप से द्वितीय श्रेणी का एक अतिरिक्त डिब्बा जोड़ा गया है।

(v) अधिक भीड़ से बचने के लिए अतिरिक्त डिब्बे जोड़े गए थे।

चैनलों की अपलिंकिंग संबंधी नीति में संशोधन

723. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार समाचार चैनलों में विदेशी संस्थागत निवेशकों को निवेश करने की अनुमति देने के लिए समाचार चैनलों की अपलिंकिंग संबंधी नीति में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) संशोधित नीति के कब तक लागू होने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) सरकार ने अपलिंकिंग नीति की समीक्षा करने संबंधी प्रस्ताव की जांच करने और अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप प्रदान करने के लिए एक मंत्री-समूह का गठन किया है।

(ग) इस चरण पर कोई समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती है।

बरदोलोई विमानपत्तन

724. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इन्डियन एयरलाइंस के गुवाहाटी-बैंकाक उड़ान को धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा और कारण क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई विमानपत्तन को कुछ अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए पार्किंग केन्द्र के रूप में इस्तेमाल किए जाने की केन्द्र सरकार की कोई योजना है क्योंकि मुक्त आकाश नीति अपनाने के पश्चात् देश के प्रमुख विमानपत्तनों पर स्थान की कमी हो गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई विमानपत्तन के बेहतर उपयोग और उसमें सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई हवाईअड्डे को, पार्किंग हब के रूप में इस्तेमाल करने के लिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को किसी भी विदेशी एयरलाइन से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई एयरपोर्ट के एप्रन का विस्तार किया गया है जिससे कि यहां "ग" तथा "घ" श्रेणी के 8 विमान खड़े हो सकते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की, टर्मिनल भवन को, दो और एरोब्रिजों के साथ एयरसाइड पर लगभग 500 वर्ग मीटर तक बढ़ाने की योजना है। इसके अतिरिक्त, सिटी साइड पर बढ़ाई गई केनोपी उपलब्ध करवाने तथा कार पार्किंग क्षेत्र को और आगे बढ़ाने की इसकी योजनाएं हैं।

विदेशी रेडियो चैनलों के लिए प्रसारण सेवाएं

725. श्री ए. साई प्रताप: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशी रेडियो चैनलों के लिए रेडियो प्रसारण सेवाओं को खोलने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रसोई गैस सुविधा

926. डा. पी.पी. कोया:
श्री सुरेश चन्देल:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार कितना प्रतिशत क्षेत्र रसोई गैस सुविधा के अंतर्गत शामिल है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश के शेष क्षेत्रों, विशेषत: लक्षद्वीप और हिमाचल प्रदेश में रसोई गैस सुविधा पहुंचाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) 1-4-2005 की स्थिति के अनुसार लक्षद्वीप और हिमाचल प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) के 9001 एल.पी.जी. वितरण केन्द्र कार्य कर रहे थे। इन वितरण केन्द्रों के माध्यम से ओ.एम.सीज देश की 43.5 प्रतिशत जनसंख्या को शामिल करते हुए लगभग 845 लाख एल.पी.जी. ग्राहकों की सेवाएं दे रही है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है:-

सरकार ने ओ.एम.सीज को सलाह दी है कि लक्षद्वीप और हिमाचल प्रदेश सहित देश में अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों पर अपनी भावी विस्तार योजनाओं में ध्यान केन्द्रित करें और गांवों में सामुदायिक रसोई घर खोलने और अछूते क्षेत्रों में एल.पी.जी. की आपूर्ति बढ़ाने के लिए निम्न आय वर्ग को 5 कि.ग्रा. के सिलेंडरों की बिक्री करने जैसे नए कदम उठाएं।

विवरण

देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के ग्राहकों की संख्या का ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्राहक संख्या (लाख) (1-4-2005)	*राज्यवार ग्राहक प्रतिशत
1	2	3
आंध्र प्रदेश	93.65	55.3
अरुणाचल प्रदेश	1.00	46.2
असम	14.95	30.3
बिहार	19.72	14.3
छत्तीसगढ़	8.12	19.9
दिल्ली	37.93	100.0

1	2	3
गोवा	3.64	100.0
गुजरात	47.39	48.6
हरियाणा	27.85	75.1
हिमाचल प्रदेश	10.87	89.4
जम्मू और कश्मीर	12.00	76.9
झारखंड	8.56	17.8
कर्नाटक	46.82	45.2
केरल	44.68	66.0
मध्य प्रदेश	34.17	31.1
महाराष्ट्र	112.93	57.1
मणिपुर	1.87	50.0
मेघालय	0.83	19.6
मिजोरम	1.59	89.2
नागालैंड	1.10	33.6
उड़ीसा	12.20	15.9
पंजाब	40.18	92.4
राजस्थान	34.72	37.5
सिक्किम	0.88	76.8
तमिलनाडु	77.58	53.5
त्रिपुरा	1.95	29.2
उत्तर प्रदेश	86.29	33.7
उत्तरांचल	13.14	82.1
पश्चिम बंगाल	42.30	26.9
अंडमान और नीकोबार	0.40	51.4
चंडीगढ़	3.02	100.0
दादरा और नगर हवेली	0.28	61.8
दमन एवं द्वीव	0.25	70.5
लक्षद्वीप	0.03	29.2
पांडिचेरी	2.02	100.0
योग	844.92	43.5

* प्रारंभिक जनसंख्या सार: 1-2-2005 को भारतीय जनसंख्या वेबसाइट 2001 से लिए गए।

सल्फर युक्त पेट्रोल

727. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ महानगरों में खुदरा बिक्री केन्द्रों को 0.05 प्रतिशत के अधिकतम सल्फर युक्त पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश के अन्य शहरों में इस प्रकार के पर्यावरण अनुकूल ईंधन की आपूर्ति हेतु कोई कदम उठाये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) जी, हां। पूरे देश में 1-4-2005 से अधिकतम 0.05% सल्फर अंश वाले पेट्रोल (भारत स्तर II) की आपूर्ति की जा रही है। चुनिंदा शहरों अर्थात्, दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलौर, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, कानपुर और आगरा में 1-4-2005 से अधिकतम 0.015% सल्फरयुक्त पेट्रोल (यूरो III) की आपूर्ति की जा रही है।

भारत स्तर-II डीजल (0.05% अधिकतम सल्फर) भी छह राज्यों और एक राज्य के कुछ हिस्सों अर्थात् राजस्थान, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग को छोड़कर पूरे भारत में 1-4-2005 से शुरू किया गया है।

भारत स्तर-II डीजल 1-6-2005 से राजस्थान में और

1-7-2005 से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में शुरू किया गया है।

सरकार द्वारा अनुमोदित संशोधित समय योजना के अनुसार तेल कंपनियों को 1-9-2005 से मध्य प्रदेश में और 1-10-2005 से पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर में भारत स्तर-II डीजल शुरू करने का निर्देश दिया गया है।

पार्सल व खान-पान व्यवसाय

728. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को गत वर्ष पार्सल व खानपान व्यवसाय में भारी घाटा उठाना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि का घाटा हुआ है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा रेलवे में पार्सल और खानपान सेवाओं में सुधार लाने तथा इसे निजी संचालकों की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां। कर्षण लागत को शामिल करते हुए पूर्णतया वितरित लागत को अपनाए जाने पर भारतीय रेलों पर पार्सल और खानपान सेवाएं लाभकारी नहीं होती। बहरहाल, गाड़ी के दोनों सिरों पर द्वितीय श्रेणी सामान ब्रेक सवारीडिब्बा (एस.एल.आर.) संरक्षा संबंधी अनिवार्य आवश्यकता समझी जाती है ताकि गाड़ी दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों को सुरक्षित रखा जा सके। अत: एस.एल.आर. की कर्षण लागत चाहे जितनी भी हो, तर्कसंगत मानी जा सकती है। इसी प्रकार खानपान सेवाएं, लाभकारी हैं। बहरहाल, यदि मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों की पेंट्री कार की कर्षण लागत को भी शामिल कर लिया जाता है तो यह हानि दर्शाती है। पेंट्री कारें अनिवार्य यात्री सुविधा के रूप में जोड़ी जाती हैं ताकि यात्रियों को चलती गाड़ियों में भोजन मुहैया कराया जा सके जिसकी कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। अत: पेंट्री कारों की कर्षण लागत भी तर्कसंगत मानी जा सकती है।

(ख) एस.एल.आर. के साथ-साथ पेंट्री कारों की कर्षण लागत भी सेवाओं की लागत में शामिल किए जाने की स्थिति में, वर्ष 2002-03 के लिए बड़ी लाइन और मीटर लाइन पर रेलों द्वारा वहन की जाने वाली हानि की राशि निम्नानुसार होगी:-

	हानि की राशि (करोड़ रु. में)
पार्सल, सामान और डाक सेवाओं के मामले में	782.18
खानपान सेवाओं के मामले में	410.81

(घ) रेल उपयोगकर्ताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय रेल पर ब्रेक वैनों में पार्सल स्पेस को पट्टे पर देने की योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत यात्री गाड़ियों के ब्रेकवैनों में पार्सल स्पेस को खुली निविदा के जरिए बोलियां आमंत्रित करके निजी पार्टियों को पट्टे पर दिया जाता है। इसी तर्ज पर फेरों के आधार पर पार्सल वैनों को पट्टे पर देने की योजना शुरू की गई है।

खानपान सेवाओं में सुधार करने के प्रयोजन से रेलों ने विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें बढ़िया कच्चे माल का इस्तेमाल थ्री पीस कैसरोल पैकेट बंद भोजन की शुरुआत, पर्यावरण के अनुकूल पैकिंग सामग्री का इस्तेमाल, भोजन के साथ सुरक्षित पीने के पानी की सप्लाई आदि शामिल हैं। रेलवे बोर्ड और क्षेत्रीय रेलों के स्तर पर नियमित निरीक्षण/औचक जांचें की जाती हैं। खान-पान सेवाओं के व्यावसायीकरण और उन्हें अद्यतन बनाने के लिए भारतीय रेल खान-पान एवं पर्यटन निगम की स्थापना की गई है। आई.आर.सी.टी.सी. खान-पान सेवाओं में दृष्टिगोचर सुधार लाने के लिए खान-पान कर्मचारियों को प्रशिक्षित भी कर रहा है।

अर्जुन टैंक का विकास

729. श्री अजय चक्रवर्ती:

श्री नवीन जिन्दल:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डी.आर.डी.ओ. ने सेना के लिए अर्जुन टैंक विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस टैंक की मुख्य क्षमताएं क्या हैं;

(ग) यह टैंक रूस से खरीदे गए टी-90 टैंक से किस प्रकार बेहतर है;

(घ) क्या इस टैंक की क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए आवश्यक प्राथमिक जांच की गयी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार के ध्यान में कौन-सी खामियां आयी हैं; और

(च) इन खामियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) उत्कृष्ट कवचित शिकस्त देने की क्षमता, रात-दिन संक्रिया, उल्लेखनीय गतिशीलता, उत्तम आरामदेह सवारी, उच्च-स्तर की प्रतिरोधिता तथा 'चलते-चलते' फायर करने की क्षमता अर्जुन टैंक की कुछ मुख्य योग्यताएं हैं।

(ग) अपने भार के अनुपात में उच्च-शक्ति, रात-दिन चलते-चलते फायर करने की उत्कृष्ट क्षमता और उत्कृष्ट आरामदेह सवारी के कारण अर्जुन टैंक टी-90 टैंक से बेहतर है।

(घ) मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन पर सभी परीक्षण कर लिए गए हैं तथा यह सेना की जनरल स्टाफ गुणता अपेक्षा को पूरा कर रहा है। उत्पादन लॉट में से पांच अर्जुन टैंकों की पहली खेप टी-90 टैंकों के साथ तुलनात्मक परीक्षणों के लिए जाएगी।

(ङ) तुलनात्मक परीक्षणों से पूर्व आरंभिक परीक्षणों के दौरान कतिपय प्रणालियां स्वीकार्यता मानदंडों पर खरी नहीं उतरी हैं। इन यूनिटों में सुधार किया जा रहा है।

(च) अति उच्च असाधारण तापमान को बर्दाश्त करने के लिए इसे खुरदरा बनाया जा रहा है।

जलेश्वर और दीघा के बीच रेल संपर्क

730. श्री प्रशान्त प्रधान: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जलेश्वर को दीघा से रेल द्वारा जोड़ने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) सर्वेक्षण रिपोर्ट पर आगे क्या कार्रवाई की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) दीघा से जलेश्वर तक नई लाइन के निर्माण के लिए 2005-06 के बजट में सर्वेक्षण को शामिल किया गया है। सर्वक्षण अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा धन का अपव्यय

731. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:

श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज):

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं योजना की मध्यावधि समीक्षा में योजना आयोग ने उल्लेख किया है कि सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियां अपने उद्देश्य से भटक रही है और प्रतिस्पर्धा के नाम पर सार्वजनिक धन का अपव्यय कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) सरकार क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा सार्वजनिक धन में अपव्यय को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) 31 मार्च, 2005 तक सरकारी क्षेत्र की प्रत्येक तेल कंपनी द्वारा अन्य देशों में कितना निवेश किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) योजना आयोग ने 10वीं योजना की मध्यावधि समीक्षा में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह कहा है कि तेल क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम (पी.एस.यूज) उप-इष्टतम निवेश करने के लिए एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और इसलिए प्रत्येक तेल पी.एस.यू. के निवेश कार्यक्रम की समीक्षा करने और इष्टतम रूप से सार्वजनिक निधियों का निवेश करने के लिए समग्र रूप से इस क्षेत्र पर एकीकृत दृष्टि रखने की आवश्यकता है।

(ग) तेल पी.एस.यूज अपने कार्य व्यापार और अपने आंतरिक संसाधनों के वाणिज्यिक लिहाज के आधार पर निवेश का निर्णय लेते हैं। तथापि, उनके वार्षिक योजना परिव्यय को अनुमोदित करते हुए सरकार उनकी अनावश्यक प्रतिस्पर्धा रोकने की दृष्टि से जहां भी अपेक्षित हो हस्तक्षेप भी करती है और समग्र रूप से इस क्षेत्र में इष्टतम निवेश सुनिश्चित करती है।

(घ) तेल पी.एस.यूज द्वारा विदेशों में 31 मार्च, 2005 तक किए गए निवेश का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	तेल पी.एस.यू. का नाम	31-3-2005 तक संचित निवेश (करोड़ रुपए में)
1.	ओ.एन.जी.सी.+ओ.वी.एल.	14017.11
2.	बामर लॉरी एंड कं. लि.	27.65
3.	इंजीनियर्स इंडिया लि.	0.03
4.	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि.	237.17
5.	ऑयल इंडिया लि.	133.36
6.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.	0.73
7.	गेल (इंडिया) लि.	267.00

[अनुवाद]

अयोध्या में उत्खनन गड्ढों को नुकसान

732. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अयोध्या के रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद परिसर में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के कारण कुछ उत्खनन गड्ढों को नुकसान पहुंचा है जहां ए.एस.आई. ने तथ्यों का पता लगाने की कोशिश की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ए.एस.आई. ने स्थल का सर्वेक्षण किया है;

(घ) यदि हां, तो इन उत्खनन गड्ढों को कुल कितना नुकसान हुआ है; और

(ङ) उक्त परिसर में उत्खनन गड्ढों को बचाने के लिए ए.एस.आई. द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। हाल ही के आतंकवादी हमलों के कारण अयोध्या स्थित उत्खनित खाइयों को कोई क्षति नहीं पहुंची है।

(ङ) माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लघनऊ पीठ की विशेष पूर्ण पीठ के निर्देशों के अनुसार अयोध्या स्थित उत्खनित खाइयों का साप्ताहिक निरीक्षण किया जा रहा है।

[हिन्दी]

एन.एस.एफ.डी.सी. द्वारा धनराशि का संवितरण

733. श्री कैलाश मेघवाल:

श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एन.एस.एफ.डी.सी.) के माध्यम से सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के नाम क्या हैं और इसके लिए ऋण दात्री एजेंसियां कौन सी हैं;

(ख) एन.एस.एफ.डी.सी. द्वारा धनराशि दिए जाने के लिए क्या मानदंड हैं;

(ग) वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार एन.एस.एफ.डी.सी. द्वारा कितनी राशि आबंटित और जारी की गयी है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा कितनी राशि का वास्तव में उपयोग किया गया;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान एन.एस.एफ.डी.सी. द्वारा वित्तपोषित योजनाओं के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं;

(च) क्या उक्त कार्यक्रम के लिए राज्यों द्वारा भी अलग से वित्त निगम स्थापित किए गए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम तथा इसके राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से निम्नलिखित योजनाएं कार्यन्वित की जाती हैं:-

1. आवधिक ऋण योजना

2. माइक्रो क्रेडिट वित्त योजना

3. महिला समृद्धि योजना

4. कौशल विकास कार्यक्रम

इसके अतिरिक्त, एन.एस.एफ.डी.सी. की राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी सीमान्त राशि ऋण योजना भी कार्यान्वित करती है।

(ख) एन.एस.एफ.डी.सी. एस.सी.ए. की ऋण प्रदान करने के लिए निम्नलिखित मानदंड अपनाता है:-

1. एस.सी.ए. को एन.एस.एफ.डी.सी. ऋण के सम्मुख राज्य सरकार गारंटी की उपलब्धता
2. निधि जारी करने के लिए एन.एस.एफ.डी.सी द्वारा निर्धारित विवेकी शर्तों को पूरा करना
3. रा.अ.जा.वि. एवं वि.नि. द्वारा जारी आशय पत्र में उल्लिखित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन

(ग) से (ङ) 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान (30-6-2005 तक) एन.एस.एफ.डी.सी. योजनाओं के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार निधि का आबंटन, निर्मुक्त, उपयोगिता की प्राप्ति और लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर है।

(च) और (छ) उपरोक्त कार्यक्रमों के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्थापित वित्त निगमों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची संलग्न विवरण-II पर है।

विवरण-I

वर्ष 2004-05 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम की योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार निधि आवंटन निर्मुक्ति, प्राप्त उपयोग प्रमाण पत्र तथा लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटित निधि	निर्मुक्त निधि #	एस.सी.ए. से उपयोगिता की प्राप्ति*	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	994.53	2423.40	3300.30	23534
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.68	0.00	0.00	0
3.	असम	199.52	0.00	0.00	0
4.	बिहार	1051.68	0.00	14.18	18
5.	चंडीगढ़	12.70	36.35	28.21	101
6.	छत्तीसगढ़	194.94	210.40	257.14	86
7.	दादर और नागर हवेली	0.71	0.00	0.00	0
8.	दमन और दीव				
9.	दिल्ली	188.86	156.33	404.48	1245
10.	गोवा	1.92	2.17	0.40	2
11.	गुजरात	289.56	12.71	785.71	3621

1	2	3	4	5	6
12.	हरियाणा	329.73	140.03	23.77	12
13.	हिमाचल प्रदेश	121.07	62.71	154.95	466
14.	जम्मू और कश्मीर	62.07	196.11	6.83	10
15.	झारखंड	257.04	0.00	96.96	116
16.	कर्नाटक	690.23	1101.00	610.29	3235
17.	केरल	251.78	333.63	306.33	737
18.	मध्य प्रदेश	737.88	1156.25	160.44	286
19.	महाराष्ट्र	796.44	2572.34	1218.80	1421
20.	मणिपुर	4.86	0.00	0.00	0
21.	मेघालय	1.22	0.00	0.00	0
22.	मिजोरम	0.03	0.00	0.00	0
23.	उड़ीसा	490.20	0.00	104.15	39
24.	पांडिचेरी	12.71	0.00	8.43	9
25.	पंजाब	566.51	68.08	40.01	91
26.	राजस्थान	781.35	816.44	208.24	299
27.	सिक्किम	2.97	78.56	76.73	73
28.	तमिलनाडु	955.68	0.00	12.48	6
29.	त्रिपुरा	60.71	173.15	62.24	81
30.	उत्तर प्रदेश	2832.88	4057.95	892.94	11523
31.	उत्तरांचल	122.29	158.12	72.30	44
32.	पश्चिम बंगाल	1487.23	957.40	316.90	498
	कुल	13499.98	14713.13	9163.21	47553

नोट:- *विवरण का ध्यान दिए बगैर वर्ष के दौरान एस.सी.ए. से एन.एस.एफ.डी.सी. द्वारा प्राप्त उपयोगिता से संबंधित उपयोगिता आंकड़ा।

एस.सी.ए. द्वारा 197.00 लाख रुपए वापस किए गए थे। जिसके फलस्वरूप वर्ष 2004-05 में एस.सी.ए. का निवल वितरण 14,516.13 लाख रुपए था।

वर्ष 2005-06 (1-4-05 से 30-6-2005) तक एन.एस.एफ.डी.सी. की योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार आवंटित, जारी निधि, प्राप्त उपयोगिता और लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटित निधि	निर्मुक्त निधि #	एस.सी.ए. से उपयोगिता की प्राप्ति*	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1178.70	300.00	0.00	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.80	0.00	0.00	0
3.	असम	236.46	0.00	0.00	0
4.	बिहार	1246.45	0.00	0.00	0
5.	चंडीगढ़	15.05	0.00	0.00	0
6.	छत्तीसगढ़	231.04	0.00	0.00	0
7.	दादर और नागर हवेली	0.86	0.00	0.00	0
8.	दमन और दीव				
9.	दिल्ली	223.84	0.00	2.65	4
10.	गोवा	2.26	1.24	0.00	0
11.	गुजरात	343.19	29.70	0.00	0
12.	हरियाणा	390.79	0.00	0.00	0
13.	हिमाचल प्रदेश	143.49	0.00	0.00	0
14.	जम्मू और कश्मीर	73.57	0.00	0.00	0
15.	झारखंड	304.65	0.00	0.00	0
16.	कर्नाटक	818.04	51.14	180.55	1030
17.	केरल	298.46	75.35	109.25	227
18.	मध्य प्रदेश	874.53	0.00	0.00	0
19.	महाराष्ट्र	943.92	183.69	172.57	170

1	2	3	4	5	6
20.	मणिपुर	5.76	0.00	0.00	0
21.	मेघालय	1.44	0.00	0.00	0
22.	मिजोरम	0.03	0.00	0.00	0
23.	उड़ीसा	580.98	0.00	15.50	5
24.	पांडिचेरी	15.08	0.00	0.00	0
25.	पंजाब	671.41	17.93	0.00	0
26.	राजस्थान	926.04	0.00	29.81	71
27.	सिक्किम	3.52	0.00	0.00	0
28.	तमिलनाडु	1132.66	0.00	0.00	0
29.	त्रिपुरा	71.97	46.05	45.53	164
30.	उत्तर प्रदेश	3357.47	0.00	344.75	3970
31.	उत्तरांचल	144.92	0.00	0.00	0
32.	पश्चिम बंगाल	1762.66	200.00	78.15	63
	कुल	16000.04	905.10	978.76	5704

नोट:- *विवरण का ध्यान दिए बगैर वर्ष के दौरान एस.सी.ए. से एन.एस.एफ.डी.सी. द्वारा प्राप्त उपयोगिता से संबंधित उपयोगिता आंकड़ा।

विवरण-II

एन.एस.एफ.डी.सी. की राज्य चैनेलाजिंग एजेंसियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	एस.सी.ए. का नाम
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश शेड्यूल्ड कास्ट को-ओपरेटिव कोरपोरेशन लिमिटेड
2.	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश इंड्र. एंड फाइ. डवलपमेंट कोरपोरेशन
3.	असम	असम स्टेट डवलपमेंट कारपोरेशन फॉर एससीज लि.
4.	बिहार	बिहार स्टेट एस.सी. कोओपरेटिव डवलपमेंट कोरपोरेशन लि.
5	चंडीगढ़	चंडीगढ़ एसीज, बीसीज एंड मायनोरीटीज फाइ. एंड डवलपमेंट कोर.

1	2	3
6.	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ स्टेट अंतावासई सहकारी फान. एंड डवल. कोर.
7.	दादर और नागर हवेली और दमन और दीव	दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव एससीज/एसटीज/ओबीसीज/माइ/फाई. एंड डवल. कोर.
8.	दिल्ली	दिल्ली एससीज/एसटीज/ओबीसीज/माइ एंड हेडीकेपड फाइ. एंड डवल. कोर.
9.	गोवा	गोवा स्टेट एससीज एंड बीसीज डवल. कोर.
10.	गुजरात	गुजरात एससीज डवल. कोर.
11.	हरियाणा	हरियाणा एसीज फाइ. एंड डवल. कोर.
12.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश एससीज एंड एसटीज डवल. कोर.
13.	जम्मू और कश्मीर	जे. एंड के. एससीज, एसटीज एंड ओबीसीज डवल. कोर.
14.	झारखंड	झारखंड स्टेट ट्राइबल कोओपरेटिव डवल. कोर.
15.	कर्नाटक	कर्नाटक एससीज एंड एसटीज डवल. कोर.
16.	केरल	केरल स्टेट डवल. कोर. फार एससीज एंड एसटीज लि.
17.	केरल	केरल स्टेट वूमेनस डवल. कोर.
18.	मध्य प्रदेश	एम.पी. स्टेट को.ओ. एससीज फाइ. एंड डवल. कोर.
19.	मध्य प्रदेश	एम.पी. हस्तशिप अवाम हथकरघा विकास निगम लि.
20.	महाराष्ट्र	महात्मा फूले बीसीज डवल. कोर.
21.	महाराष्ट्र	संत रविदास लेदर इंडस्ट्रीज एंड चर्मकार डवल. कोर.
22.	महाराष्ट्र	लोकशहीर अन्नाभाऊ साठे डवल. कोर.
23.	मणिपुर	मणिपुर ट्राइबल डवल. कोर. लि.
24.	मणिपुर	मणिपुर एसटीज एंड एससीज कोर. डवल. बैंक लि.
25.	मेघालय	मेघालय कोओपरेटिव एपेक्स बैंक लि.
26.	मिजोरम	मिजोरम अरबन को.ओ. डवल. बैंक लि.
27.	मिजोरम	मिजोरम खादी एंड विलेज इन्ड. बोर्ड
28.	उड़ीसा	उड़ीसा एससीज एंड एसटीज डवल. एंड फाइ. को. कोर.
29.	पांडिचेरी	पांडिचेरी आदि द्राविदार डवल. कोर.

1	2	3
30.	पंजाब	पंजाब एससीज लेंड डवल. एंड फाइ. को.
31.	राजस्थान	राजस्थान एससीज एंड एसटीज फाइ. एंड डवल. कोओपरेटिव कोर.
32.	सिक्किम	सिक्किम एस.सी., ट्राइबल एंड बी.सी. डवल. कोर.
33.	तमिलनाडु	तमिलनाडु आदि द्राविदर हाउसिंग डवलपमेंट कोर.
34.	त्रिपुरा	त्रिपुरा एससीज को.ओ. डवल. को. लि.
35.	उत्तर प्रदेश	यू.पी. एससीज फाइ. एंड डवल. कोर.
36.	उत्तरांचल	उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम
37.	प. बंगाल	प. बंगाल एससीज एंड एसटीज डवल. एंड फाइ. कोर.

महाराष्ट्र में आवासीय विद्यालय

734. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2004-05 के दौरान महाराष्ट्र में कितने आवासीय विद्यालय खोले गए हैं;

(ख) क्या राज्य सरकार ने वर्ष 2005-06 के दौरान नए आवासीय विद्यालय खोलने के लिए केन्द्र सरकार से अनुमति मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है तथा इस उद्देश्य हेतु कितना अनुदान जारी किया गया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) जी, कोई नहीं।

(ख) और (ग) वित्त वर्ष 2005-06 के दौरान महाराष्ट्र राज्य सरकार से निरीक्षण रिपोर्ट और सिफारिशों के साथ आवासीय विद्यालयों का कोई नया प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

कुल्लू विमानपत्तन की धावनपट्टी का विस्तार

735. श्री सरेश चन्देल: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कुल्लू विमानपत्तन की धावनपट्टी की लम्बाई बढ़ाने में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने कुल्लू विमानपत्तन की धावनपट्टी का विस्तार करने के लिए आवश्यक भूमि को सौंप दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) आई.आई.टी., रूड़की जिसे रनवे के विस्तार के लिए टेक्नो-इकोनॉमिक व्यवहार्यता अध्ययन करने का कार्य सौंपा था उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसकी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा जांच की जा रही है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। नदी को मोड़े जाने के कार्य के बाद तथा प्रशिक्षण कार्य पूरे करने के बाद अपेक्षित भूमि उपलब्ध कराई जा सकेगी।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालयों में टी.वी./रेडियो प्रसारण

736. श्री सनत कुमार मंडल: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं को सीमित सामुदायिक टी.वी./रेडियो प्रसारण हेतु अनुमति दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में उन विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं का ब्यौरा क्या है जहां ऐसी परियोजनाएं शुरू की गयी हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) केन्द्र सरकार ने दिसम्बर, 2002 में विश्वविद्यालयों सहित सुस्थापित शैक्षणिक संस्थानों को सामुदायिक प्रसारण लाइसेंस देने के लिए एक संबंधित स्कीम अनुमोदित कर दी है। तथापि, सामुदायिक टेलीविजन प्रसारण के संबंध में ऐसी कोई स्कीम नहीं है।

(ख) और (ग) अब तक 74 आवेदन प्राप्त हुए हैं। 53 पात्र आवेदनों को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु गृह मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा आवृत्ति की उपलब्धता हेतु संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पास भेज दिया गया है। 38 संस्थानों को आशय पत्र जारी कर दिए गए हैं और 23 संस्थानों ने हमारे साथ लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। निम्नलिखित 8 संस्थानों ने सामुदायिक रेडियो प्रसारण शुरू कर दिया है:-

1. अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई
2. श्री मानाकुला विनयागार इंजी. कॉलेज पाण्डिचेरी
3. इंडिया इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जयपुर
4. कोंगू इंजी. कॉलेज, इरोड़
5. एम.ओ.पी. वैष्णव कॉलेज फोर वूमन, चेन्नई
6. सनबीम इंगलिश स्कूल, वाराणसी
7. विद्या प्रतिष्ठान्स इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बारामती, पुणे
8. सिटी मॉण्टेसरी स्कूल, लखनऊ।

कर्नाटक में आकाशवाणी/दूरदर्शन का प्रसारण क्षेत्र

737. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में आज की तिथि के अनुसार रेडियो और दूरदर्शन का कुल प्रसारण क्षेत्र कितना है;

(ख) पूरे-राज्य में कब तक आकाशवाणी/दूरदर्शन के शत-प्रतिशत प्रसारण की पहुंच हो सकेगी; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) कर्नाटक में, स्थलीय रेडियो और टी.वी. कवरेज क्रमशः 97.3% और 82.4% जनसंख्या को उपलब्ध है। अनुमोदन और निधियों के उपलब्धता के अध्यधीन 10वीं योजना में प्रस्तावित गुलबर्गा, शृंगेरी और बेल्लारी प्रत्येक में एक-एक अर्थात् तीन 10 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटरों की स्थापना होने से कर्नाटक में रेडियो कवरेज 98.75% जनसंख्या तक बढ़ जाएगी।

स्थलीय प्रसारण द्वारा कवर न किए गए क्षेत्रों को दूरदर्शन की फ्री-टु-एयर डी.टी.एच. सेवा-"डी.डी. डायरेक्ट प्लस" के जरिए 33 टी.वी. और 12 रेडियो चैनलों के समूह के साथ बहु-चैनल कवरेज उपलब्ध करवा दी गयी है जिसके सिगनल लघु आकार की डिश अभिग्रहण इकाई की सहायता से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर सारे देश में (कर्नाटक सहित) प्राप्त किए जा सकते हैं।

अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति

738. श्री राजेन्द्र कुमार: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति के बारे में 24-3-2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3371 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वांछित जानकारी अब तक एकत्र कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इस जानकारी के कब तक एकत्र कर लिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) जी, हां। अतारांकित प्रश्न संख्या 3371 से संबंधित आश्वासन को दिनांक 20-7-2005 को कार्यान्वित कर दिया गया है।

कच्चे तेल का आयात

739. श्रीमती अर्चना नायक: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में कुल कितनी मात्रा में कच्चे तेल का आयात किया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष गवेषण किए गए तेल कुओं की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) देश में सरकारी तथा निजी स्वामित्व वाले तेल के कुओं की संख्या कितनी है;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान देश में तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में कोई बढ़ोत्तरी हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में आयातित कच्चा तेल निम्नानुसार था:-

वर्ष	मात्रा (एम.एम.टी.)
2002-03	82.0
2003-04	90.4
2004-05	95.9

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) अपतटीय और तटीय क्षेत्रों में सरकार का 4831 तेल कूपों और संयुक्त उद्यम/निजी कंपनियों का 181 तेल कूपों पर स्वामित्व है।

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कंडेनसेट सहित प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल का उत्पादन निम्नानुसार है:-

वर्ष	तेल (एम.एम.टी.)	गैस (बी.सी.एम.)
2002-03	32.109	31.397
2003-04	33.369	31.961
2004-05	33.980	31.759

विवरण

कच्चे तेल का आयात

राज्य/क्षेत्र	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	27	15	13
असम	33	23	20
हिमाचल प्रदेश	–	1	–
गुजरात	54	45	36
मध्य प्रदेश	–	1	–
राजस्थान	1	–	–
तमिलनाडु	19	17	15
त्रिपुरा	5	4	4
पश्चिम बंगाल	–	1	–
अपतट	20	30	33

ताप्ती गैस क्षेत्र से गैस का आबंटन

740. श्री जसभाई दानाभाई बारड: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ताप्ती गैस फील्ड से गैस के आबंटन हेतु अतिरिक्त विकास योजना को अंतिम रूप दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक क्रियान्वित किया जाएगा;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने पीपावाव विद्युत परियोजना हेतु 3.65 एम.एम.एस.सी.एम.डी. गैस के आबंटन हेतु गुजरात सरकार के अनुरोध पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय के कब तक लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) जी, हां। मध्य और दक्षिण ताप्ती गैस क्षेत्रों के लिए नई संशोधित विकास योजना मार्च, 2005 में ब्लाक की प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित कर दी गई है। इस विकास योजना के अनुसार जुलाई, 2007 तक अतिरिक्त गैस का अनुमान है। इन क्षेत्रों में गैस उत्पादन का लक्ष्य वर्तमान दर 6.84 मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर प्रति दिन (एम.एम.एस.सी.एम.डी.) से बढ़ाकर 12.00 एम.एम.एस.सी.एम.डी. करना है।

(ग) और (घ) जून, 2000 में "सिद्धान्त रूप में" 2.25 एम.एम.एस.सी.एम.डी. का आबंटन पीपावाव गैस आधारित विद्युत

परियोजना के लिए ताप्ती क्षेत्र के अतिरिक्त विकास के अध्यधीन किया गया था। ताप्ती क्षेत्र से उत्पादित गैस के मूल्य में संशोधन के परिणामस्वरूप उक्त संयुक्त उद्यम को उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पी.एस.सी.) के अनुसार बाजार सापेक्ष मूल्य पर संयुक्त उद्यम की गैस का विपणन करने की अनुमति दी गई है। बदली हुई परिस्थितियों में पीपावाव परियोजना के विकासकर्ताओं को बाजार सापेक्ष मूल्य पर ताप्ती जे.वी. प्रचालक के साथ सीधे अपनी गैस जरूरतों की व्यवस्था करनी है।

माल-भाड़े और पार्सल से रेलवे को होने वाली आय

741. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान रेलवे द्वारा माल-भाड़े और पार्सल प्रभारों द्वारा अर्जित आय कितनी है; और

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान रेलवे द्वारा कुल कितनी मात्रा में सामान की ढुलाई की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान माल भाड़ा और पार्सल प्रभारों से रेलवे को प्राप्त राजस्व निम्नानुसार है:-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	माल भाड़ा	पार्सल प्रभार
2002-03	26504.82	452.56
2003-04	27617.96	443.98
2004-05	30788.40*	485.20*

*अनंतिम

(ख) रेलवे द्वारा ढोए गए माल की कुल मात्रा:-

वर्ष	माल भाड़ा लदान राजस्व (मिलियन टन)
2002-03	518.74
2003-04	557.39
2004-05	601.89*

*अनंतिम

रेलवे समपारों पर सड़क ऊपरि पुलों का निर्माण

742. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के मलियागांव, लखीमपुर नगर और राजापुर के रेलवे समपारों पर ऊपरि पुलों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन ऊपरि पुलों को कब तक निर्मित किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) जी नहीं। अगर समपार पर यातायात घनत्व एक लाख गाड़ी वाहन इकाई (टी.वी.यू.) से अधिक हो तो रेलवे मौजूदा समपार पर या तो लागत में भागीदारी के आधार पर अन्यथा तो निक्षेप शर्तों पर ऊपरी सड़क पुल/निचली सड़क पुल का निर्माण करती है। दोनों परिस्थितियों में प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित होना चाहिए जो मौजूदा नियमों के अनुसार कतिपय प्रारंभिक पूर्वापेक्षाओं को पूरा करते हो।

अभी तक मल्लियागांव, लखीमपुर नगर और राजपुर के लिए ऊपरी सड़क पुल बनाने के लिए राज्य सरकार/स्थानीय निकायों से रेलवे को कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

तमिलनाडु में रेल ऊपरि पुलों का निर्माण

743. श्री के.सी. पलनिसामी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में रेल ऊपरि पुलों के चल रहे निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का तमिलनाडु के "मनाप्पराई" त्रिची जिले में रेल ऊपरि पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) तमिलनाडु में चालू ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण की मौजूदा स्थिति निम्नानुसार है:-

ये ऊपरी/निचले सड़क पुल योजना और निष्पादन के विभिन्न चरणों में है।

कार्य की स्थिति	लागत भागिता आधार	निक्षेप शर्तें	आमान परिवर्तन के अन्तर्गत
कल स्वीकृत कार्य	46	7	12
रेलवे का अपने हिस्से का कार्य पूरा हो गया है लेकिन राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों का कार्य पूरा नहीं हुआ है	9	3	–
राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों का कार्य पूरा हो गया है परन्तु रेलवे का अपने हिस्से का कार्य पूरा नहीं हुआ है	4	–	–
2005-06 के दौरान पूरे होने वाले कार्य	6	4	2

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) रेलवे ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण, मौजूदा समपारों के बदले में लागत भागिता के आधार पर तब करती है जब समपारों पर यातायात घनत्व एक लाख टी.वी.यू. को पार कर जाता है (टी.वी.यू.-24 घंटों में समपार से गुजरने वाले सड़क वाहनों की संख्या को रेल गाड़ियों की संख्या के साथ गुणा करने पर प्राप्त इकाई) या अन्यथा निक्षेप शर्तों पर किया जाता है। दोनों परिस्थितियों में प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित होना चाहिए जो मौजूदा नियमों के अनुसार कतिपय प्रारंभिक पूर्वापेक्षाओं को पूरा करता हों। मनप्परॉय में ऊपरी सड़क पुल के निर्माण हेतु राज्य सरकार से अभी तक कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

नाथनगर स्टेशन पर रेल गाड़ियों का ठहराव

744. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 3401 भागलपुर-दानापुर इंटर सिटी एक्सप्रेस और 3419/3420 भागलपुर-मुजफ्फरपुर जनसेवा एक्सप्रेस बरास्ता नाथनगर रेलवे स्टेशन होकर जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन दोनों रेलगाड़ियों का ठहराव नाथनगर स्टेशन पर नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या वाणिज्यिक आवश्यकताओं और लोगों की मांग के मद्देनजर, सरकार का विचार इन दोनों रेलगाड़ियों को नाथनगर रेलवे स्टेशन पर ठहराव प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी कब तक व्यवस्था किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) से (घ) 01-07-2005 से 6 माह के लिए 3401 अप भागलपुर-दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस को प्रयोग के तौर पर पहले ही नाथनगर ठहराव दिया जा चुका है। नाथनगर में 3419/3420 भागलपुर-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस को फिलहाल ठहराव देना व्यवहारिक नहीं है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में विशेषज्ञों का समूह

745. कुंवर मानवेन्द्र सिंह: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को और अधिक प्रतिस्पर्धी और प्रभावी बनाने के तरीकों का पता लगाने हेतु विशेषज्ञों का एक समूह गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो समूह द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने समूह द्वारा की गई सिफारिशों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इनको क्रियान्वित करने हेतु क्या कदम ठाए जा रहे हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) से (घ) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को स्वायत्तता, वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन आदि से संबंधित मुद्दों पर परामर्श देने हेतु सरकार ने एक तदर्थ विशेषज्ञ समूह का गठन किया था। तदर्थ विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के नवरत्न, मिनी रत्न और लाभ अर्जित करने वाले उद्यमों की वित्तीय शक्तियां बढ़ाने के संबंध में कुछेक सिफारिशों को सरकार ने मंजूर कर लिया है। शेष सिफारिशें जांचाधीन हैं।

[हिन्दी]

आकाश प्रक्षेपास्त्रों का परीक्षण

746. श्री संजय धोत्रे:
श्री बापू हरी चौरे:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में हवा से हवा में मार करने वाले आकाश प्रक्षेपास्त्र का उड़ीसा में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसे कब तक सम्मिलित किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) जी, हां। जमीन से आकाश में मार करने वाली मिसाइल, आकाश का हाल ही में उड़ीसा में सफल परीक्षण किया गया है। एकीकृत परीक्षण रेंज, बालासोर, उड़ीसा से हाल ही में तीन मार्ग निर्देशित उड़ान परीक्षण किए गए थे तथा मिशन के सभी उद्देश्य प्राप्त किए गए थे।

(ग) आकाश मिसाइल प्रणाली के विकासात्मक उड़ान परीक्षण पूरे कर लिए गए हैं तथा यह प्रणाली, प्रयोक्ता परीक्षण के लिए तैयार है जिसके बाद, इसका उत्पादन आरम्भ कर सेना में शामिल किया जायेगा।

इंडियन एयरलाइंस/एअर इंडिया का विनिवेश

747. श्री नरेन्द्र कमार कुशवाहा:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
मो. ताहिर:
मोहम्मद शाहिद:
श्री मुन्शी राम:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस में अपनी इक्विटी के एक हिस्से का विनिवेश करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो दोनों विमान कंपनियों में कितनी धनराशि की इक्विटी का विनिवेश किये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) इनका कब तक विनिवेश किए जाने की संभावना है; और

(घ) वर्ष 2004-05 और वर्ष 2005-06 की प्रथम तिमाही के दौरान इन विमान कंपनियों के लाभ/हानि की स्थिति क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव रखने का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है।

(घ) एअर इंडिया का वर्ष 2004-05 का कुल लाभ (बिना लेखा परीक्षा के) 31.20 करोड़ रुपए है (आस्थगित कर लाभ सहित)। तथापि, वर्ष 2005-06 के प्रथम तिमाही के आंकड़ों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

इंडियन एयरलाइंस के वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान 17.50 करोड़ रुपए का कुल लाभ अर्जित करने की संभावना है तथा चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही के अस्थायी परिणाम के अनुसार, इंडियन एयरलाइंस ने 28.45 करोड़ रुपए का कुल लाभ अर्जित किया है।

[अनुवाद]

निजी एफ.एम. रेडियो में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

748. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:
श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्री तथागत सत्पथी:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी एफ.एम. क्षेत्र में 20 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एफ.एम. रेडियो लाइसेंसिंग के दूसरे चरण हेतु नीति बनाई गई है;

(घ) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ङ) एफ.एम. रेडियो का दूसरा चरण इसके प्रथम चरण से कितना भिन्न है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (घ) सरकार ने निजी एजेंसियों (चरण-II) के माध्यम से एफ.एम. रेडियो प्रसारण के विस्तार हेतु एक नई नीति बनायी है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, बंद निविदा प्रणाली के आधार पर निर्धारित की जाने वाली एकमुश्त प्रवेश शुल्क (ओ.टी.ई.एफ.), आरक्षित एकमुश्त प्रवेश शुल्क के न्यूनतम 10% के अधीन सकल राजस्व के 4% की दर से वार्षिक शुल्क, कतिपय शर्तों के अधीन प्रदत्त इक्विटी के 20% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सहित विदेशी निवेश, समाचार एवं समसामयिक विषयों के प्रसारण पर सतत् प्रतिबंध तथा निबंधन एवं शर्तों के उल्लंघन हेतु एक श्रेणीकृत शास्ति प्रणाली का प्रावधान है। इस नीति से संबंधित और अधिक ब्यौरा इस मंत्रालय की वेबसाइट (www.mib.nic.in.) पर उपलब्ध है।

(ङ) दूसरे चरण में बोलियां केवल ऑपरेटरों के चयन हेतु होगी न कि वार्षिक शुल्क जिसे अब वर्ष के सकल राजस्व से जोड़ दिया गया है, के निर्धारण हेतु, अन्य अन्तर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हेतु अनुमति, श्रेणीकृत शास्ति प्रणाली तथा गैर-महानगरों के लिए अनिवार्य सह-अवस्थिति के संबंध में भी है।

रेलवे अस्पतालों में हेपेटाइटिस-बी के टीके की व्यवस्था

749. डा. के. धनराजू: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि बड़ी संख्या में रेलवे कर्मचारी हेपेटाइटिस विषाणु से ग्रस्त हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों हेतु हेपेटाइटिस-बी का कोई टीकाकरण कार्यक्रम क्रियान्वयाधीन है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या रेलवे के सभी अस्पताल आवश्यकता पड़ने पर हेपेटाइटिस-बी का टीका उपलब्ध कराने में पूर्णत: सक्षम है;

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(झ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं। बड़ी संख्या में रेल कर्मचारी हेपटाइटिस-बी से पीड़ित नहीं हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) रेल कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए हेपटाइटिस-बी का प्रतिरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। सभी रेल लाभार्थियों को, राष्ट्रीय प्रतिरक्षण नीति के अनुसार, हेपटाइटिस-बी के टीके मांग पर लगाए जाते हैं।

(ङ) देश के सभी रेल अस्पतालों और स्वास्थ्य इकाइयों में टीके उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार रेल लाभार्थियों को टीके दिए जाते है। जब कभी रेल लाभार्थियों द्वारा टीकों की मांग की जाती है उन्हें टीके दिए जाते हैं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) जी हां।

(ज) और (झ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पेट्रोल और डीजल की उत्पादन लागत

750. डा. चिन्ता मोहन:
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पेट्रोल और डीजल की इस समय उत्पादन लागत क्रमश: 17 रुपए 50 पैसे और 18 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर आंकी गई है;

(ख) यदि हां, तो भारत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से किन दरों पर कच्चे तेल का आयात करता है;

(ग) क्या उपरोक्त उत्पादों को उनकी उत्पादन लागत की तुलना में घरेलू बाजार में उपभोक्ताओं को उच्च दरों पर बेचा जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) दिल्ली में पेट्रोल और डीजल का आधारभूत मूल्य शुल्कों और करों के बिना क्रमशः 17.40 रुपए और 18.42 रुपए है।

(ख) हाल के दौरान कच्चे तेल के भारतीय बास्केट की दरें संलग्न विवरण-I में दी गई हैं।

(ग और (घ) जी, हां। खुदरा बिक्री मूल्य उत्पादन की लागत से अधिक है क्योंकि इनमें समीपतम रिफाइनरी से कल्पित भाड़े के अलावा आधारभूत मूल्य, लागू उत्पाद शुल्क, राज्य कर, वी.ए.टी., डीलर कमीशन इत्यादि सम्मिलित हैं। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की मूल्य संरचना संलग्न विवरण-II पर है।

विवरण-I

अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में रुझान

अवधि	कच्चा तेल (भारतीय बास्केट)
1	2
2000	27.29
2001	23.52
2002	24.38
2003	27.75
2004	35.86
जनवरी, 2005	40.99
फरवरी, 2005	42.58
मार्च, 2005	49.27
अप्रैल, 2005	49.47
मई, 2005	47.04
जून, 2005	52.75
8-7-2005	57.27
2002 की तुलना में जून, 2005 में अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि	216%

विवरण-II

दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की मूल्य संरचना

पेट्रोल के खुदरा बिक्री मूल्य में शुल्कों और करों का हिस्सा

(रुपए/लीटर)

क्र.सं.	विवरण	दिल्ली
1.	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और बिक्री कर घटकों के बिना मूल्य	17.40
2.1	जुलाई, 2005 के पहले पखवाड़े के लिए लागू आर.टी.पीज के आधारा पर सीमा शुल्क (आर.टी.पी. में सम्मिलित 10% की दर पर)	1.60 (4%)
2.2	उत्पाद शुल्क (8% की दर पर+13.00 रुपए/लीटर और इस पर शिक्षा उपकर पर उद्ग्रहीत किया जाता है)	14.74 (36%)
2.3	बिक्री कर (अवसूलीय करों सहित)	6.75 (17%)
2.4	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और बिक्री कर घटकों का योग	23.09 (57%)
3.	दिल्ली में खुदरा बिक्री मूल्य (1+2.4)	40.49

* कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े क्रम संख्या 3 के % के रूप में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और बिक्री कर के घटक प्रदान करते हैं।

डीजल के खुदरा बिक्री मूल्यों में शुल्कों और करों का हिस्सा

रुपए/लीटर

क्र.सं.	विवरण	दिल्ली
1.	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और बिक्री कर घटकों के बिना मूल्य	18.42
2.1	जुलाई, 2005 के पहले पखवाड़े के लिए लागू आर.टी.पीज के आधार पर सीमा शुल्क (आर.टी.पी. में सम्मिलित 10% की दर पर)	1.94 (7%)
2.2	उत्पाद शुल्क (8% की दर पर + 3.25 रुपए/लीटर जमा इस पर 2% शिक्षा उपकर पर उद्ग्रहीत किया जाता है)	4.93 (17%)
2.3	बिक्री कर (अवसूलीय करों सहित)	3.16 (11%)
2.4	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और बिक्री कर घटकों का योग	10.03 (35%)
3.	दिल्ली में खुदरा बिक्री मूल्य (1+2.4)	28.45

* कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े क्रम संख्या 3 के % के रूप में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और बिक्री कर के घटक प्रदान करते हैं।

उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र को रेल मार्ग से जोड़ना

751. मो. मुकीम: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र को खलीलाबाद-महदावल, बासी-कमरियागंज-उतरौला-बलाराम से होकर गुजरने वाले रेल मार्ग से जोड़ने के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त रेल मार्ग को बिछाने का है;

(घ) यदि हां, तो उक्त को कब तक बिछाये जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी हां। उतरौला, बांसी एवं महदावल से होते हुए खलीलाबाद से बलरामपुर तक (145.25 कि.मी.) नई लाइन के निर्माण हेतु सर्वेक्षण वर्ष 1979 में किया गया था, परंतु संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण शुरू नहीं किया जा सका।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) संसाधनों की अत्यधिक तंगी एवं चालू परियोजनाओं के अत्यधिक थ्रोफारवर्ड को ध्यान में रखते हुए, फिलहाल प्रस्तावित लाइन के निर्माण के बारे में विचार करना व्यावहारिक नहीं होगा।

[अनुवाद]

केरल एयरलाइंस को खाड़ी क्षेत्र में उड़ान सेवा की अनुमति

752. श्री पी. राजेन्द्रन:
श्री पी.सी. थामस:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल-खाड़ी क्षेत्र में यात्रियों को लाने ले जाने हेतु राज्य के स्वामित्व वाली कम लागत वाली ***केरल एयरलाइंस*** चलाने हेतु केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ग्राम पंचायतों को स्वायत्तता

753. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री सुनिल कुमार महतो:

श्री हरिसिंह चावड़ा:

श्री चंद्रकांत खैरे:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अभी तक ग्राम पंचायतों को स्वायत्तता प्रदान नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को स्व-शासन हेतु समर्थ बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) संविधान के अनुच्छेद 243 छ में पंचायती राज संस्थाओं, जिनमें ग्राम पंचायतें भी शामिल हैं, को अधिकारसंपन्न बनाने के लिए शक्तियों के अंतरण की व्यवस्था है ताकि ये स्व-शासी संस्थाओं के रूप में उन्हें अंतरित विषयों, जिनमें 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषय और ऐसे विषय शामिल हैं, जिन्हें राज्य ने ऐसी शर्तों के अध्यधीन कानून बनाकर विनिर्दिष्ट किया हो, के लिए (i) अपने-अपने क्षेत्रों के लिए आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएं बनाने, और (ii) अपने-अपने क्षेत्रों के लिए आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के कार्यक्रम कार्यान्वित करने के दोहरे प्रयोजन के लिए कार्य कर सकें। संविधान के 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायतों और पंचायती राज संस्थाओं को ऐसे विषयों के संबंध में शक्तियों के अंतरण की व्यवस्था है, जिनका संबंध ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास और सामाजिक न्यास से है। केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री और राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों के साथ पिछले वर्ष संपन्न हुए सात गोल मेज सम्मेलनों में कार्रवाई के एक संयुक्त कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्रियाकलापों की रूपरेखा के आधार पर विभिन्न स्तर पर पंचायतों को स्व-शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य कर पाने में समर्थ बनाने के लिए उन्हें निधियों, कार्यों और कर्मियों का अंतरण कर दिया गया है। सामाजिक लेखा-परीक्षा उपायों को ग्राम सभाओं के माध्यम से संस्थागत बनाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि ग्राम पंचायतों को कुल मिलाकर ग्रामीण समुदाय के प्रति जवाबदेह बनाया जा सके।

मंत्रालय ने अब सार संगर्ह में उल्लिखित कार्य बिंदुओं के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की संबंधित प्राधिकारियों के साथ समीक्षा करने के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा करने की प्रक्रिया आरंभ की है। सात गोल मेज सम्मेलनों की 150 सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करने के लिए सचिव (पंचायती राज) की अध्यक्षता में राज्यों के मुख्य सचिवों और राज्यों के पंचायती राज सचिवों की एक समिति बनाई गई है। समिति की अब तक दो समीक्षा बैठकें 11 अप्रैल, 2005 और 29 जून, 2005 को हुई हैं। पंचायती राज मंत्री, भारत सरकार की अध्यक्षता में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पंचायती राज मंत्रियों की एक परिषद् बनाई गई है। परिषद् की पहली बैठक, जो पंचायती राज विषय पर है, कोच्ची में 5-6 अगस्त, 2005 को आयोजित की जाएगी। उम्मीद है कि इन प्रयासों से संविधान के अनुच्छेद 243 य घ के साथ पठित भाग IX के प्रावधानों को लागू करने में तेजी आएगी और इस प्रकार सभी संबंधित राज्यों में पंचायती राज के संवैधानिक प्रावधानों को अक्षरशः लागू करने में और अधिक एकरूपता लाई जा सकेगी।

[अनुवाद]

पेराफिन वैक्स की कमी

754. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि माचिस उद्योग पैराफिन वैक्स की कमी का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) जी, हां। हाल ही में क्षमता में वृद्धि और नई माचिस इकाइयों के आने के कारण तमिलनाडु राज्य में माचिस मोम की मांग बढ़ गई है और चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (सी.पी.सी.एल.) संयंत्र क्षमता और फीडस्टाक उपलब्धता की सीमाओं के कारण बढ़ी हुई मांग पूर्णतः पूरी करने में असमर्थ है। अखिल भारतीय माचिस उद्योग चेंबर ने भी पैराफीन मोम की अल्प आपूर्ति के संबंध में एक ज्ञापन दिया है।

(ग) जहां तेल कंपनियां वर्तमान मांगों को पूरा करने के लिए पैराफीन मोम के अपने उत्पादन/आपूर्ति को बनाए रखना जारी रखेंगी वहीं सरकार ने पैराफीन मोम के आयात को नियंत्रणमुक्त कर दिया है और उपभोक्ता कंपनियां अपनी जरूरत के पैराफीन मोम और माचिस मोम का सीधे आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं।

महानगरीय विमानपत्तनों का उन्नयन

755. श्री बालासाहिब विखे पाटील:
श्री दुष्यंत सिंह:
श्री चन्द्रभूषण सिंह:
श्री अजय चक्रवर्ती:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के कुछ महानगरीय विमानपत्तनों का उन्नयन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु किन विमानपत्तनों की पहचान की गई है;

(ग) इस पर कुल कितनी धनराशि का निवेश किये जाने का अनुमान है;

(घ) क्या **इस संबंध में कोई अध्ययन** किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उन्नयन कार्य को पूरा करने की निर्धारित समय-सीमा कितनी है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (च) सरकार ने संयुक्त उद्यम मार्ग से दिल्ली और मुम्बई हवाईअड्डों को उन्नत करने का निर्णय लिया है। सिद्धांत रूप से चेन्नई हवाईअड्डे को समान तरीके से उन्नत करने का भी निर्णय लिया गया है। दिल्ली तथा मुम्बई हवाईअड्डों पर चालू मूल्यों के आधार पर क्रमश: 7691.00 करोड़ रुपए तथा 6131.00 करोड़ रुपए का निवेश होने का अनुमान है। दिल्ली/मुम्बई हवाईअड्डों की पुनर्संरचना के संबंध में नियुक्त किए गए ग्लोबल तकनीकी सलाहकार (जी.टी.ए.) ने इन दो हवाईअड्डों के विकास/आवश्यकता का अध्ययन किया है। उपरोक्त राशि को 20 वर्षों में खर्च किए जाने का अनुमान है। तथापि, उन अनिवार्य बड़ी परियोजनाओं की सूची भी बना ली गई है जिनको, इन हवाईअड्डों को संयुक्त उद्यम कंपनियों को सौंपे जाने के प्रथम 2 वर्षों और 5 वर्षों के भीतर, कार्यान्वयन के लिए हाथ में लिया जाना है।

भारत-म्यांमार-बांग्लादेश गैस पाईपलाइन

756. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या म्यांमार से बांग्लादेश होकर भारत तथा आने वाली प्रस्तावित प्राकृतिक गैस पाईपलाइन समस्याओं से घिर गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा संबंधित देशों के साथ इस मुद्दे का समाधान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) मंत्री (पे. और प्रा. गै.) ने जनवरी, 2005 में म्यांमार का दौरा किया और बांग्लादेश, म्यांमार तथा भारत के तेल मंत्रियों के बीच त्रि-पक्षीय मंत्री-स्तरीय बैठक में भाग लिया। उस बैठक के बाद जारी की गई त्रिपक्षीय संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति के अनुसरण में तीन देशों के प्रतिनिधियों की एक तकनीकी वाणिज्यिक कार्य समिति (टी.सी.डब्ल्यू.सी.) का गठन किया गया। टी.सी.डब्ल्यू.सी. की पहली बैठक 24-25 फरवरी, 2005 को यंगून में आयोजित की गई थी। टी.सी.डब्ल्यू.सी ने एक मसौदा समझौता ज्ञापन तैयार किया है और अपनी-अपनी सरकारों के अनुमोदन के बाद तीनों तेल मंत्रियों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। तथापि, समझौता ज्ञापन के अनुमोदन में विलंब हुआ है, क्योंकि समझौता ज्ञापन मसौदा में प्रस्तावना के एक पैराग्राफ पर भारत और बांग्लादेश के बीच मतभेद हैं। मसौदा समझौता ज्ञापन से संबंधित मुद्दे लगातार बांग्लादेश और भारत सरकार के विचाराधीन हैं चाहे भारत म्यांमार से भारत को प्राकृतिक गैस का आयात करने के अन्य विकल्पों की तलाश कर रहा है।

भारतीय समुद्री सीमाओं पर चोरी और हथियारों की तस्करी

757. श्री दुष्यंत सिंह:
श्री नवजोत सिंह सिद्धू:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि भारतीय समुद्री सीमा पर चोरी और हथियारों की तस्करी की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने मामलों का पता लगा है;

(ग) जहां उक्त घटनाओं में वृद्धि हो रही है ऐसे पता चले क्षेत्र कौन-कौन से हैं;

(घ) उक्त घटनाओं की रोकथाम करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या उक्त घटनाओं की रोकथाम करने हेतु किसी अन्य देश के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं: और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) गत तीन वर्षों में भारतीय समुद्री सीमाओं में समुद्री डकैती के किसी भी पुष्ट मामले की रिपोर्ट नहीं है।

(घ) भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल, समुद्री डकैती और हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए नियमित गश्त लगाते हैं और निगरानी हेतु मिशन चलाते हैं।

(ङ) और (च) भारत और इंडोनेशिया के बीच, समन्वित गश्त के लिए एक मानक प्रचालन प्रक्रिया पर 13 अगस्त, 2002 को हस्ताक्षर किए गए और यह गश्त अर्धवार्षिक आधार पर लगाई जाती है। भारत और थाइलैंड के बीच, समन्वित गश्त के लिए, एक समझौता-ज्ञापन पर भी मई, 2005 में हस्ताक्षर किए गए हैं।

विमानपत्तनों की स्थापना

758. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री बाडिगा रामकृष्णा:
श्री ई. पोन्नुस्वामी:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नए विमानपत्तन की स्थापना करने के नियमों के अंतर्गत विद्यमान विमानपत्तन से नए विमानपत्तन की दूरी कम से कम 150 किलोमीटर होनी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ग्रेटर नोएडा में विमानपत्तन की स्थापना करने हेतु नियमों की समीक्षा करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में दो विमानपत्तनों की स्थापना करने हेतु किन शहरों का चयन किए जाने की संभावना है;

(ङ) प्रस्तावित विमानपत्तनों हेतु नियत धन कितना है: और

(च) विमानपत्तनों का निर्माण कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) एयरपोर्ट आधारिक संरचना नीति, 1997 के अनुसार, मौजूदा हवाईअड्डों के 150 कि.मी. की हवाई दूरी के अंदर, सामान्यत: किसी ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के लिए अनुमति नहीं दी जाती है।

(ख) और (ग) विमानन सेक्टर की नई नीति, जिसमें एयरपोर्ट आधारिक संरचना पर नीति शामिल है, को अंतर-मंत्रालयी परामर्श द्वारा अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

(घ) से (च) ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा परियोजनाओं की अवस्थिति, वित्तपोषण एवं समय-सीमा संबंधी मुद्दों को, अन्य बातों के साथ-साथ प्रयोज्य नीति, संभावित यातायात मांग एवं परियोजना की व्यवहार्यता के अनुसार निपटाया जाता है।

[हिन्दी]

विमान किराए हेतु विनियामक/प्राधिकरण

759. श्री मोहन सिंह: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कतिपय निजी विमान कंपनियां सस्ती दरों पर विमान टिकटों की बिक्री कर यात्रियों को धोखा दे रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार उपभोक्ताओं को निजी विमान कंपनियों के बीच चल रही बेकार की प्रतिस्पर्धा से बचाने हेतु विमान किराए को नियंत्रित करने हेतु कोई विनियामक प्राधिकरण गठित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं। अभी तक सरकार को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। किसी भी स्थिति में, वायु अधिनियम, 1953 के निरस्त होने के पश्चात्, घरेलू किरायों का विनियमन सरकार द्वारा नहीं किया जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सेना में भर्ती में छूट

760. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय राज्यों के उम्मीदवारों को सेना की भर्ती में शैक्षणिक योग्यता और अन्य शारीरिक चीजों में छूट दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त राज्यों का ब्यौरा क्या है और छूट देने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार पंजाब के कतिपय पर्वतीय क्षेत्रों के सूबों को इसी प्रकार की छूट प्रदान करने पर विचार करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) सेना में भर्ती के लिए न्यूनतम शारीरिक और शैक्षिक मानदंड निर्धारित किए गए हैं। तथापि, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, राजस्थान, गुजरात, सिक्किम, उत्तर-पूर्व राज्यों, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूहों के कुछ क्षेत्रों की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के कारण तथा उनकी दूर-दराज अवस्थिति के कारण उन्हें अपेक्षित शैक्षिक योग्यताओं में छूट दी गई है। लद्दाख, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूहों की कतिपय मान्यता प्राप्त जन-जातियों तथा गोरखाओं (नेपाली व भारतीय, दोनों) को भी अपेक्षित शारीरिक मानदण्डों, जैसे, लम्बाई में छूट दी जाती है।

(ग) जी, हां। यदि नियमानुसार व्यवहार्य पाया जाए।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय विमान कंपनियों द्वारा
एपेक्स फेयर्स स्कीम

761. श्री देविदास पिंगले: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय विमान कंपनियों द्वारा अब तक किन-किन क्षेत्रों में एपेक्स फेयर्स स्कीम शुरू की गई है; और

(ख) भारतीय विमान कंपनियों द्वारा किन-किन नए क्षेत्रों में एपेक्स फेयर्स स्कीम शुरू किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड द्वारा दिनांक 05-07-2005 से *इजी फेयर्स स्कीम* के शुरु किए जाने से *एपेक्स फेयर स्कीम* खत्म हो गई है। इसलिए, नये मार्गों पर एपेक्स फेयर स्कीम का प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

सेट टाप बाक्स लगाए जाना

762. श्री हन्नान मोल्लाह: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उपभोक्ताओं द्वारा अब तक कुल कितने सेट टाप बाक्स लगाए गए हैं; और

(ख) सेट टाप बाक्स पर से आयात शुल्क हटाए जाने के बाद प्रत्येक बाक्स का अनुमानित मूल्य कितना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) मंत्रालय या प्रसार भारती में कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्रों के स्टेशन निदेशकों द्वारा एकत्रित अनौपचारिक आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक बेचे गए सेट टॉप बॉक्सों की अनुमानित संख्या 38.00 लाख है।

(ख) देश में इस समय सेट टॉप बॉक्सों पर 20% सीमा-शुल्क वसूल किया जाता है। बाजार की रिपोर्टों के अनुसार, दूरदर्शन-डी.टी.एच. के लिए अपेक्षित डिश एंटिना सहित सेट टॉप बॉक्स की कीमत अनेक विशेषताओं पर निर्भर करते हुए 1800-4500 रुपये तक है।

पेट्रोल पम्प खोलने के लिए
अनापत्ति प्रमाण-पत्र

763. श्री सी. कुप्पुसामी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिनांक 09 जुलाई, 2005 के "द ट्रिब्यून" में "एन.ओ.सीज 780 पेट्रोल स्टेशन्स अन्डर स्कैनर" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो नया पेट्रोल पम्प खोलते समय विभिन्न विभागों से आवश्यक स्वीकृतियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोल पम्पों का आबंटन करते समय इन नियमों का कठोरता से पालन किया जाता है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हरियाणा सरकार ने राज्य में जिलों के उपायुक्तों को यह निदेश देते हुए आदेश जारी किये हैं कि जनवरी, 2000 तक पेट्रोलियम कंपनियों को दिये गए अनापत्ति प्रमाण पत्रों की समीक्षा की जाए तथा 60 दिनों की अवधि के भीतर पेट्रोलियम कंपनियों को आवश्यक शर्तों का अनुपालन करने के लिए कहा जाए;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों द्वारा क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (छ) सरकार ने 9 जुलाई, 2005 के ट्रिब्यून में प्रकाशित इस समाचार को देखा है कि हरियाणा सरकार ने राज्य के जिला प्राधिकारियों को जनवरी, 2000 से पेट्रोल पम्पों की स्थापना के लिए तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) को जारी किए गए "अनापत्ति प्रमाण पत्रों" (एन.ओ.सीज) का पुनरीक्षण करने का निदेश दिया है।

सामान्यतया पेट्रोल पम्पों की स्थापना के लिए एन.ओ.सी. पुलिस, अग्निशमन सेवा, लोक निर्माण विभाग आदि जैसे विभिन्न प्राधिकारियों से स्वीकृतियां प्राप्त करने के बाद दिए जाते हैं। कुछ मामलों में तेल विपणन कंपनियां भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और वन विभाग से भी स्वीकृतियां लेती हैं।

जबकि इन अपेक्षाओं का अनुपालन किसी पेट्रोल पम्प के आबंटन के समय किए जाने की जरूरत नहीं होती है, पेट्रोल पम्पों को सक्षम प्राधिकारियों से एन.ओ.सी./स्वीकृतियां प्राप्त करने के बाद चालू किया जाता है।

हरियाणा में कुछ कंपनियों/ओ.एम.सीज के डीलरों को जिलों के संबंधित उपायुक्तों से नोटिस प्राप्त होने की रिपोर्ट मिली है तथा इनका उत्तर दे दिया गया है या दिया जा रहा है। तेल विपणन कंपनियों को हरियाणा सरकार के निष्कर्ष सुपुर्द करने के पश्चात् आगे की कार्रवाई की जाएगी।

तेल क्षेत्र की समुन्नत व्यवस्था

764. श्री मधु गौड यास्खी:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्री ई. पोन्नुस्वामी:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज):
श्री के.सी. पलनिसामी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों के बीच ताल मेल हेतु तेल क्षेत्रों की समुन्नत व्यवस्था के विकल्प की जांच के संबंध में कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो समिति द्वारा क्या सुझाव/सिफारिशें की गई हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) समिति ने नीतिगत और संरचनात्मक परिवर्तनों की सिफारिशों सहित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और उसने सार्वजनिक क्षेत्र में तेल कंपनियों के सुधरे हुए कार्यनिष्पादन के लिए कतिपय प्रबंधन समाधानों का भी सुझाव दिया है। कुछ मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं:-

1. तेल क्षेत्र सार्वजनिक उपक्रमों (पी.एस.यूज) का विलय वर्तमान में उचित नहीं होगा।

2. नीतिगत मामलों के बारे में एकीकृत ऊर्जा नीति, प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली ऊर्जा संबंधी मंत्रिमंडल समिति की स्थापना और ऊर्जा मंत्रालय की स्थापना की आवश्यकता है। समिति ने पूर्व पी.एस.यूज प्रमुखों, सरकार और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ जांच पूर्व बोर्ड की स्थापना द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग जैसी विभिन्न निगरानी एजेंसियों द्वारा पर्यवेक्षण और निगरानी के वर्तमान ढांचे में सुधार करने की भी सिफारिश की है।

3. हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय को विशेषज्ञों के एक अलग कंपनी संवर्ग और निधियों के उपयोग द्वारा शक्तिप्रदत्त करना।

4. विदेशी उद्यमों के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा एक समानान्तर नए निकाय की स्थापना करना। विदेशी

बोली में, ओ.वी.एल. के लिए 2 मिलियन टन समकक्ष तेल से अधिक की उत्पादन क्षमता से संबंधित सीमा नियत करके, गहन प्रतिस्पर्धा से बचना जिससे कम अन्य नए निकाय को बोली देने की अनुमति होगी।

5. समिति की एक अन्य सिफारिश सिंगापुर के तेमासेक और मलेशिया के खजाना के आधार पर थोड़े से संशोधन के साथ राष्ट्रीय शेयरधारिता न्यास की स्थापना करना है। न्यास में सम्मिलित होने वाले तेल पी.एस.यूज अपना पी.एस.यू. चरित्र बनाए रखेंगे और न्यास, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम के अंतर्गत या एक सांविधिक निकाय के रूप में गठित गैर लाभ न्यास के रूप में कार्य करेगा। न्यास के बोर्ड में सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र से विख्यात व्यक्ति सम्मिलित होंगे। समिति को यह आशा है कि न्यास को अधिक स्वायत्तता देने से प्रचालनों में सहयोगिता आएगी।

(घ) सिफारिशें सरकार के पास विचाराधीन हैं।

सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

765. श्री पी.एस. गढवी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना को बंद करने के लिए कोई तिथि निर्धारित की गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प कितने कर्गचारियों ने दिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ङ) जी, हां। वर्ष 2005 के दौरान स्वैच्छिक वियोजन योजना (वी.एस.एस.)/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी.आर.एस.) ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.), इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.), इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ई.आई.एल.), चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (सी.पी.सी.एल.), बामर लारी एण्ड कं. लिमिटेड (बी.एल.) और बीको लारी लिमिटेड (बी.एल.एल.) में लागू कर दी गई है। ये योजनाएं इस संबंध में लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं और संबंधित तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपकर्मों (पी.एस.यूज) के निदेशक मंडलों द्वारा अनुमोदित हैं। ब्यौरा निम्नानुसार है:-

पी.एस.यू. का नाम	योजना बंद होने की तारीख	विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों की संख्या
ओ.एन.जी.सी.	05-7-2005	313
आई.ओ.सी.	30-6-2005	85
ई.आई.एल.	15-3-2005	7
बी.एल.	18-4-2005	41
बी.एल.एल.	31-5-2005	18
सी.पी.सी.एल.	29-7-2005	14 15-7-2005 तक)

इंडियन ऑयल कारपोरेशन के लाभ में कमी

766. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2004-05 के दौरान इंडियन ऑयल कारपोरेशन के शुद्ध लाभ में वर्ष 2003-04 की तुलना में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2004-05 के दौरान लाभ में कितने प्रतिशत और राशि की कमी हुई है और ऐसी गिरावट के क्या कारण हैं; और

(ग) घाटों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड का करोपरांत लाभ 2003-04 के दौरान 7004.82 करोड़ रुपये

से घट कर 2004-05 के दौरान 4891.38 करोड़ रुपये रह गया जो कि लगभग 30% की कमी है। लाभ में कमी में मुख्यतया योगदान पिछले वर्ष की तुलना में उक्त वर्ष के दौरान पेट्रोल, डीजल, पी.डी.एस. मिट्टी तेल और घरेलू एल.पी.जी. की बिक्री पर अपेक्षाकृत अधिक न्यून वसूलियों का रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के अनुरूप खुदरा बिक्री मूल्यों में संशोधन न किए जाने का परिणाम है। उपर्युक्त उत्पादों के कारण आई.ओ.सी. सहित तेल विपणन कंपनियों की न्यून वसूलियों की आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति अपस्ट्रीम कंपनियों द्वारा की जा रही है। आई.ओ.सी. ने अपनी लागतों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

- विभिन्न बाजारों/गन्तव्यों पर उत्पादों की उतराई लागत का इष्टतमीकरण करना।
- उत्पादों के परिशोधन के लिए क्रूड मिक्स में सुधार करना।
- "बहुत बड़े क्रूड वाहक टैंकर" लगाकर कच्चे तेल की खरीद पर भाड़े को कम करना।

[हिन्दी]

महानगरों के रेलवे स्टेशनों का विकास

767. श्री बापू हरी चौरे:
श्री संतोष गंगवार:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महानगरों के रेलवे स्टेशनों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के रेलवे स्टेशन बनाने के संबंध में कोई कार्य-योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं। बहरहाल, रेलवे ने रेल भूमि विकास प्राधिकरण के माध्यम से महानगरों के महत्वपूर्ण स्टेशनों को विश्व स्तर के स्टेशनों में विकसित करने की योजना बनायी है जैसा कि 2005-06 के रेलवे बजट में घोषणा की गई थी।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

साबरमती रेलवे स्टेशन का विकास

768. श्री काशीराम राणा:
श्री वी.के. दुम्मर:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर भीड़-भाड़ के मामले पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर भीड़-भाड़ कम करने के लिए साबरमती स्टेशन का विकास करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या वैकल्पिक व्यवस्था संबंधी योजना बनाई गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) अहमदाबाद स्टेशन पर कोई भीड़-भाड़ नहीं है क्योंकि वर्तमान संसाधनों से रेलगाड़ी परिचालन का कार्य सुविधाजनक चल रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) फिलहाल नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ऊर्जा विभाग का सृजन

769. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विदेशों में ऊर्जा स्रोतों को प्राप्त करने के लिए भारत की ओर से राजनयिक पहल करने और विदेशी निवेश की स्वीकृति में स्वायत्तता प्रदान करने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय में ऊर्जा विभाग के सृजन पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सियाचिन-ग्लेशियर को सैनिक मुक्त करना

770. **श्री कीर्ति वर्धन सिंह:**
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सियाचिन में सैनिकों की तैनाती पर प्रतिदिन अनुमानत: कितना व्यय होता है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की तिथि तक सिचाचिन में कितने सैनिकों की मृत्यु हुई है;

(ग) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच सियाचिन ग्लेशियर को सैनिक मुक्त करने के लिए वार्ता हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) इसके आलोक में और क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) इसका ब्यौरा देना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

(ग) से (ङ) कंपोजिट डायलॉग फ्रेमवर्क के अंतर्गत सियाचिन मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच मई, 2005 में इस्लामाबाद में बातचीत हुई थी। इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने की दृष्टि से दोनों पक्षों के बीच स्पष्ट एवं रचनात्मक विचार-विमर्श हुआ। उन्होंने नवंबर, 2003 से चल रहे युद्ध-विराम पर संतोष व्यक्त किया तथा इसे जारी रखने पर सहमति जताई। दोनों पक्षों के बीच, सियाचिन मुद्दे का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करने के लिए विचार-विमर्श जारी रखने पर भी सहमति हुई।

[हिन्दी]

विलाराबार रेल मार्ग हेतु धनराशि

771. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विलाराबार रेल मार्ग हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और इस परियोजना हेतु अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ख) उक्त परियोजना के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस रेल मार्ग को कब तक चालू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) बिलरा से बार के बीच नई लाइन का निर्माण एक स्वीकृत परियोजना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ओ.एन.जी.सी. द्वारा विदेशी संस्थाओं से ऋण

772. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने विदेशी बैंकों और विदेशी वित्तीय संस्थाओं से लगभग 3 बिलियन डालर जुटाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस धनराशि को जुटाए जाने के मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) अब तक कुल कितनी धनराशि जुटाई गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) वर्तमान में ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन (ओ.एन.जी.सी.) का कोई निश्चित विदेशी ऋण उगाही कार्यक्रम नहीं है।

(ख) प्रश्न के भाग (क) का उत्तर देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार ओ.एन.जी.सी. के पास 2160.78 मिलियन जापानी येन (88.29 करोड़ भारतीय रुपयों के बराबर) के बकाया विदेशी ऋण (विदेशी मुद्रा में) हैं।

[हिन्दी]

विशेष टिकट निरीक्षण अभियान

773. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:**
श्री हरिसिंह चावड़ा:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे के विशेष उड़न दस्ते के बिना टिकट यात्रा करने वाले और बिना उचित बुकिंग के सामान ले जाने वाले यात्रियों को पकड़ने के लिए विशेष टिकट निरीक्षण हेतु अभियान चलाया है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान ऐसा अभियान कितनी बार चलाया गया है और कितने यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करते अथवा बुकिंग के बिना सामान ले जाते हुए पकड़ा गया है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इससे कितनी धनराशि वसूली/संग्रहित की गई है;

(घ) बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या इस संबंध में अधिकारियों को जवाबदेह बनाया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) और (ग) विशेष उड़न दस्तों द्वारा की गई जांचों के संबंध में अलग से कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। अप्रैल, 2004 से मई, 2005 की अवधि के दौरान उड़न दस्तों सहित सभी टिकट जांच कर्मियों द्वारा 15.55 लाख जांचें की थीं जिनमें 161.14 लाख लोग पकड़े गए जो बिना बुकिंग के सामान सहित बिना टिकट/अनुचित टिकट पर यात्रा कर रहे थे और रेल को 260.74 करोड़ रुपए की देय राशि वसूल की गई।

(घ) नियमित जांच के साथ-साथ कुछ उपाय किए गए हैं:-

(i) 1-7-2004 से बिना टिकट/अनियमित यात्रा के लिए न्यूनतम जुर्माना 50/-रुपए से बढ़ाकर 250/-रुपए कर दिया गया है।

(ii) पुलिस और रेल न्यायाधीशों के सहयोग से विशेष जांचें की जाती हैं।

(iii) समय-समय पर घात लगाकर जांचें, घेराबंदी जांच, क्रॉस कन्ट्री जांचें और प्रतिस्थापन जांचें आदि की जाती हैं।

(iv) बिना टिकट/अनियमित यात्रा के साथ-साथ टिकट घोटालों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए गहन जांच केन्द्र योजना लागू की गई है।

(ङ) और (च) प्रभावी टिकट जांच के लिए रेल अधिकारी जवाबदेय होते हैं ताकि बिना टिकट यात्रा पर रोक लगे और यात्री आय में वृद्धि हो।

[अनुवाद]

सलाहकार पैनल का गठन

774. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेंसर बोर्ड को अन्तिम तौर पर प्रसारण की स्वीकृति के लिए फिल्में और टी.वी. धारावाहिक भेजे जाने से पूर्व धार्मिक आधार पर बनी सभी फिल्मों और टी.वी. धारावाहिकों की जांच करने के लिए इसके अलावा कोई स्वतन्त्र बोर्ड अथवा निकाय अथवा सलाहकार पैनल है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार फिल्मों में ऐसे सभी उन तत्वों का निर्णय लेने के लिए एक सलाहकार पैनल गठित करने का प्रस्ताव है जिनसे धार्मिक भावनाओं के आहत होने के कारण देश में शांति और सौहार्द भंग होता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सी.बी.एफ.सी.) चलचित्रकी अधिनियम, 1952 के तहत् स्थापित एकमात्र निकाय है जो सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु फिल्मों को प्रमाणित करता है। टेलीविजन कार्यक्रमों को केबल टेलीविजन नेटवर्क, अधिनियम, 1995 के तहत् बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम संहिता का अनुपालन करना अपेक्षित होता है।

(ग) और (घ) सरकार ने सिनेमा और टेलीविजन दोनों क्षेत्रों के औद्योगिक निकायों को स्व-विनियमन का प्रयोग करने की सुसंगत रूप से सलाह दी है। तथापि, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अलावा एक पृथक् सलाहकार पैनल का गठन करने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रिंट मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर मंत्री समूह की रिपोर्ट

775. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रिंट मीडिया ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति देने के प्रश्न के संबंध में नियुक्त प्रिंट मीडिया संबंधी मंत्री समूह ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, हां।

(ख) मंत्री समूह की सिफारिशों और इन पर सरकार के निर्णय से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(ख) मंत्री समूह ने मंत्रिमण्डल को निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:-

(i) प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 में प्रस्तावित संशोधनों को सहमति दी जाए।

(ii) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की 26% सीमा को बनाए रखा जाए लेकिन अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के निवासियों द्वारा निवेश तथा मान्यता प्राप्त विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा पोर्टफोलियो निवेश को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा में शामिल किया जाए।

(iii) कतिपय शर्तों के अधीन विदेशी समाचारपत्रों के प्रतिकृति संस्करणों के प्रकाशन को अनुमति दी जाए।

(iv) विदेशी समाचारपत्रों के भारतीय संस्करण को अनुमति न दी जाए।

(v) स्वचालित मार्ग के तहत कुल मुद्रित क्षेत्र की 7.5% की मौजूदा सिंडिकेशन सीमा को बढ़ाकर 20% किया जाए। 20% की सीमा से अधिक वाले मामलों पर मामला-दर-मामला आधार पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय में विचार किया जाना जारी रखा जाए।

मंत्री-समूह की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने निम्नलिखित को अनुमति देने का निर्णय लिया है:-

(क) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की 26% सीमा को बनाए रखा गया है लेकन अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के लोगों द्वारा निवश तथा मान्यता प्राप्त विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा पोर्टफोलियो निवेश को समाचार और समसामयिक विषयक खण्ड हेतु विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमाओं में शामिल कर लिया गया है।

(ख) विदेशी समाचारपत्रों के पूर्ण अथवा आंशिक प्रतिकृति संस्करण को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमति दे दी गई है:-

(i) पूर्ण अथवा आंशिक प्रतिकृति संस्करण विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के साथ अथवा बिना एक भारतीय संस्था के द्वारा तथा मूल समाचारपत्र की स्वामी विदेशी कंपनी के द्वारा भी निकला जा सकता है बशर्ते कि वे कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत समाहित तथा पंजीकृत हों तथा वे भारतीय कानूनों का अनुपालन करें।

(ii) पूर्ण या आंशिक प्रतिकृति संस्करण को मूल देश के विनियामक प्राधिकरण के अनुमोदन से प्रकाशित किया जाता है तथा यह उस देश में एक मानक प्रकाशन होता है और इसे विशेष रूप से भारतीय पाठकों के लिए नहीं बनाया जाता है।

(iii) पूर्ण अथवा आंशिक प्रतिकृति संस्करणों में किसी भी रूप में भारतीय पाठकों पर लक्षित कोई भी विज्ञापन नहीं प्रकाशित किया जाएगा।

(iv) प्रतिकृति संस्करणों के प्रकाशन हेतु सूचना और प्रसारण मंत्रालय की पूर्वानुमति ली जाए।

(ग) विदेशी समाचारपत्रों के भारतीय संस्करणों के प्रकाशन पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

(घ) स्वचालित मार्ग के तहत कुल मुद्रित क्षेत्र के 7.5% की मौजूदा सिंडिकेशन सीमा को बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। 20% की सीमा से अधिक वाले मामलों में मामला-दर-मामला आधार पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय में विचार किया जाना जारी रहेगा।

[हिन्दी]

दूरदर्शन ट्रांसमीटर्स

776. श्री रामदास आठवले:
श्री शिवराज सिंह चौहान:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस वर्ष के दौरान अपना प्रसारण आरंभ करने वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटरों का ब्यौरा क्या है और ये ट्रांसमीटर कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) अपना प्रसारण आरंभ करने की संभावना वाले ट्रांसमीटरों पर कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(ग) क्या इन ट्रांसमीटरों के संचालन और रखरखाव के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी उपलब्ध कराये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(च) पदों की मंजूरी संबंधी मामला किस-स्तर पर लंबित पड़ा हुआ है; और

(छ) इन ट्रांसमीटरों के रखरखाव और संचालन पर वार्षिक तौर पर अनुमानत: कितनी धनराशि खर्च की जानी है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि निम्नलिखित दस अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (एल.पी.टी.) इस समय चालू किए जाने के लिए तकनीकी रूप से तैयार है:-

1. आंध्र प्रदेश	-	कोल्हापुर, पुंगनूर
2. असम	-	सतरसाल
3. हरियाणा	-	फतेहाबाद, कैथल
4. कर्नाटक	-	मुढ़ोल, सिंहनूर
5. उड़ीसा	-	बहलदा
6. राजस्थान	-	खजुवाला
7. त्रिपुरा	-	अम्बास्सा

उपरोक्त ट्रांसमीटरों पर किया गया व्यय 7.32 करोड़ रुपये है।

(ग) से (च) इन ट्रांसमीटरों के संचालन और रखरखाव के लिए कर्मचारियों की अपेक्षित संख्या को अभी तक संस्वीकृत नहीं किया गया है।

(छ) एक अल्प शक्ति ट्रांसमीटर के संचालन और रखरखाव पर अनुमानित वार्षिक व्यय लगभग 18 लाख रुपये है।

[अनुवाद]

आकाशवाणी को सुदृढ़ बनाना

777. श्री सुरेश कुरूप: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास प्रसारण क्षेत्र में निजी कंपनियों से प्रतिस्पर्द्धा करने के लिए आकाशवाणी को सुदृढ़ बनाने की कोई योजना है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) आकाशवाणी के पास 215 केन्द्रों का नेटवर्क है जो कि देश की 99.13 प्रतिशत आबादी और 99.42 प्रतिशत क्षेत्र को कवरेज उपलब्ध कराते हैं। यह 24 भाषाओं और 146 बोलियों में विभिन्न प्रारूपों में कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आकाशवाणी द्वारा विषय-वस्तु एवं गुणवत्ता दोनों में उत्कृष्टता हासिल करने का सतत् प्रयास किया जाता है। यह कार्यक्रमों की गुणवत्ता की हमेशा समीक्षा करता है और विषय-वस्तु तथा तकनीकी गुणवत्ता/प्रसारण में और अधिक सुधार करने का प्रयास करता है। कार्यक्रमों की तकनीकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए स्टुडियो और उपस्करों का निरंतर आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

एफ.एम. रेडियो में जहां निजी कंपनियां पहले से ही कार्यशील हैं और जिनके द्वारा निकट भविष्य में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभावना है। आकाशवाणी निम्नलिखित कदम उठा रहे है:-

1. बदलती हुई रूचियों के अनुरूप विषय-वस्तु का पूर्वाभिमुखीकरण।
2. अपेक्षाकृत अधिक विषय-वस्तु बनाने हेतु और अधिक संसाधनों का इस्तेमाल करना।
3. सतत् आधार पर विपणन नीतियां तैयार करना।

[हिन्दी]

घाटे को बांटना

778. **श्री ब्रजेश पाठक:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रसोई गैस और मिट्टी तेल की बिक्री से तेल विक्रेता कंपनियों को हो रहे घाटे के कुछ भाग को तेल शोधन कारखानों द्वारा आपस में बांटे जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) पिछले कुछ वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में पर्याप्त रूप से सप्ताह-दर-सप्ताह और यहां तक कि दिन-ब-दिन अस्थिरता के चलते अभूतपूर्व, तीव्र और अत्यधिक वृद्धि रही है। जब मार्च, 2002 से जुलाई, 2005 की अवधि में कच्चे तेल की कीमत में 136% की वृद्धि हुई है तो इस अवधि में पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल और एल.पी.जी. की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में क्रमश: 138%, 191%, 187% और 106% के आसपास की वृद्धि हुई है। तथापि, इन उत्पादों के घरेलू मूल्यों में तदनुरूपी क्रमश: 53%, 71%, 1% और 23% की ही वृद्धि की गई है। इससे तेल विपणन कंपनियों को भारी मात्रा में कम वसूलियां हुई हैं, इसलिए उन्होंने अपनी कम वसूलियों को पूरा करने के लिए रिफाइनरी अंतरण मूल्य में समुचित व्यापार छूट प्रदान करने के लिए शोधकों के साथ बातचीत शुरू की है। आशा है कि यह मामला जल्दी ही निपटा दिया जाएगा।

[अनुवाद]

अल्पसंख्यकों हेतु बजटीय आवंटन

779. **श्री रूपचन्द मुर्मू:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान अल्पसंख्यकों के लिए बजटीय आवंटन को कम कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए अपनी प्रतिबद्धता के प्रति गंभीर नहीं है क्योंकि उनके कल्याण के लिए स्वीकृत धनराशि बहुत ही अपर्याप्त है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (घ) सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए अपनी वचनबद्धता के प्रति काफी गंभीर है। वर्ष 2003-04 में व्यय 21.20 करोड़ रुपए था। वर्तमान सरकार के प्रथम बजट में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के लिए इक्विटी अंशदान हेतु 50 करोड़ रुपए का विशेष अतिरिक्त आबंटन किया गया है। विशेष आबंटन को छोड़कर, वर्ष 2004-05 में बजट आबंटन 22.29 करोड़ रुपए था। इसके अतिरिक्त, अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्य सभी कल्याणकारी और आर्थिक उन्नति की योजनाओं का भी लाभ उठाते हैं जो समाज के सभी वर्गों के लिए लागू हैं।

ऐतिहासिक स्थानों का रख रखाव

780. **श्री अधीर चौधरी:**

श्री निखिल कुमार:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ऐतिहासिक स्थानों के संरक्षण और रखरखाव हेतु विदेशों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने किसी देश के ऐसे किसी प्रस्ताव को स्वीकार किया है; और

(घ) यदि हां, तो किन निबंधन और शर्तों के तहत् प्रस्ताव स्वीकार किया गया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को कम्बोडिया तथा वियतनाम देशों की सरकारों से उनके देशों के ऐतिहासिक स्थानों के संरक्षण के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विशेषज्ञों द्वारा किए गए दौरे के पश्चात् वियतनाम में माइसन मंदिर समूह के संरक्षण तथा जीर्णोद्धार के लिए एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई हैं तथा यह प्रारम्भिक स्तर पर है। तथापि, भारत सरकार तथा रॉयल गवर्नमेंट ऑफ कम्बोडिया के मध्य 9-4-2002 को हस्ताक्षरित समझौते के आधार पर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कम्बोडिया में ता प्रोहम मंदिर परिसर, सिएम रीप, के जीर्णोद्धार तथा संरक्षण का कार्य शुरू किया है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा ता प्रोहम परियोजना का कार्यान्वयन अंकोर संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण तथा यूनेस्को के साथ समन्वय करके किया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 19.57 करोड़ रुपए है तथा इसकी कार्यावधि दस वर्ष है।

ता प्रोहम परियोजना पर प्रारम्भिक कार्य दिसम्बर, 2003 में शुरू किया गया था।

(ग) अब तक विदेशों से कोई अन्य प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए गए हैं। तथापि, ऐसी संरक्षण परियोजनाओं में भागीदारी/तकनीकी सहायता के लिए कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं, जो केवल प्रारम्भिक स्तर पर हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

छूट को समाप्त करना

781. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड ने सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों को बेचे जाने वाले डीजल और पेट्रोल पर दी जा रही छूट को देना बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा छूट दिए जाने को बंद करने के लिए सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों को क्या कारण बताए गये हैं; और

(ग) सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों के वित्तीयन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर.आई.एल.) ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) को 2004-05 के दौरान डीजल पर मात्रा छूट का प्रस्ताव किया था। जबकि यह छूट वर्तमान में चालू वर्ष में नहीं दी जा रही है, तेल विपणन कंपनियों ने पूरे चालू वित्तीय वर्ष के लिए उपयुक्त व्यापारिक छूटें प्रदान करने के लिए आर.आई.एल. सहित सभी शोधकों के साथ वार्ता आरम्भ कर दी है।

घाटे में चल रहे केन्द्र सरकार के उपक्रम

782. श्री अनन्त नायक:
श्री अजय चक्रवर्ती:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार के कितने उपक्रम घाटे में चल रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का घाटे में चल रहे केन्द्र सरकार के उपक्रमों को बन्द करने या बेचने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इकाइयों को बन्द करने से कितने कर्मचारी प्रभावित होंगे; और

(घ) उनके लिए क्या वैकल्पिक रोजगार/पुनर्वास उपाय अपनाए जाने का प्रस्ताव है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2003-04 के अनुसार 31-3-2004 को, नवीनतम अवधि जिसके लिए सूचना उपलब्ध है, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 88 उद्यम घाटा उठा रहे थे।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के घाटा उठाने वाले उद्यमों के बंदीकरण सहित, यदि कोई हो, पुनर्गठन/पुनरुद्धार के संबंध में उद्यम सापेक्ष प्रस्तावों को सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड के पास विचारार्थ भेजा जाता है। सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 15 उद्यमों के पुनरुद्धार सिफारिश की है, जिसकी सूची संलग्न विवरण में दी गयी है। सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के किसी भी उद्यम के बंदीकरण की सिफारिश नहीं की है।

(घ) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के यौक्तिकीकृत कर्मचारियों को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए वर्ष 2001-02 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना/स्वैच्छिक पृथक्करण योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पृथक् किए गए कर्मचारियों के लिए परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण और पुनःतैनाती हेतु एक योजनाबद्ध स्कीम क्रियान्वित की जा रही है। अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से यौक्तिकीकृत कर्मचारियों का पुनर्वास करना इस योजना का उद्देश्य है। रणनीति यह है कि उन्हें कौशलता से सुसज्जित किया जाए, जिससे कि उन्हें मुख्य रूप से स्वत: रोजगार क्रियाकलापों में लगाया जा सके।

विवरण

क्रम सं.	सरकारी उद्यम का नाम
1	2
1.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि.

1	2
2.	ब्रिज एण्ड रूफ कं. (इंडिया) लि.
3.	बीबीजे कंस्ट्रक्शन कंपनी लि.
4.	टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
5.	ब्रिटिश इंडिया कारपो. लि.
6.	नेशनल टेक्सटाइल्स लि.
7.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.
8.	एच.एम.टी. बियरिंग्स लि.
9.	प्रागा टूल्स लि.
10.	ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लि.
11.	नेपा लि.
12.	रिचर्डसन एण्ड क्रूडास लि.
13.	केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि.
14.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि.
15.	भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कं. लि.

तेल की खोज के लिए सर्वेक्षण

783. श्री जुएल ओराम: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान (एन.जी.आर.आई.) ने तेल के भण्डारों का पता लगाने के लिए देश व्यापी सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान एन.जी.आर.आई. द्वारा किन-किन स्थानों का सर्वेक्षण किया गया;

(ग) इस सर्वेक्षण पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(घ) सर्वेक्षण किन-किन स्थानों पर तेल भण्डारों के होने का संकेत देता है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा आगे की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी हां। हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय ने एन.जी.आर.आई. के माध्यम से देश के कुछ भागों में भूरासायनिक एवं एकीकृत भूभौतिकी सर्वेक्षण कराए हैं न कि देश व्यापी आधार पर।

(ख) और (ग) सर्वेक्षण किए गए स्थलों और खर्चे का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	स्थान	खर्च की गई राशि (रुपए लाख में)
2003-04	कच्छ जमनी क्षेत्र पर भूरासायनिक सर्वेक्षण, एवं दक्षिणी द्रोणी में कुडप्पा भूभौतककी सर्वेक्षण एवं मध्य प्रदेश में चुम्बकीय गुरूत्वाकर्षण	85.90
2004-05	कच्छ जमीनी क्षेत्र पर, छत्तीसगढ़ एवं कुडप्पा में भूरासायनिक सर्वेक्षण	10.0

ये सर्वेक्षण नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन.ई.एल.पी.) के भावी चक्रों के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले ब्लाकों के उत्कीर्ण के लिए उपलब्ध भूवैज्ञानिक सूचना को उन्नत करने के लिए किए गए हैं।

(घ) तेल भंडारों की प्राप्ति आर्थिक भूकम्पीय सर्वेक्षणों के उपरान्त बेधित कूपों द्वारा ही निश्चित की जा सकती है।

(ङ) एन.जी.आर.आई. के माध्यम से डी.जी.एच. द्वारा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एवं अरुणाचल प्रदेश के भूस्थित क्षेत्रों और केरल-कोंकण गहरे पानी और भारत के दक्षिणी सिरे में भूरासायनिक एवं भूभौतकीय सर्वेक्षण किए जाने की भावी योजनाएं हैं।

तेल संबंधी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लाभ

784. श्री सुरेश अंगडि: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल संबंधी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शुद्ध लाभ में अब तक के सबसे अधिक स्तर के वैश्विक कच्चे तेल मूल्यों के बावजूद कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उनके शुद्ध लाभ में गिरावट से तेल कंपनियां अपने ऋणों को बढ़ाने के लिए बाध्य हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या तेल संबंधी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अपने शुद्ध लाभ में गिरावट दर्ज करने के बाद भी अपनी क्षमताओं में वृद्धि करने या अपनी प्रौद्योगिकी का उन्नयन करने के लिए निवेश करने में समर्थ हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) हालांकि तेल विपणन कंपनियों का निवल लाभ कम हुआ है, लेकिन अपस्ट्रीम तेल पी.एस. यूज ने अन्य बातों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की उच्च कीमतों के आधार पर हुए अपने लाभ स्तरों में वृद्धि दर्ज की है। तेल विपणन कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों के अनुरूप खुदरा बिक्री मूल्यों में असंशोधन के परिणामस्वरूप पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल (सा.वि.प्र.) और एल.पी.जी. (घरेलू) की बिक्री के बतौर उच्चतर अल्प वसूलियों के कारण नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।

(ग) से (ङ) इन तेल विपणन कंपनियों के औसत उधारों में नई पूंजीगत परियोजनाओं में निवेश को बढ़ावा देने और कार्यशील पूंजी की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए वृद्धि दर्ज की गई है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

कृष्णा गोदावरी बेसन में गैस

785. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 जून, 2005 के "इकोनोमिक टाइम्स" में "जी.एस.पी.सी. स्ट्राइक्स 50बी गैस इन कृष्णा-गोदावरी बेसिन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या हाइड्रोकार्बन्स महानिदेशक ने जी.एस.पी.सी. गैस पाए जाने की बात को जल्दबाजी में कही गयी बताया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सार्वजनिक घोषणा करने से पूर्व सरकार से स्वीकृति लेने के लिए कोई नियम निर्धारित किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी, हां।

(ख) मैसर्स गुजरात राज्य पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. (जी.एस.पी.सी.) ने नई अन्वेषण लाइसेंस नीति के तीसरे दौर (एन.ई.एल.पी.-III) के तहत अन्वेषण ब्लाक के जी-ओ.एस.एन.-2001/3 में गैस की खोज की है। सेविदाकार ने हाईड्रोकार्बन महानिदेशालय को एक क्रिटेशस अवसंरचना में कूप संख्या के जी-8 में अपने द्वारा की गई एक गैस खोज की सूचना दी है। कूप का वेधन 5061 मीटर तक किया गया और उच्च ताप और उच्च दबाव का सामना करना पड़ा। कूप से 4747 मीटर की गहराई से 10 मीटर परफोरेशन से प्रति 10 मिलियन मानक घन फुट प्रतिदिन की दर से गैस प्रवाहित हुई। न तो जी.एस.पी.एस. और न ही इसके भागीदार ने उन भण्डारों के बारे में डी.जी.एच. को सूचित किया जिसकी उन्होंने खोज की और न ही इस संबंध में उन्होंने कोई सार्वजनिक दावे किए। तथापि, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री को अनुमानि आरंभिक स्थानिक गैस के बारे में लिखने के अतिरिक्त गुजरात के मुख्य मंत्री द्वारा 26 जून को सम्बोधित एक प्रैस सम्मेलन में यह कहे जाने की सूचना है कि 3डी भूकंपीय आंकड़ों के उन्नत निर्वचन, वायरलाइन लाग आंकड़ों और कूप के जी-8 में परीक्षण परिणामों के आधार पर इस ढांचे पर आरम्भिक स्थानिक गैस 20 टी.सी.एफ. होगी (27-6-2005 के द इकानामिक टाइम्स, अनुबंध "क" देखें)।

(ग) हाईड्रोकार्बन महानिदेशक ने जी.एस.पी.सी. की खोज के किसी अनुमान को "अपरिपक्व" (अनुबंध ख) बताया है और कहा है कि "खोज संभाव्यतापूर्ण है परन्तु वास्तविक अनुमान परीक्षण परिणामों पर निर्भर करेगा" (अनुबंध देखें)। कृपया यह नोट किया जाए कि जहां संविदाकार द्वारा खोज की अधिसूचना अपरिपक्व नहीं होगी वहीं इस चरण में भण्डारों का कोई आकलन अपरिपक्व होगा। ऐसी स्थिति में कोई अनुमान उत्पादन परीक्षण पूरा होने, 3डी भूकंपीय आंकड़ों का वेधित कूप आंकड़ों के साथ मापांकन हो जाने, और उक्त ब्लाक में भूभौतिकीय

और भूगर्भीय आंकड़ों का विस्तृत अध्ययन कर लिए जाने के बाद ही किया जा सकता है।

(घ) और (ङ) जहां किसी खोज के बारे में कोई सार्वजनिक घोषणा करना ठीक है वहीं भण्डारों के डी.जी.एच. द्वारा अधिप्रमाणन से पहले अनुमानित भण्डारों के बारे में कोई सार्वजनिक घोषणा उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पी.एस.सी.) की शर्तों के अनुरूप नहीं होगा। इसके अतिरिक्त पी.एस.सी. के अनुसार संविदाकार को यह निश्चित करने के लिए कि क्या खोज संभाव्यतापूर्ण वाणिज्यिक हित की है, परीक्षण तत्परता से करने होते हैं और परीक्षणों के पूरा होने के 60 दिन की अवधि के भीतर एक लिखित अधिसूचना सहित सभी संगत आंकड़ों के साथ प्रबंधन समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा कि क्या संविदाकार के विचार में ऐसी खोज संभाव्यतापूर्ण वाणिज्यिक हित की है।

भारतीय गैस प्राधिकरण लि. की निवेश योजना

786. श्री परसुराम माझी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लि. (गेल) में दसवीं और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निवेश योजना को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा वर्तमान में कितने परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही है और दसवीं और ग्यारहवीं योजनाओं में कितनी परियोजनाएं कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा अपनी निवेश योजना के अंतर्गत कितना निवेश किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) गेल द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निवेश योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। वर्ष, 2001-02 में दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निवेश योजना को गेल बोर्ड द्वारा और तत्पश्चात् योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया था।

(ख) वर्तमान में गेल द्वारा निम्नलिखित परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:-

(1) दहेज उरण पाइपलाइन।

(2) धुलेंडी फूलपुर पाइपलाइन।

(3) विजयपुर कोटा पाइपलाइन।

(4) जागोती-देवास-पीतमपुर पाइपलाइन।

(5) केलारस-मालानपुर पाइपलाइन परियोजना।

(6) पाता में पेट्रोरसायन संयंत्र का विस्तार।

(ग) दसवीं योजना के लिए कुल प्रस्तावित निवेश परिव्यय 8414 करोड़ रुपए है।

हजिरा पत्तन को रेल द्वारा जोड़ना

787. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हजिरा पत्तन को इसकी पश्च भूमि से रेल द्वारा जोड़ने के लिए परियोजना विकास, वित्तीय भागीदारी में रणनीतिक साझीदारों के समझौते आदि से जुड़े कार्य पूरे कर लिए गए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना पर निर्माण कार्य कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन कामों को कब तक आरंभ और पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) विशेष प्रयोजन योजना (एस.पी.वी.) के द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन का प्रस्ताव है। एस.पी.वी. के पार्टनरों से कतिपय वचनबद्धता अभी तक नहीं आई है। निर्माण कार्य परियोजना की स्वीकृति, वित्तीय सहभागिता में स्ट्रेटिजिक पार्टनरों के करार और परियोजना विकास के पूरा होने के बाद प्रारंभ किया जाएगा।

[हिन्दी]

दूरदर्शन चैनलों को घाटा

788. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन और दूरदर्शन समाचार चैनल घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) दूरदर्शन एक सार्वजनिक सेवा प्रसारक है। इसलिए इसको वाणिज्यिक प्रतिफलों द्वारा प्रेरित अथवा विनिर्णीत नहीं किया जा सकता है।

(ग) दूरदर्शन नवीनतम पद्धतियों और आधुनिक बाजार नीतियों को अपनाकर अपने कार्यक्रमों और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार कवरेज की गुणवत्ता को बढ़ाकर अपने वाणिज्यिक राजस्व को बढ़ाने के लिए सतत् रूप से प्रयासरत रहता है। दूरदर्शन ने वाणिज्यिक राजस्व में वृद्धि करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जिनमें छः केन्द्रों में विपणन प्रभागों की स्थापना करना, नए कार्यक्रम प्रारूपों की शुरुआत करना, वाणिज्यिक दर सूची आदि में समायोजनों के जरिए गैर-प्राइम बैंड में समय स्लाटों का पूरा उपयोग करना आदि शामिल हैं। वर्ष 2004-05 में वाणिज्यिक राजस्व में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति देखी गई है।

[अनुवाद]

पुलों का निर्माण

789. श्री रघुनाथ झा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुलों के निर्माण आदि की तारीख से संबंधित सूचना अधिकांश मामलों में उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या मुख्य पुल अभियंताओं के कार्यालय और इसके मंडलों द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों में कोई विसंगति पाई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या समीक्षा अवधि के दौरान पुलों के लिए धनराशि का पूरा उपयोग नहीं किया गया था;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) गत तीन वर्षों के दौरान कितने पुलों का पुनर्निर्माण/मरम्मत के लिए पहचान की गई और उनमें से कितने पुलों के पुनर्निर्माण/मरम्मत का कार्य किया गया; और

(ज) पुलों का निर्माण करने और निर्धारित समय सीमा में धनराशि का पूरा उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं। पुल निर्माण की तिथि के संबंध में जानकारी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) सामान्यतः अंतिम बजट आबंटन के अनुसार निधियों का उपयोग किया गया है। योजना शीर्ष पुल के व्यय की स्थिति अंतिम तीन वर्षों में निम्नानुसार है:-

वर्ष	खर्च (करोड़ रु.)
2002-03	199.1
2003-04	228.55
2004-05	377.00 (अनंतिम)

(छ) अंतिम तीन वर्षों के दौरान प्रतिस्थापन/नवीकरण हेतु पहचान किए गए पुलों की संख्या एवं उनमें से प्रतिस्थापित/नवीकृत/पुनःस्थापित पुलों की संख्याः-

वर्ष	लक्ष्य/पहचान किए गए	उपलब्धियां
2002-03	1065	1151
2003-04	1584	1563
2004-05	1629	1579

(ज) राशि के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, शीघ्र निष्पादन हेतु अग्रिम योजना, फील्ड कार्यालयों के साथ बेहतर समन्वय, निर्माण की आधुनिक पद्धति को अपनाने जैसे विभिन्न कदम उठाए गए हैं।

बेसहारा बच्चों का कल्याण

790. श्री तुकाराम गंगाधर गदाख:
श्री रनेन बर्मन:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बेसहारा बच्चों के कल्याण, सहायता, पुनर्वास और शिक्षा के लिए सरकार की नीति क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास देश में बेसहारा बच्चों की संख्या के बारे में कोई रिकार्ड है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में बड़े पैमाने पर बेसहारा बच्चों के कल्याण की उपेक्षा की जाती है और किशोर न्याय प्रणाली को भी उचित रूप से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है;

(ङ) क्या कुछ बेसहारा बच्चे उपेक्षा के कारण आपराधिक गिरोह के शिकार बनते हैं और बाद में छोटे-मोटे अपराध में लिप्त हो जाते हैं;

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(छ) क्या सरकार का विचार बेसहारा बच्चों के कल्याण के लिए कोई नई नीति बनाने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस नीति को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) बेसहारा बच्चे देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जैसाकि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 में परिभाषित किया गया है। भारत सरकार की नीति ऐसे बच्चों के लिए उनके विकास की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उचित देखरेख, संरक्षण और उपचार का उपबंध करना है। यह मंत्रालय "बेसहारा बच्चों के लिए समेकित कार्यक्रम" कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य इन बच्चों को आश्रय, साफ पेयजल, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और मनोरंजन सुविधाएं प्रदान करके, इन्हें निराश्रय से बचाना और सड़कों की जिंदगी से उनकी वापसी को आसान बनाना है।

(ख) और (ग) देश में बेसहारा बच्चों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(घ) से (च) किशोर न्याय (देखरेख ओर संरक्षण) अधिनियम, 2000 देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बालकों और साथ ही कानून से जुझ रहे बच्चों से संबंधित है। बेसहारा बच्चों सहित इन बच्चों को इस उद्देश्य के लिए स्थापित गृहों में आश्रय और देखरेख की सुविधाएं प्रदान करता है, ताकि इनका समुचित विकास सुनिश्चित हो सके। यह मंत्रालय "किशोर न्याय कार्यक्रम" की एक स्कीम कार्यान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्रों को स्कीम के मानकों के अनुसार गृहों की स्थापना और रख-रखाव हेतु 50% सहायता प्रदान की जाती है। कई गैर-सरकारी संगठन भी इन गृहों को संचालित कर रहे हैं और स्कीम के अंतर्गत इन्हें सहायता दी जा रही है। कुल 40739 बच्चों को 2004-05 के दौरान स्कीम के अंतर्गत सहायता दी गई। 'बेसहारा बच्चों के लिए समेकित कार्यक्रम' स्कीम के अंतर्गत चाइल्डलाइन सेवा, जोकि कष्ट में घिरे बच्चों के लिए एक चौबीस घंटे की निःशुल्क टेलीफोन सेवा है, को भी समर्थित किया जा रहा है।

(छ) और (ज) जी, नहीं।

ताजमहल के रख-रखाव के लिए धनराशि

791. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ताजमहल देखने आने वाले पर्यटकों से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस स्मारक की देख-रेख और रख-रखाव के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार ताजमहल की देख-रेख और रख-रखाव के लिए आवंटन राशि में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान ताजमहल देखने आए पर्यटकों से अर्जित राजस्व का ब्यौरा इस प्रकार है:-

2002-03	6,53,35,250 रुपए
2003-04	8,08,52,697 रुपए
2004-05	11,81,39,593 रुपए

प्रवेश टिकटों से अर्जित राजस्व को सरकारी लेखा में जमा कराया जाता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ताजमहल के रखरखाव (जिसमें केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को लगाना भी शामिल है) तथा अनुरक्षण पर किए गए व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है:-

2002-03	2.94 करोड़ रुपए
2003-04	3.45 करोड़ रुपए
2004-05	4.07 करोड़ रुपए

(ग) और (घ) ताजमहल के रखरखाव तथा अनुरक्षण के लिए आबंटन स्मारक की अत्यधिक महत्ता को ध्यान में रखते हुए उसकी आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा जिससे ताज महल के रख-रखाव की प्रक्रिया में बजटीय बाधा नहीं आएगी।

उत्तर सीमांत रेलवे में मीटर गेज लाइन को बंद किया जाना

792. डा. अरूण कुमार शर्मा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर सीमांत रेलवे में बंद की जा रही मीटर गेज लाइनों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) इन लाइनों को कब तक बंद किए जाने की संभावना है;

(ग) गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से आने-जाने वाला यातायात किस हद तक अवरूद्ध रहता है और इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है;

(घ) क्या सरायघाट पुल पर दोहरी ब्रोडगेज ट्रैक नहीं बनाया जा सकता है;

(ङ) यदि हां, तो इस पुल का सेवा योग्य जीवनकाल कितना है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) कतिपय लाइनों के आमान परिवर्तन के कारण पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर निम्नलिखित मीटर लाइनों को बंद करने और उखाड़ने का प्रस्ताव है:-

(i) बरसोई-अलुवाबारी रोड

(ii) न्यू बोंगाइगांव-रंगेया जं.

(iii) कामाख्या-न्यू गुवाहाटी

आमान परिवर्तन परियोजनाओं और क्षेत्र में अन्य स्वीकृत कार्यों की प्रगति के आधार पर इन सेक्शनों पर मीटर लाइनों को उखाड़ा जाएगा। बहरहाल, परिचालनिक कारणों की वजह से न्यू बोंगाईगांव-कामाख्या-न्यू गुवाहाटी के बीच फिलहाल कोई मीटर आमान की सेवाएं नहीं चल रही हैं।

(ग) गुवाहाटी स्टेशन से/तक भीड़-भाड़ कम करने के लिए निम्नलिखित कार्य शुरू किए जा चुके है:-

(i) गुवाहाटी में लाइन सं. 2 का मीटर लाइन से बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन के साथ-साथ उच्च स्तर का प्लेटफार्म।

(ii) कामाख्या स्टेशन पर लाइन सं. 4 का मीटर लाइन से बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन के साथ-साथ उच्च स्तर का प्लेटफार्म।

(iii) गुवाहाटी और न्यू गुवाहाटी के बीच तीसरी लाइन बढ़ाकर एफ.सी.आई. शंटिंग नेक को न्यू गुवाहाटी तक बढ़ाना।

(iv) न्यू गुवाहाटी कोचिंग कांप्लेक्स जिसमें पिट लाइन, सिक लाइन और स्टेबलिंग लाइनें उपलब्ध हो।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) इस पुल में कोई खराबी नहीं है और मौजूदा यातायात और अनुरक्षण के आधार पर यह लंबे समय तक चलेगा।

पायलटों को प्रशिक्षण

793. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.एल.-78 हवा में ही ईंधन भरने वाले विमान को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के बाद भारतीय वायुसेना ने अब अपनी नजरें शक्ति को प्रभावशाली ढंग से बढ़ाने वाले ए.डब्ल्यू.ए.सी.एस. (अवाक्स) के अन्य सेट पर गड़ाई हैं जिससे कि भारतीय वायुसेना अपनी युद्ध लड़ने की क्षमता को बढ़ा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ए.डब्ल्यू.ए.सी.एस. (अवाक्स) विमान को कब तक सम्मिलित किया जाएगा?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) भारत सरकार

ने वायुवाहित चेतावनी तथा नियंत्रण प्रणाली (अवाक्स) विमान की अधिप्राप्ति के लिए 5 मार्च, 2004 को एक संविदा की है। संविदा के अनुसार, अवाक्स विमान की सुपुर्दगी दिसंबर, 2007 और मार्च, 2009 के बीच किए जाने की आशा है।

उड़ीसा में रेल लाइनों का विद्युतीकरण

794. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में सभी रेल लाइनों के विद्युतीकरण के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में कितने किलोमीटर रेल लाइन का विद्युतीकरण किया गया है/किया जा रहा है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) 31-3-2005 तक 1023 मार्ग किमी. का विद्युतीकरण किया जा चुका है और 123 मार्ग किमी. पर विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है।

"विलेज ऑन व्हील्स" रेलगाड़ी

795. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे द्वारा घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देने हेतु दक्षिण-उत्तर और उत्तर-दक्षिण को जोड़ने के लिए "विलेज ऑन व्हील्स" रेलगाड़ियां चलाई गई हैं या चलाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रेलवे द्वारा पर्यटकों को क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं; और

(ग) रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली ऐसी अन्य रेलगाड़ियों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) रेल मंत्रालय ने भोजन तथा आवास, स्थान दर्शन, स्थानीय परिवहन, भोजन इत्यादि सहित एक व्यापक पैकेज के रूप में कम खर्च पर विभिन्न क्षेत्रों के पर्यटकों के लिए धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व वाले महत्वपूर्ण स्थानों के भ्रमण के लिए उत्तर एवं दक्षिण को जोड़ने वाली मार्ग सहित पूर्व निर्धारित मार्ग पर एक नई विशेष पर्यटन गाड़ी जिसे 'भारत दर्शन' कहा जाता है, चलाई है जिसमें शयनयान कोच होंगे।

प्रारंभिक मार्गों में रेलगाड़ी के परिचालन से प्राप्त प्रत्युत्तर के आधार पर इसी प्रकार की अन्य गाड़ियां देश में पर्यटक गंतव्यों को शामिल करते हुए विभिन्न मार्गों पर चलाई जायेंगी।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय प्रसारण की गुणवत्ता का कम होना

796. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्रों से प्रसारित कार्यक्रमों में अधिकांश निम्नस्तरीय कार्यक्रम होते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्षेत्रीय कार्यक्रमों में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) क्या क्षेत्रीय निर्माता कम लागत वाले कार्यक्रमों का निर्माण करने के लिए तकनीशीयनों और कलाकारों का शोषण करते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि किए गए उपायों में क्षेत्रीय कार्यक्रमों के लिए टाइम बैंड उद्दिष्ट करना, भारतीय श्रेण्य साहित्य पर आधारित कार्यक्रमों का निर्माण करना, विभिन्न शैलियों/प्रारूपों में कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु बाह्य निर्माताओं को टाइम स्लॉट का आबंटन करना शामिल है।

(घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि उनको इस तरह की कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कुरियर/एक्सप्रेस मूवमेंट के लिए टर्मिनल

797. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दिल्ली की तर्ज पर अन्य महानगरों में कुरियर/एक्सप्रेस मूवमेंट के लिए विमानपत्तनों पर इसी कार्य हेतु निर्धारित टर्मिनल उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, कुरियर प्रचालकों के साथ परामर्श करके, मुम्बई तथा चेन्नई हवाईअड्डों पर कुरियर/एक्सप्रेस मूवमेंट के लिए इसी कार्य हेतु निर्धारित टर्मिनल बनाने पर विचार कर रही है।

[हिन्दी]

नि:शक्त व्यक्तियों का पुनर्वास

798. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में नि:शक्त व्यक्तियों के पुनर्वास में भेदभाव हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार ने नि:शक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के संबंध में विद्यमान नीति में संशोधन करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 2004-05 के दौरान और आज तक इस नीति के अंतर्गत राज्यवार कितने मकानों का निर्माण किया गया और आबंटन किया गया?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (घ) जी, नहीं।

(ङ) वर्ष 2004-05 के दौरान और आज की तारीख तक इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को आबंटित मकानों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

यूनिट संख्या में

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष के दौरान शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को आबंटित मकानों की संख्या	
		2004-05	2005-06 (आज तक)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2034	212
2.	अरुणाचल प्रदेश	53	0
3.	असम	1655	193
4.	बिहार	737	34
5.	छत्तीसगढ़	184	15
6.	गोवा	0	0
7.	गुजरात	355	38
8.	हरियाणा	204	0
9.	हिमाचल प्रदेश	100	0
10.	जम्मू-कश्मीर	0	0
11.	झारखंड	315	0
12.	कर्नाटक	297	118
13.	केरल	96	37
14.	मध्य प्रदेश	1665	152
15.	महाराष्ट्र	565	3
16.	मणिपुर	56	0
17.	मेघालय	32	0
18.	मिजोरम	1	0

1	2	3	4
19.	नागालैंड	154	0
20.	उड़ीसा	1448	18
21.	पंजाब	129	22
22.	राजस्थान	288	4
23.	सिक्किम	66	8
24.	तमिलनाडु	1258	20
25.	त्रिपुरा	202	0
26.	उत्तर प्रदेश	2463	55
27.	उत्तरांचल	114	4
28.	पश्चिम बंगाल	2846	54
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0
30.	दादरा व नागर हवेली	0	0
31.	दमन व दीव	0	0
32.	लक्षद्वीप	0	0
33.	पांडिचेरी	0	0
	कुल	17317	987

तारामंडल की स्थापना

799. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से अपने-अपने राज्यों में तारामंडल खोलने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जयपुर (राजस्थान) में ऐसा तारामंडल है जिसके माध्यम से विद्यालय के छात्र अंतरिक्ष के बारे में महत्वपूर्ण और जिज्ञासापूर्ण सूचना प्राप्त करके लाभान्वित हो रहे हैं;

(घ) इस संबंध में मंत्रालय द्वारा क्या योगदान किया गया है;

(ङ) क्या सरकार को राजस्थान सरकार से इस तारामंडल हेतु धनराशि आवंटन के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) 'कल्पना चावला स्मारक तारामण्डल' की स्थापना के लिए हरियाणा राज्य सरकार को छोड़कर अन्य राज्य सरकारों से तारामण्डल खोलने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) जयपुर में तारामण्डल की स्थापना हेतु संस्कृति मंत्रालय द्वारा किसी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी गई है।

(ङ) और (च) जी नहीं।

[अनुवाद]

गुजरात में दूरदर्शन केन्द्र

800. श्री प्रसुभाई दानाभाई बारड़: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में उन दूरदर्शन केन्द्रों का ब्यौरा क्या है जिनका दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आधुनिकीकरण और डिजीटलीकरण किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) इन दूरदर्शन केन्द्रों का आधुनिकीकरण और डिजटलीकरण संबंधी कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ग) इस पर कुल कितनी धनराशि व्यय होने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) दसवीं योजना अवधि के दौरान अहमदाबाद और राजकोट स्थित दूरदर्शन केन्द्रों का आधुनिकीकरण और डिजीटलीकरण किया जाना प्रस्तावित है। इन्हें 17 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर वर्ष 2006 में पूरा कर लिए जाने की आशा है।

नि:शक्त व्यक्तियों के लिए पृथक मंत्रालय

801. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निशक्तों के कल्याण के क्षेत्र में कार्य कर रहे राइट्स ग्रुप जोकि एक गैर-सरकारी संगठन है ने और अन्य अनेक गैर-सरकारी संगठनों ने निशक्तों के लिए एक पृथक् मंत्रालय की मांग की है जैसाकि दिनांक 23 जून, 2005 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या निशक्तता अधिनियम, 1995 के अधिनियमन के 10 वर्षों के बाद भी नि:शक्त लोगों के लिए पहुंच, शिक्षा और रोजगार की प्रमुख मांगें कागजों तक ही सीमित हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) नि:शक्त अधिकार समूह तथा एक अन्य गैर-सरकारी संगठन ने यह मांग की है कि नि:शक्त व्यक्तियों के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया जाए। तथापि, नि:शक्त व्यक्तियों के लिए एक पृथक् मंत्रालय बनाने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। केन्द्र और राज्य सरकारों ने नि:शक्त व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण, शिक्षा तक पहुंच और बाधामुक्त सुविधाओं का सृजन सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:-

(i) नि:शक्त व्यक्तियों के लिए सरकारी प्रतिष्ठानों के अभिज्ञात पदों पर 3% आरक्षण के मुकाबले केन्द्रीय सरकार में नि:शक्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व 3.60% है।

(ii) सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे मॉडल बिल्डिंग उप-विधियां स्वीकार करें, जिनमें नि:शक्त व्यक्तियों के लिए बाधामुक्त सुविधाओं की व्यवस्था का उल्लेख किया जाए। कुछ राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों ने इन उप-विधियों को पहले ही स्वीकार कर लिया है।

(iii) वर्ष 2004-05 में 18.53 लाख नि:शक्त बच्चों की पहचान की गई है, जिनमें से 14.22 लाख बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में दाखिल किया गया है।

(iv) उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए नि:शक्त व्यक्तियों को हर वर्ष, 2400 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।

(v) 350 से अधिक विशेष विद्यालय और 140 व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र नि:शक्त व्यक्तियों को विशेष शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण दे रहे हैं।

(vi) लगभग 2.70 लाख गरीब और जरूरतमंद नि:शक्त व्यक्तियों को नि:शुल्क सहायक यंत्र और उपकरण प्रदान किए गए।

पलिया कलन विमानपत्तन का अधिग्रहण करना

802. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार से पलिया कलन विमानपत्तन अधिग्रहण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो पलिया कलन विमानपत्तन का विकास करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सांस्कृतिक स्थलों को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा

803. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थलों को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा देने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त बना लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार में सुल्तानगंज, जहां प्रतिवर्ष श्रावणी-मेला लगता है, उक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों को पूरा करता है;

(घ) यदि हां, तो उक्त मेले को कब तक राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा दिये जाने की संभावना है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इसके विकास के लिए धनराशि आबंटित करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 4 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को, किसी भी प्राचीन स्मारक या पुरातात्विक स्थल या अवशेष को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने की शक्तियां प्राप्त हैं। प्राचीन स्मारक को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि कोई भी संरचना, भवन या स्मारक या कोई स्तूप या दफनाने का स्थान या कोई गुफा, शैल मूर्ति, उत्कीर्ण लेख या एकाश्म जो ऐतिहासिक, पुरातात्विक या कलात्मक रूचि का हो तथा जो कम से कम सौ वर्षों से विद्यमान हो।

(ग) बिहार स्थित सुल्तानगंज राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक नहीं है क्योंकि यह मानदंडों को पूरा नहीं करता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) चूंकि सुल्तानगंज में कोई संरक्षित स्मारक नहीं है, अतः धनराशि आवंटित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्मारकों का रख-रखाव

804. कुंवर मानवेन्द्र सिंह: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न भागों में बहादुर सैनिकों की याद में बनाए गए स्मारकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन स्मारकों का सही प्रकार से रख-रखाव नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन स्मारकों के सही रख-रखाव के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा किये जाने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (घ) बहादुर सैनिकों की स्मृति में किसी भी नागरिक, एजेंसी, राज्य सरकारों आदि द्वारा स्मारक बनाए जा सकते हैं। भारत सरकार द्वारा ऐसे स्मारकों का ब्यौरा नहीं रखा जाता है। स्मारक के रख-रखाव की जिम्मेदारी उसे बनाने वाले व्यक्ति अथवा प्राधिकारी की होती है। सेना मुख्यालय द्वारा बनाए तथा रख-रखाव किए जा रहे 24 युद्ध स्मारकों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

सेना के युद्ध स्मारकों की सूची

क्रम सं.	नाम	स्थान	टिप्पणियां
1	2	3	4
1.	सारागढ़ी युद्ध स्मारक	मेरठ	सारागढ़ी युद्ध के नायकों की याद में।
2.	ध्रुव	उधमपुर	1947 से उत्तरी कमान के शहीदों की याद में।
3.	क्षेत्रपाल स्मारक	सांबा (जम्मू)	ले. अरुण क्षेत्रपाल की याद में।
4.	हॉल ऑफ फेम	रजौरी	रजौरी तथा पूंछ की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले नायक।

1	2	3	4
5.	डेग्गर स्मारक	बारामुला (जम्मू-कश्मीर)	19 इंफेंट्री डिवीजन के शहीदों को समर्पित।
6.	आपरेशन रक्षक स्मारक	बी.बी. छावनी श्रीनगर	8 माउंट डिवीजन के शहीद।
7.	लेह युद्ध स्मारक	लेह	1962, 65 तथा 71 के युद्धों के शहीदों की याद में।
8.	लेह युद्ध स्मारक	लेह	1947-48 के शहीदों की याद में।
9.	चुशुल युद्ध स्मारक	चुशुल	1962 के युद्ध के शहीद।
10.	सियाचिन स्मारक	बेस कैंप सियाचिन	सियाचिन के शहीदों की याद में।
11.	धर्मशाला शहीद स्मारक	धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश)	हिमाचली शहीदों के सम्मान में।
12.	आसफवाला युद्ध स्मारक	फाजिल्का (पंजाब)	बेरीवाला युद्ध के शहीदों के सम्मान में।
13.	तवांग युद्ध स्मारक	तवांग (अरुणाचल प्रदेश)	1962 के भारत-चीन संघर्ष के शहीदों के सम्मान में।
14.	अगरतला युद्ध स्मारक	अगरतला	1971 के युद्ध (आपरेशन कैक्टस लिली) के शहीदों की याद में।
15.	युद्ध स्मारक जसवंतगढ़	नूरानाग	1962 के युद्ध में 4 गढ़वाल राइफल के शहीद जसवंत सिह की याद में।
16.	युद्ध स्मारक बतासिया लूप	दार्जिलिंग	शहादत प्राप्त करने वाले सभी गोरखा सैनिकों की याद में।
17.	बोगरा स्मारक	बीनागुरी	1971 के युद्ध में 20 इन्फैंट्री डिवीजन के सैनिकों द्वारा बोगरा पर कब्जा करने की स्मृति में।
18.	विजय स्मारक	फोर्ट विलियम (कोलकाता)	1971 के युद्ध में पूर्वी सीमा पर शहीदों के सम्मान में।
19.	युद्ध स्मारक जाट रेजीमेंट केन्द्र	बरेली	जाट रेजिमेंट के शहीद।
20.	ए.एम.सी. केन्द्र तथा विद्यालय युद्ध स्मारक	लखनऊ	ए.एम.सी., ए.डी.सी. तथा एम.एन.एस. के शहीदों की याद में।
21.	युद्ध स्मारक पी.आर.सी.	रामगढ़ (बिहार)	गैली मैन के सर्वोच्च बलिदान के सम्मान में।
22.	सारागढ़ी युद्ध स्मारक	फिरोजपुर	सारागढ़ी युद्ध के सम्मान में।
23.	युद्ध स्मारक	पुणे	1965 तथा 1971 के युद्धों के शहीदों के सम्मान में।
24.	नोएडा शहीद स्मारक	नोएडा	कारगिल युद्ध के नायकों के सम्मान में।

[हिन्दी]

विमानों पर विज्ञापन

805. श्री संजय धोत्रे:

श्री बापू हरी चौरे:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इंडियन एयरलाइन्स तथा अन्य एयरलाइनों के विमानों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के माध्यम से कितना राजस्व प्राप्त होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) विमान नियम, 1937 के नियम 37ए के अनुसार, नागर विमानन महानिदेशालय की अनुमति के बिना विमानों पर विज्ञापन प्रदर्शित करना मना है। नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा ऐसी अनुमति, केवल नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार ही प्रदान की जाती है। अभी तक एयर डेक्कन तथा रेमण्ड्स को ही ऐसी अनुमति प्रदान की गई है।

(ग) इस प्रकार की अनुमति प्रदान करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।

गैर-मैट्रो विमानपत्तनों का पुनरूद्धार

806. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:

प्रो. महादेवराव शिवनकर:

श्री मो. ताहिर:

मोहम्मद शाहिद:

श्रीमती किरण माहेश्वरी:

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:

श्री मुन्शी राम:

श्री ए.के. मूर्ति:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गैर-मैट्रो विमानपत्तनों के पुनरुद्धार के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ चुने गए गैर-मैट्रो विमानपत्तनों के नाम क्या हैं;

(घ) इन पर कुल कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है तथा धनराशि की व्यवस्था किस प्रकार से की जाएगी; और

(ङ) पुनरुद्धार कार्य कब तक प्रारम्भ तथा समाप्त होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अस्थायी तौर पर चुने गए 25 गैर-मैट्रो हवाईअड्डों के विकास के लिए एक योजना तैयार की है। इस योजना का उद्देश्य दो चरणों में एयर साइड तथा सिटी साइड पर यात्री टर्मिनल भवनों का विकास करना है। सूची को यातायात घनत्व, क्षेत्रीय वितरण तथा अन्य वाणिज्यिक पहलुओं के आधार पर अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की गैर-मैट्रो परियोजनाओं के विकास के वित्तयन के लिए, बंधपत्र जारी करके/ऋण के सिंडीकेशन के द्वारा, बाजार से 3000-4000 करोड़ रुपये तक की निधियां उधार लेने का भी प्रस्ताव है।

(ङ) चरण-I के तहत आने वाले हवाईअड्डों के लिए भारतीय वित्तीय परामर्शदाताओं (आई.एफ.सी.) तथा ग्लोबल तकनीकी सलाहकार (जी.टी.ए.) द्वारा तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन (टी.ई.एफ.एस.) पूरे कर लिए गए हैं। चरण-II के तहत शेष बचे गैर-मैट्रो हवाईअड्डों के लिए टी.ई.एफ.एस. करने के लिए आई.एफ.सी. तथा जी.टी.ए. की नियुक्ति की कार्रवाई चल रही है। प्रत्येक हवाईअड्डे के लिए विनिर्दिष्ट लक्ष्य की तिथि साध्यता तथा परामर्शदाताओं द्वारा चिन्हित विकास के क्षेत्रों पर निर्भर करेगी।

[अनुवाद]

रिक्त पदों को भरना

807. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

श्री गणेश सिंह:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सुरक्षा श्रेणी में 84,000 पदों

तथा रेलवे सरक्षा बल में 8000 से अधिक रिक्तियों को भरने के लिए कोई कार्य योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) जी हां। रेलों को संरक्षा, सुरक्षा एवं परिचालन कोटि के लगभग 80,000 रिक्त पदों को वर्ष 2006 तक या तो खुले बाजार से सीधी भर्ती द्वारा या सेवारत कर्मचारियों को प्रोन्नति देकर मामला जैसा भी हो भरने का निर्देश दिया गया है। रेलवे सुरक्षा बल में 11,077 रिक्तियों की भर्ती पहले ही पूरी की जा चुकी है। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति संबंधी औपचारिकताएं प्रक्रियाधीन है।

सैन्य कर्मियों को सुविधाएं

808. डा. के. धनराजू: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सैन्यकर्मियों की पर्वतीय क्षेत्रों विशेषकर कश्मीर तथा लद्दाख में, जहां उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, आवश्यक सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने सेना कर्मियों की आवश्यक सुविधाओं की कभी समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सेना कर्मियों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) कश्मीर और लद्दाख में कार्यरत सेना कार्मिकों को उच्च तुंगता क्षेत्रों में तैनात किए जाने पर उनके प्राधिकार के अनुसार विशेष भत्ता (उच्च तुंगता भत्ता, सियाचिन भत्ता, सम्मिश्रित पहाड़ी प्रतिपूर्ति भत्ता, जहां कहीं लागू हो) दिया जाता है। इन भत्तों के अलावा, कैंटीन और चिकित्सा सुविधाएं, डाक सेवाएं जैसी सभी मानक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं।

(ग) से (ङ) इन सुविधाओं की समीक्षा नियमित आधार पर की जाती है और आवश्यक सुविधाएं जुटाने के लिए पर्याप्त बजटीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

[हिन्दी]

भूटान में भारतीय टेलीविजन चैनलों पर प्रतिबंध

809. डा. चिन्ता मोहन:

श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूटान ने बहुत से भारतीय टेलीविजन चैनलों के भूटान में प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भूटान में प्रतिबंध लगाए गए टेलीविजन चैनलों का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) भूटान के केबल ऑपरेटरों ने 1 अप्रैल, 2005 से भूटान में निम्नलिखित विदेशी/भारतीय चैनलों के प्रसारण को बंद कर दिया था:-

- एफ.टी.वी.
- टेन स्पोर्ट्स
- सन टी.वी., एशियानेट, ई.टी.वी. बंगला जैसे सभी क्षेत्रीय भारतीय चैनल,
- आज तक, जी न्यूज जैसे समाचार चैनल।

सरकार की ओर से कोई औपचारिक निर्देश नहीं थे तथा उपर्युक्त निर्णय भूटान में मीडिया में दिखाए गए कार्यक्रमों की शृंखला को देखते हुए केबल ऑपरेटरों द्वारा स्वयं लिया गया था।

(ग) समाचारपत्रों के लेखों के अनुसार भूटान में व्यापक धारणा थी कि कुछ चैनल छात्रों का उनकी पढ़ाई से ध्यान भंग करने के अतिरिक्त सांस्कृतिक रूप से भूटानी सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास कर रहे थे और क्षति पहुंचा रहे थे।

(घ) भूटान में भारतीय दूतावास ने सरकारी प्राधिकरणों के साथ औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों तरह से इस मामले को उठाया है और अधिकांश क्षेत्रीय तथा समाचार चैनलों को फिर से चालू कर दिया गया है।

एल.पी.जी. सिलैण्डरों का अवैध रूप से भरा जाना

810. मो. मुकीम: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली के शहरी गांवों में एल.पी.जी. सिलैण्डरों को अवैध रूप से भरे जाने के बारे में जानकारी है जैसा कि 13 जून, 2005 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई जांच करायी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) ऐसे अवैध कार्य को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) "दैनिक जागरण" के दिल्ली संस्करण में दिनांक 13 जून, 2005 को प्रकाशित एक समाचार के आधार पर इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.) द्वारा गंभीर जांच पड़ताल की गई। उन्हें समाचार पत्र में बताए गए प्रचालन क्षेत्र में अनेक एल.पी.जी. सिलेंडरों से एल.पी.जी. की चोरी का कोई मामला नहीं मिला। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) को भी इस क्षेत्र में एल.पी.जी. सिलेंडरों की गैरकानूनी भराई का कोई मामला नहीं मिला। न ही भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.) को ऐसा कोई मामला मिला जहां गैस की गैर कानूनी भराई हो रही हो।

समाचार में बताए अनुसार कुछ निजी पक्षकारों द्वारा सिलेंडरों की गैर कानूनी भराई की दोषपूर्ण गतिविधियों के मामले में राज्य सरकार एल.पी.जी. (आपूर्ति और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 की शर्तों पर ऐसे पक्षकारों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

(घ) एल.पी.जी. वितरण में कदाचार/अनियमितताओं की जांच करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत एल.पी.जी. (आपूर्ति और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 प्रख्यापित किया गया है। इस आदेश के अंतर्गत सिलेंडरों से एल.पी.जी. की चोरी वर्जित है।

(ii) उपर्युक्त आदेश के प्रावधानों के तहत दोषी वितरकों/व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को शक्तियां प्रदान की गई है।

(iii) एल.पी.जी. की चोरी में लिप्त अपराधी वितरकों को कड़ा दंड देने के लिए सरकार द्वारा ओ.एम. सीज के एल.पी.जी. वितरकों हेतु विपणन अनुशासन दिशानिर्देश (एम.डी.जी.) बनाए गए हैं।

(iv) ओ.एम. सीज के पदाधिकारी मार्गस्थ चोरी रोकने के साथ-साथ वितरकों के गोदाम, सुपुर्दगी स्थल पर औचक निरीक्षण करते हैं। यदि किसी शिकायत पर चोरी सिद्ध होती है तो दोषी वितरक के विरुद्ध एम.डी.जी. या वितरण केन्द्र करार की शर्तों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

अनधिकृत रेलवे एजेंटों द्वारा कार्य प्रचालन

811. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री वीर सिंह महतो:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में बहुत से अनधिकृत रेलवे एजेंट कार्य कर रहे हैं तथा यात्रियों को अवैध टिकट बेच रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने एजेंटों को गिरफ्तार किया गया है;

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) इस गतिविधि को रोकने के लिए क्या ठोस उपाय किए गए हैं/किए जाएंगे?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) अप्राधिकृत व्यक्तियों/असामाजिक तत्वों द्वारा गैर-कानूनी ढंग से रेल टिकट जारी करने से संबंधित कुछ मामले सामने आए हैं।

(ख) और (ग) वर्ष 2002, 2003 और 2004 में गिरफ्तार किए गए अप्राधिकृत रेल एजेंटों की संख्या क्रमशः 1139, 1545 और 2145 है। इस प्रकार तीन समीक्षाधीन वर्षों में गिरफ्तार किए गए अप्राधिकृत एजेंटों में से 851, 1218, 1765 को दोषी पाया गया।

(घ) इन लोगों की गैर कानूनी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए वाणिज्य/सतर्कता विभागों और पुलिस द्वारा

नियमित जांचें आयोजित की जाती हैं। अप्राधिकृत रेलवे एजेंटों के विरुद्ध अभियान भी चलाए जाते हैं और इस प्रकार पकड़े गए लोगों के विरद्ध विधि से संबद्ध प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, अत्यधिक व्यस्त अवधि के दौरान, महत्वपूर्ण जगहों पर मानीटरिंग भी बढ़ाई गई है।

[अनुवाद]

निजी एयरलाइनों को अनुमति

812. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एयरवन पैरामाउंट एयरवेज, किंग फिशर तथा स्पाइस जेट एयरवेज को अपनी एयरलाइन चलाने की अनुमति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन मार्गों के लिए अनुमति दी गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) सरकार ने मैसर्स किंग फिशर एयरलाइंस लिमिटेड तथा मैसर्स रॉयल एयरवेज को देश में अनुसूचित प्रचालन करने की अनुमति दी है। मैसर्स पैरामाउंट प्राइवेट लिमिटेड तथा मैसर्स एयरवन फीडर एयरलाइंस लिमिटेड को क्रमश: अनुसूचित तथा गैर-अनुसूचित प्रचालनों के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया है।

(ख) सरकार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों की हवाई परिवहन सेवाओं संबंधी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हवाई परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन के उद्देश्य से मार्ग संवितरण दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। तथापि, विनिर्दिष्ट स्थानों पर यातायात मांग तथा वाणिज्यिक साध्यता के आधार पर हवाई सेवाएं प्रदान करना एयरलाइनों पर है। इस प्रकार, एयरलाइनों पर सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों के अनुपालन के अध्याधीन, देश में कहीं भी प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

अन्य पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों के लिए दसवीं कक्षा बाद छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता जारी करना

813. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार के पास अन्य पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों के लिए दसवीं कक्षा बाद छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वर्ष 1997-98 से 2002-03 के दौरान 17183.35 लाख रपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत करने का प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने 30 मार्च, 2005 को केवल 439.40 लाख रुपये ही जारी किये हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से शेष धनराशि जारी करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो महाराष्ट्र सरकार को शेष धनराशि जारी नहीं करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) शेष धनराशि कब तक जारी कर दिये जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) संघ सरकार को, अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार से इनके द्वारा वर्ष 1997-98 से 2001-02 तक के दौरान पहले से ही खर्च राशि के लिए 120.68 लाख रुपए के पुनर्भुगतान करने और वर्ष 2001-02 के लिए 26.96 लाख रुपए का प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ था।

(ख) 4,39,13,645/-रुपए की राशि 30 मार्च, 2002 को जारी की गई। 30 मार्च, 2005 को कोई निधि जारी नहीं की गई।

(ग) से (ङ) महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2004-05 के दौरान और 200 करोड़ रुपए की निधि जारी करने का अनुरोध किया है लेकिन कोई निधि जारी नहीं की जा सकी, क्योंकि राज्य सरकार को पूर्व में जारी निधि के उपयोगिता प्रमाणपत्र, वर्ष 2002-03 के बाद के लेखा परीक्षित लेखे और राज्य सरकार द्वारा लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या उपलब्ध नहीं थी। संघ सरकार इस स्कीम के अंतर्गत वर्ष-दर-वर्ष आधार पर प्रस्तावों की प्राप्ति पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी करता है।

लिग्नाइट भण्डारों का गैसीकरण

814. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में खोजे गए लिग्नाइट भण्डारों के गैसीकरण का अध्ययन तथा सर्वेक्षण करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में राजस्थान सरकार तथा भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) के बीच किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त कार्य में कोई विदेशी फर्म भी अंतर्ग्रस्त है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल) ने राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र में स्थानिक लिग्नाइट गैसीकरण संभावना के संयुक्त मूल्यांकन के लिए राजस्थान सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ङ) और (च) गेल ने राजस्थान के बाड़मेर जिले में लिग्नाइट गैसीकरण संयंत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स एग्रो एनर्जी टैक्नालोजीज इंक., कनाडा के साथ सहयोग ज्ञापन (एम.ओ.सी.) पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इस एम.ओ.सी. का लक्ष्य गेल और एग्रो एनर्जी के बीच दीर्घावधि कार्य संबंधों को विकसित करना है और उन बड़े कोयला स्रोतों का विकास स्तर बढ़ाना है जिनका दोहन आर्थिक या तकनीकी कारणों से कोयला/लिग्नाइट खनन के पारंपरिक तरीकों से नहीं हुआ है।

भारत तथा इंग्लैंड के बीच समझौता

815. **श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया ने कोलकाता से लंदन तक सीधी उड़ान की शुरुआत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के विभिन्न स्थानों से उड़ानें प्रचालित करने के लिए भारत तथा इंग्लैंड के बीच हुए समझौते का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) वर्तमान में, एअर इंडिया कोलकाता से लंदन के लिए प्रति सप्ताह 3 उड़ानें प्रचालित कर रही है।

(ग) भारत तथा यू.के. के बीच दिनांक 12-13 अप्रैल, 2005 को हुई सरकारी स्तर की बातचीत के अंतिम चरण के दौरान, वर्ष 2005 के शीतकाल से दिल्ली/मुंबई-लंदन के हीथ्रो मार्ग पर विनिर्दिष्ट एयरलाइनों के लिए दोनों तरफ की क्षमता को 42 उड़ानें प्रति सप्ताह तक बढ़ाया गया है। अगले वर्ष, 2006 के ग्रीष्मकाल से यह सेवा 49 उड़ानें प्रति सप्ताह तक तथा फिर वर्ष 2006 के शीतकाल से 56 उड़ानें प्रति सप्ताह तक बढ़ा दी जाएंगी। मुंबई तथा दिल्ली के अतिरिक्त, यू.के. की विनिर्दिष्ट एयरलाइनें यू.के. तथा भारत के बीच अन्य मार्गों पर भी प्रचालन करने के लिए अधिकृत हैं, बशर्ते कि वर्ष 2005 के शीतकाल से भारत के प्रत्येक एयरपोर्ट से/को प्रति सप्ताह कुल 7 उड़ानें प्रचालित करेंगी। इसके अतिरिक्त बैंगलोर तथा चेन्नई के मामले में वर्ष 2006 के ग्रीष्मकाल से इस सेवा को 14 उड़ानें प्रति सप्ताह तक बढ़ाया जाएगा। ये सभी सेवाएं मध्यवर्ती तथा पार-प्वाइंटों से/को पंचम स्वतंत्र अधिकार से प्रचालित की जा सकती हैं। पारस्परिक रूप से वर्ष 2005 के शीतकाल से भारत की नामित एयरलाइनें भारत तथा यू.के. के बीच किसी भी मार्ग पर सेवाओं को हटाए बिना प्रचालन करने की हकदार होगी।

प्रिंट मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

816. **श्री प्रहलाद जोशी:**
श्री तथागत सत्पथी:
श्री हंसराज जी. अहीर:
श्री अनन्त नायक:
श्री दुष्यंत सिंह:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रिंट मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसका प्रिंट मीडिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(घ) क्या प्रिंट मीडिया संगठनों के कर्मचारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का विरोध कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो उनके विरोध के मुख्य कारण क्या हैं; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, हां।

(ख) समाचार और समसामयिक विषयक खंड तथा गैर-समाचार और गैर-समसामयिक विषयक खंड के संबंध में इस मंत्रालय द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देश का ब्यौरा विवरण में संलग्न है।

(ग) प्रिंट मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का निर्णय, अन्य बातों के साथ-साथ, समाचारपत्रों और आवधिकियों के बीच अधिक विविधता लाने, राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्रों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ढालने तथा विदेशी वैज्ञानिक, तकनीकी और विशिष्ट पत्रिकाओं, मैगजीनों एवं आवधिकियों को अधिक किफायती रूप में और आसानी से सुलभ कराने के उद्देश्य से लिया गया है। समाचार और समसामयिक विषयक खंड में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित दिशा-निर्देशों को 13 जुलाई, 2005 को संशोधित कर दिया गया है जिसके तहत निवेशक की श्रेणी को व्यापक बनाते हुए अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों और मान्यताप्राप्त विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा पोर्टफोलियो निवेशों को शामिल किया गया है और साथ ही भारत में विदेशी समाचारपत्रों के अनुलिपि संस्करणों की अनुमति भी दी गयी है, इसलिए इस चरण पर इसके प्रभाव का पता लगाना संभव नहीं है।

(घ) से (च) ऐसे कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।

विवरण

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

(i) समाचारपत्रों और समाचार एवं समसामयिक विषयों से संबंधित आवधिकियों के प्रकाशन

(ii) विदेशी समाचारपत्रों के अनुलिपि संस्करणों के प्रकाशन के लिए दिशा-निर्देश

नई दिल्ली,
दिनांक 13 जुलाई, 2005

प्रस्तावना

दिनांक 21 नवम्बर, 2002 के प्रेस नोट के तहत् इस मंत्रालय द्वारा जारी पूर्व दिशा-निर्देशों के अतिक्रमण में और दिनांक 5 जुलाई, 2005 के प्रेस नोट में आंशिक संशोधन करते हुए संघ सरकार ने तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित बातों की अनुमति देने का निर्णय लिया है:-

(i) समाचारपत्रों और समाचार एवं समसामयिक विषयों से संबंधित आवधिकियों को प्रकाशित करने वाली भारतीय कंपनियों में प्रदत्त इक्विटी पूंजी के 26% भाग तक के साथ-साथ मान्यताप्राप्त विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा पोर्टफोलियो निवेश तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (जिसमें अनिवासी भारतीयों, भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश शामिल है) कतिपय शर्तों के अध्यधीन ठोस प्रत्यय-पत्रों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विदेशी कंपनियों द्वारा ऐसे निवेश की अनुमति होगी।

(ii) विदेशी निवेश सहित या उसके बिना भारतीय कंपनियों द्वारा और मूल समाचारपत्र की विदेशी कंपनियों द्वारा भी विदेशी समाचारपत्रों का पूर्णरूप से या आंशिक रूप से अनुलिपि संस्करण निकालना बशर्ते कि उन्हें कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत भारत में निगमित या पंजीकृत किया गया हो।

निम्नलिखित दिशा-निर्देशों को एतद् द्वारा निर्धारित किया जाता है:-

1. आवेदन

(i) अपेक्षित दस्तावेज सहित विधिवत् रूप से भरे गए निर्धारित आवेदन पत्र की नौ प्रतियां सूचना और प्रसारण मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएंगी।

(ii) 5000/-रुपये का आवेदन शुल्क वेतन एवं लेखा अधिकारी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नाम से, नई दिल्ली में देय, बनाए गए डिमांड ड्राफ्ट के जरिए जमा कराया जाएगा।

2. प्रकाशन का शीर्षक

अनुलिपि संस्करणों सहित मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार शीर्षक सत्यापन का कार्य प्रेस पंजीयक द्वारा किया जाता रहेगा।

3. पात्रता मापदंड

(क) समाचारपत्रों और समाचार एवं समसामयिक विषयों से संबंधित आवधिकियों को प्रकाशित करने वाली भारतीय कंपनियों में निवेश।

(i) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति सिर्फ उसी संस्था को दी जाएगी जो बनाई हुई संस्था (जिसे एतद् पश्चात् नई संस्था कहा गया है)

कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अधीन कंपनियों के पंजीयक के पास पंजीकृत कंपनी है।

(ii) नई संस्था की प्रदत्त इक्विटी के सिर्फ 26 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी जाएगी।

(iii) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा निजी वित्तीय संस्थाओं को छोड़कर जैसा कि कंपनी अधिनियम 1956 के खंड 4 क में परिभाषित है, नई संस्थाओं को सिर्फ उन मामलों में अनुमति दी जाएगी जहां वृहदतम भारतीय शेयर धारक द्वारा धारित इक्विटी कुल इक्विटी, का कम से कम 51 प्रतिशत होगी। इस खंड में प्रयुक्त शब्द वृहदतम शेयरधारक में निम्नलिखित में से कोई या उनका संयोजन शामिल होगा:-

(1) व्यष्ठि शेयरधारक की स्थिति में,

(क) व्यष्ठि शेयरधारक

(ख) कंपनी अधिनियम, 1956 के खंड 6 में वर्णित शेयरधारक का कोई संबंधी

(ग) कंपनी/समूह जिसमें व्यष्टि शेयरधारक हि.अ.प. जिससे वे संबंधित है, का प्रबंधन और नियंत्रणकारी अभिरूचि है।

(2) भारतीय कंपनी की स्थिति में,

(क) भारतीय कंपनी

(ख) एक ही प्रबंधन तथा मालिकाना नियंत्रण के अधीन भारतीय कंपनियों का समूह

बशर्ते उपरोक्त उप खंड (1) तथा (2) में उल्लिखित किसी एक या सभी संस्थाओं के संयोजन की स्थिति में यह व्यवस्था हो कि नई संस्था के मामले में, प्रबंधन में अकेली इकाई के रूप में कार्य करने के लिए प्रत्येक पक्ष को एक कानूनी बंधनकारी समझौता करना होगा।

(iv) नई संस्था की इक्विटी में 26 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का आकलन करते समय, नयी संस्था के भारतीय शेयरधारक कंपनियों की इक्विटी में विदेशी घटक, यदि कोई हो, यथानुपात आधार पर विधिवत गणना की जाएगी ताकि नई संस्था में कुल विदेशी निवेश का पता लग सके।

(v) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का कम से कम 50 प्रतिशत नये इक्विटी जारी करके शामिल किया जाएगा। शेष जो कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का 50 प्रतिशत है, मौजूदा इक्विटी के स्थानांतरण से किया जा सकता है।

(vi) नई संस्था के निदेशक मंडल के निदेशकों का कम से कम 3/4वां हिस्सा तथा सभी मुख्य कार्यकारियों व संपादकीय कर्मचारियों के भारतीय निवासी होने की स्थिति में अनुमति सशर्त होगी।

(ख) विदेशी समाचारपत्रों के अनुलिपि संस्करण

(i) किसी समाचारपत्र के अनुलिपि संस्करण को प्रकाशित करने की इच्छुक, विदेशी निवेश के साथ या उसके बिना किसी भारतीय कंपनी अथवा मूल विदेशी समाचारपत्र के स्वामित्व वाली किसी विदेशी कंपनी को उसके समाचारपत्र के अनुलिपि संस्करण को पूर्णरूप से या आंशिक रूप से प्रकाशित करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते

(क) इसे कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित और कंपनी पंजीयक के पास एक कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया हो।

(ख) इसकी भारत में वाणिज्यिक उपस्थिति होने के साथ-साथ उसके व्यवसाय का प्रमुख स्थल भारत में होगा।

(ग) कि नई कंपनी के निदेशक मंडल के कम से कम तीन चौथाई निदेशक व सभी महत्वपूर्ण कार्यपालक व संपादकीय स्टाफ निवासी भारतीय हों।

(ii) भारत में किसी विदेशी समाचारपत्र के अनुलिपि संस्करण को प्रकाशित करने वाली कोई भी कंपनी सभी संगत कानूनों और भारतीय समाचारपत्रों व उनके प्रकाशकों के संबंध में लागू दिशा-निर्देशों के अध्यधीन होगी।

4. बुनियादी शर्तें/कर्तव्य

(i) निर्धारित अधिकतम सीमा के अध्यधीन सभी कंपनियों के लिए प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक की स्थिति के अनुसार और वित्त वर्ष के अंत में 15 दिन के भीतर

विदेशी अंशधारिता पैटर्न में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्रालय को सूचित करना अनिवार्य होगा।

(ii) सभी कंपनियों के लिए उपर्युक्त खंड 3 क (iii) में निर्दिष्ट सबसे बड़े भारतीय अंशधारक की अंशधारिता में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने से पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय से पूर्वानुमति लेना आवश्यक होगा।

(iii) सभी कंपनियां अपने निदेशक मंडल अथवा महत्वपूर्ण कार्यपालकों व संपादकीय स्टाफ की संरचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने से 15 दिन के भीतर सूचना और प्रसारण मंत्रालय को इसके बारे में सूचित करेंगे। ऐसा परिवर्तन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कार्योत्तर अनुमोदन के अध्यधीन होगा।

(iv) सभी कंपनियां वर्ष में 60 से अधिक दिनों के लिए परामर्शदाता (अथवा किसी अन्य हैसियत में) अथवा नियमित कर्मचारी के रूप में किसी नई संस्था में नियुक्त/संलग्न किए जाने के लिए प्रस्तावित किसी विदेशी/अनिवासी भारतीय के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्रालय से पूर्वानुमति प्राप्त करेंगी।

(v) निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन अनुलिपि संस्करणों की अनुमति दी जाएगी:-

(क) मूल विदेशी समाचारपत्र, जिसके अनुलिपि संस्करण को भारत में प्रकाशित किए जाने का प्रस्ताव है, को मूल देश के विनियामक प्राधिकरण के अनुमोदन से प्रकाशित किया जा रहा हो और वह उस देश का एक मानक प्रकाशन हो और उसे विशेषकर भारतीय पाठकों के लिए तैयार न किया गया है।

(ख) अनुलिपि संस्करण में भारतीय पाठकों के लिए लक्षित किसी भी प्रकार के विज्ञापनों का किसी भी रूप में प्रकाशन नहीं किया जाएगा।

(ग) अनुलिपि संस्करण में स्थानीय रूप से जनित किसी भी प्रकार की ऐसी विषयवस्तु/भारत-विशेष विषय-वस्तु का प्रकाशन नहीं किया जाएगा जिसका विदेशी समाचारपत्र के मूल संस्करण में समकालिक प्रकाशन न किया गया हो।

(घ) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से अनुलिपि संस्करणों के प्रकाशन हेतु पूर्वानुमति प्राप्त की गई हो और शीर्षक को भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय (आर.एन.आई.) के पास पंजीकृत कराया गया हो।

(ङ) प्रकाशन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि यह पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से एक अनुलिपि संस्करण है और इसमें मूल विदेशी समाचारपत्र के मस्तूल शीर्ष, संपादकीय पृष्ठ, और प्रकाशन स्थल को प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

5. आवेदनों पर कार्रवाई

(i) समाचारपत्रों और समाचार एवं समसामयिक विषयों से संबंधित आवधिकियों को प्रकाशित करने वाली भारतीय कंपनियों में विदेशी निवेशों के लिए सभी नए आवेदन पत्रों तथा विदेशी समाचारपत्रों के अनुलिपि संस्करणों का प्रकाशन करने संबंधी प्रस्तावों पर कार्रवाई की जाएगी और यथावश्यकतानुसार गृह मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के साथ अन्तर-मंत्रालयीय परामर्श के आधार पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय में निर्णय लिया जाएगा।

(ii) आवेदक कंपनी आवेदन करते समय अंतिम रूप प्रदान किए गए या प्रस्तावित अंशधारक करारों और ऋण करारों के बारे में पूर्ण खुलासा करेगी। इनमें किसी भी प्रकार के अनुवर्ती परिवर्तन के बारे में किए गए ऐसे परिवर्तन से पंद्रह दिन के भीतर सूचना और प्रसारण मंत्रालय को खुलासा किया जाएगा।

(iii) आवेदक कंपनी निर्धारित पात्रता मापदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपना संगम अनुच्छेद/ज्ञापन तैयार करेगी।

(iv) सभी कंपनियां, नई कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित अनिवासी भारतीय न होने वाले सभी व्यक्तियों के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्रालय से पूर्वानुमति प्राप्त करेंगी।

(v) अनुलिपि संस्करणों को प्रकाशित करने के इच्छुक सभी आवेदक अनुलिपि संस्करण को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से प्रकाशित करने के बारे में स्पष्ट रूप

से उल्लेख करेंगे। यदि मूल विदेशी समाचारपत्र के केवल एक भाग को प्रकाशित किए जाने का प्रस्ताव है तो प्रत्येक पृष्ठ को एक भाग के रूप में माना जाएगा और प्रकाशित किए जाने वाले मूल विदेशी समाचारपत्र के पृष्ठों की सही संख्या स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट की जाएगी।

(i) विदेशी वैज्ञानिक, तकनीकी तथा विशेषज्ञता वाली मैगजीनों/आवधिकों/पत्रिकाओं के भारतीय संस्करणों के प्रकाशन तथा

(ii) वैज्ञानिक, तकनीकी और विशेषज्ञता वाली मैगजीनों/आवधिकियों/पत्रिकाओं को प्रकाशित करने वाली भारतीय संस्थाओं में विदेशी निवेश के लिए दिशा-निर्देश।

प्रस्तावना:-

केन्द्र सरकार ने विदेशी वैज्ञानिक, तकनीकी और विशिष्ट मैगजीनों/आवधिकों/पत्रिकाओं के भारतीय संस्करणों के प्रकाशन की अनुमति देने तथा वैज्ञानिक/तकनीकी तथा विशिष्ट मैगजीनों/आवधिकों/पत्रिकाओं को प्रकाशित करने वाली भारतीय संस्थाओं में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

1. प्रयोग

(i) प्रकाशन के विषयों के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में सूचना और प्रसारण मंत्रालय को आवेदन करना होगा।

(ii) 5000/- रु. का आवेदन शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से वेतन एवं लेखा अधिकारी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पक्ष में नई दिल्ली में देय जमा करवाना होगा।

2. प्रक्रिया

(i) प्रस्तावित प्रकाशन की वैज्ञानिक, तकनीकी और विशिष्ट मैगजीन/आवधिक/पत्रिका की श्रेणी का निर्धारण करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अंतर-मंत्रालयीय परामर्श करने के पश्चात् आवेदन पर कार्यवाही की जाएगी। जब आवश्यक होगा संबंधित मंत्रालयों/विशेषज्ञ निकायों के प्रतिनिधियों तथा भाषा विशेषज्ञों को भी उसके साथ संबद्ध किया जाएगा।

(क) उचित मामलों में सूचना और प्रसारण मंत्रालय प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुमोदन के अधीन और उनके अंतर्गत विदेशी पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए बने नियमों के अधीन स्वीकृति जारी करेगा या;

(ख) उचित मामलों में विदेशी निवेश के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र की एक-एक प्रति आर.एन.आई./एस.आई.ए./आर.बी.आई. तथा आवेदक को भेजी जाएगी।

(ii) यदि बाद में प्रकाशन (नों) के विषयों में कोई परिवर्तन होता है तो प्रकाशन (नों) को आवंटित श्रेणी में निर्धारण करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय से समीक्षा करवानी होगी।

(iii) (क) जिन मामलों में एफ.डी.आई. और एफ.आई.आई. दोनों निवेश शामिल हैं वहां आवेदक को सूचना और प्रसारण मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात् निकासी के लिए आई.पी.बी./आर.बी.आई. से संपर्क करना होगा।

(ख) जिन मामलों में केवल पोर्टफोलियो निवेश शामिल है, आवेदक को सूचना और प्रसारण मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात् अगली निकासी, यदि कोई हो तो, के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से संपर्क करना होगा।

(ग) सूचना और प्रसारण मंत्रालय अनापत्ति प्रमाणपत्र देते समय औद्योगिक सहायता तथा भारतीय रिजर्व बैंक को कंपनी द्वारा निवेशित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा पोर्टफोलियो निवेश के मार्ग पर अनुज्ञेय शेष के विषय में सूचित करेगा।

3. प्रकाशन का शीर्षक

शीर्षक का सत्यापन प्रेस पंजीयक द्वारा वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार किया जाना जारी रहेगा।

4. विदेशी निवेश

(i) कंपनी को भुगतान की हुई इक्विटी का 100 प्रतिशत तक कुल विदेशी निवेश की अनुमति होगी। वित्त मंत्रालय के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा पोर्टफोलियो विनिवेश के दिशानिर्देश लागू होंगे।

(ii) विदेशी निवेश से संबंधित सभी मामलों पर निर्धारित एजेन्सियों अर्थात् एफ.आई.पी.बी. तंत्र और आर.बी.आई. द्वारा पोर्टफोलियो निवेश के माध्यम से सरकारी अनुमोदन के आधार पर एफ.डी.आई. द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

रेलगाड़ियों का पटरी से उतरना

817. श्री पी.एस. गढवी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुख्यत: दोषपूर्ण पहियों के कारण यात्री रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने की बहुत सी घटनाएं हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्षों के दौरान प्रति वर्ष दोषपूर्ण पहियों के कारण रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने की घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार डिब्बों के पहियों तथा धुरों में सूक्ष्म टूट-फूट की पहचान करने के लिए उच्च लागत प्रौद्योगिकी अपनाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितना खर्च आने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) 2003-2004 के दौरान पहियों की खराबी के कारण चार यात्री गाड़ियां पटरी से उतरी। 2004-2005 के दौरान इस प्रकार की केवल एक घटना हुई।

(ग) और (घ) टूट-फूट रोधी तत्व शामिल करने के लिए रेलवे ने कोचिंग पहियों की जांच के लिए विशिष्टियों को अपग्रेड कर लिया है/ताकि टूट की अधिकता को कम किया जा सके। सवारी डिब्बों के पहियों के विनिर्माताओं ने पहले से ही ऑन लाइन अल्ट्रासोनिक जांच और नवनिर्मित पहिओं में बाल जैसी दरार का पता लगाने के लिए मैग्नेटिक पार्टिकल जांच संस्थापित कर रखी हैं। सेवा के दौरान धुरों में दरारों का पता लगाने के लिए वर्कशॉप में धुरे की अल्ट्रासोनिक जांच भी की जाती है।

सेवा के दौरान टूट का पता लगाने के लिए व्हील डिस्क की ऑन लाइन अल्ट्रासोनिक जांच विकसित करने का रेलें प्रयास कर रही हैं। इस उद्देश्य के लिए फेस एरी अल्ट्रासोनिक फ्ला डिटेक्टरों के बारे में विचार किया जा रहा है इस प्रकार के एक उपस्कर (फेस एरी अल्ट्रासोनिक फ्ला डिटेक्टर) की कीमत इसको स्थापित करने सहित लगभग एक करेड़ रु. है।

नागर विमानन नीति

818. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार-व्यापक नागर विमानन नीति लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी मुख्य-मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इसकी कब तक घोषणा किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) नागर विमानन मंत्रालय ने श्री नरेश चन्द्र, भूतपूर्व मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक नई राष्ट्रीय नागर विमानन प्रणाली को आधार प्रदान करने के लिए नागर विमानन सेक्टर के लिए एक रोड मैप तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया गया। समिति ने रिपोर्ट का प्रथम भाग 8-12-2003 को तथा दूसरा भाग 2-11-2004 को प्रस्तुत किया। विमानन क्षेत्र में स्टेकहोल्डरों से परामर्श करके राष्ट्रीय नागर विमानन प्रणाली का प्रारूप अनुमोदनार्थ मंत्रिमंडल के सम्मुख प्रस्तुत करने से पूर्व अभी अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए भेजा गया है।

निर्माणाधीन रेलवे-परियोजनाओं के लिए धनराशि

819 श्री सनत कुमार मंडल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल मंत्रालय को पश्चिम बंगाल में निर्माणाधीन रेलवे परियोजनाओं के लिए बहुत ही कम धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे भविष्य में राज्य में रेल परियोजनाओं की गति बढ़ाने के लिए पर्याप्त धनराशि जारी करेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कार्गो के लिए रियायत

820. **श्री कीर्ति वर्धन सिंह:**
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने कम व्यस्त दिनों के दौरान कार्गो के लिए हाल ही में रियायत की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है;

(ग) क्या रेलवे ने वैगनों के निर्धारित समय से ज्यादा समय तक बंद रहने के लिए पेनल्टी नियमों में कतिपय रियायत की भी घोषणा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी हां। माल डिब्बा के खाली प्रवाह दिशा के यातायात में मालभाड़ा रियायत 20% और गैर व्यस्त समय में लदान के लिए 15% है जो कि कतिपय निबंधन एवं शर्तों को पूरा करने पर आधारित है। इन दोनों में से कोई भी रियायत जुलाई, 2005 से सितंबर, 2005 के दौरान ले सकते हैं। इन रियायतों की घोषणा यातायात क्षमता के पूर्ण उपयोग और माल यातायात को आकर्षित करने के दृष्टिकोण से की गई है।

(ग) और (घ) जी हां। खाली समय में माल डिब्बों के लदान और उतराई के लिए निम्न रियायतें 15-7-2005 से लागू हैं:-

- जम्बों रैक से लदान और उतराई के लिए खाली समय को समान रूप से 8 घंटे से 9 घंटे तक बढ़ाया गया है।
- टैंक वैगन रेकों की उतराई के लिए खाली समय 5 घंटों से 7 घंटों तक बढ़ाया गया है।
- अतिरिक्त शंटिंग, रेकों को लगाना/हटाना आदि के लिए अतिरिक्त खाली समय की अधिकतम सीमा 2 घंटे तक बढ़ाई गई है।
- खुले माल डिब्बों से मशीनों से उतराई के लिए खाली समय 5 घंटे से 6 घंटों तक बढ़ा दिया गया है।

[हिन्दी]

विश्नोई जाति को अन्य पिछड़ी जाति सूची में शामिल किया जाना

821. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राजस्थान की बिश्नोई जाति को केन्द्र की अन्य पिछड़ी जाति सूची में शामिल करने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) अनुरोध को कब तक स्वीकार कर लिये जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में किसी जाति/समुदाय को शामिल करने का निर्णय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सलाह पर किया जाता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने राजस्थान की 'विश्नोई' जाती को पिछड़ा जाति में शामिल किए जाने संबंधी अनुरोध की जांच की और राजस्थान के लिए अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में उनको शामिल किए जाने की सलाह नहीं दी थी।

[अनुवाद]

तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम द्वारा सेवाओं का निर्यात

822. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम ने तेल की खोज तथा तेल संस्थानों के दोहन के क्षेत्र में ज्ञात, प्रौद्योगिकी तथा सलाह का निर्यात करने का अभियान चलाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके अधीन विचारार्थ लक्ष्यों सहित योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निगम के मध्यपूर्व तथा दक्षिण मध्य एशिया से ऐसी सेवाओं के निर्यात के लिए पहले ही संविदाएं प्राप्त हो चुकी हैं अथवा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) जी, हां। ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड विदेशों - पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमरीका में हाइड्रोकार्बन उद्योग के प्रशिक्षण, परामर्श और सेवा खंड में व्यापार अवसर तलाश रही है।

ओ.एन.जी.सी. ने पिछले दो वर्ष में निम्नलिखित संविदाएं प्राप्त हैं और उन्हें सफलतापूर्वक पूरा किया है:-

1. मैसर्स बी.ए.पी.ई.एक्स., बांग्लादेश के वेधन रिग का नवीकरण
2. अपस्ट्रीम व्यापार के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए मैसर्स जी.एन.पी. ओसी, सूडान के तकनीकी, सामग्री प्रबंधन और अन्वेषण कार्मिकों को प्रशिक्षण
3. उन्नत वेधन प्रौद्योगिकी पर मैसर्स ए.डी.सी.ओ. आबूधाबी के वेधन कार्मिकों को प्रशिक्षण
4. कूप नियंत्रण और अन्वेषण गतिविधियों पर एन.आई.ओ.सी., ईरान के कार्यपालकों को प्रशिक्षण
5. तत्स्थान कम्बशन प्रौद्योगिकी और पोलीमर आप्लावन के माध्यम से उन्नत भारी तेल प्राप्ति पर मैसर्स स्टाटसोइले के कार्यपालकों को प्रशिक्षण

वेधनीय संभाव्यताओं की तत्काल पुनर्गुणग्राहकता हेतु मैसर्स हेतु मैसर्स जी.एन.पी.ओ.सी., सूडान के लिए भू-रसायन मृदा नमूने और विश्लेषण हेतु संविदा।

पंढरपुर-मीरज लाइन का आमान परिवर्तन

823. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में पंढरपुर-मीरज लाइन के प्रस्तावित आमान परिवर्तन के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार को पंढरपुर-मीरज लाइन के आमान परिवर्तन के धीमे कार्यान्वयन के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबेधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त परियोजना के लिए वर्ष 2005-06 के दौरान कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ङ) उक्त लाइन के आमान परिवर्तन को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) मिराज-पंडारपुर, मिराज-लातूर आमान परिवर्तन परियोजना का एक भाग है। इस भाग पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। परियोजना पर कुल 48% प्रगति हो चुकी है।

(ख) और (ग) जी हां, मिराज-पंडारपुर और कुरूडीवाडी-लातूर खंड पर आमान परिवर्तन कार्य शीघ्र निष्पादित करने के संबंध में संदर्भ प्राप्त हो चुके हैं।

(घ) और (ङ) 2005-06 के दौरान पूरी परियोजना के लिए 35 करोड़ रु. का परिव्यय प्रदान किया गया है। धन की उपलब्धता के अनुसार आवश्यक निधि आबंटित की गयी है।

निर्यात साम्य मूल्य

824. श्री सुरेश कुरूप: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान पेट्रोल और डीजल का निर्यात साम्य मूल्य कितना रहा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): निर्यात समता मूल्य आवश्यक रूप से निर्यात उगाही की संकल्पना के आधार पर होगा जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ (1) अरब खाड़ी (ए.जी.) पर औसत एफ.ओ.बी.+ए.जी. प्रीमियम+गुणवत्ता प्रीमियम (प्लाट्स और आरगस डाटा पर आधारित) और (2) प्लाट्स के अनुसार दुबई क्रूड के लिए औसत क्रूड तेल कीमतें, विश्व पैमाना 100 पर आधारित ए.जी. में फतेह पत्तन से भारत में जामनगर पत्तन तक समुद्री भाड़ा एवं ए.एफ.आर.ए. समायोजनों और अन्य प्रभारों को ध्यान में रखते हुए क्रूड पर सीमा शुल्क की मात्रा पर मानक अंत:प्रवाह बर्हिप्रवाह मानकों (एस.आई.ओ.एन.) के आधार पर अग्रिम लाइसेंस लाभ का परिकलन होता है।

तद्नुसार, पिछले तीन वर्ष के औसत कल्पित आधार पर जामनगर पत्तन में पेट्रोल और डीजल हेतु निर्यात समता मूल्य निम्नानुसार होता है:-

रुपए/कि.ली.

	2002-03	2003-04	2004-05
पेट्रोल	9466.61	10175.35	13983.27
डीजल	9999.39	10158.93	14555.91

[हिन्दी]

उन्नाव स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव

825. श्री ब्रजेश पाठक: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश स्थित उन्नाव रेलवे स्टेश पर गोमती एक्सप्रेस, पुष्पक एक्सप्रेस और अन्य एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव के लिए अनुरोध/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) उन्नाव स्टेशन पर विभिन्न रेलगाड़ियों के ठहराव के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। 1-8-2005 से उन्नाव स्टेशन पर 4025/4026 दिल्ली-आजमगढ़ कैफियत एक्सप्रेस को छः महीने तक प्रायोगिक तौर पर ठहराव देने के अनुदेश जारी किए गए हैं। बहरहाल, अन्य रेलगाड़ियों को उन्नाव स्टेशन पर ठहराव देना फिलहाल व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

[अनुवाद]

ऐतिहासिक स्थलों पर खर्च की गई राशि

826. श्री अधीर चौधरी:
श्री निखिल कुमार:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देश में स्थित ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण पर भारी धनराशि खर्च कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) ऐतिहासिक स्थलों/स्मारकों को पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या संस्कृति मंत्रालय ने गृह मंत्रालय से ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण के लिए अर्ध सैन्य बलों की सेवा प्रदान करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय लिये गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्षेत्राधिकार में आने वाले केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के परिरक्षण तथा संरक्षण पर किए गए व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है:-

2002-03	8034.59 लाख रुपए
2003-04	10706.03 लाख रुपए
2004-05	11595.98 लाख रुपए

(ग) सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में संरक्षण, परिरक्षण, पर्यावरणीय तथा पर्यटक सुविधाओं तथा आवश्यकताओं जैसे प्रसाधन कक्ष, पेय जल, भाषान्तरण केन्द्र, का विकास, गाइडों, पर्यटक साहित्य का प्रावधान आदि शामिल है।

(घ) और (ङ) जी हां। आगरा में ताजमहल तथा दिल्ली में लाल किला पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तैनात किया गया है।

राष्ट्रीय स्मारक

827. श्री जुएल ओराम:
श्रीमती प्रतिभा सिंह:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ राष्ट्रीय स्मारक चरमरा कर गिरने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन स्मारकों की मरम्मत के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी नहीं। राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों का संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण वार्षिक कार्यक्रम के तहत यथावश्यक विशेष मरम्मत कार्यों के अलावा राष्ट्रीय संरक्षित स्मारकों के संरक्षण, संरक्षा एवं पर्यावरणीय विकास सम्बन्धी कार्यों को करता है।

अनुसूचित जातियों हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता

828. श्री सुरेश अंगड़ि: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार कुल कितनी विशेष केन्द्रीय सहायता जारी की गई है;

(ग) क्या राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने विशेष केन्द्रीय सहायता के कुल आबंटन का केवल 55 प्रतिशत का उपयोग किया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार विशेष केन्द्रीय सहायता के उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इतने कम उपयोग के क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दिया गया है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान जारी की गई विशेष केन्द्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) विशेष केन्द्रीय सहायता के उपयोग का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(च) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी विशेष केन्द्रीय सहायता निधि के उपयोग की मानीटरिंग, राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत तिमाही प्रगति रिपोर्ट एवं वार्षिक प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से की जाती है।

विवरण-I

जनगणना 2001 के अनुसार अनुसूचित जाति की राज्यवार आबादी

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जाति
1	2	3
	भारत	166,635,700
1.	आंध्र प्रदेश	12,339,496
2.	अरुणाचल प्रदेश	6,188
3.	असम	1,825,949
4.	बिहार	13,048,608
5.	गोवा	23,791
6.	गुजरात	3,592,715
7.	हरियाणा	4,091,110
8.	हिमाचल प्रदेश	1,502,170
9.	जम्मू-कश्मीर	770,155
10.	कर्नाटक	8,563,930
11.	केरल	3,123,941
12.	मध्य प्रदेश	9,155,177
13.	महाराष्ट्र	9,881,656
14.	मणिपुर	60,037
15.	मेघालय	11,139
16.	मिजोरम	272
17.	नागालैंड	0
18.	उड़ीसा	6,082,063

1	2	3
19.	पंजाब	7,028,723
20.	राजस्थान	9,694,462
21.	सिक्किम	27,165
22.	तमिलनाडु	11,857,504
23.	त्रिपुरा	555,724
24.	उत्तर प्रदेश	35,148,377
25.	पश्चिम बंगाल	18,452,555
26.	छत्तीसगढ़	2,418,722
27.	झारखंड	3,189,320
28.	उत्तरांचल	1,517,186
	संघ राज्य क्षेत्र	
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0
30.	चंडीगढ़	157,597
31.	दादरा व नागर हवेली	4,104
32.	दमन व दीव	4,838
33.	दिल्ली	2,343,255
34.	लक्षद्वीप समूह	0
35.	पांडिचेरी	157,771

विवरण-II

विगत तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान विशेष केन्द्रीय सहायता की निर्मुक्ति एवं उपयोग को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002-2003		2003-04		2004-05		2005-06	
		निर्मुक्ति	उपयोग (पिछले वर्षों की उपयोग न की गई शेष राशि सहित)	निर्मुक्ति	उपयोग (पिछले वर्षों की उपयोग न की गई शेष राशि सहित)	निर्मुक्ति	उपयोग (पिछले वर्षों की उपयोग न की गई शेष राशि सहित)	निर्मुक्ति (पहली किस्त 25-7-2005 को जारी)	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	7216.48	6367.17	6222.90	5595.74	4362.72	2880.64	1102.25	
2.	असम	512.76	514.50	625.21	305.76	800.00	731.14	332.21	
3.	बिहार	0	0.00	933.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
4.	छत्तीसगढ़	430.25	374.58	408.29	382.60	339.05	0.00	0.00	
5.	गुजरात	559.73	1398.79	644.46	996.88	705.82	552.87	0.00	
6.	गोवा	0.00	0.32	0.00	0.59	0.00	0.05	0.00	
7.	हरियाणा	1098.19	856.22	1434.00	835.45	560.14	2074.51	491.34	
8.	हिमाचल प्रदेश	447.99	428.96	248.66	348.87	587.47	583.16	463.74	
9.	जम्मू-कश्मीर	122.88	208.55	148.46	112.69	495.08	0.00	0.00	
10.	झारखंड	0.00	564.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.	कर्नाटक	2386.12	2386.12	2124.76	2124.76	2951.8	1417.16	1225.55	
12.	केरल	0.00	1189.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	मध्य प्रदेश	2598.12	2390.5	2955.43	3277.34	2506.90	3146.38	1163.81	205-06 में जारी पहली किस्त की निर्मुक्ति के लिए उपयोग रिपोर्ट, वर्ष की दूसरी एवं तीसरी तिमाही में प्राप्त होने की उम्मीद है।
14.	महाराष्ट्र	1077.10	2906.02	1991.36	2881.63	2924.36	3638.68	1157.42	
15.	मणिपुर	0.00	32.52	4.42	1.90	3.82	7.99	11.12	
16.	उड़ीसा	1792.01	1795.82	779.30	745.63	345.70	728.64	0.00	
17.	पंजाब	0.00	1289.85	680.03	380.28	0.00	89.62	0.00	
18.	राजस्थान	3422.90	4013.92	2984.25	3698.47	2368.68	3368.02	1437.76	
19.	सिक्किम	42.21	42.20	1.12	34.76	15.44	0.00	0.00	
20.	तमिलनाडु	4500.71	4182.03	3800.74	5123.08	4327.89	6274.60	1632.49	
21.	त्रिपुरा	176.91	124.80	76.80	178.91	1198.20	113.12	142.03	
22.	उत्तर प्रदेश	10173.64	13417.92	7817.94	12372.55	9737.98	11642.39	4776.52	
23.	उत्तरांचल	174.57	521.10	407.74	538.34	476.08	512.74	495.29	
24.	पश्चिम बंगाल	6640.50	6037.34	3994.68	3753.66	4672.27	2626.98	1390.22	
25.	चंडीगढ़	25.00	12.50	12.50	3.13	0.00	0.00	0.00	
26.	दिल्ली	0.00	545.23	99.37	423.91	41.87	51.81	42.08	
27.	पांडिचेरी	5.81	5.81	3.13	3.13	7.35	0.00	4.79	
	कुल	43403.88	51606.11	38398.55	44620.06	39426.62	40438.50	15868.62	

खेलों को प्रोत्साहन

829. श्री परसुराम माझी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए रेलवे ने जोन-वार कितनी धनराशि निर्धारित की है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए पूर्व तटीय रेलवे द्वारा क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) रेलों पर खेल कूद संवर्द्धन के लिए निधियों को जोनवार निर्धारित करने का कोई प्रावधान नहीं है। क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों से उनकी मांग प्राप्त होने पर, उनकी प्राथमिकता और औचित्य के अनुसार छंटनी करके खेल कूद संवर्द्धन के लिए निधियों का वितरण किया जाता है और अंत में इसका वितरण विभिन्न क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों को किया जाता है।

(ख) पूर्व तट रेलवे ने खेलों के संवर्द्धन और विकास के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) मुख्यालयों पर लकड़ी के फर्श वाले इंडोर बैडमिंटन हॉल का विस्तार।

(ii) मुख्यालयों पर बहुआयामी-व्यायामशालाओं का विकास।

(iii) खुर्दारोड मण्डल पर लकड़ी के फर्श वाले नए बैडमिंटन हॉल का निर्माण।

(iv) वाल्तेर मण्डल पर 400 मीटर वाले प्रतिस्पर्धी खेल कूद पथ के लिए विस्तारित रेलवे स्टेडियम का विकास।

(v) सम्बलपुर मण्डल पर कबड्डी मैदान, हॉकी मैदान और फुटबाल मैदान का विकास।

(vi) मुख्यालयों पर बास्केटबॉल मैदान का विकास।

(vii) खुर्दा रोड मण्डल, सम्बलपुर मण्डल, विशाखापटनम् मण्डल और मांचेश्वर कर्मशाला पर बहुआयामी व्यायाम शालाओं का विकास।

अहमदाबाद-मुम्बई रेलवे लाइनों का अधिक उपयोग

830. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि अहमदाबाद-मुम्बई रेलवे लाइन का मौजूदा क्षमता से अधिक उपयोग किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस लाइन की क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) अहमदाबाद और मुंबई के बीच क्षमता बढ़ाने के लिए निम्न कार्य प्रगति पर है:-

1. निम्नलिखित खंडों पर स्वचालित सिगनल प्रणाली उपलब्ध है:-

   दहानु रोड-वलसाड़ वलसाड़-भेस्टन, सूरत-वडोदरा और वडोदरा-आनंद

2. पनौली पर अतिरिक्त लूप लाइन उपलब्ध कराना

3. वडोदरा यार्ड में परिवर्धन और सुधार

4. बजुवा में मौजूदा लूप लाइन को बढ़ाना

5. काशीपुरा और वर्नामा के "सी" श्रेणी के स्टेशनों को "बी" श्रेणी में परिवर्तित करना

6. सात स्टेशनों पर अतिरिक्त लूप लाइन : वैतमा, केल्वे रोड, उडवाडा, पार्दी, अतुल, वरछा और सचिन।

मानार्थ पास जारी करना

831. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसी व्यक्ति और संगठन को मानार्थ पास एवं रियायत जारी करने हेतु किन मानदण्डों का अनुपालन किया जाता है;

(ख) पास/रियायत जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी कौन है और ये कितने पास/रियायत जारी करने के लिए प्राधिकृत है;

(ग) गत तीन वर्ष में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने पास जारी किए गए हैं;

(घ) क्या रेल मंत्री द्वारा मानार्थ पास जारी करने हेतु कोई सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) मानार्थ और चैक पास (एकल-एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक) दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए व्यक्ति विशेष/संगठन को जारी किए जाते हैं। रोगियों, विद्यार्थियों, कलाकारों आदि को भी रियायत दी जाती है।

(ख) मानार्थ कार्ड पास, चैक पास और रियायतें देने के लिए सक्षम प्राधिकारी रेल मंत्री है। इसके अतिरिक्त, रेल राज्य मंत्री और सदस्य, रेलवे बोर्ड मानार्थ चैक पास जारी करने के लिए सक्षम हैं। एक वित्तीय वर्ष में 300 व्यक्तियों के पक्ष में मानार्थ कार्ड पास और 2000 व्यक्तियों के पक्ष में चैक पास जारी किए जा सकते हैं।

(ग) वित्तीय वर्ष 2002-2003 और 2003-2004 में कोई भी मानार्थ कार्ड पास जारी नहीं किया गया। बहरहाल 2004-2005 में 21 कार्ड पास जारी किए गए। वित्तीय वर्ष 2002-2003, 2003-2004 और 2004-2005 के दौरान क्रमशः 897, 988 और 458 व्यक्तियों को मानार्थ चैक पास जारी किए गए।

(घ) और (ङ) एक वित्तीय वर्ष में 300 व्यक्तियों को मानार्थ कार्ड पास और 2000 व्यक्तियों को चैक पास जारी करने की सीमा निर्धारित की गई है।

पालम विमानपत्तन पर एयर ट्रैफिक

832. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली स्थित पालम विमानपत्तन पर एयर ट्रैफिक में बहुत वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या वायु यात्री ट्रैफिक में वृद्धि होने की वजह से टर्मिनल 1बी की अवसंरचना एयर ट्रैफिक को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो एयर ट्रैफिक को संभावने के लिए उक्त टर्मिनल पर पर्याप्त अवसंरचनाएं उपलब्ध करवाने के लिए क्या कदम उठाए जाने हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। व्यस्ततम अवधि के दौरान टर्मिनल 1 बी पर अवसंरचना संबंधी बाध्यतायें अनुभव की जा रही है।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा कम लागत वाली एयरलाइनों के यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं को सुधारने के लिए टर्मिनल 1 बी के अप्रयुक्त हिस्से को उपयोग में लाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। आगे, हवाईअड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा उन्नत तथा आधुनिक बनाने का निर्णय किया गया है, जिसका लक्ष्य इसे एक विश्वस्तरीय हवाईअड्डा बनाना है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने त्वरित निकास टैक्सी ट्रैक, द्वितीयक रनवे के समान्तर टैक्सी ट्रैक तथा पार्किंग बे के लिए भी कदम उठाए हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण प्रक्रियाओं इत्यादि में सुधार के द्वारा विमान आवागमन के संख्या में वृद्धि के लिए भी कदम उठा रही है।

[हिन्दी]

पायरेसी की वजह से हानि

833. श्री सुरेश चंदेल: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत के मनोरंजन उद्योग को पायरेसी की वजह से भारी घाटा उठाना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो पायरेसी की वजह से वार्षिक तौर पर अनुमानतः कितना घाटा उठाना पड़ता है; और

(ग) पायरेसी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल परिसंघ (फिक्की) के अनुसार फिल्म चोरी से प्रतिवर्ष लगभग 1200 करोड़ रुपये की राजस्व हानि होती है। जहां तक संगीत उद्योग का संबंध है भारतीय संगीत उद्योग ने सूचित किया है कि चोरी के कारण संगीत उद्योग का आकार वर्ष 1999 में 1000 करोड़ रुपये से घटकर वर्ष 2004 में 500 करोड़ रुपये हो गया है। मंत्रालय के पास कोई अन्य आंकड़े नहीं हैं।

(ग) प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम में 1957, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है, में अन्य बातों के साथ-साथ चलचित्र फिल्मों और संगीत में प्रतिलिप्याधिकार से संबंधित विधिक प्रावधान अंतर्विष्ट हैं। प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराधों के संबंध में कार्रवाई करने का दायित्व राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के पुलिस प्राधिकरणों का है। ऐसे अपराधों

के संबंध में कार्रवाई करने के लिए अधिकांश राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की अध्यक्षता में प्रतिलिप्याधिकार प्रवर्तन प्रकोष्ठों की स्थापना की गई है।

इसके अतिरिक्त, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म क्षेत्र में चोरी से निपटने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

- इस मंत्रालय के पास चोरी-रोधी उपायों से संबंधित कार्यकलापों को प्रारम्भ करने के लिए एक योजनागत स्कीम है।

- मंत्रालय ने पुलिस अधिकारियों को चीरी-रोधी उपायों के बारे में प्रशिक्षण देने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण मॉड्यूलों को तैयार करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

- सितम्बर, 2001 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म निर्माताओं, बहु-सेवा संचालकों और केबल ऑपरेटरों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की जिसमें उन्होंने प्रतिलिप्याधिकार धारकों की वैध अनुमति के बिना फिल्मों को प्रदर्शित न करने का संयुक्त रूप से संकल्प लिया।

- इस बात को स्वीकारते हुए कि मनोरंजन कर की उच्च दरों के कारण चोरी को बढ़ावा मिलता है, राज्यों के सूचना मंत्रियों के 24वें सम्मेलन (सिमकॉन) की एक उपसमिति, मनोरंजन क्षेत्र विकास समिति ने सिफारिश की थी कि मनोरंजन कर की दर को घटाकर अधिकतम 45% तक कर दिया जाए। हाल ही में हुए सिमकॉन में यह महसूस किया गया कि अधिकतम सीमा को और घटाकर 25-30% तक किया जाए।

- समिति ने राज्यों में मनोरंजन उद्योग के साथ नोडल अधिकारी के रूप में सहयोग करने के लिए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नियुक्त करने की सिफारिश भी की थी।

- वर्ष 2003-04 के बजट के दौरान चोरी की सी.डी. को उपलब्ध कीमत-लाभ की सुविधा को खत्म करने के लिए ऑडियो सी.डी. को उत्पाद शुल्क से छूट दी गई थी।

- लोक सेवा प्रसारण न्यास को पाइरेसी (चोरी) पर एक फिल्म बनाने का कार्य सौंपा गया है।

- किसी केबल ऑपरेटर द्वारा किसी कार्यक्रम या चैनल, जिसके लिए प्रतिलिप्याधिकार धारक ने उसे लाइसेंस प्रदान नहीं किया है, के प्रसारण या पुनःप्रसारण को रोकने के लिए वर्ष 2000 में केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम में संशोधन किया गया है।

- इस मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से जिलाधीशों और पुलिस अधीक्षकों से उनकी मासिक कार्यकलाप रिपोर्टों में चोरी-रोधी उपायों को शामिल किए जाने की सलाह देने का अनुरोध किया है।

- राज्य सूचना मंत्रियों की 25वीं बैठक में अधिकांश राज्य सरकारों के लिए चोरी एक महत्वपूर्ण सरोकार के रूप में उभरकर सामने आया और फिल्म एवं संगीत उद्योग में चोरी को रोकने के उद्देश्य से कुछ उपायों पर विचार किया गया।

- इस मंत्रालय ने प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम में चल रहे संशोधनों पर विचार करते समय फिल्म और संगीत क्षेत्र में चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने का भी सुझाव दिया है।

- राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड प्रमुख राष्ट्रीय और उपग्रह चैनलों पर चोरी-रोधी अभियान चलाने के लिए स्पॉट तैयार करने हेतु कमीशंड किया गया है। इस मंत्रालय ने उद्योग संघों से फिल्मी सितारों को इस अभियान पर कार्य करने के लिए मनाने का अनुरोध किया है ताकि उसको कारगर ढंग से लागू किया जा सके।

- यह मंत्रालय ऑप्टिकल डिस्क कानून बनाने की संभावना का पता लगाने के लिए फिक्की से परामर्श कर रहा है।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों पर सामान को निकासी स्वीकृति देना

834. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विमानपत्तनों पर सामान को निकासी स्वीकृति देने के लिए लम्बी-लम्बी पंक्तियां होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विमानपत्तनों पर सामान की स्क्रीनिंग की देखरेख के लिए एकल एजेंसी की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) व्यस्ततम अवधि के दौरान, हवाईअड्डों पर पंजीकृत बैगेजों की सुरक्षा जांच हेतु लाइनें लग जाती हैं।

(क) और (ग) प्रयोगात्मक आधार पर, इंडियन एयरलाइन्स और एअर इंडिया को क्रमश: दिल्ली और मुम्बई हवाईअड्डों के अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनलों पर होल्ड बैगेज की जांच के लिए जनवरी, 2004 से एकल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। उनके निष्पादन की नियमित रूप से निगरानी नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा की जा रही है।

कंप्यूटरों की प्राप्ति

835. श्री रघुनाथ झा: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रक्षा मंत्रालय और सम्बद्ध कार्यालयों द्वारा 2004-05 और 2005-06 के दौरान खरीदे गए कंप्यूटरों और उन पर हुए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन कंप्यूटरों की प्राप्ति का स्रोत क्या है और उनकी प्राप्ति के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई;

(ग) क्या इन कंप्यूटरों की खरीद में सामान्य वित्तीय नियमों (जी.एफ.आर.) और व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 17 दिसंबर, 1998 को जारी का.ज्ञा. सं. 8(4)/ई. II (ए)/98 का अनुपालन किया गया था;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय से सम्बद्ध कार्यालय द्वारा जी.एफ.आर. और उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) वर्ष 2004-05 के दौरान 3135.39 लाख रुपए के 8595 कम्प्यूटर खरीदे गए थे। वर्ष 2005-06 में, अब तक 231.48 लाख रुपए के 678 कम्प्यूटर खरीदे गए हैं।

(ख) कंप्यूटर, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार डी.जी.एस. एंड डी., एन.सी.सी.एफ., केन्द्रीय भंडार और खुली निविदा जैसे विभिन्न स्रोतों से अधिप्राप्त किए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सामान्य वित्तीय नियमों और उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन का पालन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

वाणिज्यिक उपयोग हेतु भूमि

836. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) ने अपनी भूमि को राजस्व भागीदारी आधार पर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए कुछ निजी कम्पनियों को पट्टे पर दिया है;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 2005 तक ए.ए.आई. ने कितनी निजी कम्पनियों को अपनी भूमि पट्टे पर दी है;

(ग) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान ए.ए.आई. को निजी कम्पनियों से कितना राजस्व अंश प्राप्त हुआ है;

(घ) 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार ए.ए.आई. का कितना राजस्व अंश बकाया है; और

(ङ) ए.ए.आई. द्वारा सम्बन्धित पक्षों से बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ङ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अपने सभी हवाई अड्डों पर विभिन्न श्रेणियों के तहत भूमि लीज पर देता है। आवंटन का प्रयोजन भी भिन्न-भिन्न प्रकार के उपयोगों के लिए होता है। चूंकि यह एक वृहत् कार्य है तथा इसमें प्रत्येक हवाईअड्डे से आंकड़े एकत्रित करने की आवश्यकता है, इन आंकड़ों को प्राप्त किया जा रहा है।

[अनुवाद]

मीटर गेज लाइनों का बड़ी लाइनों में आमान परिवर्तन

837. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने बरेली-पीलीभीत-लखीमपुर-सीतापुर की मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त रेलवे लाइन का आमान परिवर्तन कब तक किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त लाइन को बड़ी लाइन में कब तक बदले जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) जी हां, सीतापुर-लखीमपुर-पीलीभीत के रास्ते लखनऊ-बरेली मार्ग पर आमान परिवर्तन के लिए वर्ष 2004-05 में एक सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार, इस 301.79 किमी. लंबी लाइन के आमान परिवर्तन का खर्च 473.50 करोड़ रु. आंका गया था जिसकी प्रतिफल की दर 5% थी। संसाधनों की अत्यधिक तंगी और चालू परियोजना के अत्यधिक थ्रोफारवर्ड को देखते हुए प्रस्तावित कार्य पर विचार करना संभव नहीं था।

[हिन्दी]

बिहार में रेलवे स्टेशनों का विकास

838. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान बिहार में विकास किए जाने वाले रेलवे स्टेशनों के क्या नाम है;

(ख) क्या पीर पैनाती रेलवे स्टेशन के विस्तार/नवीकरण का कार्य आरंभ हो गया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त स्टेशन का विस्तार/नवीकरण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(घ) इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) रेलवे स्टेशनों का अपग्रेडेशन/नवीकरण/आधुनिकीकरण एक निरंतर प्रक्रिया है और इसे प्रत्येक वर्ष यातायात की वृद्धि तथा पारस्परिक प्राथमिकताओं के आधार पर निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया जाता है। इसके अलावा, स्टेशनों पर दोहरीकरण, यातायात सुविधा हेतु निर्माण, आमान परिवर्तन तथा कंप्यूटरीकरण आदि में सुधार किया जाता है। बिहार में स्टेशनों के नाम जहां रेलवे स्टेशनों के विकास से संबंधित काम चल रहा है, के नाम नीचे दिए गए हैं:-

अभयपुर	चौसा	हथुआ	महेश खुन्टे	पुसा रोड
अकबर नगर	छपरा जंक्शन	हथुआ	महिपाल रोड	राजेंद्र नगर बिहार
अंबा पिंदापुर	दलसिंहसराय	हाथिदा	मालदा टाउन	राजनगर
आरा	दानापर	जमालपुर	माननपुर	राजता हाल्ट
ओंटा हाल्ट	दरभंगा	जंगीपुर	मंडारहिल	रतनपुर
अवतार नगर	दरियापुर	जयमूर्ती नगर	मसुदन	रक्सौल
बैरगनिया	दशरतपुर	झाझा	मेहसी	सिगौली
बख्तियारपुर	दौदपुर	कचियाना हाल्ट	मेकरा मेमरखाबाद	साहिबगंज
बंकाघाट	दौरम मधेपुरा	कहलगांव	मिर्जा चौकी	सहजा
बरौनी	दीपनगर हाल्ट	कहलगांव	मोकामा	सकरी
बेरगीनिया	देसरी	कजरा	मोर	सलीमपुर बिहार
बाढ़	धामधरतला	कल्याणचॉक	मोतिहारी	समस्तीपुर
बढ़हरवा	धनौरी	कल्याण पुर रोड	मुक्तापुर	सासन हाल्ट
बरसोई	ढोली	कमतौल	मुरारी हाल्ट	साथी

बनदेवपुर चंदेल	दिघवारा	करमतोला	मुजफ्फरपुर	सीद्धावालिया
बश्वाचक	डुमरांव	करनपुरातो	नरकटियागंज	सीतामढ़ी
बेलापुर हाल्ट	डुमरी हाल्ट	करौता	नवगाछिया	सीवान
बेतिया	इकचारी	करूखीरहर हाल्ट	नवादा	सुधनी
भमुआ	एक्मा	कटिहार	नया नगर	तलवावाजार
भागलपुर	गंगानिया	खजौली	नया गांव	तपस्वी नाराया हाल्ट
भैरोपट्टी हाल्ट	गया	खलतीपुर	न्यू फरक्का	टेहटा
बिहारशरीफ	घोरासहान	किशनगंज	नीमतीता	टेकाबिगहा
बिजुली हाल्ट	गिधौर	किशनपुर	पंडोल	थावे
बिक्रमशीला	ग्रेगेंद्रानगर कोचिंग कंप्लेक्स	कुन्देर हाल्ट	पटना	तीनपहर
बोनिदंगा	गुलजारबाग	लहेरियासराय	पटना साहिब	उरेन
चीलाहा हाल्ट	हरदासबिगहा	माब्बी हाल्ट	पीरपैंति	वाचस्पति नगर
चकिया	हरपट्टी हाल्ट	मधुबनी	पुर्णिया	

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) पीरपैनाती रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म सं. 1 और अतिरिक्त प्लेटफार्म शेड के विस्तार का काम पूरा हो गया है। अन्य सुनियोजित विस्तार/नवीकरण का काम जुलाई, 2006 तक पूरा करने का लक्ष्य है। ऐसे कार्यों की लागत लगभग 53 लाख रु. है तथा 2005-2006 के लिए लगभग 22 लाख रु. का प्रावधान है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय विरासत स्थल आयोग

839. कुंवर मानवेन्द्र सिंह:

श्री सीताराम यादव:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में स्थित विरासत स्थलों के संरक्षण के लिए नीति तैयार करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय विरासत स्थल आयोग का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसका संगठन और उसके विचारार्थ विषयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) जी, हां। संस्कृति मंत्रालय का प्रस्ताव एक राष्ट्रीय दाय स्थल आयोग गठित करने का है। क्योंकि वर्तमान कानूनी और संस्थागत ढांचा, अपनी सर्वाधिक विस्तृत रूपरेखा में, निर्मित दाय के प्रलेखन, सूची की तैयारी और संरक्षण के कार्य के वास्ते पर्याप्त नहीं है, अत: एक दाय स्थल आयोग गठित करने का प्रस्ताव है। आयोग विस्तृत नीतिगत दिशा-निर्देश निर्धारित करेगा तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कदम ठाएगा कि ऐसे दिशानिर्देशों का पालन हो।

प्रस्तावित दाय स्थल आयोग का अधिकार-पत्र तैयार किया जा रहा है। आशा है कि यह आयोग निम्नांकित कार्य करेगा:-

- दाय मामलों पर सरकार को सलाह देगा।
- दाय स्मारकों तथा स्थलों के संरक्षण के मामले में दिशानिर्देश तैयार करेगा।

- दाय के संरक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण मामलों का अध्ययन कर सकता है या करवा सकता है और सरकार को प्रतिवेदनों को प्रस्तुत कर सकता है।

- वर्तमान दाय कानूनों में उचित संशोधनों के लिए सुझाव देगा।

- वर्तमान दाय, कानूनों एवं विनियमों का पर्यवलोकन और अध्ययन, यूरोप के मख्य देशों में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के विशिष्ट संदर्भ में मौजूदा दाय कानूनों में उपयुक्त संशोधन करने का सुझाव देगा और दाय स्थल की स्थापना करने के वास्ते सुझाव देगा।

(ग) समुचित कानून बनाए जाने के बाद, आयोग स्थापित किया जा सकता है, जिस पर कार्य चल रहा है।

[हिन्दी]

रेलवे में कुल्हड़, खादी का उपयोग

840. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री मो. ताहिर:
मोहम्मद शाहिद:
श्री मुन्शी राम:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने कुल्हड़ और खादी के प्रयोग पर राजसहायता देने और ट्रेनों और स्टेशनों पर ठण्डे पेय पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया है जैसा कि दिनांक 15 जून, 2005 के दैनिक जागरण में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कदम को उठाने के क्या कारण है;

(ग) क्या रेलवे इन वस्तुओं के आने के बाद कुल्हड़, खादी की बिक्री और ठण्डे पेय पदार्थों पर प्रतिबंध की वजह से घाटा उठा रही है;

(घ) यदि हां, तो इससे रेलवे ने जोन-वार कितना घाटा उठाया है; और

(ङ) कौन-कौन से रेलवे जोनों में यह योजना असफल रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) रेलवे कुल्हड़ों और खादी के उपयोग के लिए कोई आर्थिक सहायता नहीं देता। इनकी बाजार में प्रचलित दरों पर खरीद की जाती है। गाड़ियों/स्टेशनों पर कोल्ड ड्रिंक्स की बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) कल्हड़ों और खादी का उपयोग पर्यावरण हितैषी है और आमतौर पर संपूर्ण भारतीय रेल पर लोकप्रिय है।

[अनुवाद]

ग्रामीण अधिवास संबंधी नीति

841. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी अधिकारियों, निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्त्ताओं वाले उच्चस्तरीय पैनल ने पंचायती राज संस्थाओं के साथ ग्रामीण अधिवास पर एक पृथक् नीति तैयार करने का आह्वान किया है जैसाकि दिनांक 9 मई, 2005 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई नीति तैयार की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक तैयार और घोषित किये जाने की सम्भावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) 09 मई, 2005 को 'द हिन्दू' में प्रकाशित समाचार के अनुसार सेमिनार में पंचायती राज संस्थाओं के साथ ग्रामीण अधिवास के संबंध में अलग से कोई नीति बनाने की मांग नहीं की गई थी, तथापि ऐसे सुझाव दिए गए थे कि पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण अधिवास के नियोजन और विकास में शामिल किया जाए।

(ख) जी, नहीं।

(ग) चूंकि सेमिनार में यह सिर्फ एक सुझाव था, इसलिए इसका यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि इस सुझाव को नीति में शामिल किया जाएगा।

कावेरी इंजन का विकास

842. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री प्रहलाद जोशी:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि कावेरी इंजन परियोजना पर भारी खर्च करने के बावजूद भी यह इंजन अभी तक अधिक ऊंचाई के उड़ान परीक्षणों के लिए तैयार नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या डी.आर.डी.ओ. कावेरी इंजन के विकास के लिए वैश्विक तकनीकी भागीदार के लिए शीघ्रता से विचार कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कावेरी इंजन के विकास हेतु क्या समय निर्धारित किया गया है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) कावेरी तथा काबिनी (कोर इंजन) का परीक्षण रूस में सिमुलेटेड उच्च तुंगता परीक्षण सुविधा पर अगस्त, 1998 से आज तक तीन बार किया जा चुका है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भी दिसंबर, 2005/जनवरी, 2006 में उड़ान टेस्ट बेड परीक्षणों के लिए कावेरी (के-9) इंजन को भेजने की योजना बना रहा है।

(ग) और (घ) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने समीक्षा करके यह मूल्यांकन किया है कि हल्के लड़ाकू विमान के लिए कावेरी 'उत्पादन रिलीज' लक्ष्यों को वर्ष 2009 तक पूरा करने के लिए इंजन के विकास और उत्पादन में, साझेदारी के माध्यम से, जोखिम में महत्वपूर्ण कमी हो सकती है। ऐसे प्रस्ताव में रुचि का आकलन करने के लिए सभी प्रतिष्ठित सैन्य इंजन विनिर्माताओं से अपनी रुचि व्यक्त करने का अनुरोध किया गया है।

(ङ) कावेरी को मार्च, 2007 तक हल्के लड़ाकू विमान के साथ एकीकृत किए जाने तथा वर्ष 2009 तक उत्पादन रिलीज करने की योजना है।

भूतपूर्व सैनिकों को सहायता

843. डा. के. धनराजु: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि थल सैनिकों को सेवानिवृत्ति के बाद सशस्त्र बल के पुनर्वास निदेशालय की ओर से सहायता प्रदान नहीं की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) सेवानिवृत्त थल सैनिकों की सहायता के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) पुनर्वास महानिदेशालय, राज्य सैनिक बोर्डों और जिला सैनिक बोर्डों के सहयोग से भूतपूर्व सैनिकों को सुविधाएं उपलब्ध कराता है और उनके कल्याण और पुनर्वास के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित करता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार को विभिन्न स्तरों पर भूतपूर्व सैनिकों से अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं जिन पर शीघ्र कार्रवाई की जाती है।

(घ) भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याणकारी कार्यक्रमों, पुनर्वास और पुनर्स्थापना पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए रक्षा मंत्रालय में एक नए भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग का सृजन किया गया है।

अनुकम्पा के आधार पर रियायती टिकट

844. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंडियन एयरलाइन्स (आई.ए.) और एअर इंडिया (ए.आई.) द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और निर्धन रोगियों को प्रदान की जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक गम्भीर रोगों से पीड़ित रोगियों को अनुकम्पा के आधार पर ए.आई./आई.ए. द्वारा कितनी नि:शुल्क टिकटें प्रदान की गईं;

(ग) इन सुविधाओं को प्रदान करने के मानदण्ड क्या हैं;

(घ) क्या इस श्रेणी के व्यक्तियों ने विमान कंपनियों और केन्द्र सरकार को कोई मांग पत्र पेश किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार ने क्या कार्यवाही की है और इसके क्या परिणाम निकले?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) एअर इंडिया सक्रिय सैनिक सेवा कार्मिकों, कैंसर के मरीजों, नेत्रहीन व्यक्तियों तथा वरिष्ठ नागरिकों को घरेलू किरायों में 55% छूट प्रदान करती है। इंडियन एयरलाइन्स वरिष्ठ नागरिकों, कैंसर के मरीजों; नेत्रहीन व्यक्तियों तथा 80% तथा इससे अधिक चलने संबंधी अशक्तता से पीड़ित व्यक्तियों के लिए घरेलू किरायों पर 50% छूट प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, इंडियन एयरलाइन्स लेवल-I तथा II के स्वतन्त्रतापूर्व साहस पुरस्कारों से सम्मानितों को भी 75% छूट प्रदान करती है।

(ख) से (ङ) निःशुल्क अथवा रियायती हवाई किराए विदेशों में इलाज करा रहे वास्तविक मरीजों जिनके लिए भारत में सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, तथा एक या दो सहायकों के लिए प्रदान किया जाते हैं। ये किराए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की सिफारिश पर जारी किए जाते हैं। इन दिशानिर्देशों तथा प्राप्त हुए अनुरोधों के अनुरूप, एअर इंडिया ने वर्ष अप्रैल, 2003-मार्च, 2004 के दौरान दो टिकटें जारी की थी। इसी प्रकार, इंडियन एयरलाइन्स ने वर्ष 2003-04 के दौरान चार टिकटें जारी की थी।

इंजन ड्राइवरों की कमी

845. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री प्रबोध पाण्डा:
डा. एम. जगन्नाथ:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंजन ड्राइवरों की काफी कमी है;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख तक रिक्तियां कितनी है;

(ग) क्या ड्राइवरों की कमी से माल एवं यात्रियों से आमदनी पर असर पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या रेलवे द्वारा ड्राइवरों की कमी के कारण हुई वित्तीय हानि का मूल्यांकन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इंजन ड्राइवरों की कमी से निपटने के लिए भारतीय रेल द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) और (च) रिक्तियों का होना एवं भरा जाना एक सतत् प्रक्रिया है और इन्हें सीधी भर्ती अथवा सेवारत कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा भरा जाता है। इस प्रक्रिया में किसी दिए गए समय पर कुछ रिक्तियां उत्पन्न होने वाली हो तो सरकार की नीति उन्हें तुरंत भरने की होती है। पदोन्नति वाली रिक्तियों को भरने के लिए समय पर चयन/उपयुक्तता/ट्रेड जांच परीक्षा आयोजित करने एवं सीधी भर्ती वाले कोटे की रिक्तियों को भरने के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड को मांग पत्र देने हेतु स्थायी प्रक्रिया पहले से ही मौजूद है। किसी कोटि में इस प्रकार गणना की गई रिक्तियों की संख्या अनुमोदित संख्या पर आधारित होती है। अनुमोदित संख्या में केवल आवश्यकता ही शामिल नहीं होती बल्कि रेस्ट गिवरस, लीव रिजर्व एवं प्रशिक्षण के लिए स्वीकृत संख्या भी शामिल होती है। रनिंग कोटियों के मामले में इन अतिरिक्त प्रावधानों को उदारीकृत बनाया गया है कि यदि रिक्तियों के उत्पन्न होने एवं भरे जाने में समय भी लगता है तो कार्य बाधित न हो।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सी.बी.एफ.सी. का पुनर्गठन

846. श्री प्रहलाद जोशी: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार केन्द्रीय फिल्म सेंसर प्रमाणन बोर्ड (सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन) के पुनर्गठन पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में फिल्म उद्योग के लोगों ने एक आत्म विनियामक निकाय बनाने का निर्णय लिया है जो स्वयं ही सी.बी.एफ.सी. को जांच हेतु भेजी गई फिल्मों से आपत्तिजनक दृश्य पेश करेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सी.बी.एफ.सी.) के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) प्रमुख फिल्म संघों ने आपत्तिजनक दृश्यों के शोधन को सुविधाजनक बनाने के लिए उनका स्वयं का स्व-विनियामक निकाय गठित करने की पेशकश की है। तथापि, यह मामला प्रारम्भिक चरण में है।

विमानों की खरीद

847. श्री बाडिगा रामकृष्णा:
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:
श्री ई. पोन्नुस्वामी:
श्री अनन्त नायक:
श्री प्रहलाद जोशी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा इंडियन एयरलाइन्स तथा एअर इंडिया की विमान खरीदने संबंधी योजनाओं को स्वीकृत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक विमान कम्पनी द्वारा कितने-कितने विमान खरीदे गये हैं;

(घ) इस पर कुल कितना खर्च होगा तथा यह धनराशि कैसे जुटाई जाएगी; और

(ङ) विमानों की खरीद हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) एअर इंडिया तथा इसके नियंत्रणाधीन कम्पनी एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड ने सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं प्रस्तुत की हैं:-

(i) एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड में शामिल किए जाने के लिए 4,951 करोड़ रु. की कुल लागत पर 18xबी-737-800 डब्ल्यू. विमान के अधिग्रहण के लिए।

(ii) 33,197 करोड़ रुपये की कुल लागत पर 8xबी 777-200 एल.आर., 15xबी 777-300 ई.आर. तथा 27xबी 787-8 प्रकार के लम्बी रेंज के 50 नए विमानों के अधिग्रहण के लिए।

इसके विपरीत, इंडियन एयरलाइंस ने 10,237 करोड़ रु. की कुल लागत पर ए-319, ए-320 तथा ए-321 सहित 43 विमान लेने के लिए एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

उपर्युक्त परियोजना रिपोर्टें सरकार के विचाराधीन हैं।

(ङ) उपर्युक्त प्रस्तावित अधिग्रहणों के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई जा सकती है क्योंकि आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने में समय लगेगा।

कर्मचारियों को कानूनी रूप से बकाया राशि का भुगतान

848. श्री सनत कुमार मंडल:
श्री रघुनाथ झा:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आपके मंत्रालय के अंतर्गत कई सरकारी उपक्रमों द्वारा अपने कर्मचारियों को पिछले कुछ महीनों से वेतन तथा अन्य बकाया राशि नहीं दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी उपक्रम-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) कर्मचारियों को बकाया राशि देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) जी, हां। भारी उद्योग विभाग (भा.उ.वि.) के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के हानि उठा रहे कई उपक्रमों ने विगत कुछ महीनों से अपने कर्मचारियों को वेतन और अन्य सांविधिक देयताओं का भुगतान नहीं किया है। सरकारी क्षेत्र के उद्यम-वार ब्यौरे को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) जैसा कि राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एन.सी.एम.पी.) में घोषित किया गया है, सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण/हानि उठा रहे उद्यमों का पुनरुद्धार करने का प्रयास कर रही है। तद्नुसार, कर्मचारियों के मनोबल में सुधार लाने तथा उन्हें पुनर्संरचना प्रक्रिया में शामिल करने के लिए जुलाई, 2004 तक की अवधि के लिए लंबित वेतन/मजदूरी और सांविधिक देयताओं का भुगतान करने के लिए सरकारी क्षेत्र के 24 उद्यमों को 517 करोड़ रुपये की राशि मुहैया करायी गयी है। सरकार ने पुन: हाल ही में भुगतान में चूक करने वाले सरकारी क्षेत्र के 16 उद्यमों के मामलों में दिनांक 31-03-2005 तक बकाया सांविधिक देयताओं, वेतन और मजदूरी का भुगतान करने के लिए 150.24 करोड़ रुपये की राशि मुहैया कराने का निर्णय लिया है। यद्यपि अपने कर्मचारियों के वेतन/मजदूरी का भुगतान करना मुख्यत: कंपनी की जिम्मेवारी है, सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उन उद्यमों को जो अपनी देयता को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने में सक्षम नहीं है, उन्हें गैर-योजनागत ऋण के जरिए वित्तीय सहायता मुहैया कराती रही है।

विवरण

जैसा कि भारी उद्योग विभाग के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा सूचित किया गया है लंबित वेतन/मजदूरी और अन्य सांविधिक देयताएं निम्नानुसार है:-

(दिनांक 30 जून, 2005 की स्थिति के अनुसार)

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के नाम	वेतन/मजदूरी तथा अन्य सांविधिक देयताएं
1	2	3
1.	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (ए.वाई.सी.एल.)	28.53
2.	ब्रिज एंड रुफ कंपनी लिमिटेड (बी. एंड आर.)	0.89
3.	भारत हैवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड (बी.एच.पी.वी.)	36.69
4.	भारत ऑप्थाल्मिक ग्लास लिमिटेड (बी.ओ.जी.एल.)	2.17
5.	भारत पम्पस एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.)	3.37
6.	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड (बी.सी.एल.)	0.30
7.	बर्न स्टेण्डर्ड कंपनी लिमिटेड (बी.एस.सी.एल.)	3.25
8.	भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (बी.डब्ल्यू.ई.एल.)	9.17
9.	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सी.सी.आई.)	4.41
10.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (एच.सी.एल.)	79.96
11.	हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (एच.ई.सी.)	10.00
12.	एच.एम.टी. (चिनार वाचिज) लिमिटेड	5.35
13.	एच.एम.टी. (मशीन टूल्स) लिमिटेड	12.95
14.	एच.एम.टी. (वाचिज) लिमिटेड	37.75
15.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यु. कंपनी लिमिटेड (एच.पी.एफ.)	11.92
16.	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा (आई.एल.के.)	5.38
17.	नेपा लिमिटेड	10.84
18.	नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (एन.आई.एल.)*	1.64

1	2	3
19.	प्रागा टूल्स लिमिटेड (पी.टी.एल.)	1.66
20.	रिचर्डसन एंड क्रुडास लिमिटेड (आर. एंड सी.)	0.44
21.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (टी.एस.एल.)	2.08
22.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड (टी.एस.पी.एल.)	2.51
	योग	271.26

*31-05-2005 की स्थिति के अनुसार।

दूरदर्शन/आकाशवाणी द्वारा अर्जित राजस्व

849. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों से दूरदर्शन/आकाशवाणी द्वारा कुल कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(ख) क्या निजी चैनलों की तुलना में दूरदर्शन/आकाशवाणी के दर्शकों/श्रोताओं की संख्या में बढ़ोतरी/कमी हुई है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े सहित ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या निजी चैनलों की तेजी से बदलती विषयवस्तु को देखते हुए दूरदर्शन के चैनलों की विषयवस्तु में सुधार लाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा अर्जित राजस्व निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	दूरदर्शन	आकाशवाणी
2002-03	553.81	132.25
2003-04	530.23	141.04
2004-05	665.27	158.35

(ख) और (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि डी.डी.-I चैनल, देश में सबसे अधिक देखे जाने वाले टी.वी. चैनल की अपनी पहले की उत्कृष्ट स्थिति को बरकरार रखे हुए है। जहां तक आकाशवाणी का संबंध है, इसके पास 215 स्टेशनों का नेटवर्क है जो 99.13 प्रतिशत जनसंख्या को कवरेज उपलब्ध कराता है और देश के 91.42 प्रतिशत क्षेत्र तक इसकी पहुंच है जबकि कुछेक निजी एफ.एम. प्रसारक केवल चुनिंदा शहरों में ही कार्यशील हैं। डी.टी.एच. के शुरू होने से दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों के दर्शकगण/श्रोतागत में वृद्धि हुई है।

(घ) और (ङ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन के चैनलों की विषय-वस्तु में सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है। दूरदर्शन की दर्शक अनुसंधान इकाई नियमित आधार पर दर्शकों की संख्या का अध्ययन करती है।

[हिन्दी]

बैंक गारंटी का नकदीकरण

850. श्री ब्रजेश पाठक: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 मई, 2005 के 'दैनिक जागरण' में 'बिना कुछ दिए करोड़ों डकार गई' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) 'सर्च ऑन मूव कैपेबिलिटी', जो वायु रक्षा प्रणाली के लिए सामरिक/महत्वपूर्ण आवश्यकता है, मुहैया कराने के लिए त्रिशूल वाहन की वायु रक्षा प्रणाली के लिए संशोधन किट की अधिप्राप्ति हेतु अप्रैल, 1998 में मैसर्स एच.ए.एस., हालैंड (अब मैसर्स थेल्स) के साथ संविदा की गई थी।

(ग) मैसर्स थेल्स द्वारा वायु रक्षा प्रणाली के लिए विनिर्मित संशोधन किट, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन को आपूर्ति के लिए तैयार थी। इस बीच, 1998 में भारत ने 'पोखरन' परमाणु परीक्षण किया और नीदरलैंड सरकार ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, भारत को उपर्युक्त मदों की आपूर्ति के लिए निर्यात लाइसेंस जारी नहीं किया।

(घ) इस संबंध में, इन मदों की आपूर्ति के लिए विक्रेता के साथ कई दौर की वार्ताएं की गईं। लगातार मनाने के प्रयास किए जाने के परिणामस्वरूप अब मैसर्स थेल्स ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन को संशोधन किट की आपूर्ति के लिए नीदरलैंड सरकार से निर्यात लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। शिपमेंट तैयार है और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा इसे किसी भी समय प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

डीलरों की कमीशन

851. श्री अधीर चौधरी:
श्री चंद्रकांत खैरे:
श्री निखिल कुमार:
श्री हरिभाऊ राठौड़:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन द्वारा 20 जून, 2005 को डीलरों की कमीशन में बढ़ोत्तरी की मांग को लेकर पूरे देश में एक दिन की हड़ताल की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में पेट्रोल पम्प के मालिकों तथा यूनियनों के साथ बातचीत की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) पेट्रोल के लिए डीलर कमीशन 707 रुपए प्रति किलोलीटर से बढ़ाकर 848 रुपए प्रति किलो लीटर तथा डीजल के लिए 425 रुपए प्रति किलो लीटर तथा से बढ़ाकर 509 रुपए प्रति किलो लीटर करने के तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम. सीज) के निदेशक (विपणन) समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और ओ.एम. सीज को तद्नुसार सूचित कर दिया गया है।

ललितगिरी से पत्थरों का उत्खनन

852. श्री जुएल ओराम: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में ललितगिरी में बौद्ध धर्म के विश्व प्रसिद्ध स्थल से पत्थरों के उत्खनन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा इस मामले में कोई कार्यवाही शुरू की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पत्थरों के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के भुवनेश्वर मंडल में ललितगिरी पहाड़ी के निकट उत्खनन कार्य को रोकने के लिए जिला प्रशासन से सम्पर्क किया है। मंत्री (संस्कृति), उड़ीसा सरकार की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार एक विशेषज्ञ समिति द्वारा, स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसमें अधीक्षण परातत्वविद्, भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण, तहसीलदार, धर्मशाला, सचिव (उड़ीसा समुद्री तथा दक्षिण-पूर्व एशिया अध्ययन संस्थान) तथा अन्य राजस्व अधिकारी शामिल थे।

(घ) संयुक्त निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि उत्खनन कार्य उस क्षेत्र में किया जा रहा था जो संरक्षित स्थल के विनियमित क्षेत्र से परे है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के लिए पात्रता के मानदंडों में संशोधन

853. श्री सुरेश अंगड़ि: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए पात्रता के मानदंडों में संशोधन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अगस्त, 2004 में योजना आयोग द्वारा स्वीकृत मूल मानदंड क्या हैं;

(घ) पात्रता के मानदंड में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या योजना आयोग ने पात्रता मानदंडों में एकतरफा परिवर्तन के प्रति आपत्ति की है;

(च) यदि हां, तो क्या इस मामले में योजना आयोग से परामर्श लिया गया था;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (ज) राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना सिद्धान्ततः अनुमोदित कर दी गई है। इसके लिए पात्रता और अन्य नियमों पर जनजातीय कार्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, मानव विकास मंत्रालय और योजना आयोग के साथ चर्चा की जा रही है।

चुनाव आयोग को अधिकार

854. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **पंचायती राज गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चुनाव आयोग को पंचायती चुनाव करवाने का अधिकार देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सभी राज्य सरकारों के साथ चर्चा की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद '243 ट' में यह प्रावधान है कि पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी चुनावों हेतु मतदाता सूची तैयार करने और उन सभी चुनावों के संचालन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का अधिकार एक राज्य चुनाव आयोग के पास होगा, जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य चुनाव आयुक्त होगा। चूंकि संविधान में पंचायतों के चुनाव कराने के मामले में राज्य चुनाव आयोग को अधिकार प्रदान किए गए हैं, संघ सरकार को पंचायत चुनाव करवाने के लिए भारत के चुनाव आयोग को अधिकार देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, पंचायतों के चुनाव के प्रश्न पर, नवम्बर 2004 में, केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री और राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों के साथ गुवाहाटी में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में चर्चा की गई; चर्चा से प्राप्त निष्कर्ष का विवरण संलग्न है।

विवरण

पंचायती राज के प्रभारी मंत्रियों का छठा गोलमेज सम्मेलन - गुवाहाटी

27-28 नवम्बर, 2004

पंचायती राज के प्रभारी मंत्री और उनके प्रतिनिधि संघीय सहयोग की भावना को ध्यान में रखते हुए, जिसमें भारत के संविधान के भाग ix में निर्धारित पंचायती राज और उससे संबद्ध प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन की जानकारी होना आवश्यक है, केन्द्र और राज्यों द्वारा संयुक्त स्वीकृति के लिए कार्यवाही के निम्नलिखित मुद्दों की अपनी-अपनी सरकारों को सिफारिश करने के लिए सहमत हुए:-

चुनाव

(i) भारतीय मतदाता एक हैं और वे अविभाज्य हैं। इसलिए एक तरफ संसदीय तथा विधान सभा चुनावों तथा दूसरी तरफ

पंचायत चुनावों के बीच की समानता के सिद्धांत को बरकरार रखा जाए, विशेष रूप से यह देखा गया है कि पंचायत चुनावों में लोगों की भागीदारी काफी अधिक होती है और आमतौर पर यह भागीदारी संसदीय/विधानसभा चुनावों की भागीदारी के समान या उससे अधिक होती है। इस प्रकार, उदाहरण स्वरूप, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र वाले राज्यों में भी हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों में 88% मतदाताओं में तथा सिक्किम में 83.5% मतदाताओं ने हिस्सा लिया।

(ii) जबकि पंचायत चुनावों से संबंधित सभी मुद्दे, संविधान द्वारा राज्य विधानमंडलों/सरकारों को सौंप दिए गए हैं, फिर भी यदि चुनाव प्रक्रियाओं तथा प्रावधानों में एकरूपता नहीं लाई जाती है, तो भी इसमें समानता लाने की जरूरत है। इसके लिए चुनाव प्रक्रिया संबंधी सभी दायित्वों को अलग-अलग हिस्सों में बांटने की बजाए राज्य चुनाव आयोगों को सौंपना वांछनीय होगा। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(क) मतदाता सूची तैयार करना;

(ख) निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन;

(ग) आरक्षण और बारी;

(घ) उम्मीदवारों की योग्यता;

(ङ) चुनाव कराना; और

(च) चुनाव विवादों में निर्णय लेने के स्तर के रूप में काम करना।

(iii) केन्द्र सरकार पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन, इन चुनावों को कराने से संबंधित आदर्श संहिता बनाने पर विचार करेगी।

(iv) चुनावों के सभी स्तरों पर एक जैसी मतदाता सूची बनाने के परिप्रेक्ष्य में, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा राज्य चुनाव आयुक्तों के बीच आपसी विचार-विमर्श को प्रोत्साहित किया जा सकता है ताकि सरकार के विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर कराए जाने वाले चुनावों के लिए ऐसी मतदाता सूचियों को बनाने, रख-रखाव करने तथा उनका अद्यतन करने में आने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सके। पंचायत एवं नगरपालिका वार्डों को चुनाव के सभी स्तरों की मतदाता सूची के निर्माण इकाई के रूप में माना जाएगा।

(v) पंचायती राज चुनावों से संबंधित नियमों में ऐसे प्रावधानों को शामिल करने पर विचार किया जाए जो संसदीय तथा राज्य विधान सभा चुनावों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं।

(vi) राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले निवेशों, चुनाव संबंधी जानकारी के प्रचार-प्रसार के लिए रेडियो प्रसारण का इस्तेमाल, पलायन से उत्पन्न होने वाली अनियमितताओं, जनगणना कार्य से परिसीमन को जोड़ने, राज्य चुनाव आयोगों की सेवा शर्तों में एकरूपता लाने जैसे मुद्दों और इलैक्ट्रानिक वोटिंग मशीन में मशीन को सील न करके केवल इलेक्ट्रॉनिक चिप को सील करना ताकि इन मशीनों का स्पष्ट रूप से पंचायत चुनावों में इस्तेमाल किया जा सके, जैसे प्रस्तावों पर राज्य चुनाव आयोगों तथा भारतीय चुनाव आयोग के बीच संस्थागत रूप से आपसी बातचीत करने हेतु एक मंच तैयार करने के लिए भारतीय चुनाव आयोग से संपर्क किया जा सकता है।

(vii) राज्य राज्य-चुनाव आयुक्तों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान वेतन और पारिश्रमिक देने पर विचार कर सकते हैं।

(viii) यह सिफारिश की जाती है कि परिसीमन आयोग नियमित रूप से ऐसे राज्य चुनाव आयुक्तों के संपर्क में रहेगा जो परिसीमन प्रक्रिया से होने वाली व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करने के लिए आयोग के सदस्य होते हैं।

(ix) पंचायत चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ई.वी.एम.) के उपयोग को आसान बनाने के लिए केन्द्र सरकार भारतीय चुनाव आयोग तथा राज्य चुनाव आयोगों के परामर्श से राज्य चुनाव आयोगों के इस्तेमाल हेतु ई.वी.एम. की खरीद के लिए धन देने से संबंधित मुद्दों पर विचार करेगी।

(x) जिला आयोजना समितियों के चुनाव जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 243 जेड डी में प्रावधान है, को भी राज्य चुनाव आयोगों के कार्यक्षेत्र में लाया जाए ताकि संवैधानिक प्रावधानों का पूर्णरूपेण अनुसरण सुनिश्चित किया जा सके, जैसा पहले कभी नहीं हुआ है।

व्यावसायिक पायलटों की कुशलता

855. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विमान के लिए व्यावसायिक पायलट लाइसेंस (सी.एल.पी.) प्राप्त करने के लिए उड़ान के घंटों को कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कमर्शियल पायलटों की कुशलता तथा विमानों की संचालन दक्षता में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल्ल पटेल): (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने पहले ही वायुयान के लिए वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपेक्षित घण्टों की संख्या को 14-06-2005 से 250 घण्टों से घटाकर 200 घण्टे कर दिया है।

(ग) नागर विमानन महानिदेशालय ने वाणिज्यिक पायलटों की कार्यकुशलता को सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) पायलटों का, उड़ान में दक्षता बनाए रखने के लिए, नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित परीक्षकों/ निर्देशकों के पर्यवेक्षण में, द्विवार्षिक प्रवीणता जांचों, स्थानीय जांचों, औचक जांचों, दक्षता परीक्षण, रिफ्रेशर कोर्स, इन्स्ट्रूमेंट रेटिंग जांचों आदि से गुजरना अपेक्षित होता है।

(ii) पायलट प्रवीणता जांच तथा इन्स्ट्रूमेंट रेटिंग के निर्गमन/ नवीकरण के लिए प्रारूप को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुकूल बनाने के प्रयोजन से संशोधित किया गया है तथा इसमें अतिरिक्त आपात् एवं असामान्य प्रक्रियाएं शामिल की गई हैं जिनमें खतरनाक वस्तुओं के नियमन (डी.जी.आर.), कॉकपिट संसाधन प्रबन्धन (सी.आर.एम.) तथा "पायलट नॉट फ्लाइंग" (पी.एन.एफ.) ड्यूटीज आदि शामिल हैं; तथा

(iii) 5700 कि.ग्रा., ऑल-अप-वेट (ए.यू.डब्ल्यू.) से कम वाले विमान को प्रचालित कर रहे सी.पी.एल. धारी वायुयान नियमावली की अपेक्षा के अनुसार उड़ान समीक्षा के अध्याधीन है।

जबकि विनिर्माता वायुयान की अधिकतम प्रचालनिक दक्षता पाने के लिए प्रचालक द्वारा अनुसरित की जाने वाली अनुरक्षण प्रक्रियाएं निर्धारित करता है, नागर विमानन महानिदेशालय स्थल जांचों तथा निगरानी जांचों से सुनिश्चित करता है कि प्रचालक सभी निर्धारित प्रक्रियाओं का अतिसावधानी से अनुसरण करें। नागर विमानन महानिदेशालय वायुयान की प्रचालनिक दक्षता को सुधारने के लिए विमान के डिजाइन के बारे में देश द्वारा घोषित सभी उड़नयोग्यता संबंधी निर्देशों को लागू कराता है।

कथित रिश्वत भुगतान की जांच

856. कुंवर मानवेन्द्र सिंह: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत को एंटी-मैटरियल राइफलें भेजने वाली दक्षिण अफ्रीका की फर्म ने रिश्वत के भुगतान को स्वीकारा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) रक्षा सौदों के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले सभी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) मैसर्स डेनेल, दक्षिण अफ्रीका द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर, वर्ष 2002 में हस्ताक्षरित ए.एम.आर. की संविदाओं में अंतर्निहित अनुचित प्रभाव के इस्तेमाल और एजेंटों/एजेंसी के कमीशन से संबंधित खंडों के उल्लंघन का प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद है। मैसर्स डेनेल के साथ की गई सभी संविदाओं को रद्द करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। 400 ए.एम.आर. की अधिप्राप्ति के लिए 7-3-2005 को हस्ताक्षरित संविदा रद्द कर दी गई है। यह मामला जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भी भेजा गया था। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इस मामले में, अन्य बातों के साथ-साथ, अज्ञात लोक सेवकों के विरुद्ध 6-6-2005 को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर की गई थी। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात्, उसके मद्देनजर आगे समुचित कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

दादरी स्टेशन पर हुई घटना

857. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री मो. ताहिर:
श्री मुन्शी राम:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दादरी रेलवे स्टेशन पर टिकट चैक करने के मामले पर यात्रियों तथा आर.पी.एफ. के कार्मिकों के बीच हुई हिंसक भिड़न्त की हाल की घटना की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस घटना में कितनी रेल संपत्ति का नुकसान हुआ तथा कितने व्यक्ति जख्मी/हताहत हुए और उन्हें कितना मुआवजा दिया गया; और

(घ) क्या इस घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इसके क्या निष्कर्ष निकले, कौन से व्यक्ति/अधिकारी दोषी पाए गए तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई/की जानी है;

(च) दोषी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाएंगे?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी हां। 10-6-2005 को दादरी रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस की सहायता से उत्तर मध्य रेलवे के सहायक यातायात प्रबंधक की अध्यक्षता में वाणिज्यिक शाखा द्वारा एक विशेष टिकट जांच का आयोजन किया गया था। दादरी स्टेशन पर गाड़ी संख्या डी.डी.एन.-1 ई.एम.यू. की चेकिंग के दौरान, स्थानीय यात्रियों ने स्टेशन के नजदीक के लोगों के साथ मिलकर टिकट चेकिंग का प्रतिरोध किया और हिंसक हो गए। बेकाबू भीड़ ने आगजनी करके रेल कार्यालयों को क्षति पहुंचाई, 80 हजार रु. की रेलवे की नगदी लूट ली, पत्थर मारकर, सरियों से और हथियारों से गोली चलाकर चेकिंग कर्मचारियों और रेल कर्मियों पर प्रहार किया। रेलवे सुरक्षा विशेष बल के एक हैड कांस्टेबल को गोली लगी और पत्थर फैंके जाने के कारण 13 रेल कर्मचारियों और रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों को चोटें आईं। इसके परिणामस्वरूप, रेल कर्मचारियों की जान बचाने के लिए और रेलवे संपत्ति को बचाने के लिए निजी रक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए रेलवे सुरक्षा विशेष बल कर्मियों को गोली चलानी पड़ी। इसके परिणामस्वरूप बेकाबू दंगाइयों में दो व्यक्ति मारे गए और आठ व्यक्ति घायल हुए। पुलिस और सिविल प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया।

सहायक यातायात प्रबंधक, अलीगढ़ जंक्शन द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए जाने पर, राजकीय रेलवे पुलिस, अलीगढ़ जंक्शन ने 10-6-2005 को 1000 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 307, 336, 436, 395, 397 के तहत अपराध सं. 112/05 और रेलवे अधिनियम 1989 के तहत 150,151 तथा जन संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 5/6 के तहत एक मामला दर्ज किया।

मृत व्यक्तियों के संबंधियों द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट पर राजकीय रेलवे पुलिस, अलीगढ़ जंक्शन ने रेलवे सुरक्षा विशेष बल के खिलाफ धारा 302 के तहत अपराध सं. 112 ए/बी/05 के तहत एक मामला दर्ज किया।

(ग) स्टेशन से लूटी गई 80 हजार रुपए की नकदी सहित रेलवे संपत्ति को क्षति पहुंचाए जाने के कारण रेलवे को अनुमानित 28,42,000 रु. का नुकसान हुआ। बेकाबू दंगाइयों द्वारा गोली चलाए जाने और पत्थर फेकें जाने के कारण रे.सु.ब. के एक हेडकांस्टेबल और 13 रेल कर्मचारियों (रे.सु.ब. कर्मचारियों सहित) को चोटें आई। रेल कर्मचारियों की जान बचाने के लिए और रेल संपत्ति की सुरक्षा के लिए रेलवे सुरक्षा विशेष बल कर्मचारियों द्वारा गोली चलाए जाने के परिणामस्वरूप बेकाबू दंगाइयों में से दो व्यक्ति मारे गए और आठ घायल हुए। मृतकों और घायलों को कोई क्षतिपूर्ति नहीं की गई है।

(घ) और (ङ) जी हां। उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद के मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रेलवे सुरक्षा बल, मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (सामान्य) और अपर मंडल रेल प्रबंधक को शामिल करते हुए एक समिति द्वारा इस मामले की जांच की गई थी। जांच से यह सामने आया कि टिकट चैकिंग अभियान के दौरान प्लेटफार्म सं. 2-3 पर गाड़ी सं. डी डी.एन.-1 ई.एम.यू. से एक लड़का गिर गया। रेलवे सुरक्षा बल कर्मचारियों ने उस लड़के को उठाया और प्रथमोपचार के लिए रे.सु.ब. चौकी ले गए। प्लेटफार्म पर मौजूद कुछ यात्री, इस अफवाह से कि लड़का मर गया है, आंदोलित हो गए और क्रुद्ध हो गए तथा हिंसा पर उतारू हो गए। उक्त घटना के लिए किसी रेल अधिकारी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया।

(च) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए समिति ने निम्नलिखित निवारक उपाय करने की सिफारिश की है:-

1. ऐसे टिकट चेकिंग अभियान के बारे में स्थानीय पुलिस और सिविल प्रशासन को पहले से ही बता दिया जाए।

2. रेलवे स्टेशनों पर जन उद्घोषणा प्रणाली का उपयोग किया जाए ताकि यात्रियों को समय-समय पर वास्तविक स्थिति की जानकारी दी जा सके।

3. रेलवे सुरक्षा बल/रेलवे सुरक्षा विशेष बल और पुलिस बल और पुलिस बल को आंसू गैस के गोले, रबड़ बुलेट्स तथा अन्य दंगा नियंत्रण उपस्कर जारी किए जाएं ताकि हथियारों का प्रयोग किए बिना स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सके।

[अनुवाद]

अमरीका के साथ रक्षा व्यापार तथा रणनीति संबंधी समझौता

858. श्री असादूद्दीन ओवेसी:

श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने अमरीका के साथ रक्षा संबंधी समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीका के साथ वर्तमान संधि से रूस के साथ किए गए रक्षा समझौते पर असर पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा दोनों देशों के साथ रक्षा व्यापार तथा सहयोग और रणनीति संबंधी समझौतों में संतुलन बनाने के लिए क्या नीति बनाई गई है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) "भारत-अमरीकी रक्षा संबंधों के लिए नया ढांचा" नामक एक दस्तावेज पर 28 जून, 2005 को अमरीका के साथ हस्ताक्षर किए गए थे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) भारत का इरादा, पारस्परिक लाभ के लिए दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग तथा रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में संबंधों के विकास के माध्यम से रूस और अमरीका दोनों के साथ अपने रक्षा संबंधों तथा सहयोग को सुदृढ़ करने का है, रूस एक भरोसेमंद साथी है जबकि अमरीका के साथ ऐसे सहयोग की संभावनाएं बढ़ रही हैं। एक के साथ संबंध दूसरे की कीमत पर नहीं होगा।

विमान सेवाओं का पुनर्गठन

959. श्री जी. करूणाकर रेड्डी:

श्री हेमलाल मुर्मू:

श्री शिवराज सिंह चौहान:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विमान सेवाओं का पुनर्गठन करने के लिए भूतपूर्व नागर विमानन सचिव (श्री के. रॉय पॉल) की अध्यक्षता में सरकार द्वारा गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) समिति ने दिल्ली, मुम्बई में विशेष तौर पर और देश के कुछ अन्य हवाईअड्डों पर हवाई यातायात की भीड़भाड़ कम करने तथा हवाई यातायात क्षमता को बढ़ाने के लिए सिफारिशें की हैं। ये सिफारिशें भू-अवसंरचना संबंधी सुविधाओं में सुधार करने, संचार, दिक्चालन, निगरानी (सी.एन.एस.) तथा हवाई यातायात प्रबंधन (ए.टी.एम.) में प्रौद्योगिकीय सुधारों, हवाई क्षेत्र प्रबंधन, एयर साइड की अनुरक्षण संबंधी प्रक्रियाओं, सी.एन.एस.-ए.टी.एम. के संगठनात्मक ढांचे, विशेषकर व्यस्ततम समय के दौरान हेलीकॉप्टर तथा सामान्य विमानन सेवाओं के पृथक्करण, मानव शक्ति नियोजन, भर्ती नीति, प्रशिक्षण एवं प्रवीणता के विकास आदि से संबंधित अल्प, मध्यम तथा दीर्घकालिक उपायों पर आधारित हैं। ये सिफारिशें सरकार के विचाराधीन है।

संस्कृति विभाग के लिए योजना परिव्यय

860. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संस्कृति विभाग के लिए योजना परिव्यय संबंदी ब्यौरा क्या है तथा चालू वर्ष के लिए सरकार द्वारा इसके लिए स्वीकृत वार्षिक अनुदान कितना है;

(ख) क्या धनराशि में कोई कमी की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस कमी से सभी स्मारकों/स्थलों की सुरक्षा तथा देख-रेख पर क्या असर पड़ेगा?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) वर्ष 2005-06 के लिए संस्कृति मंत्रालय का योजना परिव्यय 551.12 करोड़ रु. है। वर्ष 2005-06 के लिए योजना परिव्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	क्षेत्र	योजना परिव्यय 2005-06 (करोड़ रु. में)
1.	आधुनिकीकरण एवं कम्प्यूटरीकरण	1.00
2.	संवर्धन एवं प्रसार	116.91
3.	पुरातत्व	80.00
4.	अभिलेखागार एवं अभिलेख	31.69
5.	संग्रहालय	84.96
6.	मानव विज्ञान एवं नृजाति-विज्ञान	9.57
7.	सार्वजनिक पुस्तकालय	37.89
8.	बौद्ध एवं तिब्बती अध्ययन संस्थान	11.89
9.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र	0.50
10.	अन्य व्यय	59.80
11.	पूर्वोत्तर क्षेत्र संबंधी कार्यकलाप	55.11
	कुल	489.32
12.	भवन परियोजनाएं (पूंजीगत कार्य)	61.80
	कुल योग	551.12

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति के युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण

861. श्री ब्रजेश पाठक: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अनुसूचित जातियों के युवा लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के संबंध में मई, 2005 में देश के प्रमुख उद्योगपतियों से सहमति पत्र मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो निजी क्षेत्र के उद्योगों तथा कंपनियों में अनुसूचित जातियों के युवा लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए सहमति देने वाले प्रमुख उद्योगपतियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों के युवा लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(च) इसे कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (च) श्री रतन एन. टाटा, अध्यक्ष, टाटा संस लि. ने 25 मई, 2005 को माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री को एक पत्र लिखा है जिसके साथ उद्योग जगत के 21 उद्योगपतियों द्वारा हस्ताक्षरित विवरण लगाया गया है जिसमें उन्होंने, अन्य बातों के साथ-साथ, अपने यहां ही व्यावसायिक प्रशिक्षण देने तथा आई.टी.आई. के साथ सहभागिता करने के संबंध में अपने क्रियाकलाप बढ़ाने की सहमति दी है। हस्ताक्षरकर्ता हैं: सुश्री अनु आगा, मैसर्स राहुल बजाज, कुमार मंगलम बिरला, तरुण दास, नौशाद, फोर्बस, ए.एस. गांगुली, जे.एन. गोदरेज, एफ.टी. खोड़कीवाला, एच.एफ. खोड़कीवाला, सुरेश कृष्णा, केशव महेन्द्र, ए.सी. मुथैया, सुनील कांत मुंजल, बी. मुथुरामन, एन.आर. नारायण मूर्ति, दीपक पारीख, अजीम प्रेमजी, एस. रामदुरई, गुरप्रीत सिंह, रतन एन. टाटा और गौतम थापर। उपर्युक्त संदर्भित विवरण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति युवा वर्ग के लिए सकारात्मक कार्रवाई के संबंध में उद्योग जगत के साथ लगातार की जा रही बातचीत का हिस्सा है। कोई विशेष समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

विदेशी समाचारपत्रों का प्रकाशन

862. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विदेशी समाचारपत्रों से भारत में उनके समाचारपत्रों के प्रकाशन के लिए प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो उनसे प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस पर सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विदेशी समाचारपत्रों द्वारा अपने संस्करण कब तक प्रकाशित किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

पार्किंग शुल्क

863. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गैर-मैट्रो विमानपत्तन का प्रयोग करने वाली विमान कंपनियों को पार्किंग शुल्क में छूट देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) गैर-मैट्रो हवाईअड्डों पर पार्किंग शुल्क से छूट प्रदान करने के लिए, घरेलू नामित प्रचालकों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा इन अनुरोधों की जांच की जा रही है।

मिग विमान में कमियां

864. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन:
श्री रेवती रमन सिंह:
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ान सुरक्षा से संबंधित विशेषज्ञ समिति ने पुराने मिग विमानों के डिजाइन में कमियां पाई हैं और इन्हें अत्यधिक दुर्घटना संभावित प्रौद्योगिकी की श्रेणी में रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए उपचारात्मक सुझाव, यदि कोई हों, का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है/ निर्णय लिए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (घ) वायुसेना दुर्घटनाओं पर विशेषज्ञ समिति ने सभी वायुयानों के संबंध में डिजाइन संबंधी कमियों के मुद्दे पर विचार किया है। प्रवृत्तियों के विश्लेषण के आधार पर समिति ने यह पाया है कि मिग रूपांतरों सहित पुरानी प्रौद्योगिकी के वायुयानों के फेल होने की संभावना अधिक है। नवीन प्रौद्योगिकी के वायुयानों में परिष्कृत डिजाइन विशेषताएं समाविष्ट की गई हैं जो बेहतर हवाई सुरक्षा मुहैया कराती हैं।

समिति ने सुझाव दिया है कि पुरानी प्रौद्योगिकी के वायुयानों में अन्तर्निहित जोखिम के प्रबंधन के लिए, फेल होने की प्रवृत्ति की मानीटरी करने के लिए तथा भारतीय वायुसेना और हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड की ओवरहालिंग सुविधाओं के अंतर्गत गुणता आश्वासन तथा उड़ान योग्यता प्रमाणन प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए एक रणनीति बनाए जाने की आवश्यकता है।

उड़ान सुरक्षा में सुधार करने और भारतीय वायुसेना में वायुयान दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उड़ान सुरक्षा मानकों में सुधार करने हेतु निरंतर यथावश्यक कार्रवाई की जाती है।

शांति सेना अभियानों में सैनिकों की तैनाती

865. श्री दुष्यंत सिंह:
श्री परसुराम माझी:
श्री ब्रजेश पाठक:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय संयुक्त राष्ट्र शांति सेना अभियानों के अंतर्गत विभिन्न देशों में देश-वार कितने भारतीय सैनिकों को तैनात किया गया है;

(ख) वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान आज तक ऐसे कितने सैनिक हताहत हुए हैं; और

(ग) मारे गए सैनिकों के परिजनों को दी गई क्षतिपूर्ति का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) आज की तारीख में, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में देश-वार तैनात भारतीय सैनिकों की संख्या इस प्रकार है:-

क्रम सं.	देश का नाम	कार्मिकों की संख्या
1.	कांगो जनतांत्रिक गणराज्य	3551
2.	लेबनान	648
3.	इथोपिया-इरिट्रिया	1554
4.	आइवरी कोस्ट	8
5.	बुरुंडी	11
6.	सूडान	175
7.	संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयार्क	2

(ख) वर्ष 2004 में कोई सैनिक हताहत नहीं हुआ था जबकि वर्ष 2005 के दौरान दो सैनिकों के हताहत होने की रिपोर्ट है।

(ग) मारे गए सैनिकों के निकटस्थ परियोजनों को क्षतिपूर्ति, सेना अथवा संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान मानदण्डों के अनुसार दी जाती है जिसमें उपदान, अनुग्रह-राशि, उदारीकृत परिवार पेंशन तथा सेना समूह बीमा निधि शामिल हैं।

[हिन्दी]

सरकारी उपक्रमों की बकाया धनराशि

866. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 मार्च, 2005 तक तेल, डीजल, पेट्रोल, गैस और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के संबंध में सरकारी क्षेत्र की सभी तेल कंपनियों की निजी क्षेत्र की कंपनियों की ओर कितनी धनराशि बकाया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अपराह्न 12.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): महोदय, मैं आपकी अनुमति से जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा (3) की उपधारा (4) के अंतर्गत फूकन आयोग के आंशिक-प्रतिवेदन की एक प्रति तथा उसके साथ न्यायमूर्ति एस.एन. फूकन आयोग के आंशिक-प्रतिवेदन* (केवल हिन्दी संस्करण) के संबंध में संलग्न टिप्पण सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखा गया, **देखिए** सं. एल.टी. 2352/05)

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) वेबर्ड इंडिया लिमिटेड (डब्ल्यू.आई.एल.) और भारत ब्रेक्स एंड वाल्व्स लिमिटेड (बी.बी.वी.एल.) के वर्ष 2002-2003 और 2003-2004 के तथा रेरोल बर्न लिमिटेड (आर.बी.एल.) के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्षों की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** सं. एल.टी. 2353/05)

(2) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** सं. एल.टी. 2354/05)

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारत लेदर कारपोरेशन लिमिटेड, आगरा के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत लेदर कारपोरेशन लिमिटेड, आगरा का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

---

*अंग्रेजी संस्करण 13 मई, 2005 को सभा पटल पर रखा गया था।

[श्री संतोष मोहन देव]

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** सं. एल.टी. 2355/05)

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत रेल सेवक (कार्य के घंटे और विश्राम की अवधि) नियम, 2005 जो फरवरी - 5 मार्च, 2005 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 75 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गई, **देखिए** सं. एल.टी. 2356/05)

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) 'राइट्स' लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखा गया, **देखिए** सं. एल.टी. 2357/05)

(दो) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** सं. एल.टी. 2358/05)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** सं. एल.टी. 2359/05)

अपराह्न 12-02½ बजे

समिति का निर्वाचन

केन्द्रीय पुरातत्व विज्ञान सलाहकार बोर्ड

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:-

"कि भारत सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 28 अप्रैल, 2005 के संकल्प संख्या 9/4/2004-ईई (सी.ए.बी.ए.) के पैरा अठारह में निहित उपबंध के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबंधों के अध्यधीन केन्द्रीय पुरातत्व विज्ञान सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए, अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 28 अप्रैल, 2005 के संकल्प संख्या 9/4/2004-ईई (सी.ए.बी.ए.) के पैरा अठारह में निहित उपबंध के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबंधों के अध्यधीन केन्द्रीय पुरातत्व विज्ञान सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए, अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.03 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) ओ.एन.जी.सी. के मुम्बई हाई उत्तरी प्लेटफार्म में आग की घटना

[अनुवाद]

***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर)**: माननीय अध्यक्ष महोदय, मुंबई हाई नार्थ (एम.एच.एन.) में दिनांक 27-7-2005 को सायं 4.05 बजे संसाधन प्लेटफार्म में भीषण आग लगी, जिसके परिणामस्वरूप सुविधा की क्षति हुई। दुर्घटना उस समय हुई, जब ओ.एन.जी.सी. का बहु-उद्देशीय सहायता जहाज "समुद्र सुरक्षा" एस.सी.आई. प्रचालन के अंतर्गत चिकित्सा हेतु निकासी के कार्य में लगा था। उपलब्ध सूचना के अनुसार एम.एस.वी. नियंत्रण खो बैठा और बहते हुए प्लेटफार्म से टकरा गया जिससे भीषण आग लग गई जिसने एम.एस.वी. को भी प्रभावित कर दिया।

भीषण आग के और इसके परिणामस्वरूप हुए नुकसान को देखते हुए अपतटीय प्रचालनों में उपयोग की जाने वाली सुदृढ़ अभ्यास परित्याग प्रक्रिया के अनुसार प्लेटफार्म का परित्याग किया गया। इसी प्रकार विसम्पीडन में लगे 6 गोताखोरों के सिवाए एम.एस.वी. के कार्मिकों को भी निकाल लिया गया। क्षेत्र में तैनात किए गए एन.सी. येस्टर में चार्टर्ड वेधन रिग पर मौजूद कार्मिकों को भी निकाल लिया गया। एम.एच.एन. प्लेटफार्म और इस पर मौजूद पवन हंस हेलीकाप्टर 2 घंटे से कम समय में पूरी तरह नष्ट हो गया। ओ.एन.जी.सी. सहायता और आपूर्ति जहाजों और तीन चार्टर्ड हेलीकाप्टरों को खोज और बचाव कार्यों के लिए तुरन्त जुटाया गया। भारतीय नौसेना और तट रक्षक ने समुद्री जहाज और हवाई जहाज तैनात करके शीघ्र सहायता उपलब्ध कराई।

कुल 384 कार्मिकों को प्रभावित प्लेटफार्म और दो जहाजों का परित्याग करना पड़ा था। इनमें से छह गोताखोरों, जो विसम्पीडन में लगे थे, के अतिरिक्त 351 व्यक्ति बचाए गए हैं।

घायल व्यक्तियों को चिकित्सकों और अर्ध चिकित्सीय स्टाफ द्वारा बचाव स्थान पर तुरन्त प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की गई। बचाए गए व्यक्तियों में से 129 व्यक्ति आज सुबह मुम्बई डॉक्स पहुंच रहे हैं। वे कदाचित वहां पहुंचने वाले होंगे।

बचाए गए बाकी कार्मिकों के देर शाम तक पहुंचने की संभावना है। लापता व्यक्तियों की खोज जारी है।

अब तक दस कार्मिकों के मरने की पुष्टि हो गई है। इनमें से छह ओ.एन.जी.सी. के हैं और 1-1 कर्मी एम.एस.वी. और एन.सी. येस्टर के हैं। दो शबों की अभी पहचान की जानी है। राष्ट्र की ओर से मैं शोक संतप्त परिवारों को गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। उनका पुनर्वास हमारा कर्तव्य होगा।

मुंबई में बाढ़ और बारिश के कारण हुए अनेक विनाश के बावजूद बचाव और राहत के लिए सभी संभव संसाधन तत्काल जुटाए गए। इस सत्य के बावजूद कि बिजली न होने के कारण बांद्रा (पूर्व) स्थित नियंत्रण केन्द्र कार्य नहीं कर रहा था। सभी संचार संपर्क टूट चुके थे और जुहू हेलीबेस पर 12 चार्टर्ड हेलीकाप्टर्स का बेड़ा बाढ़ की स्थिति के कारण पूरी तरह भूग्रस्त हो गया। तत्काल आपातकाल नियंत्रण केन्द्र बनाया गया ताकि स्थिति से निपटा जा सके। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ओ.एन.जी.सी., ओ.एन.जी.सी. के अन्य अधिकारियों के साथ 28 की सुबह मुंबई एयरपोर्ट के खुलते ही पहली नागरिक (यात्री) फ्लाइट से पहले ही मुंबई पहुंच चुके हैं। मैं स्वत:, वक्तव्य देने के तुरन्त पश्चात् मुम्बई जा रहा हूं।

हालांकि प्लेटफार्म की हानि से कच्चे तेल के उत्पादन का 110.000 बैरल प्रतिदिन तुरन्त प्रभावित होगा। तथापि यह उम्मीद है कि अगले 4 हफ्तों में इस उत्पाद का 70% पुन: प्राप्त कर लिया जाएगा। ओ.एन.जी.सी. की ऑफशॉर पैकेज बीमा योजना के तहत प्लेटफार्म 195 मिलियन अमरीकी डालर और एम.एस.वी. 60 मिलियन अमरीकी डालर के तहत बीमांकित है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ओ.एन.जी.सी. ने एक आंतरिक जांच समिति का गठन किया है जो बाहरी विशेषज्ञों की सहायता से इस त्रासदी दुर्घटना के मामले को देखेगी।

[अनुवाद]

मैं घटना स्थल पर निर्धारित सुरक्षा ड्रिल करने में ओ.एन.जी.सी. की उत्कृष्ट सफलताओं की ओर सभा का ध्यान आकृष्ट करूंगा और अपने माननीय रक्षा मंत्री, जो इस समय यहां उपस्थित हैं - जिन्होंने महत्वपूर्ण रूप से त्वरित और अत्यंत सफल तलाश और बचाव कार्य कराए हैं, के माध्यम से नौ सेना और तटरक्षक को कृतज्ञ राष्ट्र का धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं मैसर्स केर्न इनर्जी और मेसर्स ब्रिटिश गैस का भी आभारी हूं, जिन्होंने बचाव कार्यों के लिए अपने हेलीकॉप्टरों की पेशकश की।

...(व्यवधान)

---

*ग्रंथालय में भी रखा गया, **देखिए** सं. एल.टी. 2362/05

अध्यक्ष महोदय: हम चर्चा करेंगे। मैं पहले से ही प्रतिबद्ध हूं कि।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सभी चीजों पर अभी चर्चा नहीं की जा सकती। माननीय मंत्री को वहां जाना है और मैंने उसे स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि जांच चल रही है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नहीं, कृपया सूचना दीजिए और मैं चर्चा की अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): महोदय, मैं एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं पूरी चर्चा की अनुमति दूंगा। इस पर पहले ही चर्चा हो चुकी है, श्री मोहन रावले।

अध्यक्ष महोदय: अब माननीय गृह मंत्री श्री शिवराज पाटील स्वत: वक्तव्य देंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं पूर्व चर्चा की अनुमति दूंगा जिसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: इसके पहले कि माननीय गृहमंत्री जी कुछ कहें, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नहीं। इससे अब चर्चा होगी। यहां यह प्रणाली नहीं है और आप इसे भलीभांति जानते हैं। आप चर्चा में भाग ले सकते हैं? मैं आपको अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो मुम्बई शहर को खतरा हो सकता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब माननीय गृह मंत्री वक्तव्य देंगे। श्री मोहन रावले, कृपया सहयोग कीजिए। उन्हें अभी मुम्बई जाना है।

अपराह्न 12.10 बजे

(दो) होण्डा मोटर्स के श्रमिकों और हरियाणा पुलिस के बीच गुड़गांव, हरियाणा में हुई हिंसक घटना

***गृह मंत्री (श्री शिवराज पाटील):** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने होंडा मोटर्स के श्रमिकों और राज्य पुलिस के बीच गुड़गांव, हरियाणा में 25 जुलाई, 2005 को हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के संबंध में दो दिन पहले एक वक्तव्य दिया था।

घटना के समय से ही, केन्द्र सरकार राज्य सरकार के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए है। हमने घटना और स्थिति के बारे में राज्य सरकार से और ब्यौरे मांगे थे।

राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री जी.सी. गर्ग, की अध्यक्षता में एक जांच आयोग नियुक्त किया गया है। यह आयोग 26 जुलाई, 2005 से तीन महीनों के अन्दर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

गुड़गांव के उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को छुट्टी पर जाने के लिए कहा गया है।

गुड़गांव और सोहना में अस्पतालों में भर्ती किए गए जख्मी आंदोलनकारियों में से, केवल छह व्यक्ति अब सिविल अस्पताल, गुड़गांव में उपचाराधीन हैं और उनमें से किसी की भी हालत गंभीर नहीं है।

पुलिस द्वारा निरुद्ध कुछेक व्यक्तियों का सत्यापन करने पर यह पाया गया है कि वे होंडा मोटर्स के कर्मचारी नहीं हैं।

राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, 26 जुलाई, 2005 को भीड़ सिविल अस्पताल, गुड़गांव के परिसर के भीतर इकट्ठा हो गई। उपायुक्त जो इस समय अस्पताल में घायल

---

*ग्रंथालय में भी रखा गया। **देखिए** सं. एल.टी. 2363/05

व्यक्तियों को देखने गए थे, का घेराव किया गया। इससे अस्पताल में डाक्टरों और संबंधित स्टाफ को अपना काम करने में बाधा आई। बीड़ की उग्रता को देख कर पुलिस को वहां से भीड़ को भगाने के लिए मजबूरन आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े।

राज्य सरकार ने बताया है कि स्थिति शांत और नियंत्रण में है। केन्द्र सरकार भी इस स्थिति पर नजर रखे हुए है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, हमने मुआवजे के लिए कहा था।...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): उनके पास कम से कम इतना शिष्टाचार तो होना चाहिए कि वह माननीय सदस्यों को सुनें *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने उन्हें जाने की अनुमति दे दी है। उन्हें प्रधान मंत्री के साथ मुम्बई जाना है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैंने उन्हें जाने की अनुमति दी है क्योंकि उन्हें एक महत्वपूर्ण कार्य के सिलसिले में माननीय प्रधान मंत्री के साथ मुम्बई जाना है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं सदस्यों द्वारा कही जा रही एक भी बात नहीं सुन पा रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने उन्हें जाने की अनुमति दी है।

श्री हरिन पाठक: महोदय, क्यों? हम जानना चाहते थे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप मुझसे इस तरह से नहीं पूछ सकते हैं। उन्हें जाने की अनुमति दी गई थी क्योंकि उन्हें किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए मुम्बई जाना है। आप मुझसे यह नहीं पूछ सकते कि मैंने उन्हें जाने की अनुमति क्यों दी?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने उन्हें जाने की अनुमति दी है।

श्री हरिन पाठक: महोदय, आपसे आग्रह है कि...*(व्यवधान)* माननीय गृह मंत्री से जानना चाहता हूं...*(व्यवधान)* मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मेरा भी आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। आप बैठ जाइए, श्री नन्दी। जब मैं बोल रहा हूं तो आपको बैठ जाना चाहिए। मैं इस तरह की अनुशासनहीनता की अनुमति नहीं दूंगा। श्री सेठ, कृपया आप बैठ जाइए।

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक): महोदय, कृपया मुझे बोलने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा या नहीं - यह आपके व्यवहार पर निर्भर करता है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जहां तक इस मुद्दे का संबंध है, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर सदस्य स्पष्टीकरण चाहते थे। इस पर मेरी घोर आपत्ति है। माननीय मंत्री ने स्वयमेव वक्तव्य दिया है।

...*(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सेठ: महोदय, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत ही विचित्र बात है। मैं समझता था कि आप एक अनुशासित दल के सदस्य हैं।

आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमें कम से कम इतना तो याद रखना चाहिए कि लोक सभा में वक्तव्य देने के बाद किसी स्पष्टीकरण मांगने या प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जाती है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि यदि आप समुचित चर्चा चाहते हैं तो इसके लिए भी प्रक्रिया है। श्री पाठक, आप यह पूछ रहे है कि मैंने गृहमंत्री को जाने की अनुमति क्यों दी है। मैंने आपको बता दिया कि मैंने उन्हें जाने की अनुमति क्यों दी है।

श्री हरिन पाठक: मुझे खेद है, महोदय, मैंने तो सिर्फ इतना अनुरोध किया था कि उन्हें कम से कम सदस्यों की बातें तो सुननी चाहिए थी।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं समझ सकता हूं। आप इस समय जो कुछ कह रहे हैं वह उपयुक्त नहीं है।

मैंने उन्हें जाने की अनुमति इसलिए दी क्योंकि उन्होंने जाने के लिए मुझसे विशेष अनुमति मांगी थी। वह किसी

[अध्यक्ष महोदय]

महत्वपूर्ण मिशन पर प्रधान मंत्री के साथ मुम्बई जा रहे हैं और आप इस बात को खुद भी समझ सकते हैं। जब नियमों के अनुसार उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाना है, अत: मैंने अपने विवेक से उन्हें जाने की अनुमति दे दी। अब आप मेरे विवेक पर प्रश्नचिन्ह लगा रहे हैं।

अत:, यदि आप चर्चा चाहते हैं तो उसके लिए बहुत से तरीके हैं। आपको नियम पुस्तिका की जानकारी है। आपको अध्यक्ष के निदेशों की जानकारी है। आप कौल और शकधर को जानते है। आप नए-नए तरीकों को भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन जब तक मैं यहां हूं, अंतत: मुझे ही तय करना पड़ेगा।

...(व्यवधान)

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): महोदय, सादर सहित, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय गृहमंत्री ने स्वयमेव वक्तव्य नहीं दिया था। माननीय सदस्य यदि स्मरण करें तो पाएंगे कि कल प्रश्नकाल के बाद यह मुद्दा उठाया गया था, वे माननीय मंत्री से जानकारी प्राप्त करना चाहते थे...*(व्यवधान)*। कृपया आप बैठ जाइए। जब मैं बात कर रहा हूं, तो कृपया आप बैठ जाइए। मुझे आप से सम्मान की उम्मीद है। आप चाहते थे कि गृह मंत्री कोई वक्तव्य दें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जा रहा है। आप जो कुछ बोल रहे हैं, वह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

श्री प्रणब मुखर्जी: मैंने वायदा किया था कि गृह मंत्री वक्तव्य देंगे...*(व्यवधान)* मैं नहीं मानता कि हम हमेशा इस सभा को राज्य विधानसभा में बदल सकते है।

*(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदय: मैं यहां बैठा रहूंगा। आपके द्वारा कही गई एक भी बात कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं की जा रही है। यदि आप सभा की कार्यवाही को वाधित करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। लेकिन इससे मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा। आप सभा की कार्यवाही वाधित करते रहिए, यदि ऐसा आपने ठान ही लिया है। आप सभी वरिष्ठ सदस्य हैं। मुझे कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं करनी है। आप तो अध्यक्ष को भी बोलने नहीं दे रहे हैं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): महोदय, हम लोग वाधित नहीं कर रहे हैं। सभा के नेता ने वक्तव्य दिया है। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि एक छोटे अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। यह राजनीति दायित्व की बात है। मुख्य मंत्री को जाना चाहिए था।...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: किसी भी बात को कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाये। ये आपके सुझाव हैं। ठीक है, हमें ये सब खत्म करना चाहिए। माननीय सदस्यो, मैं एक वक्तव्य दे रहा हूं। श्री नन्दी, मुझे यह मजबूरन कहना पड़ रहा है कि आप हद पार कर रहे हैं।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल करने की अनुमति नहीं दूंगा। आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री नायडू, जब तक मैं अपनी पूरी न कर लूं, तब तक आप बैठिए। कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। आप बैठ जाइए। आप बहुत ही गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहे हैं। आपकी कार्यशैली बहुत ही लापरवाहीपूर्ण है। श्री सेठ आपको बैठ जाना चाहिए। आप परेशानी में पड़ जाएंगे। मुझे मजबूरन आपके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी। श्री सेठ, आपको बैठ जाना चाहिए।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय सदस्यो, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणाएं करने जा रहा हूं और आप जानते हैं कि इसकी अनुमति नहीं होती है। यह जानकर भी, आप सभा की कार्यवाही को चलने नहीं दे रहे हैं।

अपराह्न 12.19 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

लोक सभा के महासचिव श्री जी.सी. मलहोत्रा द्वारा पदभार छोड़ने तथा श्री पी.डी.टी. आचारी की लोक सभा के महासचिव के रूप में नियुक्ति के संबंध में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, मुझे सभा को सूचित करना है कि लोक सभा के महासचिव श्री जी.सी. मलहोत्रा अधिवार्षिता प्राप्त करने के पश्चात् 31 जुलाई, 2005 को अपने पदभार से मुक्त हो रहे हैं।

श्री मलहोत्रा 14 जुलाई, 1999 को लोक सभा के महासचिव बने। वे अपनी कर्त्तव्यनिष्ठा, कठिन परिश्रम, दक्षता और संस्था के प्रति समर्पण के गुणों से जाने जाते हैं। संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली को सुदृढ़ करने में उनके अपूर्व योगदान की मैं अपने देश के सर्वोच्च मंच के माध्यम से मैं हार्दिक प्रशंसा करता हूं।

श्री मलहोत्रा को संसदीय कार्यों, कार्य विधियों और संवैधानिक मामलों की गहरी जानकारी है जिससे कार्यवाही के सुचारू संचालन में हमारे पीठासीन अधिकारियों और सभापति तालिका के सदस्यों को बहुत सहायता मिली है। सभा के सभी वर्गों को उनका विद्वतापूर्ण परामर्श मिलता रहा है। संसदीय समितियों, उनके सभापतियों और सदस्यों के लिए उनकी सेवाएं भी अमूल्य रही हैं। उनके परामर्श हमेशा वस्तुनिष्ठ रहे हैं। उनके इन गुणों से अध्यक्ष पीठ और सदस्यों को अत्यधिक लाभ प्राप्त हुआ है।

श्री मलहोत्रा ने भारतीय संसद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलनों विचारगोष्ठियों और कार्यशालाओं के सफलता आयोजन में उल्लेखनीय योगदान किया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलनों और विदेशी संसदों की सद्भावपूर्ण यात्राओं में भारतीय संसदीय शिष्ट मंडलों की अत्यधिक सहायता की है। उनके योगदान को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, अंतर-संसदीय संघ और अन्य विभिन्न संसदीय निकायों द्वारा स्वीकार किया गया है।

भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन से वे लम्बे समय तक जुड़े रहे हैं। वे इस सम्मेलन द्वारा गठित कई समितियों के सचिव भी रहे हैं। उन्होंने एक दक्ष प्रशासक और ग्रुप नेता के रूप में अपनी योग्यता सिद्ध की है।

श्री मलहोत्रा ने कई लेख और पुस्तकें लिखी हैं। उनके अनुभव और योग्यता के कारण कॉमनवेल्थ संसदीय संघ ने अपनी कई विचार गोष्ठियों और कार्यशालाओं में उन्हें अपना "प्रेरणा व्यक्ति" बनाया है।

एक आदर्श संसदीय अधिकारी के रूप में श्री मलहोत्रा सदैव उस संस्था के प्रति वस्तुनिष्ठ और समर्पित रहे हैं जिससे वह तीन दशकों से भी अधिक समय तक जुड़े रहे हैं, अपने पूरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने अत्यन्त कुशलतापूर्वक कार्य किया और संस्था को उनकी संसदीय कार्यविधियों और प्रणालियों की गहरी जानकारी से लाभ प्राप्त हुआ है।

मुझे इस बात की घोषणा करने में अत्यन्त प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि लोक सभा को आपकी सेवाओं के प्रतिफल के रूप में उन्हें सदन का मानद अधिकारी बनाया जा रहा है।

मैं आने वाले वर्षों में उनके सुदृढ़ स्वास्थ्य और सार्थक तथा फलदायक जीवन की कामना करता हूं। मुझे आशा है कि आप सब मेरी इस भावना में सम्मिलित होंगे।

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): महोदय, मैं आपसे सहमत हूं और इस सभा के महासचिव के रूप में उनके द्वारा की गई उत्कृष्ट सेवा की हम सराहना करते हैं। मैं उनके सुखद और मंगलमय भविष्य की कामना करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष जी, आपने जो शब्द कहे हैं, उनकी प्रशंसा की है, हम उससे सहमत्त हैं, सारा सदन भी उससे सहमत है। उनके द्वारा इस सदन की, जनतंत्र की, डेमोक्रेसी की, पार्लियामैन्ट की जो सेवा की गई है, वह प्रशंसनीय एवं अभिनन्दनीय है। हम उन्हें शुभकामना देते हैं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, महासचिव श्री जी.सी. मलहोत्रा के संबंध में आपने जो कहा है, मैं उससे पूर्णतया सहमत हूं। मैं आशा करता हूं कि हम उनकी सलाह और परामर्श प्राप्त करते रहेंगे और संसद के कार्यकरण में वे हमारी सहायता करते रहेंगे।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): अध्यक्ष महोदय, श्री जी.सी. मलहोत्रा साहब के कार्यों से, उनके निष्ठापूर्वक समग्र जीवन से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। उनके द्वारा लिखे हुए जो ग्रंथ हैं, सम्पादित पुस्तकें हैं, उनसे भविष्य में संसदीय जीवन में आने वाले लोगों को बहुत सारी दिशा मिलेगी। मैं उनके दीर्घजीवी होने की कामना करता हूं। वह किसी न किसी रूप में यहां से सेवानिवृत्त जरूर हो रहे हैं, लेकिन संसदीय कार्यों से निवृत्त नहीं होंगे और संसद का किसी न किसी रूप में सहयोग करते रहेंगे, इस भावना के साथ मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूं।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): अध्यक्ष महोदय, श्री मलहोत्रा ने लोक सभा के अध्यक्ष के रूप में जो योगदान दिया है, हम उसके लिए उनके आभारी हैं। संसदीय प्रक्रिया और व्यवहार को सशक्त बनाने के लिए उनके योगदान के बारे में आपने उचित ही कहा है और इस संबंध में आपने जो भी कहा है, मैं उससे सहमत हूं। हम उनके इस योगदान के लिए दीर्घकाल तक आभारी रहेंगे।

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा (संगरूर): अध्यक्ष महोदय, आपने मलहोत्रा जी के लिए जो शब्द कहे, मैं उससे अपने को असोसियेट करता हूं। इन्होंने नए और पुराने एम.पीज को जिस प्रकार गाइड किया, वह एक बहुत बड़ा रिकार्ड है। मैं सभी सदस्यों की तरफ से यही कहूंगा कि इनको जैसे भी हो, संसद से असोसियेट रखा जाए।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, मलहोत्रा जी से हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। मैं व्यक्तिगत रूप से कहूंगा कि जब कभी कठिनाई हुई है तो हमने इनसे संपर्क किया और इनका सहयोग और स्नेह हमेशा हमें मिला। हम इनके दीर्घायु होने की कामना करते हुए आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि संसद के कार्यों में इनसे सहयोग लेने का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए ताकि हम इनकी क्षमता से बराबर लाभान्वित हो सकें।

[अनुवाद]

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरुम्बदूर): महोदय, श्री मलहोत्रा माननीय सदस्यों से सदैव सहयोग करते थे। विशेष बात यह है कि वह एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति थे और मुस्कुराहट मात्र से ही व्यक्ति को मोह लेते थे।

एक अन्य बात यह है कि जब से आप इस सभा के माननीय अध्यक्ष बने हैं, वे आपके छोटे भाई के समान लगते हैं।

अध्यक्ष महोदय: सभा के पास क्रोधी अध्यक्ष और प्रसन्नचित्त सचिव है।

...(व्यवधान)

श्री ए. कृष्णास्वामी: डी.एम.के. की ओर से मैं उनकी सफलता की कामना करता हूं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, श्री जी.सी. मलहोत्रा के कार्यों की प्रशंसा के संदर्भ में आपका जो वक्तव्य आया और कतिपय माननीय नेताओं की भावना जो सदन में उनके प्रति व्यक्त हुई, मैं उनसे सहमत हूं और अपने को संबद्ध करता हूं। मलहोत्रा जी की जो कार्यकुशलता, दक्षता और क्षमता रही है, उनके सामने जब कभी कोई भी परिस्थिति हुई है, संसदीय कार्य के निर्वहन करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। संसदीय कार्य में जब कभी अनुभव का सवाल आया या कार्यकुशलता की बात आई, उसमें हम लोगों को उनकी दक्षता देखने का नजदीक से अनुभव हुआ। प्रभुनाथ जी ने ठीक ही कहा कि उनकी कार्यक्षमता, उनकी दक्षता, उनके अनुभव का आगे भी समय-समय पर लाभ लिया जाए। हम उनके दीर्घायु जीवन के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं।

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर): माननीय अध्यक्ष जी, आपकी भावनाओं से अपने को संबद्ध करते हुए श्री जी.सी. मलहोत्रा जी के रिटायरमैंट पर कुछ दुख का अनुभव भी हो रहा है। इन्होंने बहतु लंबा समय हमारी संसद को दिया। इनका मृदुभाषी स्वभाव और इनकी सहयोग भावना जो हमें मिली है पिछले कार्यकाल से लेकर इस कार्यकाल तक, इसको हम जीवन भर याद रखेंगे। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि मल्होत्रा जी दीर्घायु हों और संसदीय परंपराओं में हमेशा रुचि लेते रहें। हम लोगों को समय-समय पर इस संसद के बाहर जाने के बाद भी बराबर सहयोग देते रहें, ऐसी शुभकामनाएं मैं देता हूं।

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): अध्यक्ष महोदय, मलहोत्रा जी के अनुभव को हम लोग बहुत याद करेंगे। आपने

बताया कि उनकी सर्विसेज हमेशा हमें मिलती रहेंगी, उनकी सलाह और अनुभव हमेशा मिलता रहेगा। हमारे जैसे सभी सदस्यों को उनके ज्ञान से लाभ मिलता रहेगा। जब श्री मधुकर सर्पोतदार शिवसेना के नेता थे, तब वे यहां एस्टिमेट्स कमेटी के चेयरमैन भी बने। उस समय एक पार्लियामैंट्री पे कमेटी बनी थी जिसके चेयरमैन भी सर्पोतदार जी थे। उस कमेटी में मलहोत्रा जी को उनके साथ काम करने का मौका मिला था और अच्छा अनुभव उनको हुआ। जब श्री मनोहर जोशी स्पीकर थे, तो हमें कुछ सवालात करने थे। तब मलहोत्रा जी ने कहा कि आप यह सवाल नहीं कर सकेंगे क्योंकि इससे आपके स्पीकर मुसीबत में पड़ सकते हैं। इस प्रकार कई बार उन्होंने अलग-अलग मुद्दों पर हमारा मार्गदर्शन किया। हमेशा उनकी पुस्तकें हमारे लिए बहुत लाभदायक साबित हुई। मैं शिवसेना की ओर से यही कहूंगा कि उनकी सेवाएं हमेशा सारी संसद को मिलती रहें, यही शुभकामनाएं मैं उनको भविष्य के लिए देता हूं।

[अनुवाद]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): अध्यक्ष महोदय, आप उनको एक्सटेंशन दे दें।

अध्यक्ष महोदय: मैं कोई और घोषणा करूंगा।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, श्री जी.सी. मलहोत्रा, जिनका भारत की लोकसभा चलाने के लिए और अध्यक्ष, लोकसभा को सुचारू रूप से सदन चलाने में मदद देने के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनका स्वाभाव बहुत अच्छा है। जब हम आपके साथ यू.एस.ए., इंगलैंड तथा अन्य जगहों के दौरे पर गए थे, तब श्री मलहोत्रा जी भी हमारे साथ थे। उनका ध्यान सदैव सांसदों की तरफ रहता था और खास कर मेरी तरफ उनका ध्यान ज्याद रहता था। अभी तक जितने लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं श्री मलहोत्रा जी का उनके साथ बहुत सहयोग होता था। अध्यक्ष महोदय, आप कल कह रहे थे कि आपको कोई सहयोग नहीं दे रहा है, मैं यहां से उठ कर बोल रहा था, मैंने आपको सहयोग दिया और बैठ गया। सामने वाले आपका सहयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन मैं आपका सहयोग कर रहा था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: हम श्री जी.सी. मलहोत्रा जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए योगदान दिया और सदस्यों को प्यार दिया। इसके लिए हम उनको धन्यवाद करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सेवानिवृत्ति के बाद चुनाव लड़िए। मैं आपसे वायदा करता हूं कि अगर कोई दूसरी पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो हमारी रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया आपको टिकट देने के लिए तैयार है। मैं अपनी पार्टी का अकेला सदस्य हूं लेकिन अगर आप हमारे साथ रहेंगे और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सन् 1984 में दो संसद सदस्य थे, अगर हम भी दो हो जाएंगे तो 10-15 सालों के बाद हम भारतीय जनता पार्टी की छुट्टी कर देंगे। मैं अपनी पार्टी की तरफ से श्री जी.सी. मलहोत्रा को बहुत धन्यवाद देता हूं। जय भीम, जय भारत।

[अनुवाद]

श्री बीर सिंह महतो (पुरुलिया): अध्यक्ष महोदय, आपने और अन्य नेताओं ने श्री जी.सी. मलहोत्रा के बारे में जो कहा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। उनके लेखन से नये सदस्यों को लाभ हुआ है। मैं उन्हें पिछले पन्द्रह वर्षों से जानता हूं। मैं संसद के कार्य में उनके योगदान की सराहना करता हूं। उनके लेखन से संसद सदस्यों को भी बहुत लाभ हुआ है।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): अध्यक्ष महोदय, श्री मलहोत्रा जी महान, ईमानदार, प्रसन्नचित्त व्यक्ति हैं। मैं उन्हें 1996 से जानता हूं। उन्हें महासचिव तब बनाया गया था जब श्री बालयोगी लोक सभा के अध्यक्ष थे। मैंने अनेक संसदीय समितियों में उनके साथ यात्रा की है। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं जिनसे युवा सदस्यों को लाभ हुआ है।

संसदीय प्रक्रिया, व्यवहार और भारत के संविधान का उनका ज्ञान अगाध है। इसलिए आपके माध्यम से मैं सभा के नेता से अनुरोध करता हूं कि सरकार के कार्यकरण में सुधार के लिए सरकार भविष्य में भी उनकी सेवाओं का लाभ उठाये। मैं उनके दीर्घ व सुखद जीवन की कामना करता हूं।

श्री ई. पोन्नुस्वामी (चिदम्बरम): अध्यक्ष महोदय, एक कहावत है "आपकी एक मुस्कान लोगों के दिल जीतने के लिए पर्याप्त है।" श्री मलहोत्रा जी जानते थे कि किस प्रकार लोगों को दोस्त बनाना है और उन्हें प्रभावित करना है। हम उनकी समर्पित सेवा के लिए उनके कृतज्ञ हैं और उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। हम भविष्य में भी उनके कार्य से लाभान्वित होते रहेंगे।

श्री मधुसूदन रेड्डी (आदिलाबाद): महोदय, यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। टी.आर.एस. की ओर से मैं महासचिव को उनकी सराहनीय सेवा के लिए धन्यवाद देता हूं। वह हमारे जैसे नए लोगों के मार्गदर्शक थे। वे हमारी बहुत सहायता करते थे। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। हम उनके सुखद जीवन की कामना करते हैं।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इंडुकी): हमारे संसदीय लोकतंत्र में महासचिव का पद बहुत महत्त्वपूर्ण है। श्री मलहोत्रा जी ने इस पद पर बैठने वाले अपने प्रतिभाशाली पूर्व अधिकारियों के समान ही इस कार्य का बड़े उत्तम रूप से निर्वाह किया है। यह जानकर संतोष होता है कि - मानद अधिकारी के रूप में ही सही - किंतु उनकी सेवाएं सभा को मिलती रहेंगी। आने वाले वर्षों में इस सभा के कार्य-संचालन में उनकी बुद्धिमता और अनुभव लाभकारी होंगे। केरल कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं इस अवसर पर उनके सक्रिय सेवानिवृत्त जीवन की कामना करता हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): मैं, आपके और इस सभा के अन्य माननीय सदस्यों के साथ हूं। मैं अपनी पार्टी की ओर से महासचिव, मलहोत्रा जी को धन्यवाद देता हूं और उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में वे हमारी सहायता करेंगे और उनका सहयोग एवं उनके बहुमूल्य सुझाव हमारे देश के लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रणाली को सुदृढ़ बनाने में सहायता करेंगे। मैं उनके सुखद और समृद्ध जीवन की कामना करता हूं।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): मेरी पार्टी और मैं, महासचिव के दोहरे कृत्यों - सभा के कृत्य और कार्यालय के प्रशासक के कृत्यों को संपन्न करने के लिए उन्हें बधाई देता हूं। मेरा मानना है कि वे बहुत अच्छी तरह से कार्य करते रहे हैं। मेरी ओर से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं।

अध्यक्ष महोदय: मैं बहुत खुश हूं और यह उचित अवसर भी है कि सभा के सभी दलों के लोग उन्हें बधाई देने के लिए मेरे साथ हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि वे 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन 1 से मैंने उन्हें एक बहुत ही विशिष्ट कार्य सौंपा है और मुझे आशा है कि वे इस कार्य को भी सफलतापूर्वक करेंगे।

अत: मुझे मालूम है कि मैं उनकी सेवाओं का उपयोग करने का निश्चित रूप से मैं कोई मार्ग ढूंढ निकालूंगा। उनकी सेवाओं की आप सब ने प्रशंसा की है। मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं।

माननीय सदस्यो, मुझे इस बात की घोषणा करने में प्रसन्नता हो रही है कि लोक सभा सचिवालय की स्वतंत्र प्रकृति की परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए मैंने सदन के नेता और विपक्ष के नेता का साथ परामर्श कर श्री पी.डी.टी. आचारी की नियुक्ति लोक सभा के महासचिव के रूप में करने का निर्णय लिया है। लोक सभा सचिवालय में सचिव के पद पर काम करते हुए श्री आचारी की कार्यावधि गत 30 जून को ही समाप्त हो गयी। श्री आचारी को लोक सभा सचिवालय में 35 वर्षों के दौरान भिन्न प्रकार के अनुभव और प्रतिष्ठित सेवा की उपलब्धि प्राप्त है जिसके दौरान उन्होंने सचिवालय में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया और विगत काल में लोक सभा सचिवालय के सचिव के रूप में काम करते हुए भी विभागीय - संबंधित स्थायी समितियों को अत्यन्त उपयोगी सहायता प्रदान कर अपनी पहचान बनायी है। श्री आचारी 1 अगस्त, 2005 से महासचिव के पद को सुशोभित करेंगे। अपने अगले महासचिव के रूप में अपने कर्त्तव्यों के निवर्हन के लिए मैं उन्हें अपनी शुभकामना प्रदान करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह - ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): मेरा स्पष्टीकरण गृहमंत्री के बयान से संबंधित नहीं है। मैं इस अवसर का उपयोग शून्यकाल में कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: श्री येरननायडु यह शून्यकाल नहीं है। यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का समय है। मैंने श्री प्रभुनाथ सिंह को बोलने के लिए कहा है - मद संख्या - 7।

अपराह्न 12.38 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

(एक) ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक

महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें:-

"विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता"

***ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह):** अध्यक्ष महोदय, हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं इसलिए कि जो ग्रामीण विकास की योजनाओं के लागू होने में माननीय सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका हो, जो गांव और गरीब के लिए चल रही योजनाएं हैं, उन पर स्टेट विजिलेंस की व्यवस्था हो, उस पर माननीय सदस्य के अनुरोध पर आपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकृत करने की अनुमति प्रदान की है। मैं माननीय सदस्य, श्री प्रभुनाथ सिंह जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को सदन में उठाने और ध्यानाकर्षित करने का कष्ट किया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया कानाफूसी न करें। एक महत्वपूर्ण वाद-विवाद चल रहा है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, मंत्रालय को ग्रामीण विकास के अपने सभी कार्यक्रमों, जिनमें सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जो वेज इम्लीमेंटेशन प्रोग्राम है, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंदिरा आवास योजना आदि के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता की पूर्ण जानकारी है। मंत्रालय फील्ड स्तर पर अपने विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में नियमित रूप से जानकारी ले रहा है। मंत्रालय के कार्यक्रमों की निगरानी नियमित रूप से की जाती है और जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/राज्य सरकारों से नियमित आधार पर प्रगति रिपोर्टें मिलती हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्यक्रमों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति का ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है।..*(व्यवधान)*

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना सितम्बर, 2001 में शुरू हुई थी और इस योजना का उद्देश्य आवश्यकता आधारित स्थायी आर्थिक और सामाजिक आधारभूत संरचना का सृजन था। कार्यक्रम के आविर्भाव काल से मार्च, 2005 तक 294.05 करोड़ श्रमदिवस सृजित किए गए हैं। इस अवधि के दौरान 31 मार्च, 2005 तक 58.17 लाख कार्य पूरे किए गए हैं और 4.38 लाख कार्य चल रहे हैं। इस अवधि के दौरान 21,058.48 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग हुआ है और 124.72 लाख मीट्रिक टन अनाज वितरित किया गया है।

इस कार्यक्रम के प्रभावों का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के आवधिक मूल्यांकन की प्रणाली है। तद्नुसार, एस.जी.आर.वाई. के लिए 43 स्वतंत्र प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थाओं के माध्यम से सहवर्ती मूल्यांकन अध्ययन कराया गया था। जिन प्रमुख बातों का पता लगा है, वे नीचे दिए अनुसार हैं:-

-77.61 प्रतिशत कार्य इसी वर्ष पूरे किए गए।

-98.09 प्रतिशत मामलों में परिसम्पत्तियों की वास्तविक किस्म बहुत अच्छी, अच्छी और संतोषजनक बताई गई थी। केवल 1.91 प्रतिशत मामलों में ही इनकी किस्म खराब बताई गई थी।

-98.2 प्रतिशत मामलों में लाभार्थियों ने कार्यों का उल्लेख बहुत उपयोगी और उपयोगी बताया था। केवल 1.72 प्रतिशत मामलों में ही यह बताया गया था कि कार्य उपयोगी नहीं है।

-81 प्रतिशत मामलों में मजदूरी का भुगतान दिशा-निर्देशों के अनुसार एक पखवाड़े के भीतर किया गया था।

-लगभग 98 प्रतिशत लाभार्थी कार्यक्रम को उसके वर्तमान रूप में ही जारी रखना चाहते हैं। काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम नवम्बर, 2004 में 150 अत्यन्त पिछड़े जिलों में शुरू किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य एस.जी.आर.वाई. के अलावा अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराकर अतिरिक्त अनुपूरक मजदूरी रोजगार सृजित करने और आवश्यकता आधारित आर्थिक, सामाजिक तथा सामुदायिक सम्पत्तियों के सृजन के माध्यम से भोजन सुरक्षा प्रदान करना है। यह कार्यक्रम स्वलक्षित प्रवृत्ति का है और सभी ग्रामीण गरीबों के लिए है। कार्यक्रम की शुरुआत से मई, 2005 तक कार्यक्रम के अन्तर्गत 12.99 करोड़ श्रम दिवसों का सृजन किया गया। इस अवधि के दौरान 36,690 कार्य पूरे किए गए हैं और 31,232 कार्य चल रहे हैं। अब तक 764.45 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया है और 6.03 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण किया गया है।

एसा.जी.आर.वाई. और एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. के निष्पादन की गुणवत्ता में और सुधार लाने के लिए प्रगति और गुणवत्ता की निगरानी करने के उद्देश्य से प्रत्येक कार्य के लिए सम्बन्धित

*ग्रंथालय में भी रखा गया। **देखिए** सं. एल.टी. 2360/05

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

गांव/स्थान के लाभार्थियों की सतर्कता और निगरानी समितियों का गठन करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना-हाल ही के वर्षों में स्वयं सहायता समूह एप्रोच की भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को सामाजिक, आर्थिक अधिकारिता प्रदान करने की दिशा में एक कारगर एप्रोच के रूप में पहचान की गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय तद्नुसार, उपेक्षित समूहों पर विशेष ध्यान देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के वृहत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना नामक एक स्वरोजगार योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। यह ऋण एवं सब्सिडी योजना है। ऋण प्रभावी भूमिका निमाता है और सब्सिडी एक सहायक घटक है। योजना में ग्रामीण गरीबों का स्वसहायता समूह में बदलने के लिए सामाजिक जागरण, उनकी क्षमता, निर्माण, कौशल उन्नयन, प्रशिक्षण, विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप शुरू करने के लिए सहायता, ऋण सम्पर्क, आधारभूत सुविधाएं, प्रौद्योगिकी और विकास संबंधी कार्यनीति के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में विपणन सहायता पर विशेष ध्यान देते विकास प्रक्रिया में एक प्रतिमानात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया गया है। दसवीं योजना के वर्ष 2002-03 से 2004-05 के पहले तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय ने इस योजना के अन्तर्गत 2049.88 करोड़ रुपए जारी किए और एस.सी.एस.वाई. लाभार्थियों के लिए 4127.37 करोड़ रुपये के ऋण जुटाए गए। इस अवधि के दौरान 28.18 लाख स्वरोजगारियों को सहायता प्रदान की गई। अन्य उपलब्धिया हैं - ऋण जुटाव 2002-03 के 40.45 प्रतिशत से वर्ष 2004-05 में 65 प्रतिशत तक बढ़ा है; सहायता किए गए समूह स्वरोजगारियों का प्रतिशत पहले तीन वर्षों में 30-40 प्रतिशत से पिछले दो वर्षों में 70 प्रतिशत बढ़ा है; प्रारम्भिक तीन वर्षों में स्वसहायता समूहों को दिए जाने वाला ऋण-प्रवाह, जो 20 से 25 प्रतिशत था, बढ़कर 2004-05 में 60 प्रतिशत से अधिक हो गया है। इस कार्यक्रम के प्रभावों का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से मंत्रालय में विभिन्न कार्यक्रमों के आवधिक मूल्यांकन की प्रणाली है। तद्नुसार, एस.जी.आर.वाई. के लिए 43 स्वतंत्र प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थाओं के माध्यम से सहवर्ती मूल्यांकन अध्ययन कराया गया था। जिन प्रमुख बातों का पता लगा है, वे हैं - 77.61 प्रतिशत कार्य इसी वर्ष पूरे किए गए; 98.09 प्रतिशत मामलों में परिसंपत्तियों की वास्तविक किस्म बहुत अच्छी, अच्छी और संतोषजनक बताई गई थीं। केवल 1.91 प्रतिशत मामलों में ही इनकी किस्म खराब बताई गई थी; 98.2 प्रतिशत मामलों में लाभार्थियों ने कार्यों का उल्लेख बहुत उपयोगी और उपयोगी बताया था। केवल 1.72 प्रतिशत मामलों में ही यह बताया गया था कि कार्य उपयोगी नहीं है; 81 प्रतिशत मामलों में मजदूरी का भुगतान दिशा-निर्देशों के अनुसार एक पखवाड़े के भीतर किया गया था; लगभग 98 प्रतिशत लाभार्थी कार्यक्रम को उसके वर्तमान रूप में ही जारी रखना चाहते हैं।

एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. (काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम) - काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम नवम्बर, 2004 में 150 अत्यंत पिछड़े जिलों में शुरू किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य एस.जी.आर.वाई. के अलावा अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराकर अतिरिक्त अनुपूरक मजदूरी रोजगार सृजित करने और आवश्यकता आधारित आर्थिक, सामाजिक तथा सामुदायिक सम्पत्तियों के सृजन के माध्यम से भोजन सुरक्षा प्रदान करना है। यह कार्यक्रम स्वलक्षित प्रवृत्ति का है और सभी ग्रामीण गरीबों के लिए है। कार्यक्रम की शुरुआत से मई, 2005 तक कार्यक्रम के अन्तर्गत 12.99 करोड़ श्रम दिवसों का सृजन किया गया। इस अवधि के दौरान 36690 कार्य पूरे किए गए हैं और 3132 कार्य चल रहे हैं। अब तक 764.45 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया है और 6.03 लाख मी. टन खाद्यान्न का वितरण किया गया है।

इस प्रवृत्ति से कार्यान्वयन प्रक्रिया में सामूहिक दृष्टिकोण की मजबूती का पता चलता है। स्वयं सहायता समूहों की तुलना में व्यक्तिगत स्वरोजगारियों पर निवेश का अनुपात 1999-2000 में 0.24 से बढ़कर 2004-05 में 1.82 हो गया।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) - जहां तक पी.एम.जी.एस.वाई. का संबंध है, यह कार्यक्रम 25 दिसम्बर, 2000 को शुरू हुआ था। अब तक (2000 से 2005 और 2006) सड़क कार्यों के लिए 18644.75 करोड़ रुपये की राशि के प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं और विभिन्न राज्यों को 12118.63 करोड़ रुपये रिलीज किए गए हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 10096.09 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है और 71609.95 किलोमीटर लम्बी सड़कें बनाई गई हैं।

इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) - इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत गरीब ग्रामीणों को मकानों के निर्माणों के लिए सहायता दी जाती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत समतल क्षेत्रों के लिए प्रति यूनिट 25000 रुपए की दर पर और पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्रों के लिए 27500 रुपए की दर पर सहायता दी जाती है। मरम्मत के अयोग्य कच्चे मकान के सुधार के लिए भी सहायता दी जाती है और सभी क्षेत्रों के लिए प्रति यूनिट 12500 रुपए की दर से ऋण-सह-सब्सिडी योजना के

अंतर्गत सब्सिडी दी जाती है। दसवीं योजना के पहले चार वर्षों के दौरान अर्थात् 2002-03 से 2005-06 तक इस योजना के अंतर्गत जिलों को 7565.37 करोड़ रुपये की राशि रिलीज की गई और 8917.10 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग किए जाने की रिपोर्ट मिली है। इस व्यय से कुल 4572777 मकान बनाए गए हैं।

11वें वित्त आयोग के अंतर्गत कार्यक्रम - 11वें वित्त आयोग निर्णय के अंतर्गत निधियां सीधे राज्यों को अंतरित की जाती हैं ताकि वित्त मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायतों को आगे आबंटन किया जा सके। राज्यों/पंचायतों को विकास के लिए इन निधियों के उपयोग के लिए लोचशीलता प्रदान की गई है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की निगरानी - यह सर्वविदित है कि कार्यक्रमों की सफलता वृहद रूप से प्रभावी सुपुर्दगी प्रणाली तथा निचले स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन पर निर्भर करती है ताकि ग्रामीण गरीबों को कार्यक्रम के लाभ पूरी तरह से मिल सके। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने अपने कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी तथा मूल्यांकन की व्यापक बहुस्तरीय तथा बहुआयामी प्रणाली बनाई है। निगरानी तंत्र के महत्वपूर्ण साधनों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है - आवधिक प्रगति रिपोर्टें (वित्तीय एवं वास्तविक), क्षेत्र अधिकारी योजना, निष्पादन समीक्षा समिति, केंद्रीय मंत्री द्वारा समीक्षा, जिला स्तरीय निगरानी, राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्त्ता, सतर्कता एवं निगरानी समितियां। सतर्कता एवं निगरानी समितियां - राज्य तथा जिला स्तरों पर सतर्कता एवं निगरानी समितियों के संबंध में संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार संसद सदस्यों (लोक सभा) को जिला स्तरीय समितियों के अध्यक्ष/सह-अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। अन्य सदस्यों में संबंधित राज्य के ऐसे राज्य सभा सदस्य जो जिला स्तरीय समिति (सह-अध्यक्ष के रूप में) से जुड़ना चाहते हैं, जिले के सभी विधायक, राज्य सरकार तथा जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक समितियां आदि के प्रतिनिधि शामिल हैं। दिशा-निर्देशों के अनुसार, सतर्कता एवं निगरानी समितियों की बैठकें प्रत्येक तिमाही में एक बार आयोजित की जानी होती हैं। जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों के अध्यक्षों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है कि इसकी बैठकें नियमित रूप से की जाएं। राज्य सरकारों ने बताया है कि अक्तूबर, 2004 में संशोधित दिशा-निर्देशों के जारी होने के बाद 116 जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों ने पहले ही कम से कम एक बैठक कर ली है। करीब 130 जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों की बैठकों की सूचना मिली है।

इस प्रकार गांवों और गरीबों के लिए, देश के छः लाख गांवों में जो 70-72 करोड़ लोग बसते हैं, जिनमें ज्यादातर गरीब लोग हैं, उनको रोजगार मिले, गांवों का सही विकास हो सके, ग्रामीण समृद्धि हो और अपने देश में जो बेरोजगारी और गरीबी का कलंक है, उससे मुक्ति के लिए राज्य सरकारों, पंचायती राज और माननीय सदस्यों के सहयोग से सारी योजना का लाभ गांवों के गरीबों को मिल सके, उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है और सहयोग की अपेक्षा की गई है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आपको दूसरा मौका दिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कम से कम एक माननीय सदस्य ने सूचना देने का कष्ट उठाया है। मैंने यह अवसर इसलिए दिया है क्योंकि विपक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से माननीय सदस्यों ने सूचना देना उचित नहीं समझा। कृपया उस माननीय सदस्य के बोलने में बाधा न डालें जिसने यह कष्ट उठाया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मैं आगे और सूचनाओं की अनुमति नहीं दूंगा। यह नियमानुकूल नहीं है।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी (गढ़वाल)**:** नियमानुसार हमें सूचना पहले देनी चाहिए। हमें आज ही सुबह पता चला कि यह सूचना आई है।

अध्यक्ष महोदय: मैंने नियम स्वयं नहीं बनाए हैं। आप नियमों को पढ़ सकते हैं।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी: मैं यह जानता हूं।

अध्यक्ष महोदय: यहां कुछ लापरवाही चल जती है, और यही कारण है कि आपने अपराह्न 12.43 बजे सूचना दी है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं जानता हूं कि सभी लोग यह चाहते हैं। मैं देखूंगा। कृपया, जब तक मैं यहां हूं, यह मुझ पर छोड़ दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप चुपचाप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: केवल श्री प्रभुनाथ सिंह के वक्तव्य को कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, विभिन्न माध्यमों से ग्रामीण विकास सुधार के कार्यक्रमों की जानकारी मिलती रहती है। पत्राचार करने पर ग्रामीण विकास विभाग से उसके कुछ उत्तर आते रहते हैं। सदन में भी जब कभी ग्रामीण विकास मंत्री के भाषण होते हैं, खासकर एक किताब भी माननीय मंत्री जी के यहां से निकली है - 'ग्रामीण विकास - एक झलक'। थोड़े में ही सही, लेकिन उसमें हर बात का जिक्र बखूबी किया गया है। किस राज्य में, किस योजना में, कितने आबंटन दिए गए हैं, उसका भी जिक्र उसमें किया गया है। हम इन आंकड़ों के जाल में ज्यादा नहीं जाना चाहते।

मंत्री जी ने अभी जो उत्तर पढ़ा, वे अपना विवरण दे रहे थे, तो हमें थोड़ी परेशानी झलक रही थी। परेशानी इसलिए झलक रही थी कि हमने कभी भी सरकार के कार्यक्रमों के उद्देश्यों और माननीय मंत्री जी की नीयत पर कोई सवाल नहीं उठाया। हम मंत्री जी की इच्छा को भी जानते हैं कि वे चाहते हैं कि देश और राज्य में कुछ न कुछ जरूर हो। इनके विचार कभी-कभी अखबारों के माध्यम से भी पढ़ने को मिलते हैं। लेकिन जिस तरह मंत्री जी अखबारों में अपने विचारों और उद्‌गारों को खुलकर व्यक्त करते हैं, यहां कागजी आंकड़े पढ़कर सुना रहे थे। आप ग्रामीण विकास मंत्री की हैसियत से अपने विचार तो देते कि कहां त्रुटियां हैं, कहां कमियां हैं और उन कमियों को ठीक करने के लिए आप कौन-कौन से उपाय निकाल रहे हैं। इस संबंध में आपने कोई चर्चा नहीं की। आप विभिन्न तरह की योजनाएं चलाते हैं। आपका उद्देश्य उन गांवों का विकास करना है जो अभी तक विकास से वंचित हैं। आपका उद्देश्य वहां के मजदूरों को लाभ पहुंचाना है ताकि उनको रोजगार मुहैया हो सके। गरीब अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति, हर वर्ग के लोगों को आप लाभ पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए आप विभिन्न तरह की योजनाएं चला रहे हैं लेकिन वे योजनाएं धरती पर कितने प्रतिशत उतरती हैं? अखबार में आपका बयान पढ़कर हम संतुष्ट हुए थे। आपकी जानकारी के अनुसार वे योजनाएं धरती पर नहीं उतर पा रही हैं लेकिन आपने सरकारी आंकड़ा पढ़कर सुनाया कि वे योजनाएं धरती पर उतर रही हैं, तो इन दोनों में भारी भेद है।

हम लम्बा भाषण न देकर केवल दो-तीन योजनाओं के विषय में जिक्र करना चाहेंगे। आप काफी योजनाएं चलाते हैं जैसे सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंदिरा आवास योजना आदि। आपने अभी कुछ नयी योजनाएं चलाई हैं जैसे सम विकास योजना, कार्य के बदले अनाज योजना तथा अभी आप एक नया रोजगार गारंटी योजना का बिल भी लाने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, इनकी नीयत ठीक है। हमको उस पर कोई शंका नहीं है लेकिन जब निधि का आवंटन हो रहा है तब क्या हो रहा है? हम आंकड़ों में नहीं जाना चाहेंगे कि किस राज्य में इन्होंने कितना दिया। हम हकीकत की तरफ जाना चाहते हैं, व्यावहारिकता की तरफ जाना चाहते हैं। सम विकास योजना में इन्होंने हर राज्य में कुछ जिलों का चयन किया है। जहां तक हमें जानकारी है, 1500 करोड़ रुपये सालाना ये उन जिलों के विकास के लिए देने जा रहे हैं। उसमें विभिन्न तरह की योजनाएं हैं। यह बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। अगर योजना का कार्यान्वयन सही ढंग से हो जाये तो निश्चित तौर पर यह माना जायेगा कि देहाती इलाके, ग्रामीण इलाके खुशहाल हो जायेंगे। इसमें उच्च विद्यालय बनाने, जल निकासी, सिंचाई तथा गरीबों के लिए आवास बनाने आदि भरपूर योजनाएं दी हैं।

अध्यक्ष महोदय, हम इनसे जानना चाहते हैं कि बिहार के किन-किन जिलों में चूंकि बिहार से कमजोरी आपको भी होगी। इसलिए हम आपकी कमजोरी का सवाल जानना चाहते हैं कि बिहार के किन-किन जिलों में अब तक आपने निधि भेजी है और उसकी योजना स्वीकृत होकर काम शुरू हुआ है या नहीं? उदाहरण के तौर पर हम बताना चाहते हैं कि छपरा के कलैक्टर से हमारी टेलीफोन पर बात हुई। हमने उनसे पूछा कि क्या आपके यहां सम विकास योजना की निधि आ चुकी है तो उन्होंने कहा कि 15 करोड़ रुपये आ चुके हैं और 15 करोड़ रुपये तुरंत आने वाले हैं। उसकी चिट्ठी आ गयी है और 30 करोड़ रुपये अभी इस जिले को मिले हैं। हमने फिर उनसे पूछा कि क्या योजना का चयन हो चुका है तो उन्होंने कहा कि योजना के लिए हम मीटिंग कर रहे हैं। हमने कहा कि आप कब तक योजना का चयन कर लेंगे तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी हम उसका चयन कर लेंगे। अब चूंकि ध्यानाकर्षण आज आ चुका था इसलिए हमने कल रात कलैक्टर को टेलीफोन करके जानने का प्रयास किया कि योजना का चयन हुआ या नहीं तो उन्होंने कहा कि अभी तक मीटिंग नहीं हुई है।

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): किसकी मीटिंग होनी है? ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: उस मीटिंग में उन्होंने किसको रखा हुआ है? उसके अध्यक्ष इनके कलैक्टर ही होंगे। इनके जितने आफिसर्स हैं, पदाधिकारी हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी बहुत नॉलेजेबल हैं।

[अनुवाद]

वे सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: इनकी जितनी जमात है, पता नहीं लुटेरा शब्द कहने से अनपार्लियामैंट्री न हो जाये इसलिए हम वह शब्द नहीं कहेंगे....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह बात भी जायेगी। आपने कहा कि हम यह शब्द बोलें या नहीं, तो यह बात भी रिकार्ड में जायेगी।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: इसलिए हम सोच रहे हैं कि लुटेरा शब्द नहीं बोलें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह बात भी रिकार्ड में जायेगी।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: इस तरह की जो जमात है, उन लोगों को वहां पर योजना के चयन में रखा जायेगा। जितने पदाधिकारी हैं, वे इसमें शामिल हैं। शायद जिला परिषद के अध्यक्ष को अलग से शामिल किया है। इसके अलावा वहां स्थानीय किसी प्रतिनिधि, विधायक और सांसद को नहीं लिया। आपके सरकारी आंकड़ों पर...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा: जिसको चेयरमैन बनाया है, उसको भी निगरानी समिति में नहीं लिया।...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: इस तरह से इनकी नीयत चाहे बहुत अच्छी हो लेकिन इनके कार्य करने का तरीका कहीं से भी अच्छा नहीं है। इसलिए हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि मंत्री जी जब उत्तर दें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी आप प्रश्न सुनिये।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि सम विकास योजना में जिन जिलों का आपने चयन किया है, वह निधि आप कितनी और कब तक देंगे तथा कितनी जल्दी आप उन योजनाओं पर कार्य करायेंगे और उन योजनाओं का चयन कर लेंगे।

अपराह्न 1.00 बजे

जो योजनाओं के लिए चयन समिति बनाई है, क्या उसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों को शामिल करेंगे? कृपया करके इसका आप हां और ना में उत्तर दीजिएगा। हम आपसे यह जानना चाहेंगे। हमें प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: माननीय सदस्य जो श्रम विकास योजना पर भाषण कर रहे हैं, हम उन्हें सूचना देना चाहते हैं कि श्रम विकास योजना का काम योजना आयोग से लागू होता है। ग्रामीण विकास से श्रम विकास योजना का नहीं होता। ...*(व्यवधान)* अब अनौपचारिक सवाल इन्होंने उठाया है तो हम सबका जवाब देंगे।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। आपकी सीमा में होगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे।

श्री प्रभुनाथ सिंह: माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की चर्चा की थी। बड़ी अच्छी योजना थी। समतल इलाकों में 500 तक की आबादी और ...*(व्यवधान)* 500 या उससे अधिक आबादी वाला गांव तथा 250 और उससे अधिक की आबादी वाले पर्वतीय क्षेत्र के गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ने का कोई प्रावधान था। 500 हमने ठीक बोला था। योजना की किश्त इन्होंने हर राज्य को दी। बीच के दिनों में चर्चा चलती थी कि फलां राज्य से खर्च का हिसाब नहीं आया है, इसलिए उस राज्य में दुबारा किश्त नहीं भेजी जा रही है। खासकर बिहार की चर्चा हम करना चाहेंगे कि इन्होंने 2003-2004 में 150 करोड़ रुपये की किश्त दी थी। लेकिन इधर 2004-2005 का आंकड़ा शून्य है। जो राशि इन्होंने दी थी, क्या इन्होंने कोई समीक्षा कराई है कि जो कार्य स्वीकृत थे या जिन योजनाओं को स्वीकृत किया गया था, उन योजनाओं का काम पूरा किया गया है या नहीं किया गया है। हम दावे के साथ एक बात कहना चाहते हैं कि किसी एक कमेटी में आपने मुझे चेयरमैन बनाया है। उसमें यह मामला था। हमने पदाधिकारियों को बुलाकर बात की थी। उन्होंने बताया कि कई जिलों में काम आधा भी अभी नहीं हो पाया है और जब बिहार के विषय में चर्चा चली कि बिहार में एजेंसी सही ढंग से काम नहीं कर रही है तो उसमें हम लोग भी शामिल थे, मंत्री जी भी उसमें शामिल थे। जब ये मंत्री बने

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

तो इन्होंने बिहार के कार्य को केन्द्रीय एजेंसी के जिम्मे सौंपा। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण सड़कों को जोड़ना था। उससे हम बिहार के मामले में अलग हो गये। हम लोगों ने लम्बा सड़क-पुल लेना शुरू किया। जो राज्य सरकार के जिम्मे सड़क है, जो राज्य सरकार का पी.डब्ल्यू.डी. विभाग निर्माण करता है, उसको हमने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का रुपया देना शुरू किया और जो केन्द्रीय एजेंसी है, बिहार में केन्द्रीय एजेंसी द्वारा अभी तक काम शुरू भी नहीं किया गया है। इसलिए हम आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं और आपसे कहना चाहते हैं कि आप भाषण तो बहुत लम्बा देते हैं और जब आप यहां इधर बैठते थे तो हाथ बांधकर बोलते थे और नजदीक कोई बैठता था तो आप उसकी आंख खोल देते थे। अब आप अपने पदाधिकारियों की आंख क्यों नहीं खोल रहे हैं? क्या हो गया है आपकी हिम्मत और आपकी ताकत को?...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: मैं सब ठीक कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, आप बाद में बोलिएगा। प्रभुनाथ सिंह जी, अभी आप प्रश्न पूछिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष जी, हम भूमिका बनाकर सवाल पूछेंगे।

अध्यक्ष महोदय: आपकी भूमिका बहुत लम्बी हो गई है। भूमिका छोटी कीजिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, इसलिए हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में जो आपने केन्द्रीय एजेंसी लगाई हुई है या जो पहले से कार्य शुरू हुआ है और जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उस कार्य को आप कब तक पूरा कराएंगे और केन्द्रीय एजेंसी के माध्यम से बिहार में आप कब तक काम शुरू कराने जा रहे हैं? इसका स्पष्ट ब्यौरा देने का कृपया कष्ट करें, यही हमारा आपसे निवेदन है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अब अपनी बात पूरी कीजिए। मैंने आपको 17 मिनट दिए हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: हमें इधर मौका नहीं मिल रहा है।

अध्यक्ष महोदय: प्रभुनाथ सिंह जी को मौका नहीं मिलता है। ठीक है, बोलिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना - इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर रोजगार मुहैया कराना, आर्थिक आधार का सृजन करना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, महिला तथा बाल मजदूरों के अभिभावकों को रोजगार देना है।

अध्यक्ष महोदय, इस योजना में जो पैसा जा रहा है, उसे खर्च करने के बारे में प्रतिशत निर्धारित किये गए हैं कि कितने प्रतिशत पैसा पंचायत समितियों के माध्यम से, मुखिया के माध्यम से और जिला परिषद् के माध्यम से खर्च किया जाएगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने पहले ही उसका उल्लेख कर दिया है। बहुत ही प्रभावपूर्ण ढंग से आपने अपनी बातों का उल्लेख किया है। मैंने उसे नोट किया है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: इसके अलग-अलग प्रतिशत निर्धारित किए गए हैं, लेकिन मैं पूरे देश तो नहीं, बिहार के बारे में यह जानता हूं कि मुखिया के माध्यम से जो पैसा खर्च होता है, अब पता नहीं गांधी जी का पंचायती राज का कैसा सपना था, उसमें 100 प्रतिशत की लूट होती है।

श्री इलियास आजमी (शाहाबाद): 95 प्रतिशत पैसे की लूट होती है।

श्री प्रभुनाथ सिंह: माननीय सदस्य के यहां पांच प्रतिशत पैसे का काम हो जाता होगा, लेकिन हमारे यहां पूरे 100 प्रतिशत पैसे की लूट होती है। यही कारण है कि कोई भी ऐसा साल नहीं होता है जब 10-20 मुखिया लोगों को गोली न मारी जाती हो, इसीलिए लोग गुस्से में आकर उनका राम नाम सत्य भी कर रहे हैं। विभिन्न माध्यमों से जिन गरीबों के लिए पैसा जाता है, वह उनके यहां तक नहीं पहुंचता है। इसलिए लोग उस गरीब को उकसाते हैं जिसके कारण उग्रवाद का जन्म होता है। इसे बिचौलियों से बचाना होगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मंत्री जी आप बात-बात में कहते हैं कि यह राज्य का मामला है, अब तो बिहार का राज्य और केन्द्र - दोनों आपका ही मामला है। आप राज्यपाल के यहां पत्र भेजते हैं तो राज्यपाल कहते हैं कि रघुवंश बाबू यह न समझें कि हम शतरंज खेल रहे हैं। हम

यह जानना चाहते हैं कि आप शतरंज खेल रहे हैं कि राज्यपाल शतरंज खेल रहे हैं? इसमें क्या सच है, इसे स्पष्ट कीजिए?

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, अब आप महाराजगंज की बात कह कर बैठ जाइए।

श्री रघुनाथ झा: महाराजगंज में तो सब साफ हो गया है।

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, इन्दिरा आवास योजना गरीबों की योजना है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, हम सभी लोग यहां गरीबों के लिए ही बैठे हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह: महोदय, इस योजना में अनुसूचित जातियों-जनजातियों और सैनिकों की विधवाओं के लिए आवास बनाने का प्रावधान है। मैं आपसे हकीकत बताना चाहता हूं कि इसके लिए यह प्रावधान है कि पहले गांव में ग्रामसभा की बैठक होगी।

अध्यक्ष महोदय: प्रभुनाथ जी, आपको बोलते हुए 22 मिनट हो गए हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष जी, ऐसा किया जाए कि इस विषय को यहीं पर छोड़ देते हैं। कल फिर इसके आगे शुरू किया जाए।

अध्यक्ष महोदय: आप अपना आखिरी प्रश्न पूछिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष जी, इसे कल फिर यहीं से शुरू किया जाए।

अध्यक्ष महोदय: आपने बहुत अच्छे प्रश्न उठाए हैं। आपने एक पूरा भाषण दे दिया है। हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। आप अपना आखिरी प्रश्न पूछिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष जी, हम इन्दिरा आवास योजना की चर्चा कर रहे थे, उसमें पहले ग्रामसभा की बैठक होती है, उसके बाद सूची प्रखण्ड में प्रखण्ड विकास अधिकारी के पास भेजी जाती है। प्रखण्ड विकास अधिकारी के यहां से उसका चयन किया जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि कहीं भी ग्राम सभा की बैठक नहीं होती है और बी.डी.ओ. और मुखिया आपस में सहमत होकर काम करते हैं। इसके लिए मुखिया जाली दस्तखत बनाकर बी.डी.ओ. को दे देता है। यहां बी.डी.ओ. और मुखिया मिले रहते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जैसा कि आप जानते हैं, आप केवल स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: महोदय, जहां बी.डी.ओ. और मुखिया पर तनाव होता है, वहां पर भी आमसभा की बैठक नहीं होती है। वहां पर योजना की राशि पेंडिंग रह जाती है।

महोदय, इसमें लोग छः हजार रुपए का कमीशन खाते हैं। यह भारत सरकार का रुपया है। आप गांव के गरीब लोगों के लिए भेज रहे हैं। इसलिए अगर आप मेरा बोलने का समय काटेंगे तो टी.वी. पर जो गरीब आदमी कार्यवाही देख रहे होंगे, वे कहेंगे कि उनकी बात को यहां उठाने का मौका नहीं दिया जा रहा है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मुझे बोल लेने दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या बोलने दीजिए, आप पिछले 25 मिनट से बोल रहे हैं। मुझे सलाह देने की जरूरत नहीं है। आप बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: महोदय, मैं गरीबों की बात कह रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन योजनाओं में गड़बड़ी हो रही है, आपने इसके लिए प्राक्कलन बनाए हुए हैं, लेकिन प्राक्कलन के अनुरूप काम नहीं हो रहा है। इसको सही और सुचारू रूप से चलाने के लिए आप कौन से कदम उठाने जा रहे हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हमें सर्वदा सभी नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: महोदय, मैं केवल दो बातें कह कर समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, लेकिन दो छोटी-छोटी बातें कहिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह: महोदय, मैं स्वरोजगार योजना के बारे में चर्चा करना चाहता हूं और दूसरी बात मैं निगरानी समिति के बारे में कहना चाहता हूं, बाकी कागजों को मैं बंद कर रहा हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सहयोग के लिए आपका धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: हम आपकी हर बात मानते हैं।

अध्यक्ष महोदय: हम उसके लिए आपके आभारी हैं। अब आप समाप्त कीजिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह: मैं सिर्फ दो बिंदुओं पर चर्चा करके अपनी बात समाप्त करूंगा। इसीलिए मैंने अपने सारे कागज समेट लिए हैं। स्वरोजगार योजना के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि गांव में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने की बात, गरीब, मजदूर और किसान को रोजगार देने की बात इन्होंने कही है। लेकिन हकीकत में यह होता है कि ये लोग ब्लाक, बैंक और उद्योग कार्यालय के चक्कर लगाते रहते हैं और आखिर में जाकर सिर्फ 40 प्रतिशत पैसा ही मिल पाता है, बाकी का 60 प्रतिशत कमीशन में चला जाता है। वह 40 प्रतिशत भी जब उसे इतनी मेहनत करके मिलता है, तो उसके पास जो पूंजी होती है, वह समाप्त हो जाती है और वह कोई रोजगार नहीं कर पाता है। इसके बाद उस ऋण के सूद का बोझ उसके ऊपर डाल दिया जाता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: भविष्य में मुझे यह सोचना है कि मैं ध्यानाकर्षण की अनुमति दूं या नहीं। इसमें आधे घंटे से अधिक समय नहीं लगना चाहिए लेकिन इस पर 40 मिनट से अधिक समय लग गया है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं अंतिम निगरानी वाले बिंदु पर अपनी बात कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: यह वास्तव में अंतिम बिंदु होना चाहिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह: बैंकों में किस तरह से गड़बड़ी की जाती है और उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है, इसमें जो अनियमितता है, वह आप कैसे ठीक करेंगे? आपने सांसदों की निगरानी समिति और सतर्कता समिति बनाई है। आप कहते हैं कि उसकी बैठक तीन महीने में एक बार होनी चाहिए और इस बारे में आपने पत्र भी लिखा है। लेकिन आपके ही राज्य बिहार में इस तरह की कोई बैठक नहीं हुई है। बहुत से राज्य हैं, जहां इस तरह की कोई बैठक नहीं होती। जिन राज्यों में इन समितियों की बैठकें नहीं होती हैं, वहां नियमित बैठक कराने के लिए आप कौन सा समय निर्धारित करेंगे और कौन सी गाइडलाइंस बनाएंगे, यह हमें बताएं? अध्यक्ष महोदय, आपका आदेश मानते हुए मैं इसके साथ ही अपनी बात समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आदेश 15 मिनट बाद माना है।

[अनुवाद]

माननीय सदस्यगण मैं भी अनुमति देना चाहता हूं। ध्यानाकर्षण में आधा घंटा लगने की उम्मीद की जाती है। मैंने आज दो ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की अनुमति दी है। यह एक ऐसा विषय है जिस पर नियम 193 के अधीन चर्चा के लिए सूचना दी जा सकती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। मैं इसके महत्व को कम नहीं कर रहा हूं। यहि हम ध्यानाकर्षण के लिए इतना अधिक समय लेते हैं तो यह कठिन हो जाएगा।

माननीय सदस्य, आप जानते हैं कि नियमानुसार चर्चा में भाग लेने के लिए सूचना देने वाले सदस्यों में से, अधिकतम पांच सदस्य को ही अनुमति दी जा सकती है। लेकिन मेरा कहना है कि वर्षों से परम्परा या दवाब के जरिए किसी न किसी रूप में हमने नियमों में ढील दी है। इसके लिए मैं किसी माननीय पीठासीन अधिकारी या सदस्य को दोष नहीं दे रहा हूं। कुछ सदस्यों ने अपना नाम भेजा है। मुझे तेरह नाम मिले हैं। यदि मैं सबको अनुमति दूं तो यह नियम 193 के अधीन होने वाली चर्चा से भी बड़ी चर्चा हो जाएगी। अतः, मैं और चार सदस्यों को अनुमति दूंगा। उनसे अनुरोध है कि वे केवल एक ही प्रश्न पूछें। अन्यथा मैं अनुमति नहीं दूंगा।

अब, श्री शैलेन्द्र कुमार बोलेंगे, कोई भूमिका नहीं। उनके मानदण्डों का अनुसरण न करें।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

अध्यक्ष महोदय: आभार प्रकट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे प्रश्न पूछें।

श्री शैलेन्द्र कुमार: ग्रामीण विकास मंत्रालय एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है और इसके ऊपर हम अभी चर्चा कर रहे हैं। मैं प्रभुनाथ जी की बातों से अपने को सम्बद्ध करते हुए मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की जितनी भी योजनाएं हैं, क्या उनमें पक्ष और विपक्ष के जो माननीय सदस्य हैं, उनकी विशेष भागीदारी और देखरेख में

आप काम कराएंगे या नहीं, क्योंकि अगर संसद सदस्यों का सीधे इन्वाल्वमेंट होगा, तभी काम सही रूप से हो पाएगा?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। मुझे माननीय मंत्री महोदय से मार्च, 2005 में ही प्रत्येक जिले में जिला और सतर्कता निगरानी समिति गठित किए जाने के संबंध में एक पत्र प्राप्त हुआ था। मैं एक संसद सदस्य हूं। मुझे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह अवसर इस प्रकार की सूचना प्राप्त करने के लिए नहीं है। आप कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन: वे अपने पूरे भाषण में इसका उल्लेख कर रहे थे। कोई व्यवधान नहीं हुआ। मैं विगत कई दिनों से बगैर किसी कार्य से चुप रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: इसका यह अर्थ नहीं है कि आप बोलते ही रहें। मैंने आपको एक प्रश्न पूछने की अनुमति दी है? कृपया अपना प्रश्न पूछें।

श्री वरकला राधाकृष्णन: जब आपने मुझे अवसर दिया है तो मैं अपना प्रश्न अवश्य पूछूंगा।

अध्यक्ष महोदय: यह अच्छी बात है। आप अपना प्रश्न पूछें।

श्री वरकला राधाकृष्णन: ठीक है।

दिनांक 3 जून, 2005 के 'द हिन्दु' समाचार पत्र में यह प्रकाशित हुआ था कि उन्होंने काम के बदले अनाज कार्यक्रम के संबंध में कतिपय प्रश्न किए हैं। काम के बदले अनाज कार्यक्रम को जिस प्रकार तैयार और विभाजित किया जा रहा है उसमें कई विसंगतियां हैं।

अध्यक्ष महोदय: क्या यह आपके मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह शोषण का दूसरा तरीका है। अब मेरा प्रश्न यह है कि सभी ग्रामीण योजनाओं विशेषकर प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्यान्वयन में अत्यधिक विलंब हो रहा है। अब तक केवल विलंब ही हो रहा है। अत: मंत्रालय द्वारा तैयार की गई ऐसी सभी ग्रामीण योजनाओं को उचित दिशानिदेश के साथ उचित रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय इन सभी योजनाओं की संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निश्चितरूप से कार्यान्वित कराए जाने हेतु उन्हें दिशानिदेश जारी करने के लिए कदम उठाएगा। साथ ही साथ केंद्र सरकार 'द हिन्दु' में प्रकाशित लेख में दिए गए विवरण के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करें। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इसकी विस्तृत जांच करके विलंब कम करने के संबंध में कार्यवाही करें। साथ ही साथ केंद्र सरकार राज्य सरकार को इसके द्वारा यथा निदेशित सतर्कता आयोग गठित करने का निदेश दें। मैं सरकार से केरल सरकार को सूचित करने का अनुरोध करता हूं।

अभी तक उन्होंने कोई समिति गठित नहीं की है। अत: मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपके द्वारा पूर्व पत्र में यथा उल्लिखित निदेश के अनुसार केरल सरकार को समिति गठित करने का निदेश दिया जाए। मैं माननीय मंत्री जी से इस संबंध में तत्काल कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी (गढ़वाल): अध्यक्ष जी, मेरा सवाल प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के बारे में ही है। मैंने 22 फरवरी को इसके ऊपर एक कालिंग-अटेंशन मांगा था लेकिन माननीय मंत्री जी ने स्वीकार नहीं किया और फिर 17 मार्च को दुबारा बार-बार कहने पर भी आपने वह स्वीकार नहीं किया। आपका जो उत्तर है उसमें आपने कहा है कि प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना स्टेट सब्जैक्ट है, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। दूसरी बात आपने जो कही है कि प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना क्योंकि प्रदेश से कार्यान्वित होती है इसलिए कार्यान्वयन में भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग दोनों में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। माननीय मंत्री जी, आपका यह दृष्टिकोण ठीक नहीं है। इसलिए जितनी शिकायतें आ रही हैं उसका कारण यह है कि आपका मंत्रालय कहता है कि यह हमारा काम नहीं है जबकि यह 100 प्रतिशत केन्द्र से फंडित योजना है। आपने कमेटी भी बनाई है जिसमें इसकी निगरानी होती है। आज बहुत सारी बातें कही गयी हैं और यह भी कहा गया है कि फंड इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हमारे उत्तरांचल में पिछले तीन साल से कोई पैसा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आपने वर्ष 2002-2003 का पैसा अभी दिया है। मेरा पहला प्रश्न यह है कि आप क्या करने वाले हैं जिससे कि फंड का इस्तेमाल सही हो। दूसरा सवाल यह है कि जहां धीरे प्रोग्रेस हो रही है उसमें आप केन्द्र से क्या मॉनिटिरिंग करने की व्यवस्था कर रहे हैं। तीसरा मेरा प्रश्न यह है कि

[भुवन चन्द्र खंडूडी]

जनसंख्या का आपने जो मानक बनाया है 500 और 250 का वह सिर्फ आखिरी गांव का है, बीच में बहुत से गांव उसमें जुड़ते हैं। पिछली सरकार के समय में तय हुआ था कि आधा किलोमीटर दायें-बाएं जो गांव आते हैं उनको भी उसमें जोड़ा जाए। क्या इसके ऊपर आप अपना निर्णय लेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद। इसी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता है। धन्यवाद।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। कृपया खड़े मत हों। आपने कभी भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव देने की आवश्यकता नहीं समझी। आप केवल किसी अन्य सदस्य के नोटिस का लाभ उठाना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: सर, क्या सभी लोगों ने नोटिस दिया है जो बोले हैं।

अध्यक्ष महोदय: पूछना बहुत आसान है, नोटिस भी देना चाहिए। मीटिंग में सब लीडर्स लोग राजी हुए थे तब उनको समय दिया। यह सही बात नहीं है।

[अनुवाद]

कृपया अध्यक्षपीठ के साथ बहस न करें। यह उचित नहीं है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पूरे देश में 150 पिछड़े जिलों का चयन किया गया है, उनके चयन का क्राइटेरिया क्या है और बिहार के कितने जिलों को फूड फार वर्क योजना में शामिल किया गया है? जो पिछड़े जिले फूड फार वर्क योजना में शामिल किए गए हैं, उनसे कितने श्रम दिवस पैदा किये गए। मेरी जानकारी यह है कि वहां ट्रैक्टरों से काम किया गया है। श्रम में श्रमिकों को न लगाकर ट्रैक्टर से काम हुआ है, ऐसी सूचना है और यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्म है। भारत सरकार की जो गाइडलाइंस हैं, उनका खुल्लमखुल्ला उल्लंघन हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, पार्ट "बी" मै यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि केंद्रीय एजेंसी के बिहार में नहीं जाने से वहां के सड़क निर्माण का कार्य नहीं हो पा रहा है। क्या यह सच्चाई है? यह मैं जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री।

[हिन्दी]

जवाब दीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री राजाराम पाल, मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। कृपया दवाब नहीं डालें। मैं आपको व्यवधान डालने की अनुमति नहीं दूंगा। नियमों का पालन होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव): पार्टी के हिसाब से टाईम मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: पार्टी की कोई बात नहीं है, उनको बहुत बार मौका दिया गया है। छोड़िए, उनकी वकालत आपको नहीं करनी चाहिए।

[अनुवाद]

वे एक अत्यंत अच्छे सदस्य हैं।

[हिन्दी]

अभी तो जवाब सुनना चाहिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास की योजनाओं के संबंध में माननीय सदस्यों ने और श्री प्रभुनाथ सिंह जी ने अपने गलत-सलत भाषण के साथ जो प्रश्न उठाए हैं, सरकार उन सभी माननीय सदस्यों की चिंताओं के साथ है। गांवों में जो समस्याएं ग्रामीण विकास और ग्रामीण समृद्धि की हैं, उसमें राज्य सरकारों का सहयोग, पंचायती राज के चुने हुए प्रतिनिधियों का सहयोग, सभी माननीय सदस्यों का सहयोग, जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनके सहयोग के बिना ये योजनाएं सफल नहीं हो सकती।

श्री इलियास आजमी: माननीय मंत्री जी, सहयोग नहीं हो रहा है, बंटवारा हो रहा है, योजनाओं का पैसा बंट रहा है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: हम आप सभी से सहयोग की अपेक्षा करते हैं और सहयोग की मांग करते हैं। हमारे देश में जितने चुने हुए प्रतिनिधि हैं, माननीय सदस्य हैं, राज्य सरकारें

हैं, विधानसभा के प्रतिनिधि हैं, पंचायती राज के 29 लाख बीस हजार चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इन सभी से हम सहयोग की अपेक्षा करते हैं जिससे इन योजनाओं के कार्यान्वयन और गरीब आदमी तक उसका लाभ सही ढंग से पहुंच सके, इसके लिए हम सभी से सहयोग की अपेक्षा करते हैं।

श्री रघुनाथ झा: उनसे कोई पूछता भी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: इसका भी हम उपाय या निदान कर रहे हैं। सभी पूछेंगे, बिना पूछे कुछ नहीं होगा।

[अनुवाद]

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरुम्बदूर): राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री पाठक, आप कृपया बैठ जाइए। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाकर अपना अधिकार व्यक्त कीजिए। आप इस मामले को जिलाधिकारी के साथ उठाएं। इसे कोई और नहीं करता है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदय: पाठक जी, मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि आप अध्यक्षपीठ की बात नहीं मान रहे हैं। आप अध्यक्षपीठ के निर्देश का उल्लंघन कर रहे हैं। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आत्मा की बात बोलने के लिए कोई होगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अगर आप चाहें यहां कुश्तीगिरी करिए और हाउस को अखाड़ा बना दीजिए।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठेंगे या नहीं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैं इस विषय में पूरी बहस कराने के लिए तैयार हूं लेकिन कोई नोटिस देने का कष्ट नहीं करता है।

...(व्यवधान)

श्री ब्रजेश पाठक: हमने नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह बात सही नहीं है। एक माननीय सदस्य ने कोशिश की और बहुत दफा लिखा, लीडर्स मीटिंग में भी उठाया। मैं रूल्स के मुताबिक काम करूंगा।

...(व्यवधान)

श्री ब्रजेश पाठक: हमने इस विषय में आपसे बहस कराने के लिए कहा था।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अच्छी बात है। मैं सभा को स्थगित कर दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यदि आप उत्तर नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं सभा की कार्यवाही स्थगित कर दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यदि आप नहीं बैठेंगे मैं कार्यवाही स्थगित कर दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बोलते रहिए।

[अनुवाद]

आप उन पर ध्यान न दें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने बड़ा सवाल उठाया है। मैं सब का जवाब एकाएक देना चाहता हूं लेकिन सदस्यों के सहयोग के बिना यह काम नहीं होगा। दो कारणों से मीटिंग्स नहीं बुलायी जाती है। हमने मीटिंग की सूचना दी। 130 जिलों में बैठकें बुलायी गईं। एक जिले में चार-चार बैठकें बुलायी गईं, यह भी रिपोर्ट है...*(व्यवधान)*

श्री ब्रजेश पाठक: उत्तर प्रदेश के बारे में बताइए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री पाठक, आप क्या कर रहें। कृपया सभा की कार्यवाही में व्यवधान न डालें। आप सभा में व्यवधान डाल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: मैं आपकी पीड़ा और कठिनाई बता रहा हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप मंत्री महोदय को अपनी बात संबोधित नहीं कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: मैं उत्तर प्रदेश का ही नहीं, आपके जिले और गांव का बताऊंगा।...*(व्यवधान)*

श्री ब्रजेश पाठक: यदि आप मीटिंग के बारे में बता देंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा।...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: आप कृपया मेरी बात सुनिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुयाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री पाठक, मैं आपका नाम लूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: क्या बात है?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप असभ्य बर्ताव कर रहे हैं। आपको अपनी बात मंत्री महोदय से कहने का कोई अधिकार नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक: आप हमारे गार्जियन हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप चुपचाप बैठिए। आप गार्जियन की बात भी नहीं सुनते हैं। आप गार्जियन की बात करते हो लेकिन क्या गार्जियन की बात सुनते हो?

श्री ब्रजेश पाठक: आप उचित बात करेंगे तो सुनेंगे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जो पसन्द होगा, वह सुनेंगे। आप बैठ जाइए। अब एक बात भी न करें।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं सभा की कार्यवाही स्थगित करके चला जाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक: हमें दिक्कत नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आपने प्रश्न नहीं पूछा है? आपको उसके लिए दिक्कत नहीं है। जिन मैंबर्स ने क्वैश्चन्स पूछे हैं, उन्हें उनका जवाब चाहिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री आजमी मैं आपको भविष्य में अवसर नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अत्यधिक गैर जिम्मेवार व्यवहार कर रहे हैं। मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। यह भारत की संसद है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: अब जो कोई बोलेगा, मैं उसे नोटिस दे दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप चुप रहिए।

...(व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा: अध्यक्ष महोदय, हम बैठ रहे हैं लेकिन आप कोई नियम कायदा चलाइए और दूसरों को भी कहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या नियम हैं?

...(व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा: आपने किस पार्टी और व्यक्ति को बोलने का चांस दिया?*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। सभा अपराह्न 2.30 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.28 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.32 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.32 बजे पुन: समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

(एक) ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता-*जारी*

उपाध्यक्ष महोदय: ग्रामीण विकास मंत्री अपनी बात जारी रखेंगे।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, श्री प्रभुनाथ सिंह जी ने जो ध्यानाकर्षण किया और उन्होंने जो सवाल उठाए, उनके साथ श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, श्री पी. राधाकृष्णन, श्री खंडूरी और श्री रघुनाथ झा जी भी सवाल करना चाहते थे। विभिन्न माननीय सदस्य भी सवाल उठाना चाहते थे, मैं सभी प्रश्नों के हिसाब से उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट करना चाहता हूं। उसके बाद भी कुछ पूछेंगे तो मैं तुरंत संतुष्ट करूंगा। जिन्होंने नहीं भी प्रश्न पूछा है, एक-एक मिनट में भी पूछेंगे तो मैं तुरंत उत्तर दूंगा। मैं संतुष्ट कराना चाहता हूं*...(व्यवधान)* भ्रष्टाचार से बचाने के लिए आपके सहयोग की जरूरत है। अगर आप भी इसमें शामिल हो जाएंगे तो भगवान मालिक है, इसलिए कृपा करके सुन लीजिए *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, कृपया अध्यक्षपीठ से अपनी बात कहें किसी व्यक्ति विशेष से नहीं।

[हिन्दी]

अगर आप ही इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो और कोन चेयर का खयाल रखेगा?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, ठीक है। ग्रामीण विकास की योजनाओं के महत्व को देखते हुए और माननीय सदस्यों की मर्यादा को देखते हुए हर एक राज्य के माननीय सदस्यों के साथ एक दौर बैठक का कर चुके हैं। हमने उसे दोहराना भी शुरू किया है जिसमें नार्थ-ईस्ट के माननीय सदस्यों के साथ बैठक हो चुकी हैं, दोबारा माननीय सदस्यों के साथ बैठक करेंगे जिसमें सदस्यों की भावनाएं और राय, जो ग्रामीण विकास योजनाओं के बारे में हैं, पर विचार करेंगे। ऐसे गावों में जहां करोड़ों गरीबों की बेरोजगारी और गरीबी की समस्या है, यह देश के सामने कलंक है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बोल रहा है कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक गांव से गरीबी और बेरोजगारी दूर नहीं होगी। देश का विकास हुआ, यह नहीं कहा जा सकता। गांधी जी भी कहा करते थे कि जब तक गांवों का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा। इसीलिए एक दौर मैं कर चुका हूं और दूसरा शुरू करने जा रहा हूं। हमने डिस्ट्रिक्ट विजिलेन्स एंड मॉनिटरिंग कमेटी बनाई, उनमें माननीय सदस्यों को पूर्ण अधिकार दिये गये। उनमें अध्यक्ष, सह-अध्यक्ष, चेयरमैन और को-चेयरमैन बनाये गये और व्यवस्था की गई कि उन्हें पूर्ण अधिकार होगा कि साल में कम से कम चार बैठकें और तीन महीने में कम से कम एक बैठक जरूर होनी चाहिए, यदि ज्यादा भी हों तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन चार बैठकें साल में और तीन महीने में एक बैठक अवश्य हो। लेकिन इसमें*...(व्यवधान)* बीच में न पूछें, बाद में पूछ लें। आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद अलग-अलग*...(व्यवधान)* उपाध्यक्ष

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिस क्लास से वह पास होकर आये हैं, उसी क्लास से मैं भी आया हूं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि सारी समस्याओं के समाधान के बाद यदि कोई असंतुष्ट रहेगा तो मेरे भाषण के बाद माननीय सदस्य चाहें तो अपने सवाल उठा सकते हैं, उन सबके मैं जवाब दूंगा। लेकिन बीच में डिस्टर्ब करने से विषयांतर की गुंजाइश रहती है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट विजिलेन्स एंड मानिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट हम मानिटर करते हैं। हमें सूचनाएं हैं कि कई जिलों में बैठकें नहीं हुई हैं। उसमें हमें अभी तक दो कारणों का पता चला है। उनमें जो माननीय सदस्य अध्यक्ष हैं, उनकी भी कमियां हैं। उन्होंने कुछ कलक्टरों के साथ बैठकें नहीं बुलाई। कई जगहों पर कलक्टरों ने भी ढिलाई की है और सदस्यों के कहने के बाद भी बैठक बुलाने का कार्य नहीं किया, हमें यह भी जानकारी मिली है। जब हमें जानकारी मिलती है तो हम राज्य सरकारों का ध्यान उस पर दिलाते हैं। हमारी जितनी भी कमेटी हैं, उनमें माननीय सदस्यों का सहयोग, राज्य सरकारों का सहयोग, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग और पंचायत राज वगैरह का सहयोग चाहिए। इन सबके सहयोग के बिना कोई काम नहीं होगा। इसीलिए तमाम राज्यों के माननीय मुख्य मंत्रियों को हमने लिखा है। डिस्ट्रिक्ट विजिलैन्स एंड मॉनिटरिंग कमेटी और विभिन्न माननीय मुख्य मंत्रीगणों से हमने लिखा-पढ़ी की। उन्होंने हमें रिस्पांस भी दिया है कि हम आपको कोऑपरेट करेंगे और अपने अधिकारियों को हम निर्देश देते हैं कि जो उसकी गाइडलाइंस हैं, उनके मुताबिक यह कार्यक्रम हो। हमें सब जगह से सहयोग मिल रहा है, फिर भी कुछ कठिनाइयां हैं। कमेटी के जो माननीय अध्यक्ष और माननीय सदस्य हैं, उन्हें मौका नहीं मिलता है, उनकी ढिलाई से बैठक नहीं होती है। हम उनका भी इंतजाम कर रहे हैं। मैं तुरंत सर्कुलर देने वाला हूं कि यदि अध्यक्ष को मौका नहीं मिले तो सह-अध्यक्ष भी बैठक बुला सकते हैं। कलक्टर्स को हम यह निर्देश देने जा रहे हैं कि यदि तीन महीने में बैठक नहीं होगी तो फिर वे जिम्मेदार होंगे। इसके बाद आगे के 15 दिन के अंदर जिले के को-चेयरमैन से राय करके, समय लेकर अनिवार्य रूप से बैठक हो। इसका प्रबंध मैं तुरंत करने जा रहा हूं। जहां कलक्टर की हेराफेरी है, ढिलाई है, ब्यूरोक्रेसी सहयोग नहीं कर रही है, उसके लिए राज्य सरकार कार्रवाई करे, अन्यथा आसन सक्षम है, यह विशेषाधिकार हनन का मामला भी बनता है। जब माननीय सदस्यों को हमने डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस एवं मॉनिटरिंग कमेटी की अध्यक्षता करने का अधिकार दिया है तो उनके निर्देश की अवहेलना सदन की कार्यवाही में बाधा डालने की डेलिबरेट इन्टैन्शन यदि पाई जाए और यह स्पष्ट हो कि कोई कलक्टर जानबूझकर माननीय सदस्यों की अवहेलना कर रहा है तो आसन के हाथ में है, विशेषाधिकार हनन का मामला उस अधिकारी के खिलाफ बन सकता है, लिखा-पढ़ी हो सकती है और उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसलिए दो कारणों से बैठकें नहीं होती हैं। इन दोनों कारणों का समाधान निकालने का रास्ता मैं ढूंढ रहा था, आज इनका समाधान हो गया। इसलिए श्री प्रभुनाथ सिंह को हमने धन्यवाद दिया कि उन्होंने यह सवाल उठाया और आसन को भी हमने धन्यवाद दिया है कि आसन ने बड़ी कृपा की है जो देश के इतने महत्वपूर्ण सवाल पर कॉलिंग अटैन्शन की स्वीकृति देने की कृपा की है। इसलिए हम बड़े आभारी हैं और देश के करोड़ों लोग आभारी होंगे जो करोड़ों गरीबों का सवाल और गांवों का सवाल है, उस पर सर्वोच्च सदन में ध्यानाकर्षण के माध्यम से सवाल जवाब हुए। मैं अपने को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि सदन को और देश को बताया जाए कि गांवों के विकास की दिशा क्या होगी, गरीबी और बेरोजगारी की समाप्ति कैसे होगी और देश के माथे से यह कलंक कैसे हटेगा। इसलिए डिस्ट्रिक्ट विजिलैंस मॉनीटरिंग कमेटी को इफैक्टिव बनाने के लिए उसका उपाय किया गया है।

फिर ट्रांसपेरेन्सी और पीपल्स पार्टिसिपेशन की बात है। विभिन्न माननीय सदस्यों ने एस.जे.आर.वाई. और फूड फॉर वर्क कार्यक्रम के संबंध में सवाल उठाए हैं। देवेन्द्र प्रसाद यादव जी ने सवाल उठाया कि जिलों का चयन कैसे हुआ। उसका क्राइटीरिया है। तीन पैरामीटर्स तय हुए। सैलेक्शन हुआ और प्लानिंग कमीशन ने तय किया कि जिस जिले में अनुसूचित जाति और जनजाति की आबादी अधिक होगी, वहां पर वेज क्या मिल रही है, प्रोडक्टिविटी क्या है। राष्ट्रीय श्रम विकास योजना का जो मापदंड था, दोनों को मिला-जुलाकर देश के 150 पिछड़े जिलों का चयन किया गया जिसमें फूड फॉर वर्क कार्यक्रम लागू किया गया। यह वेज इंप्लायमैंट है और एस.जे.आर.वाई. भी वेज इंप्लायमैंट है जिसमें एस.जे.आर.वाई. की हरेक जिले में निर्धारित राशि है, गरीबी के आधार पर योजना आयोग से परामर्श करके सबको अप्रैल महीने में पैसा भेजते हैं और 15 दिनों के अंदर वहां जिले में जब पैसा जाएगा तो 15 दिनों के अंदर उस पैसे का 20 प्रतिशत जिला पंचायत, 30 प्रतिशत पैसा ब्लाक पंचायत और 50 प्रतिशत पैसा ग्राम पंचायत में जाता है। माननीय सदस्य ने सवाल उठाया कि उसमें हेराफेरी होती है। उसमें हमने ट्रांसपेरेन्सी और पीपल्स पार्टिसिपेशन का प्रावधान किया है। एक योजना पर वहां के लाभार्थियों की पांच से नौ व्यक्तियों की निगरानी समिति बनेगी, जो परामर्शी हैं, लाभार्थी हैं, वहां का बसने

वाले हैं लोग हैं। उसमें हमने कहा है कि गांवों में जो रिटायर्ड पर्सनल हैं, सेना के जवान हैं, मास्टर, क्लर्क, अफसर आदि हैं, उनको भी रखेंगे। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कम से कम एक सदस्य को रखना है, महिला को रखना है। उस स्थानीय निगरानी समिति में पांच से नौ व्यक्तिय होंगे। हमने कहा है कि ब्लाक स्तर पर उन समितियों के सदस्यों को बुलाकर ट्रेनिंग दिलवाने का काम, जानकारी दिलवाने का काम और ट्रांसपेरेन्सी दिलवाने का काम हो कि यह योजना क्या है, इसमें क्या खर्च होगा, क्या मजदूरी मिलेगी, क्या काम होगा। यह समिति चूंकि छः लाख गांवों में अभी 18 लाख योजनाएं चल रही हैं। कुछ योजनाओं का काम पूरा हुआ है, कुछ का काम बाकी है। इसलिए सभी योजनाओं पर स्थानीय निगरानी समिति का गठन करने के लिए सभी राज्य सरकारों को कहा है। सभी प्रादेशिक अखबारों में सभी प्रादेशिक भाषाओं में हमने कहा है और प्रकाशन भी शुरू हो गया है, विज्ञापन देने का काम भी शुरू हो गया है। आम आदमी, जो उत्कृष्ट समाज सेवी हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पढ़े-लिखे इंटैलैक्चुअल लोग हैं, पत्रकार हैं, सभी लोग उन चीजों को जानें और देखें, चूंकि छः लाख गांवों में देश भर में काम हो रहा है। यह गरीब का विषय है इसलिए इसमें ट्रांसपेरेन्सी और जनता की भागीदारी की जरूरत है।...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): यह जो आपने कहा है कि हर गांव में निगरानी समिति बनाएंगे, क्या इसके लिए एक चिट्ठी हम सबको देंगे? हम बनाने में आपकी मदद करेंगे। ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: आपको भी हम चिट्ठी दे देंगे। सभी माननीय सदस्यों को उस संबंध में अलग से लिखित जानकारी तुरन्त एक सप्ताह के अंदर हम देंगे कि माननीय सदस्यों के सहयोग के बिना निगरानी समितियां नहीं बनेंगी और वे देखें कि कार्यवाही ठीक हो रही है या नहीं। यह सब जिलेवार जानकारी हम आपको देंगे कि कितना पैसा हमने दिया और उसमें क्या काम हुआ। कुछ राज्यों के माननीय सदस्यों को याद होगा कि हमने लिखा पढ़ी की है, पहले भी लिखा है कि उनके राज्यों की क्या स्थिति है। हम मुख्य मंत्रियों और माननीय सदस्यों को, जब राज्यों का पैसा कटने लगता है, जिलों का पैसा कटने लगता है तो मुख्य मंत्री को लिखने के साथ-साथ हम माननीय सदस्यों को भी सूचना देते हैं कि आपके जिले का पैसा कट रहा है, उसमें मुस्तैदी बरती जाए।

महोदय, चूंकि सबके सहयोग के बिना यह काम बहुत अच्छे ढंग से नहीं हो सकता है इसलिए हम सबके सहयोग की अपेक्षा करते हैं और सबका सहयोग हमें मिल भी रहा है। हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए स्टेट विजिलेंस स्ट्रिक्ट विजिलेंस कमिटमेंट है। स्ट्रिक्ट विजिलेंस के लिए हमें जनता की भागीदारी, पारदर्शिता और माननीय सदस्यों का पूरा सहयोग मिले, उसके लिए उपाय किया गया है। माननीय सदस्य श्री प्रभुनाथ जी ने एस.जी.एस.वाई. के बारे में कहा है कि बैंकों में हेराफेरी होती है। स्वयं सेवा सहायता समूह आंदोलन का रूप लेगा। यह स्वरोजगार योजना है। चूंकि बेरोजगारी दूर करने के लिए एक वेज एम्प्लायमेंट कार्यक्रम, जिसमें एस.जी.आर.वाई. फूड फार वर्क कार्यक्रम है। दूसरा हमारा स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लायमेंट प्रोग्राम है, केवल सेल्फ एम्प्लायमेंट प्रोग्राम नहीं, प्रोडक्टिव सेल्फ एम्प्लायमेंट प्रोग्राम। उत्पादक, स्वरोजगार योजनाओं को शुरू किया गया है जिसमें अभी तक 22 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप का निर्माण हुआ है। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में 10 महिलाएं अनुसूचित जाति और गरीबी की रेखा से नीचे के लोग ज्यादा रहेंगे। 30 परसेंट ए.पी.एल. के लोग भी रह सकते हैं। इसमें इंडिविजुअल स्वरोजगार भी होते हैं। माननीय सदस्य ने कहा है कि बैंकों में हेराफेरी होती है। हमें भी शिकायत मिली है। सेल्फ हेल्फ ग्रुप से घूस लेन-देन की हिम्मत बैंक वाले नहीं कर सकते हैं। इंडीविजुअल स्वरोजगार में जहां कहीं भी हमें शिकायत मिली है हमने तुरंत कार्यवाही की है। बैंकों से हमारी तीन-चार शिकायतें हैं। पहली शिकायत हमने घूसखोरी के बारे में उठाया है। दूसरे नम्बर पर शिकायत है कि करीब 1200 बैंकों की शाखाएं जीरो लेंडिंग पर हैं तथा गरीब आदमी का खाता नहीं खोलते। गरीब आदमी को कर्जा नहीं देते हैं। हमने वित्त मंत्री जी को इस बारे में लिखा है और 1200 बैंकों की शाखाओं का नाम दिया है कि ये बैंक हमसे असहयोग कर रहे हैं। फिर हमने कहा कि गरीब लोगों से 12 से 14 परसेंट इंटरेस्ट लिया जा रहा है। यह जुल्म है। महल बनाने वाले को और कार खरीदने वाले को 8-9 परसेंट पर बैंक पैसा मुहैया करवाए जो गरीबी की रेखा से नीचे के लोग हैं, स्वरोजगार करना चाहते हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट चल रहा है, उसमें वे भागीदार हैं उनसे 10-12 परसेंट इंटरेस्ट लिया जा रहा है, यह अंधेर है। वित्त मंत्री जी ने इसे गंभीरता से लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक से बातचीत करके कहा है कि 9 परसेंट से ज्यादा ब्याज नहीं होना चाहिए। यह बैंकों की आटोनोमी है, लेकिन हम 9 परसेंट से ज्यादा की इजाजत नहीं देंगे। कमर्शियल बैंक 9 परसेंट पर कर्ज देने के लिए तैयार हो गए हैं लेकिन कापरेटिव बैंकों और ग्रामीण बैंकों में 10 परसेंट से ज्यादा है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी जो कह रहे हैं, पहले आप उसे सुन लीजिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: हम आपकी जानकारी के लिए बोल रहे हैं कि इन समस्याओं का क्या समाधान हुआ है? जो कुछ होना अभी बाकी है उसे पूरा करने के लिए हमें आपका सहयोग चाहिए और हम सबसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। कुछ एरियाज हैं, जहां बैंक ही नहीं हैं। तीन-चार तरह की समस्याएं और हैं। वित्त मंत्री जी ने हमें सहयोग दिया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने राज्य लेवल की बैंक कमेटी और जिला लेवल की बैंक की कमेटी बनाई हैं और आफिसरों से बात करके कई तरह के सुधार किए हैं। जो जीरो लैंडिंग शाखाएं हैं उनमें कमी आ रही है और बैंक वाले मुस्तैदी से काम कर रहे हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट को सहयोग देना है।

महोदय, मैं सदन को सूचना देते हुए गौरवांवित महसूस कर रहा हूं कि देश में नॉन परफोरमिंग एसेस्ट्स डेढ़ लाख करोड़ हो चुके है, लेकिन हजारों गरीब आदमियों का उसमें हिस्सा नहीं है। हमारा गरीब आदमी 98 परसेंट तक बैंक की रिकवरी दे रहा है। गरीब सेल्फ हेल्प समुदाय के लोगों से 98 परसेंट की रिकवरी है। उसके बाद भी बैंकों से हेराफेरी हो, यह सहन नहीं किया जा सकता है। हमारा कामन मिनिमम प्रोग्राम गरीबों के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा कमिटमेंट गरीबों की सहायता करने का है और उनकी माली हालत को सुधारने का और रोजगार देने का है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि रोजगार बढ़ाओ, इसलिए बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए सभी कार्यक्रम एम्प्लायमेंट प्रोग्राम, वेज एम्प्लायमेंट प्रोग्राम और सेल्फ एम्प्लायमेंट प्रोग्राम करने जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इंदिरा आवास योजना का सवाल उठाया गया और कहा गया कि गरीब आदमी का चयन इस योजना में नहीं होता है। मैं बताना चाहता हूं कि बैनीफीशियरी का चुनाव करने का अधिकार ग्राम सभा को दिया गया है, लेकिन उन्होंने यह सवाल भी खड़ा किया कि ग्राम सभा की बैठक ही नहीं होती है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे देश में इतनी विचित्रता और विविधता है कि हमारे यहां ग्राम सभा के सदस्यों की संख्या कहीं 113 है, तो कहीं 50 हजार है। केरल में 50 हजार सदस्यों की ग्राम सभा है, तो अरुणाचल प्रदेश में 113 व्यक्तियों की ग्राम सभा है। पश्चिम बंगाल में कहीं 2 हजार, कहीं 3 हजार और कहीं 4 या 5 हजार सदस्यों की ग्राम सभा है। इस देश की विभिन्नता और विचित्रता यह भी है कि कहीं ग्राम सभा है, कहीं वॉर्ड सभा है और कहीं रैवेन्यू विलेज सभा है।

महोदय, राजीव गांधी जी ने पंचायतीराज की जो परिकल्पना की थी, उसको साकार करने के लिए उन्हीं के समय में संविधान में 73वें संविधान संशोधन के जरिए एक नई धारा को जोड़ने का काम किया हुआ और वह पारित हुआ था। उसके अनुसार पंचायतीराज के सशक्तीकरण, पांच वर्षों में चुनाव और एक तिहाई अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं का आरक्षण होगा, यह प्रावधान किया गया था। अब वे प्रावधान लागू हो रहे हैं और वे सब बातें चल रही हैं।

महोदय, माननीय सदस्य ने ग्राम सभा की बैठकें नहीं होने की शिकायत के बाद दूसरी शिकायत की कि संख्या बहुत ज्यादा है। अब आप कहेंगे कि उसे लागू करने में देर हो रही है। मैं बताना चाहता हूं कि उसे लागू करने में देर क्यों हो रही है। देर इसलिए हुई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों ने एक पी.आई.एल. दायर कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे दे दिया और कहा कि एक्ट में कोई छेड़छाड़ न की जाए, जैसा है, वैसा ही रहने दिया जाए।

महोदय, हमने सरकारी वकील, सॉलिसीटर जनरल और एडीशनल सॉलिसीटर जनरल को बुलाया, पी.आई.एल. दायर करने वालों को भी बुलाया और उन्हें बताया कि इसमें लाखों गरीबों के नामों का चयन नहीं हो सका है इसलिए हम यह संशोधन लाए थे और अब उसे इम्पलीमेंट कर रहे हैं। गांव में जाएं तो लोग यही कहते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन हमारा गरीबी की रेखा के नीचे वालों की सूची में चयन नहीं हुआ और हमें कोई सरकारी सहायता अथवा सरकार की ओर से किसी प्रकार का आवास नहीं मिला है। गांवों से इस तरह की हेरा-फेरी करे और गरीबों के नामों के चयन नहीं होने की शिकायतें आई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे वकील की बात सुनी। इस केस में जज साहब ने सुनवाई पूरी कर ली है, लेकिन पी.आई.एल. वालों ने कुछ समय ले लिया है। जैसे ही फैसला हो जाएगा, इस मामले में स्टे वैकेट होना चाहिए। उसके तुरन्त बाद गांवों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले जिन लोगों के नाम सूची में शामिल होने से छूट गए होंगे, उनके नाम शामिल किए जाएंगे। 13 पाइंट्स हैं जिन पैरामीटर्स के ऊपर सर्वे हो चुका है। उसके अनुसार गांव के सबसे गरीब आदमी का नाम पहले नंबर पर होगा और उसके बाद दूसरे और तीसरे नंबर के आदमी का नाम होगा और इस प्रकार 15 सबसे गरीब लोगों के नामों की सूची को पंचायत भवन अथवा स्कूल की दीवार पर गांवों में पेंट कर के लिखवाया जाएगा। कम्प्यूटराइजेशन किया जाएगा, पुस्तक छापी जाएगी, जिसे प्रत्येक माननीय सदस्य को भेजा जाएगा ताकि उसे हर सदस्य देख सके और इस प्रकार किसी गरीब आदमी का नाम न छूट सके।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं आप बैठिए। मैं आपको भी मौका दूंगा।

आप बैठिए। आपका बोला हुआ रिकॉर्ड नहीं हो रहा है।

*...(व्यवधान)**

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए इंदिरा आवास योजना, जो रूरल एरिया की योजना है, उसमें 15 लाख मकान बनाने और 27 हजार करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने की योजना है। इंदिरा आवास योजना को ट्रांसपैरेंट किया जाएगा, उसमें नाम लिखे जाएंगे और 1 से लेकर 15 तक नंबर के सबसे गरीब लोगों को उसका लाभ मिलेगा। उसमें भी सबसे पहले सबसे गरीब आदमी को लाभ मिलेगा, फिर दूसरे नंबर के आदमी को और फिर तीसरे नंबर के व्यक्ति को। इसी प्रकार से इंदिरा आवास योजना के मकानों का आबंटन होगा। माननीय सदस्य ने शिकायत की है कि 2 हजार, 3 हजार और 4 हजार लोगों के नामों की हेरा-फेरी होती है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसे ट्रांसपेरेंट किया जाएगा, दीवार पर सबके नाम लिखवाए जाएंगे, कंप्यूटराइजेशन किया जाएगा। इतना ही नहीं उसमें अपील करने का भी अधिकार दिया गया है।

गरीब आदमी बी.डी.ओ. के यहां, एस.जी.एम. के यहां, कलैक्टर के यहां किसी का नाम छूटा रहेगा, माननीय सदस्य भी जो कहीं किसी का नाम छूट जाये, कलैक्टर को अन्तिम सुधार करने का अधिकार दिया है कि तीन स्टेज पर उसकी अपील होगी और अपील होने के बाद किसी गरीब का नाम नहीं छूटेगा और उसमें नीचे ऊपर, हेराफेरी नहीं होगी। इसीलिए इन्दिरा आवास योजना में ट्रांसपेरेण्ट करने का निर्णय लिया गया।...*(व्यवधान)* प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सम्बन्ध में माननीय प्रभुनाथ सिंह जी ने सवाल उठाया है, यह तो देश का सवाल उठाया था तो हमने इनको अच्छा माना था। फिर बिहार पर चले आये। बिहार का भी हम जवाब देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना...*(व्यवधान)* जवाब देने दीजिए न।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रभुनाथ सिंह जी, मैं आपको टाइम दूंगा।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): इसलिए हमने बिहार की चर्चा की कि जब ये बिहार को ठीक नहीं कर सकते हैं तो इस देश को क्या ठीक करेंगे।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इनके जवाब देने के बाद आपको टाइम दिया जायेगा, अभी नहीं। कृपया बैठ जायें। इसका तो कोई इलाज नहीं है।

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: बैठें क्या? आप क्या कहते हैं, छोड़ दें। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सन् 2000 में शुरू हुई। वह भी देश की 500 तक की आबादी तक के गांवों को सड़क से जोड़ने का काम होना चाहिए। देश में कुल 43 लाख किलोमीटर सड़क है। इसमें 58 हजार किलोमीटर नेशनल हाईवेज हैं, 1.25 लाख किलोमीटर स्टेट हाईवेज हैं, 3.25 लाख किलोमीटर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं और 27 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़क हैं। ग्रामीण सड़क का कहीं कोई चर्चा नहीं, हाईवे-हाईवे, गोल्डन क्वाड्रीलेटरल, खंडूरी जी बैठे हुए हैं, ईस्ट-वेस्ट कोरीडोर, नोर्थ ईस्ट कोरीडोर, इसी में 58 हजार किलोमीटर में...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी (गढ़वाल): आपको जानकार बहुत खुशी होगी, आपने वह सब काम बन्द किया हुआ है।...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: बन्द नहीं किया है। सुन लीजिए। गांव की भी रूरल रोड जो 27 लाख किलोमीटर्स हैं, रूरल रोड्स की अहमियत अब आई है। अभी-अभी एक महीने में हम रूरल रोड्स विजन 2025 प्रकाशित करेंगे, जिसमें आगे नक्शा होगा कि गांव के लोगों को भी रूरल रोड, गांव की सड़क हो, गांव में सारा इन्फ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी मिले, उसकी वहां व्यवस्था होगी। सन् 2000 में इन लोगों ने प्रावधान किया था कि 2500 करोड़ रुपया गांव के विकास में केवल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क में आप खर्च कर रहे हैं, हम 2000, 2200, 2300 या 2500 करोड़ रुपया सैस वाला पैसा इन राज्यों में खर्च करेंगे और 2000, 2200, 2500, 3000 या 3500 करोड़ रुपया नहीं, 4200 करोड़ रुपया इस साल के बजट में आया है। यह पैसा गांव के विकास के ऊपर खर्च होगा, ताकि गांव के लोग भी सड़क पर चलें, गांवों को भी कभी सड़क का कनैक्शन मिले, रूरल कनेक्टिविटी मिले, इसीलिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का हम लोगों ने विस्तार किया और इसमें पैसे की कमी नहीं होने दी जायेगी। राज्य सरकारों को हमने कहा है कि अपनी कंज्यूम करने की क्षमता बढ़ाओ, हम पैसे की कमी नहीं होने देंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, कृपया टीका-टिप्पणी न करें।

[हिन्दी]

मैं आपको नहीं, उनको कह रहा हूं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)...**

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय के भाषण को छोड़कर कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: खंडूडी साहब, आप बैठ जायें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: लाल सिंह जी, कृपया बैठ जायें।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, उस समय का आकलन था कि 500 की आबादी वाले गांवों को जोड़ने के लिए 60 हजार करोड़ रुपया लगेगा।

अपराह्न 3.00 बजे

हिसाब हमने जोड़ा हुआ है। हिसाब सही नहीं था। अभी हमने फिर से हिसाब किया है। 60-70 हजार करोड़ रुपये से कुछ नहीं होता है। यह देश बड़ा है। इस देश को चलाने के लिए बड़ा दिमाग और चौड़ी छाती चाहिए।...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अभी हमने हिसाब किया है कि एक लाख तैंतीस हजार करोड़ रुपये चाहिए। हजार-पांच सौ की आबादी तक के गांव को जोड़ने के लिए हिम्मत चाहिए कि कैसे सड़कें बनेंगी। महामहिम राष्ट्रपति जी कहते हैं कि पूरी योजना चलाओ। सारी शहरी सुविधा गांव में दी जाएं। राष्ट्रपति जी बराबर गांव के विकास के बारे में बोलते रहते हैं। इसीलिए हम कटिबद्ध हैं सारी शहरी सुविधाएं गांवों में देने के लिए। सड़कें, पीने का पानी, पढ़ाई-लिखाई, दवाई और बिजली की गांवों में आवश्यकता है। बिजली के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना है, जिसमें कहा है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: स्वाईं जी, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, सवा लाख गांवों में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। वहां के लोग कहते हैं हमारे यहां आजादी कब आएगी? जिस भारत निर्माण का हम लोगों ने सृजन किया है, उसके अंतर्गत 2009 तक सभी गांवों में, सभी टोलों में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को मुफ्त में बिजली मिले। कोई हिम्मत वाला है जो गरीब गांव के दलित और आदिवासी लोगों को कैसे भी बिजली मिले। उसका बेटा भी रोशनी में पढ़े और आगे बढ़े। उसके लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में व्यवस्था की गई है। भारत निर्माण की योजना के तहत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हजार की आबादी भी जिस राज्य में है और वह सड़क से नहीं जुड़ी है। इसके अलावा जिन पहाड़ी इलाकों की आबादी पांच सौ है, उनको सड़क से जोड़ने का 2009 तक का लक्ष्य रखा है। वित्त मंत्रालय ने भी वचन दिया है कि पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी। गांवों को सड़क से जोड़ने का 2009 तक की योजना एकदम बन गई है। हमने राज्य सरकारों से प्रार्थना की है कि कंज्यूम करने की क्षमता बढ़ाएं। योजना का कार्यान्वयन और भारत की महत्वकांक्षा का कार्यान्वयन किया जाए।

महोदय, बिहार के बारे में श्री प्रभुनाथ सिंह जी सवाल उठाया था।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यदि आप फिर से राज्य सरकारों में जाएंगे तो हंगामा हो जाएगा।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, तीन सौ करोड़ रुपये दिए गए थे और 60 करोड़ रुपये बाद में दिए गए। बिहार में फर्स्ट और सैकेंड फेज के लिए कुल मिलाकर 360 करोड़ रुपये दिए गए थे। जिसमें से 905 पथ में काम लिया गया था। 416 पथों का काम पूरा हो गया है। इसमें 272 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं और कुछ बाकी हैं। श्री प्रभुनाथ सिंह जी 13वीं लोक सभा में यहां बैठते थे और हम वहां बैठते थे। उस समय वे कहते थे कि केन्द्रीय एजेंसी से करवाना चाहिए। लेकिन उनकी सरकार ने कोई सुनवायी नहीं की। यू.पी.ए. की सरकार आने से उनकी भी सुनवाई हो गई है और उस पर कार्यान्वयन होने जा रहा है। पांच केन्द्रीय एजेंसियों को बहाल किया गया है, जिनमें एन.एच.पी.सी., एन.बी.सी.सी., एन.पी.सी.सी., इरकॉन और सी.पी.डब्ल्यू.डी. इत्यादि हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया टीका-टिप्पणी न करें।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: सैंट्रल एजेंसी को बहाल किया गया और सभी जगह उसके इंतजाम किए गए। केन्द्रीय एजेंसियों

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

को 157 पथों की स्वीकृति दे दी गई, 480 करोड़ रुपये से 35 जिलों में कार्य आरंभ हुआ। उनकी लंबाई 1645 किलोमीटर है। पांच जिलों के 47 पथों पर काम शुरू हो गया है। इसके अलावा 320 करोड़ रुपये लागत से 177 पथों की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। उनकी लंबाई 800 किलोमीटर है। हम तुरंत 7,000 किलोमीटर सड़क 2,000 करोड़ रुपये लगाकर बनाने जा रहे हैं। लेकिन दुखद है कि कैसे सैबोटेज करने का काम होता है। एन.एच.पी.सी. के इंजीनियर वहां गए तो उनका अपहरण कर लिया गया। बिहार के माथे पर कलंक और काम में विघ्न-बाधा डाली जाती है ताकि इंजीनियर काम छोड़कर भाग जाएं। इंजीनियर्स ने वहां जाकर प्रैस कान्फ्रेंस की कि हम भागने वाले नहीं थे। अपहरण करने वाले उस पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। उन्हीं की पार्टी के लोग साबित हुए। इस तरह से काम नहीं होने देंगे, काम रुकवा देंगे, अपहरण करवा देंगे और यहां आकर भाषण देंगे कि काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। यह दोहरी राजनीति नहीं चलेगी। उसका पर्दाफाश किया जाएगा और देश, दुनिया को बताया जाएगा।

माननीय सदस्य श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव ने चिन्ता व्यक्त की थी कि सैंट्रल एजेंसी कहती है कि वहां नहीं जाएगी। उन्होंने नहीं कहा कि वहीं नहीं जाएगी। वह वहां जाएगी। कहते हैं कि कश्मीर में उग्रवादियों के बीच, उल्फा के बीच काम करने वाले हैं, वहां के पाकेटमारों से डरने वाले नहीं हैं। काम होना है, तेजी से होगा और जनता की आकांक्षाएं पूरी की जाएंगी।

सभी माननीय सदस्यों ने जो अलग-अलग सवाल पूछे थे, सबके जवाब दे दिए गए हैं।...*(व्यवधान)* बीच में जो सदस्य बारी-बारी से उठ रहे थे, मैं एक-एक करके उनको सवाल पूछने के लिए आमंत्रित करता हूं और सारी चुनौती को स्वीकार करता हूं। लेकिन अब वह समय गया और गांवों के विकास को कोई रोक नहीं सकता। बेकारी और गरीबी को खत्म करने से कोई रोक नहीं सकता। हम यू.पी.ए. और तमाम लोगों के सहयोग से गांवों के विकास, गांवों की समृद्धि बेरोजगारी हटाने, गरीबी मिटाने और गांवों में सारी सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उसे कोई नहीं रोक सकता।

यह दूर देख पूरी अंगार अनेक
पूंजी सारी जल जाएगी
मानवता की काली बिन्दी
क्षार-क्षार हो जाएगी।
देखें इस भारत में कौन बड़ा वीर बलिदानी है।
किसकी धमनी में खून और किसकी धमनी में पानी है।

गांव का विकास जिन्दाबाद, ग्रामीण समृद्धि जिन्दाबाद। ...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): मंत्री जी को भी जिन्दाबाद। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी: उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बहुत बढ़िया भाषण दिया है, लेकिन किसी सवाल का जवाब नहीं दिया।...*(व्यवधान)* यह तो उनका चुनावी भाषण हो गया। हमने जो सवाल पूछे थे, उनमें से एक सवाल का भी जवाब नहीं आया।...*(व्यवधान)* सवाल पूछने से क्या फायदा हुआ।...*(व्यवधान)* मंत्री जी, आपके दफ्तर में जाकर चाय पीनी पड़ेगी, तब आप जवाब देंगे। यहां तो आपने कोई जवाब नहीं दिया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया मेरी बात सुनिए।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: उपाध्यक्ष महोदय, आज माननीय अध्यक्ष महोदय, ने सैक्रेटरी जनरल को उनकी सर्विसेज के लिए बधाई दी है। आप कम से कम मंत्री जी को उनके इतने बढ़िया उत्तर के लिए बधाई दे दीजिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं यही कहने वाला था।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मेरे ख्याल से मंत्री जी ने हर प्वाइंट का जवाब दे दिया है। इसलिए मेरा ख्याल है कि अगला प्वाइंट ले लेना चाहिए। अगर इस पर दोबारा प्रश्न पूछेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। मेरे ख्याल से मंत्री जी ने अपना रिप्लाई बहुत इलेब्रोरेट किया है।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से हम एक-दो प्रश्न पूछना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है, आप पूछ लीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. एम. जगन्नाथ (नगर कुरनुल): महोदय, कतिपय स्पष्टीकरण मांगने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से केवल एक स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहता हूं। अतः मुझे उनके बाद अवसर दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने पहले प्रभुनाथ सिंह जी को प्रश्न पूछने के लिए कहा है। आप उसके बाद पूछ लीजिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आजमी जी, आप बैठ जाइये। मैंने प्रभुनाथ सिंह जी को प्रश्न पूछने के लिए कहा है।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का उत्तर हम सुन रहे थे। उन्होंने एक भी सवाल का उत्तर नहीं दिया।...*(व्यवधान)* उन्होंने केवल भाषण ही दिया है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री जी इतना बोले हैं, इतना भाषण दिया है। आप उनके साथ बेइंसाफी न करिये। एक घंटे तक उन्होंने आपकी बातों का जवाब दिया है।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, हम स्पेसीफिक एक-दो बिन्दुओं पर उनसे स्पष्टीकरण चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमने उस जगह बैठकर केन्द्रीय एजेंसी की मांग करते थे। यह बात सही है कि हमारी सरकार ने यह काम नहीं किया। यह भी सही है कि जब यू.पी.ए. की सरकार आई तो उसने बिहार में केन्द्रीय एजेंसी से काम करने का काम किया। हम उनसे जानना चाहते हैं कि केन्द्रीय एजेंसी को जब से आपने काम दिया, जिस सड़क का आपने माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी को ले जाकर एक साल पहले शिलान्यास कराया था, क्या उसका काम आपने शुरू कराया है तथा कितने किलोमीटर तक आपने सड़क का निर्माण कराया है? दूसरा, आपने गड़बड़ी की चर्चा की। हम जानना चाहते हैं कि आपने उसके निराकरण के लिए कोई रास्ता नहीं बताया लेकिन आपने जो सुझाव दिया है कि लोकल समिति पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर बनेगी, तो उस समिति को आप क्या अधिकार देना चाहते हैं और उसकी अनुशंसा का क्या महत्व होगा? इसे भी आप विस्तार से बताइये।

तीसरा, मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने बैठक की चर्चा की। श्री रघुनाथ झा ने भी आपसे मिलकर कहा था कि जो बैठक पंचायतों, ग्राम सभा या आम सभा में होती है, उसमें सांसद का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। क्या आपने राज्य सरकार को पत्र लिखा है कि उसमें सांसद को प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया जाये। सम विकास योजना के संबंध में आपने बताया कि यह प्लानिंग कमीशन की योजना है। ठीक है कि यह प्लानिंग कमीशन की योजना है लेकिन आपने वहां चेयरमैन कलैक्टर को बनाया है। योजना के चयन में सांसद की कोई भागीदारी नहीं होती। हम जानना चाहते हैं कि उस जिले के सांसद को...*(व्यवधान)*

श्री इलियास आजमी (शाहाबाद): विधायकों की भागीदारी होती है लेकिन सांसद की नहीं होती...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: विधायक की भी भागीदारी नहीं होती। क्या आप उस जिले के सांसद को कलैक्टर के बदले चेयरमैन बनाकर योजना का चयन करवायेंगे? गांव के गरीबों के विषय में आपने कहा कि हम सारी योजनाएं उन तक पहुंचाने जा रहे हैं। हमारा कहना है कि आप खाली भाषण मत दीजिए क्योंकि अखबार में आप कुछ बोलते हैं और लोक सभा में कुछ और बोलते हैं। आपने जो पत्र बिहार के राज्यपाल को लिखा था, उसकी प्रतिक्रिया अखबार में यह थी कि रघुवंश जी, हम शतरंज नहीं खेलते हैं। आप यह बताइये कि वे गवर्नर हाऊस में बैठकर शतरंज खेलते हैं या आप लोक सभा के भाषण के माध्यम से शतरंज खेल रहे हैं। आप इन दोनों बातों का उत्तर बताइये।

[अनुवाद]

श्रीमती तेजस्विनी सीरमेश (कनकपुरा): लोक सभा चैम्बर में दिया गया भाषण अधिकारिक भाषण होगा।

[हिन्दी]

लोक सभा में जो बोला जाता है वही सही होता है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. एम. जगन्नाथ: महोदय, मैं उन्हें सर्तकता और निगरानी समितियां गठित करने और संसद सदस्यों को कतिपय अधिकार देने हेतु बधाई देता हूं। हालांकि अधिकारिक रूप से इसे

सतर्कता और निगरानी समिति कहा गया है आपने जिला कलैक्टर को सदस्य सचिव बनाया है। उन्हें समिति की बैठक बुलानी होती है। मैंने अपने महबूबनगर जिले में छः माह से कम समय में भी आपका पत्र प्राप्त होने के पश्चात् छः बैठकें आयोजित की हैं। हमने राष्ट्रीय काम के बदले अनाज संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम, पेय जल योजना, एस.जी.आर.वाई., एस.जी.आई.वाई. इत्यादि विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में कतिपय अनियमितताओं का पता लगाया। समिति के सभापति के हैसियत से मैंने इसे कलैक्टर के ध्यान में लाकर उनसे इसकी जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कहा।

यहां स्थिति इस तरह है। आप कहते हैं कि आप किसी भी फाईल को मंगवा सकते हैं और उसे देख सकते हैं। किंतु व्यावहारिक तौर पर कार्रवाई करने की शक्ति किसके पास है? यह कलैक्टर के पास है। हम किसी को दंड नहीं दे सकते हैं। हम फाईलें देखेंगे और सिफारिश करेंगे। हमारे राज्य आंध्र प्रदेश में विधायक कलैक्टरों पर इतना ज्यादा दबाव डालते हैं कि वे ग्राम सभा को कोई बैठक ही नहीं बुलाते। वे दिशानिर्देशों की कोई परवाह नहीं करते हैं : चाहे वह एस.जी.एस.वाई. हो या एस.जी.आर.वाई. या राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम। वे दिशानिर्देशों का कोई पालन नहीं करते हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: धन्यवाद।

...*(व्यवधान)*

डा. एम. जगन्नाथ: पहले मुझे सुनें...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: डा. जगन्नाथ के कथन के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**...

डा. एम. जगन्नाथ: महोदय, समिति के सभापति होने के नाते मुझे इसका अनुभव है। उन्हें कोई अनुभव नहीं है। इसलिए उन्हें बोलने की अनुमति न दें। बल्कि मुझे अवसर मिलना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है, धन्यवाद। कृपया अब आप बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मैडम, आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

डा. एम. जगन्नाथ: इन कार्यक्रमों के मानदंड क्या हैं?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: जगन्नाथ जी, क्या आपको कोई प्रश्न पूछना है?

[अनुवाद]

डा. एम. जगन्नाथ: प्रत्येक कार्यक्रम के लिए दिशानिर्देश हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आपको कोई प्रश्न पूछना है?

...*(व्यवधान)*

डा. एम. जगन्नाथ: अब मैं आ.जा./अ.ज.जा. के लाभार्थियों को मिल रहे एस.जी.आर.वाई. के 22.5 प्रतिशत भाग के बारे में बात करूंगा...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया प्रश्न पूछें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अब आप बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

डा. एम. जगन्नाथ: यह मेरा अनुभव है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: जगन्नाथ जी, अब आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

डा. एम. जगन्नाथ: मैं माननीय मंत्री जी की बोलने की ताकत की सराहना करता हूं। मैं उनका धन्यवाद करता हूं क्योंकि उन्होंने अत्यंत स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किये हैं। प्रत्येक शब्द महत्त्वपूर्ण है। किंतु जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है? कोई भी कार्य दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं हो रहा है ...*(व्यवधान)* श्री रामदास अठवाले, कृपया आप बैठ जाएं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. एम. जगन्नाथ: रामदास जी, आप बैठ जाइए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

स्थानीय विधायक कलैक्टर द्वारा पृष्ठांकित की हुई सूची देते हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

डा. एम. जगन्नाथ: एस.जी.आर.वाई. के बारे में बात करें तो विधायक सूची देता है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: जगन्नाथ जी, अब आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

डा. एम. जगन्नाथ: यह अत्यंत प्रासंगिक विषय है। माननीय मंत्री जी ने यह कार्य नेक इरादों से किया है। किंतु इसके लाभ वास्तविक रूप से लक्षित लोगों को नहीं मिल रहे हैं। यह लाभ वे बेनामी लोग ले जाते हैं, जिनके नाम स्थानीय विधायक द्वारा प्रस्तावित किये जाते हैं। संसद सदस्यों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है, धन्यवाद। अब आप बैठ जायें।

...*(व्यवधान)*

डा. एम. जगन्नाथ: एस.जी.एस.वाई. में भी यही होता है। लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा या संयुक्त चयन समिति की बैठकों से नहीं होता बल्कि स्थानीय विधायक की सिफारिश से होता है। इस कार्य में बैंकर भी कोई सहायता नहीं करते हैं अत: उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करनी चाहिए...*(व्यवधान)*। मैं यह सब समिति के सभापति के रूप में कह रहा हूं। आप भयभीत क्यों हैं?...*(व्यवधान)* आप सिद्ध कर दें कि यह नहीं हो रहा है, अन्यथा, मैं सिद्ध कर सकता हूं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप बैठ जाइए। उसके बाद, कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा। कृपया अब आप बैठ जाएं। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा। डा. जगन्नाथ, मैंने आपको काफी समय दे दिया है। अब आपको बैठना होगा।

*(व्यवधान)**...

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**...

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

डा. एम. जगन्नाथ: यह अत्यंत प्रासंगिक विषय है। केन्द्र सरकार की नीयत साफ है। दिशा-निर्देश भी बनाये हुए हैं। किंतु जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है। सरकार की किसी भी गतिविधि के लिए दिशानिर्देश हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जायें। आपने सारी हदें पार कर दी हैं। अब और नहीं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जी नहीं, अब आप बैठ जायें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जी नहीं। बिल्कुल नहीं। कृपया आप बैठ जायें।

...*(व्यवधान)*

डा. एम. जगन्नाथ: माननीय मंत्री जी के उत्तर के पश्चात् भी हर कोई स्पष्टीकरण मांग सकता है। माननीय मंत्री जी सभी स्पष्टीकरण का उत्तर देने के लिए तैयार हैं। यह उनकी प्रतिबद्धता थी और इसी के कारणवश मैं उनसे स्पष्टीकरण मांग रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप बैठ सकते हैं। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: एक मिनट रुकिए, जरा श्री लिब्रा जी को बोल लेने दीजिए।

सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा (रोपड़): उपाध्यक्ष जी, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री इलियास आजमी: उपाध्यक्ष जी, क्या आपने बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों को बोलने का अवसर न देने का निर्णय कर लिया है?

उपाध्यक्ष महोदय: आपने यह कैसे सोच लिया कि मैं आपको बोलने का अवसर नहीं दूंगा।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री इलियास आजमी: इससे पहले मैंने और श्री बृजेश पाठक जी ने बोलने के लिए समय मांगा लेकिन समय नहीं दिया गया। बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों को बोलने का मौका नहीं मिलता है।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको समय दूंगा। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा: उपाध्यक्ष जी, हमने यहां बहुत अच्छी स्पीच सुनी है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इस स्पीच का गांवों की आबादी पर कोई असर नहीं होता है। मैं दो जिलों में चेयरमैन हूं। मैंने वहां देखा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हुए हैं। ये कहते हैं कि वे सब ठीक चल रहे हैं लेकिन मैंने देखा है कि गांव में कोई काम नहीं हो रहा है। यहां कहा जाता है कि लोग पैसे नहीं लेते हैं। लेकिन यह ठीक नहीं है। यहां कहा जाता है कि इतना पैसा दे दिया बनाने के लिए, इतना काम कर दिया। लेकिन जो अधिकारी हैं वे जांच-पड़ताल नहीं करते हैं, मैं समझता हूं कि उनका भी इसमें हिस्सा होता है।

कच्चे मकानों की हालत बहुत खराब है, उन लोगों को पैसा नहीं मिलता है लेकिन पैसा उनको मिलता है जो पक्के मकानों में रहते हैं, तनख्वाह लेते हैं, पेंशन लेते हैं या पटवारी आदि हैं। इसकी रिकवरी होती है लेकिन केस रजिस्टर नहीं होता है। इसके अतिरिक्त एक बात मैंने यह भी देखी है कि जो पैसा दिल्ली से, सेन्ट्रल गवर्नमेंट की ओर से जाता है उसमें प्रदेश में जो सरकार को हिस्सा देना होता है, वह नहीं दिया जाता है। उसके लिए कोई प्रबन्ध किया जाना चाहिए ताकि गरीबों का काम ठीक से चलता रहे।

उपाध्यक्ष महोदय: यह एक वैलिड प्वाइंट है। उसमें जो सरकार का शेयर होता है, वह नहीं आता है जिसकी वजह से कई काम नहीं हो पाते हैं। दूसरी बात यह है, जैसा कि हमने पंजाब में देखा है, कि एक ही आदमी को बार-बार पैसा मिल जाता है। उसे 50 प्रतिशत में से भी मिल जाता है, 20 प्रतिशत में से और 30 प्रतिशत में से भी मिल जाता है अर्थात् जिस व्यक्ति को पंचायत पैसा देती है, उसी व्यक्ति को ब्लॉक और जिला परिषद से भी पैसा दे दिया जाता है।

[अनुवाद]

श्री इलियास आज़मी (शाहाबाद): महोदय, हमारे पुराने दोस्त ग्रामीण विकास मंत्री श्री रघुवंश प्रसाद जी ने बहुत अच्छा मुशायरा पढ़ा जिसे पूरे देश में लोगों ने सुना होगा।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री आजमी जी, कृपया आप एक मिनट के लिए बैठ जाइए, श्री राधाकृष्णन जी एक प्वाइंट ऑफ आर्डर उठाना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं ध्यानाकर्षण से संबंधित नियम 197 का उल्लेख कर रहा हूं। व्यवस्था के इस प्रश्न को उठाते हुए मुझे वहां अफसोस हो रहा है। नियम के अनुसार, मंत्री एक संक्षिप्त वक्तव्य देते हैं। यहां मंत्री जी ने एक लंबा भाषण दे दिया है जैसे वह ग्रामीण विकास के संबंध में किसी बहस का उत्तर दे रहे हों।

उपाध्यक्ष महोदय: इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: दूसरा यह कि नियम में लिखा है कि बहस नहीं होगी। किंतु यहां एक विस्तृत बहस हो रही है। हर कोई प्रश्न पूछ रहा है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: वे सिर्फ स्पष्टीकरण मांग रहे हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: उत्तर के पश्चात् प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। प्रश्न, उत्तर से पहले पूछे जा सकते हैं। प्रथम मंत्री एक संक्षिप्त वक्तव्य देंगे...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रामकृष्ण कुसमरिया (खजुराहो): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन, कृपया बैठ जाएं।

[हिन्दी]

डा. रामकृष्ण कुसमरिया: मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि पहली बार सदन में ग्रामीण विकास मंत्रालय पर चर्चा हो रही है और माननीय सदस्य को एतराज हो रहा है। हमारा यह कहना है कि यह चर्चा होने दें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यह कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)...*

उपाध्यक्ष महोदय: आप सभा का समय व्यर्थ गंवा रहे हैं। वरकला जी की कोई बात कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगी।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: वरकला जी की बातें रिकार्ड में नहीं जाएंगी।

(व्यवधान)...*

श्री इलियास आज़मी: उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास मंत्रालय पर एक सकारात्मक बहस हुई है।*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: वरकला जी, आप बैठ जाएं, क्योंकि आपकी कोई बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: वरकला जी, आप बैठ जाएं।

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी): मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। मेरा विचार यह है कि ध्यानाकर्षण सूचना माननीय सदस्य श्री प्रभुनाथ सिंह ने दी थी। उस समय माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था*...(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री विक्रम केशरी देव: आप सुनिए तो सही। महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय ने उस समय निर्णय नहीं दिया था।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

श्री इलियास आज़मी: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण के माध्यम से, ग्रामीण विकास की योजनाओं पर कुछ अच्छी बातें भी सामने आई हैं। माननीय रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने मुशायरे की तरह पूरे मुशायरे को लूट लिया और उन्होंने बड़े अच्छे-अच्छे शेर सुनाए। उनका सारा भाषण योजनाओं पर या जो कुछ कागजों में लिखा हुआ है उस पर था या जो जिले से असत्य चार्ट्स आते हैं उनके ऊपर आधारित है। सारी ग्रामीण विकास योजनाएं भारत सरकार के पैसे से चल रही हैं। डी.आर.डी.ए. के अधिकारी, कर्मचारी या कलैक्टर हों, सब राज्य सरकार के मातहत हैं। सच तो यह है कि वे लोक सभा के सदस्यों को कोई भाव नहीं देते हैं। आपने मॉनिटरिंग कमेटी बनाई और उसका अध्यक्ष भी बना दिया लेकिन उसको कोई अधिकार नहीं दिया।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): महोदय, यदि हम एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर इतना समय लगाएंगे तो सभा के अन्य कार्यों को पटल पर रखना होगा*...(व्यवधान)* यह उचित नहीं है*...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आपके सांसद सुनने नहीं दे रहे हैं।

श्री इलियास आज़मी: मैं सिर्फ एक सवाल माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी से करूंगा कि जो वित्त-पोषित योजनाएं हैं

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उनको जब कलैक्टर सैंक्शन करता है, निर्माण एजेंसियां तय करता है तो उसके अप्रूवल का अधिकार उसी मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन को देने के लिए क्या आप तैयार हैं। अगर उनको दे दें तो उनके हाथ बंध जाएंगे और दस-बीस प्रतिशत भ्रष्टाचार और सरकारी पैसे की लूट बंद हो जाएगी। आपने अपने भाषण में कहा है कि अपील होगी। जो इंदिरा आवास और दूसरी योजनाओं में गड़बड़ होती है उसकी अपील होगी। लेकिन वह अपील कहां होगी? अगर आप उसी मॉनिटरिंग कमेटी में कराएंगे तो इंदिरा आवास की लूट न रुके तो मुझसे जवाब-तलब कीजिएगा। वहां जो प्रधान सूची देते हैं और सी.डी.ओ. उसी सूची को अप्रूवल देकर पैसा भेजता है। तो उसको नियुक्त करने का अधिकार उसको दे दीजिए। अगर 50 प्रतिशत भ्रष्टाचार न रुक जाए तो आप मुझसे जवाब-तलब कीजिए।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): उपाध्यक्ष जी, जो इंदिरा आवास के अधिकारी हैं उनको पहले एडवांस दिया जाता था लेकिन आजकल उसको बंद कर दिया गया है। ऐसा इसलिए हुआ है कि कोई न कोई आदमी उसका दुरुपयोग कर रहा है। इससे समस्या यह होती है कि जिन गरीब लोगों के पास पैसा नहीं होता है वे घर को शुरू नहीं कर पाते हैं। इसलिए वे घर बनाने के लिए कंट्रेक्टर को दे देते हैं। कंट्रेक्टर मुनाफा बना लेता है लेकिन घर नहीं बनाता है। मेरा निवेदन यह है कि जो एडवांस पहले दिया जाता था उसको दुबारा शुरू किया जाए। दूसरा, सरपंच ग्राम सभा को बुलाता नहीं है तो क्या आप बी.डी.ओ. को इजाजत देंगे कि जहां जानबूझकर सरपंच ग्राम सभा को बुलाता नहीं है वहां बी.डी.ओ. एक समयबद्ध तरीके से ग्राम सभा को बुलाए। सवर्ण-जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में नयी पहल की समस्या आती है। अधिकांश: जगहों पर जो ट्रेनिंग दी जाती है वह पुरानी है, उसमें वही डेयरी आइटम होते हैं कोई नया आइडिया नहीं होता है। आप एक आदमी के लिए 23 रुपया ट्रेनिंग का खर्चा देते हैं। समय-समय पर उनको बाहर ट्रेनिंग दिलवाइये, जिससे उनके आइडिये में नयापन आये। ट्रेनिंग के लिए जो एक दिन का खर्चा दिया जाता है क्या आप उसके बढ़ाएंगे।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): भाइयों, आप मेरी बात सुनिए। महोदय, मैं आप की इजाजत से एक बात कहना चाहता हूं और मुबारकबाद देना चाहता हूं क्योंकि इससे पहले किसी भी मिनिस्टर ने मिलिट्री विजिलेंस कमेटी नहीं बनाई।

[अनुवाद]

ऐसा करने वाले वे भारत के पहले मंत्री हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: लाल सिंह जी, आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री लाल सिंह कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**...

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत प्रसन्न हूं और सभी माननीय सदस्य जिन्होंने सवाल उठाए हैं और सवाल उठाने के लिए उत्सुक हैं, सभी को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ग्रामीण विकास नहीं रूकेगा, ग्रामीण विकास की गति तेज होती जाएगी। जब माननीय सदस्यगण इतनी रूचि ले रहे हैं और सवाल पूछने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए इतनी मुस्तैदी बरत रहे हैं तो ये योजनाएं जरूर सफल होंगी। जो माननीय सदस्य सवाल उठा पाए हैं, हम उनका उत्तर देंगे, लेकिन जो सदस्य सवाल नहीं उठा सके हैं, उन माननीय सदस्यों को हम राज्यवार आमंत्रित करेंगे, उसमें आप सभी लोग जरूर आइएगा।

अपराह्न 3.37 बजे

(श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन हुए)*

हमारे निमंत्रण को स्वीकार करें। वहां आप घंटों तक सवाल जवाब कर सकेंगे। वहां हमारे अफसर भी रहेंगे और माननीय सदस्यगण भी रहेंगे। सभी सवाल जवाब हल हो जाएंगे।...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: आप उनको उत्तर देने दीजिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: जो सवाल माननीय सदस्यों के द्वारा उठाए गए हैं उनका हम लिखित उत्तर आप के नाम से भेज देंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: नहीं, यह पूरा हो चुका है। मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। विषय समाप्त हो चुका है। श्री सुब्बारायन अब आप बोल सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: मैं नियमों के विरुद्ध किसी बात की अनुमति नहीं दूंगा। हम नियमों के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। नियमों के अनुसार इस पर कोई प्रश्न अथवा चर्चा अथवा वाद-विवाद करने की अनुमति नहीं है। अभी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव चल रहा है। केवल संक्षिप्त वक्तव्य अथवा स्पष्टीकरण संबंधी प्रश्न की अनुमति दी जा सकती है। इसके बाद मंत्री महोदय द्वारा उत्तर दिए जाने के पश्चात् मामला समाप्त हो जाता है। आगे किसी प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं दी जाती है।

अब, श्री के. सुब्बारायन, आप कृपया अपनी बात कहें।

अपराह्न 3.38 बजे

(दो) तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में तिरूपुर में और उसके आसपास स्थित 600 से अधिक रंगाई और विरंजन कारखानों के बन्द होने से उत्पन्न स्थिति

[अनुवाद]

श्री के. सुब्बारायण (कोयम्बटूर): महोदय, मैं वस्त्र मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें:-

"तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के तिरूपुर और इसके आसपास स्थित 600 से अधिक रंगाई और धुलाई कारखानों के बंद होने के कारण उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

***वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला):** महोदय, सर्वप्रथम मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि सरकार तिरूपुर क्षेत्र के 600 से अधिक रंगाई एवं धुलाई कारखानों का बंद होना दुर्भाग्यपूर्ण मानती है। तथापि, इस संबंध में एकत्रित किए गए तथ्य यह उल्लेख करते हैं कि करूर और ईरोड जिलों के किसानों ने यह पाया कि रंगाई एवं धुलाई कारखानों से उत्पन्न पर्यावरणीय प्रदूषण उनके कृषि उत्पादों के लिए घातक है।

नदी नॉयल में यह प्रदूषण और भी अधिक है। इस कारण करूर और ईरोड जिले के किसानों ने माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया। 1998 में माननीय न्यायालय ने रंगाई एककों को "शून्य डिस्चार्ज" कार्यान्वित करने का निदेश दिया जिससे आशोधित बहिस्राव का फिर से प्रयोग किया जा सके। चूंकि इन शर्तों को लगभग 737 एककों में से 89 रंगाई संयंत्रों के एक हिस्से को छोड़कर किसी ने पूरा नहीं किया है, अत: माननीय उच्च न्यायालय ने उन रंगाई और धुलाई एककों को बंद करने का आदेश देने का निर्णय लिया है जिनमें रिवर्स ऑसमोसिस (आर.ओ.) संयंत्र स्थापित नहीं किया गया है।

यह उल्लेखनीय है कि माननीय मद्रास उच्च न्यायालय का उपर्युक्त निर्णय माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के निदेश के बाद भी तिरूपुर के रंगाई और धुलाई कारखानों के बहिस्राव आशोधन संयंत्र संस्थापित न करने के कारण संभव हुआ है। यह उल्लेख करना संगत होगा कि वस्त्र प्रसंस्करण क्रियाकलाप को कठोर विनियमों में "खतरनाक क्रियाकलाप" के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है क्योंकि वस्त्र प्रसंस्करण क्रियाकलाप का उप-उत्पाद ही विषैले बहिस्राव का सृजन है, जिसे निपटान से पहले समुचित रूप में आशोधित किया जाना होता है। तथापि, बहिस्रावों के आशोधन के लिए कोई स्पष्ट वाणिज्यिक लाभ दिये बिना प्रक्रिया गृहों के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होती है। अत: वे यह निवेश करने से कतराते हैं तथा बहिस्रावों के आशोधन के अभाव में वस्त्र प्रसंस्करण से निकलने वाली सामग्री से जल निकायों का प्रदूषण होता है जिसका पर्यावरण पर परिणामी प्रभाव पड़ता है।

इस मंत्रालय की प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के तहत, बहिस्राव आशोधन संयंत्रों की संस्थापना के लिए बैंक ऋणों के विरुद्ध 5% ब्याज की प्रतिपूर्ति की जा सकती है। इसी प्रकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना के तहत प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए औद्योगिक एककों को सहायता प्रदान करने के वास्ते एक पैकेज है। इस पैकेज के तहत भी रियायती दरों पर ऋण दिए जाते हैं। औद्योगिक नीति व संवर्द्धन विभाग ने "औद्योगिक अध्यसंरचना उन्नयन योजना" नामक योजना के तहत तिरूपुर स्थित विभिन्न एककों के लिए अन्य बातों के साथ-साथ प्रदूषण नियंत्रण उपाय संस्थापित करने के लिए 50.00 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की है।

नोटिस के अनुसार 600 की संख्या वाले प्रभावित एकक लगभग 2.50 लाख कामगारों को रोजगार देते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि एक एकक औसतन 417 कामगारों को रोजगार देता है जो यह दर्शाता है कि ये एकक काफी बड़े आकार के हैं और इसीलिए पारि-मित्र बहिस्राव आशोधन संयंत्रों के संस्थापन की लागत आसानी से वहन कर सकते हैं।

---

*ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए सं. एल.टी. 2361/05

महोदय, कल ही मुझे बताया गया है कि माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि जिन एककों ने रिवर्स ओसमोसिस संयंत्रों के संस्थापन के लिए परियोजना लागत का 25% पहले ही दे दिया है वे ही परियोजना को पूरा किए जाने के लिए समय बताते हुए एक शपथ-पत्र दायर कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन के बाद 352 बंद एककों के पुनः खुलने की पूरी संभावना है।

महोदय, मैं माननीय सदस्य को पुनः आश्वस्त करना चाहूंगा कि मौजूदा योजनाओं के तहत सरकार बहिस्राव आशोधन संयंत्रों के संस्थापन में तिरूपुर क्षेत्र के वस्त्र प्रसंस्करण एककों को हर संभव सहायता प्रदान करना चाहेगी।

श्री के. सुब्बारायण: सभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए अत्यंत दुख है कि वस्त्र मंत्री का वक्तव्य उचित नहीं है। इसमें इसके किसी स्थायी समाधान का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

सर्वप्रथम मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। वक्तव्य में यह कहा गया है कि 600 कारखानों में लगभग 2.50 लाख श्रमिक कार्यरत हैं। यह सच नहीं है। केवल रंगाई और धुलाई कारखानों में ही इतने श्रमिक कार्यरत नहीं हैं। इसमें केवल 20,000 श्रमिक कार्यरत हैं। जब हम 5,000 होजियारी कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की संख्या को इसमें मिला लेते हैं तो यह लगभग 2.50 लाख हो जाती है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार और तमिलनाडु सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे बहिस्राव आशोधन संयंत्रों को स्थापित करने में आने वाले व्यय का वहन करें। मेरा यही सादर अनुरोध है क्योंकि रंगाई, धुलाई और होजियारी के कारखाने सामन्यतः छोटे, लघु और मध्यम उद्योग होते हैं। अतः केंद्र सरकार इस संबंध में कुछ कार्यवाही करनी चाहिए।

सभापति महोदय: श्री के.सी. पलनिसामी, आप एक अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

***श्री के.सी. पलनिसामी** (करबर): महोदय, जहां तक तिरूपुर में रंगाई और धुलाई के कारखानों का प्रश्न है, यह शहर धुलाई उद्योग के कारण जाना जाता है। इस सर्वोच्च सभा और केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मेरे सम्माननीय मित्र श्री सुब्बारायण द्वारा जो कुछ कहा गया है मैं उसे पुनः दुहराना चाहता हूं। महोदय, जब हमारे नेता डा. करुणानिधि तमिलनाडु सरकार का नेतृत्व कर रहे थे बहिस्राव आशोधन प्रसंस्करण इकाइयां लगाने हेतु 25 प्रतिशत की राजसहायता दी जाती थी। चूंकि इन संयंत्रों विशेषकर प्रतिक्रम परासरण संयंत्रों (रिवर्स आसमोसिस प्लांट्स) की स्थापना लागत किफायती नहीं है अतः, उनकी स्थापना पूर्ण रूप से नहीं की गई है। छोटी और लघु प्रसंस्करण इकाइयां इतना अधिक व्यय वहन नहीं कर सकती हैं। कुल निकलने वाले गन्दे रासायनिक जल का स्तर प्रतिदिन 5 करोड़ लीटर है और उसके शोधन की कीमत 50 करोड़ से अधिक होगी इसलिए यह निषेधात्मक हो जाता है। जब होजरी इकाइयां 6000 करोड़ रुपये के बुने हुए कपड़ों का प्रतिवर्ष निर्यात करती हैं और राज्य तथा केन्द्र दोनों सरकारों को करों का भुगतान करती है तो सरकारों को 50:50 का भार उठाते हुए और इकाई समूहों का चुनाव करते हुए साझे रासायनिक वहिष्प्रभावी संयंत्रों की स्थापना करने के लिए आगे आना चाहिए। इसलिए, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार होजरी इकाइयों और बुनाई उद्योग को लाभ पहुंचाने के लिए केन्द्रीयकृत सामान्य रासायनिक वहिष्प्रवाही संयंत्रों की स्थापना सुनिश्चित करेगी जिससे हजारों कामगारों और उनके परिवारों को मदद मिलेगी जिन पर प्रसंस्करण इकाइयों के बंद होने और उसके परिणामस्वरूप होजरी इकाइयों के बंद होने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा?

श्री ए.वी. बेल्लारमिन (नागरकोइल): जब तिरूपुर इकाइयां निर्यात कर रही हैं और प्रतिवर्ष 6000 करोड़ रुपये से अधिक अर्जित कर रही हैं और करों के रूप में 1800 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाता है तब यह दुर्भाग्य है कि वस्त्र मंत्रालय वस्त्र और पोशाक उद्योग के हित में और बुनाई क्षेत्र के कामगारों, उनके परिवार के सदस्यों और उसके आसपास रहने वाली ग्रामीण जनसंख्या के हित में केन्द्रीकृत रासायनिक वहिष्प्रभावी शोधन संयंत्रों की स्थापना करके होजरी और उससे संबंधित डाई इकाइयों की सहायता के लिए आगे नहीं आया है। इसलिए, मैं वस्त्र मंत्री से जानना चाहता हूं कि इस तरह की समस्या कुछ समय से विद्यमान थी तो वस्त्र मंत्रालय ने कोई प्रयास क्यों नहीं किया ऐसा ज्ञात हुआ है कि औद्योगिक नीति विभाग ने केवल इंडस्ट्रियल सुपर-स्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्कीम के लिए ही 50 करोड़ रुपये का निर्णय लिया था।

क्या भारत सरकार इस स्थिति की गंभीरता पर विचार करते हुए कि 3.5 लाख कामगारों का रोजगार समाप्त हो रहा है, 660 रंगाई इकाइयां बंद हैं और हजारों होजरी इकाइयां बंदी की समस्या का सामना कर रही है, कोई राहत का उपाय करेगी? मेरा सवाल यही है।

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

सभापति महोदय: श्री वी.पी. सिंह - केवल स्पष्टीकरण संबंधी एक प्रश्न।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (भीलवाड़ा): मेरा एक विशिष्ट सवाल है। क्या यह सच नहीं है कि अधिकांश रासायनिक बहिष्प्रवाही संयंत्र जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं प्रोसेस्ड हाउसेस और रंगाई संयंत्रों की तुलना में अधिक महंगे हैं? अत:, वे उसका खर्च वहन नहीं कर पाएंगे। यदि वे साथ-साथ नहीं स्थापित हैं तो आप कोई साझा रासायनिक बहिष्प्रवाही संयंत्र नहीं लगा सकते हैं। तब इसका समाधान क्या है?

मैं मंत्री महोदय से दूसरा प्रश्न यह पूछता हूं कि सभी राज्यों में प्रदूषण बोर्ड हैं, और वे अनापत्ति प्रमाण पत्र देते हैं। क्या वे वास्तव में अपना कार्य कर रहे हैं और इन सबका समाधान क्या है? क्योंकि उस क्षेत्र में रासायनिक बहिष्प्रवाह और प्रदूषण इतना अधिक होता है कि इससे उस क्षेत्र में अनेक आपदाएं पैदा होती हैं। मंत्री महोदय, इसका कोई समाधान नहीं है, आपको इसका समाधान ढूंढना चाहिए। अब तक कोई ऐसा समाधान नहीं है जो सामने आया हो।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय: अब, माननीय मंत्री उत्तर दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला: सभापति जी, पॉल्यूशन कंट्रोल करने का काम टैक्सटाइल मिनिस्ट्री की पैरिफरी में नहीं आता है। जो स्टेट पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होते हैं जो इसको कंट्रोल करने का काम करते हैं, वे देखते ही नहीं हैं कि पानी सही जाता है या नहीं। चेन्नई हाई कोर्ट में किसान लोग गए इसलिए स्टे आया है। इसमें टैक्सटाइल मिनिस्ट्री बीच में नहीं आती है। हमने पूरा इनफ्रास्ट्रक्चर डैवलप करने के लिए टैक्सटाइल मिनिस्ट्री ने आज तक एपेरल पार्क्स और टी.सी.आई. डी.एस. दो स्कीमें इंप्लीमैंट कीं। एक में 17 करोड़ रुपए दिये जाते थे और दूसरे में 20 करोड़ रुपये दिये जाते थे। इसमें एफ्लुएंट प्लांट भी आ जाते हैं। मैं रिकार्ड पर कहना चाहता हूं कि अभी तक किसी ने नहीं कहा है कि टैक्सटाइल मिनिस्ट्री इसमें हमारे काम में आए। 17 मई, 2005 को तिरुपुर एक्सपोर्टर्स एसोसियेशन की ओर से कुछ पैसे मांगे गए हैं जो हमारे पर्व्यू में नहीं आते हैं। फिर भी हमने इसमें 11 करोड़ विंड मिल के लिए दिये हैं। 9 करोड़ रुपये और भी हम अगर वह चाहेंगे तो देंगे। 50 करोड़ रुपये इंस्टाल्ड पाल्यूशन कंट्रोल मद्रास के लिए दिये गये हैं जिसमें से 25 करोड़ रुपये रिलीज किये गये हैं। हमारे मिनिस्टर ए. राजा जो एनवायर्नमैंट मंत्रालय देखते हैं, वे तमिलनाडु के हैं। मेरी उनसे बात हुई कि राज्य सरकार जो भी करती है, ठीक है। एनवायर्नमैंट मिनिस्टर के साथ बैठकर इनके मंत्रालय की ग्रांट में से और हमारे मंत्रालय की ग्रांट में से हमारे सामने कोई प्रोजेक्ट रखेंगे तो उसको हम सिम्पेथैटिकली कंसिडर करेंगे।

अपराह्न 3.52 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति के वास्तविक सदस्यों को प्रमाण-पत्र जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): सभापति महोदय, संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ में अनुसूचित जाति के सदस्यों को हालांकि अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र नहीं दिए जाने से वास्तव में उन्हें सभी लाभों से वंचित किया जा रहा है जो उनके प्रति अन्याय है - हालांकि चंडीगढ़ के संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश में उनकी जातियों को शामिल किया गया है। प्रासंगिक नियमों के गलत निर्वचन से वे व्यक्ति भी इन प्रमाण पत्रों से वंचित हो रहे हैं जो 1-11-1966 के पश्चात् स्वयं चंडीगढ़ में पैदा हुए थे। ज्ञात हो कि इस तिथि को चंडीगढ़ अस्तित्व में आया था। इस प्रकार के भी मामले आए हैं जिनमें बड़ी संतान के पास प्रमाण पत्र है लेकिन छोटी संतान को प्रमाण पत्र जारी से इंकार कर दिया जाता है। इन राज्यों के निवासी जो इनकी राजधानी में बस गए हैं उन्हें यह लाभ नहीं दिया जा रहा है जबकि वह इसके पात्र हैं।

अपराह्न 3.53 बजे

(श्री अर्जुन सेठी पीठासीन हुए)

ऐसा तब है जबकि नवीनतम जनगणना के अंतर्गत उन्हें अनुसूचित जातियों के अंतर्गत दर्ज किया गया है और चंडीगढ़ में यथास्वरूप में लागू पंजाब नगर निगम अधिनियम भी शहर में 1966 से पहले बसने वालों और 1966 के बाद बसने वालों में कोई अंतर नहीं किया गया है।

इस वर्तमान भेदभाव से जनसंख्या के बहुत बड़े हिस्से में चिन्ता एवं भय व्याप्त हो रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले की अविलम्ब समीक्षा करे और

उन सभी असली अनुसूचित जाति के सदस्यों - जिनकी जातियां संविधान आदेश में सम्मिलित की गई हैं - को अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निर्देश दिए जाएं।

(दो) पड़ोसी देशों से उग्रवादियों की घुसपैठ को रोकने की दृष्टि से उत्तरांचल की सीमाओं पर सीमा सड़क संगठन द्वारा सड़कों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री के.सी. सिंह "बाबा" (नैनीताल): सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री महोदय जी का ध्यान उत्तरांचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों की ओर दिलाना चाहता हूं जो नेपाल देश की सीमा से लगे हैं। इन क्षेत्रों पर सीमा सड़क संगठन बी.आर.ओ. द्वारा सड़क निर्माण कराने की आवश्यकता है।

महोदय, उत्तरांचल की सीमा में नेपाल देश से माओवादियों की घुसपैठ की सम्भावना है जोकि एक चिन्ता का विषय है। इस कारण प्रदेश में दहशत फैल रही है। माओवादियों की घुसपैठ से हमारे प्रदेश तथा देश की सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो सकता है।

महोदय, उत्तरांचल एक ओर चीन-तिब्बत की सीमाओं तथा दूसरी ओर नेपाल की विशाल सीमा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। उत्तरांचल राज्य में स्थित पूर्णागिरी, पंचेश्वर, झूलाघाट, जौलजीवी, धारचूला, तवाघाट, नारायण आश्रम, मालपा, गर्बियांग और कालापानी नेपाल देश की सीमा के साथ लगे होने के कारण इन ग्रामीण क्षेत्रों में सीमा सड़क संगठन बी.आर.ओ. द्वारा सड़क निर्माण सुनिश्चित करना, गांवों के समस्त विकास संबंधी कार्यनीति के लिए अत्यधिक अनिवार्य है। सड़क निर्माण होने से बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सार्वजनिक सेवाएं मिलेंगी और ग्रामीण तथा शहरी जीवन के बीच का अन्तर दूर होगा। यह सुरक्षा, संरक्षा, आत्म-सम्मान, सामाजिक स्थिति और सांस्कृतिक पहचान बनाने में भी योगदान देगा।

महोदय, मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त विषय की गम्भीरता को देखते हुए उक्त वर्णित क्षेत्रों में सड़क निर्माण करने के लिए जल्दी से जल्दी सीमा सड़क संगठन बी.आर.ओ. को निर्देश दिए जाएं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय:

श्री रायापति सांबासिवा राव : उपस्थित नहीं

श्री एस.के. खारवेनथन

(तीन) एरोड जिले में न्यायालय भवनों के निर्माण के लिए तमिलनाडु सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): ईरोड जिले में, मेरे लोक सभा संसदीय क्षेत्र पलानी में अधिकांश न्यायालयों में पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं नहीं हैं। विशेषकर मेरे जिला मुख्यालय ईरोड में आपराधिक न्यायालय के लिए कोई भवन नहीं है। वर्ष 1985 में राज्य सरकार द्वारा आपराधिक न्यायालय परिसर के निर्माण के लिए भूमि का आबंटन किया गया था। लेकिन इस समय आपराधिक न्यायालय पांच विभिन्न जगहों पर चल रहे हैं। वकील और मुवक्किल समय पर न्यायालय नहीं पहुंच पा रहे हैं। प्रत्येक वर्ष एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय आते जाते समय सड़क दुर्घटना में अनेक वकील मारे जाते हैं।

इसी प्रकार कंगायम में भी न्यायालय तबेलों में चलाए जा रहे हैं। डिंडीगुल जिले में वेदसंतुर न्यायालय को किराए की एक टूटी-फूटी इमारत में चलाया जा रहा है। कोडुमुडी न्यायालय भी नदी की सतह पर एक छोटे से शेड में चल रहा है। तमिलनाडु सरकार ने न्यायालय भवनों के प्राथमिकता के आधार पर निर्माण के लिए धनराशि आवंटन करने हेतु केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं। ये प्रस्ताव कई वर्षों से लम्बित पड़े हैं। समय-समय पर मैंने यह मामला सरकार और प्राधिकारियों के साथ भी उठाया है। लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

इसलिए, मैं माननीय विधि और न्याय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि शीघ्र ही उपर्युक्त न्यायालयों के निर्माण हेतु आवश्यक निधियां आवंटित करने हेतु इस मुद्दे को वित्त मंत्रालय के साथ उठाएं।

(चार) ऑल नागा स्टुडेंट्स एसोसिएशन द्वारा मणिपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 39 और 53 पर लगाए गए आर्थिक अवरोध के निवारण के लिए केन्द्र के हस्तक्षेप की आवश्यकता

डा. टोकचोम मैन्या (आंतरिक मणिपुर): ऑल नागा स्टूडेन्ट्स एसोसिएशन मणिपुर (ए.एन.एस.ए.एम.) द्वारा 21 जून, 2005 से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 39 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 53 पर - जो मणिपुर की केवल दो जीवन रेखाएं है - फिर महीनों से आर्थिक अवरोध पैदा किए हैं। इस अवधि के दौरान मणिपुर के लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और ये कठिनाइयां पहाड़ी जिलों में रहने वाले हमारे भाइयों के लिए बहुत अधिक हैं। आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बहुत अधिक बढ़ गए हैं। आवश्यक वस्तुएं बाजार में

[डा. टोकचोम मैन्या]

उपलब्ध नहीं हैं। राज्य पहले से ही बहुत कठिनाइयों से गुजर रहा है।

कारण चाहे जो भी हों हर मुद्दा बातचीत के माध्यम से सद्भावनापूर्ण ढंग से हल किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा बातचीत का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया और अवरोध जारी रहा।

यह स्थिति जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी और हमारे साथ इस प्रकार का बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं है।

इस परिदृश्य में सभी संबंधित व्यक्तियों के हित में मैं केन्द्र सरकार से तुरन्त हस्तक्षेप करने और गतिरोध को दूर करने हेतु राज्य सरकार की सहायता करने का अनुरोध करता हूं। इन राष्ट्रीय राजमार्गों की पूर्ण रूप से सुरक्षा किए जाने की आवश्यकता है। इन राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए हमें राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा बल गठित करना चाहिए और भविष्य में इस प्रकार बार-बार होने वाले गतिरोध को रोकना चाहिए।

अपराह्न 4.00 बजे

(पांच) शिक्षकों की कमी के कारण मान्यता रद्द किए गए मेडिकल कालेजों की मान्यता पुन: बहाल किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख (शोलापुर): सभापति महोदय, देश में हर साल नए मेडीकल कालेजों को मान्यता दी जाती है, पर जिन मेडीकल कालेजों को पहले से अनुमति मिली है, उनको पुन: मान्यता देने में सरकार द्वारा अध्यापकों की कमी का कारण बताया जाता है।

यदि सच में अध्यापकों की कमी है तो नए कालेजों के निर्माण पर रोक क्यों नहीं लगाई जाती। पुराने कालेजों को पुन: मान्यता न मिलने से संस्थाओं तथा विद्यार्थियों का भविष्य अंधेरे में है।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि पहले से मान्यता प्राप्त कालेजों की वापस ली गई मान्यता को बहाल किया जाये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय:

श्री वाई.जी. महाजन : उपस्थित नहीं।

प्रो. रसा सिंह रावत : उपस्थित नहीं

श्री संतोष गंगवार

(छह) उत्तर प्रदेश की लंबित पड़ी कतिपय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली): सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख भूतल परिवहन की योजनाएं, जो पूर्व में लम्बित हैं, सरकार के द्वारा इनको प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, जबकि यह समस्त कार्य पूर्व से स्वीकृत है तथा निर्माण की प्रक्रिया के अन्तिम दौर में है। मेरी भूतल परिवहन मंत्री से मांग है कि इन परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर प्रारम्भ कर पूर्म करवायें:-

1. राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के ऊपर महानगर बरेली पर बाईपास का निर्माण, जो प्रारम्भ होने की स्थिति में है।

2. बरेली-बागेश्वर मार्ग, जो अन्तर्राज्यीय मार्ग है, जिसके लिए पूर्व में सी.आर.एफ. द्वारा धन आबंटित है, का शीघ्र प्रारम्भ किया जाये।

3. राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के रामपुर व बरेली राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य मीरगंज व फतेहगंज पश्चिमी स्थानों पर रेल ओवरब्रिज के निर्माण को स्वीकृत कर प्रारम्भ करवाया जाये।

4. राष्ट्रीय राजमार्ग 24, जो दिल्ली से लखनऊ के मध्य है, यातायात की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पूर्ण मार्ग, विशेषकर मुरादाबाद-बरेली-लखनऊ को चार लेन का किया जाये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय:

श्री महावीर भगोरा : उपस्थित नहीं

श्री लक्ष्मण सेठ : उपस्थित नहीं

श्री पी. मोहन : उपस्थित नहीं

श्री मुनव्वर हसन : उपस्थित नहीं

श्री गिरिधारी यादव

(सात) देवघर और पटना के बीच राज्य राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री गिरिधारी यादव (बांका): सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बांका के देवघर से जमूई शेखपुरा नालन्दा होकर पटना पहुंचने वाली सड़क की हालत बहुत ही खराब है और उत्तर प्रदेश के अधिकांश वाहन इसी सड़क से पश्चिम बंगाल एवं झारखंड जाते हैं। यह बिहार के अत्यन्त व्यस्त मार्गों में से एक मार्ग है। देवघर के तीर्थदर्शन के लिए बिहार एवं उत्तर प्रदेश के लोग इसी सड़क का प्रयोग करते हैं। इस सड़क पर जो शहर पड़ते हैं, उन पर कभी-कभी यातायात जाम भी हो जाता है। आजकल सरवनी मेला चल रहा है और लोगों को बहुत ही दिक्कत हो रही है।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि देवघर और पटना के बीच बिहार के पी.डब्ल्यू.डी. मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग जल्द घोषित किया जाये, जिससे इस मार्ग का सुधार हो सके।

(आठ) उत्तर प्रदेश के शाहबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बी.एस. एन.एल. की टेलीफोन सेवाओं को कारगर बनाए जाने की आवश्यकता

श्री इलियास आजमी (शाहाबाद): सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र के जिला लखीमपुर खीरी में बी.एस.एन.एल. की लैंड लाइन तथा मोबाइल सेवा की स्थिति अत्यन्त खराब है। मोहम्मदी जैसे बड़े कस्बे में एक साल से अधिक समय से टावर चालू है, परन्तु वहां एक भी सिम वितरित नहीं हुआ है।

गोला जैसे महत्वपूर्ण कस्बे में भी एक साल से कोई सिम वितरण नहीं हुआ है, न ही कोई लैंड लाइन कनैक्शन मिला, जबकि पड़ोस के किसी जिले में कोई समस्या नहीं है।

जनता मजबूर होकर सांसदों से पत्र लिखवा कर जी.एम. के पास जाती है, किन्तु जनता को वहां से कोई राहत नहीं मिलती।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र शाहबाद के जिला खीरी में बी.एस.एन.एल. की लैंड लाइन तथा मोबाइल सेवा की सुविधा शीघ्र प्रदान की जाये तथा वहां जी.एम. (टेलीफोन) को तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आपके लिखित वक्तव्य के अलावा कुछ भी कार्यवाही वक्तव्य में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**...

(नौ) महाराष्ट्र में विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): महाराष्ट्र राज्य में विद्युत के वर्तमान संकट के कारण महाराष्ट्र के उद्योग धंधे एवं कृषि तो प्रभावित हुए ही हैं, साथ ही घरेलू बिजली की आपूर्ति नहीं होने के कारण आम जनता भी काफी परेशान है।

केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि महाराष्ट्र के दाभोल, बाव-I और II, देवादे तथा मऊदा पावर प्रोजेक्ट्स को शीघ्र पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि आम जनता को बिजली की परेशानी से राहत मिल सके।

(दस) आंध्र प्रदेश के काजू उत्पादकों को ड्रम रोस्टिंग प्रणाली के माध्यम से बीज की रोस्टिंग की विद्यमान प्रौद्योगिकी को जारी रखने की अनुमति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डा. एम. जगन्नाथ (नगर कुरनूल): महोदय, स्वाद और आकार की दृष्टि से आन्ध्र प्रदेश में उत्पादित काजू का केरल के काजू के बाद दूसरा स्थान है। यह अब अपना स्वाद बरकरार नहीं रख सकता है क्योंकि काजू प्रसंस्करण एककों को ऐसी प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए बाध्य किया जाता है जिसका कि काजू बीज की सुगन्ध और उसके स्वाद पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में, काजू बीज को ड्रम रोस्टिंग विधि से भूना जाता है। इससे काजू का स्वाद और बढ़ जाता है क्योंकि भूनने की प्रक्रिया में जल नहीं होता है और काजू फली के अन्दर ही भुन जाता है। लेकिन क्वथन प्रौद्योगिकी, जिसे काजू उत्पादकों पर थोपा जा रहा, में काजू बीज की सुगंध और इसका स्वाद समाप्त हो जाता है।

केरल के कई कोल्लम एकक, जो पिछले दो वर्षों से इस नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहे थे, वित्तीय घाटे के कारण पुन: ड्रम रोस्टिंग प्रणाली अपनाने जा रहे हैं। आजकल, आन्ध्र

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[डा. एम. जगन्नाथ]

प्रदेश के काजू उत्पादकों को इस नई प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए बाध्य किया जा रहा है। इस प्रकार प्रौद्योगिकी में बदलाव करने से काजू विनिर्माताओं को अपना एकक बन्द करना पड़ सकता है। इससे किसानों में न केवल हताशा पैदा होगी अपितु इसका विदेशी मुद्रा अर्जन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

महोदय, आन्ध्र प्रदेश में प्रतिवर्ष 80 कि.ग्रा. वाले 5 लाख थैले काजू का उत्पादन किया जाता है। आंध्र प्रदेश के किसान केरल के विनिर्माताओं को कच्चा काजू बेच रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश की नौ किस्मों में से 210, 160, 240, 320 आधे और टुकड़े विभिन्न उपभोक्ता वर्गों के बीच प्रसिद्ध है। काजू बीज की मिठास को मापने का कोई पैमाना नहीं है, फिर भी वजन करके इसकी गुणवत्ता निर्धारित की जाती है। आन्ध्र प्रदेश का काजू पूरे देश में भेजा जाता है।

महोदय, मैं आपके जरिए सरकार से अनुरोध करता हूं कि सभी काजू उत्पादकों को काजू भूनने की विद्यमान ड्रम रोस्टिंग प्रणाली का उपयोग जारी रखने की अनुमति दें।

(ग्यारह) राज्य में श्रमिकों के असंतोष को रोकने की दृष्टि से असम में चाय बागान श्रमिकों को 20 प्रतिशत बोनस प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर) : महोदय, चाय बागानों के संबंधित प्रबन्धन द्वारा लाभ और हानि के आंकड़ों में हेरा-फेरी करके बोनस के प्रतिशत निर्धारण में मनमानी किए जाने के कारण उत्पन्न चाय बागान श्रमिकों की समस्या असम में श्रमिक असंतोष का मुख्य कारण बन गया है। निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा नीलामी बाजार में चाय के मूल्यों में हेरा-फेरी कर श्रमिकों को वैध बोनस से वंचित रखा जाता है। इसके परिणामस्वरूप न केवल सरकारी राजस्व की हानि होती है, बल्कि इससे गुवाहाटी चाय नीलामी बाजार के अंधकारमय भविष्य का भी पता चलता है और इस स्थिति में सरकारी नीतियों में व्याप्त त्रुटि के कारण उत्पादकों को अपनी 70 प्रतिशत प्रसंस्कृत चाय नीलामी बाजार के बजाय सीधे बेचनी पड़ती है।

अत: सरकार से यह अनुरोध है कि पारदर्शी नीति के माध्यम से चाय बागान श्रमिकों को 20 प्रतिशत बोनस का भुगतान करना और गुवाहाटी नीलामी बाजार के माध्यम से कम से कम 80 प्रतिशत प्रसंस्कृत चाय बेचने के लिए चाय उत्पादकों को बाध्य करने हेतु मौजूदा प्रक्रिया में संशोधन कर गुवाहाटी चाय नीलामी बाजार को बंद होने से बचाना सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार हस्तक्षेप करे। भविष्य में ऐसी हेरा-फेरी रोकने के लिए ऐसे चूककर्ता बागानों की महालेखाकार द्वारा संवीक्षा सुनिश्चित करने के लिए विधायी उपाय भी किए जाने चाहिए। असम चाय बागान श्रमिक अधिनियम, 1951 सहित अन्य संबंधित कानूनों का सख्ती से प्रवर्तन कर श्रमिक कल्याण उपायों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए भी समय पर हस्तक्षेप करना अत्यावश्यक है। जिन चाय बागान मालिकों ने असम चाय बागान भविष्यनिधि और पेंशन निधि में करोड़ों रुपए की चूक की है, उनके विरुद्ध अभियोजन चलाकर असम चाय बागान भविष्यनिधि और असम पेंशन निधि में नियोक्ताओं द्वारा अनिवार्य अंशदान संबंधी केन्द्रीय कानूनों को कड़ाई से लागू किया जाए।

अपराह्न 4.11 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश में प्राकृतिक आपदाएं - *जारी*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभा देश में प्राकृतिक आपदाओं के बारे में श्री बसुदेव आचार्य द्वारा 26 जुलाई, 2005 को उठाई गई चर्चा पर आगे चर्चा करेगी।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली): सभापति महोदय, सदन की सीरियसनैस इसी बात से दिखाई दे रही है कि इस समय सदन में कोई भी कैबिनेट मंत्री नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: वे आने वाले हैं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): परम्परा के अनुसार किसी कैबिनेट मंत्री को यहां रहना चाहिए।

सभापति महोदय: वे आ रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे यहां आएंगे।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना): सभापति महोदय, मैं नियम, 193 के तहत प्राकृतिक आपदाओं के बारे में चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी देश के कई

बड़े हिस्सों में बाढ़ के कारण भारी नुकसान हुआ है। दुनिया के अंदर हमारे देश की जलवायु की बड़ी तारीफ होती है। लेकिन हमें कहीं न कहीं उसका भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कहीं बाढ़ आती है, कहीं सूखा रहता है, कहीं बर्फबारी होती है, कहीं भूकम्प आता है और कहीं सुनामी की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। प्रकृति का संतुलन दिनों-दिन बिगड़ता जा रहा है। इस पर हमें कहीं न कहीं गंभीर चिन्ता करने की जरूरत है। हमारे देश का किसान एक कहावत कहा करता है कि हमारा देश भगवान भरोसे आधारित है और निश्चित तौर पर ऐसा लगने लगा है कि अब भगवान भरोसे ही हमारी प्रकृति का पूरा मामला टिका हुआ है। पहले बादल बरसा करते थे, अब बादल फट रहे हैं। समुद्र की मर्यादा का लोग उदाहरण दिया करते थे, लेकिन अब समुद्र में भी बाढ़ आ रही है और कहीं न कहीं सुनामी के माध्यम से सारी जानकारी सबके सामने है। अभी भी समुद्री तटों से खबरें आती रहती हैं कि आज वहां लहरों के कारण काफी नुकसान हुआ। पहले बर्फ गिरा करती थी, अब बर्फ की बड़ी-बड़ी दीवारें खड़ी हो रही हैं। देश के भीतर बर्फ की 12-12 मीटर ऊंची दीवारें खड़ी हो रही हैं। इससे कहीं न कहीं लगता है कि प्रकृति का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ा है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछले साल देशभर के 17 राज्यों में बाढ़ आई थी यानी दो-तिहाई हिस्से हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं। 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की सम्पत्ति सालभर में नष्ट होती है। पिछले साल 128 जिले प्रभावित हुए थे, 367.11 लाख लोग प्रभावित हुए थे, 30.42 लाख हेक्टेयर भूमि पर फसल नष्ट हुई। 15 लाख से अधिक मकान गिरे थे। इस वर्ष भी लगभग यही स्थिति पूरे देश में बनी हुई है। आज पूरे देश के कई राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब मुम्बई से जिस ढंग से खबरें आ रही हैं, ऐसा लगता है कि वह और भयावह स्थिति बनती जा रही है। हमारे मध्य प्रदेश में 1 से 4 जुलाई के बीच 17 जिले भयंकर रूप से प्रभावित हुए, जिनमें से 9 जिले पूरी तरह बाढ़ में हफ्तों तक डूबे रहे। 8 जिले अति-वृष्टि से प्रभावित हुए। मध्य प्रदेश में लगभग 4,577 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए। 24 लाख लोग इससे पीड़ित हुए। 6 बड़े शहर पूरी तरह हफ्तेभर जलमग्न रहे। अब तक सैंकड़ों लोग मारे गये। 42 हजार पशुधन का नुकसान हुआ। 61 हजार से अधिक मकान पूरी तरह से गिर गये और लगभग एक लाख 20 हजार से अधिक मकानों को आंशिक रूप से नुकसान हुआ। हमारे मध्य प्रदेश में 23,900 से ज्यादा हैक्टेयर भूमि पर जो फसल बोई हुई थी, वह भी उगने से पहले ही पूरी तरह से नष्ट हो गयी। मेरे निर्वाचन क्षेत्र जहां से मैं आता हूं - सतना कटनी में लगभग 70 करोड़ रुपये से अधिक की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ है और दस हजार से अधिक मकान वहां गिर गये हैं। बड़ी संख्या में सड़कें, बिजली, पुल-पुलिया आदि का नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में जो प्रारम्भिक आकलन किया है, उसके हिसाब से वहां 62,821 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। राज्य ने केन्द्र सरकार से इसकी मांग की है लेकिन अभी तक हमें 93 करोड़ रुपये के आस-पास ही मिले हैं जो कि बहुत कम है। हमारी मांग है कि तत्काल वहां पर 100 करोड़ रुपया दिया जाये जिससे हम पीड़ित लोगों की मदद कर सकें।

प्रदेश में बाढ़ इतनी भयंकर थी कि हमारे 200 गांव हफ्तों डूबे रहे। हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने वहां पर बाढ़ पीड़ितों को सहायता पहुंचाने के लिए 300 से अधिक शिविरों का निर्माण कराया था जहां डेढ़ लाख से अधिक लोगों को 15 दिनों तक मदद पहुंचाने का काम हुआ। लगभग 845 मीट्रिक टन खाद्यान्न हमारे राज्य सरकार ने बांटा। आर.वी.सी. एक्ट जो अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ था, उसमें कभी भी संशोधन नहीं हुआ। हमारी राज्य सरकार ने उसमें संशोधन करके पीड़ितों को मदद पहुंचाने का काम किया। वहां अब तक 90 लाख रुपये के मूल्य का खाद्यान्न वितरित हो चुका है। अभी तक 40 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत करके डेढ़ लाख से अधिक हितग्राहियों को मदद पहुंचाने का काम हुआ है। हमारे प्रदेश के अंदर 17 जिलों में 291.91 लाख रुपये के बीच की तकावी के वितरण का काम भी हो चुका है।

मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि गुजरात में लगभग 26 जिले प्रभावित हुए हैं। वहां आठ हजार गांव पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में रहे। 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ और दो लाख लोग बेघरबार हो गये। सवाल यह है कि हम हर साल प्राकृतिक विपदा को झेल रहे हैं। इसका कोई न कोई स्थायी हल ढूंढने का प्रयास होना चाहिए। जिन कारणों से बाढ़ आ रही है, उन कारणों की पहचान होनी चाहिए और उन कारणों को खत्म करने के लिए केन्द्र सरकार को राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित करके उन दिक्कतों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए।

मैं पिछली सरकार के माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने प्राकृतिक विपदा के संतुलन को बनाये रखने के लिए एक प्रयास किया था। उन्होंने नदियों को आपस में जोड़ने का प्रयास शुरू किया था लेकिन दुर्भाग्य है कि जब यू.पी.ए. की सरकार आई तो उसने उस योजना को ठंडे बस्ते में डाल

[श्री गणेश सिंह]

दिया। आज देश का एक हिस्सा पूरी तरह से बाढ़ से परेशान है। दूसरा हिस्सा सूखे से परेशान है और तीसरा हिस्सा किसी और प्राकृतिक आपदा से परेशान है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इसके लिए एक आवश्यकता महसूस की जा रही है। सदन में हर साल इन पर चर्चा करते हैं और हर साल केन्द्र सरकार राज्य सरकार को मदद भी कर रही है। वह राज्य सरकार को कई करोड़ रुपया हर साल दे रही है लेकिन कहीं न कहीं स्थायी रूप से कुछ हल नहीं निकल पाया। मुझे लगता है कि आज जरूरत है कि हमको कोई स्थायी हल तलाशना चाहिए।

मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि राज्य सरकारों का जो नुकसान हुआ है, केन्द्र सरकार उनकी पूरी तरह से मदद करे खास तौर से जिन गरीबों के मकान गिर गये हैं, जो पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, उनको ज्यादा नहीं तो कम से कम एक-एक इंदिरा आवास तत्काल देकर इमदाद पहुंचाने का काम करना चाहिए। मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकार इस पर अत्यंत गंभीर हो। हमारे यहां जब बाढ़ आई थी तब हम लोगों ने प्रधान मंत्री जी को सूचना भेजी थी। उन्होंने अपने एक मंत्री जी को वहां भेजा था और उन्होंने वायदा किया था कि हमारा केन्द्रीय अध्ययन दल वहां जायेगा लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक केन्द्रीय अध्ययन दल मध्य प्रदेश नहीं पहुंचा। मेरी विनती है कि वहां तत्काल केन्द्रीय अध्ययन दल जाकर उसका अध्ययन करे और अधिक से अधिक मध्य प्रदेश को मदद देने का काम करे। वैसे भी मध्य प्रदेश के साथ अन्य योजनाओं में भारी पक्षपात हो रहा है। हम जितनी मदद मांगते हैं, उतनी मदद केन्द्र सरकार की तरफ से हमें नहीं मिलती। हमारे राज्य के चार-चार मंत्री इस सरकार में हैं लेकिन कभी भी उन्होंने मध्य प्रदेश के विकास को प्राथमिकता नहीं दी। मैं कहना चाहता हूं कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन करें। मध्य प्रदेश की जनता मध्य प्रदेश सरकार के काम को देख रही है और यहां पर जो केन्द्रीय मंत्री हैं, वे उनके भी काम को देखने का काम कर रहे हैं। मेरा आग्रह है कि जनता के हितों के लिए और राज्य के विकास के लिए जितनी अधिक से अधिक मदद आप कर सकते हैं, वह करनी चाहिए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपक बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री के.एस. राव (एलुरू): सभापति महोदय, प्राकृतिक आपदाओं के इस विषय पर लगभग प्रत्येक वर्ष चर्चा होती है। किंतु दुर्भाग्यवश सत्तासीन विभिन्न सरकारों ने इस विषय को लेकर वास्तविक प्रतिबद्धता या दृढ़ता या इच्छा का परिचय नहीं दिया है। जब वे विपक्ष में होते हैं तो इस संबंध में बात करते हैं किंतु सत्ता में आने पर समस्या के मूल में जाने की बजाय थोड़ा-बहुत ऊपरी बदलाव भर कर देते हैं। जब आपदा आती है तो वे लोगों को खतरे से बाहर निकालने के लिए तत्काल कुछ सहायता उपलब्ध करा देने की सोचते हैं जो अस्थायी प्रकार की होती है किंतु कोई स्थायी समाधान नहीं खोजा जाता है जबकि हमें स्थायी समाधान की आवश्यकता है न कि अस्थायी राहत की।

जैसा कि मुझसे पहले बोलने वाले मेरे साथियों ने कहा है, आपदाओं से होने वाली हानि कल्पना से परे है। पिछले तीन वर्षों में, विभिन्न राज्य सरकारों ने प्राकृतिक आपदाओं के कारण सहायता के लिए 1,03,725 करोड़ का दावा किया और केन्द्र की टीम ने 13,671 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की। प्रत्येक वर्ष, एन.सी.सी.एफ. और सी.आर.एफ. के माध्यम से केन्द्र सरकार न्यूनतम 4000 करोड़ रुपए दे रही है जबकि यह सहायता आपदाओं से होने वाली कुछ हानियों का केवल एक या दो प्रतिशत ही बैठती है। यदि किसी किसान की जमीन बाढ़ में डूब जाती है तो उसका कितना नुकसान होता है? बाढ़ आने पर यदि किसी किसान की फसल डूबती है तो उसे 20000 रुपए की हानि होती है यदि मछली तालाब है तो हानि 1,50,000 रुपए की हो जाती है। झींगा तालाब होने पर यह हानि 4 लाख तक पहुंच जाती है किंतु सरकार द्वारा उसे 2000 या 4000 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रतिपूर्ति दी जाती है। स्पष्ट है भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि, बाढ़ या सूखे से होने वाली हानि की भरपाई नहीं कर पाती। सरकार इसकी ओर कभी भी ध्यान नहीं देती है। यह सारा दोष योजना में ही है।

70 के दशक में डा. के.एल. राव ने नदियों को आपस में जोड़ने की योजना बनाई थी किंतु वह अभी भी ठंडे बस्ते में बंद है। अब जबकि श्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में नदियों को जोड़ने संबंधी समिति ने यह कहा कि इस परियोजना पर 5,60,000 करोड़ रुपए लगेंगे तो इस योजना को तत्काल त्याग दिया गया। उन्हें लगा कि यह राशि बहुत बड़ी है और परियोजना संभव नहीं है। इसकी संभावना के विषय में किसी ने भी गंभीरता से विचार नहीं किया। हम इस देश की नदियों को आपस में न जोड़ने पर कितना धन व्यय कर रहे हैं? क्या हम एक गंभीर समस्या बन चुकी बाढ़ व सूखे को रोक नहीं सकते हैं?

यह ठीक है कि हमारे यहां भूकंप, सूनामी, चक्रवात आदि जैसी आपदाएं भी आती हैं। कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर है। इस विषय में हम विकसित तकनीक से केवल अग्रिम

चेतावनी दे सकते हैं किंतु हम इन्हें पूर्णतया नियंत्रण में नहीं ला सकते। लेकिन सूखा व बाढ़ पर तो आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है। इसके लिए विदेश से तकनीक का आयात नहीं करना है। इस पर बहुत सारा धन व्यय नहीं करना है। हमें सिर्फ इतना करना है कि एक पहाड़ी को जमीन में और लाईमस्टोन को सीमेंट में बदलना है। हम अपनी जनता को प्रेरित करके यह सब कर सकते हैं। किंतु समस्या यह है कि हमने इस पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया है।

हम रोजगार गारंटी की बात कर रहे हैं। बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है 'गांवों में भारी संख्या में गरीब लोग रहते हैं, वे बेरोजगार हैं। हमें उन्हें काम देना है और हम उन्हें रोजगार का अधिकार और गारंटी देंगे। आदि-आदि।' यदि नदियों को जोड़ने का काम शुरू किया जाता तो इससे 35 मिलियन हेक्टेयर जमीन कृषि-योग्य होती। इससे तत्काल करोड़ों लोगों को रोजगार प्राप्त होता। गांवों के सभी लोगों को अपने-आप रोजगार मिल जाता। उन्हें रोजगार गारंटी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वे लोग भारत सरकार की दया पर जिंदा नहीं रहना चाहते। वह केवल काम चाहते हैं। आपको रोजगार गारंटी पर प्रत्येक वर्ष 2000 करोड़ रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आपको उन्हें पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। बाढ़ या सूखे के बाद फैलने वाली बीमारियों से उन्हें बचाने के लिए आपको इतना ज्यादा धन खर्च करने की जरूरत नहीं है।

महोदय, जैसा कि हमारे मित्रों ने बताया है, जब भी बाढ़ या सूखा पड़ता है तो जन-जीवन की, अवसंरचनात्मक सुविधाएं जैसे टेलीफोन संपर्क, सड़कों आदि की हानि होती है। तब हम पैसा खर्च करते हैं। हम फसलों, गरीबों के घरों या जन-सामान्य की हानि को ध्यान में नहीं लाते। यदि इन सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाय तो यह हानि कितनी होगी? इसके परिणामस्वरूप हम स्वास्थ्य, पेयजल, आधारसंरचना जैसे रेलवे, टेलीकॉम, फसल हानि, सड़क आदि पर व्यय कर रहे हैं।

उन समस्याओं के कारण खाद्यान्न का उत्पादन भी कम हो गया है। उससे कीमतें बढ़ती रही हैं। हमने मुद्रा स्फीति के बारे में कोई बात नहीं कही है। कल हो सकता है कि सभा में बढ़ती मुद्रा स्फीति के बारे में चर्चा के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रख दिया जाये। यह कीमतें क्यों बढ़ीं? इसका कारण उत्पादन में कमी आना था।

मैं नदियों को जोड़ने के संबंध में कुछ ब्यौरा देना चाहता हूं। यदि इस परियोजना के लिए आवश्यक 5.6 लाख करोड़ रुपए की समेकित राशि की बात होती है तो हममें से प्रत्येक इसे तब तक भूल जायेगा जब तक कि कोई बाढ़ या सूखा फिर हमें प्रभावित नहीं करता।

मैं माननीय सदस्यों को इसका हिसाब बताना चाहूंगा ताकि हम सभी यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार पर दबाव डालने का प्रण करें कि नदियों को जोड़ने का कार्य तत्काल आरंभ किया जाये। यह परियोजना 35 मिलियन हेक्टेयर को लाभान्वित करेगी और और इसकी कुल लागत 5.6 लाख करोड़ रुपए होगी। क्या यह सभा जानती है कि नदियों को जोड़ने के लिए प्रति हेक्टेयर लागत क्या होगी? यह 60000 रुपए प्रति एकड़ होगी।

सभापति महोदय: जी नहीं। इसकी कुल लागत 1,60,000 करोड़ रुपए होगी।

श्री के.एस. राव: जी नहीं, महोदय। यह 5.6 लाख करोड़ रुपए है।

सभापति महोदय: क्या आप परियोजना की सकल राशि की बात कर रहे हैं?

श्री के.एस. राव: जी हां, महोदय।

सभापति महोदय: ऐसा नहीं है।

श्री भर्तुहरि महताब (कटक): श्री राव, माननीय सभापति महोदय पहले जल संसाधन मंत्रालय में मंत्री थे।

सभापति महोदय: नदियों को जोड़ने पर आने वाली कुल लागत राशि 1,60,000 करोड़ रुपए है।

श्री के.एस. राव: महोदय, यह 5.6 लाख करोड़ रुपए है।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): श्री राव, वह जल संसाधन मंत्रालय में मंत्री थे और वह इसके बारे में जानते हैं।

श्री के.एस. राव: मैंने भी संबंधित पत्रों को देखा है। वे मेरे समक्ष हैं। संसद सदस्य होने के अतिरिक्त मैं एक इंजीनियर भी हूं। अत: मैं पक्की तरह जानता हूं।

सभापति महोदय: ठीक है, कृपया आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री के.एस. राव: महोदय, मैं आपकी बात मान लूंगा। अब 35 मिलियन हेक्टेयर जमीन को फायदा पहुंचाने वाली इस परियोजना की लागत 5.6 लाख करोड़ रुपए है और इससे 40000 मेगावाट जल विद्युत उत्पन्न होगी।

[श्री के.एस. राव]

मैं इस पूरी सभा को बताना चाहता हूं कि हमें इस परियोजना के लिए 5.6 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता नहीं है। वस्तुतः इसके लिए 5000 से 10,000 करोड़ रुपए ही पर्याप्त होंगे। वह समय बीत गया जब हमें कर्ज नहीं मिलता था। आजकल घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निधियां मिल जाती हैं। बैंकों के पास प्रचुर मात्रा में धन है। उन्हें उधार लेने वाले विश्वसनीय ग्राहक नहीं मिल रहे और वे विश्वसनीय उधार लेने वालों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सरकार भी उसमें उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहती।

देश में न तो इंजीनियरों की कमी है और न ही प्रौद्योगिकी की। अनेक कार्पोरेट सेक्टर पूरी परियोजना की जिम्मेदारी उठाने और इसे 10 वर्षों में पूरा करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ सरकार के पास ही इच्छा-शक्ति की कमी है। यदि सरकार इस परियोजना को पूरा करने की इच्छुक हो तो मैं दावे के साथ कहता हूं यह परियोजना 10-12 वर्षों में ही पूरी हो जायेगी और इस संबंध में भारत सरकार या किसी राज्य सरकार को निवेश भी नहीं करना पड़ेगा। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कार्पोरेट सैक्टर यह कार्य करने के लिए तैयार है।

ब्याज दरें भी कम हो गई हैं और इस तरह की परियोजनाओं के लिए 2 से 4 प्रतिशत की दर पर धन मिल जाता है। यदि प्रति एकड़ 4 प्रतिशत ब्याज से प्रति एकड़ 1 लाख रुपए की लागत आये तो ब्याज का भार 4000 रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष होगा। उससे लाभ क्या होंगे? इस परियोजना के अंतर्गत नदियों को जोड़ देने से प्रति वर्ष 3,50,000 करोड़ रुपए मूल्य का अतिरिक्त उत्पादन होगा। यदि इससे इतना ज्यादा धन सृजित होगा तो राजस्व कितना प्राप्त होगा?

हम सभी जानते हैं कि राजस्व सकल घरेलू उत्पाद का ग्यारह प्रतिशत है। इसका अर्थ है कि यदि हम चार लाख करोड़ रुपए तक उत्पादन में वृद्धि कर पाते है तो चौवालीस हजार करोड़ रुपए का राजस्व सरकार को मिलेगा। वे इसमें से ब्याज घटक का भुगतान कर सकते हैं। किसान इसमें शामिल होने के लिए तैयार हैं इसमें भाग लेने के लिए तैयार हैं। हमें उन्हें विश्वास में लेना है कि हम उनसे ली गई धनराशि को नहीं हड़पेंगे। उन्हें हमारे ऊपर विश्वास होना चाहिए। यदि उनका हमारे ऊपर विश्वास है और यदि हम विधायक अथवा संसद सदस्य के रूप में किसानों के पास जाते हैं और कहते हैं कि अब आपको जमीन मिल गई है जो पचास हजार रुपए की है। तथापि, जैसे ही मुझे यह परियोजना मिलेगी तो आपकी भूमि की कीमत एक लाख पचास हजार रुपए हो जाएगी। आपको एक लाख रुपए प्रति एकड़ की अनर्जित आय प्राप्त हो रही है। उन्हें अत्यधिक प्रसन्नता होगी। मैं उनसे तत्काल धनराशि देने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं तो उनसे परियोजना लागत जो साठ हजार रुपए है, की आंशिक जिम्मेदारी लेने के लिए कह रहा हूं। आपकी हिस्सेदारी बीस हजार रुपए की है और सरकार राजस्व जो सरकार को मिल रहा है, में से चालीस हजार रुपए देने के लिए तैयार है। यह धनराशि मूल्य वृद्धि के अलावा है।

प्रत्येक व्यक्ति स्पष्ट तथा वक्तव्य देता है। "आपदा है, आपदा है, आपदा है।" यदि कार्य कराने के ये तरीके हैं तो कोई मंत्री या सरकार गम्भीरतापूर्वक मामले की जांच नहीं कर सकती। मैं ईमानदारी से सम्पूर्ण सभा और अपने साथियों से अनुरोध करता हूं कि वे समय गंवाए बिना तत्काल नदियों को जोड़ने का कार्य करने की प्रतिज्ञा करें। मैं सम्पूर्ण सभा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसमें भारी धनराशि की जरूरत नहीं है।

डा. एम. जगन्नाथ (नगर कुरनूल): आप यह बात संप्रग सरकार को बताइए।

श्री के.एस. राव: मैं दूसरों की तरह नहीं हूं। मैं अपनी सरकार को भी बताऊंगा। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। मैं आपकी तरह किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं।

सभापति महोदय: कृपया सभापति महोदय को संबोधित कीजिए।

श्री के.एस. राव: भारत के राष्ट्रपति ने भी अगले दिन कहा था कि वह यह देखने के उत्सुक हैं कि इस परियोजना को तत्काल शुरू किया जाए। नदियों को जोड़ने से हमें और क्या लाभ मिल सकते हैं? नौवहन होगा, परिवहन लागत में कमी आएगी और जब सब जगह पानी है तो स्वतः हरियाली होगी और इसके परिणामस्वरूप पर्यावरण में सुधार होगा। पीढ़ियों तक हम गांवों के **तालाबों** के किनारे रहते थे। अब इन **तालाबों** में गाद भरी हुई है और ये तालाब आजकल मौजूद नहीं हैं। कल यदि हम इनको गहरा करें और इनकी गाद निकाल दें तो इन्हें पानी से भरा जा सकता है और पीने के पानी की कोई समस्या नहीं होगी। इस देश में लाखों इंजीनियर हैं और उनमें से अनेक इंजीनियर बेरोजगार हैं। सेवानिवृत्त इंजीनियर भी जिन्होंने बहुत ज्ञान और अनुभव अर्जित कर लिया है, हमारी सहायता करने, सर्वेक्षण करने और उसे देने के लिए तैयार हैं। हमें तो केवल उन्हें प्रेरित करना है।

यदि सरकार सोचती है कि वह रातोंरात पूरी परियोजना को कार्यान्वित नहीं कर सकती तो वह देश के दक्षिण भाग में शुरुआत करे। आंध्र प्रदेश सरकार ने इस संबंध में पहले ही शुरुआत की है। सरकार गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ रही है जिसके द्वारा कृष्णा नदी में गोदावरी से अस्सी टी.एम.सी. पानी छोड़ा जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप तेरह लाख एकड़ भूमि पर खेती की जा रही है। इससे किसान दो फसलें सुरक्षित रूप से और निश्चित रूप से पैदा कर पाएंगे। पीने के पानी की कोई समस्या नहीं होगी; कोई सूखा नहीं पड़ेगा। मेरे मित्रों यही बात उड़ीसा पर भी लागू की जा सकती है। कल को आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के मुख्यमंत्री गोदावरी और महानदी को जोड़ने की बात पर विचार कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहां आने की जरूरत नहीं है और इससे दोनों राज्यों को लाभ होगा। इसमें लागत भी बहुत अधिक नहीं है। इसी प्रकार हम कावेरी को भी जोड़ सकते हैं। यदि हम शुरुआत करें और यह सिद्ध कर दें कि इससे लाभ होगा और इससे उस क्षेत्र में स्वत: सूखा और बाढ़ में कमी आएगी, तो गंगा और अन्य नदियों को भी जोड़ा जा सकता है। लोग इससे आगे बढ़ेंगे।

मेरी यह इच्छा है कि हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि नदियों को जोड़ने की इस प्रक्रिया को तत्काल शुरू किया जाए और इस देश को यदि सुनामी अथवा चक्रवात जिसे भी बाद में विनियमित किया जा सकता है, से नहीं बचा सकते तो कम से कम सूखा और बाढ़ से तो बचाया जाए। क्योंकि प्रौद्योगिकी में पर्याप्त रूप से प्रगति हो रही है और मानव क्षमता एक दिन इन चीजों को समाप्त कर सकती है।

[हिन्दी]

श्री राजनरायण बुधौलिया (हमीरपुर, उ.प्र.): सभापति महोदय, पिछले दो दिनों से प्राकृतिक आपदा पर हमारे माननीय सदस्यगणों द्वारा काफी चर्चा हो चुकी है। अभी महाराष्ट्र में, विशेषकर मुम्बई और उसके आसपास के क्षेत्र में भारी वर्षा का प्रकोप जारी है। जिसकी वजह से जानमाल के अत्यधिक नुकसान के साथ-साथ यातायात, विद्युत एवं संचार व्यवस्था तबाह हुई है।

इसी प्रकार विगत दिनों देश के कई भागों में बाढ़ से हुई तबाही में उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त बुंदेलखंड के हमीरपुर, महोबा, बांदा, जालौन, झांसी, ललितपुर में पड़ने वाली नदियों में, खास कर केन नदी में बाढ़ आने के कारण जानमाल का अत्यधिक नुकसान हुआ है। बांदा के अलावा मेरे संसदीय क्षेत्र के मादहा, हमीरपुर, महोबा, चररबारी, राठ अनेक गांवों में बिजली एवं टेलीफोन व्यवस्था पूर्ण रूप से बाधित हुई है। गरीब, खेतीहर मजदूर, किसान बेघर हो गए हैं, सड़कें टूट गई हैं तथा ट्रेनों का आवागमन बंद हो गया है।

बेघर लोग स्कूलों में शरण लिए हुए हैं। ग्रामीणों के स्कूल में ठहरने के कारण बच्चों की शिक्षा बाधित हो रही है।

जल भराव के कारण अनेक ग्रामों का संपर्क अभी भी टूटा हुआ है, राज्य सरकार बाढ़-पीड़ितों को अपना पूर्ण सहयोग कर रही है। कल मेरे पड़ोसी सांसद भाई महेन्द्र निषाद द्वारा लगाया गया यह आरोप कि केन नदीं में आई बाढ़ से पीड़ितों को राज्य सरकार मदद नहीं कर रही है नितांत गलत है। जबकि सत्य यह है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देश पर राज्य सरकार के राजस्व मंत्री, खाद्य मंत्री एवं अन्य संबंधित मंत्री अविलम्ब हैलीकोप्टर से बांदा मंडल पहुंचे तथा प्रशासन को समुचित निर्देश दिये तथा सभी आवश्यक एवं समुचित प्रबंध किये गये। परन्तु भारी तबाही के कारण लोगों का जनजीवन सामान्य करने के लिए केन्द्रीय सहयोग की भी अत्यंत आवश्यकता है। चूंकि बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि एवं भूकम्प इत्यादि ऐसी समस्याएं हैं जिनसे प्रतिवर्ष देश को जूझना पड़ता है। देश के अनेक हिस्से प्रतिवर्ष उससे चौपट हो जाते हैं तथा देश का अरबों रुपया बर्बाद हो जाता है। अत: इन प्राकृतिक आपदाओं का स्थायी समाधान निकालने के लिए उचित कदम उठाए जाएं जिससे पीड़ित लोगों को अविलम्ब सहायता दी जा सके।

आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मेरी मांग है कि केन्द्रीय टीम द्वारा सर्वेक्षण कराकर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में केन नदी में आई बाढ़ से हुई भारी तबाही का जायजा लिया जाए तथा नाव, मोटरबोट, बिजली टेलीफोन, सड़क, शिक्षा तथा मकानों के पुनर्निर्माण एवं गरीब, किसान, मजदूर के हुए नुकसान के लिए केन्द्रीय सहायता तत्काल उपलब्ध करायी जाए, क्योंकि अभी पूर्व में भी भारी ओलावृष्टि से उसी क्षेत्र में किसानों की संपूर्ण फसल नष्ट हो चुकी है तथा पुन: जल भराव के कारण बुवाई-जुताई नहीं हो सकी है।

मेरा निवदेन यह भी है कि एक केन्द्रीय टीम भेजकर वहां हुए नुकसान की भरपाई के लिए भारत सरकार एक स्पेशल पैकेज प्रदान करे। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने पहले ही केन्द्र सरकार से एक स्पेशल पैकेज की मांग की है जो आज तक उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। हमारे भाई माननीय गणेश सिंह जी ने भी यही बात यहां रखी है क्योंकि हमारा क्षेत्र भी मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। हमारे साथी महेन्द्र निषाद जी ने भी अपनी बात रखी है, उनका क्षेत्र भी हमारे क्षेत्र से लगा हुआ है। मेरा पुन: निवेदन है कि एक स्पेशल पैकेज उत्तर प्रदेश को दिया जाए।

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): माननीय सभापति जी, इस सदन में प्रतिवर्ष हम लोग प्राकृतिक आपदा के संबंध में विचार करते हैं और सतही तौर पर जो बातें यहां आती हैं उसके संबंध में थोड़ी-बहुत कार्रवाई हो जाती है। आज 50 वर्ष से ऊपर देश को आजाद हुए हो गये हैं लेकिन इसके स्थाई निदान के लिए प्रयास नहीं किया गया है। यह एक दु:खद पहलू है जिस पर हमें गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। आज महाराष्ट्र, मुम्बई, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा देश के दूसरे हिस्सों में बड़े पैमाने पर बाढ़ और वर्षा से भारी नुकसान हुआ है। देश के अनेक हिस्सों में कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी बारिश, कभी भूकम्प, कभी समुद्री तूफान, कभी ओलावृष्टि और कभी अतिवृष्टि से भारी नुकसान होता है। हम बिहार के रहने वाले हैं और वहां हर साल नेपाल से आने वाली नदियों के कारण भारी तबाही होती है। कोसी, गंडक, बागमती, कमला और अधवास समूह की छोटी-बड़ी नदियां जो नेपाल से निकलती हैं और बिहार को बर्बाद करती हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम राज्य और केन्द्र सरकार की मदद से तैयार करते हैं चाहे स्कूल हों, अस्पताल हों या खेती की जमीन हो, इन नदियों के पानी के कारण बर्बाद हो जाते हैं।

महोदय, गंगा नदी हमारे यहां बहती हैं। बक्सर से लेकर फरक्का तक प्रति वर्ष कोई ऐसा साल नहीं है जो गंगा के पेट में विलीन न होता हो। इससे हजारों एकड़ जमीन बरबाद हो जाती है और उसे कोई देखने और पूछने वाला नहीं है। हमने बार-बार इस सवाल को उठाया। गत वर्ष उत्तर बिहार में भयंकर बाढ़ आई। हम लोगों की परेशानी इतनी बढ़ी जिस का कोई ठिकाना नहीं है। कोई जगह नहीं थी जहां हैलीकाप्टर भी उतर सकें। ऐसी परिस्थिति में बिहार को ये सब झेलना पड़ा। 9 लाख गरीबों के मकान गिरे। जो लोग झुग्गियों में रहते थे और बिलो पावर्टी लाइन के नीचे रहते थे, ऐसे लोगों के 9 लाख मकान गिरे। सैंट्रल टीम गई। 9 लाख के बदले दो लाख मकान बनाने के लिए राशि भारत सरकार ने दी। 7 लाख गरीबों के मकान कहां से बनेंगे? किस स्थिति में बनेंगे? जब बिहार का बंटवारा हो रहा था, हम लोगों ने यहां खड़े होकर इसका विरोध किया था। प्रधान मंत्री ने उठ कर कहा था कि हम एक राज्य को गरीब और दूसरे राज्य को अमीर नहीं होने देंगे। माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में सभी दल के सदस्यों की एक कमेटी बनी थी। हमने एक मैमोरंडम तैयार करके तत्कालीन प्रधान मंत्री जी को दिया था। उन्होंने कहा था कि बिहार के नुकसान की भरपाई के लिए एक विशेष पैकेज बनाया जाएगा लेकिन हमें एक पैसा नहीं मिला। यह सबसे दुखद पहलू है। आज बिहार के लोग वर्तमान सरकार को बधाई देना चाहते हैं कि कॉमन मीनिमम प्रोग्राम में जिक्र किया कि बिहार की इस समस्या के निदान के लिए स्थायी प्रयास किया जाएगा। पूर्व सरकार से लेकर वर्तमान सरकार के बीच में हम लोगों ने मांग की थी जिससे एक संयुक्त कार्यालय नेपाल में स्थापित हुआ। दो बरस के लगभग हो गए, दसवीं योजना में 30 करोड़ रुपए दिए गए लेकिन अभी तक उसका डी.पी.आर. नहीं बना। यह कोसी पर हुआ। हमारे यहां गंडक, बागमती, अधवारा समूह, कमला नदियां हैं। इनके ऊपर डी.पी.आर. कब बनेगा? जब तक मल्टीपरपज डैम नहीं बनेगा तब तक बिहार में बाढ़ से नुकसान होता रहेगा। अगर मल्टीपरपज डैम बन गया तो 9 हजार मेगावाट बिजली पैदा होगी जो दूसरे प्रदेशों को भी दी जा सकती है। इसका स्थायी समाधान न केवल बिहार के बारे में बल्कि पूरे देश के बारे में सोचने-विचारने का काम करें और एक ठोस निर्णय करके इसे रोकने का प्रयास करें।

बिहार में 10 लाख हैक्टेयर जमीन वाटर लौगिंग की प्राबलम से घिरी है। उसकी निकासी का प्रबन्ध आज तक नहीं हो सका। वहां आधा दर्जन ताल हैं - मुकामा ताल और बढ़इया ताल आदि हैं। उनमें हजारों-हजार एकड़ जमीन पड़ी है। हम एक खेती मुश्किल से उसमें कर पाते हैं। हम चाहते हैं कि उनकी निकासी का प्रबन्ध किया जाए। चम्पारण में गंडक, बागमती, कमला, अधवारा समूह की नदियों का तटबंध, कोसी का तटबंध, गंडर का तटबंध, ये सारे तटबंध 15-20 बरस पहले बने लेकिन आज वे जर्जर हालत में हैं। हर साल वे कहीं न कहीं से टूटते हैं जिन से भयंकर नुकसान, पश्चिमी चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी होते हुए दरभंगा, पूर्णिया किशनगंज, समस्तीपुर जिलों को होता है। माननीय बालू जी नहीं हैं। हमारे यहां जितनी भी सड़कें हैं, प्राय: एन.एच. की जितनी भी सड़कें हैं और दूसरी जितनी भी सड़कें हैं, सभी बर्बाद रहती हैं। एन.एच. की सड़क है, मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी, वह डेढ़ महीने से बंद है, शिवहर से सीतामढ़ी के बीच बागमती नदी के कुछ घाट पुल टूटने के कारण तीन महीने से बंद है। वहां माननीय मंत्री जी खुद गए थे और वहां जाकर उन्होंने कहा था कि उपाय ढूंढने का काम करेंगे। क्या उपाय ढूंढना है? पुल बना देना है, सड़क को ऊंचा कर देना है। जहां आज खेत में पानी नहीं है, सड़क पर पानी है। कुछ गांवों में उसकी वजह से नुकसान हो रहा है लेकिन आज तक यह काम नहीं हो सका। हम उम्मीद रखते हैं क्योंकि माननीय मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, वे सरकार की तरफ से इस बहस का उत्तर देंगे तो प्रश्न के उत्तर के क्रम में इस बात का जिक्र करेंगे।

महोदय, छ: करोड़ की आबादी पर इसका सीधा असर हो रहा है। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। हमारी मुसीबत

को समझने का काम सरकार को करना चाहिए चूंकि यह राज्य सरकार के अंदर की बात नहीं है, आप सवाल उठा सकते हैं। आज इंटरनेशनल रिवर से हमें नुकसान होता है, नेपाल की नदियों से नुकसान होता है इसके लिए भारत सरकार कारगर ढंग से काम कर सकती है। भारत सरकार कारगर ढंग से काम करके बिहार की गरीबी, मुफलिसी, बेरोजगारी और इन्फ्रास्ट्रक्चर की बरबादी को रोकने का काम करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को रखता हूं।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): सभापति महोदय, श्री बसुदेव जी के द्वारा नियम 193 के अधीन प्राकृतिक आपदा और विपदा से संबंधित जो सवाल उठाया गया था, मैं उस चर्चा में भाग ले रहा हूं। हालांकि यह चर्चा इस सदन में आज पहली बार नहीं हो रही है। हमें तो लगता है कि जिस तरह से बच्चे का पैदा होना सत्य है और आदमी का मरना सत्य है लगता है उसी तरह सदन की परंपरा है कि जब बाढ़ वगैरह का समय आएगा तो नियम 193 के अधीन चर्चा होगी और उस चर्चा में भाग लेना, चर्चा करना भी सत्य है। इस सवाल का उत्तर पदाधिकारियों ने तैयार कर लिया होगा। यहां मंत्री जी के रहने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो सवाल उठेंगे, उन सवालों का उत्तर नहीं आता है। जो ऑफिशियली रिलीज किया जाएगा उसे मंत्री जी पढ़ कर सुना देंगे, हमें लगता है कि परंपरा का निर्वाह इस सदन में कर रहे हैं। उसमें हम भी हिस्सेदार हैं, हम भी भाग ले रहे हैं।

महोदय, इस देश के कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होते हैं और यह चर्चा का विषय रहता है। इस बार महाराष्ट्र बरसात से प्रभावित है जो बाढ़ को भी फेल किए हुए है। जब कभी देहात में लोग गुस्सा होते थे तो कहते थे कि लगता है पानी में आग लगा रहा है, अब बरसात में समुद्र में भी आग लगना शुरू हो गया। इन स्थितियों में प्राकृतिक आपदा और विपदा देश के सामने खड़ी है। कभी हम असम का रोना रोते हैं, कभी बंगाल के लिए रोना रोते हैं, कभी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों के लिए रोना रोते हैं और कभी उड़ीसा के लिए समुद्री तूफान या किसी और बात को लेकर रोना रोते हैं। बिहार की तो परंपरा है कि जब बाढ़ का समय आ जाएगा तो हर बार रोना ही है। जब बाढ़ आती है तो हम कहते हैं कि सरकार को रिलीफ देना चाहिए, यह व्यवस्था करनी चाहिए, वह व्यवस्था करनी चाहिए, आखिर इसका निदान कैसे होगा? प्रतिवर्ष माननीय सदस्य सुझाव देते हैं, सरकार चाहे आज की हो या कल की जो सरकार थी, जिस ढंग से एक पहल करनी चाहिए जिससे लोगों को इस बाढ़ से निजात दिलाई जा सके, वह पहल नहीं हो पाई। हम चर्चा नहीं करना चाहते थे लेकिन श्री रघुनाथ झा जी ने बिहार के बंटवारे के समय की चर्चा छेड़ी। हमने सदन में इसका विरोध किया था। हमारे विरोध के कारण एक बार अपील रुक गई थी लेकिन दूसरी बार संशोधन करके इस सदन में लाया गया। यह बात अलग है कि जितना भरपूर सहयोग मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया। लेकिन श्री रघुनाथ झा जी यह भी सत्य है कि अगर विधान सभा से वह प्रस्ताव पारित होकर नहीं आया होता तो शायद यहां से राज्य का बंटवारा नहीं हुआ होता। जो लोग कसम खाते थे कि हमारी लाश पर बिहार बंटेगा, उन लोगों ने बिहार बंटवारे का प्रस्ताव विधान सभा को भेज दिया। जब आप चर्चा करते हैं तो ईमानदारी से हर बात की चर्चा करनी चाहिए। राजनीतिक बात आपने छेड़ी है, हमने नहीं छेड़ी है।

सभापति महोदय, जब बाढ़ आती है तो जनता ही परेशान नहीं होती है बल्कि मनुष्यों से ज्यादा मवेशी परेशान होते हैं। रघुनाथ झा जी को मैं कहना चाहता हूं कि हम तो उदाहरण बने हुए हैं, ऐतिहासिक पुरुष हैं। ऐतिहासिक पुरुष हर चीज में बने हुए हैं। जब हमारा इतिहास पढ़ा जाता है तो गौरव से नालंदा विश्वविद्यालय का नाम लिया जाता है। हम गर्व से कहते हैं कि हम वहां पैदा हुए। बाढ़ के समय जब लोगों को रिलीफ दी जाती है तो उसमें घोटाला करने में भी हम पीछे नहीं हैं। बाढ़ घोटाला बिहार में हुआ। जो समुचित व्यवस्था सरकार करती है, जो प्रभावित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनको मदद मुहैया कराने के बजाय उस मदद का दुरुपयोग बिहार में होता है। अभी उसकी जांच चल रही है। कहीं कलैक्टर जेल जा रहा है तो कहीं अखबारों में पढ़ते हैं कि मुख्य सचिव भी इस घोटाले में शामिल हैं। इस सदन में बिहार की बहुत चर्चा चलती है मगर बिहार में राहत के लिए, बिहार का भविष्य संवारने के लिए कोई ठोस पहल नहीं हो पाती। हालांकि राजिय सरकार इस बाढ़ का निदान नहीं कर सकती है। कारण यह कि बिहार की जो बाढ़ है, वह राज्य सरकार के बस की बात नहीं है। यह दो देशों से जुड़ी हुई बात है। केन्द्र सरकार में जिस समय श्री सी.पी. ठाकुर जी सिंचाई मंत्री थे, वे दो बार नेपाल गए थे। इस संबंध में चर्चा हुई थी और सदन में उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इस काम में लगे हुए हैं, इसका जल्दी से जल्दी निदान कर लिया जाएगा। अब ठाकुर जी तो हट गए। सरकार बदल गई और नई सरकार लगभग 14 महीनों से बनी हुई है। पता नहीं जो वार्ता का क्रम उनके द्वारा चला था, उसमें कितनी प्रगति हुई। इसकी जानकारी भी हमें नहीं है। जब सरकार के मंत्री उत्तर दें तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि पिछली सरकार ने नेपाल से जो वार्ता का क्रम शुरू किया था, उसमें कुछ प्रगति हुई या नहीं, या वह वार्ता जहां की तहां पड़ी हुई है। जब तक नेपाल

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

से भारत सरकार वार्ता नहीं करेगी, तब तक बिहार की बाढ़ का निजात नहीं हो सकता है। दूसरा, तात्कालिक व्यवस्था चाहे तो राज्य सरकार और केन्द्र सरकार मिलकर कर सकती है। नदियों में बालू भर चुकी है। अगर उस बालू को निकालकर दोनों तरफ फेंका जाए तो पानी का बहाव सुचारू रूप से होने लगेगा और बाढ़ के प्रकोप से कुछ हद तक लोगों को छुटकारा मिल सकता है। तीसरी व्यवस्था यह हो सकती है कि बाढ़ आने के पूर्व वहां के इर्द-गिर्द के जो लोग हैं, उनको सूचना दी जाए कि बाढ़ आने के पूर्व उनको हटाकर कहीं दूसरी जगह बसा दिया जाए जब तक बाढ़ का पानी न उतर जाए। मवेशियों को कहीं दूसरी जगह हटाकर रख दिया जाए और उनके चारे की व्यवस्था की जाए। यह सब नहीं होता। अचानक रातोंरात जब बाढ़ से लोग प्रभावित हो जाते हैं, डूबकर मरने लगते हैं, मवेशी डूबने लगते हैं, तब लोगों को इसकी जानकारी होती है और अखबारों के माध्यम से लोक सभा और विधान सभाओं में चर्चा शुरू होती है।

सभापति महोदय, मैं कोई लंबा भाषण नहीं देना चाहता हूं। अब संयोग से राज्य सरकार और केन्द्र सरकार एक ही है क्योंकि केन्द्र का ही राष्ट्रपति शासन बिहार में है। बिहार में बाढ़ से हमेशा लोग प्रभावित रहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि केन्द्र सरकार इस ओर ध्यान दे और जो तात्कालिक व्यवस्था हो सकती है, राज्य और केन्द्र मिलकर वह प्रस्ताव तैयार करें। अटल जी के शासनकाल में एक प्रस्ताव बना था नदियों को जोड़ने का। अगर नदियों का जुड़ाव होता तो हमें बाढ़ से निजात मिलती। अगर नदियों को जोड़ दिया जाता तो बिहार बाढ़ से बच जाता और राजस्थान जैसे रेगिस्तान में भी हरियाली आ जाती। उस योजना को भी खटाई में डाल दिया गया।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धंधुका): ये लोग करना नहीं चाहते हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह: जी हां, ये लोग करना नहीं चाहते हैं क्योंकि नीयत नहीं है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि एक तो नेपाल से वार्ता जारी रखी जाए और उस वार्ता की पहल होने के बाद क्या रिजल्ट सामने आता है, वह सदन के माध्यम से देश को अवगत कराया जाए। सिर्फ सदन के सदस्यों को अवगत नहीं कराया जाए। दूसरा, केन्द्र और राज्यों को मिलकर जो तात्कालिक निजात मिल सकती है, अब तो पानी फर आ गया है, बालू निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन बिहार बाढ़ से जितना प्रभावित होता है, अभी उससे बचा हुआ है। कुछ इलाकों में रघुनाथ झा जी बता रहे थे कि मुख्य सड़क बन चुकी है। उसका कारण यह है कि एन.एच. सड़क हो गई है और पहले की जो सड़क थी, उस पर जहां गड्ढे होते हैं, उन पर पैचिंग का काम चलता है। अगर उस सड़क को ऊंचा कर दिया जाये और जैसा कि एन.एच.ए.आई., भारत सरकार ने उसको स्वीकृत किया है तो हमें लगता है कि वह रास्ता कभी बन्द नहीं हो सकता है, इसलिए हर विभाग, जो भारत सरकार का है, बाढ़ग्रस्त इलाकों में प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाता है तो एक तो राज्य और केन्द्र को मिलकर काम करना है, वह पहल करके इस वर्ष तो जिन लोगों को भोगना होगा, वे भोगेंगे ही, लेकिन अगले वर्ष से कम से कम लोग बच सकें, अगर बाढ़ आने के पहले पूर्व सूचना हो जाये, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए।

तीसरे, बाढ़ आती है और चली जाती है, लेकिन बाढ़ के बाद जो बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं, पानी का जमाव हो जाता है, पानी की निकासी का कोई साधन नहीं है, उसमें कीड़े पैदा होते हैं और उन कीड़ों से तरह-तरह की बीमारियां लोगों को होती हैं। उन बीमारियों के कारण लोगों के मरने की गिनती नहीं होती है। बाढ़ में जो लोग मरते हैं, उनकी गिनती तो अखबारों के माध्यम से हो जाती है, सरकारी आंकड़े सही नहीं मिलते हैं, लेकिन बाढ़ के बाद बीमारी से जो लोग मरते हैं, उनकी दवा वगैरह की भी समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती है, इसलिए हम आपके माध्यम से भारत सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि बिहार के कुछ हिस्सों में थोड़ा पानी आया है, लेकिन ज्यादा पानी आने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है, चूंकि चर्चा चल रही है कि नेपाल अब पानी छोड़ने वाला है, जिस दिन पानी नेपाल से छूटा, उस दिन रातों-रात 1-2 गांव नहीं, 5-10 जिले ही जलमग्न हो जाएंगे, इसलिए पहले से सरकार को सतर्क रहना चाहिए और पानी आने के बाद लोगों को तत्काल राहत कैसे पहुंचाई जाये, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए।

लम्बा भाषण देना अच्छी बात नहीं है, यह तो हम लोग परम्परा का निर्वाह करते हैं, जिसमें हम भी शामिल हैं, चूंकि बिहार के लोग यह न जानें कि हम बाढ़ पर चिन्तित नहीं हैं। सरकार को जो करना है, वह हम लोग जानते हैं। पदाधिकारी लोगों ने रटा-रटाया जवाब तैयार कर दिया होगा, कल आएंगे तो सत्यनारायण बाबा की कथा बांच देंगे और उनकी कथा सुनकर हम लोग बैठ जाएंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): आदरणीय सभापति महोदय,

कल और आज हमने अनेक माननीय सदस्यों को सुना है जिसमें उन्होंने देश में वर्तमान प्राकृतिक आपदाओं और प्राकृतिक आपदाओं की समस्याएं हल करने के लिए तत्काल स्थायी समाधान करने की आवश्यकता पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की है।

अब मैं सरकार पर जोर देना चाहता हूं कि देश में प्राकृतिक आपदाओं की समस्या हल करना इतना ही महत्वपूर्ण है जितना भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय समाज के विकास को तेज करना। यदि हम प्राकृतिक आपदाओं द्वारा जनित समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते तो विकास हेतु हमारे सभी प्रयास स्थिर हो जाएंगे। वास्तव में मैं कहूंगा कि प्राकृतिक आपदाओं के बीच देश में आर्थिक विकास हेतु योजना बनाना रेत पर लिखने के समान होगा जिसे समुद्री पानी द्वारा मिटा दिया जाता है। अत: यदि हम सभी प्राकृतिक आपदाओं को नियंत्रित कर सकें तो हम सम्भवत: प्रतिवर्ष दो प्रतिशत और अधिक विकास दर प्राप्त कर सकेंगे। हम आठ प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य बना रहे हैं किन्तु हमारी विकास दर पांच प्रतिशत अथवा 5.6 प्रतिशत है क्योंकि विकास पर होने वाली प्राकृतिक आपदाओं द्वारा घट रही है। हम कृषि में चार प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य बना रहे हैं किन्तु यह दर 1.2 प्रतिशत पर समाप्त हो रही है। ऐसा प्राकृतिक आपदाओं के कारण है। अत: हमें स्थिति की गम्भीरता को जानना चाहिए और इन प्राकृतिक आपदाओं को नियंत्रित करने के पहलू पर पूरा ध्यान देना चाहिए।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, देश के सभी भाग किसी न किसी प्रकार से प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हैं। वर्षानुवर्ष और जहां तहां नियमित रूप से आती रहती हैं। आप तटवर्ती राज्यों - विशेषकर गुजरात के पूर्वी तट के क्षेत्र में चक्रवात आते रहते हैं। चार करोड़ हेक्टेयर भूमि में बाढ़ आती रहती हैं। कुल बुवाई वाली अड़सठ प्रतिशत भूमि में सूखा पड़ता रहता है। कुल भूमि का पचपन प्रतिशत क्षेत्र III और V श्रेणी के भूकम्पीय क्षेत्र में आता है और इस क्षेत्र में भूकम्प आते रहते हैं। उप-हिमालयी और पश्चिमी घाटों पर भू-स्खलन होता रहता है। इन प्राकृतिक आपदाओं के सतत् आक्रमण के परिणामस्वरूप देश में जान माल का भारी नुकसान होता है।

अपराह्न 5.00 बजे

अपनी बात स्पष्ट करने के लिए मैं एक अथवा दो आंकड़ों का उदाहरण दूंगा। वर्ष 1998 में प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित लोगों की कुल संख्या 101.5 लाख थीं जिसमें लगभग 40.63 करोड़ रु. का वित्तीय नुकसान हुआ। किन्तु वर्ष 2001 में बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या 788.10 लाख थी जो लगभग सात-आठ गुना अधिक है। वर्ष 1988 में नुकसान की मात्रा 40.63 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2001 में 12000 करोड़ रु. हो गई।

कल भी मुम्बई का एक अनुमान था कि विभिन्न उद्योगों का कुल उत्पादन घाटा एक हजार करोड़ रुपए के करीब था। अत: यह प्राकृतिक आपदाओं का आकमण है जो भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय राजस्व को प्रभावित कर रहा है और इससे देश के लिए नए निवेश की उपलब्धता में कमी आती है। अत: हमें इस दृष्टिकोण से प्राकृतिक आपदाओं को देखना होगा और सरकार को इस पहलू पर बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए।

जब हम प्राकृतिक आपदाओं की समस्या हल करने के प्रश्न पर आते हैं तो मैं सबसे पहले यह महसूस करता हूं कि देश में उपलब्ध उच्च स्तरीय वैज्ञानिक क्षमता से हमें एक त्रुटिरहित चेतावनी प्रणाली विकसित करने में समर्थ होना चाहिए। जैसाकि कहावत है "इलाज से परहेज बेहतर है"। अत: हमें एक प्रणाली का विकास करने में सक्षम होना चाहिए। हम यह कहकर गर्व करते हैं कि भारत तकनीकी और वैज्ञानिक जनशक्ति की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा देश है। यह वैज्ञानिक जनशक्ति किस काम की है यदि यह बाढ़ के आने, चक्रवात के आने अथवा सुनामी के आने की भविष्यवाणी नहीं कर सकता और पूर्व चेतावनी नहीं दे सकता? यदि वैज्ञानिक जनशक्ति का उपयोग इसके लिए नहीं किया जा सकता तो हम इस देश में किस प्रकार के वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं? अत: हमें इस क्षेत्र में समन्वित, उत्प्रेरित और प्रोत्साहन प्रयास करने में सक्षम होना चाहिए। भारतीय मौसम विभाग को इस क्षेत्र में अनुसंधान की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह कार्य किया जाना चाहिए और मैं महसूस करूंगा कि सरकार को यह कार्य करने में सक्षम होना चाहिए जिसे देश में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नेटवर्क प्रणाली कहा जाता है ताकि हम विभिन्न राज्यों के बीच सूचना का आदान-प्रदान कर सकें। हाल ही में मेरे संघ राज्य क्षेत्र में आए सुनामी की पूर्व चेतावनी नहीं दी जा सकी थी। अत: एक अच्छी पूर्वानुमान प्रणाली, पूर्व चेतावनी प्रणाली तथा निवारक प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। समय की यही मांग है।

दूसरे प्राकृतिक आपदा करने के बाद हमें तीन-चार उपाए करने में सक्षम होना चाहिए। सबसे पहला, हम प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए तुरंत तैयार हों जिससे हम इसकी गंभीरता अथवा इससे होने वाले हानि को कम कर पाएं। इस उद्देश्य हेतु हमें राष्ट्रीय त्वरित कार्यवाही बल गठित करना

[प्रो. एम. रामदास]

होगा ताकि जब आवश्यकता पड़े केंद्र सरकार इसे प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों में भेज सके। अत: यह किया जाना चाहिए।

बचाव कार्य के संबंध में हमें अलग से राष्ट्रीय स्तर पर एक बचाव और राहत दल अलग-अलग सृजित किए जाने चाहिए जो हमारी सहायता कर सकें। राहत उपायों के संबंध में लोगों को राहत पहुंचाने हेतु कोई मानक प्रक्रिया उपलब्ध नहीं है। हमें पता है कि हाल में आए सुनामी के दौरान तमिलनाडु सरकार ने एक विशेष तरीका अपनाया, पांडिचेरी की सरकार ने एक अलग तरीका अपनाया है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सरकार ने एक अलग ही तरीका अपनाया। जबकि इसके पीड़ित एक जैसे ही हैं। इससे लाभभोगियों के मध्य असमानता उत्पन्न होती है और समस्या का समाधान भी नहीं होता है क्योंकि राहत के लिए कोई त्रुटिहीन प्रणाली उपलब्ध नहीं है।

यद्यपि भारत सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के आपदाओं हेतु सहायता देने हेतु मानदंड निर्धारित किए हैं। राहत के नाम पर दी जाने वाली सहायता लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अत्यधिक कम होती है, उदाहरणस्वरूप - भारत सरकार ने कहा है कि मृतक के मामले में 50 हजार रुपए की धनराशि दी जाएगी। क्या हम किसी व्यक्ति के जीवन का मूल्य 50 हजार रुपए ही लगाते हैं? हमें इस पर सोचना चाहिए और भारत की संसद इस पर निश्चित रूप से विचार करे कि समा किसी जिस परिवार के आजीविका अर्जित करने वाले व्यक्ति की प्राकृतिक आपदा के कारण मृत्यु हुई है, क्या उसके लिए यह धनराशि पर्याप्त है। इससे भी दुखद यह है कि अनुपूरक पोषाहार के शीर्ष में सरकार प्रति व्यक्ति प्रति दिवस एक रुपया पांच पैसा उपलब्ध करा रही है, आप इसके बारे में कल्पना कर सकते हैं - सरकार 1 रुपया पांच पैसे प्रति दिन अनुपूरक भत्ता के रूप में उपलब्ध करा रही है। जब कोई घर नष्ट होता है सरकार इसके लिए 5000 रुपए देती है। किसी पीड़ित के लिए 5-6 हजार रुपए में मकान बनाना कैसे संभव है? अत: विद्यमान राहत संबंधी मानदंडों में प्रभावित स्थानों पर वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए संशोधन किया जाना चाहिए।

प्राकृतिक आपदा से स्थायी विनाश होता है। लोगों के मकान झोपड़ियां, भूमि तबाह हो जाते हैं। वास्तव में हर कुछ तबाह हो जाता है। अत: हमें पुनर्वास संबंधी पैकेज तैयार करना चाहिए। जहां कहीं भी प्राकृतिक आपदा आती है वहां हमें एक परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी गठित करनी चाहिए।

चौथा एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। प्राकृतिक आपदा से केवल गृह मंत्रालय से ही निपटा नहीं जा सकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, पर्यावरण और वन विभाग, सिंचाई विभाग और सड़क विभाग, इन सभी विभागों को समन्वित होकर कार्य करना चाहिए ताकि हम इस समस्या का प्रभावी रूप से समाधान कर सकें।

नदियों को जोड़ने के संबंध में काफी कुछ कहा गया है। मैं इसका समर्थन करता हूं।

सभी स्तरों - जिला राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन संबंधी योजना बनाई जानी चाहिए ताकि हम इन आपदाओं की पूर्व चेतावनी दे सकें और इसका प्रबंधन कर सकें। प्रत्येक राज्य और जिलों में निश्चित रूप से आपदा प्रबंधन विभाग स्थापित किया जाना चाहिए ताकि हम इस समस्या से निपट सकें। स्थानीय पंचायतों को निश्चितरूप से महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। समुदायों को शामिल किया जाना चाहिए। सरकार से अधिक समुदाय को प्राकृतिक आपदा की भीषणता का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस उद्देश्य हेतु मैं महसूस करता हूं कि आपदा प्रबंधन को विद्यालयों महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक छात्र, भारत का प्रत्येक नागरिक यह समझ सके कि उसके स्तर पर तत्काल क्या किए जाने की आवश्यकता है।

सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विधेयक लाने पर विचार कर रही है। इस पर गृह कार्य संबंधी समिति में चर्चा की गई है। मैं महसूस करता हूं कि सरकार इस विधेयक को शीघ्रातिशीघ्र पुर:स्थापित करे ताकि हम इन प्राकृतिक आपदाओं के नकारात्मक प्रभावों से बच सकें। सरकार को इस मामले पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए और कोई ठोस समाधान करना चाहिए ताकि प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक महीने हमें इस प्रकार की स्थिति का सामना न करना पड़े। मुम्बई में बाढ़ आयी है और तमिलनाडु में जल का अभाव है। हम लोगों के घरों में पानी मांग रहे हैं। मुम्बई में लोग पानी हटाने की समस्या से पीड़ित हैं। सरकार इस पर गंभीरता से ध्यान दे। जब तक यह नहीं किया जायेगा तो इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण - विकास संबंधी सभी कार्यकलापों की अनदेखी होगी।

डा. एम. जगन्नाथ (नगर कुरनूल): आदरणीय सभापति महोदय, विगत चार वर्षों से मैं प्राकृतिक आपदाओं संबंधी चर्चा में भाग ले रहा हूं। प्रत्येक वर्ष हम एक ही बात दुहरा रहे हैं लेकिन बाढ़, चक्रवात अथवा सूखे से निपटने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। हम केवल निरोधात्मक कार्यवाही के स्थान पर प्रतिक्रियात्मक कार्यवाही कर रहे हैं।

भारत में यह स्थायी समस्या बन गई है। हमारे देश के किसी एक अथवा आम हिस्से में बाढ़ या सूखा अथवा भूकंप का प्रकोप रहता है। इस वर्ष सुनामी के कारण व्यक्तियों और मवेशियों की जान और संपत्ति की भारी हानि हुई है। यह आपदा हमारी जानकारी में पहली बार हुई है और पर्यावरणविदों को आशंका है कि यह आपदा निकट भविष्य में भी आ सकती है। इस वर्ष गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य भी बाढ़ की चपेट में रहे। गुजरात और महाराष्ट्र में व्यापक हानि हुई है। गत दो दिनों से हम महाराष्ट्र राज्य में प्रकृति के कहर समाचार सुन रहे हैं जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत के साथ-साथ बुनियादी अवसंरचना क्षतिग्रस्त हुई है। हमारे आंध्र प्रदेश राज्य में भारी वर्षा के कारण एक अथवा दो जिलों में बाढ़ आयी है किंतु राज्य में गत पांच वर्षों से सूखे की स्थिति बनी हुई थी। हाल ही में गुजरात और महाराष्ट्र में कोई बाढ़ के कारण लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई है। बाढ़ अथवा सूखे के कारण कृषक समुदाय सर्वाधिक प्रभावित होता है। सड़क और पुल जैसी बुनियादी सुविधाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। कई स्थानों में रेल की पटरियों की भी क्षति होती है। लाखों एकड़ में फैली फसल बाढ़ में डूब जाती हैं। दूसरी तरफ सूखे के कारण लाखों एकड़ भूमि खाली पड़ी रहती है। हमने पूर्व में आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में भी यह स्थिति देखी है। भीषण सूखे और बाढ़ के कारण जान-माल की भी हानि हुई है। हालांकि हमारे देश में भूकंप की घटनाएं कम होती हैं, किंतु देश के कतिपय भागों, उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी भाग में भूकंप आते रहे हैं। ईश्वर की कृपा से ये सभी कम तीव्रता वाले भूकंप थे। उच्च तीव्रता की स्थिति में और अधिक हानि हो सकती थी।

हमने सुनामी के बारे में नहीं सुना था। शायद हमारे पूर्वजों ने भी इसके बारे में नहीं सुना होगा। यह कहा जाता है कि यह 10 वर्षों के पश्चात् आया है। इसके नाम से भी हम अधिक परिचित नहीं थे। इसका आंध्र प्रदेश तमिलनाडु अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पांडिचेरी पर प्रभाव पड़ा है। इसका विश्व के अन्य भागों पर भी प्रभाव पड़ा है। सुनामी, चक्रवात और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं को रोकना संभव नहीं है। लेकिन यदि हमारे पास इसका पूर्वानुमान लगाने की कोई व्यवस्था होती तो हम लोगों को समय पर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकते थे और इतनी अधिक संख्या में लोगों की जान नहीं जाती।

भारतीय समुद्र विज्ञान संस्थान जैसी शीर्ष संस्थाएं समुद्र और इसकी संपदा का अध्ययन करती हैं। यह देश के विकास में समुद्री संपदा की आपूर्ति करके अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन इसके पास सुनामी का पूर्वानुमान लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना था कि उन्हें यह जानकारी भी नहीं है कि सुनामी किस प्रकार आता है और इसका रिकार्ड किस प्रकार किया जाता है। देश की यह स्थिति है और इसलिए हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमें जानमाल, मवेशी और संपत्ति की हानि उठानी पड़ रही है।

इन सभी चीजों से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष है। हानि लाखों करोड़ रुपए की हो रही है और हम 3,300 करोड़ रुपए दे रहे हैं जो अपर्याप्त है। हम चाहते हैं कि एक बेहतर तंत्र हो जिससे हजारों और लाखों लोगों के जीवन की रक्षा हो सके। वर्तमान परिस्थितियों में राज्य सरकारों के पास पर्याप्त धनराशि नहीं है ताकि इस पर ध्यान दिया जा सके। एक बड़े भाई की तरह केंद्र सरकार को राज्य सरकारों की सहायता करने हेतु और अधिक बढ़कर आगे आना चाहिए। राष्ट्रीय आपदा राहत कोष और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि दोनों को मिलाकर वर्ष 2004-05 में दी गई 3300 करोड़ रुपए की धनराशि अपर्याप्त है।

आंध्र प्रदेश में बाढ़ आने पर धन राशि की कमी और राज्य सरकार की उपेक्षा के कारण उपचारात्मक उपाय संतोषप्रद नहीं रहे। मुख्य मंत्री विदेश गए हुए थे। माननीय राजस्व मंत्री ने कहा कि जब घटना घट रही है तो प्रशासन जाकर लोगों की सहायता कैसे कर सकता है और राहत कैसे दे सकता है। यह आपदा के रुक जाने पर ही किया जा सकता है। तंत्र को घटना के बाद ही राहत कार्य में लगाया जा सकता है और तभी नुकसान का जायजा लिया जा सकता है। ऐसा कहना कि हम तभी राहत दे सकते हैं, अत्यंत ही निष्ठुर दृष्टिकोण है। जब सैकड़ों और हजारों की संख्या में लोग मर रहे हैं तो सरकार इस प्रकार की प्रतिक्रिया दे रही है।

महोदय, आप उड़ीसा से हैं और आपको ज्ञात है कि आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा में जब चक्रवात आया तो हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री चन्द्रबाबू नायडू ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी जिसकी प्रशंसा संसार ने बड़े जोरशोर से की थी।

हमने अपने गत अनुभवों से कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की है। दिए गए आंकड़ों के अनुसार 17 राज्य बाढ़ से नियमित आधार पर प्रभावित होते हैं और अन्य राज्य भी सूखा या किसी अन्य प्रकार की राष्ट्रीय आपदा से प्रभावित होते हैं।

महोदय, गत वर्ष देश के 128 जिलों में 367.11 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए थे और 1747 व्यक्तियों की जान

[डा. एम. जगन्नाथ]

जाने का समाचार मिला है और बाढ़ से 9560 मवेशियों के मरने की सूचना मिली थी। 30.42 लाख एकड़ फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ और 15.70 लाख घरों को काफी क्षति पहुंची। प्रभावित राज्य थे - अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। सबसे अधिक प्रभावित राज्य थे असम, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। इस वर्ष हिमाचल प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। इन सबके बावजूद हमने कोई सबक नहीं सीखा है।

अपराह्न 5.16 बजे

(श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन हुए*)

सुनामी आपदा का मामला लीजिए। जब सुनामी तो मंत्रियों के दल वाली एक समिति का गठन किया गया और कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन समिति का भी गठन किया गया। लेकिन ऐसा लगता है कि मंत्रियों के दल की समिति और राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन समिति की भी कोई भी बैठक नहीं हुई है।

महोदय, सुनामी से 10,277 लोगों की जानें गईं, 501 बच्चे अनाथ हो गए और 1089 गांव प्रभावित हुए। लेकिन इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा से होने वाली इतनी हानि के बावजूद हमने उसको नियंत्रित करने और उसके विरुद्ध संघर्ष करने हेतु कोई ऐसे उपाय नहीं किए हैं जो स्थायी प्रकृति के हों।

इन स्थितियों में मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निम्नलिखित उपाय करने का अनुरोध करता हूं।

सर्वप्रथम, एक सुनियंत्रित आपदा प्रबंधन प्रणाली तैयार रखी जाए जो आपदा की स्थिति में तुरन्त राहत कार्य करना शुरू कर दे और जो इस प्रकार की आपदा के दौरान न केवल मनुष्यों बल्कि पशुओं को भी बचा सके और सम्पत्ति की भी रक्षा कर सके, यद्यपि इस उद्देश्य के लिए राजग शासन और संप्रग शासन के दौरान एक कार्य दल का गठन किया तो गया है लेकिन व्यवहार में उस कार्य दल का नाम कभी नहीं सुना जाता है।

दूसरे, राष्ट्रीय आपदा कोष के लिए आवंटन बढ़ाया जाना चाहिए ताकि अन्य क्षेत्रों से निधियां जुटाये जाने की प्रतीक्षा किए बिना, राज्यों को एन.सी.आर.एफ. और एन.सी.सी.एफ. से अविलम्ब राहत सहायता मिल सके।

तीसरे, इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा आये तो राज्य सरकारों की उदारतापूर्वक सहायता की जानी चाहिए। अब, केन्द्र को गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश राज्यों को अधिक सहायता देनी चाहिए।

चौथे, काम के बदले अनाज योजना देश के सभी भागों में लागू की जानी चाहिए।

पांचवें, महामारी जैसे हैजा, मलेरिया और अन्य संचारी बीमारियों के नियंत्रण हेतु अच्छी चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान किया जाना चाहिए। यह अत्यंत सामान्य बात है कि प्राकृतिक आपदा के बाद महामारी फैलने का डर होता है। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों का कष्ट इन बीमारियों से और बढ़ जाता है।

अंततः, बाढ़ या इस प्रकार की अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को उनकी फसलों को होने वाले नुकसान के लिए पूर्ण क्षतिपूर्ति के भुगतान का उपबंध होना चाहिए।

महोदय, आज हमारे देश के कुछ भागों में बाढ़ आई हैं और दूसरे भागों में सूखा पड़ा है। हमारे भारत में बहुत जल है जो बिना किसी उचित उपयोग के समुद्र में बेकार चला जाता है। राजग सरकार ने उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों को आपस में जोड़ने के बारे में सोचा। उत्तर भारत की नदियों में पानी तब आता है जब हिमालय के हिमखंड पिघलने शुरू हो जाते हैं और इसलिए इन नदियों में बारहों महीने पानी बना रहता है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों को आपस में जोड़ने का विचार बहुत पहले दूरदृष्टा स्वर्गीय के.एल. राव द्वारा दिया गया था। लेकिन कुछ कारणों से, जिनसे प्राधिकारी भलीभांति अवगत हैं, इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, लेकिन जब राजग सरकार ने कार्यभार ग्रहण किया तो आन्ध्र प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री श्री चन्द्रबाबू नायडू ने इस मामले में रुचि ली और इस संबंध में तत्कालीन राजग सरकार को कुछ कदम उठाने के लिए राजी किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों को परस्पर जोड़ने के पहलू पर ध्यान देने के लिए श्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। लेकिन कुछ कारणों से जिसे संप्रग सरकार अच्छी तरह जानती है, इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। उस समिति के अधिकांश सदस्यों ने महसूस किया कि नदियों को परस्पर जोड़ने से बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकेगा और अतिरिक्त पानी का उपयोग कम वर्षा वाले राज्यों में सूखी भूमि की सिंचाई के लिए किया जा सकेगा और इससे सूखे की समस्या पर काबू पाया जा सकेगा।

अंत में, मैं संप्रग सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह यह न देखे कि किस सरकार ने राज्य में इस कार्यक्रम की शुरुआत की है बल्कि यह देखे कि इसकी शुरुआत राज्य में किस दल ने की है। सर्वोपरि बात है कि इसमें पूरे देश का हित है। मैं संप्रग सरकार से अनुरोध करता हूं कि सूखा और बाढ़ की समस्याओं को हल करने के लिए नदियों को परस्पर जोड़ना अविलम्ब शुरू करे।

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी): महोदय, आज हम प्राकृतिक आपदाओं - जिसमें सूखा, बाढ़ और लू हैं - पर बहस कर रहे हैं। आज, जब इस पर संसद की इस महान सभा में चर्चा हो रही है तो हमें समझना चाहिए कि यह एक वैश्विक घटना है। प्राकृतिक आपदा एक वैश्विक घटना बन गई है। आज, थाइलैण्ड में एक चक्रवातीय तूफान आता है और कुछ दिनों में यह उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में पहुंच जाता है और यह महाचक्रवात बन जाता है जो लगभग 23403 वर्ग किमी. भूमि को बरबाद कर देता है और लाखों जानें चली जाती हैं। इण्डोनेशिया में भूकम्प आता है, सूनामी आती है और बंगाल की खाड़ी से टकराती है तथा अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को जलमग्न कर देती है। हम भौचक्के रह जाते हैं। इस प्रकार यह हमारे लिए गंभीरता से सोचने का समय आ गया है कि ये प्राकृतिक आपदाएं किस प्रकार आती हैं। हमें यह सच स्वीकार करना है कि प्राकृतिक आपदाएं वस्तुत: मानवनिर्मित ही हैं। मुझे प्रसन्नता है कि पर्यावरण और वन मंत्री श्री रजा यहां बैठे हुए हैं। मैं आशा करता हूं कि वह वाद-विवाद बाद में पढ़ेंगे। लेकिन आज पर्यावरण अवनति काफी हुई है और पारिस्थिकीय असंतुलन बहुत अधिक बढ़ गया है जिसके कारण हम इन प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहे हैं। सुनामी का प्रभाव इतना अधिक नहीं होता जितना कि हुआ है। तीन सी.आर.जेड. I, II, III के मानकों का उल्लंघन किया गया है। उस समय राज्य सरकारें क्या कर रही थीं? केन्द्र सरकार उस समय क्या कर रही थी जब सी.आर.जेड. के मानकों का उल्लंघन हो रहा था? मानव बसावटों के लिए पूरा 'मैनग्रोव जोन' नष्ट कर दिया गया है। यह दर्शाता है कि पूर्ववर्ती सरकार ने देश के दूरदराज तटीय क्षेत्रों में रह रहे गरीब लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कभी भी कोई उपाय नहीं किया। और अब सुनामी आने के बाद, तटीय क्षेत्रों को भविष्य में सुनामी से बचाने के लिए आप 6000 किमी. सुरक्षा दीवार बनाने की योजना बना रहे हैं। कितना अधिक नुकसान हुआ। कितना अधिक धन बर्बाद हुआ। यह अन्य विकास कार्यों जैसे विद्यालयों के निर्माण, इन्दिरा विकास योजना जैसी योजनाओं, गरीबों को जमीन देने और देश में पी.डी.एम. के सुधार के लिए खर्च किया जा सकता था। आज हमारा आधा बजट अपक्षीण पर्यावरण प्रबन्धन पर खर्च हो रहा है। अत: हमारे लिए यह उचित समय है कि हम जोहानसवर्ग और रियो डी जिनेरियों में सम्पन्न अर्थ समिति और स्थायी विकास संबंधी सम्मेलन में अपनाए गए दिशानिर्देशों को लागू करें। अन्यथा प्राकृतिक आपदाएं दिनोंदिन बढ़ती जाएंगी और अधिकतर आबादी इससे प्रभावित होगी। अत: इसके लिए हमें ठोस उपाय करने होंगे।

आज, जब प्राकृतिक आपदाएं घटित होती हैं तो सरकार लोगों को क्या देती है? एन.सी. सीट आर और एन.सी.आर.एफ. से उन्हें आर्थिक सहायता दी जाती है। लेकिन यह कब तक चलेगा? यह अल्पकालिक राहत होता है, अत: उनसे प्रभावित लोगों को कोई कष्ट न हो। महोदय, कष्ट उन लोगों को होता है जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते हैं। पुनर्वास संबंधी कार्यों को समय पर शुरू किया जाना चाहिए, इसके लिए दीर्घकालिक प्रकृति की परियोजना होनी चाहिए जहां हम पर्यावरण और पारिस्थितिकीय संरक्षण के लिए आस्तियां सृजित करने के साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए सुरक्षा कवच का भी निर्माण करते हैं। इसे बहुत पहले किया जा सकता था। हम आज भी अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई राहत संहिता पर निर्भर हैं। उन्होंने इसे बंगाल में आए अकाल के समय तैयार किया था। बाद में उसे सभी राज्यों में लागू कर दिया गया था। वास्तव में अब वह बेकार हो चुका है। वर्तमान में तबाही के समय इससे लोगों का भला नहीं हो सकता है। जब रेतीली आंधी आती है या जब फसल बर्बाद होती है तो लोगों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की रकम वही पुरानी रकम होती है। कुछ राज्यों में मैंने देखा है कि क्षतिपूर्ति की रकम में जरा भी वृद्धि नहीं की गई है। नई आपदाओं का सामना करने के लिए नए कानून नहीं बनाए गये हैं। केन्द्र सरकार ने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करके कुछ शुरुआत की है। यह विचार महा चक्रवात सुपर साइक्लोन, के बाद आया। मैं, सभा में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक को पुर:स्थापित करने के लिए श्री शिवराज पाटील को धन्यवाद देता हूं। मैं इस माननीय सभा और अध्यक्षपीठ से विनती करता हूं कि इस विधेयक को शीघ्र पारित किया जाए और यह कानून बने।

मैं कहना चाहता हूं कि एन.डी.ए. सरकार के दौरान दी गई राहत सामग्री और उसकी सुपुर्दगी की गुणवत्ता में सुधार हुआ था। जब महाचक्रवात आया था तो उस समय उड़ीसा में राहत सामग्री की सुपुर्दगी में कोई कमी नहीं की गई थी। वह परम्परा आज भी जारी है। मैं, डा. मनमोहन सिंह को भी सुनामी के दौरान बाहरी सहायता नहीं लेने के लिए बधाई देता हूं। लेकिन यह रास्ता एन.डी.ए. सरकार द्वारा दिखाया गया था।

[श्री बिक्रम केशरी देव]

उड़ीसा में महाचक्रवात के दौरान बहुत बड़ी असफलता मिली। करोड़ों रुपये भेजे गए। "इन्डिया टुडे" की रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया गया है। मैं उसका उद्धरण देना चाहता हूं। "इन्डिया टुडे" के मुख पृष्ठ पर यह रिपोर्ट छपी थी कि:-

"13,000 टन खाद्यान्नों की सुपुर्दगी नहीं हुई, 60,000 साड़ियां और धोतियां अवितरित, 50 प्रतिशत प्रभावित शहरों में बिजली नदारद, 270 दूरभाष केन्द्रों में से आधे निष्क्रिय; तीन मुख्य जिलों के जिलाधीश फरार; आपातकालीन 52 करोड़ रुपए की राहत राशि अव्ययित।"

मैं विस्तार में जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि माननीय सदस्य उपस्थिति नहीं हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: देव जी, अन्य कई माननीय सदस्य इस विषय पर बोलना चाहते हैं। अभी भी 25 माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री बिक्रम केशरी देव: महोदय, जब आप ही डिस्टर्ब करेंगे तो मैं कैसे बोलूंगा?

सभापति महोदय: चेयर तो आपको सहयोग कर रही है। आप भी चेयर से सहयोग करें, सदन संचालन में आपका सहयोग चाहिए। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है और कई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री बिक्रम केशरी देव: मैं पांच मिनट ही बोला हूं। अत: मैं अध्यक्षपीठ की और से संरक्षण चाहता हूं।

मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले मानसून की भविष्यवाणी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस बार मानसून ने पश्चिमी भारत जैसे कुछ क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न की है। लेकिन उड़ीसा का पश्चिमी भाग सूखे के चपेट में है। कालाहांडी के कुओं के जल-स्तर में मात्र एक फुट की वृद्धि हुई है। धान की बुआई में विलम्ब हुआ है और इससे खरीफ फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार उत्पादन में 50 प्रतिशत की कमी आएगी। मौसम विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग होता है। आज हरेक गांव में इन्टरनेट, टेलीविजन, रेडियो और अखबार उपलब्ध हैं। मीडिया की पहुंच भारत के गांवों तक हो गई है। लेकिन मौसम विभाग द्वारा मानसून भविष्यवाणी के लिए जिस पद्धति का अनुसरण किया जाता है वह बहुत पुरानी हो चुकी है। इस विभाग ने बताया कि केरल में मानसून का आगमन 1 जून तक हो जाएगा लेकिन मानसून के आने में 5 दिन का विलम्ब हुआ। देश के कुल वर्षाजल में 47 प्रतिशत योगदान दक्षिण-पश्चिम मानसून का होता है जो लगभग 4000 बिलियन घन मीटर होता है तथा 1000 बिलियन घन मीटर जल की प्राप्ति हिम से होती है। इन स्थितियों में यदि अनुमान सही नहीं हो, तो कृषक फसल बुआई का निर्धारण कैसे करेंगे? वे अपना भावी कृषि कार्यक्रम कैसे तैयार करेंगे। देश में कृषि विस्तार की स्थिति बहुत खराब है। आज तक, आपके राज्य, बिहार में कृषि विस्तार है या नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि वहां पंचायत स्तर पर शायद ही समुचित कृषि विस्तार है। मानसून के दौरान वर्षा नहीं होने पर कृषक को कुछ नहीं सूझता कि वह क्या करे व क्या न करे।

[हिन्दी]

वह क्या करेगा उसे मालूम नहीं है।

[अनुवाद]

वैज्ञानिक गोवारीकर की अध्यक्षता वाली गोवारीकर समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट मानसून की शुरुआत के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए सटीक नमूना था। तत्पश्चात्, उस केलकर समिति के रूप में परिवर्तित कर दिया गया।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री बिक्रम केशरी देव: हमारे देश में आधुनिक प्रौद्योगिकी का आगमन हो रहा है और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सुधार आया है। हमें सक्षम मंत्री मिले हैं। वे उपयुक्त नमूना प्रदान करें ताकि मानसून संबंधी भविष्यवाणी ठीक हो क्योंकि उड़ीसा देश के निर्धनतम राज्यों में से एक है। हम पूर्णत: कृषि कमाई और कृषि उत्पादकता पर आश्रित हैं। यदि इसमें 50 प्रतिशत की गिरावट आती है, तो लोग सात साल पीछे चले जाएंगे। महोदय, यदि उड़ीसा में सूखा पड़ता है, तो कृषकों की आर्थिक स्थिति या खेतिहर मजदूरों की आर्थिक स्थिति सात साल पीछे चली जाती है। आंकड़ों से भी इसी स्थिति का पता चलता है। अत: इसे देखते हुए मुझे लगता है कि श्री बसुदेव आचार्य द्वारा नियम 193 के अधीन शुरू की गई चर्चा एक सराहनीय कदम है। लू की स्थिति व्याप्त है। हम उड़ीसा में सबसे अधिक विनाशकारी लू को झेल चुके हैं। उदाहरणस्वरूप, ग्रीष्मकाल के दौरान हम तालचर में 54 डिग्री सेल्सियस और टिटलागढ़ में 51 डिग्री सेल्सियस की गर्मी झेल चुके हैं। महोदय, ऐसा क्यों? क्योंकि तालचर में खनन कार्य चल रहा है। उनसे बाह्य विकास कार्यक्रम करने की जो अपेक्षा की जाती है, वह वे लोग नहीं कर रहे हैं।

[हिन्दी]

पेड़ नहीं लगा रहे हैं।

[अनुवाद]

अतः, महोदय, यह देखा जाना चाहिए कि जब हम किसी प्राकृतिक संसाधन का दोहन करते हैं तो इसकी क्षतिपूर्ति भी समुचित रूप से की जानी चाहिए; तभी हमें भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं से राहत मिल सकती है। अन्यथा इस तरह के वाद-विवाद चलते रहेंगे। राजकोष से करोड़ों रुपये खर्च होते रहेंगे और हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे।

महोदय, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री, श्री महावीर प्रसाद, हमारे बीच हैं। हम लोग उड़ीसा राज्य के हैं; महाचक्रवात से लघु उद्योग और ग्रामीण उद्योगों की बहुत बर्बादी हुई। लेकिन आज की तारीख तक, उनका पुनर्वास नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

उन्हें अभी कोई सुविधा नहीं दी गई है, उनका रिहैब्लिटेशन नहीं हुआ है, क्योंकि आपकी सारी स्माल स्केल इंडस्ट्रीज बर्बाद हो गई हैं, टाइनी सेक्टर खत्म हो गया है। हम चाहते हैं कि मंत्री महोदय उड़ीसा का दौरा करें और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज, टाइनी सेक्टर और आर्टिजन्स इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के उपाय करें।

[अनुवाद]

मैं यहां न तो जल संसाधन मंत्री को देख रहा हूं, जिनकी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और न कृषि मंत्री को देख रहा हूं जो कृषि संबंधी समस्या पर उत्तर दें। पर्यावरण मंत्री यहां थे लेकिन वे भी चले गए।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (मंडी): महोदय, प्राकृतिक आपदा पर बोलने के लिए अवसर देने हेतु आपका धन्यवाद। मुझे, प्राकृतिक आपदा से मेरे क्षेत्र में हुई बर्बादी पर प्रकाश डालना चाहिए। चीन के क्षेत्र में स्थित परेचू झील के जल-स्तर में हुई अचानक वृद्धि से उत्पन्न भयानक प्राकृतिक आपदा से 26 जून, 2005 को सतलुज घाटी बुरी तरह प्रभावित हुई। इससे तिब्बत के पठार से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 तक सतलुज नदी के जलस्तर में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। ऐसा बताया गया था कि कुछ स्थानों पर जल-स्तर सामान्य से 15 मीटर तक बढ़ गया था। इसमें सामदों से लेकर गोबिन्द सागर और भाखड़ा बांध तक 350 किलोमीटर सड़क व्यापक रूप से क्षतिग्रस्त हुई। 10 पुल और 11 रोप-वे बह गए। पन्द्रह वैसे पुल जिन पर मोटर गाड़ियां चलती थीं और आठ वैसे सड़क जिन पर जीप चल सकती थी और कई पैदल-पार पुलों को काफी क्षति हुई। वांगटू और सामदों के बीच दस किलोमीटर सड़क बह गई। वांगटू और सामदों के बीच की सड़क का पन्द्रह किलोमीटर भाग क्षतिग्रस्त हुआ है। सैंज और वांगटू के बीच कुछ राष्ट्रीय राजयमार्गों और पी.डब्ल्यू.डी. सड़क सहित राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाली कई संपर्क सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं।

विद्युत आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। खम्भे, टावर, ओ.एफ.सी. नेटवर्क, जलापूर्ति योजनाएं, जल निकासी प्रणाली सहित विद्युत लाइनों को काफ़ी क्षति हुई।

जहां तक, बिजली उत्पादन का संबंध है, यह बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई। जैसा कि आपको विदित है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने नाथपा-झाकरी परियोजना का उद्घाटन करने के लिए हमारे क्षेत्र का दौरा किया था। इस परियोजना को अगले सप्ताह तक के लिए बंद करना पड़ा था जिससे प्रतिदिन 600 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है।

मैं यहां यह उल्लेख करता हूं कि जनजातीय क्षेत्रों से जोड़ने वाले पुल भी पानी में बह गए। उन क्षेत्रों में सिलखर, लियो, खाब, अकपा, खोटा, करछम, जगतखाना, बजीर बावरी, नाथपा और भावनगर शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त कई अन्य पुलों की नींव, पीलपाथा और प्रवेश मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं. काली मिट्टी, नोगली, चोलिंग, राली, षावरी, पूह खारो, खाब शिलखर और रनामपे में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 को भी व्यापक क्षति पहुंची है।

सैंज और लुहारी में राज्य राजमार्ग को क्षतिग्रस्त हो गया है और कई स्थानों पर राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग का फाउंडेशन बेस भी नष्ट हो गया है। जिला किन्नौर के ज्यादातर भाग अर्थात् वांगटू से समधो तक का सम्पर्क शेष विश्व से पूरी तरह कट गया है और उस भाग में सड़कों और पुलों के टूट जाने से अंतर-जिला संचार कुप्रभावित हुआ है। इसी प्रकार लाहौल और स्पीति जिला की स्पीति घाटी में भी - जो कि मुख्यालय इसी मार्ग पर निर्भर है - संपर्क की समस्याएं उत्पन्न हो गयी है। बाढ़ से परीह, सतलुज और स्पीति नदियों के किनारे स्थित सम्पत्तियों का ही विनाश नहीं हुआ है बल्कि इससे वांगटू से समधो के बीच का पूरा किन्नौर जिला और लाहौल-स्पीति जिले की स्पीति सब-डिवीजन में रहने वाले लोग भी कुप्रभावित हुए हैं। उनके पास यातायात का कोई साधन नहीं रह गया है और वे अपनी खेती से होने वाली नकदी फसलों निर्यात अधिशेष को बाजार में बेच नहीं पा रहे

[श्रीमती प्रतिभा सिंह]

हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत जैसी सेवाओं व आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी कुप्रभावित हुई है। इससे स्थानीय लोगों, कर्मचारियों, सुरक्षा बलों विशेष रूप से विद्यार्थियों व रोगियों के गमनागमन पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है।

मैं आपको बता दूं कि जहां नियंत्रण कक्ष, चेतावनी प्रणालियां और आपात योजनाएं पहले से उपलब्ध थीं, वहां उन्हें प्रभावशाली ढंग से चालू कर दिया गया था जिसकी वजह से किन्नौर, शिमला, कुल्लू, मंडी और विलासपुर जैसे पांच जिलों में खतरे वाले क्षेत्रों में रह रहे 922 परिवारों को जिसमें 4650 सदस्य थे, सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया और उन्हें आवश्यक भोजन व आश्रय प्रदान किये गये। जल-स्तर के उतरने के पश्चात् उनमें से ज्यादातर परिवार अपने घरों को वापस आ गये हैं किंतु तीन स्थानों पर, जहां अभी भी राहत शिविर चल रहे हैं, लोग अभी वापस नहीं आए हैं।

फंसे हुए पर्यटकों को निकालने और उन्हें डाक्टरी सहायता उपलब्ध कराने के लिए भारतीय वायु सेवा और राज्य के हेलीकॉप्टरों की सेवाएं ली गयी हैं। इन क्षेत्रों में 69 विदेशी पर्यटकों सहित 562 व्यक्ति फंसे हुए थे जिन्हें निकालने का काम 1 जुलाई, 2005 तक चला।

अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली और स्थानीय बाजारों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के वितरण और बिक्री को भी विनियमित कर दिया गया है ताकि लोग घबरा कर अनावश्यक खरीददारी न करें और आवश्यक वस्तुएं सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो सकें।

विद्युत आपूर्ति को पुनः चालू करने का कार्य भी तुरंत आरंभ किया गया और जिला मुख्यालयों सहित 60 प्रतिशत क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति पुनः चालू कर दी गयी है।

आपातकालीन आवागमन के लिए नदियों पर से, विशेषकर उन जगहों पर जहां पुल टूट गए हैं, रज्जूमार्ग बनाये जा रहे हैं। इसके लिए हेलीकॉप्टरों से इस्पात की रस्सियां, ट्रॉली व अन्य साजो-सामान भेजा जा रहा है और दो रज्जूमार्ग बनाये गये हैं।

पुराना हिन्दुस्तान - तिब्बत मार्ग ज्यादा ऊंचे रास्तों से गुजरता है और बाढ़ से निरापद है किंतु उसका प्रयोग नहीं किया जा रहा था और अब इसे फिर खोला जा रहा है। टापरी और आकपा के बीच यह मार्ग 70 किलोमीटर लंबा है जो दोनों बिंदुओं के बीच 55 किलोमीटर लंबे अत्यधिक क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्ग को वाई-पास करके निकलता है। जब तक टापरी और आकपा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग खुल नहीं जाता है, तब तक यह मार्ग न केवल इस क्षेत्र के लोगों को बल्कि शेष किन्नौर व स्पीति घाटी के लोगों को भी संपर्क मार्ग प्रदान करेगा।

राज्य लोक निर्माण विभाग के नियंत्रण वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि काफी स्थानों पर व विशेषकर रामपुर के पास क्षतिग्रस्त हो गया था, पुनः खोल दिया गया है और यह वांगटू तक चालू कर दिया गया है।

प्रभावित लोगों को राहत सामग्री, जिसके अंतर्गत मुफ्त राहत भी सम्मिलित है, वितरित की जा रही है। लियो गांव, जहां 22 घर नष्ट हो गये थे और जो पुलों के बह जाने के कारण शेष दुनिया से पूरी तरह कट गया था, को राहत टीम भेजी गयी थी जिसके साथ राहत सामग्री वाली 28 खच्चरें भी थीं। अब पी.डब्ल्यू.डी. ने खच्चर मार्ग बना दिये हैं और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बाई-पास भी बना दिये हैं ताकि इन गांवों को जाने वाले संचार मार्ग खुले रहें। हेलिकॉप्टरों के जरिए विद्युत आपूर्ति की पुनः बहाली के लिए सामग्री और कीटनाशी व फफूंदनाशी पदार्थ भेजे जा रहे हैं। यद्यपि प्रभावित क्षेत्रों में एल.पी.जी, किरोसीन तेल की काफी कमी है तो भी यहां पी.डी.एस. के अंतर्गत आवश्यक वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

मैं आपको बताना चाहती हूं कि हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री ने अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और मरम्मत कार्यों की समीक्षा के लिए तीन बार दौरा किया है। हम संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय गृह सचिव और आई.टी.बी.पी. के महानिदेशक के आभारी हैं जिन्होंने जून, 29, 2005 को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। केंद्र सरकार की आकलन टीम ने भी 30 जून, 2005 को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया।

अब मैं आपको संक्षेप में बताना चाहती हूं कि इन क्षेत्रों में लोक निर्माण क्षेत्र की बाबत 10008.50 लाख रुपए की हानि हुई। इसी तरह अन्य क्षेत्रों जैसे सिंचाई और लोक स्वास्थ्य में 1780.61 लाख रुपए की अनुमानित हानि हुई है। बागबानी क्षेत्रक को 580 लाख रुपए की हानि हुई है। इसी तरह मत्स्य-पालन क्षेत्र में भी 80 करोड़ रुपए की हानि हुई है। बी.एस.एन.एल. को एक करोड़ रुपए की हानि हुई। कृषि में 3858 लाख रुपए का नुक्सान हुआ। यहां तक कि राज्य विद्युत बोर्ड को भी 2978 लाख रुपए की हानि हुई।

सभापति महोदय: महोदया, कृपया समाप्त करें।

श्रीमती प्रतिभा सिंह: चालू वर्ष के दौरान राज्य आपदा राहत कोष में 1.69 करोड़ रुपए उपलब्ध थे। हम पहले ही सूखा, अत्यधिक वर्षा, हिमपात और आकस्मिक बाढ़ के कारण 50.34 करोड़ रुपए व्यय कर चुके हैं। हालांकि राज्य आपदा राहत कोष में 50.35 करोड़ रुपए अभी शेष हैं किंतु उपायुक्तों और विभिन्न विभागों ने मरम्मत कार्यों व सुविधा बहाली के लिए 40 करोड़ रुपए की कुल राशि की मांग की है।

साथ ही वर्षा ऋतु चरम अवस्था में है और शीत ऋतु को अभी आना है। ऐसी अवस्था में राज्य आपदा राहत कोष में कुछ भी धन नहीं बचेगा और वह आकस्मिक बाढ़ के कारण नष्ट हो चुकी सरकारी या गैर-सरकारी संपत्ति को हुई व्यापक हानि, जो कि 610 करोड़ रुपए के आसपास है, की भरपाई नहीं कर सकेगा।

अंत में मैं उन अतिरिक्त निधियों की बात करूंगी जो हमें राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष से चाहिएं। हमें सड़कों और झूलों के लिए 75 करोड़ रुपए, संपर्क-मार्गों, रास्तों और संबंधित आधारभूत सुविधाओं के लिए 25 करोड़ रुपए; जलपूर्ति, सिंचाई, जल-मल व्ययन और बाद से सुरक्षा के लिए 15 करोड़ रुपए; विद्युत आपूर्ति की पुन: बहाली के लिए 7 करोड़ रुपए; वन आधारसंरचना के लिए 5 करोड़ रुपए; क्षतिग्रस्त कृषि क्षेत्रों के लिए 15 करोड़ रुपए; नष्ट हो गए निजी घरों और संपत्तियों के लिए 3 करोड़ रुपए; कृषि और बागबानी को हुई हानि के लिए 5 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। यह कुल राशि 150 करोड़ रुपए होती है।

मैं भारत सरकार से अनुरोध करती हूं कि वे इन हानियों को देखते हुए हमारी सहायता करे।

अपराह्न 5.46 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

तेरहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया श्री संतोष गंगवार कार्य मंत्रणा समिति का तेरहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

श्री संतोष गंगवार (बरेली): महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का तेरहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 5.47 बजे

देश में प्राकृतिक आपदाएं

[हिन्दी]

श्री राजाराम पाल (बिल्हौर): सभापति महोदय, आपने मुझे प्राकृतिक आपदा, जो एक राष्ट्रीय समस्या है, के विषय पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैंने माननीय सदस्यों की चर्चा कल से आज तक सुनी है और गत वर्ष से मानसून सत्र में जो चर्चा सुनी है उससे ऐसा लगता है कि जैसे प्राकृतिक आपदा पर ही नहीं किसी भी राष्ट्रीय समस्या पर न सदन गंभीर है और न हम लोग गंभीर हैं। वास्तव में प्राकृतिक आपदा जो आज से नहीं हजारों वर्षों से आ रही है, उस प्राकृतिक आपदा के लिए आजादी से पहले से हमारे लोग जितने अवेयर थे और उस आपदा से निपटने के लिए सक्षम थे। लेकिन आज इतने हजारों और करोड़ों रुपए राष्ट्रीय सहायता मिलने के बाद भी वे हमें बेचारे नजर आते हैं। मैं आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूं कि यह राष्ट्रीय समस्या है। प्राकृतिक आपदा अचानक नहीं आती है। कुछ आपदाएं तो ऐसी हैं जिनकी तिथि ज्ञात होती है कि दस-पन्द्रह दिन, एक महीने बाद या इसके आगे पीछे हो सकती हैं लेकिन उसका आना तय है। इसके बावजूद भी, आजादी के 57 साल के बाद भी, न तो राज्य सरकारें और न केंद्र सरकार उस आपदा से निपटने के लिए स्थायी हल निकालने के लिए गंभीर नजर नहीं आती हैं। इस गंभीरता को न लेने के कारण मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूं, वह नतीजा यह है कि प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं, उन गरीब मजलूम और कमजोर लोगों पर आती हैं जिनके प्रति आजादी के 57 साल बाद जो भी केंद्र सरकारें रही हैं, उनकी बेहतरी के लिए कोई काम नहीं करना चाहतीं, मात्र रस्म अदायगी करना चाहती हैं।

महोदय, अगर वास्तव में उन गरीबों के प्रति, आजादी के 57 साल के बाद हमारी जवाबदारी है। यह संविधान की मंशा है और यह हमारी प्रस्तावना में निश्चित था, क्या हम उनके प्रति आज तक गंभीर हो पाए हैं? इस पर भी आज विचार करने की जरूरत है। इस देश के संविधान निर्माता डा. अंबेडकर ने ठीक कहा था कि किसी देश का संविधान कितना ही अच्छा क्यों न हो, लेकिन अगर लागू करने वालों की मंशा ठीक नहीं होगी तो संविधान बेकार साबित होगा।

आज राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि हमारी राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार भी उतनी गंभीर नहीं है। उसके पीछे एक ही कारण है कि जिस राज्य

[श्री राजाराम पाल]

में प्राकृतिक आपदा आती है, पता चला कि केन्द्र में उसकी सरकार नहीं है। इसलिए केन्द्र उसके प्रति गंभीर नहीं होता। जिस राज्य में जिस इलाके में वह आपदा आती है, पता चला कि राज्य सरकार और वहां के एम.पी. या एम.एल.ए. नहीं जाते। उधर उसका वोट बैंक नहीं है इसलिए वे नहीं जाते। मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह देश हम सबका है और जिस सदन में हम चुनकर आए हैं, इस देश के जिन लोगों ने जिस मंशा से देश को आजाद करवाया था, आजादी के 57 साल बात भी उसको कायम रखने में हम अक्षम रहे हैं। इसको हमें बखूबी मानना चाहिए। हमें संसद में बैठकर इस देश के प्रति गंभीर होना पड़ेगा। हर समस्या के प्रति गंभीर होना पड़ेगा और इन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए हमें कोई स्थायी हल ढूंढने की आवश्यकता है। इस पर गंभीर चिन्तन करने की आवश्यकता है। चूंकि हमारे तमाम माननीय सदस्यों ने एक ही बात कही है कि ऐसा लगता है कि जैसे हर साल मानसून सत्र में प्राकृतिक आपदाओं के बारे में हम यहां पर सदन में बैठकर चिन्ता कर लेते हैं लेकिन वास्तव में क्या हम उन लोगों के प्रति उतने संवेदनशील हैं जहां बार-बार प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं? आज़ पूरे देश में कई प्रदेश ऐसे हैं जहां बाढ़ आई है। महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर बाढ़ से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। बिहार के बारे में मैं लगातार सुनता आया हूं कि उधर प्राकृतिक आपदा नियति बन गई है, बिहार के लोग उसका सामने करने को अपनी नियति मान चुके हैं। उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। उसमें आज दर्जनों जनपद ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और हजारों लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

मान्यवर, हमारे उत्तर प्रदेश में गंगा, युमना, बेतवा, केन आदि नदियां हैं। ये तमाम ऐसी नदियां हैं जो हर साल अपना कहर बरपाने का काम करती हैं। अगर हम इस दैवी आपदा के कारणों का गंभीर चिंतन करें तो पाएंगे कि हम बराबर प्रकृति से खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। हमारे पास एक समय जो जल संचयन की क्षमता थी, गांवों में तालाब थे, नदियां थीं, उनकी गहराई बालू के कारण कम हो गई है। इस कारण बाढ़ रोकने की उनकी क्षमता समाप्त हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नदियों को जोड़ने के बारे में बड़े पैमाने पर बल देने का काम किया। यह बात सही है कि नदियों के जोड़ने से भी इस समस्या का सही हल ढूंढा जा सकता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बांदा जनपद में कैन नदी ने जिस तरह का कहर बरपाया है, उससे सैंकड़ों लोगों की जानें गई हैं, हजारों मवेशी मारे गए हैं। बहराइच में घाघरा नदी ने तमाम गांवों को काल का ग्रास बना लिया। कानपुर जनपद में गंगा नदी पर बैराज इस उद्देश्य से बनाया गया था कि यहां पानी का जल स्तर बड़े पैमाने पर कानपुर में घट रहा है, पेयजल की गंभीर समस्या है। लगभग चार सौ करोड़ रुपए उस बैराज में लगाए गए थे ताकि लोगों को अच्छा पीने का पानी मिल सके और जल स्तर जो गिर रहा है, उसे गिरने से रोका जा सके। जल स्तर को घटने से रोकने की बात तो छोड़िए, पेयजल मुहैया कराने की बात तो छोड़िए, हमारे गंगा बैराज के जिम्मेदार अधिकारियों ने तकनीकी कमी के कारण बैराज के निर्माण में जो पैसा लगना चाहिए था, उसमें बड़े पैमाने पर घोटाला करने का काम किया है। बैराज के बनने से जो गांव हजारों सालों से गंगा नदी के तट पर बसे हुए थे, जिनमें आज तक गंगा का पानी नहीं गया था।

सभापति महोदय: राजा राम पाल जी समस्या और कारणों पर काफी चर्चा हो चुकी है, अब कुछ सुझाव आने चाहिए।

श्री राजाराम पाल: मान्यवर, बैराज के कारण हमारे दर्जनों गांव पूरी तरह से गंगा के काल के गाल में जा चुके हैं। हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन गंगा नदी बहा ले गई है। दर्जनों गांव जैसे देबिनपुरुवा, गिन्निपुरवा, दल्लापुरवा, सम्भरपुरवा, रामपुर, रामानिहालपुरवा आदि गांवों में एक भी मकान साबुत नहीं बचा है। गंगा के कटाव के कारण उपजाऊ भूमि गंगा में चली गई है। लगभग डेढ़ हजार परिवार कानपुर के विभिन्न स्कूलों में ठहरे हुए हैं। पशुओं के खाने की व्यवस्था नहीं है। लोग आज भूखों मरने की कगार पर हैं। आज प्रशासन उन डेढ़ हजार परिवारों के लिए कोई स्थायी व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। अलबत्ता प्रशासन उन्हें वापस लौट जाने को कह रहा है। गंगा नदी के कारण उनके मकान बह चुके हैं और वे वहां बसने की स्थिति में नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार उन पीड़ित लोगों के प्रति उतनी गंभीर नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र बिल्हौर के कटरी में बाढ़ के कारण बेघर हुए लोगों को पुनर्वास करने के लिए स्पेशल पैकेज देकर उनको बसाने का प्रबंध किया जाए। मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं।

श्री सीताराम सिंह (शिवहर): सभापति महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए आपने मुझे मौका दिया। यह विषय देश और विशेषकर बिहार के लिए भी महत्वपूर्ण है।

अपराह्न 5.59 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

महोदय, कल से चर्चा हो रहा है और मैं बड़े ध्यान से उसे सुन रहा हूं। मैं दो-चार बिंदुओं पर अपने सुझाव देना चाहता हूं। माननीय सदस्य ठीक बोल रहे थे कि प्राकृतिक आपदा दो तरह की होती है, एक तो वह जो अचानक आती है और दूसरी वह जो प्रतिवर्ष आनी तय है। जो अचानक आती है, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं। यह देश विज्ञान की दृष्टि से बहुत आगे बढ़ा है। नई-नई तकनीकें आयी है।

सायं 6.00 बजे

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सीताराम सिंह, कृपया थोड़ा इंतजार करें। 22 माननीय सदस्यों ने अभी भाषण देना है।

[हिन्दी]

आप देख लें कि किस हिसाब से बोलना है। रिप्लाई भी आज ही होना है।

श्री खारबेल स्वाई (बालासोर): उपाध्यक्ष महोदय, आज आठ बजे तक समय बढ़ा दीजिए। जितने माननीय सदस्य बोल सकते हैं, बोल लेंगे। रिप्लाई कल हो जाएगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, हम सभा का समय 7 बजे तक बढ़ा सकते हैं और फिर देखेंगे कि क्या इसे पुनः बढ़ायें।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: पहले एक घंटे का समय बढ़ा लेते हैं। रिप्लाई भी आज ही होगा।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): आज चर्चा पूरी हो जाए। अगर संभव नहीं हो पाया तो जवांब कल हो जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय: जवाब आज होना है।

श्री संतोष गंगवार (बरेली): उपाध्यक्ष महोदय, मूवर तो एक घंटा बोलते हैं और हमें आप पांच मिनट से भी कम का समय दे रहे हैं। सब माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। आप हाउस आठ बजे तक चलाइए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अभी एक घंटे का समय बढ़ा देते हैं। कोशिश करेंगे कि जल्दी क्लोज करें।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री विजय हान्डिक: अभी के लिए हमें समय सीमा सात बजे तक बढ़ा देनी चाहिए और यदि आवश्यक हुआ तो हम इसे आगे और बढ़ा सकते हैं। हमें इस चर्चा को आज समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री खारबेल स्वाई: बी.ए.सी. में भी तय हुआ था कि हाउस देर तक चलाएंगे, लेकिन फिर एडजर्न कर दिया गया। कल भी हाउस देर तक चलना चाहिए था। हमारे काफी सदस्य बोलना चाहते हैं। कल मैं तीन मिनट के लिए बाहर गया था उसी समय हाउस ऐडजर्न कर दिया गया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री विजय हान्डिक: मैं इस चर्चा को आज ही उत्तर सहित समाप्त करने के पक्ष में हूं। कृपया शेष निश्चित रहें ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आप हाउस का समय बढ़ा दीजिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: एक घंटे का समय बढ़ा देते हैं, बाद में देखेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री सीताराम सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन हमारे देश में अभी यह जानकारी नहीं है कि आने वाले दो-चार दिनों में कौन सी प्राकृतिक आपदा आने वाली है, सुनामी की तरह या मुम्बई की तरह।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सीताराम सिंह। आपके पास केवल पांच मिनट का समय है।

[हिन्दी]

श्री सीताराम सिंह: ठीक है, मैं प्वाइंट्स ही बोलूंगा। हम बहुत कम बोलते हैं, इसलिए हमारा दो-चार मिनट का समय बढ़ा दीजिए।...*(व्यवधान)*

[श्री सीताराम सिंह]

मुम्बई में वर्षा हो रही है। मौसम विभाग प्रतिदिन बोलता है कि यहां वर्षा होगी, वहां वर्षा होगी। मैं समझता हूं कि दिल्ली के बाद मुम्बई इस देश का सबसे महत्वपूर्ण शहर है। लेकिन वहां वर्षा थोड़ी ज्यादा हुई तो सड़कों पर तीन-तीन फीट पानी कैसे भर गया। क्यों नहीं वहां की नालियां इस तरह की बनाई गईं जिससे वर्षा का पानी अपनी सतह पर चला जाता। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार को इस बारे में सजग होना पड़ेगा।

जहां प्राकृतिक आपदा प्रति वर्ष आती है, उसमें बिहार है। बिहार में प्रति वर्ष बाढ़ आना तय है। ऐसा लगता है कि इस बार देर से आएगी। पिछले वर्ष तो बाढ़ ने कोहराम मचा दिया था। प्रति वर्ष बाढ़ से हमारी तबाही होती है, कुछ इलाके सूखे से प्रभावित होते हैं, उनके बारे में मैं बाद में बोलूंगा, पहले बाढ़ के विषय पर बोलना चाहता हूं। वहां वर्षों से बाढ़ आती है, बर्बादी होती है, सड़कें टूटती हैं, किसान और मजदूर तबाह होते हैं, गांव और शहर तबाह होते हैं।

बाढ़ नेपाल से आती है। भारत सरकार को नेपाल से बात करने का काम करना चाहिए। जब से हमें आजादी मिली, तब से भारत सरकार इस बारे में कभी गंभीर नहीं हुई। कभी नहीं सोचा कि बाढ़ से प्रति वर्ष जो बर्बादी होती है, उस पर हम काफी रुपया खर्च करते हैं, तो क्यों नहीं नेपाल सरकार से बात करके इसका कोई स्थायी निदान निकालें।

मैंने कई बार, कई माध्यमों से सदन में अपनी बात रखने का प्रयास किया। आज मैं बहुत कम शब्दों में कहना चाहता हूं कि इस तरह की आपदा से बचने के लिए भारत सरकार ने कुछ प्रयास किया है। सात जगहों पर अपने दफ्तर खोले हैं, लेकिन दफ्तर खोलने मात्र से नहीं होगा, आप उस दिशा में प्रयास करें। और प्रयास करके भारत सरकार के साथ अपने टेक्नोक्रेट्स को बैठाकर बात करें कि कैसे हम बाढ़ का स्थायी निदान करें ताकि नदी का पानी सिंचाई और बिजली बनाने में काम आये, लोगों को बर्बाद करने के काम में न आये। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इसका कोई न कोई स्थायी निदान निकाला जाये। तीसरी बात यह है कि राज्य सरकार और भारत सरकार ने जो बांध तैयार किये हैं, वे आज बिल्कुल अस्तव्यस्त की स्थिति में है। जितनी भी नदियां हैं चाहे वह बागमती हो, कोसी हो, अदवारा हो, सिकराना हो या गंगा हो, वहां बाढ़ से बचाव के लिए जो बांध बांधे गये, वे आज बिल्कुल बुरी हालत में है। पिछले वर्ष की बाढ़ में अकेले हमारे लोक सभा क्षेत्र में 10 जगहों पर बांध टूटा। उन बांधों के टूटने से जितनी बर्बादी हुई, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। क्योंकि जब से वह बना है तब से उसकी मरम्मत नहीं हुई। इस बार सरकार ने ऐलान किया कि हम पैसा दे रहे हैं लेकिन एक इंच भी बांध की मरम्मत नहीं हो सकी। कई जगहों पर सुलिसगेट की आवश्यकता है, लेकिन वह तब से खाली पड़ा है। वह आज तक नहीं बन पाया। कुछ जगह पर बनाने का प्रयास हुआ तो उसका नट वगैरह गायब हो गया। आज सरकार इस पर गंभीर नहीं है जिसके कारण सरकार का जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है, जो बांध बांधे गये हैं, वे सब अस्तव्यस्त स्थिति में है। मैं सरकार को सलाह दूंगा कि आपकी जितनी एजेंसियां हैं, अब भारत सरकार की एजेंसी है, उसने गंगा परियोजना करके एक थिंक टैंक बनाया हुआ है। हमारे यहां लोक सभा क्षेत्र ढाका के गोआबारी में एक बांध आजादी के पहले से बना है। वह बांध लाखों लोगों की रक्षा कर रहा है। पिछले साल वह बाढ़ में टूट गया तो उससे काफी बर्बादी हुई।

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप कन्कलूड कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री सीताराम सिंह: मैं आपको दुबारा बोलने का मौका नहीं दूंगा। आप हमें दो मिनट बोलने दीजिए उन बांधों को बांधने की बात हुई तो बिहार सरकार ने कहा कि बांध दिया जायेगा लेकिन भारत सरकार की केन्द्रीय टीम वहां गयी तो उसने कहा कि इस बांध को बांधने से कोई लाभ होने वाला नहीं है और उसे बांधने नहीं दिया। खैरियत है कि पानी अभी नहीं आया। अगर आ जाये तो मैं समझता हूं कि वह दस लाख की आबादी को बर्बाद करेगा। यह क्या सोच है? इस बात को मैंने कमेटी की बैठक में भी उठाया था लेकिन वह आज तक नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि बाढ़ से होने वाली तबाही से बचाने के लिए जिन राज्यों में भी ऐसी समस्या है, हमारे बिहार में तो है, मैं चाहूंगा कि कोसी, अदवारा, बागमती से लेकर इन तमाम बांधों को दुरुस्त किया जाये और जहां गैप है, उसको ठीक किया जाये।

महोदय, प्राकृतिक आपदा हमारे यहां दूसरे रूप में यानी सूखे के रूप में भी आती है। इस साल भी सूखा पड़ रहा है। हमारा आधा इलाका सूखे से ग्रस्त हो जाता है। तीसरा, जल जमाव की समस्या अलग है। बरसों से यह प्रयास होता रहा कि सिंचाई की बेहतर सुविधा दी जाये। कुछ सुविधा देने का प्रयास भी हुआ लेकिन बिहार सरकार के पास संसाधन कम थे। भारत सरकार को जिस रूप में संसाधन देना चाहिए, पैसा देना चाहिए, उसकी अब तक उपेक्षा होती रही है। मैं इसे बहुत विश्लेषित करूं तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा क्योंकि समय

कम है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए उन राज्यों में जिसमें बिहार एक नम्बर पर आता है, उसमें अधिक से अधिक पैसा दे जिससे सिंचाई और सूखे से निपटने की व्यवस्था हो जाये तो इससे किसान और गांव का हित होगा।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि एक इलाका हमारे बिहार में है पटना का मोकामा टाल है। उसकी विचित्र स्थिति है। उसको भी सरकार समेकित रूप से दिखलाना चाहती थी मगर कर नहीं पाई। मैं आग्रह करूंगा कि सरकार इसको समेकित रूप से दिखलाकर वहां के किसानों के हित के लिए उसे समतल करने और सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई करेगी। इसके अलावा हमारे इलाके में कुछ बातें ऐसी हैं जिसे मैं कहना उचित समझता हूं। महोदय इस बार हमारे यहां बाढ़ से तबाही कम हुई लेकिन दो-तीन जिले ऐसे हैं जहां आप चाहकर भी नहीं जा सकते। वहां ट्रेन की सुविधा भी लम्बे रूट से है। एन.एच. पर भी अभी ढाई-तीन फीट पानी आ गया है। पिछले साल से वह प्रयास हो रहा है। स्वयं उसमें एन.एच. के मिनिस्टर लोग भी गये थे जब बाढ़ आई थी। लाख प्रयास किये गये लेकिन मुजफ्फरपुर कमिश्नरी शहर है और सीतामढ़ी जिला का शहर है। लेकिन आज तक फिर उस पर तीन फीट पानी बढ़ रहा है। आप वहां नहीं जा सकते। मैं सरकार का ध्यान उस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस पर विशेष ध्यान देकर उस रास्ते को चालू करने के लिए प्रयास करें। यह प्राकृतिक आपदा समझी हुई है और सरकार इसे अपने आप से देख रही है। जनता तो भुगत रही है लेकिन इसका निदान नहीं निकल रहा है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस दिशा में ध्यान देगी।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने का अवसर दिया जाए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: रामदास जी, आप बैठ जाइए। मैं बाद में आपको समय दूंगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री आठवले, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं इस विषय पर बोलने के लिए आपको मौका दूंगा। मैं आपको शामिल करने की पूरी कोशिश करूंगा।

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। पिछले दो दिनों से यह पूरा सदन प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अपनी चिंता व्यक्त कर रहा है। प्राकृतिक आपदाएं पहले भी आई हैं, आती रहती है और ये किसी एक राज्य तक सीमित नहीं हैं। ये एक ही समय में अलग-अलग राज्यों में या अलग-अलग समय पर आती रही हैं। इनका प्रकोप बहुत भीषण रूप से पूरे देश में होता रहा है लेकिन क्या हम यही मान लें कि चूंकि इन पर हमारा बस नहीं है, इसलिए हम इन प्राकृतिक आपदाओं को और उनसे होने वाले नुकसान को झेलते रहें और उनसे होने वाले नुकसान का आकलन करके राहत कार्यों को प्रारम्भ करते रहें? लगभग प्रत्येक वर्ष ही ये प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। कोई भी साल बाकी नहीं है जब देश के किसी न किसी हिस्से में कहीं बाढ़ का या कहीं सूखे का प्रकोप न हुआ हो। लेकिन इनसे सबक लेकर कोई स्थायी समाधान किया जाए, ऐसा प्रयास सरकार का दिखाई नहीं दे रहा है और न ही ऐसी किसी योजना पर सरकार विचार कर रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। यह बहुत ही चिंताजनक स्थिति है क्योंकि देश का कोई भी भाग इस दृष्टि से सुरक्षित नहीं है। जिन राज्यों को हम यह मानते थे कि इनमें प्राकृतिक प्रकोप नहीं होता, वे राज्य भी अब उस गिनती में बढ़ते जा रहे हैं। अभी-अभी मुम्बई में हुई भारी वर्षा इस बात का प्रमाण है और साथ ही एक बार फिर से यह साबित हो गया है कि हमारा पूरा तंत्र इन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में अक्षम है। हम बाद में राहत कार्यों के लिए सिर्फ दिनों की अवधि बढ़ाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं।

महोदय, पहली बार इस देश में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एन.डी.ए. सरकार ने इसके प्रति अपनी इच्छा-शक्ति का परिचय दिया था और एक दीर्घकालिक योजना, नदियों को जोड़ने वाली योजना पर विचार प्रारम्भ किया था। अगर इस योजना पर आगे भी काम हो तो निश्चित रूप से न सिर्फ बाढ़ से मुक्ति पाई जा सकती है बल्कि देश के जिन हिस्सों में सूखा पड़ता है, वहां पर भी हरित-क्रांति हो सकती है। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यह सरकार इस योजना के प्रति गंभीर दिखाई नहीं पड़ रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि वह योजना ही ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। यह बहुत चिंता का विषय है क्योंकि जब प्राकृतिक आपदाओं का कहर टूटता है तो उससे सर्वाधिक मध्यम वर्गीय तथा गरीब लोग प्रभावित होते हैं। ये वे लोग होते हैं जो उन प्राकृतिक आपदाओं के बाद सिर्फ मदद पर निर्भर होकर रह जाते हैं। पर्यावरण संतुलन के लिए हमारा देश पूरी दुनिया में जाना जाता था। सबसे अच्छा मौसम सबसे अच्छा पर्यावरण हमारे देश का माना जाता था, लेकिन आज बहुत दुखद स्थिति है कि पर्यावरण असंतुलन का सबसे ज्यादा

[श्री राकेश सिंह]

असर हमारे देश में हो रहा है। इससे जो हालात पैदा हो रहे हैं उसका असर देश के बहुत ही निर्धन और निचले स्तर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अभी-अभी मध्य प्रदेश में जो स्थिति उत्पन्न हुई है उससे लगभग 16 जिले प्रभावित हुए हैं जिनमें से 9 जिले सर्वाधिक प्रभावित हैं। लगभग 10 लाख से अधिक बी.पी.एल. परिवार इससे प्रभावित हुए हैं और जो ए.पी.एल. के लोग हैं वे भी बहुत बड़ी संख्या में इससे प्रभावित हुए हैं, हालांकि बी.पी.एल. परिवारों की स्थिति ज्यादा चिन्ताजनक है क्योंकि उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा है - न खाने को अनाज और न सिर छिपाने के लिए जगह। ए.पी.एल. लोगों की स्थिति भी लगभग ऐसी ही है, क्योंकि जो भी कुछ भी उनके पास था, बाढ़ के प्रकोप के कारण वह उनके पास बाकी नहीं रह गया है। मेरे अपने लोकसभा क्षेत्र में जहां से मैं चुनकर आता हूं, वहां पर जबलपुर और कटनी, दोनों स्थान इस अतिवर्षा और बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और वहां भीषण तबाही हुई है। कटनी जिले में अतिवृष्टि से और बाढ़ से दस से अधिक मौतें हो चुकी हैं, सैकड़ों मवेशी बाढ़ में बह गए हैं और हजारों लोग बेघरबार हो गए हैं। पूरा कटनी शहर लगभग पांच दिनों तक बाढ़ में डूबा रहा। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि जब मकान की पहली मंजिल पानी से डूब गयी तो लोग दूसरी मंजिल पर चले आए और जब पानी दूसरी मंजिल तक भी पहुंच गया तो लोग छत पर जाकर खड़े हो गए, जहां से उनको मोटरबोट और नावों के सहारे बचाया जा सका। मेरे लोकसभा क्षेत्र कटनी के बहोरीवन विधानसभा क्षेत्र में 1600 मिलीमीटर वर्षा हुई। उस क्षेत्र में जहां वर्ष में 50 से 55 इंच वर्षा होती थी वहां पिछले लगभग 10 से 15 दिनों में 64 इंच वर्षा हुई है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इससें कितनी भीषण तबाही हुई होगी।

पानी की मार से कच्चे मकान तो नष्ट हो ही गये, जो मकान बचे हुए हैं वे भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और वे किसी भी समय गिरने की स्थिति में आ गए हैं। वहां रहने वाले लोग दोतरफा मार झेल रहे हैं - एक तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है और दूसरी तरफ वे लोग जो क्षतिग्रस्त मकानों में अपने परिवार और छोटे-छोटे बच्चों को लेकर रहते हैं, वे रात-रात भर इस डर से सो नहीं पाते कि पता नहीं कब वह मकान गिर जाए। लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा गांव ही प्रभावित है। जबलपुर जिले के सिहोरा और पनागर विधानसभा क्षेत्र बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। वहां सैकड़ों मकान गिर गए हैं, खेतों में आज भी पानी भरा है और सैकड़ों मवेशी मारे गए हैं। खेतिहर मजदूरों की स्थिति बहुत बुरी है। उनके लिए यह समय ऐसा होता था जिसमें वे खेतों में काम करके पूरे वर्षाकाल के लिए अनाज एकत्र करते थे जिससे उनका उदरपोषण होता था। लेकिन आज खेतों में पानी भरा हुआ है, खेतों में काम नहीं हो सकता है, ऐसी स्थिति में वे मजदूर जाएं तो कहां जाएं? उनके उदरपोषण का भी संकट खड़ा हो गया है। मैंने अभी जब स्वयं इन क्षेत्रों का दौरा किया तो कई ऐसे गांव देखे जहां पहुंचने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ नाव है। नाव भी ऐसी है कि जिसमें एक बार बैठने के बाद स्वयं मैंने भी भय महसूस किया और जब वह नाव बीच धारा में पहुंची तो मैंने महसूस किया कि अगर इस नाव में हल्की सी गड़बड़ी हुई तो शायद मैं लौटकर किनारे तक नहीं पहुंच पाऊंगा। मैंने यह महसूस किया कि जो लोग वहां से रोज अपने छोटे-छोटे बच्चों को लेकर आते-जाते हैं, वे किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसी स्थिति में प्रभावित लोगों के लिए राहत राशि की घोषणा की है। उसके वितरण और तात्कालिक राहत का कार्य प्रारंभ हो गया है। लेकिन राज्य सरकार के अपने सीमित संसाधन हैं। वह उन सीमित संसाधनों से इतनी बड़ी संख्या में प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए, उनके रोजगार के लिए और उनकी जरूरतों के लिए सारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती, वह भी ऐसी स्थिति में। मेरे अपने लोक सभा क्षेत्र में मात्र दो जिलों जबलपुर और कटनी में ही 250 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। प्रदेश सरकार प्रभावित लोगों को, जिनके मकान ध्वस्त हो गए हैं, दे रही है, साथ में 30 किलोग्राम अनाज भी दे रही है। अब तक इन कार्यों पर प्रदेश सरकार 100 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है।

प्राकृतिक प्रकोप जब आते हैं, किसी राज्य को पहचान कर नहीं आते हैं। देश के किसी भी हिस्से में जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो वह देश के नागरिक पर आती है और वह उससे प्रभावित होता है। इसलिए जब प्रभावित लोगों को राहत देने की बात की जाए, तो वहां कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मध्य प्रदेश सरकार को अभी तक केन्द्र से मात्र 95 करोड़ रुपए की राशि ही उपलब्ध कराई गई है। केन्द्र सरकार के एक मंत्री मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल गए थे और वहां से उन्होंने हेलिकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था। बाद में उन्होंने घोषणा की थी कि जो लोग इस आपदा से मारे गए हैं, उनके परिवारजनों को एक-एक लाख रुपए की राशि दी जाएगी। लेकिन आज तक वह घोषणा सिर्फ घोषणा ही रही है, कोई राशि उन मृतकों के आश्रितों को नहीं मिल पाई है।

मेरा मानना है कि इस तरह से किसी भी राज्य के साथ, जो प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त हो, ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। सबको समान दृष्टि से देखा जाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश जो पर्यावरण की दृष्टि से सबसे ज्यादा संतुलित राज्य है और पूरे देश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वहां है, उस क्षेत्र को भी पर्यावरणीय असंतुलन का सामना करना पड़ रहा है और उसकी पीड़ा को बोगना पड़ रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार मध्य प्रदेश के लिए विशेष आर्थिक सहायता की घोषणा करे। खेतीहर मजदूरों और गरीब किसानों के लिए, जबलपुर तथा कटनी जिलों में काम के बदले अनाज योजना लागू करे, ताकि मजदूरों के उदर पोषण की व्यवस्था हो सके। साथ में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में वहां मकान बनाकर बी.पी.एल. परिवारों को दिए जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं और आपने सदन में मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): उपाध्यक्ष जी, आपकी अपार कृपा से मुझे बोलने का मौका मिला है। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि हमें सबसे पहले बुनियादी बातों की ओर गौर करना चाहिए। फंड तो सारे राज्य मांगते हैं और यहां से विभिन्न दल दौरा भी करते हैं। लेकिन होता क्या है कि महल तो खड़े रहते हैं, लेकिन हर साल झुग्गियां बह जाती हैं, तबाह हो जाती हैं। इसके पीछे जो मूल कारण है, वह यह है कि हमें पहले प्लानिंग करनी चाहिए। जिस जगह पानी बहता है, जो नाले थे, नदियां थीं, दरिया थे, लोकल नाले थे और जो छोटे-मोटे खड्डे थे, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी, एक-एक करके सब ग्रैब कर लिए गए। पूरे हिन्दुस्तान में इतना अतिक्रमण किया गया कि जहां से पानी बहता था, उसका रास्ता रोक लिया गया। जब आप पानी का रास्ता रोकेंगे, तो फिर पानी अपना रास्ता बदलेगा। फिर हम चिल्लाते हैं कि पानी हमारे घरों में आ गया। इसलिए मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूं कि परमात्मा बड़ा है, कुदरत की अगर आप बात करते हैं, नेचुरल केलेमिटी की बात करते हैं, तो कुदरत के साथ ज्यादती करोगे तो फिर डूबोगे नहीं, बह नहीं जाओगे, तो फिर क्या होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण पैसा नहीं, प्लानिंग है, वह करनी चाहिए और देखा जाना चाहिए कि हमारे नाले कहां चले गए। जिस शहर में एक लाख लोगों के लिए जगह नहीं थी आज वहां 50 लाख लोग रह रहे हैं, जहां 50 लाख लोगों के रहने की जगह नहीं थी वहां आज 10 करोड़ लोग रह रहे हैं। आज पहली बार मुम्बई वालों ने भी देखा कि पानी आया है। पानी के बढ़ने का कारण यह है कि जंगल सारे काट लिये गये। हर तीसरे आदमी के हाथ में कुल्हाड़ी होती है कि इस जंगल को मैं काट लूंगा, उस पेड़ को मैं काट लूंगा, तो पानी तो आयेगा ही।

हमारे यहां मिलिटेंसी आई तो मिलिटेंटों ने जंगल काट लिये। उनको रोकने के लिए हमारी आर्मी आई तो उन्होंने भी वही काम किया। पिछली तफा हमारे यहां अवलांचेज आये। वे तो आयेंगे ही जब आप पहाड़ों से पेड़ काट दोगे तो ऐसा तो होगा ही और फिर वहां बर्फ गिरी तो हम लोग मीटर के हिसाब से उसमें दब गये। पहले हमारे यहां बर्फ कहीं 15 फीट थी कहीं 18 फीट थी और पांच या छह महीने पहले जिन गरीब लोगों के मकान बर्फ में धंस गये थे, आपने उनके लिए तो कुछ नहीं किया और नयी प्लानिंग बनाने लगे। हमारी प्लानिंग का नमूना देखो कि हम पिछला तो संभाल नहीं सके, उसको ठीक नहीं कर पाये और आगे प्लानिंग करनी शुरू कर दी। अगर टांग में लग जाए तो मालूम नहीं पड़ता है लेकिन आंख में लगती है तो मालूम पड़ता है। हमारे यहां जहां पहले बिजली जलती थी आज दीया भी नहीं जलता है। आप बशोली को ले लीजिए, बिलावर, बनिहाल, रामबन, कठुआ, गुल-अरनास, डोडा, इंद्रवार, किश्तवार, भद्रवार, चिनेनी के पहाड़ में बिजली नहीं है। मैंने जब वहां का टूर किया तो लोगों ने कहा कि कुछ साल पहले जो हमारे बिजली के पोल टूट गये थे वे अभी तक नहीं लग पाये हैं। पिछला नुकसान पूरा नहीं हुआ और आगे की प्लानिंग कर रहे हैं और प्लानर कौन हैं जो एयर-कंडीशन्ड कमरों में बैठकर प्लानिंग करते हैं। जमीन के लोग प्लानिंग करें तभी काम होगा।

एक आदमी बता रहा था कि उसने किसी से कहा कि मैं एम.पी. हूं तो वह बोला तो क्या हुआ? हरियाणा की बात कोई सुना रहा था। आपकी जब यह एमेज है तब आप देश को कैसे बचाएंगे? मैं यह कहना चाहता हूं कि आपकी इमेज को खराब करने के लिए जो सीडीज बन रही हैं उनको रोकिये। आप गांव के नाले, नदियों को बचाइये। आपने जमीन से पानी निकाल लिया और फिर कहते हैं कि खुश्की हो गयी। तेल नहीं लगाओगे तो खुश्की होगी ही। जिस जमीन से पानी निकल जाएगा, जिस जमीन से एनर्जी निकल जाएगी तो जमीन में ताकत कहां रहेगी? हमें पानी ग्रैविटी से मिल सकता है और उसके कारण हम सूखे से बच सकते हैं। मैं जो यहां बोल रहा हूं वह भी मैं फोर्मेलिटी कर रहा हूं, होने वाला कुछ भी नहीं है। लोग कहेंगे कि लाल सिंह जी ने दमदार भाषण किया लेकिन भाषण से क्या गरीब का भला होने वाला है, उसका भला तो उसके लिए प्लानिंग बनाने और उस पर

[चौधरी लाल सिंह]

इम्प्लीमेंटेशन से ही होगा। मैं उसी अन्दाज से कह रहा हूं। किसानों की जमीन बह गई। वह हर साल बहती है। एक तरफ एग्रीकल्चर की जमीन कम हो रही है और दूसरी तरफ एग्रीकल्चर खत्म हो रहा है, हॉर्टिकल्चर डैमेज हो गया है। ये टूरिज्म की बातें कर रहे हैं और खूबसूरत बनाने की बातें कर रहे हैं। यहां लम्बी-चौड़ी तकरीरें हुईं। गांवों का विकास करने की आवश्यकता है। हर साल साढ़े चार लाख लोग दिल्ली और मुम्बई आते हैं। आप इसे रोकें। अग्रवाल साहब, आप जब तक इसे नहीं रोकेंगे, तब तक कुछ काम नहीं होगा। एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाइए। इसका डिपार्टमैंट किस को दिया है? बाढ़ से किसानों की जमीन बह गई, मकान ढह गए, रेवेन्यू रिलीफ वाले आ गए। 32 डिपार्टमैंट हैं। हिन्दुस्तान में सब ने बहुत बातें की लेकिन ठीक से डिजास्टर मैनेजमैंट नहीं बन पायी है। किसी को पता ही नहीं किस को क्या कहना है? नम्बर मिलाते हैं लेकिन कोई फोन नहीं उठाता है। इनके फ्रॉड्यूलैंट कंट्रोल रूम हैं। फोन करोगे तो घंटी बजेगी, अगर वह बजेगी तो बजती रहेगी, नहीं बजेगी तो नहीं बजेगी, यह स्थिति है। उन गरीबों, उन देशवासियों का जिन का असली देश है, आप उनको देखने की कोशिश करें। आपकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का समय और मौका दिया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले, आपको अपनी बात पांच मिनट के अन्दर समाप्त करनी है।

श्री रामदास आठवले: उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, इस चर्चा का उत्तर कब दिया जाएगा? क्या उत्तर कल दिया जाएगा?

उपाध्यक्ष महोदय: मेरा मानना है कि उत्तर आज ही दिया जाना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, आज ही क्यों? गृह मंत्री यहां नहीं है। वे महाराष्ट्र गये हैं। क्या वे आज वापस आ जाएंगे?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: जैसा मैम्बर चाहेंगे। आज करना चाहेंगे तो आज कर लेंगे वरना कल कर लेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य: आज नहीं, कल कर लें।

उपाध्यक्ष महोदय: हम आठवले जी को पहले सुन लेते हैं।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने बहुत बार प्राकृतिक आपदा का सामना करने की कोशिश की है। इसे रोकने के लिए एक प्लानिंग करने की आवश्यकता है। मुम्बई में सौ साल के बाद इतनी बारिश हुई। मुम्बई शहर समुद्र के पास है। वहां लगातार 12 घंटे तक बारिश आई जिससे वहां पानी-पानी हो गया। मुम्बई देश की आर्थिक राजधानी है। मुम्बई हर साल 40 हजार करोड़ रुपए भारत सरकार को देता है। मुम्बई में ड्रेनेज सिस्टम का रैनोवेशन करने की आवश्यकता है। इसलिए हमारी मांग है कि प्रधान मंत्री जी मुम्बई के विकास के लिए 10 हजार करोड़ रुपए दें। ...*(व्यवधान)*

प्रधान मंत्री जी हालात का जायजा लेने के लिए मुम्बई गए हैं। उनके साथ श्री शरद पवार, श्री मणिशंकर अय्यर भी गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री विलासराव देशमुख रायगढ़, रत्नागिरी, नांदेड़ में हुए नुकसान की देखरेख कर रहे हैं और लोगों की ज्यादा से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। हर साल बाढ़ आती है। वह बिहार, यूपी और महाराष्ट्र के कई जिलों में आती है। देश में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां सूखा भी पड़ता है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने सवा लाख करोड़ रुपए की एक योजना बनायी थी और नदियों को जोड़ने की बात कही थी। अगर एक नदी में बाढ़ आती है तो उसकी पानी दूसरी नदी में जाना चाहिए। लोगों को नुकसान न हो इसके लिए प्लानिंग करने की आवश्यकता है। मुंबई में इस तरह नुकसान हुआ है, वहां इतनी बारिश आने वाली है इसके बारे में डिपार्टमेंट को बताने की आवश्यकता है जो नहीं होता है। हमने देखा है कि जिस तरह से सुनामी में नुकसान हुआ, अगर उसकी जानकारी पहले लोगों को मिल जाती तो जानें नहीं जातीं। इसके लिए भारत सरकार से हमारी मांग है कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए, जैसा श्री लाल सिंह जी कह रहे थे कि प्राकृतिक आपदा जब आती है जिस तरह से मकान बनाने के लिए अलग डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, अलग-अलग डिपार्टमेंट हैं, उसी तरह प्राकृतिक आपदा मंत्रालय पर विचार करने की आवश्यकता है। एक मंत्रालय इसके लिए होना चाहिए क्योंकि हर साल भूकंप आता है, सुनामी आती है, बाढ़ आती है, सूखा होता है, इससे लोगों को नुकसान होता है, हजारों-लाखों लोगों की जानें जा रही हैं इसलिए मेरी मांग है कि इसके लिए प्राकृतिक आपदा मंत्रालय, एक स्वतंत्र मंत्रालय की आवश्यकता है। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी से अपील करते हैं

कि प्राकृतिक आपदा मंत्रालय बनाने के संबंध में विचार करने की आवश्यकता है।

महोदय, मैंने बीच में सुझाव दिया था कि मुंबई से कोपन किन्नर पट्टी, जहां भी समुद्र के पास बारिश ज्यादा होती है, जहां भी पानी कम है, जहां सूखा होता है, उस पानी को रोककर वहां ले जाने की आवश्यकता है। अभी मुंबई में इतनी बारिश होने के बाद सबको ध्यान आ गया है कि मुंबई में भी इतनी बारिश होती है इसलिए उस पानी को रोककर, कैनाल के माध्यम से या अलग माध्यम से जहां पानी कम होता है, जहां बारिश कम होती है, वहां पानी ले जाने की आवश्यकता है। इसके लिए डैम बनाने की आवश्यकता है, इस तरह की प्लानिंग करने की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी इसके बारे में विचार कर रहे हैं।

महोदय, पीने के पानी की समस्या बहुत जगह पर है, इस संबंध में भी विचार करने की आवश्यकता है। जहां सूखा होता है वहां समुद्र के पानी का एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता है। जो साल्टिड पानी है, उस सॉल्टिड पानी को पीने के लायक बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता है, इसके बारे में कोई विचार होना चाहिए। मैं समझता हूं कि हर साल जो हजारों लाखों लोगों की जानें जा रही हैं, करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, उसे रोकने के लिए कोई न कोई प्लानिंग करने की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी यू.पी.ए. सरकार है, यह प्लानिंग करने में बहुत होशियार है। डॉ. मनमोहन सिंह जी इकोनामिस्ट हैं इसलिए अपने देश की इकोनॉमी को सुधारने के लिए इन पांच सालों में अच्छा काम करने वाले हैं। पिछले छः सालों में उन लोगों ने कुछ काम नहीं किया इसलिए उन लोगों को जाना पड़ा। हमें मालूम है कि हमें सरकार चलानी है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है इसलिए इन पांच सालों में लोगों की ज्यादा प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे और प्राकृतिक आपदा के बारे में एक अच्छी प्लानिंग बनानी चाहिए। लोगों को ज्यादा सुविधा मिलनी चाहिए, इसके लिए विचार करना चाहिए। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि घंटी बज रही है और लोगों को भी बोलना है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपको बोलने के लिए आठ मिनट दे दिए हैं क्योंकि आप महाराष्ट्र से हैं।

श्री रामदास आठवले: मुंबई और महाराष्ट्र के लिए ज्यादा मदद मिलनी चाहिए, यह मांग मैं भारत सरकार से करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अगला वक्ता, श्री डब्ल्यू. वांग्यू कोन्यक हैं।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली): उपाध्यक्ष महोदय, अभी सूचना मिली है कि राजगीर पटना श्रमजीवी सुपर फास्ट एक्सप्रैस में विस्फोट हो गया है और सौ से अधिक लोग घायल हुए हैं। हम चाहते हैं कि इसके संदर्भ में सदन की बैठक स्थगित होने से पहले तथ्यात्मक जानकारी दी जाए क्योंकि सौ से अधिक लोग घायल हुए हैं। हम चाहते हैं कि सरकार की ओर से ध्यान दिया जाए।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (पुरी): उपाध्यक्ष महोदय, इसकी जानकारी मिलनी चाहिए।

श्री संतोष गंगवार: उपाध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण ट्रेन है, दिल्ली तक आती है, राजगीर पटना सुपर फास्ट ट्रेन है, हम चाहते हैं कि सरकार इस ओर ध्यान दे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं इसे देखूंगा।

श्री डब्ल्यू. वांग्यू कोन्यक (नागालैंड): महोदय, प्राकृतिक आपदा प्रकृति जनित एक समस्या है। लेकिन इस समस्या का निराकरण सरकार ही कर सकती है। जब असम में बाढ़ आती है, तो पूरा पूर्वोत्तर राज्य इससे प्रभावित होता है। इसका कारण यह है कि सभी बसें, ट्रक, आवश्यक वस्तुएं सामान्यतः असम से ही होकर आती हैं। अतः कम से कम एक व्यापक योजना बनाई जाए ताकि पूरे पूर्वोत्तर राज्यों के हित के लिए असम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से होकर गुजरना न पड़े; इसलिए मैं चाहता हूं सरकार यह परियोजना शुरू करे।

दूसरी बात यह कि 26 मई, 2005 को मोकोकचुंग शहर में भारी भू-स्खलन हुआ जिसमें कुल मिलाकर 15 लोगों की मौत हो गई, दस घर पूर्णतः बर्बाद हो गए और छह लोग घायल हो गए। मरने वाले 15 लोगों में छह बिहार के, एक असम के और शेष नागालैण्ड के थे। उसी दिन तुली शहर में अचानक अप्रत्याशित बाढ़ आ गई। दो सौ बयासी घर इतने बर्बाद हो गए कि उसकी मरम्मत भी नहीं की जा सकती है और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. - 61 सहित काफी संपत्ति की बर्बादी हुई। 20 दिन के बाद केन्द्र सरकार ने वहां संयुक्त सचिव, श्री डी.एस. मिश्रा के नेतृत्व में एक केन्द्रीय दल भेजा और उन्होंने केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

[श्री डब्ल्यू. वांग्यू कोन्यक]

आज उस घटना के घटे दो महीने से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी उसके लिए किसी राहत की स्वीकृति नहीं दी गई है। यदि यही घटना देश के अन्य किसी भाग में घटित हुई होती तो वहां प्रधानमंत्री जाते है, गृहमंत्री जाते और राहत कार्य शीघ्र शुरू करने के साथ-साथ कई और कार्य किए जाते। लेकिन नागालैण्ड में इस घटना के दो महीने से अधिक समय के बाद भी राज्य के लिए एक कौड़ी की भी स्वीकृति नहीं दी गई है। इससे साफ जाहिर है कि इस राज्य के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है।

क्षति संबंधी प्रतिवेदन और प्राक्कलन के साथ-साथ समझौता ज्ञापन केन्द्रीय दल को सौंपा गया। लेकिन आज तक एक कौड़ी की भी स्वीकृति नहीं दी गई है। यदि मैं गलत नहीं हूं, तो यदि यह घटना भारत के किसी अन्य भाग में घटित हुई होती तो राहत उपाय के तौर पर करोड़ों रुपये की घोषणा कर दी गई होती।

यह पूरे देश के लिए एक गंभीर समस्या है। नागालैण्ड आर्थिक रूप से देश का एक ग़रीब राज्य है और केन्द्र सरकार को किसी भी राज्य के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए। अतः केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि पूरे देश को एक नजर से देखा जाए और नागालैण्ड राज्य को तत्काल राहत दी जाए।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि केन्द्रीय दल की रिपोर्ट के अनुसार निधि तत्काल जारी की जाए।

[हिन्दी]

श्री श्रीपाद येसोनाईक (पणजी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बार चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। आज से छः महीने पहले हमारे देश में सुनामी आई। उससे बचाव करते हुए अभी छः-सात महीने हुए हैं, हम उस संकट से उबरकर अभी सिर उठा ही रहे थे कि इतने में इसी सत्र में पूरे वैस्टर्न इंडिया में भयंकर बाढ़ आ गई और उसने सब लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। यह भी मालूम हुआ है कि 150 साल पहले जिस तरह की वर्षा हुई थी, उसके बाद यह अबकी बार हुई है। इसका पूरे वैस्टर्न इंडिया, मुम्बई, कर्नाटक और बेलगाम तक असर पड़ा है। जगह-जगह पर यातायात सम्पर्क टूट गया है। सड़कें बंद हो गई हैं, रेलें बंद हो गई है। विमान सेवा बंद नहीं हुई थी, अब वह भी बंद हो गई है। यह सब देखकर मन में विचार आता है कि बाढ़ और सूखा जैसी नैसर्गिक आपदाएं हर बार आती हैं। प्राकृतिक आपदा आने के बाद देश के लोग हर तरह की मदद करते हैं, केन्द्र सरकार भी मदद करती है। मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारा डिजास्टर मैनेजमैंट है, वह ठीक काम नहीं कर रहा है। अगर ठीक काम कर रहा होता तो बहुत जान-माल का बचाव हम कर पाते और नुकसान को कम कर सकते थे। लेकिन आज तक इसके बारे में उपाय केन्द्र सरकार की ओर से नहीं हो पा रहे हैं। आज ही डिजास्टर मैनेजमैंट अथॉरिटी का बिल सबमिट हुआ है। 57 साल की आजादी के बाद देश में कितनी आपदाएं आई होंगी लेकिन सब लोगों के सहयोग से यह सब कम होता जा रहा है। अगर हम एक सही सिस्टम डैवलप करें तो जो नुकसान हो रहा है, उसको हम टाल सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, करीब 100 साल के बाद गोवा में भी ऐसी भयंकर बाढ़ की स्थिति आई है। गोवा एक छोटा राज्य है। वहां जो नुकसान हुआ है, छोटा राज्य होने के कारण उसकी इतनी ताकत नहीं है कि वह नुकसान को उठा सके। इसलिए तुरंत जो कुछ नुकसान हुआ है, उसके लिए मदद करना केंद्र सरकार का काम है। साउथ गोवा में दिक्करपाल गांव में लैंडस्लाइड में 10 लोग मारे गए। बहुत से घर वर्षा में टूट गए। उज्गांव जो फोंडा तालुका में है, वहां एक आदमी की पानी में बहने से मृत्यु हो गई। डिचौली, साखई में बहुत से घरों में पानी भर गया और इस तरह का जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करना लोकल गवर्नमैंट के लिए काफी मुश्किल होगा। किसानों ने जो खेत बोये थे, उनकी फसल भी नष्ट हो गई और आगे फसल होने का भी कुछ चांस नहीं है। कम से कम चार-पांच करोड़ रुपये का नुकसान हुआ होगा। मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि जो कुछ नुकसान हुआ है, तुरंत गोवा राज्य को उसकी भरपाई की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, गोवा के एक तरफ कर्नाटक राज्य है और दूसरी तरफ महाराष्ट्र का कोंकण इलाका है। वहां भी भारी नुकसान हुआ है। पानी में सब कुछ तबाह हो गया है। चिपलून, खेड़, पेण, माणगांव जो रायगढ़ और रत्नागिरि जिले में हैं, वे पानी में डूब गए हैं और बहुत जान-माल का नुकसान हुआ है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि महाराष्ट्र गोवा और कर्नाटक के इन भागों में केन्द्र सरकार द्वारा एक टीम भेजी जाए जो नुकसान का जायजा लेकर तुरंत वहां आर्थिक सहायता प्रदान करे। यही मेरी विनम्र प्रार्थना है।

[अनुवाद]

श्रीमती परनीत कौर (पटियाला): इस विषय पर बोलने के लिए मौका देने हेतु आपका धन्यवाद।

पिछले कई वर्षों के दौरान हमने बड़ी-बड़ी प्राकृतिक आपदाएं देखी है; चाहे वह राजस्थान में चार वर्ष तक रही सूखे की स्थिति हो, उड़ीसा में बाढ़ और चक्रवात हो, गुजरात का भूकंप हो या हाल ही में भारत में आई भयावह मानव त्रासदी, सुनामी हो। इन प्राकृतिक आपदाओं के असर का मौटे तौर पर भी विश्लेषण करने से पता चलता है कि विश्व के आर्थिक रूप से विकसित देश इन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से लैश और समर्थ हैं और उनके यहां जानमाल की क्षति कम होती है।

इस पूर्वाग्रह को आप हमारे देश के विरुद्ध प्रकृति का पूर्वाग्रह कह सकते हैं - इसका कारण शायद यह है कि हम बहुत अधिक विकसित नहीं हैं और हमारे पास निधियों की कमी है और इसी समस्या का सामना गरीब और विकासशील देश कर रहे हैं। मेरा मानना है कि यदि मौसम संबंधी सटीक भविष्यवाणी को एक अच्छी बीमा प्रणाली से जोड़ दिया जाए तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों और मछुआरे समुदाय को ज्ञान और सूचना प्रदान करने का यह बहुत ही कारगर तरीका होगा।

"प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राहत और पुनर्वास उपाय" विषय पर लोकसभा की प्राक्कलन समिति की 17वें प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि भारत विश्व के सर्वाधिक आपदा-प्रवण देशों में से एक है। केन्द्र सरकार के अधीन कई मंत्रालय, विभाग और संगठन हैं जो बचाव, राहत और पुनर्वास संबंधी कार्य करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन प्राक्कलन समिति ने पाया कि:-

> "अनुभवों से पता चलता है कि निधियों, राहत सामग्री, अवसंरचना और कार्मिकों की कमी से अधिक महत्वपूर्ण समुचित समन्वयन, निदेशन और त्वरित कार्रवाई है जिसकी कमी हमें देखने को मिली है।"

मेरा विचार है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के मिलजुल कर काम करने के लिए आवश्यक प्रबंध किये जाने चाहिए ताकि वे अत्यधिक गंभीर प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से निबट सकें।

इन प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं और विपदाओं के अतिरिक्त देश के कुछ क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। इन क्षेत्रों के लोग सुनामी जैसी आपदाओं से तो सुरक्षित हैं किंतु वे प्रत्येक वर्ष ऐसी आपदाओं से जूझते हैं जो उनके जीवन व रोजी-रोटी को प्रभावित करती है।

एक ऐसा मामला मेरे निर्वाचिन क्षेत्र पटियाला (पंजाब) का है। यहां से शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने वाली इसकी छग्गर नदी गुजरती है। इसकी कुल लम्बाई 242 किलोमीटर है जो पंजाब, हरियाण और राजस्थान से होकर गुजरती है। इस नदी का 165 कि.मी. मार्ग पंजाब में, 77 कि.मी. मार्ग हरियाणा में तथा शेष राजस्थान के रेगिस्तान में पड़ता है। इसका 102 कि.मी. मार्ग मेरे पटियाला लोकसभा निर्वाचन-क्षेत्र में पड़ता है। यहां प्रत्येक वर्ष 300 गांव प्रभावित होते हैं जिससे फसलों को 4710 लाख रुपए की क्षति होती है। इस हानि में दुधारू मवेशियों, घरों और चारे को होने वाली हानि सम्मिलित नहीं है। यह अनुमान किसानों को 2000 रुपए प्रति एकड़ की दर से दी जाने वाली सांकेतिक प्रतिपूर्ति के आधार पर लगाया गया है हालांकि क्षति 12000 रुपए से 14000 रुपए प्रति एकड़ की दर से होती है। मुझे यह कहने में लज्जा आती है कि प्रत्येक वर्ष मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाकर लोगों से शाब्दिक सहानुभूति ही प्रकट करनी पड़ती है क्योंकि पिछले छह सालों से लगातार प्रयत्नों के बावजूद हम इस मामले में कुछ भी नहीं कर पाये क्योंकि यह अंतर्राज्यीय मामला है। किन्हीं कारणों से हम तीनों संबंधित राज्यों को एकजुट नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि श्री सुरेश प्रभु और श्री लाल सिंह जी ने बताया है, मेरा विचार यही है कि हमें भूमि-उपयोग का निरीक्षण करना चाहिए ताकि हम देख सकें कि क्या इस वर्ष दर वर्ष आने वाली बाढ़ों को रोकने के लिए चैक-डैम बनाये जा सकते हैं। हरियाणा राज्य ने काफी उन्नति की है और काफी कालोनियां बसाई हैं। इसलिए मैं नहीं जानती कि इस समस्या का समाधान कब होगा। पिछले वर्ष ही स्थिति इतनी गंभीर हो गयी थी कि हमें सेना को बुलाना पड़ा। सेना वहां 15 दिन तक रही। यदि हमें सेना से सहायता नहीं मिलती तो बहुत ज्यादा क्षति होती।

सेना ने लोगों को खतरे से निकाला, उन्हें भोजन दिया। यह उपेक्षा मुझे सिर्फ अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में दिखाई देती है। हो सकता है कि इसका कारण इस निर्वाचन क्षेत्र का पंजाब के एक कोने में स्थित होना हो और हर कोई यह महसूस करता है कि पंजाब में कभी बाढ़ नहीं आती है। किंतु सच यह है कि इस नदी के कारण प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है और अब तो मेरे निर्वाचन-क्षेत्र के लोग इसको 'शोक की नदी' कहने लग गये हैं। केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह पटियाला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की जनता की प्रत्येक प्रकार से सहायता करें। हम भी इस महान देश का एक भाग हैं और यह प्राकृतिक आपदाएं हर साल हमें भी प्रभावित करती हैं।

दूसरी चिंताजनक बात भू-जल स्तर का कम होना है। मुझे यह बाध्य होकर कहना पड़ रहा है कि जल संसाधन मंत्रालय ने दो महीने पहले मुझे यह बताया कि जहां तक भू-

[श्रीमती परनीत कौर]

जल स्तर में कमी का संबंध है पंजाब सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बन चुका है। मेरा विचार है कि यदि हमने अभी से इस संबंध में कुछ नहीं किया तो यह एक बड़ी भारी प्राकृतिक विपदा बन जायेगी। यह भी हो सकता है कि पहले ही देर हो चुकी हो। राज्य में बेहतर नहर-जाल के बावजूद कुल सिंचाई का 85 प्रतिशत भू-जल से आता है। इससे राज्य में हरित क्रांति तो आयी। पूरे देश का पेट भी भरा किंतु राज्य का भू-जल स्तर नीचे चला गया है।

मैं अंत में यही कहूंगा कि आपदाएं अच्छी शिक्षक होती हैं किंतु दुर्भाग्यवश ज्यादातर लोग उनसे गलत शिक्षाएं लेते हैं। उस समय विज्ञान और प्रौद्योगिकी को सहायता से ज्यादातर प्राकृतिक आपदाओं से हमें सुरक्षा मिल गयी है किंतु अपनी जनता के विकास के लिए हमें और अधिक सुरक्षित वातावरण बनाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे श्री बसुदेव आचार्य द्वारा नियम 193 के अन्तर्गत देश में प्राकृतिक आपदा पर उठाई गई चर्चा में बोलने के लिए मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं।

कल से यह चर्चा चल रही है। हमारे पक्ष-विपक्ष और अन्य दलों के तमाम साथियों ने विस्तार से इस आपदा के बारे में चर्चा की है। अगर अत्यधिक बारिश हो गई तो बाढ़ की समस्या आ गई, बारिश न हुई तो सूखे की समस्या आ गई। वहीं पर चाहे भूकम्प का नाम लें या अभी हमारे देश ने सुनामी की त्रासदी झेली है, पहाड़ों पर हिमपात होता है, बादल फटने की घटनाएं घटती हैं और लैंड स्लाइडिंग, आंधी, तूफान या बिजली गिरने से हमारे देश में अक्सर तमाम दैवी आपदाएं आती हैं और मेरे ख्याल से प्रतिवर्ष यह सब होता है। हमें और सरकार को भी, चाहे राज्य सरकार हो या केन्द्र सरकार हो, सब को मालूम होता है कि किस समय ये सब त्रासदियां आती हैं, आपदाएं आती हैं, लेकिन हम उनकी रोकथाम नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हमें पहले से एक योजना बनानी चाहिए ताकि आने वाले खतरे से हम लड़ सकें। जहां पर इस प्रकार की समस्या आती है, वहां पर रोजगार की समस्या होती है, वहां पर खाद्य सामग्री पहुंचाने की बात होती है, दवा का छिड़काव या रोजमर्रा की, दैनिक जीवन की आवश्यकता की वस्तुएं पहुंचाने की जरूरत होती है, ऐसी स्थिति में हमें पड़ोसी राज्यों से ऐसे सम्बन्ध बनाने चाहिए कि इस प्रकार की अगर त्रासदी हो तो हम एक दूसरे के सुख-दुख, मुसीबत में उनकी मदद कर सकें।

मैं सुझाव के तौर पर कहना चाहूंगा कि जो बाढ़ की भीषण त्रासदी आती है, उसमें हम नदियों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में एक योजना बनाई थी कि बड़ी नदियों को जोड़ा जाये, इससे भी समस्या का हल हो सकता है। जिन नदियों में ज्यादा बाढ़ आती है, ज्यादा पानी आता है, वहां का पानी अगर ट्रांसफर हो जायेगा तो इससे बाढ़ की रोकथाम हो सकती है।

सायं 7.00 बजे

दूसरी तरफ देखा जाए तो नदियों का कटाव इतना होता जा रहा है और बालू खनन के नाम पर माफिया लोग आपस में झगड़ते रहते हैं। इसमें जानें भी चली जाती हैं। अगर बालू खनन हो जाए तो पानी नीचे चला जाएगा और पानी आराम से निकल जाएगा। इससे बाढ़ की समस्या भी नहीं आएगी।

दूसरी बात यह है कि वर्षा नहीं हुई तो सूखे की समस्या आती है। तमाम माननीय सदस्यों ने पेयजल की समस्या पर अपनी बात रखी है। मेरे क्षेत्र में एक तरफ गंगा और दूसरी तरफ यमुना है। बीच में 120 किलोमीटर लम्बा मेरा क्षेत्र है। राजा-महाराजा भी नदियों के किनारे अपना महल बनाते थे। बहुत-सी ऐसी जातियां हैं जो नदियों के किनारे रहते हैं, जो दूध का व्यवसाय करते हैं तथा पशु पालते हैं। वे खेती के लिए कछारों में जाते हैं। जब नदियों में बाढ़ खत्म हो जाती है, वहीं पर वे खेती करते हैं और अपने जानवरों के लिए चारे का इंतजाम करते हैं। उनका पूरा जीवन नदियों के किनारे ही बीतता है। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए हमें ठोस कदम उठाने चाहिए। पेयजल की समस्या के बारे में मैं कह रहा था कि इस समय पानी बहुत ज्यादा है। सभी माननीय सदस्यों के क्षेत्रों में छोटी-छोटी नदियां हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: अगर सदन की सहमति हो तो सदन का समय एक घंटे बढ़ा दिया जाए।

कुछ माननीय सदस्य: जी हां, महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय: सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री शैलेन्द्र कुमार: उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि पेयजल की समस्या के निदान के लिए चैकडैम बनाने की

आवश्यकता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ससुरखदेरी और किलनहाई दो नदियां हैं, जिनके ऊपर हमने पांच चैकडैम बनाए हैं। इससे पानी रुक जाता है। यदि इसी तरह से पानी को रोकने के लिए चैकडैम बनाएंगे तो आने वाले समय में सूखे की समस्या या पेयजल की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। मैंने अभी पुस्तकालय में पढ़ा था कि बिहार में सूखे के नाम पर मदद दी गई थी, लेकिन वहां पर घोटाला हो गया। केंद्र सरकार दैवीय आपदा से निपटने के लिए जो मदद देती है, उस पर रोक लगाने की बात कही गई है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि दैवीय आपदा से निपटने के लिए जो आर्थिक मदद दी जाती है, उस पर रोक न लगाई जाए। यदि कहीं पर इस तरह का मामला सामने आता है तो उसे हमें सतर्कता से देखना चाहिए। सेना और स्वयंसेवी संस्थाएं, जो बढ़-चढ़ कर ऐसी परिस्थितियों में लोगों की मदद करती हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा और केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

तीसरी बात यह है कि जो आर्थिक मदद दी जाती है, उसमें कई बार घोटाले हो जाते हैं, जैसा कि बिहार में हुआ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। सन् 2004 से लेकर सन् 2007 तक एक योजना भी बनाई गई है, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों को सम्मिलित किया गया है। इन बातों को गंभीरता से लेते हुए यदि सरकार कोई कदम उठाएगी तो दैवीय आपदाओं से निपटने में काफी मदद मिलेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया।

सायं 7.00 बजे

(**श्री गिरिधर गमांग** *पीठासीन हुए*)

[अनुवाद]

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की): इस समय जब हमें अपने देश में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं की बात कर रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न भागों में भारी वर्षा और भू-स्खलन की घटनाएं हुई हैं। जैसा कि मानसून के दौरान सामान्यतया होता है, इस बार भी केरल राज्य में भारी बरसात हुई हैं और कई जिलों में भू-स्खलन हुआ है। इससे जन-धन की व्यापक क्षति हुई है। इदुक्की जिला, जो कि केरल राज्य में मेरा निर्वाचन-क्षेत्र है, सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। इदुक्की जिले में स्थित मूनार पर्वतीय स्थल में एक ही दिन में 47 इंच वर्षा हुई है जिससे भू-स्खलन हुआ व अनेक जानें चली गईं। मैं एक उदाहरण दूंगा। मूनार शहर में, जो कि एक पर्यटन-केन्द्र भी है, हाल ही में, काफी ज्यादा निर्माण कार्य हुए हैं। ऐसे कार्यों के कारण होने वाले पारिस्थितकीय प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सरकार को इनके विनियमन के लिए एक निधि बनानी चाहिए ताकि भविष्य में पारिस्थितकीय विनाश से ऐसी दुर्घटनाएं न हों।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि मूनार जो हमारे देश का एक महत्त्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र है। सरकार को चाहिए कि वह एक केंद्रीय अभिकरण की नियुक्ति करे जो इसके विकास की भावी जरूरतों का अध्ययन करे और निर्माण व विकास कार्यों के विनियमन के लिए उपायों का सुझाव दे ताकि पारिस्थितकीय समस्याओं को उत्पन्न किये बिना ही संतुलित विकास हो सके। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह देश में आपदा-प्रवण क्षेत्रों का विशेष अध्ययन कराये ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को टाला जा सके। हमें प्राकृतिक आपदा आकस्मिक निधि के मानदंड बदलने होंगे क्योंकि केरल, उड़ीसा आदि राज्यों में प्रतिवर्ष प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जिनसे तैयार फसलों, खेतों और घरों को बहुत क्षति होती है। केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह इन राज्यों को पर्याप्त प्रतिपूर्ति प्रदान करें। केन्द्र सरकार की उदार वित्तीय सहायता के बिना ये राज्य इन संकटों से उबर नहीं पायेंगे। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह एन.सी.सी.एफ. के मानदंडों पर पुनर्विचार करे और राज्यों की पर्याप्त सहायता करे ताकि वे प्रत्येक वर्ष आने वाली प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर सकें।

मेरे साथियों ने कई मुद्दे उठाये हैं। मैं पुनः उन मुद्दों की चर्चा नहीं करूंगा। हमें एक उचित आपदा प्रबंधन नीति बनानी चाहिए। अभी हम ऐसी आपदाओं का सामना करने के लिए एक विधेयक बनाने वाले हैं। हमारे देश के विभिन्न भागों में बाढ़, भूकंप, सूखा आते रहते हैं। हमें एक उचित तंत्र बनाना चाहिए ताकि राज्य और हमारी जनता इन विपदाओं का सामना कर सके।

मैं एक बार फिर से सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे देश में प्रमुख आपदा-प्रवण क्षेत्रों का अध्ययन करवाये ताकि राज्य इन आपदाओं का सामना कर सकें।

श्री सुरेश अंगड़ि (बेलगाम): सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। कर्नाटक राज्य भी बाढ़ से बहुत अधिक प्रभावित है। मैं बेलगाम जिले से हूं जो महाराष्ट्र और गोवा

[श्री सुरेश अंगड़ि]

की सीमा पर स्थित है। पूरे बेलगाव जिला में पानी फैला हुआ है। 25 से अधिक गांव जलमग्न हो चुके हैं। लगभग 7 से 8 व्यक्तियों की जान चली गई है। महोदय, मैं इस सभा और आपके माध्यम से प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि सरकार को कर्नाटक को विशेष राहत देनी चाहिए। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों को केवल 4 करोड़ दिए गए हैं। 5000 एकड़ से अधिक कृषि भूमि बर्बाद हो गई है। महत्वपूर्ण फसलें जैसे धान, आलू, सब्जी और गन्ना पहले ही जल से प्रभावित हो चुके हैं। गत तीन वर्षों से लगातार सूखा पड़ रहा है। इस वर्ष बाढ़ के कारण मेरे जिले के किसान बहुत कष्ट में हैं। मेरा जिला एक ऐतिहासिक स्थान है। मैं उस क्षेत्र का हूं जहां किन्नोर रानी चेनम्मा पहली महिला थी जो स्वतन्त्रता के लिए लड़ी।

आदरणीय महोदय, कृपया प्रधानमंत्री से न केवल बेलगाम जिला बल्कि बाढ़ से प्रभावित कर्नाटक के अन्य भागों जैसे कारवार, मंगलौर आदि में नुकसान का आकलन करने के लिए एक दल भेजने को कहें। इन सभी क्षेत्रों में एक लाख एकड़ से अधिक भूमि प्रभावित हुई है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि कर्नाटक को कम से कम 1000 करोड़ रुपये की राहत अविलम्ब दी जाए और किसानों को बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई हो सके - बाढ़ राहत अविलम्ब दी जाए। यदि आप भारत सरकार से कोई अन्य दल इस समस्या का अध्ययन करने के लिए भेजे तो मैं कृतज्ञ होऊंगा।

प्रो. चन्द्र कुमार (कांगड़ा): माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। नियम 193 के अधीन, श्री बसुदेव आचार्य ने प्राकृतिक आपदा के बारे में यह प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किया है। उन्होंने पूरे देश में प्राकृतिक आपदा के बारे में यह चर्चा शुरू की है तो मैं इन प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने के लिए कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

प्राकृतिक आपदायें केवल बाढ़ के रूप में ही नहीं आती हैं। यह एक प्राकृतिक घटना है। प्राकृतिक आपदाएं भूकम्प, बाढ़, बादल फटने, वन में आग लगने, सुनामी और पृथ्वी पर होने वाले अन्य प्रकार के विनाशकारी परिवर्तनों के रूप में आती हैं। हिमालय क्षेत्र की नदियों की विशेषताएं दक्षिण की नदियों से एकदम अलग हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों में कटाव उनके तल तक नहीं हुआ है जबकि दक्षिण की नदियों में यह कटाव तल तक हो चुका है। वे सभी नदियां जिनका स्रोत हिमालय में है उनमें बहुत कटाव होता है एवं बाढ़ आती है जबकि देश के दक्षिण भाग में सभी नदियों में कटाव तल तक हो चुका है और उन नदियों में कोई भूगर्भीय समस्या नहीं है। जब सभा में यह बात तारांकित प्रश्न में पूछी गई तो माननीय मंत्री श्री पी. दासमुंशी उत्तर दे रहे थे। हिमालय क्षेत्र की नदियों जिनका स्रोत हिमालय में है जो कि अपेक्षाकृत नए पर्वत हैं और जिनकी प्रकृति कमजोर है, के लिए दीर्घ संदर्शी योजना की आवश्यकता है तो इन सभी नदियों को कैसे मिलाया जा सकता है। हिमालय से आने वाली नदियों में बहुत अधिक गाद और बाढ़ रहती है जो पश्चिम हिमालय से लेकर पूर्वोत्तर तक आती है। अतः इसके लिए दीर्घकालिक रणनीति और योजना की जरूरत है ताकि हम इन सभी नदियों को एक साथ जोड़ सकें।

सभापति महोदय, मैं हिमाचल प्रदेश का हूं। सभी बड़ी नदियां जिनका स्रोत हिमालय में है जैसे रावी, व्यास, सतलुज और चेनाब, हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरती हैं। इनका स्रोत हिमालय में होने से हमेशा कटाव होता रहता है और इन नदियों के किनारे रहने वाले लोग सदैव खतरे में रहते हैं। प्रत्येक वर्ष जब निदयों में बाढ़ आती है तो इनके आसपास रहने वाले अधिकांश लोग बर्बाद हो जाते हैं। यहां पर एक व्यास नदीं है। व्यास नदी का मार्ग सतलुज नदी की तरफ मोड़ दिया गया है और उसे व्यास सतलुज लिंक कहते हैं और जल भाखड़ा बांध में मोड़ दिया जाता है। जब व्यास सतलुज लिंक का निर्माण किया गया तो व्यास की तल के स्तर को 30 मीटर ऊंचा किया गया और सारा वैकलैश कुल्लू और मनाली चला आया। इस वैकलैश के कारण बाढ़ आती है पूरी नदी का किनारा कट गया है। उन क्षेत्रों में बहुत अधिक कटाव होता है और बाढ़ आती है। अतः, हिमालय से निकलने वाली नदियां दक्षिणी नदियों से एकदम अलग हैं। इसलिए, उन क्षेत्रों में जल विद्युत उत्पादन के लिए ये योजनाएं और दीर्घकालीन रणनीति बनाते समय हमें उन नदियों का पानी रोकना नहीं चाहिए बल्कि इनका उपयोग उचित तरीके से किया जाना चाहिए, इन सभी नालों, सहायक नदियों और जलग्रहण क्षेत्रों का पानी इस प्रकार उपयोग करना चाहिए कि वर्षा ऋतु में इन नदियों में बाढ़ नहीं आए। निचले क्षेत्रों में भी हम इसी समस्या से जूझ रहे हैं। शिवालिक नदी में मौसमी जल स्रोत और नदियां हैं जिन्हें (चो) कहते हैं। माननीय सदस्या श्रीमती प्रतिभा सिंह और श्रीमती प्रनीत कौर द्वारा इस पहलू के बारे में उचित रूप से उल्लेख किया गया है। ये मौसमी छोटी नदियां (चो) वर्षा ऋतु में पूरे पंजाब, राजस्थान और इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। इसके लिए व्यापक पैमाने पर जल का उपयोग किए जाने की आवश्यकता है और खेती की भूमि में सुधार किया जा सकता है।

यह सही है कि जलग्रहण क्षेत्रों में वनों की बहुत अधिक कटाई हुई है। हमें हिमालय के कतिपय जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए। चाहे निम्न शिवालिक हो या मध्य

शिवालिक या हिमालय का ऊंचाई वाला क्षेत्र इन्हें सही रखना चाहिए ताकि उन क्षेत्रों में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी समस्याएं कम से कम हों। इसके लिए दीर्घकालीन रणनीति और आयोजना की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने गंगा विकास प्राधिकरण का गठन किया। उन्होंने कहा गंगा विकास प्राधिकरण के अनुरूप हिमालय विकास प्राधिकरण का गठन किया जाना चाहिए। विभिन्न दाता देशों के द्विपक्षीय सहयोग से, हम आयोजना के लिए धन प्राप्त कर सकते हैं और इन सभी नदियों के जल का सही उपयोग कर सकते हैं। नदी प्रणाली को इस प्रकार जोड़ा जा सकता है कि यह लोगों के लिए शोक न बने बल्कि उस क्षेत्र विशेष की समृद्धि में सहायक हो। हमारे लिए और पूरे देश के लिए बाढ़ कोई नयी बात नहीं है। प्रत्येक वर्ष हम इस प्रकार की समस्याओं का सामना हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों और मैदानी क्षेत्रों के निचले क्षेत्रों में करते हैं। अतः इसके लिए दीर्घकालिक रणनीति की आवस्यकता होती है। विभिन्न राज्यों द्वारा जो नियम एवं विनियम बनाए गए हैं उनका पालन कड़ाई से होना चाहिए। हमें ज्ञात है कि कुछ क्षेत्रों में भूमि की सतह बहुत कमजोर हैं और कुछ अन्य क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से बहुत संवेदनशील है। लेकिन आप देखेंगे कि आवास प्रणाली एकदम अलग है। यदि आप कांगड़ा, शिमला, कोंकण क्षेत्र जाएं तो आप देख सकते हैं बहुमंजिला इमारतें बन रही हैं। कोई भी उस क्षेत्र के नियम और विनियम का पालन नहीं कर रहा है। अतः, इसके लिए सरकार द्वारा तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकारों और केन्द्र सरकारों ने नियम, विनियम और अधिनियम बनाए हैं। उन्हें अधिनियमों और नियमों का अनुपालन करना चाहिए जो भवन निर्माण से संबंधित है ताकि लोगों को प्राकृतिक आपदा से बचाया जा सके। भूकम्प की दृष्टि से बहुत संवेदनशील क्षेत्रों में भवन का निर्माण उस क्षेत्र विशेष की प्रकृति और विशेषताओं के अनुरूप होना चाहिए।

महोदय, अभी कुछ दिनों पहले हिमाचल प्रदेश में बाढ़ का प्रकोप हुआ था। सतलज नदी में बाढ़ आई थी जिससे इस क्षेत्र में बर्बादी हुई थी। संप्रग की अध्यक्ष माननीया श्रीमती सोनिया गांधी ने स्थिति का जायजा लेने के लिए कुछ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उनके साथ केन्द्रीय मंत्री श्री शिवराज पाटिल और राज्य के मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह थे। हम श्रीमती सोनिया गाधी के बहुत आभारी हैं। उन्होंने उस क्षेत्र की स्थिति का जायजा लिया। पूरी सतलज नदी के ऊपरी मार्ग के जल प्रवण क्षेत्र में रामपुर से किन्नौर तक बहुत बड़े पैमाने पर क्षति हुई है। नदी का जल स्तर लगभग 50 फीट बढ़ गया था। इससे पूरे क्षेत्र में बर्बादी हुई है। उन क्षेत्रों में बहुत नुकसान हुआ है। लगभग 1000 करोड़ रुपए की क्षति हुई है। जब श्रीमती सोनिया गांधी ने इन क्षेत्रों का दौरा किया तो उन्होंने उन क्षेत्रों के लोगों के साथ बातचीत की। हिन्दुस्तान तिब्बत सड़क एक मात्र सड़क है जिसका किन्नौर जिले के लोग उपयोग करते हैं। उन क्षेत्रों में सेब और अन्य फलों की फसल खूब होती है। इसलिए, इस पर सरकार द्वारा अविलम्ब ध्यान देने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

प्रो. चन्द्र कुमार: मैं सरकार से इन सभी सड़कों और इन पुलों के नेटवर्क को अविलम्ब शुरू करने का अनुरोध करता हूं। महोदय, 18 पुलों को क्षति पहुंची है और 10 से अधिक पुल बह गए हैं। अतः इसके लिए कुछ धनराशि देने हेतु सरकार को अविलम्ब ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं कतिपय सुझाव देना चाहता हूं कि राहत कार्य मैनुअल जो भारत सरकार और विभिन्न राज्यों द्वारा बनाई गई हैं, को संशोधित किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय: मैंने आपको पर्याप्त समय दिया है।

प्रो. चन्द्र कुमार: सभी राज्यों में आपदा प्रबन्धन कार्यक्रम होना चाहिए। एक समिति का गठन किया जाना चाहिए कि जहां भी जिस किसी प्रकार की आपदा आये तो सभी विभागों को समन्वय करना चाहिए। आपको ज्ञात है कि राज्यों में और केन्द्र में भी सभी विभाग सामंजस्यपूर्वक कार्य नहीं कर रहे हैं। विभिन्न विभाग इन वस्तुओं के विभिन्न पहलुओं की देखभाल कर रहे हैं।

सभापति महोदय: अनेक वक्ता अपनी पारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतः, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

प्रो. चन्द्र कुमार: आवश्यकता इस बात की है कि राज्यों में और केन्द्र में भी कार्यालयों का गहन नेटवर्क बनाया जाना चाहिए ताकि हम अविलम्ब राहत कार्य और राहत दिए जाने से संबंधित अन्य कार्य शुरू कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

[हिन्दी]

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा): अनहोनी को कोई टाल नहीं सकता, यह सही बात है। प्रकृति के प्रकोप को हम चाहें या न चाहें, हमें झेलना ही पड़ता है। कहा गया है कि - होई है वही जो राम रची राखा, का करी तरक बढ़ाई रही शाखा। हम तर्क न करें, लेकिन ऐसा समय आ गया है कि अब हमें आपदा प्रबंधन और उसकी व्यवस्था के लिए जरूर

[श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर]

सोचना चाहिए। पूरे मौसम की बरसात सात दिन में होना, 245 प्रतिशत तक की बरसात पादरा, भगोड़िया जैसे मंडल में होना कोई सोच नहीं सकता था। वड़ोदरा शहर ही नहीं, पूरे गुजरात में इस बार की बारिश से जो तबाही मची, उसे सब लोगों ने देखा है। अब तो गुजरात ही नहीं, महाराष्ट्र भी उसकी चपेट में आ गया है। मैं कहना चाहती हूं कि आपदा प्रबंधन के बारे में हमें एहतियात बरतने चाहिए। मौसम विभाग से हमें जानकारी तो मिल जाती है कि इस बार मानसून अच्छा रहेगा, लेकिन इतना अच्छा रहेगा कि वह बुरी से भी बुरी हालत लोगों की कर दे, इसकी जानकारी क्यों नहीं हमें प्राप्त होती। इसके लिए हमें सोचना चाहिए।

प्राकृतिक आपदा की चपेट में हमारे गुजरात राज्य के 245 तालुका आ गए हैं। मैं वड़ोदरा की बात कहना चाहती हूं। वहां सिर्फ पादरा मंडल में ही मौसम की 200 प्रतिशत से ज्यादा बारिश हो चुकी है। जिसके कारण वहां के 55 गांव रोड्स और अन्य सारी सुविधाओं से अलग-थलग हो गए थे। जैसे पहले नदी, नालों और तालाबों की व्यवस्था होती थी कि मानसून आने से पहले उन्हें साफ किया जाता था, जिससे स्वाभाविक रूप से बहने वाला पानी अपना रास्ता ले लेता था। लेकिन आज बढ़ती हुई बस्तियां और अतिक्रमण जैसी समस्याएं पानी को रोक कर बाढ़ की स्थिति पैदा कर देती हैं। उसके कारण जब हमारी व्यवस्थाओं को सम्भालने की बात होती है, तो यह भी ठीक है कि केन्द्र सरकार से फंड के रूप में व्यवस्था करने की कोशिश की जाती है।

गुजरात राज्य को भी 500 करोड़ रुपये का फंड मिला है, उसके लिए हम आभारी हैं। लेकिन जिस प्रकार से यह अनहोनी हुई है और उसमें हमारी राज्य सरकार ने जो अंदाजा लगाया है वह 8 हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा की जरूरत का अंदाजा लगाया है।

गुजरात राज्य का महत्व सारे देश की अर्थव्यवस्था और उसकी समायोजना में रहा है, चाहे टैक्स पेमैंट के रूप में कहिये या इंडस्ट्रियल विकास के रूप में कहिये। आज गुजरात बाढ़ की चपेट में है और उसको जल्दी से फंड दिया जाए और उसको सुनामी के पैटर्न पर राहत पहुंचाई जाए।

मैं अपने क्षेत्र बड़ौदा की जब बात करती हूं तो आज से 100 साल पहले हमारे महाराज सहजीराव जी ने इसकी कल्पना की थी। उन्होंने प्रताप पुरा और अजवा सरोवर बनाया था। उसका एक भाग पानी में बह गया है और उसके कारण बगोड़िया मंडल प्रभावित हुआ है। प्रताप पुरा सरोवर का एक भाग नष्ट हो गया है जो कच्ची मिट्टी से बना हुआ था। उसके लिए भी केन्द्र सरकार द्वारा कोई राशि दी जाए, ताकि अगले कुछ सालों में हम इसकी अच्छी व्यवस्था कर सकें। प्रताप पुरा सरोवर और अजवा सरोवर की सीमा को सुदृढ़ बनाये जाने की आवश्यकता है। हमारे यहां बाढ़ के कारण दो लाख लोग प्रभावित थे, जिनको वहां से हटाने की व्यवस्था करनी पड़ी। एक लाख लोगों को बचाने की व्यवस्था भी हमारे प्रशासन ने अच्छी तरह से की है। उनका भी मैं अभिनंदन करना चाहूंगी।

इंडस्ट्रियल डैवलेपमेंट हमारे यहां बहुत अच्छा है, पब्लिक सैक्टर भी ज्यादा है। उनको हमें पांच दिन तक बंद करना पड़ा। वहां जो नुकसान हुआ वह अन-एकाउंटेबल है। इसलिए उनको करों में राहत देना भी अहम कदम रहेगा। वहां एक दिन में करोड़ों रुपयों का नुकसान हमारे लोगों ने भुगता है। मैं जिस गांव में रहती हूं, वह ऐसा गांव है जिसमें अनाज के थोक व्यापारी रहते हैं। दो करोड़ रुपये तक का तो मेरे गांव में अनाज के व्यापारियों का नुकसान हुआ है। ऐसे ही पादरा नगरपालिका का 18 करोड़ का नुकसान हुआ है। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर केन्द्र सरकार से मेरी प्रार्थना है कि गुजरात सरकार द्वारा जो राशि मांगी गयी है वह उन्हें दी जाए।

श्री भरतसिंह माधव सिंह सोलंकी (आनन्द): माननीय सभापति महोदय जी, मैं आप का बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। नेचुरल कैलामिटी के बारे में हमारे सम्मानित सदस्यों ने बहुत सारी बातें बताईं और विचार प्रकट किए। फिलहाल गुजरात में जो रेल संकट आया और उसमें भारत सरकार ने, यू.पी.ए. की अध्यक्षा आदरणीय सोनिया जी ने, प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने जिस तरह से गुजरात की मदद के लिए गृहमंत्री श्री शिवराज पाटिल जी को वहां भेजा और जैसा कि जयाबहन ने बताया कि 500 करोड़ रुपए की मदद दी गई। मेरे कहने का मतलब यह है कि चाहे हम सरकार में हों या न हों, फिर चाहे गुजरात में साइक्लोन हो, रेल-संकट हो, फेमाइन हो, भूकम्प हों, किसी भी बात में हमेशा सोनिया जी और कांग्रेस पार्टी गुजरात में लोगों की सहायता के लिए खड़ी रही है। भूकम्प के समय तो इतनी आपत्ति के बावजूद 150 करोड़ रुपए दिए गए। इस रेल-संकट में केन्द्र की यू.पी.ए. सरकार ने 500 करोड़ रुपए देकर सीधे गुजरात की मदद की है इसके लिए हम सोनिया जी और मनमोहन जी के आभारी हैं। लेकिन साथ ही यह बात भी है कि इतनी मदद के बावजूद भी जैसे दंगों के समय गुजरात में, बी.जे.पी. की नरेन्द्र मोदी की सरकार की प्रजा के प्रति सहानुभूति में बहुत कमी दिखाई दी। इस बार भी ऐसा लगा कि गुजरात में जब 60 प्रतिशत से अधिक लोग कष्ट

झेल रहे थे तो उस समय राज्य सरकार द्वारा बहुत ढिलाई बरती गई। जिस तरह से लोगों की जल्द से जल्द मदद होनी चाहिए थी, वह समय के साथ होनी चाहिए थी। जुलाई की पहली तारीख को हमने हमारे जिले के कलेक्टर को बताया और रिक्वेस्ट की कि आर्मी और एयरफोर्स की मदद की जरूरत है जिससे लोगों की जान बचायी जा सके। इसके बावजूद सरकारी मशीनरी का काम वहां बहुत धीमा रहा और जो भी लोग मारे गए हैं, उनको पूरा मुआवजा नहीं मिला और साथ में यह कहा जाता है कि आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट ले आओ।

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: सहायता तो लगभग सभी लोगों को मिल गयी है।

श्री भरतसिंह माधवसिंह सोलंकी: सहायता नहीं मिली है। जयाबहन आप हमारी तरफ से नरेन्द्र भाई से रिक्वेस्ट कीजिए। जिनकी रिपोर्ट गयी, उन्हीं को मदद मिलेगी। उसके वाद हमने प्रशासन से रिक्वेस्ट की रेवेन्यु सैक्रटरी से बात की तब उन्होंने बताया कि एक कमेटी फार्म की जाएगी।

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: सभी 213 लोगों को मदद मिल गयी है। इतना अच्छा काम करने वाली सरकार है।

सभापति महोदय: मैडम, वे इन्टरप्शन नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं। सोलंकी जी, आप अपने प्वाइंट पर आइए।

[अनुवाद]

कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यह अपनी बात समाप्त नहीं कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री भरतसिंह माधवसिंह सोलंकी: मैडम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी गयी है। हमने एडमिनिस्ट्रेशन से इस सम्बन्ध में रिक्वेस्ट की कि जब आप कलेक्टर और दूसरे पदाधिकारी लोग अपनी सिटी से पांच-छ: दिनों तक बाहर नहीं निकल सकते थे, तब एक मरे हुए आदमी को पांच-छ: दिन तक रखना और पोस्टमार्टम करवाना एक नामुमकिन बात थी। इसके बावजूद एक नयी कमेटी का गठन किया गया है। हमने एक रिजोल्युशन पास करके, पूरे एरिया के सभी सोशल वर्कर्स से मिलकर बताया कि कम से कम सात दिनों में इस बात का फैसला हो जाए और उनकी मदद की जाए। इसी प्रकार से पशु और अन्य जीवों की भी यही हालत रही। हमारा कहना यह है कि कैश-ड्रॉल में भी डिस्क्रिपैंसीज रहीं। कुछ जगहों पर दो दिन की मिली, कहीं पर पांच दिन की और किसी जगह 15 दिन की मिली और पूरा मुआवजा भी नहीं मिला। इस प्रकार कुल मिलाकर 18 करोड़ रुपए गुजरात की सरकार ने प्रजा को दिए हैं। अब आप सोचिए कि पांच करोड़ की जनता में से 60 प्रतिशत लोग प्रभावित हुए हों और 15 दिनों तक प्रभावित रहे हों और सिर्फ 18 करोड़ रुपए कैश-ड्रॉल हो।

सभापति महोदय: आप कंक्लूड कीजिए।

श्री भरतसिंह माधवसिंह सोलंकी: गुजरात में मेरे इलाके में, मेरा जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, इसलिए मुझे बोलने के लिए ज्यादा समय मिलना चाहिए। आप यह सोचिए कि घटना के इतने विस्तार के बावजूद सरकार ने मात्र यह फिगर्स दी हैं। आवास के लिए सिर्फ 80 करोड़ रुपए उन्होंने बताए हैं। जबकि ज्यादा पैसे की जरूरत है। आठ हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। केन्द्र सरकार ज्यादा मदद दे। जो मदद केन्द्र सरकार ने पिछले समय में अर्थक्वेक और साइक्लोन के समय में की, लेकिन गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस पैसे का ठीक से उपयोग नहीं किया, उसे मिसयूज किया। स्थिति को सुधारने के लिए इसरो की मदद लेनी चाहिए। हमारे यहां दरियाई क्षेत्र है, कोस्ट लाइन है, जो इस देश में सबसे बड़ी है। हम सभी तरफ से प्रभावित होते हैं। उस समय हमें मदद ज्यादा मिलनी चाहिए। हमारे यहां नर्मदा योजना सबसे बड़ी योजना है। सैंटर इसके लिए ज्यादा मदद दे जिससे हमारी स्टेट को फायदा होगा और स्थिति बदलेगी। इतना ही मुझे कहना है।

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा): माननीय सभापति जी, लगता है यह देश प्राकृतिक आपदाओं का देश हो गया है। ऐसा कोई वर्ष नहीं होता जब देश के किसी न किसी सूबे या किसी न किसी इलाके में कभी बाढ़ से, कभी सूखे से, कभी ओला से भारी धन-जन की हानि नहीं होती हो। कुछ प्राकृतिक आपदाएं ऐसी हैं जिन के बारे में सरकार चाह कर कुछ नहीं कर सकती - जैसे भूकम्प आने पर उसका आसानी से अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता है, सुनामी की घटना का अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता है, ओला कब पड़ जाएगा, इसका अन्दाजा लगाया नहीं जा सकता है लेकिन बाढ़ और सूखे से निपटने के लिए अगर देश की सरकारों ने स्थायी और मुकम्मल हल निकाला होता तो बहस नहीं होती। आज इस विषय में जब बहस हो रही है तो मुम्बई में बारिश से भारी तबाही हुई। मैं अन्य सूबों की बात नहीं करना चाहता हूं क्योंकि हर सदस्य ने अपने-अपने सूबे की बात कही है।

मध्य प्रदेश में बाढ़ की भयावह स्थिति है। वहां धन-जन की जो हानि हुई, उसके बारे में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमन्, 7 जुलाई, 2005 की स्थिति के बारे में जो सरकारी आंकड़ा है, मैं उसके बारे में बताना चाहता

[श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी]

हूं। रीवा, सागर, कटनी, जबलपुर, सतना, दमोह पन्ना, नरसिंहपुर, छतरपुर, उमरिया और विदिशा जिलों में भयावह तबाही हुई है। पूरे मध्य प्रदेश के इन जिलों में 358 ग्राम भी प्रभावित हुए हैं। लगभग 2.5 लाख जनसंख्या इस बाढ़ से प्रभावित हुई है। 6 नगर प्रभावित हुए हैं जिन की जनसंख्या 9 लाख 50 हजार है। मैं जिलेवार इनका ब्यौरा देना चाहता हूं। सागर जिले में 19 लोग मारे गए, 8 गुमशुदा हैं, कटनी में 6 लोग मारे गए, जबलपुर में तीन लोग मारे गए, दो गुमशुदा हैं, सतना में 3 लोग मारे गए, तीन गुमशुदा हैं, दमोह में एक मर गया, पन्ना में कोई जन की हानि नहीं हुई, केवल धन की हानि हुई है, नरसिंहपुर में एक आदमी मर गया, रीवा में एक आदमी मर गया, उमरिया में एक आदमी मर गया और दो गायब हैं, विदिशा में दो लोग मर गए। कुल 37 लोगों की इस बाढ़ से मौत हुई और 15 लोग गायब हैं। 129 गांव प्रभावित हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने काफी राहत के काम किए हैं। इन जिलों में 117 रिलीफ कैम्प खोले गए। 24 हजार 539 लोगों को राहत पहुंचायी गई लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार चार वी.सी में संशोधन करके अपनी ताकत से राहत करवा रही है। बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा दे रही है और क्षति-पूर्ति कर रही है। भारत सरकार ने उसमें भी चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पर्याप्त राशि नहीं दी, केवल 93 करोड़ रुपए दिए हैं। मैं इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के सभी सांसदों और विधायकों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सांसद और विधायक निधि से पांच लाख रुपए बाढ़ प्रभावित लोगों को दिए और एक माह की तनख्वाह सांसदों और विधायकों ने दी। लेकिन केंद्र सरकार से हमें भरपूर सहयोग नहीं मिल रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चुल्हे की आग में हर कोई रोटी सेंकता है, चिता की आग में रोटी सेंकने का काम नहीं करना चाहिए। केंद्र सरकार से मेरा आग्रह कि बाढ़ प्रभावित लोगों को क्षतिपूर्ति दे। मैं अपनी बात समाप्त करते हुए दो बातें और कहना चाहता हूं। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कुछ दीर्घकालीन योजनाएं बनाए, मुकम्मल योजनाएं बनाए ताकि बाढ़ और सूखे जैसी समस्याओं से निपटा जा सके। मान्यवर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में नदियों को जोड़ने की एक दीर्घकालीन योजना का काम शुरू हुआ था। नदियों को जोड़ने का काम बंद सा हो गया है, उसे पुनः प्रारंभ किया जाए। अगर नदियों को जोड़ने का काम हो गया तो बाढ़ से भी मुक्ति मिलेगी और सूखे से भी राहत मिलेगी। नदियों के पेट को साफ किया जाए, वहां बालू भर गया है, मिट्टी भर गई है। अगर उनकी सफाई हो जाए तो बाढ़ कम आएगी। नदियों के किनारे आवास परिसरों पर रोक लगाई जानी चाहिए और मजबूत तटबंध बनाए जाने चाहिए। जहां भारी बारिश होती है वहां गांव डूब जाते हैं, घर नष्ट हो जाते हैं, उस पानी को एकत्रित करके गांव में कहीं एक जगह बड़ा जलाशय बनाकर संचित किया जाना चाहिए ताकि बाढ़ से भी बचाव हो सके और गर्मी में पेयजल और सूखे की समस्या से भी निपटा जा सके। प्रत्येक गांव में पहले तालाब बनाए जाते थे लेकिन आज जलाशय पर अतिक्रमण कर लिया गया है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि तालाब बड़े पैमाने पर बनाए जाएं। इसके साथ एक काम और किया जाए कि सबसे ज्यादा मकान गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को दिए जाएं। इंदिरा आवास योजना के तहत जितने मकान गिरे हैं, बारिश से नष्ट हुए हैं, व्यापक पैमाने पर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए मकान बनाए जाएं।

महोदय, तत्काल राहत कार्य खोला जाए और जो लोग नष्ट हुए हैं उन्हें बसाने की मुकम्मल व्यवस्था हो। मैं समझता हूं कि समय ज्यादा हो रहा है, आप ज्यादा समय की अनुमति नहीं देंगे। अगर केंद्र सरकार प्रदेश सरकारों की मदद करे और बाढ़ से जिन प्रदेशों में जितनी क्षति हुई है उस हिसाब से सहायता दे, कोई राजनीतिक उद्देश्य से नहीं दे तो मैं समझता हूं कि ज्यादा लाभ होगा। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): माननीय सभापति जी, प्राकृतिक आपदा के विषय पर चर्चा हो रही है, मैं इस विषय में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को पता है कि बाढ़ आने से क्या तकलीफ होती है, सूखा होने से क्या तकलीफ होती है। इसके साथ सुनामी नई चीज जुड़ गई है, यह चीज हमने पहले नहीं देखी, जानते नहीं थे। अभी देखने को मिला कि समुद्र के अंदर पानी का इतना प्रबल जोर आया जिसका नतीजा यह हुआ कि वहां घरबार, की सारी चीजें खत्म हो गईं। लोगों का जान-माल का नुकसान हुआ जिसका हिसाब लगाना बहुत मुश्किल है। अभी बहुत लोग लापता हैं, लापता तो समुद्र में होंगे नहीं, उनकी जान चली गई होगी। इस बारे में माननीय सांसदों ने अपने विचार अच्छे तरीके से व्यक्त किए। मैं कहना चाहता हूं कि यह सब जानते हैं कि बीमारी क्या है। लेकिन बीमारी का इलाज क्या है, यह हमें ढूंढना पड़ेगा।

बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए हमें यह करना पड़ेगा कि ग्राम पंचायत से लेकर लोक सभा तक इसके बारे में खुलकर चर्चा तथा विचार होना चाहिए कि किस तरीके से किस समय पानी ऊपर चढ़ता है, कब ज्यादा वर्षा होती है और उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। लोगों को हर एरिया में

सुरक्षित रूप से बचाने के लिए कोई प्रबंध होना चाहिए। लेकिन यह सब कैसे होगा, इसके लिए हमें बहुत बड़ी चर्चा करने के साथ योजना बनानी पड़ेगी, तभी कुछ हो सकता है। यदि हम लोग यहां पर केवल बातें करते रहेंगे कि इधर पानी चढ़ गया, उधर रास्ता बंद हो गया, इधर पुल टूट गया तो इन सब चीजों का कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है।

एक दूसरी बात अहम् महत्व रखती है। आप यहां से रिलीफ देते हैं। रिलीफ देने का मतलब यह है कि तुरंत पीड़ित आदमी को बचाने के लिए मदद पहुंचानी है। अगर वही रिलीफ आप छः-सात महीने के बाद देंगे तो उसका क्या फायदा है। रोगी अगर मर गया तो फिर उसे बचाने के लिए कोरामिन का इंजैक्शन लगाने से वह कैसे बचेगा। इसलिए आज इस बात की जरूरत है कि जो किसान, फिशरमैन, मजदूर और मेहनतकश लोग हैं, उन्हें बचाने के लिए तुरंत सहायता प्रदान करनी चाहिए। इसके लिए एक सिस्टम होना चाहिए। पंचायत से लेकर लोक सभा तक इसके अंदर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। यदि इस तरह से एक सिस्टेमैटिक तरीके से हम लोग काम करेंगे तो सचमुच में हम लोगों को राहत पहुंचा पायेंगे, अन्यथा कुछ नहीं होगा।

सभापति महोदय, सब जानते हैं कि सुनामी के कारण हमारे यहां कितना नुकसान हुआ। देश के राष्ट्रपति से लेकर अनेक वरिष्ठ मंत्रीगण और सरकारी विभाग के सभी अफसरगणों ने वहां विजिट की। गृह मंत्री और प्रधान मंत्री जी ने वहां विजिट की और यू.पी.ए. सरकार की चेयरपर्सन सोनिया जी ने वहां विजिट की। इस तरह से वहां बहुत अच्छा काम हुआ। लेकिन फिर भी जहां कमी है, उस कमी के बारे में हमें बोलना पड़ेगा। वहां कमी यह है कि किसानों की जो स्टैंडिंग क्रॉप थी, वह नष्ट हो गई। वर्तमान हालात में वे लोग हल नहीं जोत सकेंगे, चूंकि वहां समुद्र के नमक के पानी का लैवल दो मीटर ऊपर हो गया है। और कुछ जगहों पर यह नीचे चला गया है। इस स्थिति में रास्ते को बचाने के लिए वहां तीन मीटर मिट्टी डाली गई, उसके बाद भी पानी उसके ऊपर आ गया। इस सारी स्थिति पर सोच-विचार करने की आवश्यकता है। पहले वैज्ञानिक जिस तरह से कहा करते थे कि पेड़ नहीं काटने चाहिए, बालू नहीं उठानी चाहिए, इससे बहुत नुकसान हो जायेगा। लेकिन अब सब कुछ नये तरीके से देखने की आवश्यकता है। वैज्ञानिकों को सारे देश की नदियों और नालों के बारे में नये तरीके से विचार करना चाहिए और बताना चाहिए कि इनके बारे में क्या नीति होनी चाहिए। हमारे यहां इतना कीमती मैंग्रोव का जंगल था, वह सारा खत्म हो गया। मैंग्रोव का जंगल दुनिया में बहुत कम जगहों पर है। वहां बालू उठानी बंद थी। लेकिन वही बालू बाद में मैंग्रोव की जमीन में भर गई और सारा मैंग्रोव नष्ट हो गया। आज भी फॉरेस्ट डिपार्टमैन्ट इस बारे में कोई इंकवायरी या एनालाइज नहीं कर रहा है। जैसे कहा गया कि पेड़ काटने से वर्षा नहीं होगी। लेकिन पेड़ काटे तो इतनी वर्षा हो गई कि सब जगह बाढ़ आ गई। इसलिए इन सबके बारे में नये तरीके से सोचने की आवश्यकता है। हमें इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए और इसके ऊपर एक रिपोर्ट आनी चाहिए, जिससे कि सदन के सदस्यों को भी इस बारे में जानकारी तथा सुविधा मिल सके।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आज हमारे यहां रिकंस्ट्रक्शन के साथ इम्पलॉयमैन्ट को जोड़ने की जरूरत है। आपने लोगों के लिए घर बना दिये। लेकिन उस घर में वे कैसे रहेंगे, क्या खायेंगे। उनके लिए खाने का इंतजाम करना होगा, उन्हें रोजगार के साथ बाकी सब कुछ भी देना होगा। जब तक विकास के काम को इम्पलॉयमैन्ट के साथ नहीं जोड़ा जायेगा, तब तक बहुत सी मुश्किलें सामने आती रहेंगी। हमको ज्यादा समय आप नहीं दे रहे हैं। हमारा बोलना आवश्यक है।

सभापति महोदय: आपके पॉइंट्स अच्छे हैं, लेकिन समय कम है।

श्री मनोरंजन भक्त: सभापति जी, मैं जो नए तरीके से देखने की बात कर रहा हूं, इस पर सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। अभी हमारे यहां सारे बाजार टूट गए। दो चार लोग जो सामान लेकर बैठे हैं, उनका सामान नहीं बिक रहा है। कुछ लोगों का सामान बिक जाता है तो उनका काम चल जाता है। इस विषय पर हमें जिस गंभीरता से विचार करना चाहिए, मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि वह उस गंभीरता से काम करेगी।

[हिन्दी]

डा. रामकृष्ण कुसमरिया (खजुराहो): मान्यवर, प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, भू माफिया खनन कर रहे हैं, जंगल काट रहे हैं उसके कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है और उसके परिणामस्वरूप सूनामी, अतिवृष्टि और अनावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जिनका सामना हम कर रहे हैं।

मान्यवर, विज्ञान ने बड़ी प्रगति की है लेकिन यदि हम मौसम विभाग के काम को देखें तो वे जो उद्घोषणा करते हैं, वे सही नहीं होतीं। जहां कहते हैं कि मूसलाधार वर्षा हो, वहां एक बूंद पानी नहीं गिरता और जहां मूसलाधार वर्षा होती है, वहां के लिए कहते हैं कि पानी नहीं गिरेगा। आज के वैज्ञानिक युग में हमें इस तकनीक को सुधारना पड़ेगा ताकि हम समय पर लोगों को सावधान कर सकें।

[डा. रामकृष्ण कुसमरिया]

मान्यवर, आज मध्य प्रदेश भीषण बाढ़ की चपेट में है। हजारों गांवों के लोग इससे प्रभावित हुए हैं और सैकड़ों गांव नष्ट हुए हैं। हजारों पशु नष्ट हुए हैं। इस बाढ़ से लगभग 24 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। 10 जिले भीषण रूप से बरबाद हुए हैं। 67 लोगों की मृत्यु हुई है। 42,000 पशु मरे हैं, 61,000 मकान नष्ट हुए हैं और 22 हजार हैक्टेयर भूमि पर फसल नष्ट हुई है। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी लीक से हटकर और आर.वी.सी. में संशोधन करके ज्यादा से ज्यादा राशि लोगों को देकर राहत का काम किया है। केन्द्र सरकार से जो 225 करोड़ रुपये नैचुरल कैलामिटी रिलीफ के मिलने थे, उसमें से हमें राशि नहीं मिली। मात्र 93 करोड़ रुपये दिये हैं और बड़ा ढोल बजाए जा रहे हैं कि हम बहुत सहायता कर रहे हैं। हमने 500 करोड़ रुपये की मांग की थी लेकिन अभी भी राज्य सरकार ने 200 करोड़ रुपये के अपने संसाधनों के द्वारा वहां पर राहत के कार्य किये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार द्वारा आवश्यक राशि तत्काल मुहैया कराई जाए।

मान्यवर, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मैं कुछ सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूं। मौसम विभाग को चुस्त-दुरुस्त किया जाए ताकि सही उद्घोषणाएं वे कर सकें और सही जानकारी लोगों को मिले और वे समय पर सावधान हो सकें। इसी तरह से जो जंगल माफिया हैं, जो खनन माफिया हैं, इनके द्वारा प्रकृति से छेड़छाड़ करने पर पाबंदी लगाने के लिए सख्ती बरतनी होगी ताकि प्रकृति का संतुलन न बिगड़े और प्राकृतिक आपदाओं से हम बच सकें। पूर्व प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहार वाजपेयी जी ने नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम की घोषणा की थी जिससे बाढ़ और सुखाड़ से निपटा जा सकता था। मध्य प्रदेश में अभी कैन नदी में बाढ़ आई जिसमें कई नदियों का पानी आया। उसने पन्ना, दमोह और छतरपुर जिलों को बर्बाद कर दिया। छतरपुर और टीकमगढ़ की नदियों में वर्षा न होने के कारण पानी नहीं आया और वे खाली पड़ी रहीं। यदि इन नदियों को जोड़ दिया गया होता तो हम बाढ़ से निपट सकते थे। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि इस कार्यक्रम को बढ़ाया जाए।

इसी तरह से जिनके घरबार उजड़ गए हैं, उनको केंद्र सरकार द्वारा विशेष सहायता आवास के रूप में दी जाए क्योंकि जो लोग उजड़े हैं, जो बेघरबार हुए हैं, वे गरीब लोग हैं और ज्यादातर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं। उनको इंदिरा आवास जैसी योजनाओं के माध्यम से बसाने का काम किया जाए।

महोदय, पुनर्वास के लिए वहां पर जमीनें नहीं हैं। वन विभाग की कई जमीनें वहां पर खाली पड़ी हैं, जो काफी अच्छे स्थानों पर हैं। प्रभावित लोगों को रहने के लिए वे जमीनें दे दी जानी चाहिए ताकि लोगों को वहां पर बसने के लिए जगह मिल सके। इसी तरह पशु हानि काफी हुई है। पशुओं के पोस्टमार्टम की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए कानून बना दिया जाए और गांव में पंचनामा पशु गणना के आधार पर किया जाए। जिन पशुओं के शव नहीं मिल रहे हैं, उसके लिए लोगों को पंचनामे के आधार पर मुआवजा दिया जाना चाहिए। इस तरह जिन किसानों की भूमि बह गई है उनकी क्षति पूर्ति करना आवश्यक है।

इसके साथ ही खाद और बीज का भी इंतजाम किया जाए। ज्यादातर सड़कें टूट गई हैं, बिजली के खंभे उखड़ गए हैं, बांध टूट गए हैं। इन सभी के पुनर्निर्माण के लिए बंदोबस्त किया जाए। इससे बेरोजगार लोगों को काम भी मिल सकेगा। इन कार्यों को करने के लिए तत्काल राहत कार्य शुरू करने का इंतजाम किया जाए।

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर, हि.प्र.): सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। कल से सदन में बाढ़ पर चर्चा हो रही है। बहुत से वक्ताओं ने कहा कि पिछले कई वर्षों से जैसे-जैसे बाढ़ पर चर्चा बढ़ी है, वैसे-वैसे बाढ़ का प्रकोप भी बढ़ा है। प्राकृतिक आपदाओं का आना इस देश की नियती बनगई है और हर साल इन पर चर्चा होती है। तात्कालिक उपाए होते हैं और अगले वर्ष उससे भी ज्यादा खतरनाक रूप में इन्हीं समस्याओं से हमें जूझना पड़ता है। मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तात्कालिक उपायों की आवश्यकता है वहां पर कुछ दीर्घकालिक दृष्टि से विचार करने की भी आवश्यकता है। मैं जिस प्रदेश से आता हूं उस प्रदेश में अभी पिछले दिनों बाढ़ आई थी। चीन के तिब्बत प्रदेश में बहने वाली पारछू नदी में बनी कृत्रिम झील का पानी सतलुज नदी में मिल जाने के कारण आठ सौ करोड़ रुपयों की सरकार एवं गैर-सरकारी संपत्ति की क्षति हुई है। इस झील के ऊपर न तो हिमाचल प्रदेश सरकार का और न ही भारत सरकार का अधिकार है। ऐसी बाढ़ वर्ष 2000 में भी आई थी और अभी पिछले दिनों फिर से बाढ़ आई है। जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब एक शिष्ट मंडल वहां पर गया था। तब तय हुआ था कि नदी के पानी का डाटा आपस में ट्रांसफर किया जाए। मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि राजनीतिक संबंधों का प्रयोग करते हुए वहां पर भारतीय विशेषज्ञों को जाने की अनुमति दी जाए, ताकि वहां पर जाकर अंदाजा लगाया जा सके कि उस नदी में कितना पानी है और उस पानी से कितना खतरा है। पिछली बार भी

भारत के अधिकारियों को वहां जाने की अनुमति नहीं मिली और इस कारण सेटेलाइट से जो चित्र मिलते हैं उसी के आधार पर आकलन होता है।

इसी प्रदेश में प्राय: बादल फटने के कारण अनेक घटनाएं होती हैं। पिछले कई वर्षों से बादल फटने की घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक उसके लिए कोई तंत्र स्थापित नहीं किया जा सका है जिससे वहां बादल फटने से पहले ही अंदाजा लगाया जा सके। बादल फटने का कारण एक जगह पर इतना पानी बरसता है जिसके कारण छोटा नाला भी बड़ी नदी का रूप धारण कर लेता है और सैंकड़ों लोग उसकी चपेट में आ जाते हैं। इसके लिए कोई न कोई तंत्र विकसित किया जाए। दुनिया में जो भी इस ढंग के विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह ली जाए और जो भी खतरा इस कारण उत्पन्न हो सकता है, उससे बचने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय: आठ बज गए हैं। सदन का समय समाप्त हो रहा है।

श्री खारबेल स्वाई (बालासोर): महोदय, सदन का समय 15 मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाए।

रात्रि 8.00 बजे

[अनुवाद]

श्री गुलाम नबी आजाद: महोदय, हम सभा का समय 15 मिनट बढ़ा सकते हैं। हम इसका समय रात्रि 8.15 बजे तक कर सकते हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: ठीक है। सदन की अवधि 20.15 बजे तक बढ़ाई जाती है।

श्री सुरेश चन्देल जी, अब अपना भाषण कंटीन्यू करें।

श्री सुरेश चन्देल: सभापति जी, पिछले दिनों गुजरात में भी भयंकर बाढ़ आई थी। वहां की सरकार ने बाढ़ से निपटने हेतु बहुत सराहनीय कार्य किया है। वह पहला राज्य है, जहां आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना की गई है जिसके लिए उस प्रदेश को इनाम भी मिला है। मेरी जानकारी के अनुसार वह शायद पहला प्रदेश है जिसने कनाडा से इमेजिंग सैटेलाइट प्रणाली को प्राप्त करने की दिशा में पहल की है। इस प्रणाली को प्राप्त करने से हर मौसम में और हर प्रकार के चित्र उपलब्ध हो सकते हैं और मैं समझता हूं कि भारत सरकार को भी ऐसा प्रयास करना चाहिए कि देश के सभी प्रदेशों को इस सिस्टम को उपलब्ध कराना चाहिए।

महोदय, गुजरात में आई बाढ़ के बाद इमेजिंग सैटेलाइट प्रणाली के माध्यम से प्राप्त चित्रों से यह जानकारी मिली है कि वहां स्थलाकृतियों में कुछ परिवर्तन होने के कारण बाढ़ आई। यदि इस प्रणाली का प्रयोग होता और बाढ़ आने से पहले ऐसे चित्र प्राप्त हो जाते, जिनसे वहां बाढ़ आने के खतरे का आभास हो जाता, तो शायद इतनी तबाही नहीं होती, क्योंकि बाढ़ आने से पहले ही बचाव कार्य प्रारम्भ कर दिए जाते और बाढ़ की विभीषिका को कम किया जा सकता था।

महोदय, आपके माध्यम से, मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी पूर्व में प्राप्त करने के लिए इमेजिंग सैटेलाइट प्रणाली अथवा अन्य प्रणालियों का अध्ययन करने और उन्हें भारत में प्राप्त करने के लिए यदि आवश्यक हो, तो विशेषज्ञों को अध्ययन करने हेतु विदेशों में, जहां इस प्रकार की व्यवस्था हो, वहां भेजा जाए और पूर्व चेतावनी की प्रणाली को भारत में प्राप्त करने हेतु पहल की जाए।

महोदय, पिछले सत्र में भी मैंने यह सुझाव दिया था कि हिमालय के पर्यावरण को बचाने, सुरक्षित रखने एवं संरक्षित करने के लिए एक ट्रांस हिमालयन डैवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना की जाए जिसमें हिमालय की तलहटी में आने वाले सभी प्रदेशों को शामिल किया जाए और हिमालय के पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयास किए जाएं। बाढ़ पर हुई बहस में भाग लेने वाले लगभग सभी माननीय सदस्यों ने पर्यावरणीय सन्तुलन के बिगड़ने की बात कही है और वह दिन प्रति दिन विकराल रूप धारण करता जा रहा है। इसलिए मेरा आग्रह है कि ट्रांस हिमालयन डैवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना की जाए।

महोदय, चीन के, तिब्बत क्षेत्र में बहने वाली परिछू नदी में बनी कृत्रिम झील के टूटने से हिमाचल प्रदेश में दिनांक 22 जून, 2005 को सतलुज नदी में आई भयंकर बाढ़ के कारण प्रदेश में सरकारी एवं गैर सरकारी सम्पत्ति को लगभग 800 करोड़ रुपए की क्षति पहुंची है, लेकिन भारत सरकार ने केवल 100 करोड़ रुपए की ही मदद अब तक दी है। मैं चाहूंगा कि प्रदेश सरकार को हुई क्षति की पूर्ति हेतु कम से कम 500 करोड़ की मदद नैशनल कैलेमिटी कंजिनजेंसी फंड से और मदद दी जाए।

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): महोदय, हमारे सभी माननीय सदस्यों ने प्राकृतिक आपदा के सम्बन्ध में अपने-अपने राज्यों और देश की परिस्थितियों के संबंध में अपने-अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और जैसा कि सभी ने बताया कि प्रकृति का सन्तुलन बराबर बिगड़ रहा है और प्रकृति असंतुलित होती

[श्री वीरेन्द्र कुमार]

जा रही है, इसी कारण भयंकर बाढ़ और सूखे की स्थिति देश में पैदा हो रही है।

महोदय, पहले हम देखते थे कि बादल फटने की घटनाएं कभी सिर्फ हिमाचल प्रदेश में हुआ करती थीं, लेकिन अब मैदानी भागों में भी होने लगी हैं। पिछले दिनों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में असाधारण रूप से पानी बरसा, उसके कारण भीषण परिस्थिति पैदा हुई। मैं आपका ध्यान मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि मैं मध्य प्रदेश के सागर संसदीय क्षेत्र से आता हूं। वहां 3 और 4 जुलाई को एक दिन में, यानी 24 घंटे में 20 इंच बारिश हुई। शहर का नाम सागर है, लेकिन वहां कोई सागर नहीं है। वहां एक तालाब है जिससे पानी बहने के कारण कुछ क्षेत्रों में लोग अपने घरों में घिर गए और उन्हें निकालने के लिए सेना को बुलाना पड़ा और सेना की मदद से उन फंसे हुए लोगों को निकालना पड़ा।

महोदय, मध्य प्रदेश के 17 जिलों में से 9 जिले बाढ़ से गम्भीर रूप से प्रभावित हुए हैं जिनमें 67 लोगों की मृत्यु हुई। इनमें से सर्वाधिक लोग मेरे सागर जिले के हैं। अकेले सागर जिले में 27 लोगों की मृत्यु बाढ़ के कारण हुई। बारौदा से रहली जाने वाली एक बस में 60 लोग जा रहे थे। बस के बहने के कारण 45 लोग बस में से निकाल लिए गए, लेकिन 15 लोग बस में फंसे रहे और दोनों तरफ से बहुत प्रयास करने के बावजूद उन्हें नहीं निकाला जा सका। इसी प्रकार परसोरिया के पास एक गांव पडरिया है। वहां एक दादी और उसकी पोती अपने घर में फंसी रह गईं। मकान कच्चा था और चारों तरफ से पानी भरता चला गया। दादी और पोती, दोनों ही सहायता के लिए चिल्लाती रहीं और दूर से लोग खड़े हुए सिर्फ देखते रहे, लेकिन अचानक चारों ओर से पानी बढ़ जाने के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका।

उन्होंने अथक प्रयास किये, लेकिन सारे प्रयत्नों के बावजूद भी वह आवाज धीमी होती चली गई और उनको बचाया नहीं जा सका। सागर जिले में सर्वाधिक 27 लोगों की मृत्यु हुई। सागर के 752 गांव इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, फसली क्षेत्र लगभग 3755 हैक्टेयर भूमि में प्रभावित हुआ है और 3147 पशुओं की हानि हुई है। कुल मिलाकर जो कच्चे-पक्के, आंशिक और पूर्णतया मकान क्षतिग्रस्त हुए, वे लगभग 53 हजार इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। लगभग 66 करोड़ रुपये का नुकसान सागर जिले में इस बाढ़ से हुआ, जिसमें हितग्राही परिवार लगभग 22,688 हैं। 6 दिन पूरी तरह से सागर का सम्बन्ध बाहर से कट गया था, इन 6 दिनों में रेल मार्ग बन्द हो गया था, वहां पर कोई ट्रेन नहीं चली। राज्य सरकार अपने प्रयासों से जितना कर सकती थी, उतना करने का प्रयत्न किया है। जो प्रयास हो रहे हैं, वे प्रयास केवल राज्य सरकार और सामाजिक संस्थाओं की तरफ से हो रहे हैं, लेकिन उनके भरोसे उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है।

हमारे कुछ मित्रों ने राजनैतिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर बात की, लेकिन मेरा कहना यह है कि बाढ़, भूकम्प और सुनामी ऐसे मामले हैं, जिनको मानवीय मूल्यों से जोड़ा जाना चाहिए और पूर्वाग्रहों को एक तरफ छोड़कर मानवीय मूल्यों को दृष्टिगत रखकर इसमें सहायता करने के लिए आगे आना चाहिए।

12वें वित्त आयोग में मध्य प्रदेश के प्राकृतिक आपदा फंड के लिए 225 करोड़ रुपये का प्रोवीजन है। मध्य प्रदेश को करण्ट ईयर में 225 करोड़ रुपया दिया जाना चाहिए, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इसमें से मात्र 95 करोड़ रुपये की पहली किश्त मध्य प्रदेश को दी गई है। जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरीखे बाढ़ से प्रभावित राज्य हैं, इन राज्यों में इन राशियों के अलावा भी वहां पर जो सर्वे हुआ है, जो आकलन हुआ है, मध्य प्रदेश की सरकार ने 500 करोड़ रुपये का सर्वे का आकलन किया है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाये तो 1000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि मध्य प्रदेश को केन्द्र सरकार अधिक से अधिक राशि की सहायता प्रदान करे।

इसके साथ-साथ मैं मात्र 2-3 सुझाव देना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए विकसित राष्ट्र और मौसम विज्ञान विभाग लेटैस्ट टेक्नोलोजी का प्रयोग कर रहे हैं, हमारे यहां भी उसका प्रयोग करना चाहिए, जिससे भूकम्प, बाढ़, अतिवृष्टि और नुकसानों से बचा जा सके। नदियों को आपस में जोड़े जाने की योजना से पानी का ठीक ढंग से व्यवस्थित उपयोग भी हो सकेगा और बिजली और सिंचाई का भी उसमें प्रयोग किया जा सकेगा।

भूकम्परोधी मकानों के निर्माण पर बल देना चाहिए और बगैर नगर-निगम, नगरपालिका और ग्राम पंचायतों के एन.ओ.सी. के मकान नहीं बनाये जाने चाहिए, भूकम्परोधी मकान ही बनाये जाने चाहिए। अन्तिम बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग-बाग बेघर हुए हैं, उनमें बी.पी.एल. परिवारों के लिए इन्दिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और बीड़ी मजदूर आवास योजना, इन सारी योजनाओं की राशि का उपयोग इन गरीब लोगों के मकानों के लिए किया जाना चाहिए।

आपने मुझे जो अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री चन्द्रभान सिंह (दमोह): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मध्य प्रदेश एवं मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आई बाढ़ की समस्या पर सदन में बोलने का अवसर दिया, मैं आपके माध्यम से केन्द्र शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। विगत दिनों में अतिवृष्टि से भीषण बाढ़ आने के कारण मध्य प्रदेश के 10 जिलों में करीब चार हजार ग्रामों में करीब 12 लाख लोग प्रभावित हुए हैं तथा मध्य प्रदेश में एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की सम्पत्ति का नुकसान हुआ है और लाखों मकान गिर गये हैं, सैंकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई है और अनेक लापता हैं। हमारे पांच लाख लोग बेघरबार हो गये हैं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में वायुसेना के पांच हैलीकॉप्टर तथा स्टीमर तथा सेना भेजी गई थी, जो एक सप्ताह तक सेवारत थी, जिसके कारण हजारों लोगों की जानें बचाई गई हैं। मैं स्वयं वहां पहुंचा और विभिन्न ग्रामों में चार जुलाई से 23 जुलाई तक लगातार हैलीकॉप्टर से लेकर स्टीमर और ट्रैक्टरों तथा मोटरसाइकिल से बचाव कार्य में रहा हूं। मध्य प्रदेश के 10 प्रभावित बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में से सर्वाधिक बाढ़ मेरे निर्वाचन क्षेत्र दमोह एवं पन्ना जिले में अतिवृष्टि के कारण आई थी, जिसका सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दमोह जिले में 6 और पन्ना जिले में 6 आदमियों की मृत्यु बाढ़ आने के कारण हुई है तथा 50 हजार से अधिक पशु गाय, बैल, भैंसों की मृत्यु हुई है।

1500 से अधिक पक्के तथा 20,000 से अधिक कच्चे मकान पूर्णतः नष्ट हो गए हैं। 3000 से अधिक पक्के 25000 से अधिक कच्चे मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, एवं 450 से अधिक ग्राम बाढ़ से प्रभावित हुए हैं तथा 50,000 से अधिक परिवारों के मकान बाढ़ से पूर्णतः नष्ट या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के 2,50,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। मैंने कलैक्टर से जानकारी ली है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 30 करोड़ से अधिक की राशि आर.वी.सी. 6-4 के तहत बाढ़ पीड़ितों को राहत के रूप में दी जा चुकी है। 210 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान मकानों, पशुओं और जनहानि इत्यादि का हुआ है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के शासकीय भवन, रोड एवं डेम टूट जाने से 200 करोड़ रुपये से अधिक की हानि हुई है। सिर्फ दमोह एवं पन्ना जिले में ही कुल 410 करोड़ रुपये से अधिक का नुक्सान हुआ है। इसके अलावा दमोह से कटनी के बीच का 700 मीटर लम्बा रेल ट्रेक व्यारया नदी में बह गया था, जिसके कारण तीन दिनों तक रेल मार्ग बन्द रहा। घटेरा रेलवे स्टेशन पूर्ण रूप से डूब गया था। दमोह जिले की टेलिफोन व्यवस्था तीन दिन तक बंद रही।

महोदय, मेरा सुझाव है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र दमोह, पन्ना एवं छतरपुर जिलों से सात नदियां, जैसे सुनार, कोपरा, व्यारया, पतने, केन इत्यादि निकलती हैं, जो केन नदी में जुड़ जाती हैं। मैंने हेलिकॉप्टर से बाढ़ की स्थिति को देखा है। यदि इन नदियों के पथरीले स्थानों की गहराई एवं चौढ़ाई बढ़ा दी जाए तो बाढ़ का स्थायी समाधान हो सकता है। मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार तुरन्त राहत राशि देने की व्यवस्था करे।

महोदय, मैं आपके माध्यम से चार मांगें अतिवृष्ट एवं बाढ़ पीड़ितों को राहत एवं सहायता के लिए केन्द्रीय शासन से मांग करता हूं कि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मांगी गई 500 करोड़ की राशि यथाशीघ्र दिलवायी जाए। मध्य प्रदेश के दस बाढ़ प्रभावित जिलों में से सर्वाधिक नुकसान दमोह एवं पन्ना जिलों में हुआ है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि पन्ना एवं दमोह जिलों को काम के बदले अनाज योजना के साथ जोड़ा जाए, जिससे अतिवृष्टि एवं बाढ़ पीड़ित जिलों से किसानों एवं मजदूरों का पलायन न हो सके। बाढ़ में मृत व्यक्ति के परिवारों की सहायतार्थ एक-एक लाख रुपये देने की घोषणा केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री सुरेश पचौरी जी ने मध्य प्रदेश में की थी, वह राशि यथाशीघ्र उनको दी जाए।

अन्त में, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के 2,50,000 बाढ़ पीड़ित परिवारों को जिनके मकान पूर्णतः नष्ट हो गए हैं व जो लोग बेघरबार हो गए हैं, उनके लिए स्थायी समाधान एवं व्यवस्थापन के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना एवं इंदिरा आवास योजना के तहत 25,000 रुपये कुटीरों इत्यादि के लिए निःशुल्क दिया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभा कल 29 जुलाई, 2005 को पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.14 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा शुक्रवार, 29 जुलाई, 2005/7 श्रावण, 1927 (शक) को पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.स.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	कुंवर मानवेन्द्र सिंह प्रो. महादेवराव शिवनकर	61
2.	श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा श्री मो. ताहिर	62
3.	श्री जी.एम. सिद्दीश्वर	63
4.	श्री असादुद्दीन ओवेसी श्री उदय सिंह	64
5.	श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव श्री सर्वानन्द सोनोवाल	65
6.	डा. के. धनराजू	66
7.	डा. चिन्ता मोहन श्री प्रहलाद जोशी	67
8.	श्रीराम सिंह कस्वां श्री गणेश सिंह	68
9.	श्री पी. राजेन्द्रन श्री हितेन बर्मन	69
10.	श्री के.एस. राव	70
11.	श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव श्री एम. अंजन कुमार यादव	71
12.	श्री जी. करुणाकर रेड्डी श्री कीर्ति वर्धन सिंह श्री बालासाहिब विखे पाटील	72 73
13.	श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल श्री रवि प्रकाश वर्मा	74
14.	श्री हरिकेवल प्रसाद श्री हरिसिंह चावड़ा	75
15.	श्री सुग्रीव सिंह श्री किसनभाई वी. पटेल	76
16.	श्री मोहन सिंह श्री रीजान्द्र कुमार	77
17.	श्री बापू हरी चौरे श्री सुरेश अंगड़ि	78
18.	श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	79
19.	श्री जुएल ओराम	80

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.स.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरून रशीद, श्री जे.एम.	703
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	785
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	748, 756, 807, 813
4.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	688, 695, 717
5.	अहीर, श्री हंसराज जी.	701, 816
6.	अंगड़ि, श्री सुरेश	676, 784, 828, 853
7.	आठवले, श्री रामदास	700, 776
8.	बारड़, श्री जसुभाई दानाभाई	655, 740, 800, 849, 860
9.	बर्मन, श्री हितेन	687
10.	बर्मन, श्री रनेन	666, 790
11.	बखला, श्री जोवाकिम	646
12.	भड़ाना, श्री अवतार सिंह	676, 704
13.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	693, 771 821

1	2	3
14.	वरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	708
15.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	639, 677
16.	चक्रवर्ती, श्री स्वदेश	715
17.	चक्रवर्ती, श्री अजय	709, 729, 755, 782, 797
18.	चन्देल, श्री सुरेश	638, 726, 735, 833
19.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	775, 864
20.	चौरे, श्री बापू हरी	746, 767, 805
21.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	639, 659, 677
22.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	690, 753, 773
23.	चिन्ता मोहन, डा.	750, 809
24.	चौहान, श्री शिवराज सिंह	710, 776, 859
25.	चौधरी, श्री पंकज	702
26.	चौधरी, श्री अधीर	644, 780, 826, 851
27.	दासगुप्त, श्री गुरुदास	709
28.	देवरा, श्री मिलिन्द	684
29.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	647, 734
30.	धनराजू, डा. के.	749, 808, 843
31.	धोत्रे, श्री संजय	673, 746, 805
32.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	661, 790
33.	गढ़वी, श्री पी.एस.	671, 765, 817

1	2	3
34.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	686, 764, 770, 820
35.	गंगवार, श्री संतोष	691, 767
36.	गाव, श्री तापिर	676, 722
37.	गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द	712
38.	गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश	720
39.	जगन्नाथ, डा. एम.	698, 774, 845
40.	जय प्रकाश, श्री	692, 731, 764
41.	झा, श्री रघुनाथ	663, 789, 835, 848
42.	जिन्दल, श्री नवीन	729
43.	जोगी, श्री अजीत	681
44.	जोशी, श्री प्रहलाद	816, 842, 846, 847
45.	कनोडीया, श्री महेश	685
46.	खैरे, श्री चंद्रकांत	714, 753, 851
47.	खंडूडी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र	662
48.	खन्ना, श्री अविनाश राय	658, 760
49.	खारवेनथन, श्री एस.के.	728, 795, 834, 855, 863
50.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	651, 733
51.	कोया, डा. पी.पी.	726
52.	कुप्पुसामी, श्री सी.	763
53.	कुरूप, श्री सुरेश	670, 777, 824

1	2	3
54.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	747, 806, 840, 857
55.	लाहिरी, श्री समिक	656, 692, 705
56.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	750
57.	महतो, श्री बीर सिंह	811
58.	महतो, श्री सुनिल कुमार	653, 709, 753
59.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	659, 806
60.	महताब, श्री भर्तृहरि	858
61.	माझी, श्री परसुराम	786, 829, 865
62.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	716
63.	मंडल, श्री सनत कुमार	648, 736, 819, 848
64.	माने, श्रीमती निवेदिता	686, 770, 820
65.	मनोज, डा. के.एस.	683
66.	मेघवाल, श्री कैलाश	643, 698, 733, 799
67.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	713, 731, 798, 836
68.	मोदी, श्री सुशील कुमार	672, 744, 803, 838
69.	मुकीम, मो.	669, 751, 810
70.	मो. ताहिर, श्री	747, 806, 840, 857
71.	मोहिते, श्री सुबोध	657
72.	मोल्लाह, श्री हन्नान	718, 762

1	2	3
73.	मूर्ति, श्री ए.के.	652, 806
74.	मुन्शी राम, श्री	747, 806, 840, 857
75.	मुर्मू, श्री हेमलाल	710, 859
76.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	667, 779
77.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	721, 788, 823
78.	नायक, श्री अनन्त	711, 782, 816, 847
79.	निखिल कुमार, श्री	780, 826, 851
80.	नायक, श्रीमती अर्चना	654, 698, 739
81.	ओराम, श्री जुएल	783, 827, 852
82.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	732, 801, 841, 858
83.	पलनिसामी, श्री के.सी.	664, 743, 764
84.	पाण्डा, श्री प्रबोध	845
85.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	692, 716
86.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	637, 741, 831
87.	पाटसाणी, डा. प्रसन्न कमार	676
88.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	653, 695
89.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	676, 758, 793, 815
90.	पाठक, श्री ब्रजेश	778, 825, 850, 861, 865
91.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	755

1	2	3
92.	पाटील, श्री दानवे रावसाहेब	679
93.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	642
94.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	650
95.	पिंगले, श्री देविदास	682, 761
96.	पोन्नुस्वामी, श्री ई.	687, 758, 764, 847
97.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	823, 747
98.	प्रधान, श्री प्रशान्त	730
99.	पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	715, 770
100.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	719
101.	राजेन्द्र कुमार, श्री	738
102.	राजेन्द्रन, श्री पी.	752
103.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	687, 758, 766, 818, 847
104.	राणा, श्री काशीराम	688, 768
105.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	689, 748, 769
106.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	691, 851
107.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	737, 812, 844, 859
108.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	684, 748
109.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	687, 696
110.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	709, 775, 781
111.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	668, 753, 773, 823
112.	साई प्रताप, श्री ए.	709, 725
113.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	685, 699, 775
114.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	724, 792
115.	सत्पथी, श्री तथागत	748, 816
116.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	694, 770, 772, 822
117.	सेठ, श्री लक्ष्मण	715
118.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	641, 709
119.	शाहिद, मोहम्मद	747, 806, 840, 857
120.	शर्मा, श्री मदन लाल	678
121.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	748, 756, 807, 842
122.	शिवन्ना, श्री एम.	692
123.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	747, 806, 840, 857
124.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	706, 757
125.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	753, 811
126.	सिंह, श्री रामसेवक	674
127.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	707, 755
128.	सिंह, श्री चन्द्रभान	645
129.	सिंह, श्री दुष्यंत	755, 757, 814, 816, 865
130.	सिंह, श्री गणेश	807
131.	सिंह, श्री गणेश प्रसाद	675
132.	सिंह, श्री कार्ति वर्धन	748, 764, 770, 820
133.	सिंह, कुंवर मानवेन्द्र	745, 804, 839, 856
134.	सिंह, श्री मोहन	759

1	2	3
135.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	796
136.	सिंह, श्रीमती प्रतिभा	665, 827
137.	सिंह, श्री राकेश	697
138.	सिंह, श्री रेवती रमन	864
139.	सिंह, श्री सीताराम	660
140.	सिंह, श्री सुग्रीव	676, 758, 815, 845
141.	सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन	680, 754
142.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	685
143.	सुमन, श्री रामजीलाल	809
144.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	864
145.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	640, 787, 830
146.	थामस, श्री पी.सी.	752
147.	तुम्मर, श्री वी.के.	690, 768
148.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	692
149.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	727, 764, 773, 794, 815
150.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	723, 791, 832, 854, 862
151.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	806
152.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	668
153.	वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	649
154.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	742, 748, 802, 837
155.	यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु	770
156.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	717
157.	यादव, श्री गिरिधारी	709
158.	यादव, श्री सीता राम	839
159.	यास्खी, श्री मधु गौड	686, 764
160.	जाहेदी, श्री महबूब	676

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	:	79
संस्कृति		77
रक्षा	:	64, 66
भारी उद्योग और लोक अद्यम		
सूचना और प्रसारण	:	63, 67, 71, 72, 73
पंचायती राज		
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	62, 65, 68, 70, 74, 80
रेल	:	61, 69, 75, 76, 78
सामाजिक न्याय और अधिकारिता		

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	:	657, 660, 662, 664, 676, 684, 702, 704, 714, 724, 735, 747, 752, 758, 759, 761, 797, 802, 805, 806, 812, 815, 818, 832, 834, 836, 844, 847, 855, 859, 863
संस्कृति	:	637, 647, 648, 651, 665, 681, 695, 715, 718, 732, 780, 791, 799, 803, 826, 827, 839, 852, 860
रक्षा	:	644, 658, 671, 678, 682, 683, 685, 686, 697, 698, 701, 729, 746, 757, 760, 770, 793, 804, 808, 835, 842, 843, 850, 856, 858, 864, 865
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	668, 670, 688, 709, 745, 782, 848
सूचना और प्रसारण	:	652, 700, 703, 712, 717, 723, 725, 736, 737, 738, 748, 762, 774, 775, 776, 777, 788, 796, 800, 809, 816, 833, 846, 849, 862
पंचायती राज	:	753, 841, 854
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	641, 654, 659, 677, 693, 696, 699, 711, 713, 716, 726, 727, 731, 739, 740, 750, 754, 756, 763, 764, 765, 766, 769, 772, 778, 781, 783, 784, 785, 786, 810, 814, 822, 824, 851, 866

रेल	:	639, 640, 642, 643, 645, 646, 649, 650, 653, 656, 663, 672, 673, 674, 680, 689, 690, 691, 694, 705, 706, 707, 708, 710, 719, 720, 721, 722, 728, 730, 741, 742, 743, 744, 749, 751, 767, 768, 771, 773, 787, 789, 792, 794, 795, 807, 811, 817, 819, 820, 823, 825, 829, 830, 831, 837, 838, 840, 845, 857
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	638, 655, 661, 666, 667, 669, 675, 679, 687, 692, 733, 734, 779, 790, 798, 801, 813, 821, 828, 853, 861.

इन्टरनेट

लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी-लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जा रहा है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3 श्रीराम मार्ग, साउथ मौजपुर, दिल्ली-110 053 द्वारा मुद्रित।